वार्षिक योजना

1980-81

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र

योजना विभाग

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

-5456
309.25
DEL-Y

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No........................
Date...............................

वार्षिक योजना 1980-81

विषय सूची

भाग–एक–रूप रेखा

	पृष्ठ संख्या
परिचय	1
क्षेत्रानुसार कार्यक्रम	10
(1) कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	10
(2) सहकारिता	23
(1) लघु सिंचाई	28
(2) बाढ़ नियंत्रण	29
(3) विद्युत शक्ति	34
उद्योग	49
परिवहन एवं संचार	64
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	86
1) सामान्य शिक्षा	86
2) कला एवं संस्कृति	106
3) तकनीकी शिक्षा	108
4) चिकित्सा	121
5) जन स्वास्थ्य एवं सफाई	135
6) मल व्ययन एवं जल पूर्ति	138
7) पुलिस आवास सहित आवास	150
8) शहरी विकास	168
9) सूचना एवं प्रसार	174
0) श्रम व श्रमिक कल्याण	178
1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	189
2) समाज कल्याण	196
3) पोषाहार	208
आर्थिक सेवाएं	211
सामान्य सेवाएं	215
1) स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम	215

भाग - दो तालिकाएं

1 1.	तालिका	जो	एन 1	प्राधिकरण अनुसार/शीर्षानुसार-परिव्यय एंव व्यय
2 2.	तालिका	जी	एन 2	प्रोजेक्ट/परियोजनानुसार-परिव्यय एंव व्यय
3 3.	तालिका	जी	एन 3	उत्पादन लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

विभिन्न योजनाओं पर अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय

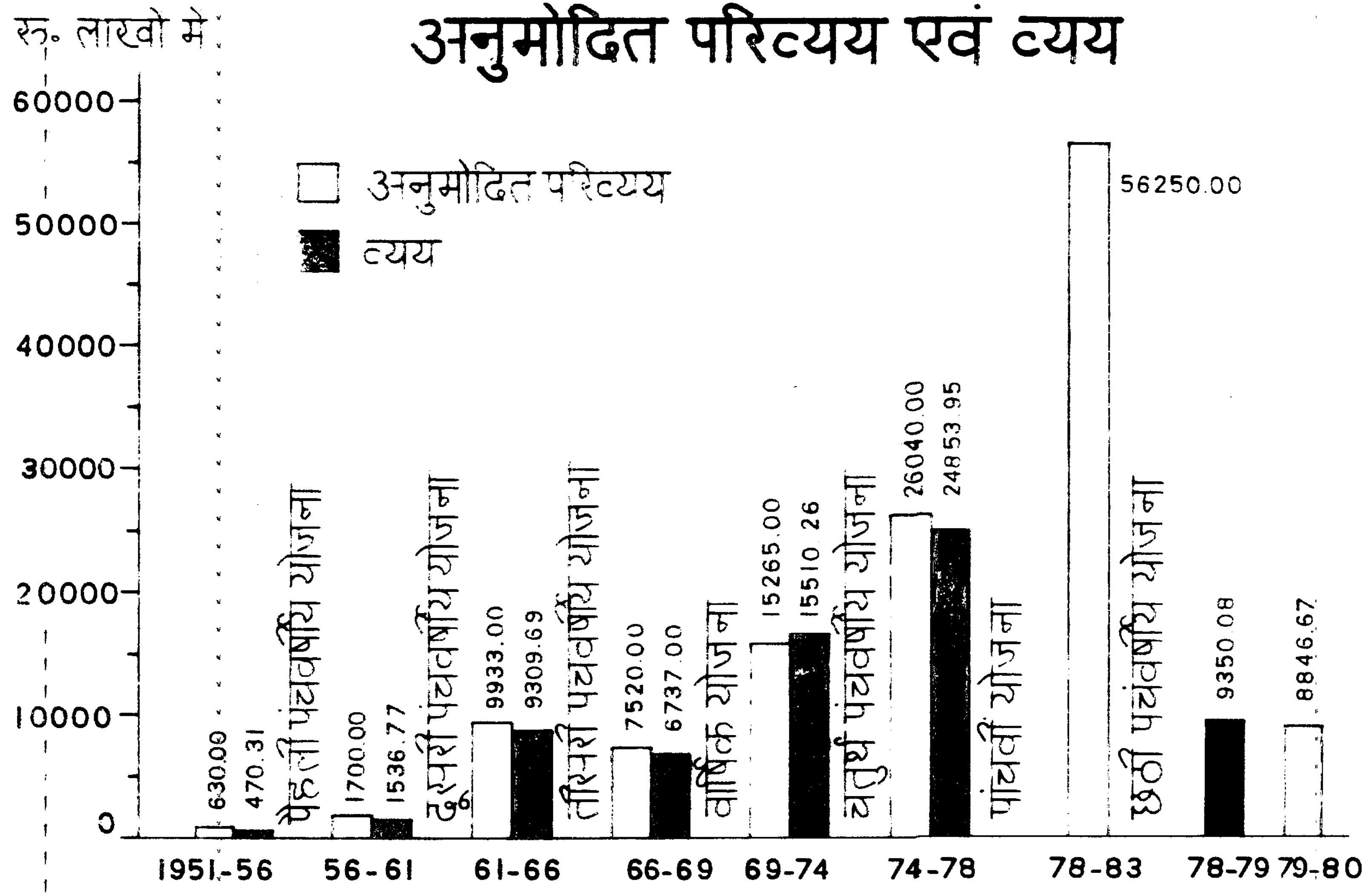

परिचय

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 1485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ला है और मुख्य रूप से इसका स्वरूप शहरी है क्योंकि जनसंख्या 90 प्रतिशत से अधिकांश भाग शहरी क्षेत्र में रहता है। य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में दिल्ली की प्रति किन पूंजीगत आय अधिक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वपरीत इसके कृषि क्षेत्र का सीमित दायरा है। राज्य के द्ध घरेलू उत्पाद में इसका केवल 5 प्रतिशत अंशदान है तथा विनिर्माण क्षेत्र का 18 प्रतिशत योगदान और अन्य क्षेत्रों जैसे-यापार, जन प्रशासन सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और चार, वास्तविक परिसम्पत्ति और आवासों के मालिकाना क आदि का 1977-78 की राज्य की कुल आय में 77 तिशत का योगदान है। चालू कीमतों में शुद्ध राज्य रेलू उत्पाद 1264 करोड़ रुपये था। आजादी के बाद दिल्ली में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। तब से द्योग ने काफी प्रगति की है और पूंजी निवेश तथा रोजगार देने के अलावा इसमें केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि वस्तुओं के निर्माण में विविधता और कृत्रिमता भी आई है। 1970-71 में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 26 हजार थी जो कि 1977-78 में 42 हजार तक बढ़ गई। इसी अवधि में उद्योग में रोजगार 215 हजार से 348 हजार तक बढ़ा है।

1971 की जनगणना के अनुसार दिल्ली जनसंख्या 40.66 लाख थी। यह तेजी से बढ़ रही है और 1980, 1981 और 1983 की पहली अप्रैल तक क्रमशः 59.40 लाख, 61.9 लाख तथा 67.40 लाख होने का अनुमान है। जनसंख्या में नियंत्रण सीमा से अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि दिल्ली के मास्टर प्लान में 1981 के लिए 55 लाख तक दर्शित की गई थी। जनसंख्या का घनत्व काफी है जो कि 2738 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जन्म दर और मृत्यु दर (जनसंख्या प्रति हजार से) 1971 में 24.2 और 7.1 से 1978 में क्रमशः 23.8 और 6.9 तक धीरे-धीरे कम हुई है। इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर भी (1000 प्रति जीवित शिशु की दर से) 84.0 से 47.9 तक घटी है। वर्तमान जनसंख्या का घनत्व (1971 की जनगणना) 1-7-79 के अनुसार 3880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आस-पास होने का अनुमान है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विकास के लिए 1961–81 के 20 वर्षों की अवधि को लेते हुए मास्टर प्लान बनाया गया था इसके कार्यान्वयन का कार्य 1962 से आरम्भ किया गया था। जन आवश्यकताओं और सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसमें 732 करोड़ रुपये के आर्डर के निवेश पर विचार किया गया था। इसके बदले में तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसके बाद तीन वार्षिक योजनाओं में 160 करोड़ रुपये की राशि और चौथी पंचवर्षीय योजना में 155 करोड़ रुपये तथा आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1978-79 व 1979-80 में 430 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे अतः इस प्रकार 31-3-79 तक 741 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च की गई। 732 करोड़ रुपये के निवेश की राशि को आंकने के लिये मास्टर प्लान में यथा विचारित निवेश की राशि के लिए 1961 में प्रचलित मूल्य स्तर को ध्यान में रखा गया था। तब से कीमतें काफी बढ़ गई हैं और यदि इसका हिसाब लगाया जाये तो निवेश लगभग 2000 करोड़ रुपये के आस पास आता है। इसके मुकाबले में अन्य जनआवश्यकताओं और सामाजिक सेवाओं को शामिल करते हुए योजना का कुल व्यय 741 करोड़ रुपये आता है जो कि आवश्यकता से काफी कम है।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 और वार्षिक योजना 1980-81

1978–83 की पंचवर्षीय योजना के लिए 562.50 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। 108 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदले में 1978-79 में 93.50 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। कमी का मुख्य कारण भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा अधिकांश परियोजनाओं की अस्वीकृति/विलंब था।

5. वार्षिक योजना 1979-80 के लिये 108 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसके बदले में वास्तविक व्यय 88.47 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त बचतों में आवश्यक परिवर्तन करके 1979-80 के दौरान लगभग 26 करोड़ रुपये की रकम दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई थी। पूंजी कार्य में भवन सामग्री की कमी, नई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति न मिलना वास्तविक मदों में कमी का प्रमुख कारण है। भयंकर सूखा पड़ने की वजह से कृषि क्षेत्र आदि के अधीन वास्तविक मदों में भी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की जा सकीं। अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और विभागाध्यक्षों के स्तर पर योजना की प्रगति पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

6. 1980-81 की वार्षिक योजना के लिये 120.38 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए स्वीकृत परिव्यय की क्षेत्रानुसार स्थिति, 1978-79 का वास्तविक व्यय, 1979-80 का स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक व्यय तथा 1980-81 का स्वीकृत परिव्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:--

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	प्राधिकरण/विभाग का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978–83 परिव्यय	1978–79 वास्तविक	1979–80		स्वीकृत परिव्यय 1980–81
				स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि व सम्बद्ध सेवाएं . . .	1661.53	106.78	354.00	230.96	335.78
2	सहकारिता	236.80	30.29	48.66	39.89	50.00

1	2	3	4	5	6	7
3	लघु सिंचाई	70.00	..	2.00	..	4.0
4	बाढ़ नियंत्रण	3562.31	381.84	1057.75	786.41	947.6
5	विद्युत शक्ति	12500.00	2515.10	2175.00	3090.40	2301.0
6	उद्योग	2500.00	463.18	500.00	280.96	510.0
7	परिवहन व संचार	4875.50	886.31	936.50	750.51	1032.7
8	सामान्य शिक्षा	5350.00	1420.45	752.00	673.30	1199.5
9	कला व संस्कृति	116.00	8.59	20.00	8.45	25.0
10	तकनीकी शिक्षा	500.00	88.73	80.00	71.58	101.0
11	जन स्वास्थ्य व सफाई	743.37	164.19	169.26	157.42	256.0
12	चिकित्सा	4310.49	565.42	699.83	388.17	844.0
13	जलपूर्ति व मल व्ययन	8100.00	1211.77	1850.00	1405.40	2081.6
14	आवास	4616.00	870.34	900.00	628.60	1235.0
15	शहरी विकास	5343.00	312.56	900.00	166.61	798.0
16	सूचना व प्रसार	120.00	15.38	25.00	14.16	25.0
17	श्रम व श्रमिक कल्याण	450.00	81.07	101.00	29.05	66.0
18	अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य जातियों का कल्याण	450.00	96.10	90.00	49.33	90.0
19	समाज कल्याण	375.00	64.71	65.00	32.02	55.0
20	पोषाहार	269.00	55.87	55.00	34.15	55.0
21	सचिवालय आर्थिक सेवायें	30.00	2.98	6.00.	1.14	4.8
22	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	41.00	6.30	8.00	0.76	6.6
23	स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम	30.00	1.82	6.00	7.36	15.0
	कुल जोड़	56250.00	9350.08	10800.00	8846.67	12038.0

अतिरक्त साधन जुटाना

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजना के लिए वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सहायता तथा प्रशासन द्वारा एकत्रित किये गये अतिरिक्त साधनों द्वारा की जाती है। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 120.38 करोड़ रुपयें का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें 74.30 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में और 46.08 करोड़ रुपये अतिरिक्त साधनों का संग्रहण शामिल है। स्रोतानुसार मदें निम्नप्रकार से है :

स्रोत	रुपये करोड़ों में
(क) 1-आवकारी	5.89
2 बाजार उपकर	2.87
3 बिक्रीकर	0.75
4 छोटी बचतें	11.0
(ख) नए साधन	
5 बिक्री कर	0.3
ग-नियत कर	
(नए साधन)	
6 सीमा कर	2.
7 मोटर वाहन कर	1.6
8 मनोरंजन कर	1.
9-बाजी कर	0.1
10 अन्तर्राष्ट्रीय बाजी कर	0.
घ-शेष बचत जो आगे लाई गई	19.
योग	46.

पिछली योजनाओं की तरह वार्षिक योजना 1980-81 में प्रमुख जोर जन आवश्यकताओं और सामाजिक सेवाओं पर है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निर्भर कृषि व उद्योग दोनों के उत्पादन व लिये पावर कार्यक्रम के लिये प्रमुख वरीयता दी गई है।

क्षेत्रानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

1979-80 में 230.96 लाख रुपये के वास्तविक व्यय के बदले में 1980-81 के लिए 335.78 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। महानगरीय शहर में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सब्जी, डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादन जैसे उत्पाद का बढ़ने के लिये और इसके साथ साथ तीव्र शहरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में कमी होने का ध्यान में रखते हुये भूमिहीन श्रमिकों और सीमांत किसानों के लिए रोजगार की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्त तक पशु चिकित्सा सेवाओं को सुधारा जाएगा और सिंचाई अधीन क्षेत्र को भी बढ़ाया जाएगा। समस्त ग्रामीण विकास के लिए अथक प्रयत्न किये जायेंगे और ग्राम पंचायतों को सुधारने के लिये इन्हें विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन में शामिल कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक नलकूपों की स्थापना और मल परीक्षण संयंत्र से दूषित जल सिंचाई प्रणाली के सुधार और विस्तार द्वारा 1980-81 के दौरान वास्तविक रूप में 607 हेक्टर भूमि को लघु सिंचाई के अधीन लिया जायेगा। दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 1979-80 में 150 हजार टन से 1980-81 के अन्त तक 157 हजार टन बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार मत्स्य उत्पादन 1979-80 में 800 टन से 1200 टन तक बढ़ेगा। खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 132.10 हजार टन निर्धारित किया गया है। 61950 हेक्टर भूमि को उच्च उपज विविधता कार्यक्रम के अधीन शामिल किया जायेगा। दो और बाजारों को खोला जायेगा और उत्पादकों को मुफ्त रूप में पिसाई की सुविधा दिलायी जाएगी।

(ख) सहकारिता

सतत कार्यक्रम के लिए 1979-80 के वास्तविक व्यय 39.89 के विरुद्ध 1980-81 के लिये 50.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता समितियों द्वारा अग्रिम रूप से दीर्घ अवधि व मध्यम अवधि ऋण दिये जाने के अलावा पांच और नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता समितियों के गठन करने का प्रस्ताव है।

(ग) बाढ़ नियंत्रण

1979-80 में किए गए स्वीकृत परिव्यय 1057.75 लाख रुपये और 716.41 लाख रुपये व्यय के विरुद्ध 1980-81 के लिये 947.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का लक्ष्य बाढ़ के खतरे से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सुरक्षा करना और बाढ़ के पानी के लिए नालियों की व्यवस्था करना है। योजना में शामिल प्रमुख परियोजनायें हैं–शाहदरा जल निकासी परियोजना 120.00 लाख रुपये, पूरक कार्य का निर्माण 50.00 लाख रुपये, नाला नम्बर 6 और बवाना स्केप का निर्माण 30.00 लाख रुपये ढांसा से भारत नगर तक नजफगढ़ नाले की क्षमता को बढ़ाना 370.00 लाख रुपये, मुंढेला खुर्द जल निकास परियोजना 25.00 लाख रुपये, वर्तमान शाहदरा मार्जिनल और एल. एम. तटबन्ध का पुनर्प्रतिरूपण 36.66 लाख रुपये।

(घ) विद्युत शक्ति

इस क्षेत्र के आधीन (2071 लाख रुपये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए और 230 लाख रुपये नई दिल्ली नगर पालिका के लिए) 1980-81 के लिए 2301 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। परियोजनाओं में प्रमुखत: संघ राज्य क्षेत्र में संचारण एवं वितरण के सुधार को शामिल किया गया है ताकि निर्विघ्न रूप से पावर की पूर्ति की जा सके। नए जैनिरेशन प्लांट के लिये कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है जबकि क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड से अन्य स्टेशन से दिल्ली की मांग की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने आश्वासन दिया है। 220 के वी 66 के वी, 33 के वी, 11 के वी और कम वोल्टेज वर्क्स में सुधार करने के अलावा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 270 लाख रुपये, पुनर्वास बस्तियों के विद्युतकरण के लिए 50 लाख रुपये, आवास के लिये 75 लाख रुपये और ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

(ङ) उद्योग

वार्षिक योजना 1979-80 की लिए स्वीकृत परिव्यय 500 लाख रुपये के बदले में 1980-81 के लिए 510 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान किये गये व्यय का आर्डर 280.96 लाख रुपये था। इसके अतिरिक्त 200 लाख रुपयों की राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण को फलेटिड फैक्टरियों के लिए दी गई थी। मुख्य कार्य परम्परागत उद्योगों, काटेज उद्योगों, छोटी फैक्टरियों और लघु उद्योगों को शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी रूप से बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस क्षेत्र के अधीन मुख्य कार्यक्रम परियोजनायें ये हैं–फ्लैटिड फैक्ट्रियां (118.40 लाख रुपये) आटो/साईकल पुर्जों के लिए एनेसिलरी इन्डस्ट्रियल इस्टेट (117.00 लाख रुपये), घरेलू बिजली, उपकरणों के लिए फंक्शनल इन्डस्ट्रियल इस्टेट (12.00 लाख रुपये), प्लास्टिक वस्तुओं के लिए फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट (17.00 लाख रुपये), इंजीनियरी उद्योगों के लिए फंक्शनल इन्डस्ट्रियल इस्टेट, युवा उद्यमी वायरर्स व केबलस तथा उपकरण (53.00 लाख रुपये), शिफ्टिंग इन्डस्ट्रीज भाग 1 और 2 के लिये इन्डस्ट्रियल इस्टेट (34.00 लाख रुपये), ग्रामीण क्षेत्रों में शेडों का निर्माण (1.0 लाख रुपये), नरेला औद्योगिक परिसर का विकास (40.00 लाख रुपये), दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सामुदायिक कार्य केन्द्रों की स्थापना (20.00 लाख रुपये), ब्लाक ऋण (30.00 लाख रुपये)।

(च) परिवहन व संचार

1979-80 के दौरान 750.51 लाख रुपये के व्यय के विरुद्ध 1980-81 के लिये 1032.70 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन के लिए 300.00 लाख रुपयों, दिल्ली नगर निगम के लिये 500.00 लाख रुपये और नई दिल्ली नगर पालिका के लिये 200.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाएं जिनके लिए परिव्यय स्वीकृत

किया गया है वे इस प्रकार है :- अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पास यमुना नदी पर पुल व पहुंच मार्गों का निर्माण (5.00 लाख रुपये), चौराहों में सुधार (17.05 लाख रुपये), विभिन्न मार्गों पर स्ट्रीट लाइट (65.00 लाख रुपये), करनाल रोड के पास बाह्य रिंग रोड संख्या 26 पर पहुंच मार्गों और रोड ओवर ब्रिज का निर्माण (8.00 लाख रुपये), दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन के पास बाह्य रिंग रोड संख्या 26 पर पहुंच मार्गों और रोड़ ओवर ब्रिज का निर्माण (8.00 लाख रुपये) चिराग दिल्ली रोड से महरौली रोड तक मिलाते हुये रोड संख्या 15 को चौड़ा करना (7.25 लाख रुपये), नजफगढ़ रोड का विस्तार-2 जखीरा से तिलक नगर तक चौड़ा करना (30.00 लाख रुपये), अलीपुर रोड का सुदृढ़ीकरण (15.00 लाख रुपये), जेल रोड पर पुल का निर्माण (100.00 लाख रुपये), श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग और आजाद मार्किट को मिलाते हुये रेलवे लाइन के ऊपर पुल का निर्माण (125.00 लाख रुपये), रणजीत सिंह रोड के साथ स्कूल लेन को मिलाते हुये रोड ओवर ब्रिज का निर्माण (40.00 लाख रुपये) ।

यातायात पुलिस परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिये 25.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है । दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये चालू वर्ष की योजना में 25.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

(छ) सामान्य शिक्षा

1980-81 की वार्षिक योजना के लिये 1199.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है अत: 822.50 लाख रुपये शिक्षा निदेशालय के लिये, 325.00 लाख रुपये दिल्ली नगर निगम और 52.00 लाख रुपये नई दिल्ली नगर पालिका के लिये हैं । स्वीकृत परिव्यय 752.00 लाख रुपये के बदले में 1979-80 के दौरान 673.30 लाख रुपये का व्यय किया गया है । नये स्कूल खोलने के साथ-साथ विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त विभाग खोलने से प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन अतिरिक्त विस्तार करने, प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अस्थायी स्थानों में चल रहे विद्यालयों के लिये पक्के भवन का निर्माण, सैकेण्डरी शिक्षा के लिए अतिरिक्त विद्यालय सुविधाओं का प्रावधान और प्रारम्भिक व सैकेण्डरी शिक्षा के लिये गुणात्मक सुधार प्राप्त करने का विचार है। स्वीकृत परिव्यय का बड़ा भाग अतिरिक्त विद्यालय सुविधाओं की व्यवस्था पर और पक्के विद्यालय भवनों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा जबकि कतिपय मिडिल और हायर सैकेण्डरी विद्यालय इस समय अस्थायी रूप व टेन्टों में हैं।

(ज) कला व संस्कृति

वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना के दौरान किये गये 8.45 लाख रुपये के व्यय के बदले में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिये 25.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । इस क्षेत्र के अधीन स्वीकृत कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य कला शिक्षा के अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिये सुविधाओं का प्रावधान है जो कि ये हैं :- एप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट, मूर्तिकला, पुस्तकालय का विकास और कला के नमूनों का अधिग्रहण तथा अभिलेखागार भवन का निर्माण करना है ।

(झ) तकनीकी शिक्षा

इस क्षेत्र के लिये 1979-80 के दौरान 71.38 लाख रुपये के व्यय के बदले में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिये 101.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। विद्यमान संस्थानों में प्रशिक्षण और शिक्षा के साधनों विस्तार करना, उपकरण और मशीनरी का आधुनिकीक और संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक, व्यवसायिक तथा तकनी संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना प्रमुख उद्देश्य हैं

(ञ) चिकित्सा, जन स्वास्थ्य व सफाई

निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चिकित्सा (के अधीन जो परियोजनायें शामिल की गई हैं उनके ि 1100.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है

(1) यमुना पार क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अ सुविधाएं देकर चिकित्सा सुविधाओं में भौ लिक असन्तुलन को सुधारना ।

(2) वर्तमान बिस्तरों की संख्या को अनुपात को हजार पर 2 से 2.5 पर कायम रखना ।

(3) ग्रामीण इलाकों में 10,000 के लिये एक डा डिस्पैंसरी अथवा 20,000 जनसंख्या के ि दो डाक्टर डिस्पैंसरी और शहरी इलाकों 25,000 जन संख्या के लिये दो डाक्टर ि पैंसरी खोलने के मापदंड का पालन करना ।

(4) विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करना

(5) मलेरिया रोग की जांच करना ।

क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसमें ह से हैं :-

हरिनगर में 500 बिस्तरों वाले दीन दयाल उपा अस्पताल की स्थापना (200.00 लाख रुपये), शाहदरा में 5 बिस्तरों वाले गुरू तेग बहादुर अस्पताल और कालिज की स्थ (150.00 लाख रुपये), तिबिया कालेज का सुदृढ़ी (20.00 लाख रुपये), मौलाना आजाद मेडिकल कालेज स्टाफ क्वाटरों और अंडर ग्रेजुएट छात्रावास का विस्तार (30. लाख रुपये), लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बाल्ट एकक (20.00 लाख रुपये), गोविंद बल्लभ अस्पताल का विस्तार (15.00 लाख रुपये), हिन्दूराव अ ताल में बहुमंजिले खंड और वर्तमान आपरेशन थियेटर की दू मंजिल का निर्माण (20.00 लाख रुपये), हिन्दूराव अ ताल में गहन चिकित्सा एकक (13.20 लाख रुपये), स दयानन्द अस्पताल का विस्तार (10.00 लाख रुपये), ट मेन्टस में वर्तमान बिस्तरों को बदलने के लिये बहुमंजिले का निर्माण (15.00 लाख रुपये), पुनर्वास बस्तियों सहायता चिकित्सा केन्द्रों, प्रसूति गृहों की स्थापना (15.00 लाख रुपये), मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (160.00 रुपये), संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला की स्थ (25.00 लाख रुपये), श्मशान भूमि का निर्माण (16.00 रुपये), मल सफाई एवं सफाई इंजीनियरी विभाग की स्थापना (25.00 लाख रुपये) ।

(ट) जल पूर्ति व मल निकास

1979-80 में 1405.40 लाख रुपये के व्यय के वि 1980-81 के लिये 2081.00 लाख रुपये के परिव्यय व्यवस्था की गई है । वर्तमान वित्त वर्ष में हैदरपुर में एम जी डी प्लांट के पूरा होने की संभावना है जिससे जल 303 एम जी डी तक बढ़ जाएगी । शाहदरा में 100 एम

डी प्लांट का कार्य लिया जायेगा । 1980-81 में शामिल की गई प्रमुख परियोजनायें ये हैं - गंदे पानी की नाली (80.00 लाख रुपये) उत्तरी शाहदरा में 100 एम जी डी जल शोधन संयंत्र (545.00 लाख रुपये) रैनी कुओं और नलकूपों का निर्माण (100.00 लाख रुपये), ग्रामीण जल पूर्ति (एम एन पी) 200.00 लाख रुपये, ट्रंक सीवरस (80.00 लाख रुपये) मल निकास शोधन संयंत्र (155.00 लाख रुपये) मेन्स को बढ़ाते हुए पम्पिंग स्टेशन सहित (100.00 लाख रुपये), शाहदरा-मल निकास परियोजना (100.00 लाख रुपये)।

(ठ) आवास

कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके आवास की समस्या को सुलझाना ही मुख्य उद्देश्य है जैसे-स्टाफ क्वार्टरों, कार्यालय स्थान, पुलिस आवास, स्लम टेनीमेन्ट्स आदि का निर्माण करना 1980-81 के लिये 1235.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । योजना में शामिल प्रमुख परियोजनायें निम्न प्रकार से हैं :-

कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (205.00 लाख रुपये) कार्यालय स्थान का निर्माण (134.00 लाख रुपये) आम जनता के लिये आवास (70.00 लाख रुपये) ऋण परियोजनायें (90.00 लाख रुपये) सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम रूप से भवन आवास ऋण (250.00 लाख रुपये) स्लम निकास परियोजना (50.00 लाख रुपये) पुलिस आवास/पुलिस स्टेशन भवन परियोजना (300.60 लाख रुपये), जेल भवन (60.00 लाख रुपये) ।

(ड) शहरी विकास

1980-81 के लिये 798.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार से हैं-झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन परियोजना (150.00 लाख रुपये), मास्टर योजना में संशोधन (50.00 लाख रुपये), कटरों के ढांचों में सुधार (15.00 लाख रुपये), शहरी गांवों का विकास (180.00 लाख रुपये), स्लम क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार (100.00 लाख रुपये), झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन बस्तियों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था (120.00 लाख रुपये), नियमित की गई अनधिकृत बस्तियों का विकास (200.00 लाख रुपये)।

(ढ) सूचना एवं प्रसार

इस क्षेत्र की परियोजनाओं के अधीन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापनों, प्रदर्शनियों, नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा मद्यनिषेध के प्रचार द्वारा प्रचार को सम्मिलित करते हुये विभिन्न प्रकार के साधनों की गतिविधियों द्वारा दिल्ली प्रशासन की गतिविधियों और विभिन्न योजना प्रोजेक्टों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, समझाना और सूचना देने के उद्देश्यों सहित कार्यान्वित करना है । 1980-81 के लिये 25.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(ण) श्रम व श्रमिक कल्याण

इस क्षेत्र में शामिल प्रमुख परियोजनाएं यह हैं :-श्रमिक कल्याण केन्द्रों का निर्माण, श्री फ्लेटेड एरिया आई टी आई का निर्माण, व्यवसायों में विविधता एवं आधुनिकता, प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, रोजगार केन्द्र दरियागंज के भवन का निर्माण ।

(त) पिछड़ी जातियों का कल्याण

वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 90.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । वार्षिक योजना 1980-81 में शामिल की गई प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैं:-

अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना (1.00 लाख रुपये), लघु व कुटीर उद्योगों के लिये सहायता (12.00 लाख रुपये), मेहतरों व झाडू लगाने वालों की कार्य पद्धति व रहने की स्थिति में सुधार करना (5.00 लाख रुपये), आवास सहायता (13.00 लाख रुपये), हरिजन बस्तियों में सुधार करना (20.30 लाख रुपये), पी ई सी सी और छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास भवन का निर्माण (6.00 लाख रुपये), अन्य पिछड़ी जातियों के लिए वित्तीय छात्रवृत्ति (16.00 लाख रुपये) ।

(थ) समाज कल्याण

वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 55 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । शामिल की गई प्रमुख परियोजनाएं हैं -- लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह भवन का निर्माण (7.00 लाख), नारी निकेतन की जगह का विकास, परिसर पर जल व बिजली आदि की व्यवस्था करना (5.00 लाख रुपये), राज्य आई सी डी एस प्रोजेक्ट (5.29 लाख रुपये), वृद्ध आयु सहायता में वृद्धि (3.00 लाख रुपये), सामाजिक एवं शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये वित्तीय सहायता की परियोजना का विस्तार करना (3.50 लाख रुपये) ।

(द) पोषाहार

इस क्षेत्र के अधीन विद्यालय पूर्व बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिये पूरक पोषण तथा 3-11 वर्ष की वर्ग आयु के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन प्रमुख कार्यक्रम है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 55.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(ध) सांख्यिकी

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन डाटा आधार के सुदृढ़ीकरण के लिये 1980-81 के लिये इस उपशीर्ष के अधीन स्वीकृत परिव्यय 10.25 लाख रुपये है ।

(न) योजना विभाग का सुदृढ़ीकरण

दिल्ली प्रशासन के योजना विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 4.50 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है।

(प) सामान्य सेवाएं

दिल्ली प्रशासन के दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप सिविल सेवा और अन्य कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिलवाने के लिये एक भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिये 15.00 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है ।

संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

आरम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषाहार और पीने के पानी की सुविधाओं जैसे मामलों में समाज के उपेक्षित और गरीब वर्ग की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अत्यधिक लाभदायी हो गया है । योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना आयोग ने संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कमजोर भूमिका की ओर भी ध्यान दिलवाया है । दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विकास के विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना 1978-

83 के लिये 562·50 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है जिसमें से संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 41·54 करोड़ रुपये का परिव्यय अंकित किया है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन परियोजनाएं शामिल की गई हैं।

1. जनसंख्या का अधिकांश भाग शहरी क्षेत्रों में है।

2. दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण उसके विकास के लिये कुछ दायित्व भी है।

3. नैसर्गिक कारणों और नौकरी आदि की तलाश के लि पड़ोसी राज्यों से आप्रवासन दोनों के कारण जनसंख्या में वृद्धि वर्ष 1980-81 के लिये संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्र के लिये 983·10 लाख रुपये का प्रावधान अंकित किया गय है।

संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय की क्षेत्रानु सार स्थिति, 1978-79 के दौरान वास्तविक व्यय, 1979 80 के लिए स्वीकृत परिव्यय, 1979-80 के दौरान वास्तविक व्यय, 1980-81 का स्वीकृत परिव्यय नीचे दिया गया है:–

(रुपये लाखों में)

क्रम सं0	विकास शीर्ष	पंचवर्षीय योजना 1978-83 का स्वीकृत परिव्यय	1978-79 के दौरान वास्तविक व्यय	1979-80 का स्वीकृत परिव्यय	1979-80 का वास्तविक व्यय	1980-81 क स्वीकृत परिव्यय
1	ग्रामीण सड़कें	529.60	31.08	61.98	71.85	103.8
2	प्रारम्भिक शिक्षा	1986.62	623.97	299.50	258.70	471.0
3	प्रौढ़ शिक्षा	150.00	4.59	25.00	15.96	30.0
4	ग्रामीण स्वास्थ्य	54.00	..	12.50	4.21	18.3
5	ग्रामीण जल पूर्ति	700.00	8.88	200.00	121.10	200.0
6	ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास की जगह	15.00	2.41	3.00	0.73	5.0
7	स्लमों का पर्यावरण सुधार	450.00	42.68	100.00	54.30	100.0
8	पोषाहार	269.00	55.87	55.00	34.15	55.0
	योग	4154.22	769.48	756.98	561.00	983.10

रोजगार स्थिति

सदैव की भांति योजना काल में दिल्ली ने जनसंख्या में असाधारण वृद्धि का प्रमाण दिया है। असाधारण वृद्धि का मुख्य कारण देश की राजधानी होने के अलावा, दिल्ली उत्तर भारत में व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। यह व्यापारिक केन्द्र का प्रमुख स्थान भी है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न कम्पनियों के मुख्यालय यहां स्थित हैं। इस सबसे दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि होती है। पिछले 30 वर्षों में जनसंख्या 1951 में 17·44 लाख से बढ़कर 1980 में 60 लाख तक हो गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:–

तालिका संख्या -1

वर्ष		जनसंख्या लाखों में
1951	(1951 की जनगणना के अनुसार)	17,44
1961	(1961 की जनगणना के अनुसार)	26·59
1971	(1971 की जनगणना के अनुसार)	40·66
1972	(जनसंख्या का बीच के वर्ष में अनुमान	42·85
1973		44·7
1974		46·6
1975		48·6
1976		50·7
1977		52·9
1978		55·1
1979		57·5
1980		60·0
1981		62·6

बेरोजगारी की सीमा

रोजगार के बाजार में जनसंख्या की असाधारण वृद्धि भार दबाव पैदा कर रही है। रोजगार के लिये अधिक प्रयत्न करने और 5 लाख लोगों को रोजगार का कार्यक्रम तथा रोजगा प्रवर्तन कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजू भी रोजगार की मांग ने पूर्ति को काफी पीछे छोड़ दिया है। रोजगार कार्यालयों के रोजगार रजिस्टरों में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1974 से रोजगार रजिस्टर की स्थिति निम्न लिखित तालिका में दर्शित की गई है।

अनुमोदित परिव्यय
1980-81
संस्था अनुसार

रु. लाखों में

कुल

12038.00

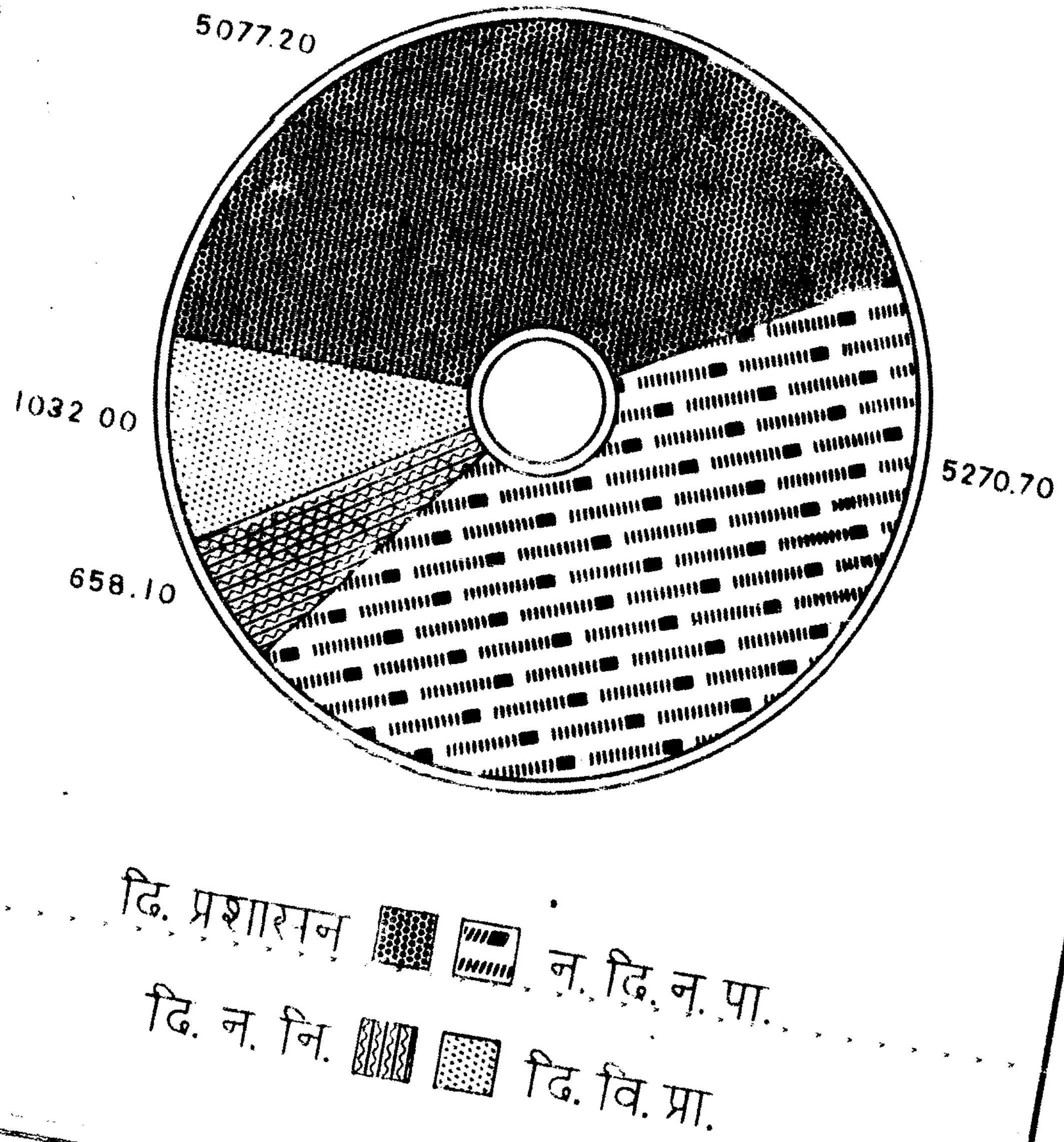

तालिका संख्या --2

समापन पर	रोजगार रजिस्टर में दर्जित व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3
	लाख	
1974	1.66	..
1975	1.93	16.26
1976	2.14	10.88
1977	2.25	5.14
1978 . . . . . . 3	2.51	11.55
1979	2.81	11.95

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रोजगार ाने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले तिम छ वर्षों में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 974 के अंत में 1.66 लाख से बढ़कर 1979 के अंत तक .81 लाख तक हो गई है, अत: लगभग 70 प्रतिशत की ृद्धि दर्शित होती है। लगातार वृद्धि के पीछे यह कारण है क पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं और जगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करा लेते हैं, जिससे रोजगार रजिस्टर में संख्या बढ़ जाती है।

बेरोजगारी का स्वरूप

दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रकार से भिन्न है कि यहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अशिक्षित बेरोजगारों की तुलना में अधिक है और उनकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। तालिका संख्या तीन कुल पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या और उनमें से शिक्षितों की संख्या की स्थिति को दर्शित करती है --

तालिका संख्या -- 3

समापन पर	कुल पंजीकरण	शिक्षित पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1974 . . .	1.66	1.21	72.89
1975 . . .	1.93	1.53	79.27
1976 . . .	2.14	1.68	78.50
1977 . . .	2.25	1.84	81.78
1978 . . .	2.25	2.24	89.24
1979 . . .	2.81	2.27	80.78

तालिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न योजना/गैर-योजना कार्यक्रमों और 5 लाख लोगों के लिए रोजगार कार्यक्रम एवं रोजगार प्रर्वतप कार्यक्रम जैसे विशेष रोजगार कार्य क्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 1974 के अंत में 1·21 लाख से 1979 के अंत में 2·27 लाख तक की वृद्धि हो गयी है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 1974 में 72·89 प्रतिशत से बढ़कर 1979 के अंत तक 81 प्रतिशत तक बढ़ गयी है।

शिक्षित बेरोजगार

शिक्षित बेरोजगार पंजीकृतो में शैक्षणिक स्तर के लगभग सभी विषयों के उम्मीदवार शामित हैं। 2·81 लाख पंजीकृतों में 1979 के अंत में केवल 0·54 लाख अशिक्षित बेरोजगार थे और शेष 2·27 लाख बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति थे जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शित किया गया है।

तालिका संख्या--4

क्र० सं०	आवेदकों की श्रेणी	रोजगार रजिस्टर में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या
1	मैट्रिकुलेट	64839
2	ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हायर सैकैन्डरी पास की है (इंटर/अंडर ग्रेजुएट सहित) .	80370
3	ग्रेजुएट (संख्या)	75057
	(1) आर्टस	30464
	(2) विज्ञान	7763
	(3) वाणिज्य	12701
	(4) इंजीनियरी . . .	792
	(5) चिकित्सा	613
	(6) कृषि	..
	(7) विधि	12
	(8) शिक्षा	1942
	(9) अन्य	317
4	पोस्ट ग्रेजुएट (संख्या) . . .	630
	(1) आर्ट्स	231
	(2) विज्ञान	62
	(3) वाणिज्य . . .	102
	(4) इंजीमियरी . . .	5
	(5) चिकित्सा . . .	53
	(9) कृषि	20
	(7) विधि	1
	(8) शिक्षा	94
	(9) अन्य	59
	कुल शिक्षित . . .	22657

योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रत्य रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों रोजगार अवसरों का सृज किया गया है। जहां तक प्रत्यक्ष रोजगार का सम्बन्ध है रोजगा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 1979 में 59749 स्थानों क व्यवस्था की गयी थी जिनमें से 5546 स्थान शिक्षित वर्ग थे। 1979 में शिक्षित आवेदकों के स्थानों का ब्यौरा तालि 5 में दिया गया है :--

तालिका संख्या--5

क्रम सं०	आवेदकों की श्रेणी	1979 के दौरान नौकरी पर रखे गए व्यक्तियों क संख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1	मैट्रीकुलेट्स	1797	344	214
2	जिन व्यक्तियों ने हायर सैकेण्डरी पास की है (इंटर/अंडर ग्रेजुएट सहित) . .	1212	549	176
3	ग्रेजुएट्स (योग)	1164	358	152

1	2	3	4	5
	(1) आर्ट्स	219	111	330
	(2) विज्ञान	95	49	144
	(3) वाणिज्य	135	38	173
	(4) इंजीनियरी	97	..	97
	(5) चिकित्सा	143	29	172
	(6) कृषि	63	..	63
	(7) विधि	..	..	—
	(8) शिक्षा	380	91	471
	(9) अन्य	32	40	72
4.	पोस्ट ग्रेजुएट्स (योग)	90	32	122
	(1) आर्ट्स	26	12	38
	(2) विज्ञान	22	9	31
	(3) वाणिज्य	23	1	24
	(4) इंजीनियरी	..	..	..
	(5) चिकित्सा	5	4	9
	(6) कृषि	1	..	1
	(7) विधि	..	..	..
	(8) शिक्षा	11	5	16
	(9) अन्य	2	1	3
	योग	4263	1283	5546

सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन प्रत्यक्ष रोजगार के लिए सीमित ार हैं । इस लिए निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए त किये गए हैं । प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों की अधिक संख्या क्रमों के अन्तर्गत बढ़ायी जाती है जो प्राय: ठेका ति के द्वारा निष्पादित की जा रही हैं । इसके अलावा उद्योगों के अधीन रोजगार का व्यापक क्षेत्र है जो कि क्षत व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए व्यापक अवसर प्रदान ा है । इस क्षेत्र के अधीन अनेकों रोजगार अभिमुख परि-नाएं जैसे फलैटिड फैक्ट्रियां, इलैक्ट्रानिक के औद्योगिक ट, बादली व ग्रामीण औद्योगिक इस्टेट, चमड़े की वस्तुओं के लिए फलैटिड फैक्ट्रियां, हस्तशिल्प, सिलेसिलाए वस्त्रों की हौजरी, छपाई, फाउन्टेनपेन, हल्की इंजीनियरी वस्तुयें, युवा उद्यमियों के लिए फलैटिड फैक्ट्रियां, आटो और साइकिल पार्ट्स, प्लास्टिक वस्तुएं, अनेकों संयुक्त उद्योग और खेलकूद उद्योग कार्यान्वित किये जा रहे हैं । इनके पूरा होने पर कतिपय संख्या में शिक्षित व्यक्ति रोजगार के अवसर प्रदान तो करेंगे ही लेकिन साथ ही साथ कई व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा । इसके अतिरिक्त इंजीनियरी उद्यमियों के लिए सहायता परियोजनाएं और उद्यमियों के लिए सीमांत धन रोजगार अवसरों का सृजन करने में लम्बा मार्ग भी तय कर सकेगा ।

क्षेत्रानुसार कार्यक्रम

कृषि व सम्बद्ध सेवाएं

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1485 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 446 वर्ग कि. मी. शहरी व 1039 वर्ग कि. मी. क्षेत्र ग्रामीण है। कृषि योग्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है और इस संघ राज्य क्षेत्र में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया के कारण आगे भी कम होता जा रहा है। विकास के इस शीर्ष के लिए योजना बनाते समय जो मुख्य बातें विचार के लिए ली गयी हैं वे इस प्रकार से हैं :- (1) कृषि के लिए सीमित भू-भाग उपलब्ध होना (2) तीव्र शहरीकरण होने के कारण भविष्य में कृषि क्षेत्र में कमी होना (3) संघ राज्य क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी के लिए कृषि जन्य वस्तुओं की मांग को दृष्टि में रखते हुए सीमित कृषि भूमि का सदुपयोग और (4) भूमिहीन श्रमिक और ऐसे किसानों जिनकी कृषि भूमि शहरीकरण के कारण अधिगृहीत की जा रही है को रोजगार दिलवाने के उद्देश्यों सहित पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट विकास पर जोर देना।

अतः इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास के इस शीर्ष के अन्तर्गत सब्जी, डेयरी, कुक्कुट और लघु सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए कार्यक्रम

पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए विचारे गये कार्यक्रमों में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होने की परिकल्पना होती है :--

1. किसानों को बीज और खाद की अधिक पूर्ति करके 1977-78 में 314640 टनों से 1982-83 के अंत में 420300 टनों तक सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्जी उत्पादन के अधीन क्षेत्र को 26510 हैक्टर से 34000 हैक्टर तक बढ़ाया जायगा।

2. दिल्ली कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम, 1976 के अधीन आठ और बाजारों को लिया जायेगा।

3. गंदे पानी द्वारा सिंचाई का विस्तार और अतिरिक्त नलकूपों की स्थापना करके 5.50 हजार हैक्टर का अतिरिक्त क्षेत्र छोटी सिंचाई के अधीन लिया जायेगा।

4. पशु चिकित्सालयों और डिस्पैन्सरियों में दवाओं एवं पशु चिकित्सा स्टाफ को समुचित व्यवस्था के जरिये पशु चिकित्सा सेवाओं को सुधारा जायेगा।

5. उत्पादकों को आवश्यक सुविधायें दिलवाकर और पशुधन में सुधार करके डेयरी और कुक्कुट उत्पादन को बढ़ाया जायेगा।

6. ग्रामीण और सामुदायिक विकास के उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों को विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल किया जायेगा।

7. सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए अथक प्रयत्न किये जायेंगे।

इस क्षेत्र के अधीन पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लि 1661.53 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है।

वार्षिक योजना 1978-79

वार्षिक योजना 1978-79 के दौरान इस क्षेत्र के अधी 106.78 लाख रुपये का व्यय किया गया था। डेयरी काल‍ोनियों की विकास परियोजना के अधीन फंडों की प्राप्ति न होना भारत सरकार से तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण कु परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होना, विभिन्न योजनाओं अधीन प्रमुख कार्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी होना अ अगस्त-सितम्बर 1978 में अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण कमी के मुख्य कारण थे।

1977-78 में 314.64 हजार टनों से 1978-79 362.24 हजार टन तक सब्जियों का उत्पादन बढ़ा। 1977-7 में शामिल किये गये 60.72 हजार हैक्टर की तुलना 61.18 हजार हैक्टर क्षेत्र को अत्यधिक उपज वस्तु कार्यक्र के अधीन शामिल किया गया है आगे 5.20 हजार टन उर्व का इस्तेमाल किया गया था और 1977-78 में क्रमशः 3.7 हजार टन और 168.29 हजार हैक्टर की तुलना में संर संरक्षण मापदडों के अधीन 186.01 हजार हैक्टर का क्ष शामिल किया गया था। 1978-79 में रेलवे लाइनों, सड़ और सिंचाई नहरों के आरपार 2.20 लाख वृक्ष लगाये गये अन्य स्थानों (विदेशी) के वीर्य से दस हजार बीजारोपण कि गये तथा दुग्ध उत्पादन की मात्रा 1978-79 में 144 हज टन तक बढ़ गयी।

वार्षिक योजना 1979-80

वार्षिक योजना 1979-80 के दौरान स्वीकृत परिव 354.00 लाख रुपये के विरुद्ध 230.96 लाख रुपये व्यय किया गया है। कमी के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं :

1. भारत सरकार से सभी नयी परियोजनाओं के लि देरी से तकनीकी स्वीकृति मिलना।

2. दो परियोजनाओं को रदद कर दिया गया और को केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना में स्थानांतरित कर दिया था

3. पदों को भरने में देरी।

4. वर्ष के दौरान भयंकर सूखा।

यद्यपि सूखे का मुकाबला करने के लिए भूमि की उ सतह पर 32 नलकूप स्थापित किये गये थे लेकिन रबी फसलों के लिए इनसे फायदा न उठाया जा सका। इसी सूखे के कारण वृक्षारोपण, प्रमुख उपज वस्तुयें और सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत उपलब्धियां लक्ष्य स्तर तक प्राप्त हो सके। फिर भी मत्स्य उत्पादन, मछली के अंडों का वित आदि के लिए लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये गये।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं

परिव्यय 1980-81

रू० लाखों में

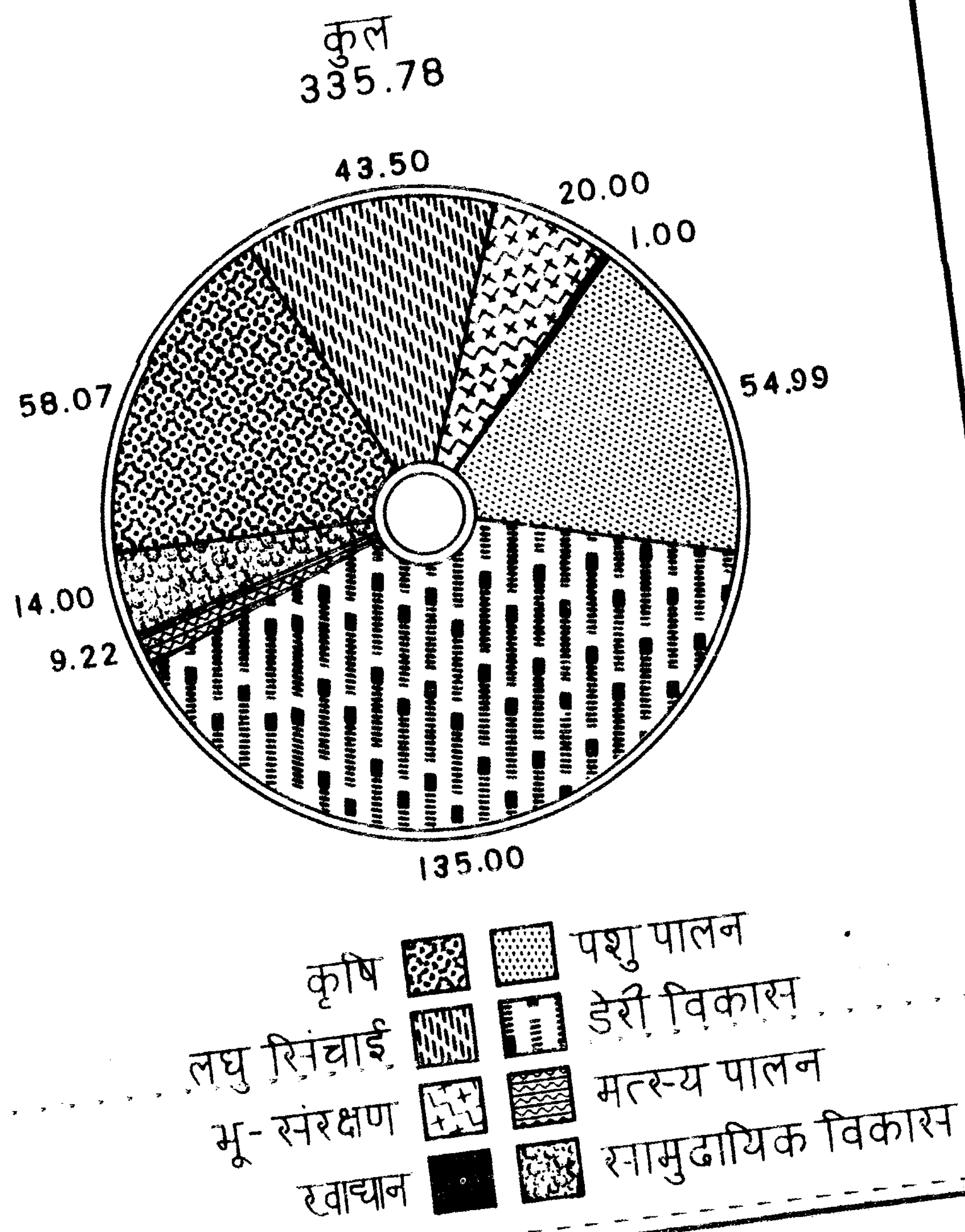

वार्षिक योजना 1980-81

1980-81 में इस क्षेत्र के लिए 335.78 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। परियोजनानुसार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

(क) कृषि

(1) निर्देशन व प्रशासन
कृषि प्रसारण प्रशासन का सुदृढ़ीकरण (3.76 लाख रुपये)

चूंकि परियोजना की तकनीकी स्वीकृति देरी से मिली अतः 1979-80 के दौरान केवल 2.92 लाख रुपये इस्तेमाल हो सके। आकस्मिक खर्चों और अतिरिक्त स्टाफ के वेतन व भत्तों की अदायगी के लिए 1980-81 में 3.76 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार इस परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ को प्लांट प्रोटेक्शन स्कीम में रखने की व्यवस्था की गई है। इस मामले के लिए अतिरिक्त पदों को सृजित करने का प्रस्ताव है— विशेषज्ञ (3), बी एल डब्ल्यू (18), उपनिदेशक (प्लांट प्रोटेक्शन) (1), सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी (4), तकनीकी सहायक (3), कीटाणुनाशी विश्लेषक (1), कीटाणुनाशी निरीक्षक (2), प्रयोगशाला सहायक (1), तकनीकी सहायक स्टोर (1), केयर टेकर व मैकेनिक (1) सहायक लिपिकवर्गीय (1), उच्च श्रेणी लिपिक (1), आशुलिपिक (1), पत्रवाहक (1), लिपिक (1), चपरासी (1) और ड्राइवर (2)।

(2) वर्तमान बाज फार्म का सुदृढ़ीकरण (1.57 लाख रुपये)

इस परियोजना के अधीन 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय 1.20 लाख रुपये था जिनका पूर्णरूप से इस्तेमाल कर लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य अलीपुर और होजरानी में स्थित दो बीज फार्मों के कार्य को सुधारना व सुदृढ़ करना है तथा जिनके लिए 1980-81 में 1.57 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया है :-

(1) वस्तु और पूर्ति	0.40 लाख रुपये
(2) मशीनरी व उपकरण	0.53 लाख रुपये
(3) मजदूरी	0.64 लाख रुपये
योग	1.57 लाख रुपये

(3) नये बीज फार्म की स्थापना (0.43 लाख रुपये)

भारत सरकार से परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। स्वीकृत परिव्यय 15.00 लाख रुपये के बदले में 1979-80 के दौरान कुछ भी व्यय न किया जा सका। 1980-81 के दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूरा हो जाने की उम्मीद है। पहले नये फार्म को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में यह निर्णय किया गया कि वर्तमान फार्म को बढ़ा करके ही उसका विस्तार किया जाये।

(4) खाद और उर्वरक

1. सेमी मैकेनाइज्ड कम्पोस्ट निर्माण न. दि. पा.
(5.00 लाख रुपये)

एक कम्पोस्ट निर्माण संयंत्र दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाया जा रहा है और दूसरा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्थापित किया जायेगा। 1977-78 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका को 29.83 लाख रुपये की रकम पहले ही दी जा चुकी है और1978-79 में संयंत्र की कुल लागत के लिए ऋण के रूप में रकम दी गई। फिर भी भूमि प्राप्त करने की कुछ कठिनाई के कारण संयंत्र स्थापित न किया जा सका। अब संयंत्र की लागत भी बढ़ गया है'' और संशोधित अनुमान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं।
1980-81 के लिए इस परियोजना के अधीन 5.00 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति है।

(5) पौध संरक्षण (3.32 लाख रुपये)

इस उप-शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित दो परियोजनायें शामिल की गई हैं -

1. वर्तमान पौध संरक्षण परियोजना का सुदृढ़ीकरण।
2. कीड़े-मकोड़े और बीमारियों को दूर करना।

ये दो परियोजनाएं कार्यान्वियन के लिए जारी रहेंगी। इन दो परियोजनाओं के लिए 5.96 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदले में 1979-80 के दौरान 3.73 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है।

1980-81 के लिए स्वीकृत 3.32 लाख रुपये के परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(1) पौध संरक्षण उपकरण	1.00 लाख रुपये
(2) सामग्री व पूर्ति	2.00 ,, ,,
(3) स्टोर का किराया	0.06 ,, ,,
(4) देख-रेख और विविध	0.26 ,, ,,
योग	3.32 ,, ,,

इस परियोजना के स्टाफ का अंग निर्देशन एवं प्रशासन के अधीन होगा।

(6) विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण

उर्वरकों का संयुक्त प्रदर्शन (1.00 लाख रुपये)

1.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदले में 0.71 लाख रुपये की रकम 1979-80 के दौरान खर्च की जा सकी। वर्ष 1980-81 के दौरान खरीफ और रबी प्रदर्शन पर खर्च करने के लिये बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं आदि को खरीदने के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। इस परियोजना के अधीन अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। यह अनुमान है कि वर्ष 1980-81 के दौरान 512 प्रदर्शनों का आयोजन होगा।

(7) कृषि इंजीनियरी

1. प्रचलित जुताई एवं कटाई के लिए कार्य
(2.34) लाख रु.)

परियोजना का उद्देश्य किसानों को भूमि कटाई और बिनाई आदि प्रचलित कृषि

करवाना है । 1979-80 के लिए 2.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय था । 1979-80 के दौरान परियोजना के अधीन उपलब्ध परिव्यय में 'कृषिजन्य कार्यान्वयन के लिए संरचना के सुदृढ़ीकरण' का भी इस्तेमाल किया गया है ।

1980-81 के लिए 2.34 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। ट्रैक्टरों के लिए ड्राइवरों के पांच पद कार्यक्रम में शामिल कर लिये गये हैं ।

1980-81 के दौरान खर्च किये जाने वाले व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

	(रुपये लाखों में)
1. वेतन व भत्ते	0.25
2. मरम्मत, देख-रेख प्रभार आदि	0.80
3. बैटरियों की लागत, पी ओ एल प्रभार	0.60
4. अस्थायी शेडों का निर्माण	0.60
5. विविध प्रभार	0.09
योग	2.34

(8) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी

1. योजना और सांख्यिकी कक्ष की स्थापना (0.83 लाख रुपये)

इस समय विकास विभाग में योजना परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करने, समन्वय करने और संग्रहण करने के लिए कोई कक्ष मौजूद नहीं है । 'कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र' के अधीन 70 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । विभिन्न योजना परियोजनाओं के सम्बन्ध में बढ़ते हुये कार्य के भार को दृष्टि में रखते हुये योजना और सांख्यिकीय कक्ष की स्थापना के लिए एक परियोजना को पंचवर्षीय योजना 1978-83 में शामिल कर लिया है । चालू वर्ष के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने की उम्मीद है । 1980-81 के दौरान कक्ष के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित स्टाफ के लिये 0.83 लाख रुपये का प्रावधान व्यय के लिये रखा गया है:-

1. सहायक निदेशक	एक
2. अनुसंधान अधिकारी	एक
सांख्यिकीय सहायक	तीन
कम्प्यूटर	एक
वर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट और पपरासी	एक प्रत्येक

विपणन व गुणवत्ता नियंत्रण

तथा बाजार पद्धतियों का नियमन (13.69 रुपये)

उत्पाद विपणन अधिनियम 1976 के अधीन उत्पाद बाजारों के विनियमन के उद्देश्य सहित पंचवर्षीय योजना 1978-83 में शामिल 974-78 के दौरान आजादपुर का फलों व कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 79-80 ... गया था । किया गया है और ... अनाज बाजार शाहदरा का विनियमन ... रोड पर खाल और चमड़े के बाजार के नियमन के लिए मामले पर कार्यवाही चल रही है त... जिसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है । दिल... कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम, 1976 के अधीन प्रत्ये... नियमित बाजार में एक बाजार समिति गठित की गई है ... कि इसके अधीन बनाये गये अधिनियम और नियम के उपबंध ... कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। इस प्रकार प्रत्येक समिति ... कार्य को करने के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की जा र... है और 1980-81 के दौरान दो बाजार समितियों को अ... ऋण के रूप में 12,00 लाख रुपये की राशि दी जाये... तथा दो और बाजारों को नियमित करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना अधिनियम के अधी... की गई थी जिसने 1977-78 के दौरान 5.00 लाख रुपये अ... 1978-79 के दौरान 5.00 लाख रुपये अग्रिम ऋण के रूप ... दिये हैं । 1979-80 के दौरान 10.00 लाख रुपये ... ऋण की रकम आगे अग्रिम रूप से दी गई है । कृषि विपण... निदेशालय ने 1980-81 के दौरान संयुक्त निदेशक का ... और अन्य सहयोगी स्टाफ को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव भी किया है... इस प्रकार वार्षिक योजना 1980-81 के अधीन इस परियोज... के लिए 13.69 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है जिस... 12.00 लाख रुपये की रकम ऋण के रूप में और 1.69 ल... रुपये की रकम राजस्व के रूप में शामिल है।

2. कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण का विस्तार (0.50 ल... रुपये)

श्रेणीकरण में समुचित गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने... उद्देश्य सहित यह परियोजना पंचवर्षीय योजना 1978-83 ... दौरान चालू रहेगी ताकि उपभोक्ता पूर्व परीक्षित, श्रेणी... गुणवत्त वस्तुओं को प्राप्त कर सकें । इस उद्देश्य के लि... राज्य स्तर की श्रेणीकरण प्रयोगशाला कार्य कर रही है अ... बाजारों में निजी पार्टियों को श्रेणीकृत वस्तुओं का निरीक्ष... फील्ड स्टाफ कर रहा है। श्रेणीकरण के लिए अधिक से अधि... वस्तुओं को शामिल करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम के रूप ... प्रयोगशाला को एक वरिष्ठ रसायनिज्ञ, दो कनिष्ठ रसायनिज्ञ... एक स्टोर कीपर और चार प्रयोगशाला परिचारकों तथा चौ... दार सहित सुदृढ़ करने का निर्णय किया है । सहायक निदेश... (एक), तकनीकी सहायक (दस), उप निरीक्षक (दो) अ... श्रेणीकरण परिचारक सहित श्रेणीकृत वस्तुओं के गुणवत्... नियंत्रक को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर निरीक्षण ... लिए और बाजारों को शामिल किया जायेगा।

1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृ... किया गया है ।

3. कृषि विपणन में कार्मिकों को प्रशिक्षण

इस परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ... अनुकूल सहायक अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है ता... भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे कृषि विप... प्रशिक्षण के लिए इसके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा सके... यद्यपि 1980-81 के दौरान प्रशिक्षण के लिए किसी भी अधि... कारी को नहीं भेजा जायेगी ।

4. बाजार सूचना में सुधार के लिए एकीकृत परियो... (0.03 लाख रुपये)

इस परियोजना के अन्तर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौ... कृषि उत्पाद के केवल बाजार मूल्य दर भारत सरकार को भे... के लिए एकत्रित किये जा रहे थे । पंचवर्षीय योजना 19... 83 के लिये कृषि विपणन के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अन्वे...

करने का प्रस्ताव किया गया है जिसकी सिफारिश लुधियाना में हुये अखिल भारतीय कृषि विपणन सम्मेलन में की गई। मूल्य एकत्रीकरण के अतिरिक्त सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्य करने के लिए निम्नलिखित स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा।

(क) सांख्यिकीय अधिकारी	1
(ख) सांख्यिकीय सहायक	2
(ग) सांख्यिकीय अन्वेषक	5
(घ) पत्रवाहक	1

1980–81 के लिये 0.03 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान स्वीकृत किया है।

(5) उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण (0.08 लाख रुपये)

अनाज, दालें, फलों, सब्जियों आदि जैसी कृषि समितियों के उत्पादकों को श्रेणीकरण सुविधायें दिलवाने के उद्देश्य से इस नयी परियोजना को वार्षिक योजना 1979–80 में शामिल कर लिया है। आर्थिक साधनों की कमी के कारण उत्पादक अपनी वस्तुओं के श्रेणीकरण देने की स्थिति में नहीं है जिसका परिणाम उन्हें असंतोषजनक उत्तर देना है।

नजफगढ़ और नरेला में दो प्राथमिक श्रेणीकरण केन्द्रों को स्थापना की जायेगी तथा जिनमें प्रशासन प्रशिक्षित कार्मिक भेजेगा और नजफगढ़ व नरेला नियमित बाजारों को बाजार समितियों द्वारा अन्य अवस्थापना सुविधाएं दी जाएगी जिसके लिय उन्हें प्रतिवर्ष 0.02 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। प्रत्येक केन्द्र में एक विश्लेषक, दो श्रेणीकर्ता और एक श्रेणीकरण परिचारक होगा। इन केन्द्रों पर उत्पादकों को मुफ्त में श्रेणीकरण सुविधायें दी जायेंगी। 1980–81 के लिये 0.08 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

(10) बागवानी

1. --एकीकृत बागवानी और सब्जी विकास (23.52 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को वार्षिक योजना 1979-80 के प्रारूप पर विचार करते हुए कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित चार भिन्न परियोजनाओं के स्थान पर एकीकृत बागवानी और सब्जी विकास परियोजना का सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए :

1. फलोद्यानों का विकास
2. सब्जी विकास
3. फलों एवं सब्जियों की सुरक्षा
4. एकीकृत बागवानी और सब्जी विकास

इस दृष्टि में रखते हुये 1979–80 के दौरान सब्जियों और फलों के गहन उत्पादन के लिये एक एकीकृत कार्यक्रम का सूत्रबद्ध किया गया है। यद्यपि भारत सरकार ने इस परियोजना के बाजार क्षेत्र को अनुमति नहीं दी है किन्तु परियोजना के लिये कुछ स्टाफ कमपोनेन्ट को स्वीकृति दी है।

1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय 14.00 लाख रुपये था जिसके विरुद्ध 5.42 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है। 1980–81 के बाद उक्त परियोजनाएं संयुक्त रूप से एकीकृत कार्यक्रम के अधीन ले ली जायेंगी। 1980–81 में इस कार्यक्रम के निष्पादन के लिये 23.52 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है।

इस परियोजना के निम्नलिखित पांच मुख्य भाग होंगे :--

	1980–81 के लिये स्वीकृत परिव्यय (रुपये लाखों में)
1. सुधार एवं तकनीकी सूचना की पूर्ति के लिए स्टाफ के लिए वेतन एवं भत्ते (उसमें फलों की पौध के लिये सहायता के रूप में 5000/- रुपये शामिल है)	3.57
2. उत्पादित वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति	6.64
3. कूड़ा-करकट, खाद की पूर्ति और ट्रकों की खरीद	8.04
4. पौष्टिक फसल सेवा के तीव्रीकरण के लिए	1.61
5. उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति के लिये बिक्री पटलों की स्थापना करना	3.18
योग	23.04

इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने निम्नलिखित स्टाफ को नियुक्त करने के लिये तकनीकी स्वीकृति दे दी है:–

(1) विशिष्ठ तकनीकी जानकारी की पूर्ति में सुधार

1. उपनिदेशक (बागवानी)	रु. 1100-1600	(1)	2.22 लाख रुपये
2. खंड स्तर पर बागवानी विशेषज्ञ	रु. 650-1200	(5)	
3. बागवानी सहायक	रु. 425-700	(10)	
4. उच्च श्रेणीलिपिक/लेखापाल	रु. 330-560	(1)	
5. अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट	रु. 260-400	(5)	
6. ड्राइवर	रु. 260-400	(1)	

(2) पौष्टिक फसल सेवाओं का तीव्रीकरण

1. पौध संरक्षक सहायक	रु. 425-700	(5)	1.61 लाख रुपये
2. फील्डमैन	रु. 196-232	(25)	

(3) उत्पादित वस्तुओं और अन्य आवश्यक कृषि मांगों के लिए बिक्री पटलों की स्थापना

1. प्रबन्धक	रु. 550-900	(5)	3.18 लाख रु.
2. सेल्समैन व कैशियर	रु. 330-560	(5)	
3. स्टोर कीपर	रु. 330-560	(5)	
4. बलदरस	रु. 196-232	(10)	
5. चपरासी	रु. 196-232	(5)	
6. चौकीदार	रु. 196-232	(5)	

1980-81 के दौरान स्टाफ, उत्पादित वस्तुओं, कूड़ा करकट (खाद) की पूर्ति, ट्रकों की खरीद, अच्छी फसल सेवा, बिक्री पटलों की स्थापना आदि के खर्च के लिये 23.52 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

(2) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (1.00 लाख रुपये)

परियोजना विद्यमान मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने पर विचार करती है ताकि यह प्रभावशाली बन सके और कृषि उत्पादन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके ।

1979-80 के लिये 1.50 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध केवल 0.19 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की जा सकी । व्यय कम करने के कारण परियोजना के लिए देरी में तकनीकी स्वीकृति मिलना है । 1980-81 में कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों को तीव्र किया जायेगा जिसके लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। परियोजना में स्वीकृत स्टाफ यह है-सहायक मृदा विशेषज्ञ (एक), वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एक), कनिष्ठ तकनीकी सहायक (दो) प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, ड्राइवर और चौकीदार (प्रत्येक एक) ।

(11) अन्य व्यय

1. स्टाफ के लिये आफिस व आवास स्थान (1.00 लाख रुपये)

महरौली और कंझावला ब्लाक के ब्लाक मुख्यालयों में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वाटरों के लिए भूमि उपलब्ध है और कार्यक्रम के कार्य को आरंभ करने के लिए 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान स्वीकृत हुआ है।

(ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम

दिल्ली में किसानों को प्रमुखत: निम्नलिखित स्रोतों से सिंचाई सुविधायें दी जा रही हैं:-

1. नलकूप ।

2. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांटों से गन्दे पानी के जरिये ।

3. साकेज/भू-संरक्षण बांधों के निर्माण द्वारा भूमि तल जल स्त्रोतों द्वारा ।

4. पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली (हरियाणा सरकार के नियन्त्रणाधीन) ।

1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय 49.00 लाख रुपये था जिसमें से 40.60 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है । 1980-81 के लिए 43.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

परियोजनानुसार ब्यौरे निम्नप्रकार से हैं:-

(1) भूमिगत जल साधनों की खोज विकास

1. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमिगत जल साधनों का उपयोग

1978-79 के दौरान परियोजना पहले ही तैयार हो चुकी है और 1979-80 के दौरान देयताओं की अदायगी करना है। 1979-80 के दौरान 0.27 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।

(2) नये बांधों का निर्माण और पुराने बांधों की पुर्नस्थापना (1.12 लाख रुपये)

परियोजना का उद्देश्य यह है (1) भू-जल स्तर को ऊंचा उठाना और आस-पास के क्षेत्र में नलकूपों के जरिये समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना (2) बांधों की ऊपरी सतह पर साकेज सिंचाई सुविधायें देना और (3) कृषि प्रयोजन के लिए भूमि को उपयोगी बनाना।

1979-80 के लिये 5.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जिसके बदले में 10 30 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है। यह परियोजना भूमि जल स्तर को सुधारने व भू-संरक्षण के प्रयोजन के लिये भी है। 1980-81 के दौरान महरौली विकास खण्ड में रजोखड़ी, चन्दनहोला गांव और किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर नये बांधों के निर्माण करने का विचार किया गया है । 1979-80 के कार्यों की देयतायों को आगे ले जाने के अलावा उक्त कार्यों को 1980-81 के दौरान हाथ में लिया जायेगा जिनके लिये 1980-81 में कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए 1.12 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(3) नलकूप

1. 25 गहरे नलकूपों की संस्थापना (1.30 लाख रुपये)

यह एक चालू परियोजना है और पम्प हाउसों तथा बो... वितरण प्रणाली द्वारा 25 गहरे नलकूपों को संस्थापित करने का उद्देश्य है । इसके अलावा पम्प सेटों और इन्हें क्रियाशील करने की व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन भी की गई है। इस परियोजना के अधीन 1979-80 में 3.81 लाख रुपये का व्यय किया गया है और 1980-81 के लिये 1.30 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

2. विद्यमान नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधाओं में सुधार विस्तार-एक (5.60 लाख रुपये)

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली प्रशासन ने लगभग 100 नलकूप लगाये थे, लेकिन समुचित वितरण प्रणाली की अनियमितता के कारण इनमें से अधिकांश नलकूपों का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अत: पहले वर्ष में 40 नलकूपों से सिंचाई सुविधायें सुधारने के लिये 15.45 लाख रुपये की लागत की एक परियोजना बनाई गई है और निश्चित सिंचाई के अधीन लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का विचार है । 1979-80 के लिये 6.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदले में 4.03 लाख रुपये की राशि इस्तेमाल की गई है । निश्चित सिंचाई के अधीन लगभग 300 एकड़ अतिरिक्त भूमि लेने और लगभग 1... नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधाएं सुधारने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 5.60 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

3. 24 अतिरिक्त नलकूपों की स्थापना व उपयोग (5.00 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन ने 24 अतिरिक्त नलकूपों से भूमि जल साधनों के उपयोग की परियोजना जिसकी लागत 48 30 लाख रुपये है को हाथ में लिया है। कार्य में भूमि जल उपयोग और पम्पों की स्थापना के लिये सिविल वर्क्स तथा आर. सी. सी. पाइप लाइन आदि बिछाने का कार्य शामिल है। 1979-80 के लिये 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसके विरुद्ध 3.97 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है।

इस परियोजना के अधीन 1980-81 के दौरान 8 अतिरिक्त नलकूप स्थापित करने का विचार है जिसके लिये 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(4) अन्य लघु सिंचाई परियोजनाएं

1. केशोपुर ट्रीटमेन्ट विस्तार-2 से दूषित जल सिंचाई परियोजना का विस्तार (8.00 लाख रुपये)

दिल्ली राज्य क्षेत्र में जल साधनों की सीमित सुलभता को ध्यान में रखते हुये दिल्ली प्रशासन परियोजना को दो चरणों में पूरा करने के लिये मल परीक्षण संयंत्र से दूषित पानी का अधिकतम उपयोग कर रहा है। इस परियोजना का चरण-2 लिफ्ट सिंचाई परियोजना को कमान के अधीन लगभग 7000-8000 एकड़ भूमि के चारों ओर चैनल नेट वर्क वितरण के निर्माण पर ध्यान देता है। यह परियोजना पूर्ण रूप से चालू नहीं है जिसका कारण यह है कि यह रोहतक रोड के दक्षिण (मुंडका माइनर) माइनर के भाग को लेने पर विचार कर रही है क्योंकि इस समय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान है हरियाणा सिंचाई विभाग की डब्ल्यू जे सी प्रणाली के अधीन डब्ल्यू जे सी का एक भाग है। यह परियोजना 1980-81 के दौरान पूर्ण रूप से चालू होगी और इसके समुचित निष्पादन के लिये वार्षिक योजना 1980-81 में 8.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। डब्ल्यू जे. सी. के स्थानांतरण से सम्बन्धित मामले को केन्द्रीय सरकार के स्तर पर निर्णय करने की सम्भावना है।

2. कोरोनेशन ट्रीटमेन्ट प्लांट दूषित जल सिंचाई का विस्तार (3.50 लाख रुपये)

चैनल आदि सहित सब-माइनरस के निर्माण के रूप में कार्य प्रगति पर है यह उम्मीद है कि इसके पूरा होने के बाद सिंचाई के लिए सी. टी. पी. से दूषित जल सुलभ हो सकेगा जिससे अतिरिक्त सिंचाई के अन्तर्गत लगभग 3000 एकड़ भूमि आ सकेगी। 1980-81 के लिए 3.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।"

3 ओखला ट्रीटमेन्ट प्लांट से आगरा नगर के आरपार जयपुर, मिथीपुर आदि तक दूषित जल सिंचाई जयपुर, मिथीपुर आदि तक दूषित जल सिंचाई

ओखला ट्रीटमेन्ट प्लांट से सुलभ दूषित जल के उपयोग के लिए यह लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना प्रगति की अवस्था पर है और यह पहले से चालू है। यद्यपि इसके एक सब-माइनर का भाग अभी पूरा किया जाना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। देयताओं की अदायगी के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 0.50 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है।

4. ओखला ट्रीटमेन्ट प्लांट से वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण (2.00 लाख रुपये)

लिफ्ट सिंचाई के लिए बढ़ हुये अतिरिक्त दूषित जल को मोड़ने के अलावा यह परियोजना ओखला में सिंचाई प्रणाली में समुचित ए.पी. एम. जल प्रवाहों और लम्बी नालियों की व्यवस्था करके सिंचाई प्रणाली के वर्तमान वास्तविक कार्य के सुधार लाने में ध्यान देती है। वार्षिक योजना 1979-80 में 2.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्य कारणों की वजह से परियोजना पर कार्य न हो सका। बदलती हुई परिस्थितियों में और यमना नदी की लहरों से सुरक्षित भूमि पर विचार करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में कुछ परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए अनुमानों को फिर से नया रूप दिया जा रहा है और वर्ष 1980-81 के दौरान परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा जिसके लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत कर लिया है।

5. नरेला में सीवेज सिंचाई परियोजना (0.10 लाख रुपये)

1979-80 के लिये स्वीकृत परिव्यय 0.50 लाख रुपये के जिसके बदले में 0.93 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गयी है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम द्वारा छोड़े गये गन्दे पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाना है। यह उम्मीद है कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 200 एकड़ भूमि को दूषित जल सिंचाई के अधीन लाया जायेगा। परियोजना 1979-80 के दौरान पूरी होगी जबकि देयताओं की अदायगी के लिये 1980-81 के लिये केवल 0.10 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की जा चुकी है।

6. सिंचाई के लिए मास्टर प्लान का आयोजन (10.00 लाख रुपये)

दिल्ली में भूमि तल पानी का उपयोग अधिक या कम मात्रा में हो रहा है। अन्य संबंधित राज्यों के साथ हिमालय क्षेत्र में बड़ी संग्रह जलाशय प्रोजेक्टों के सहयोग से अथवा साहिबी नदी की तरह धरातल के जल को नलों में बांध देना इसका विकल्प होगा। दूषित जल का उपयोग भी तीव्र होगा। परियोजना सिंचाई के बड़े प्रोजेक्टों या परयोजनाओं की योजना बनाने की व्यवस्था करती है। परियोजना मूल रूप में स्टाफ ओरियन टिड है। एस. इ. (एम पी आइ) की अध्यक्षता में एक योजना विंग नई अवस्था में कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की रूप-रेखा बनाने पर विचार करता है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय, कार्य से सम्बन्धित कार्य के लिए 2.85 लाख रुपये का परिव्यय और 7.15 लाख रुपये के स्थापना प्रभार स्वीकृत किये गये हैं।

7. कोरोनेशन ट्रीटमेन्ट प्लांट में दूषित जल को बढ़ाने के लिये पानी का संयुक्त रूप से इस्तेमाल (1.00 लाख रुपये)

यह एक नई परियोजना है। यह कोरोनेशन प्लांट से सिंचाई प्रणाली की नई नालियों के कार्य सहित लगभग 20 नलकूपों की स्थापना करके भूमि तल जल के संयुक्त प्रयोग द्वारा जल साधनों को बढ़ाकर लिफ्ट सिंचाई योजना के जरिये लगभग 500-600 एकड़ अतिरिक्त भूमि को लाने पर ध्यान देती है। यदि सहायक भूमि जल बहुत अच्छा सिद्ध न हुआ तो 5.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 5 नलकूपों की स्थापना करके परियोजना को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र निश्चित सिंचाई के अधीन लाना है। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और योजना के अन्तर्गत 1980-81 में कार्य शुरू करने के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

(ग) भू संरक्षण एवं वन

इस उप क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 1979-80 में 34.13 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय था जिसके मुकाबले में 6.73 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वर्ष के दौरान भयंकर सूखे की हालत से व्यय में कमी आई है।

परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1980-81 में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। परियोजनसार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:—

1. कृषि भूमि पर भू संरक्षण (5.00 लाख रुपये)

1979-80 के लिये स्वीकृत परिव्यय 4.75 लाख रुपये जिसके मुकाबले में 0.10 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। व्यय में कमी का कारण कार्यक्रम के अधीन मांगे गये स्टाफ की नियुक्ति न करना है। भूमि समतल, क्षेत्र में समुचित नाली व्यवस्था, भूमि परिवर्तन विधि, समुचित फसलें काटने की व्यवस्था का अंगीकरण जैसी भूमि सुधार की विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर सेलाइन और अल्काला इन मिट्टियों के क्षेत्रों के विस्तृत भाग को सुधारना परियोजना का उद्देश्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 1980-81 के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती करने का प्रस्ताव है जिसमें एक कृषि विज्ञानी, पांच भूमि एवं जल संरक्षण निरीक्षक, एक-एक अवर श्रेणी लिपिक व ड्राइवर और पन्द्रह बेलदार हैं। प्रोजेक्ट के कार्यक्रम को करने के लिये परियोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। भूमि संरक्षण उपायों के लिये जिप्सम पर आवेदन करने के लिये अनुदान की अदायगी हेतु प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित व्यय निम्न प्रकार से होगा:-

	(रुपये लाखों में)
1. वेतन एवं भत्ते	0.80
2. रसायनों और बीजों की लागत	1.45
3. जिप्सम पर अनुदान	0.80
4. जिप्सम की लागत	1.90
5. विविध खर्च	0.05
योग	5.00

2. वृक्षारोपण (10.00 लाख रुपये)

इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों, सिंचाई नहरों आदि के दोनों ओर सस्ते और जल्दी उगने वाले वृक्षों का तेजी से वृक्षारोपण करना है। 1979-80 के लिये स्वीकृत परिव्यय 16.08 लाख रुपये था जिसके मुकाबले 6.63 लाख रुपये की रकम इस्तेमाल की गई है। वर्ष के दौरान सूखे की भयंकर हालत का होना ही कमी का मुख्य कारण है जिसके कारण वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभावी रूप से न निभाया गया। 1980-81 के लिये 10.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

कार्यक्रम को तेज करने एवं लक्ष्य रेखा को पाने के लिये 1980-81 के दौरान तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों के लगभग 40 कार्मिकों के अतिरिक्त स्टाफ को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिये 1.80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

	(रुपये लाखों में)
1. वेतन एवं भत्ते	1.80
2. मजदूरी	7.20
3. देख-रेख प्रभार	0.15
4. सामग्री एवं पूर्ति	0.78
5. विविध खर्च	0.07
योग	10.00

वास्तविक दृष्टि से 1980-81 के दौरान लगभग 300 लाख पेड़ लगाये जायेंगे।

3. आयानगर बन्ध के फ्व्ह एफ्व्घ्ह फ्व्घ्ह इठद्हर्ज़ 678[illegible] रुपये)

यह नयी परियोजना भारत सरकार की सिफारिशों पर ल[illegible] ली गई है। इसमें नवीन भू-संरक्षण तकनीकों को अपनाक[illegible] खेती के लिए बंजर भूमि का सदुपयोग करना तथा भूरक्षण, खड्डों को गाद से भरने से रोकने के लिये लघु जल विभाज[illegible] चुन लिये गये हैं। जिनमें भू-संरक्षण और वनरोपण कार्य किय[illegible] जायेगा। 13.30 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदल[illegible] में 1979-80 के दौरान किसी व्यय का इस्तेमाल न किय[illegible] जा सका।

तकनीकी स्वीकृति देरी में मिलने के कारण अपेक्षित स्टा[illegible] की नियुक्ति 1979-80 के दौरान नहीं की जा सकी 1980-81 के दौरान परियोजना को प्रभावशाली रूप में अपनाया जायेगा जिसके लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधा[illegible] स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना रोजगार उन्मुखी है तथ[illegible] अनकों श्रमिक इसमें लग सकेंगे। परियोजना के अन्तर्ग[illegible] नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अधि[illegible]कारी, तकनीकी सहायक, सर्वेक्षण एवं नक्शानवीश, भू[illegible] संरक्षण निरीक्षक, वन रक्षक, बेलदार और अवर श्रेणी लिपि[illegible] एवं टाइपिस्ट के प्रत्येक के एक पद की व्यवस्था है।

परियोजना के अन्तर्गत व्यय का विभाजन निम्न प्रकार है:-

	(रुपये लाखों में)
1. स्थापना प्रभार	0.95
2. मजदूरी	3.80
3. कार्यालय खर्च	0.25
योग	5.00

खाद्य

(1) उपलब्धि एवं पूर्ति

1. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना (1.00 लाख रुपये)

यह पाया गया है कि लगातार कीमतें बढ़ने और आवश्य[illegible] वस्तुओं की कमी के समय निजी व्यापार पर कीमत एवं वितर[illegible] का नियंत्रण अक्सर असफल रहा। वितरण नियंत्रण के बिन[illegible] कीमत आवश्यक वस्तुयें उचित दाम पर लोगों को उपलब्ध [illegible] करा सका। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर उपभोक्ता[illegible] को उचित दामों पर आवश्यक वस्तुएं सुलभता से सुनिश्चि[illegible] करवाने के लिये सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेना ही इस समस्[illegible] का एकमात्र समाधान समझा गया। अन्त में केन्द्रीय सरकार [illegible] उपयुक्त राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रस्तुत की है त[illegible] केन्द्रीय सरकार की नयी प्रणाली को सफल बनाने हेतु प्रमु[illegible] प्रणाली में मिलने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि ए[illegible] वितरण के लिए यह भी आवश्यक है कि ठोस व्यापक का[illegible] की स्थापना की जाये।

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय से प्राप्त सन्देश [illegible] उत्तर में दिल्ली प्रशासन ने व्यापक उपभोक्ता वस्तुओं की सा[illegible]जनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का फैस[illegible] किया है। उक्त उद्देश्य को पाने के लिए दिल्ली संघ रा[illegible] क्षेत्र में एक नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने का प्रस्ता[illegible]

किया है। बारह राज्य सरकारों ने इस प्रकार के निगम पहले ही स्थापित कर लिये हैं जो इच्छित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पाने में अत्याधिक संन्तोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं ।

प्रारम्भिक वर्ष में इस निगम ने केवल निम्नलिखित चार मदों को उपलब्धि एवं पूर्ति करने का प्रस्ताव किया है :-

(क) दालें

(ख) सीमेन्ट

(ग) कोयला

(घ) चाय, अभ्यास पुस्तकें और साबुन।

यह निगम उक्त मदों को उत्पादकों या उत्पादन स्त्रोतों से खरीदेगा तथा उचित दर दुकानों के जरिये से बेचेगा । निगम कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होगा। वर्ष के दौरान निगम द्वारा इन वस्तुओं की कुल खरीद 45.00 करोड़ रुपये के आर्डर की होगी। यद्यपि एक समय को खरीददारी के लिये अपेक्षित रकम केवल 15.00 करोड़ रुपये की होगी जिसमें से निगम, वित्त निगम से लगभग 11.00 करोड़ रुपये और अपने फन्ड से 4.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा।

निगम की 6.00 करोड़ रुपये की सौ प्रतिशत अंश पूंजी की व्यवस्था सरकार ने करनी है और इस परियोजना के अधीन 1.00 लाख रुपये का सांकेतिक परिव्यय स्वीकृत है जिसके लिए भारत सरकार से स्वीकृति की अभी प्रतिक्षा है ।

पशुपालन तथा कुक्कुट पालन

इस उप क्षेत्र के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देशय पशुधन को सुधारना है तथा इसके द्वारा दूध, अन्डों एवं इनके उत्पादों द्वारा उत्पादन को बढ़ाना है। दूध उत्पादन की मात्रा 1977-78 में 143.00 हजार टनों से 1979-80 में 153.00 हजार टन तक बढ़ गयी है। इसी प्रकार अन्डों का उत्पादन 1977-78 में 43.80 लाख से 1979-80 में 55.10 लाख तक बढ़ गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों और तेजी से शहरी करण होने के कारण दूध, कुक्कुट एवं इनके उत्पादों की अधिक मांग को दृष्टि में रखते हुये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पशुधन के सुधार के लिये अत्याधिक जोर दिया जा रहा है । 1980-81 के दौरान विद्यमान पशु चिकित्सालयों और डिस्पेंसरियों में पशु सेवाओं को सुधारा जायेगा। इसके अतिरिक्त दो पशु चिकित्सालयों के भवन 1980-81 के दौरान बन जायेंगे। पशु विकास एवं रोग नियन्त्रण की गतिविधियां को भी तीव्र किया जायेगा । नये वध ग्रह के निर्माण के लिये भी प्रभावशाली कार्यक्रम 1980-81 के दौरान ले लिया जायेगा जिसके लिये 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप में चलाने के लिये इस क्षेत्र के अन्तर्गत 1980-81 के लिये 54.99 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1980-81 के लिए विस्तृत परियोजनानुसार कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :--

(1) निर्देशन एवं प्रशासन

1. पशुपालन विभाग का सुदृढीकरण (0.80 लाख रुपये)

यहां 58 पशु चिकित्सालय और डिस्पेसरियां, दो निदान प्रयोगशालाएं पशु प्रजनन और कुक्कुट प्रजनन फार्म और कतिपय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं । मुख्यालय पर बढ़ते हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निदेशक (एक), प्रशासनिक अधिकारी (एक), एस. ए. एस. लेखाकार (एक), स्टोर कीपर (एक)' आशुलिपिक (एक), टाइपिस्ट (एक), सांख्यिकीय सहायक (एक), कम्प्यूटर (एक) के पदों के सृजन के लिए 1980-81 में 0.81 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।'

(2) पशु स्वास्थ्य

1. एस. पी. सी. ए. को अनुदान (3.00 लाख रुपये)

इस परियोजना का उद्देश्य एस. पी. सी. ए., दिल्ली की सहायता करना, इसकी कार्य विधि एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ करना और शिक्षा के लिए अधिकतम क्षेत्रों को शामिल करना तथा दिल्ली में पशु निर्दयता निवारण अधिनियम को लागू करना है । इस कार्यक्रम के अधीन 1979-80 के लिए 2.00 लाख रुपये की रकम स्वीकृत थी जिसके बदले में 2.40 लाख रुपये का व्यय, खर्च किया गया है। कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान 3.00 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गयी है प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित से है:–

(क) स्टाफ का वेतन एवं भत्ते	2.50 लाख रुपये
(ख) कार्यालय खर्च, भवन की देख-रेख, पानी, बिजली, टेलीफोन बिल आदि	0.25 लाख रुपये
(ग) एस. पी. सी. ए. पत्रिका, प्रचार, प्रसार, आहार, पशुओं के लिए चारा, चिकित्सा, एस. पी. सी. ए. स्टाफ के लिए वर्दी	0.25 लाख रुपये 0.25 लाख रुपये

2. रोग नियंत्रण कार्यक्रम का तीव्रीकरण (पशु अनुसंधान) (3.50 लाख रुपये)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 के लिये स्वीकृत परिव्यय 6.00 लाख रुपये था। यद्यपि 6.44 लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

परियोजना का उद्देश्य 58 पशु चिकित्सालयों और डिस्पेंसरियों तथा दो निदान प्रयोगशालाओं के ठोस कार्य के माध्यम से जनता को प्रभावी रोग नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है । एच. एस. आर. पी. और एफ एण्ड एम रोग जैसे विभिन्न किस्म की बीमारियों के लिये रोग निवारक टीके सदा की भांति लगवाये जायेंगे । पशुओं की आबादी को बचाने के लिए समुचित एवं दवाओं को उचित पूर्ति के कार्यक्रम को तीव्र किया जायेगा । उपरोक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए 1980-81 में 3.50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा निम्नप्रकार है :--

	(रुपये लाखों में)
(1) टीके और दवाइयों की लागत	3.05
(2) पी. ओ. एल. और मरम्मत खर्च	0.15
(3) मजदूरी, किराया, बिजली और अन्य प्रभार	0.30
योग	3.50

3. गौशालाओं को अनुदान (0.10 लाख रुपये)

बुढ्ढे, कमजोर, अनुत्पादक पशुओं की सेवा के लिए गोशालाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उनकी सहायता करना परियोजना का लक्ष्य है। संकरण के लिए ए. आई. तकनीकों के जरिये उत्पादक पशुओं का बचाने के लिए और इस प्रकार से दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए परियोजना के अधीन प्रावधान भी है। प्रति वर्ष प्रत्येक पशु के लिए 250/- रुपये की अनुदान सहायता गौशालाओं को दी जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत 1980-81 के लिए 0.10 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है।

4. पशु चिकित्सालयों में सेवाओं का सुधार (12.00 लाख रुपये)

परियोजना का उद्देश्य विद्यमान पशु चिकित्सालयों में प्रभावी और समुचित सुविधायें दिलवाने के लिए पशु सेवाओं में सुधार करना है। चिकित्सालय भवनों का निर्माण करके और आवश्यक मामलों के लिए जीवन-दायी दवाइयां उपलब्ध करवा करके सेवाओं की किस्म को सुधारने का प्रस्ताव है। चिकित्सालय नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से भी सुसज्जित होंगे। जनता और डाक्टरों के बीच में सम्पर्क तथा आपतकालीन मामलों में मिलने के लिए टेलीफोनों की स्थापना का प्रावधान जल्दी ही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पतालों को भी लिया गया है। डेयरी कालोनी, गाजीपुर और मसूदपुर में भूमि खरीद ली है और चिकित्सालय भवन तथा स्टाफ क्वाटर 1980-81 के दौरान निर्मित होंगे जिसके लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। 1978-79 के लिए योजना प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार पशु विकास के तीव्रीकरण (की विलेज और ए. आई. स्कीम) को परियोजना के अधीन लगे हुये स्टाफ के लिए परियोजना के अन्तर्गत 4.00 लाख रुपये का प्रावधान भी स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत 1980-81 के लिए 12.00 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

		(रुपये लाखों में)
1.	चिकित्सालय भवन और स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	5.00
2.	दवाओं, उपकरणों, टेलीफोन की लागत तथा अन्य आकस्मिक व्यय	3.00
3.	के. वी. और ए. आई. परियोजना के अधीन लगे स्टाफ का वेतन और भत्ते	4.00
	योग	12.00

(3) पशु विकास

1. पशु विकास का तीव्रीकरण (8.00 लाख रुपये)

परियोजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी अर्थात् एच. इ. वीर्य द्वारा संकरण का आरम्भ करना है ताकि सभी गांवों को संकरण कार्यक्रम के अधीन लाया जा सके। कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार परियोजना को अब 1980-81 से जमे हुये वीर्य तकनीकों के आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा। इससे दिल्ली के दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में आयोजित संकरण कार्यक्रम में सहायता मिलेगी और छोटे व सीमांत किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग में उपलब्ध वर्तमान संरचना का पूर्णरूप से इस्तेमाल किया जायेगा। कार्य का मुकाबला करने के लिए भवन आदि में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे और परियोजना को नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों से चलाया जायेगा। विद्यमान स्टाफ को वर्ष के दौरान जमें हुये वीर्य तकनीक में प्रशिक्षित किया जायेगा। विद्यमान पशु चिकित्सालयों में सेवाओं का सुधार' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ का प्रावधान किया गया है, इसके अतिरिक्त जमे हुये वीर्य तकनीक को आरम्भ करने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नये उपकरण जैसे स्टैंड वाई जनरेटर, लिक्विड निटरोजन, कांटेनर रेफ्रिजरेटर आदि को खरीदने का प्रावधान है। निटरोजन की नियमित पूर्ति के लिए 5 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला लिक्विड निटरोजन प्लांट की भी स्थापना की जायगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1980-81 के लिए 8.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

वास्तविक रूप में 7,000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करने का प्रस्ताव किया है और 1980-81 के दौरान लगभग 1,000 बछड़ों की नस्लें पैदा होंगी जिससे अंत में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि में सहायता मिलेगी।

2. गोपाष्टमी पशु मेला (0.40 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक खंड में प्रति वर्ष पशु प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की पशुओं की उत्तम किस्म की नस्ल तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देना है। ये प्रदर्शनियां दूध के अधिक उत्पादन के लिये नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों सहित प्रजनकों को शिक्षा देने में भी सहायता देंगी। यह क्षेत्र में विशेषज्ञों और किसानों के बीच में विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर भी देती है। इन प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने के लिए 1980-81 के दौरान 0.40 लाख रुपये के प्रावधान का सुझाव दिया गया है।

(4) कुक्कुट विकास

1. ब्राइलर चिक्स का उत्पादन (7.14 लाख रुपये)

(1) परियोजना का उद्देश्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रजनकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सस्ती दर पर एक दिन के चूजों (कबाबी) का उत्पादन करना है ताकि मांग और पूर्ति के बीच की खाई को भरा जा सके। परियोजना निजी क्षेत्र की अन्य अंडज उत्पतिशालाओं की तलना में चूजों को सस्ती दरों पर सप्लाई करके प्रजनकों के लाभ की सीमा को भी बढ़ावा देगी। 1979-80 के दौरान यह पहले हो ज्ञात है कि इस प्रकार के लगभग एक लाख चूजे कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित किये जायेंगे। 1980-81 में गतिविधयों को तीव्र किया जायेगा जिसके लिये कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी और अर्ध कुशल स्टाफ का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना के अधीन प्रस्तावित नये स्टाफ को बिठाने के लिए और कार्य के बढ़ते हुए क्षेत्र का सामना करने के लिए विद्यमान भवनों में थोड़ा परिवर्तन और मरम्मत आवश्यक है जिसके लिये पूंजी भाग में 2.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित तीव्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन से यह आशा है कि 1980-81 के दौरान लगभग 2.50 लाख कबाबी चूजे उत्पादित किये जायेंगे । प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं—

		(रुपये लाखों में)
1.	वस्तु की लागत एवं पूर्ति	2.80
2.	फिटिंग और फिक्चर्स	1.00
3.	वेतन एवं भत्ते तथा विविध खर्च	0.84
4.	कार्यालय खर्च और मजदूरी	0.50
5.	महत्वपूर्ण कार्य	2.00
	योग	7.14

परियोजना के अधीन नया प्रस्तावित स्टाफ इस प्रकार होगा—पशु सहायक शल्य चिकित्सक (विस्तार) (एक), उच्च श्रेणी लिपिक (एक), कुक्कुट पर्यवेक्षक (विस्तार) (एक), अंडज उत्पत्तिशाला पर्यवेक्षक एवं गर्भाधान विशेषज्ञ (एक), अंडज उत्पत्तिशाला (एक), सहायक उप-निरीक्षक (छ:) और कुक्कुट श्रमिक (तीन) ।

2. ग्रामीण विकास निगम द्वारा संतुलित कुक्कुट आहार की पूर्ति और उत्पादन (0.05 लाख रुपये)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 के लिए 0.05 लाख रुपये का प्रावधान था । यद्यपि कार्यक्रम आर. डी. सी. के अधीन आ गया था लेकिन आर. डी. सी. अपने स्वरूप में अभी नहीं आया है इसलिए यह कार्यान्वित न हो सका । वर्ष 1980-81 के लिए 0.05 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

(5) अन्य व्यय

1. वध गृह के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना (5.00 लाख रुपये)

दिल्ली नगर निगम इस परियोजना को चला रहा है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 11.29 लाख रुपये के व्यय के बदले में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिये 20.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है । वध गृह में मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए 1980-81 के लिये 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । यद्यपि 1979-80 के दौरान इस परियोजना के अधीन फंड जारी नहीं किये गये थे तथा झटका और हलाल अनुभाग के सुधार निकास एवं सफाई व्यवस्था आदि के लिए 5.82 लाख रुपये का व्यय किया गया था । इसमें दिल्ली नगर निगम की 2.11 लाख रुपये की शेष रकम भी शामिल है । इस तरह से 3.71 लाख रुपये का शुद्ध व्यय शामिल किया गया है ।

2. नये वध गृह का निर्माण (15.00 लाख रुपये)

1977-78 में यह निर्णय किया गया था कि दिल्ली नगर निगम मोतिया खान में विद्यमान वध गृह के स्थान पर नये वध गृह का निर्माण करे लेकिन विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच करने के बाद विचार स्थगित कर दिया गया था । यह निर्णय किया गया था कि कुछ अन्य स्थानों में आधुनिक रूप में वध गृह परिसर का निर्माण किया जाये । इस प्रयोजन के लिए स्थान चयन और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है और यह उम्मीद है कि समस्या के लिए कोई अंतिम उपाय जल्दी ही निकल पायेगा। निर्माण कार्यक्रम को 1980-81 में करने के लिये 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम और कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैठक में यह स्वीकार किया है कि वध गृह निगम के माध्यम से 1980-81 के दौरान परियोजना को शुरू किया जाये ।

(च) दुग्ध विकास (135.00 लाख रुपये)

मूलत: कृषि मंत्रालय ने डेयरी कालोनियों के विकास के लिए परियोजना स्वीकृत की थी जो कि 335.14 लाख रुपये की कुछ लागत में दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की गई । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी 1976-77 के दौरान तीन डेयरी कालोनियों का विकास किया है । इस प्रकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए तथा भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था के लिए तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिये शहर में स्थापित डेयरियों को हटाने के लिये एक संशोधित परियोजना बनाई गई है जो कि भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई तथा जिसमें 10 डेयरी कालोनियों के विकास के लिए और 61214 पशुओं को रखने के लिए दिल्ली नगर निगम (6.53 करोड़ रुपये) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (4.40 करोड़ रुपये) द्वारा शेयर की गई 10.93 करोड़ रुपये की कुल लागत शामिल है ।

1976-77 और 1977-78 के दौरान दिल्ली नगर निगम को 335.00 लाख रुपये की रकम पहले ही दी जा चुकी है। 1978-79 के दौरान दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को राशि नहीं दी गई थी । भारत सरकार ने परियोजना के अन्तर्गत पूरी समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया है । उपसमिति ने कार्यक्रम की पूरी तरह से जांच की और 720.58 लाख रुपये के रूप में प्रोजेक्ट की संशोधित लागत का सुझाव दिया । तद्नुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड से स्वीकृति का ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । यद्यपि भारत सरकार, उप समिति की रिपोर्ट की जांच करती है और इसके निर्णय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को फंड जारी करने के लिए 1979-80 के दौरान 90.00 लाख रुपये की रकम जारी की गई है और 135.00 लाख रुपये का परिव्यय 1980-81 के लिए स्वीकृत किया गया है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए 125.00 लाख रुपये और दिल्ली नगर निगम के लिए 10.00 लाख रुपये की रकम शामिल है ।

मत्स्य पालन

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्य पालन स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है :-

(1) यमुना नदी में फैले हुये नदीय भूभाग को 35 किलोमीटर के लगभग स्थापित करना । इसके अलावा आगरा बाढ़ नगर, यमुना और हिंडन नहरों के पास लगभग 40 किलोमीटर तक स्थापित करना ।

(2) झीलों/टैंकों/तालाबों आदि से सम्बन्धित अवरूद्ध जल जो कि लगभग 4000 हेक्टर है ।

इस उप क्षेत्र के अधीन विकासीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि प्राप्त करने

के लिए प्राप्त जल साधनों का इस्तेमाल करना है तथा एक ओर से इसके द्वारा गरीब मछियारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारना एवं दूसरी ओर से महा नगरीय शहर की आवश्यकता पूर्ति करना है।

(1) विस्तार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण (0.10 लाख रुपये)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा खोले गये विभिन्न मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्रों में मत्स्यपालन स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्राप्त ज्ञान के आधार पर मत्स्य का अधिक उत्पादन किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को विभागीय स्टाफ के जरिये मत्स्य स्वभाव गतिविधियों की मूल व्यवस्थाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता है। विस्तृत स्टाफ के जरिये मत्स्यपालन विकास कार्य की नवीनतम तकनीक की जानकारी लोगों को दी जाती है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य अधिक लोगों को मत्स्य विकास कार्य के क्षेत्र में लाना है और इसके द्वारा उनकी भलाई के लिये उन्हें अतिरिक्त आय दिलवाना है। 1980-81 के लिए 0.10 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

(2) आन्तरिक क्षेत्र मत्स्य उत्पादन (7.57 लाख रुपये)

इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है :-

(क) प्रयोगात्मक मत्स्य फार्म की स्थापना और मछली के अण्डों का उत्पादन

(ख) शीतल जल की नर्सरी

(ग) जीवित मछलियों के विकास पर प्रयोग करना।

परियोजना का मुख्य लक्ष्य प्रयोगात्मक प्रयोजन के लिये वर्तमान सीड फार्मों का विस्तार करना और तेजी से बढ़ने वाली किस्मों के लिए मत्स्य उत्पादन करना है। मत्स्य अंडों का उत्पादन 1.20 मिलियन बच्चों/फिंगरलिंगों (मत्स्य) की संख्या तक पहुंचेगा। वर्ष 1980.81 के दौरान शाहदरा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र प्रयोगात्मक उद्देश्यों और तेजी से बढ़ने वाली मत्स्य किस्मों के मत्स्य अंडों के उत्पादन अतः इंडियन मेजर कारप्स और विदेशीय मछलियां जो कि भारतीय जातियों में अधिक उपयुक्त हैं पर ध्यान दिया गया है। उक्त किस्मों के 14 लाख मत्स्य अंडे उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है। शाहदरा मत्स्य क्षेत्र के विस्तार के अलावा इस फार्म में ग्लास जार हैटचरी, इक्सरसाइज और हास्पिटल टैंक का भी निर्माण किया जायेगा। 1980-81 के दौरान नर्सरी क्षेत्र को 6 हेक्टर से 8 हेक्टर तक बढ़ाया जायेगा। अतः 1980-81 के दौरान मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 1200 मी. ट. तक बढ़ेगा।

इस कार्यक्रम के अधीन 1980-81 के लिये 7.57 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें 6.57 लाख रुपये शाहदरा टैंक के विस्तार के लिये और उक्त कार्य के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से है। राजस्व परिव्यय का इस्तेमाल वस्तु पूर्ति की खरीद, मजदूरी की अदायगी तथा अन्य कार्यालय खर्चों में इस्तेमाल की जायगी।

(3) स्पोर्ट्स मत्स्य का विकास (1.05 लाख रुपये)

ऐसे लोगों को जो मछली पकड़ने के लिए ओखला जाते हैं के लिये अतिरिक्त सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र मत्स्य जगत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। यहां हजारों साधारण लोगों तथा भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटक और मछली पकड़ने वाले आते हैं। ओखला में एंगलर्स लाज बनाने का कार्यक्रम भूमि न मिलने के कारण कार्यान्वित न हो सका क्योंकि प्रस्तावित भूमि उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है तथा भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 1980-81 के दौरान इस लाज को बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त ओखला मत्स्य क्षेत्र का भी विकास होगा तथा अधिक से अधिक पर्यटकों व मछली पकड़ने वालों के लिये इसे आकर्षक बनाया जायेगा। 1980-81 के लिये 1.05 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(4) संरक्षण (0.50 लाख रुपये)

कारखानों के दूषित जल और घरेलू मल से जल अपदूषण की समस्या बड़ी जटिल बन जाती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा समय आता है जब कुछ पानी अति विषाक्त हो जाता है और यह शीघ्र ही घातक मौत का कारण बन जाता है। इस समस्या का सामना करने के लिए समुचित संरक्षण पद्धतियों और उपायों सहित परियोजना प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा मत्स्य पालन विभाग ने अपनी गतिविधियां शाहदरा, सराय पीपलथला, ओखला, बरवाला, वजीराबाद, नजफगढ़ नाला और अन्य स्थानों में बढ़ा दी है। विद्यमान संरक्षण स्टाफ जिसकी संस्वीकृति बहुत पुरानी है अब उक्त क्षेत्रों की देखभाल करने के लिये बहुत कम है।

इसे दृष्टि में रखते हुये 1980-81 के लिये 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम के अधीन प्रस्तावित स्टाफ में सहायक मत्स्य पर्यवेक्षक (तीन) और चौकीदार 12 हैं।

सामुदायिक विकास एवं पंचायतें

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 258 गांवों की 204 पंचायतें हैं। इस क्षेत्र के अधीन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा रोजगार उत्पादन के लिये अच्छी सम्भावनाएं पैदा करना है। 1980-81 के लिए परियोजनानुसार विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :-

(1) पंचायत विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना (1.24 लाख रुपये)

योजना परियोजनाओं या ग्राम पंचायत फंड के अधीन पंचायत विभाग प्रतिवर्ष सार्वजनिक निर्माण कार्यों का यथेष्ट विस्तार करता है। इस समय इन कार्यों के प्रोजेक्ट अनुमान की तैयारी, कार्यान्वयन, ठेकेदारों आदि का पर्यवेक्षण लघु सिंचाई विभाग दिल्ली प्रशासन को सौंपा हुआ है। अपने सामान्य कार्यों के अलावा लघु सिंचाई विभाग के एक सहायक इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर तत्काल से विकास कार्यों का अनुमान तैयार करने के लिये हफ्ते में केवल एक बार खण्ड विकास कार्यालय में जाते हैं लेकिन विभिन्न पंचायतों की आवश्यकता पूर्ति के लिये यह निरीक्षण काफी नहीं समझा गया है।

पंचायत विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की आवश्यकता जरूरी समझी गई है क्योंकि ग्राम पंचायतों/पंचायत विभाग से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्य निश्चित समय के भीतर उचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं और योजना व्यय/वास्तविक लक्ष्य सर्वोतम रूप में प्राप्त हो गये हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना को तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी है।

स्टाफ खर्च और जीप की खरीद के लिये 1980-81 के लिये 1.24 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

(2) पंचायत विभाग में विधि कक्ष के सुदृढ़ीकरण के लिये परियोजना (0.66 लाख रुपये)

दिल्ली के ग्रामीण गांवों में स्थित ग्राम सभा भूमि से सम्बन्धित राजस्व/सिविल/उच्च न्यायालय में मामलों की पैरवी ग्राम पंचायतों के प्रधानों/पंचायत विभाग की वाद-कार्य शाखा द्वारा की जाती है। दिल्ली की विभिन्न ग्राम सभाओं की भूमि का कुल क्षेत्र 56,003 एकड़ है। इस समय पंचायत विभाग के वाद कार्य कक्ष में तहसीलदार (एक), नायब तहसीलदार (वादकार्य) (एक), निरीक्षक वादकार्य (दो), उच्च श्रेणी लिपिक (दो) एवं श्रेणी लिपिक (दो), पंचायत सचिव (दो) और चपरासी है। वकीलों का पैनल भी गठित है जो कि उन मामलों के बचाव के लिये जिम्मेदार हैं जिसमें ग्राम सभा के प्रधान प्रतिकूल कब्जे से सम्बन्धित हों। पंचायत विभाग के एक हजार मामले वादकार्य शाखा द्वारा निपटाये गये और लगभग तीन हजार मामले पंचायतों के प्रधानों द्वारा निपटाये जा रहे हैं। अतः यह महसूस किया गया है कि पैनल वकीलों को मामला सौंपने की बजाये ग्राम सभा भूमि के मामलों के बचाव के लिये पूर्ण समय के लिये कानूनी सलाहकार/सहायक कानूनी सलाहकार होने चाहिये। अतः ऐसे मामलों से सम्बन्धित भूमि की लागत लाखों रुपये है।

यद्यपि सामुदायिक विकास के सहायक दल और पंचायत राज ने कुछ समय के लिये एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करने की सिफारिश की है ताकि वह प्रधानों द्वारा किये जा रहे कार्य की देखभाल तथा सुनवाई कर सके और स्वयं ही महत्वपूर्ण मामलों को निपटा सके। 1980-81 के दौरान उक्त प्रोजेक्टिड कार्यक्रम को चलाने के लिए स्टाफ व्यय हेतु 0.66 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(3) लाभकारी सम्पत्ति के सृजन के लिये पंचायतों को ऋण (2.50 लाख रुपये)

दिल्ली में अधिकांश ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि उनकी अपनी आय का स्रोत नहीं है। परियोजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि पंचायतों को लाभकारी सम्पत्ति के सृजन के लिये ऋण दिया जाये।

सहायता का स्वरूप

उपर्युक्त ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक 10,000/- रुपये अथवा प्रोजेक्ट की लागत से कुछ कम राशि का ऋण दिया जाता है। लाभग्राही से ऋण ब्याज सहित, ऋण लेने की तिथि से 10 बराबर किस्तों में वसूल किया जायेगा। ब्याज की वसूली भारत सरकार/दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वसूल होगी।

वर्ष 1979-80 के लिये 2.50 लाख रुपये की रकम स्वीकृत थी और उसे 25 पंचायतों में दुकानों के निर्माण के लिये बांटा गया है। वर्ष 1980-81 में विकास-प्रोजेक्टों के लिये 25 और पंचायतों को ऋण देने के लिये प्रस्तावित किया है जिसके लिए 2.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(4) ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास परियोजनाएं (1.25 लाख रु.)

सभी 187 प्रोजेक्टों में प्रत्येक गांव के लिये एक योजना तैयार कर ली है। ये विकासीय प्रोजेक्ट गांवों के विकास के लिये ग्राम पंचायतों की सहमति से चुनी जाती है। निम्नलिखित कार्य के समूह हैं जिसमें से एक प्रोजेक्ट को पंचायतों को अपनी आवश्यकतानुसार चुनना है:-

(1) कुओं और तालाबों की मरम्मत और सुधार

(2) बंकार भूमि को पुनः प्राप्त कर कृषि योग्य बनाना

(3) पंचायत घरों की देख रेख एवं सुरक्षा

(4) लिंक रोड का निर्माण व मरम्मत

(5) दूषित गढ़ों को भरना तथा भूमि को समतल करना।

(6) नये छोटे पुलों और पुलियाओं का निर्माण

(7) ग्रामीण आबादी की गलियों में खड़ंजे बिछाना।

(8) बरसाती पानी के निकास के लिए नालियों तथा सांख गढों की व्यवस्था।

(9) सार्वजनिक रेडियो और टी. वी. सेटों का रखरखाव।

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को 5,000/- रुपये समान अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव है और उतनी ही राशि अपने फंड से या राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारिता बैंकों अथवा पंचायतों के फंडों से ऋण लेकर एकत्रित करना होगा। यह कार्य खंड विकास अधिकारी की देख-रेख में पंचायतों द्वारा किया जायेगा। खंड विकास अधिकारी एक ओवरसियर की सहायता से तकनीकी नियंत्रण करेगा। 1980-81 के लिये 1.25 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

5. फसल प्रतियोगिता पुरस्कार (0.05 लाख रुपये)

परियोजना का लक्ष्य किसानों को खाद्यान्नों की अधिक पैदावार के लिये प्रोत्साहित करना है खरीफ और रबी की फसलों के दौरान फसल प्रतियोगिताएं खण्ड और राज्य स्तर पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रमुख फसलों में अधिकतम फसल उत्पादन करने के लिये सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार दिये जाते हैं। 1980-81 के लिये 0.05 लाख रुपये पुरस्कारों के वितरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

(6) दिल्ली के ग्रामीण गांवों में पंचायत घरों के विकास और निर्माण के लिए परियोजना (4.50 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 258 ग्रामीण गांवों की 204 पंचायतें हैं। विद्यमान पंचायत घरों के विकास और नये पंचायत घरों के निर्माण के लिए काफी मांग है। निर्मित और विकसित किये जाने वाले पंचायत घरों में लघु पुस्तकालय, पठन कक्ष, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, सिलाई केन्द्र आदि होगा जो कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकता का प्रबंध करेगा। ग्रामीणों द्वारा दायर किये गये मामलों को निपटाने के लिए सर्कल पंचायतों के न्यायालयों के कार्य करने के लिये कोई समुचित स्थान नहीं है। गांव में पंचायत घर के निर्माण और विकास की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। प्रारम्भ में परियोजना ऐसे गांवों को शामिल करेगी जहां ग्राम, फंडों की कमी के कारण पंचायत घरों के निर्माण और विद्यमान पंचायत घरों के विकास करने की स्थिति में नहीं है।

माडल पंचायत घर में एक बड़ा हाल और कम से कम तीन कमरे होंगे। प्रत्येक पंचायत घर की लागत लगभग 75,000/- रुपये आयेगी। पुस्तकालय पठन कक्ष आदि की स्थापना के लिए रोटेरी क्लब, लाइन क्लब जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी केन्द्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर होगी। पंचायत घर की व्यवस्था करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि इसकी प्रतिदिन की कार्यवाही को देखे और विभिन्न कार्यकलापों की व्यवस्था एवं समन्वय करे। यह उत्तरदायित्व पंचायत सचिव के कार्यों में भी शामिल होगा। इसके अलावा चौकीदारी एवं सफाई कार्य को करने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार ने तकनीकी रूप से परियोजना को स्वीकार कर लिया है। 1980-81 में 6 पंचायत घरों के निर्माण और उनकी देखभाल के लिए प्रस्तावित स्टाफ के वेतन की अदायगी **हेतु 4.30 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है ।**

7. ग्रामीण कुओं के विकास के लिए परियोजना (4.00 लाख रुपये)

गांवों में पीने के पानी की पूर्ति का स्रोत केवल कुआं ही है। यह देखा गया है कि अधिकांश गांवों में कुओं की देखभाल समुचित रूप से नहीं हो रही है । वे खुले हैं तथा उनके चारों ओर कोई पक्का फर्श भी नहीं है।

यद्यपि दिल्ली नगर निगम ने ग्रामीण जल पूर्ति की परियोजना बनाई है जिसमें उन्होंने विभिन्न गांवों को पानी की मुख्य पाइप लाइन से जल पूर्ति करने का प्रस्ताव किया है । दिल्ली के ग्रामीण गांवों को शामिल करने से इस परियोजना के कार्यान्वयन पर समुचित समय लगने की संभावना है । फिर भी गांव में आपातकाल और जल पूर्ति रुकने के मामले में गांव में पीने के पानी की आवश्यकता पूर्ति करने का एकमात्र साधन कुआं ही है।

इसे मध्य नजर रखते हुये निम्नलिखित व्यवस्थाओं के द्व ग्रामीण कुओं को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है :

(क) कुओं के ऊ. पर टीन शेड लगाना ।

(ख) इसके चारों ओर पक्का फर्श बनाना ।

(ग) पानी खींचने की चरखी, और

(घ) पशुओं के लिए जल नांद का निर्माण ।

जहां पंचायत पानी निकालने के लिए विद्युत मोटर स्थापना हेतु अतिरिक्त व्यय करने की स्थिति में है वहां उ अपना खर्च करने में स्वतंत्रता होगी यह अनुमान है 10,000/- रुपये का अनुमानित व्यय प्रत्येक गांव पर होगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं के विकास को 1980-81 के दौरान तीव्र करने का प्रस्ताव है। दिल्ली राज्य क्षेत्र के गांवों में लगभग 50 पीने के पानी के कुओं विकास के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के लि 4.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

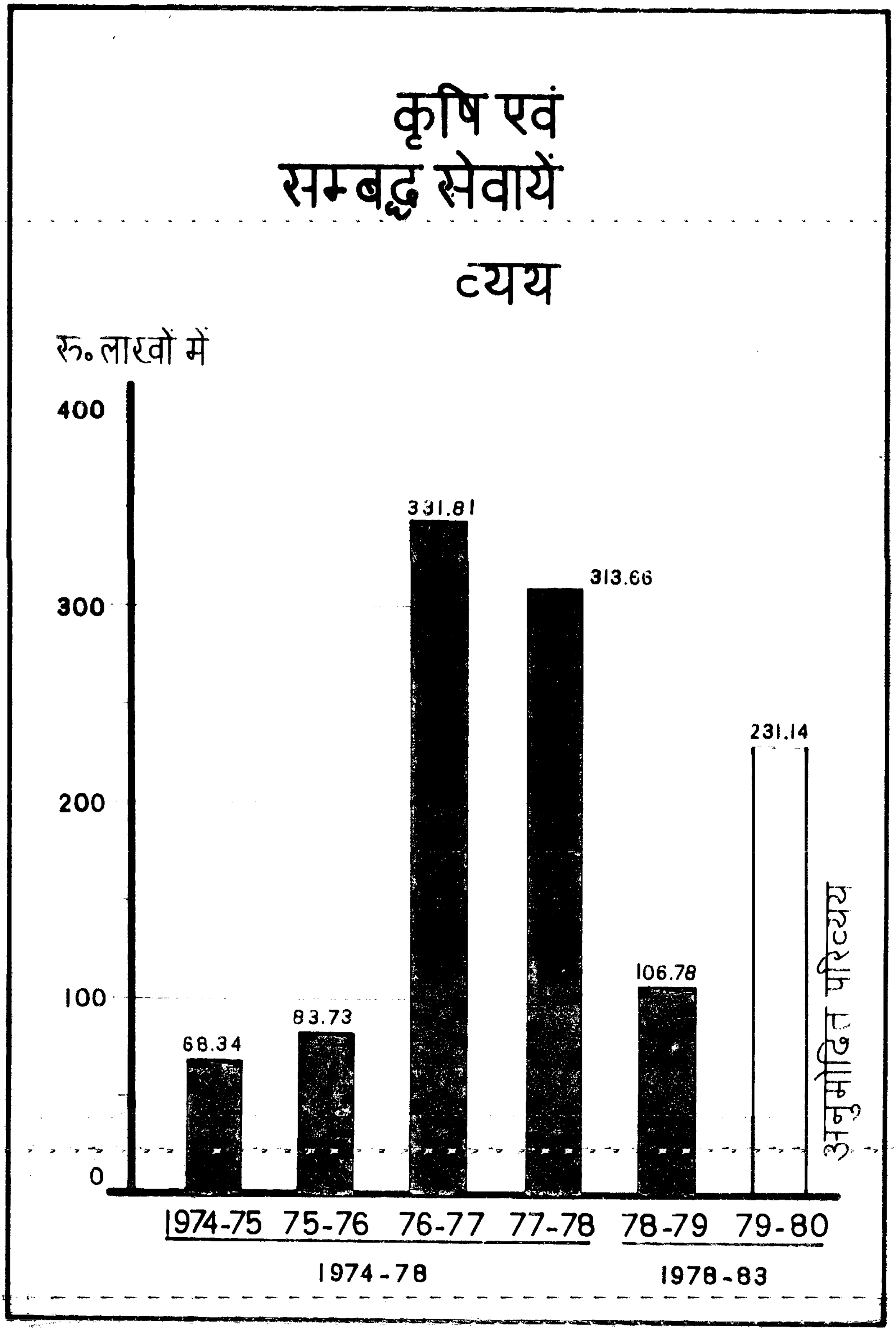

कृषि एवं
सम्बद्ध सेवायें
व्यय
रु० लाखों में
400
300
200
100
0
331.81
313.66
231.14
106.78
83.73
68.34
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

(4) **श्रमिक एवं निर्माण समितियां (0.33 लाख रुपये)**

भूमिहीन श्रमिकों और अन्य अकुशल व्यक्तियों की बेरोजगारी बहुत है । गांवों का तेजी से शहरीकरण होने की वजह से किसानों में भी बेरोजगारी तेजी से फैल रही है । छोटे किसान जिनकी भूमि अधिग्रहीत कर ली है ने स्वयं अपने आप को श्रमिक कार्यों में लगा लिया है । उनके शोषण को रोकने के लिये तथा समाज के कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए विभाग ऐसे श्रमिकों व कामगरों के लिए श्रमिक एवं निर्माण सहकारिता समितियों का गठन कर रहा है ऐसी 37 समितियां है जो कि विभाग ने पंजीकृत की है और कुछ को भविष्य में पंजीकृत करने का विचार है ।

श्रमिकों से सम्बन्धित श्रमिक एवं निर्माण सहकारिता समितियां कमजोर स्थिति में है । फंड की कमी के कारण वे निजी ठकेदारों की तुलना में ठके के लिए टेंडर भरने की स्थिति में नहीं है । इन समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने और उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने तथा उनके सदस्यों को लाभदायी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित रूप में समुचित वित्तीय सहायता के साथ तीन समितियों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है:—

1.	3 समितियों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रत्येक को 10,000/- रुपये	0.30 लाख रु.
2.	3 समितियों को अनुदान प्रत्येक को 1000/- रुपये	0.03 लाख रु.
	योग	0.33 लाख रु.

वर्ष 1980 81 के लिए 0.33 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है ।

(5) **भंडारण तथा विपणन सहकारी समितियां (0.80 लाख रुपये)**

किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों को गोदामों की सुविधायें दी जानी चाहिए । अब तक पिछले वर्षों में समितियों ने 74 गोदामों का निर्माण किया है। वर्ष 1980-81 के दौरान गोदाम के निर्माण के लिए 2 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सहायता देने का प्रस्ताव है। 62½ प्रतिशत ऋण और 37½ प्रतिशत अनुदान के अनुपात में प्रत्येक समिति को 40,000/- रुपये की रकम देने का प्रस्ताव किया है ।

वर्ष 1980-81 के लिए 0.80 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है ।

(6) **उपभोक्ता सहकारी समिति (7.00 लाख रुपये)**

1. **प्रारम्भिक भंडारों को सहायता (2.00 लाख रुपये)**

दिल्ली में लगभग 500 उपभोक्ता सहकारी भंडार पंजीकृत है । शेयर पूंजी, ऋण और अनुदान के रूप में इन भंडारों की सहायता की जा रही है । उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ऐसी सहायता जारी रखना आवश्यक है ताकि ये भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें । अतः 1980-81 के दौरान 20 भंडारों को सहायता देने का प्रस्ताव है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:—

1.	20 लाख भंडारों को शेयर पूंजी 5,000/- रुपये प्रत्येक को	1.00 लाख रुपये
2.	20 भंडारों को फर्नीचर और फिक्चर के लिए ऋण 2250/- रुपये प्रत्येक को	0.45 लाख रुप[ये]
3.	20 भंडारों को फर्नीचर और फिक्चर के लिए अनुदान 750/- रुपये प्रत्येक को	0.15 लाख रुप[ये]
4.	20 भंडारों को प्रबंधकीय अनुदान प्रत्येक के लिए 1000/- रुपये	0.20 लाख रुप[ये]
	योग	1.80 लाख रुप[ये]

इसके अलावा प्रबंधकीय अनुदान की दूसरी किस्त उन भंडा[रों] को दी जायेगी जिन्हें 1979-80 के दौरान सहायता दी ग[ई] है । इसके लिए 20,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है[।] 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है[।]

(2) **दिल्ली सहकारिता उपभोक्ता थोक भंडार को सहाय[ता] (5.00 लाख रुपये)**

दिल्ली सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लि. प्राथमिक उप[भोक्ता] सहकारी भंडारों के हित के लिए सस्ती दरों पर वस्तु[एं] दिलवाने हेतु एक एजेंट के रूप में 1962 में पंजीकृत कि[या] गया था । प्रारम्भ के वर्षों में इसने अच्छा कार्य किया लेकिन गलत क्रय नीति और सदस्यों भंडारों से रकम की वसू[ली] न होने के कारण बाद में भंडार की स्थिति खराब होने लगी[।]

दिल्ली उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड का माम[ला] कार्यकारी परिषद के सम्मुख रखा गया था । अंत में भंडार [को] शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 1980-81 के लिए 5.00 ला[ख] रुपये की रकम स्वीकृत है ।

(7) **सदस्य शिक्षा एवं स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम (3.00 ला[ख] रुपये)**

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में समितियों के सदस्यों के लि[ए] शिक्षा कार्यक्रम दिल्ली राज्य सहकारिता संघ द्वारा चलाया [जा] रहा है । सदस्य शिक्षा कार्यक्रम के अलावा संघ विभाग [के] कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए एक प्रशिक्षण कें[द्र] भी चला रहा है ।

इस परियोजना के अधीन वर्ष 1980-81 के लिए 3.0[0] लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जो कि दिल्ली राज्य स[ह]कारिता संघ को उसके प्रसार कार्यक्रम और प्रशिक्षण केन्द्र जारी रखने के लिए अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(8) **अन्य सहकारी समितियां**

1. **सब्जी सहकारी समितियां (0.12 लाख रुपये)**

उपभोक्ता को सस्ती दर पर सब्जियां और फल उपलब्ध करव[ाने] के लिए अधिक सब्जी सहकारी समितियां गठित करने [का] प्रस्ताव है । दो समितियों को निम्नलिखित रूप में [स]हा[यता] दिलवाने का प्रस्ताव है:—

1.	2 समितियों को शेयर पूंजी प्रत्येक को 3000/- रुपये	0.06 लाख रु[पये]
2.	दो समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान प्रत्येक को 3000/- रुपये	0.06 लाख रु[पये]

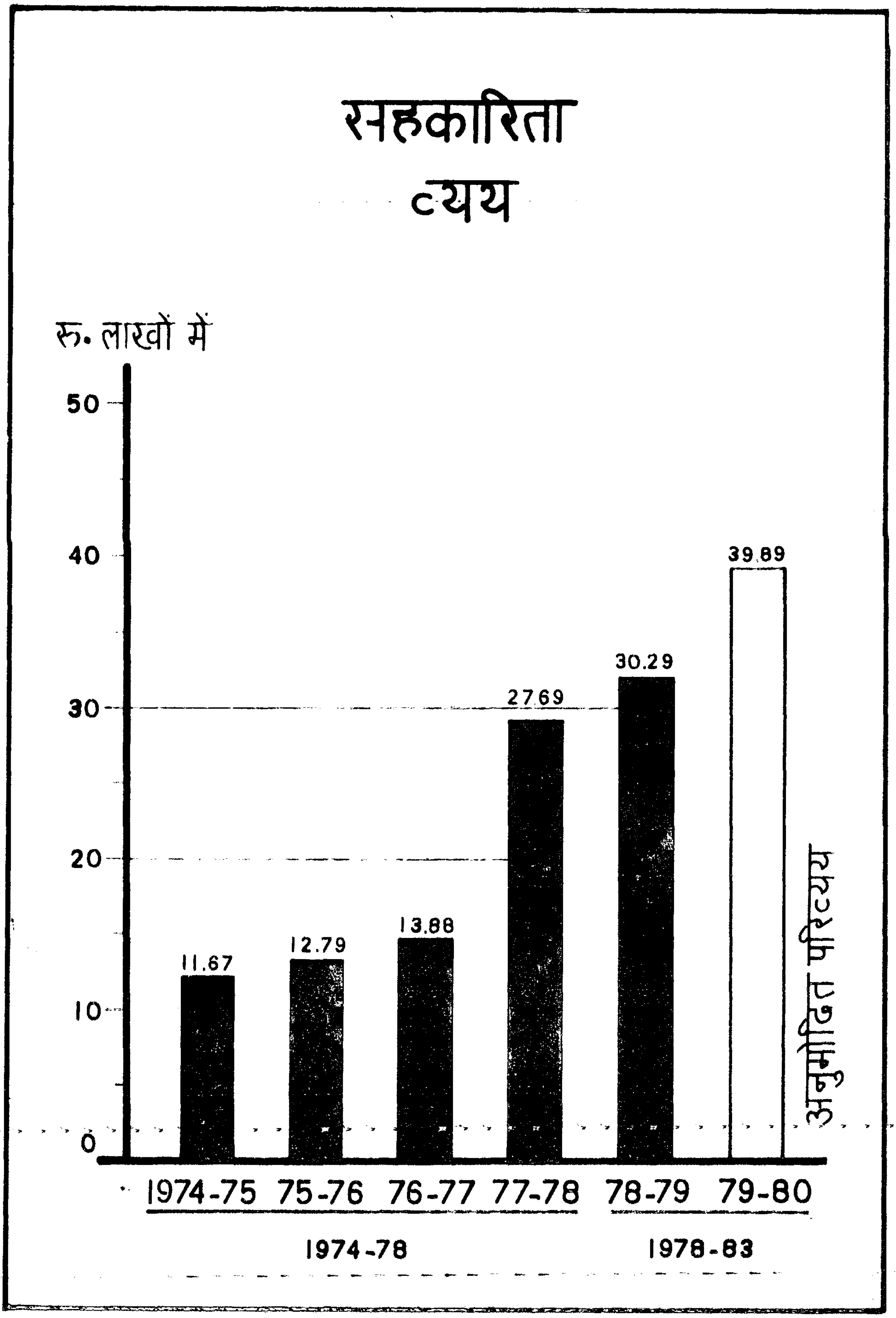
सहकारिता
व्यय
रु. लाखों में
50
40
30
20
10
0
11.67
12.79
13.88
27.69
30.29
39.89
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

1980-81 के लिए 0.12 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

2. सिलाई, कशीदाकारी (कढ़ाई) और सिले सिलाये वस्त्र सहकारी समितियां (0.40 लाख रुपये)

समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित महिलाओं और दस्यों के लिए सिलाई, कढ़ाई और सिले सिलाये वस्त्र सहकारी समितियां गठित की गई हैं। समाज के कमजोर वर्गों लाभदायी रोजगार दिलवाने की दृष्टि से वर्ष 1980 81 के दौरान ऐसी दो समितियों को निम्नलिखित रूप में सहायता देने का प्रस्ताव किया है:—

1. 8 समितियों को शेयर पूंजी प्रत्येक को 4000/- रु. — 0.32 लाख रु.
2. 8 समितियों को अनुदान प्रत्येक को 1000/- रु. — 0.08 लाख रु.

1980-81 के लिये 0.40 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

3. हथकरघा सहकारी समितियां (0.26 लाख रुपये)

कमजोर वर्गों के बीच में हथकरघा सहकारी समितियां गठित की गई हैं। फंडों के कमी के करण ये समितिया सुचारू रूप कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। इन समितियों को वित्तीय रूप से अच्छा बनाने के लिये ऐसी 5 समितियों को 1980-81 के दौरान निम्नलिखित रूप में सहायता देने का प्रस्ताव किया है:—

1. ऐसी 5 समितियों को शेयर पूंजी प्रत्येक को 4000/- रुपये — 0.20 लाख रुपये
2. 5 समितियों को अनुदान प्रत्येक को 1000/- रुपये — 0.05 लाख रुपये

योग 0.25 लाख रुपये

4. चर्मकार सहकारी समितियां (0.40 लाख रुपये)

ऐसी कतिपय चर्मकार सहकारी समितियां हैं जो सुचारू रूप से कार्य करने के योग्य नहीं हैं। यहां तक कि फंडों की कमी के कारण कुछ सहकारी समितियों ने कार्य करना बंद कर दिया है। इन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिये 8 सहकारी समितियों को निम्नलिखित रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है:—

1. 8 समितियों को शेयर पूंजी 4000/- रुपये प्रत्येक को — 0.32 लाख रुपये
2. 8 समितियों को अनुदान 1000/- रुपये प्रत्येक को — 0.08 लाख रुपये

योग 0.40 लाख रुपये

5. परिवहन सहकारी समितियां (0.36 लाख रुपये)

परिवहन सहकारी समितियां जो कि फंडों की कमी के कारण समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं को पुनर्जीवित करने के लिये यह आवश्यक है कि इन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जाय। कुछ समितियों ने वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है लेकिन समुचित प्रबंधकीय सुविधाओं के अभाव के कारण ये सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। अतः ऐसी तीन समितियों को निम्नलिखित रूप में प्रबंधकीय अनुदान और शेयर पूंजी देने का प्रस्ताव किया है:--

1. 3 समितियों को शेयर पूंजी 10,000/- रुपये प्रत्येक को — 0.30 लाख रुपये
2. 3 समितियों को प्रबंधकीय अनुदान 2000/- रुपये प्रत्येक को — 0.06 लाख रुपये

योग 0.36 लाख रुपये

6. फर्नीचर सहकारी समितियां (0.25 लाख रुपये)

समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर दिलवाने के लिये और उन्हें अपने आजीविका कमाने के लिये समर्थ बनाने की दृष्टि से फर्नीचर सहकारी समितियों गठित करने व उन्हें आर्थिक रूप में सहायता देने का प्रस्ताव किया है। साधनों की कमी के कारण इस वर्ग के लोग निजी व्यापारियों की तुलना में कार्य करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं।

इन समितियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये 1980-81 के दौरान निम्नलिखित रूप में पांच समितियों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

1. 5 समितियों को शेयर पूंजी प्रत्येक को 4000/- रु. — 0.20 लाख रु.
2. 5 समितियों को अनुदान प्रत्येक को 1000/- रु. — 0.05 लाख रु.

योग 0.25 लाख रु.

दिल्ली के मास्टर प्लान के अधीन शहरी-करण के लिए प्रस्तावित उस 17000 हेक्टेयर क्षेत्र के जल निकास की व्यवस्था हो सकेगी जिसका शहरीकरण पहले ही हो चुका है । इसके अतिरिक्त, 60.000 हेक्टेयर ग्रामीण इलाके की भी जल निकासी की समस्या हल हो सकेगी । इस प्रायोजना की संशोधित अनुमानित लागत 451 लाख रुपए है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस योजना के लिए 193.00 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है । इस योजना के अधीन काम पूरा हो चुका है अब केवल अन्य सरकारी विभागों को अग्रिम भुगतान का काम करना बाकी है। मार्च, 1979 तक इस योजना के अधीन 341 लाख रुपये का खर्च हुआ । 1979-80 में इस योजना के लिए खर्च किए गए 31.21 लाख रु. की तुलना में 1980-81 में इसके लिए 10.00 लाख रु. की स्वीकृति मिली है ।

2. शाहदरा जल निकास योजना (120.00 लाख)

यमुना नदी के पूर्व स्थित क्षेत्र का शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है । इसलिए उसमें जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की जानी है। इस ओर यमुना तट की पूरी लम्बाई में बाढ़ रहने के कारण इस क्षेत्र का यमुना नदी में प्राकृतिक जल निकास सम्भव नहीं है । इसलिए 1972 में 219.00 लाख रु. की लागत की एक योजना तैयार की गई थी जिस योजना आयोग ने मंजूर कर लिया था । इससे पूरे क्षेत्र का जल निकास होता है। इस प्रायोजन को संशोधित किया गया है और इसकी संशोधित लागत 814.40 लाख रुपए है । छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए इस योजना के वास्ते 375.00 लाख रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । संशोधित प्रायोजना में निम्नलिखित निर्माण कार्य किए जाने हैं :-

1. नाला संख्या 1, गाजीपुर नाला और आउटफाल चेनल की पूर्ववर्ती मार्ग रेखा के साथ-साथ ट्रंक चेनल का निर्माण
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण नाला नं. 2
3. शाहदरा लिंक ड्रेन और (4) करावल नगर ड्रेन ।

संशोधित प्रायोजना के पूरा होने पर 8744 हेक्टेयर शहरी क्षेत्र और 6100 हेक्टेयर ग्रामीण क्षेत्र का जल निकास होता है। ट्रंक ड्रेन सं. 1,2 और करावल नगर ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है 1980-81 वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 120.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं जबकि 1979-80 में इस पर 133.78 लाख रुपये खर्च किए गए थे।'

3. बवाना एस्केप से दिल्ली हरियाणा सीमा तक मार्जिनल बांध का निर्माण (5.00 लाख रु.)

इस योजना पर अनुमानित लागत 44.00 लाख रु. है, इस परियोजना में यमुना नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ बवाना एस्केप के उत्तर में दिल्ली-हरियाणा बार्डर तक 11.2 कि. मी. लम्बा बांध बनाया जाना है । इस योजना के लिए 1979-80 में 2.31 लाख रु. के व्यय की तुलना में 1980-81 में 5.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

4. कंझावला खण्ड की जल निकास योजना (0.05 लाख रुपये)

यह एक लगातार चलने वाली योजना है । यह योजना मार्च 1975 में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में कंझावला ब्लाक में जल निकास के सुधार के लिए स्वीकृत की गई थी और इसके लिए 76.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत की मंजूरी मिली थी । यह योजना पूरी होने वाली है और इसके शेष बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 1980-81 के वास्ते केवल 0.05 लाख रु. का प्रावधान किया गया है ।

5. नजफगढ़ और कंझावला ब्लाक ग्रामीण तालाबों में जल निकास योजना (0.05 लाख रु.)

दिल्ली संघ राज्य के कंझावला और नजफगढ़ ब्लाक में बहुत से तालाब हैं । वर्षा ऋतु में इन तालाबों में बाढ़ आने के कारण आना-जाना रुक जाता है और यह पानी वहां के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है । अतः इन तालाबों का प्रवाह निकटतम नालों में करने के उद्देश्य से मार्च 1971 में एक योजना स्वीकृत की गई थी । जिसके अनुसार कुछ तालाबों को उनके निकटतम नालों से जोड़ा जा चुका है । इस योजना पर 1979-80 में वास्तविक व्यय 1.73 लाख रुपये हुआ जबकि वर्ष 1980-81 की योजना में इसके लिए 0.05 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है ।

6. बगरोला नाले का निर्माण (0.05 लाख रुपये)

यह स्कीम चौथी योजना से चली आ रही है । 9.39 लाख रु. की लागत की इस स्कीम को बगरोला शाहबाद आदि गांवों के जल निकास के लिए स्वीकृत किया गया था । यह योजना लगभग पूरी हो चुकी है । फिर भी इसमें से बचे हुए शेष दायित्वों के निर्वहण के लिए वर्ष 1980-81 में 0.05 लाख रु. का प्रावधान किया गया है ।

7. मालिकपुर जल निकास योजना (0.30 लाख रुपये)

इस योजना को वर्ष 1976-77 के दौरान स्वीकृत किया गया था किन्तु भूमि अधिग्रहण के कारण अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा सका । अब भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है और इस प्रकार 1980-81 की वार्षिक योजना में इसके लिए 0.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

8. बिजवासन नाले का निर्माण (0.05 लाख रुपये)

1967 की बाढ़ के बाद बिजवासन, मुहम्मदपुर आदि कुछ गांवों के जल निकास की जरूरत महसूस की गई । तदनुसार (6.99 लाख रु.) की अनुमानित लागत की एक योजना बनाई गई जो मंजूर कर दी गई । इस योजना के अधीन कार्य लगभग पूरा हो चुका है । अन्तिम बिलों आदि के भुगतान के लिए 1980-81 में 0.05 लाख रु. का टोकन प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

9. उत्तर प्रदेश की सीमा तक वजीराबाद बांध से ऊपरी धार पर बाएं फारवर्ड बांध का निर्माण (5.00 लाख रु.)

इस योजना के अन्तर्गत वजीराबाद बैरेज से दिल्ली उत्तर प्रदेश यू. पी. बार्डर सीमा तक यमुना नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ एक मार्जिनल बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया है । पूरी होने पर यह योजना लगभग 2100 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र को और इस नदी की पहुंच तक बाएं किनारे पर स्थित गांवों को भी बाढ़ से बचा सकेगी । इस योजना की अनुमानित लागत 34 लाख रुपए है। योजना के लिए ए/ए और ई/एस की प्रतीक्षा है। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम को शुरू करने के लिए 5.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

10. यमुना बैरेज की शेयर-लागत (0.25 लाख रुपये)

यमुना बैरेज का निर्माण थर्मल पावर स्टेशन को पावर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है । बैरेज को एक सड़क के पुल से जोड़ दिया गया है । इससे बाढ़ के दौरान यमुना नदी के मार्ग का पता लगाने में सहायता मिलती है ।यह त

किया गया था कि यमुना बैरेज के रख-रखाव और संचालन का खर्च उनसे लाभ उठाने वालों में बांट लिया जाए । इस निर्णय के अनुसार यह शेयर लागत बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा वहन की जाती है । इसके लिए 1980-81 की योजना में 0.25 लाख रु. का प्रावधान किया गया है ।

11. मदनपुर खादर जल निकास योजना (6.22 लाख रुपए)

इस योजना की अनुमानित लागत 23.19 लाख रुपये है । इसके द्वारा मदनपुर खादर, जैतपुर आदि गांवों में से पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है । इस योजना के निष्पादन के बाद दिल्ली के 1300 एकड़ क्षेत्र और हरियाणा के 1250 एकड़ क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिलेगी । यह योजना मुख्य रूप से 2500 क्यूसेक्स की क्षमता के एक नाले के निर्माण के लिए है जिसके दोनों ओर किनारे बने होंगे और जो यमुना नदी में गिरेगा । यह हरियाणा और दिल्ली प्रशासन की संयुक्त योजना होने की वजह से इस बारे में यदि अन्तर्राज्यीय समस्याएं होने के कारण इस पर अभी काम शुरू किया जाना है। इस स्कीम के लिए 1980-81 के वास्ते 6.22 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

12. बांकनेर सम्पर्क नाले का निर्माण (2.35 लाख रुपये)

लामपुरगांव की झील जिसमें अक्सर हरियाणा से बरसात का पानी आता रहता है वह अधिक वर्षा होने पर इतनी भर जाती है कि उसके आस-पास के इलाके में खेतों को पगडण्डियां भी डूब जाती हैं । इस क्षेत्र से तूफानी पानी का निकालने के लिए एक सम्पर्क नाला बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसका नाम बांकनेर लिंक ड्रेन होगा और जिसकी लम्बाई 5.85 कि. मी होगी । यह नाला हरियाणा बार्डर के पास नाला नं. 6 में गिरेगा और इसकी आउट-फाल की क्षमता 216 क्यूसेक्स होगी।

इस योजना की प्रत्याशित लागत 7.35 लाख रु. है । इसके लिए वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में 2.35 लाख रु. का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1979-80 के दौरान इस पर 0.41 लाख रु. खर्च किए गए ।

13. नांगलोई नाला फेज 1 और 2 का पुनर्निर्माण (19.00 लाख रुपये)

नांगलोई नाला फेज 1 के पुनर्निर्माण के लिए 30.5.77 को 5.75 लाख रु. की लागत की एक योजना टी. ए. सी. द्वारा स्वीकृत की गई थी । इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध भूमि 313 क्यूसेक्स पानी के प्रवाह का वहन करने के लिए इस नाले को चौड़ा और गहरा करना है । यह योजना अब पूरी हो चुकी है इसका दूसरा चरण अर्थात् 2000 क्यूसेक्स प्रवाह की क्षमता योग्य बनाने के लिए 36.75 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से नांगलोई नाले का पुनर्निर्माण करना टी. ए. सी. द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है । और इसे सी. डब्ल्यू. सी. के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ । इस स्कीम के लिए वर्ष 1980-81 की योजना में 12.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

14. छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 की नई योजनाएं नजफगढ़ नाले सहायक नाले का निर्माण (150.00 लाख रुपये)

नजफगढ़ नाले के लिए एक सहायक नाले के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि भारत नगर पुल से इस नाले के दोनों तरफ अधिक निर्माण हो जाने के कारण मौजूदा नाले की क्षमता को और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता । इस प्रमुख स्कीम जिसकी स्वीकृति अभी भारत सरकार से मिलनी है, के अतिरिक्त निम्नलिखित दो योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

(क) जी. टी. रोड से नजफगढ़ नाले को पुराने मार्ग तथा रोड नं. 50 के साथ-साथ सहायक नाले के पायलट रूट के निर्माण की योजना :

इस योजना के अधीन जी. टी. रोड से नजफगढ़ नाले के पुराने मार्ग तक रोड नं. 50 के साथ-साथ सहायक नाले के पायलट कट का निर्माण करना है । चूंकि सहायक नाले का निर्माण करना एक बहुत बड़ा काम है और इसे एक ही कार्य समय में पूरा करना सम्भव न होगा इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि फिलहाल प्रारम्भिक चरण में बवाना एस्केप और नाला नं. 6 के बहाव को सम्भालने के लिए 1150 क्यूसेक्स के वास्ते रोड नं. 50 के साथ-साथ सहायक नाले का निर्माण किया जाए । वर्तमान स्कीम में हालांकि 1150 क्यूसेक्स का प्रवाह वहन करने के लिए सहायक नाले के पायलट कट के निर्माण की व्यवस्था की गई है तथापि भूमि अंततः 10,000 क्यूसेक्स की क्षमता के लिए अर्जित की जा रही है । बहरहाल 5,000 क्यूसेक के लिए इसके ढांचे बनाए गए हैं और उनका निर्माण इस ढंग से किया गया है कि आगे चल कर उन्हें 10,000 की क्षमता तक बढ़ाया जा सके ।

इस स्कीम के निष्पादन से अलीपुर ब्लाक को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत मिलेगी । इस स्कीम की अनुमानित लागत 85.010 लाख रुपये है ।

(ख) यमुना नदी में गिरने वाले सहायक नाले के निर्माण की योजना ।

वर्तमान योजना एक ऐसे सहायक नाले के निर्माण के लिए है जिसका पिछला हिस्सा विभिन्न जल निकास मार्गों, जैसे छोटी नालियों और प्रमुख नालियों से जुड़ा होगा । इसलिए इसकी खुदाई में काफी समय लगेगा क्योंकि प्रमुख जल निकास और नालियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना या दुबारा बनाना पड़ेगा । यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस खुदाई से निकलने वाले पत्थरों का उपयोग यमुना नदी के लिए भूमि का कटाव रोकने के कार्य के वास्ते किया जा सकता है । इससे नाले के निर्माण में किफायत होगी जैसा कि इसके अनुमान में किया गया है । वजीराबाद रोड से नजफगढ़ नाले के मोड़ तक नजफगढ़ नाले का पुराना मार्ग सहायक नाले का हिस्सा बनाएगा । इस स्कीम की अनुमानित लागत 42.25 लाख रु. है और इसे भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

1979-80 में इस योजना पर खर्च किए गए 43.16 लाख रु. की तुलना में 1980-81 में इसके लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

15. मुण्डेला खुर्द जल निकास योजना (25.00 लाख रुपये)

नजफगढ़ गांव में मुण्डेला खुर्द और मुण्डेला कलां आदि कुछ गांवों में जल निकासी की तंगी को रोकने के लिए 31.40 लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी । इस योजना के दो भाग हैं ।

पहले भाग में स्थानीय क्षेत्र की जल निकास समस्या को हल करने के लिए मुण्डेला खुर्द गांव से उप धारा में नजफगढ़ नाले में गिरने वाले एक नाले का निर्माण किया जाना है । 10.80

लाख रुपये की यह योजना स्वीकृत हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है ।

दूसरे भाग में दिल्ली-हरियाणा बार्डर के साथ-साथ एक बांध और नजफगढ़ नाले में निचली धारा में गिरने वाले एक नाले का निर्माण किया जाना है । इसके लिए 1980-81 में 25.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1979-80 में 8.57 लाख रुपये खर्च किए गए थे ।

16. आर. डी. ओ. से आर. डी. 31.500 तक करारी सुलेमान नगर नाले का पुनर्निर्माण (5.00 लाख रुपये)

इस योजना में जल निकास के ड्राफ्ट मास्टर-प्लान द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार करारी सुलेमान नगर नाले के पुनर्निर्माण की व्यवस्था है क्योंकि इसकी वर्तमान क्षमता अपर्याप्त है जिसके कारण कंझावला ब्लाक के गांवों में जल निकास की मुश्किल होती है । इस योजना की अनुमानित लागत 14.98 लाख रुपये है । इसे टी. ए. सी. ने मंजूर कर लिया है । 1979-80 में इस पर खर्च किए गए 3.92 लाख रुपये की तुलना में 1980-81 में इसके लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है ।

17. नाला नं. 6 और बवाना एस्केप का नए मार्ग के साथ निर्माण और बवाना एस्केप बांध को पक्का करना (30.00 लाख रु.)

इस स्कीम में नाला नं. 6 के आउट-फाल से सहायक नाले तक एक सम्पर्क का निर्माण करना है । इसमें रेगुलेटरों का निर्माण भी शामिल है । इस स्कीम में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाइन से इसके आर. एन. ई. के जंक्शन तक बवाना एस्केप के किनारे को ऊंचा और मजबूत करने की व्यवस्था भी की गई है ताकि यह नाला नं. 8 के मोड़ या 8 ई. एम. ई. (एक्सटेंशन) में दरार आने की स्थिति में पहली सुरक्षा लाइन के रूप में काम आ सके । इस स्कीम की अनुमानित लागत 11.44 लाख रुपये है । वर्ष 1979-80 में इस पर 38.18 लाख रुपये खर्च किए गए थे जबकि 1980-81 में इस योजना के लिये 30.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हो चुका है ।

18. नजफगढ़ झटीकरा के आर. डी. ओ. से आर. डी. 15500 आर. डी. 21500 तक जल निकास के बाएं किनारे पर झील के माध्यम से पत्थर लगाना (5.00 लाख रुपये)

इस योजना में नजफगढ़ झील के अकेले किनारे को लहरों के टकराव के कारण इसके गिरने से बचाव की व्यवस्था है । इसे टी. ए. सी. ने अनुमोदित कर दिया है । 21.24 लाख रु. की लागत की इस योजना को जनवरी, 1979 में भारत सरकार की मंजूरी मिली है । 1979-80 में इस पर 15.69 लाख रुपये खर्च किए गए थे जबकि 1980-81 के लिये 5.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

19. वर्ष 1977 की बाढ़ के परिणाम-स्वरूप ढांसा से भारत नगर पुल तक नजफगढ़ नाले की क्षमता को बढ़ाने की योजना (370.00 लाख रु.)

यह योजना नजफगढ़ नाले की विद्यमान 3,000 क्यूसेक्स क्षमता को ढांसा बांध से ककरौला पुल तक 8,000 क्यूसेक्स और ककरौला से भारत नगर पुल तक 10,000 क्यूसेक्स तक बढ़ाने के लिए है। इसमें इस नाले को ऐसे स्थानों में से ले जाने की व्यवस्था भी शामिल है जहां निर्धारित क्षमता के लिए चीनी मिट्टी की पाइप लाइन के लिए भूमि की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है । किनारे पर वक्र स्थलों और बजरी वाले मार्ग पर पत्थर बिछाने का प्रावधान भी किया गया है । प्रवेश द्वारों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है । 1877.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर यह योजना जुलाई 1979 में योजना आयोग द्वारा मंजूर की जा चुकी है और इस पर काम शुरू हो गया है । वर्ष 1979-80 के दौरान इस पर 251.57 लाख रुपये खर्च हुए थे जबकि 1980-81 में इस 'स्कीम' के लिए 370.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित हो चुका है ।

20. मंगेशपुर नाले का आर. डी. ओ. से आर. डी. 34,000 तक पुनर्निर्माण (2.00 लाख रु.)

यह स्कीम जल निकास के बारे में मास्टर-प्लान रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार कंझावला ब्लाक के गांवों में जल निकास की समस्या को दूर करने के लिए यह स्कीम मंगेशपुर नाले की 900 क्यूसेक्स की विद्यमान क्षमता में सुधार लाकर उसे 1800 क्यूसेक्स तक बनाने के लिए तैयार की गई है । इसकी अनुमानित लागत 14.47 लाख रुपये है । वर्ष 1980-81 के लिए इस स्कीम के वास्ते 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

21. बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए पम्पों की खरीद (2.00 लाख रुपये)

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने ही बेकार सूने स्थल हैं जहां वर्षा ऋतु में बाढ़ का पानी भर जाता है और वर्षा ऋतु के बाद रबी की फसल बोने के लिए वहां से बाढ़ का पानी निकालना पड़ता है । ऐसे स्थलों से पानी निकालने के लिए वहां पम्प लगाने होंगे। वर्ष 1979-80 में पम्प आदि की खरीद पर 2.75 लाख रुपये खर्च किये गये थे जबकि 1980-81 में इस योजना के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हो चुका है।

22. बवाना नाले का पुनर्निर्माण (1.00 लाख रुपए)

यह स्कीम कंझावला ब्लाक में बवाना गांव की जल निकास की समस्या को हल करने के लिए बवाना नाले की मौजूदा क्षमता में सुधार लाने के लिए है । इस नाले की मौजूदा क्षमता बहुत कम है । इसमें कई गांवों में जल निकास की कठिनाई हो जाती है और नुकसान भी होता है । अतः इस नाले की जल निकास क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से लगभग 5.69 लाख रुपये की लागत की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है । बवाना नाले के पुनर्निर्माण के लिए 1979-80 में 1.92 लाख रु. का व्यय किया गया था जबकि 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हुआ है ।

23. सुल्तानपुर नाले का पुनर्निर्माण (1.00 लाख रुपये)

यह योजना कंझावला ब्लाक के बहुत से गांवों को राहत पहुंचाने के लिए जल निकास की विद्यमान क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है । मास्टर-प्लान के अनुसार इस नाले की क्षमता बढ़ाने के लिए 2.37 लाख रुपये की एक स्कीम मई, 1979 में अनुमोदित की गई थी । 1979-80 में इस पर 0.46 लाख रुपये खर्च हुआ जबकि 1980-81 में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

24. 1978-83 की अवधि के दौरान अन्य छोटे बांधों का निर्माण (3.00 लाख रुपए)

यह स्कीम गांव की आबादियों को बाढ़ से बचाने के लिए बांधों के निर्माण की व्यवस्था के बारे में है। 3.70 लाख रुपये की लागत की एक स्कीम छावला बिजवासन रोड के साथ-साथ मिट्टी का बांध बनाने के लिए स्वीकृत हो चुकी है । करावल नगर में बांध बनाने की दूसरी योजना प्रस्तुत की जा

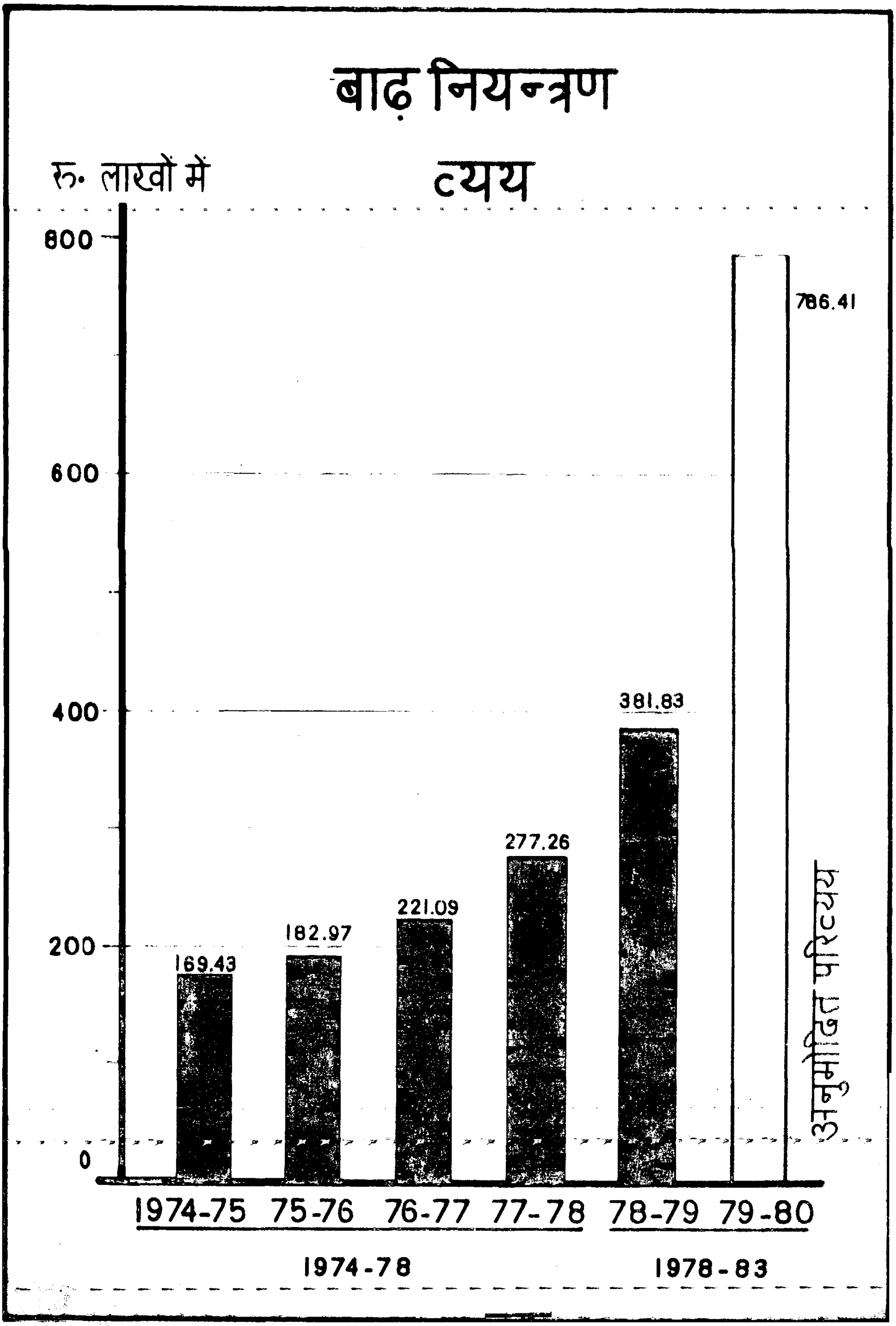

बाढ़ नियन्त्रण
व्यय
रु॰ लाखों में
800
600
400
200
0
169.43
182.97
221.09
277.26
381.83
786.41
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

विद्युत शक्ति

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिजली सम्बन्धी कार्य का निष्पादन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दिल्ली नगर निगम) और नई दिल्ली नगर पालिका की योजना के अधीन किया जा रहा है। बिजली के उत्पादन, प्रसार और वितरण का काम दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का है जबकि नई दिल्ली नगर पालिका अपने क्षेत्र में बिजली का प्रसार और वितरण करने के लिए उत्तरदायी है। नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली विद्युत प्रदाय (दिल्ली नगर निगम) से बिजली लेती है। नई दिल्ली नगर पालिका के अतिरिक्त दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मिलिट्री इन्जीनियर सर्विस और दिल्ली कैंट को भी उनके क्षेत्रों में वितरण के लिए बिजली की सप्लाई करता है।

1978–83 की पंचवर्षीय योजना के लिए 12500 लाख रुपये का परिव्यय (दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए 11365 लाख रुपये और नई दिल्ली नगर पालिका के लिए 1135 लाख रुपये) स्वीकृत किया गया है। 1978–79 के दौरान 2515.10 लाख रुपये का व्यय हुआ। 1979–80 की वार्षिक योजना में स्वीकृत परिव्यय 2175.00 लाख रुपये था जबकि इस दौरान इस पर 3090.44 लाख रुपये खर्च हुआ। इसके अलावा पुनर्वास बस्तियों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी 500 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। 1979–80 में सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली विद्युत प्रदाय के मुख्य रूप से 11 के वी और एल वी टी और डी कार्यों के अधीन थी। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 2301.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है (2071 लाख रुपये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए और 230 लाख रुपये नई दिल्ली नगर पालिका के लिए है)। प्रत्येक एजेन्सी और स्कीम के अनुसार विवरण इस प्रकार है:–

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान:–

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिजली की मांग का दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने उत्पादन केन्द्रों से पूरा कर रहा है। जिसकी संस्थान क्षमता 315 मेगावाट है। (इसमें एच.एस.ई.बी. और बी.टी.पी.एस. की ओर से स्थापित 62.5 मेगावाट का एक यूनिट भी शामिल है)। वर्ष 1979-80 के लिए अधिकतम अनुमोदित मांग 518 मेगावाट थी।

इसकी तुलना में यह मांग एक बार 468 मेगावाट हो गई जबकि इसकी खपत कम करने के लिए कई उपाय किए गए जैसे कि औद्योगिक छुट्टियों को व्यवस्थित करना, नियॉन साइन के लिए बिजली के उपयोग पर और सजावट आदि कार्यों के लिए ऊर्जा के उपयोग पर रोक लगाना। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 10 वें लोस सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1980-81 के लिए बिना किसी रोक-टोक के अधिकतम मांग 567 मेगावाट होगी। विवरण की सारणी निम्नलिखित है:—

विद्युत शक्ति की वर्षों के अनुसार स्थिति और मांग में कमी

(मेगावाट में)

क्र० सं०	विवरण	1977–78	78–79	79–80	80–81	81–82	82–83	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिल्ली की प्रत्याशित मांग	400 वास्तविक	441 वास्तविक	518*	567*	624*	687*	
2	दि० वि० प्र० सं० के उत्पादन केन्द्र से उपलब्ध बिजली मेगावाट में . .	176	176	176	176	176	176	
3	कमी (1–2)	224	265	342	391	458	511	
4	केन्द्रीय उत्पादन प्रोजेक्ट से उपलब्ध बिजली							
	(1) बी० टी० पी० एस० .	200	200	300	300	300	300	
	(2) सिंगरोली सुपर थर्मल स्टेशन से	--	--	--	--	--	--	
	(3) बेरसुल से . .	--	--	--	17	17	17	अभी तक कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।
	(4) सलाल से	--	--	--	--	--	--	सुनिश्चित किया जाना।
	कुल उपलब्धि . .	200	200	300	317	317	317	
	कमी (3-4) . .	–24	–65	–42	–74	–141	–194	

*केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 10वें ए० पी० एस० के अनुसार मांग।

पावर

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

कुल
2301.00

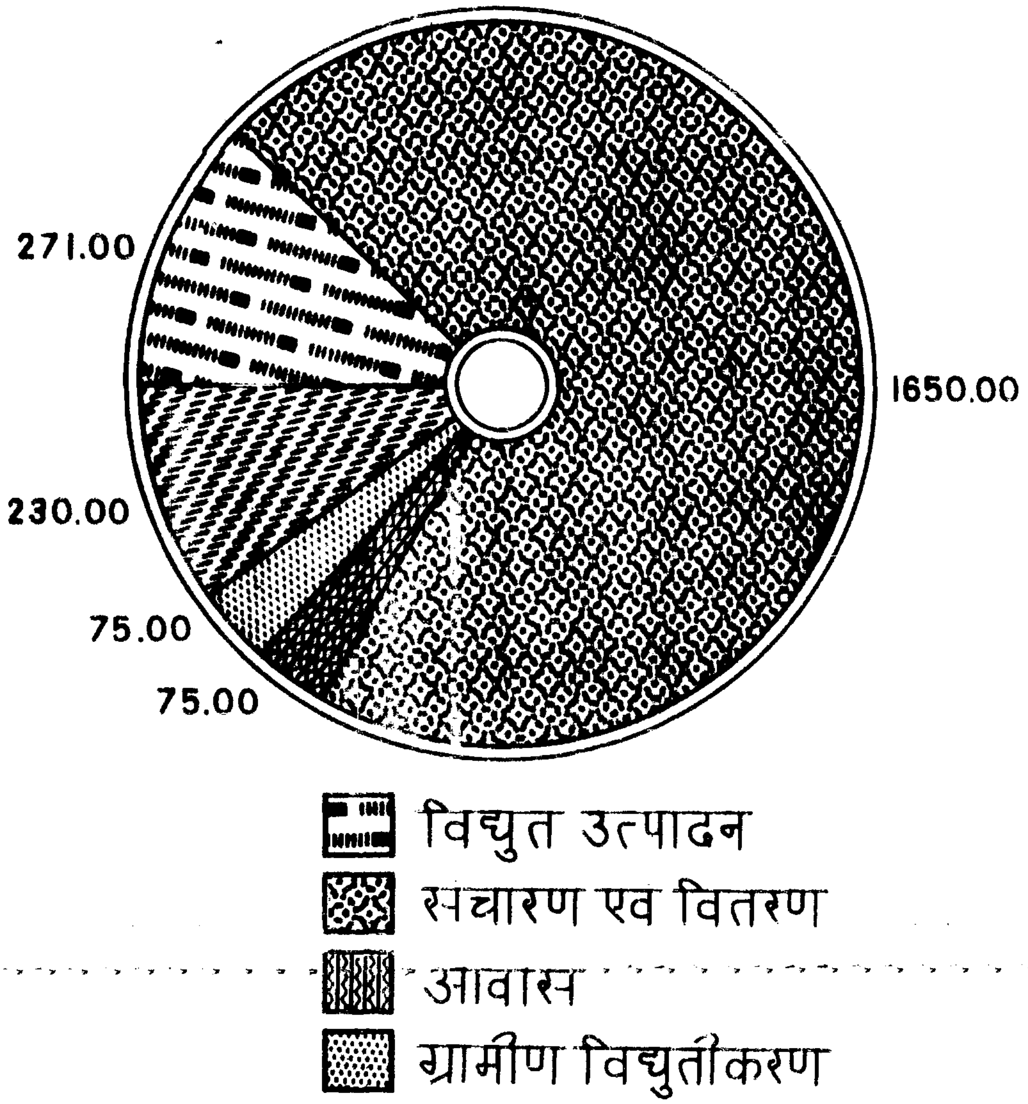

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अपने उत्पादन संयंत्र से अधिक बिजली की मांग को बदरपुर थर्मल स्टेशन से पूरा करना होगा । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) और ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि बी. टी. पी. एस. उत्पादन पहले दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की आवश्यकता को पूरा करे और केवल इस संस्थान की आवश्यकता से अधिक उत्पादन को ही बाह्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए । ऊर्जा उत्पादन के आयात का वर्षों के अनुसार ब्यौरा बताते हुए एक सारणी परिशिष्ट------4·1-----पर दी गई है:–

यद्यपि 2×110 मेगावाट थर्मल जनरेटिंग सेट और 3×50 मेगावाट गैस टरबाइन जनरेटिंग सेट की स्थापना के सम्बन्ध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है तथापि योजना आयोग और शक्ति विभाग दोनों ही नए जनरेटिंग सेट के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए । 1980-81 के लिए वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर योजना आयोग में चर्चा के दौरान आयोग ने यह सुझाव दिया कि दिल्ली की बिजली सम्बन्धी पूरी मांग इसके अपने मौजूदा उत्पादन से पूरी की जाए और अनुपूरक पावर सप्लाई बदरपुर और नार्दर्न, ग्रिड से ली जाए। दिल्ली की दीर्घकालीन जरूरतें सुपर थर्मल स्टेशन और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से पूरी की जाएंगी।

. जनरेशन स्कीम (आगे चलने वाली योजनाएं)

क. वायु दूषण नियन्त्रण

(1) यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ ई एस पी का प्रावधान (270 लाख रुपये)

इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की स्थापना करने के लिए 585 लाख रुपये की स्वीकृत प्रायोजना कार्यान्वित की जा रही है जिस पर 2·09 करोड़ अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा लगेगी । इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में यूनिट नं. 1 के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों आदि की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है ।

यूनिट 2, 3 और 4 के साथ इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की व्यवस्था के बारे में अमेरिका के मैसर्स यू. आ. पी. के साथ अन्तिम रूप से समझौता कर लिया गया है । जिसके परिणामस्वरूप आयात किए जाने वाले सामान के लिए (लेटर ऑफ क्रेडिट), **प्रमाणित कर दिया गया है ।**

वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 270 लाख रुपए का परिव्यय निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है :—

	(रुपये लाखों में)
1 आयातित सामान पर सामान के मूल्य के 70 प्रतिशत की दर से अन्तर्देशीय माल भाड़ा, सीमाशुल्क और अन्य ऊपरी खर्च	110
2. देशी माल और सेवाओं के लिए बैलेंस भुगतान ।	47
3. इलैक्ट्रिक सप्लाई और सिविल कार्यों सहित स्थल सुविधाएं ।	20
4. पांचवी यूनिट ई.पी. सामान की सप्लाई करने पर प्रत्याशित आंशिक भुगतान ।	83
कुल	260

इसके अतिरिक्त यूनिट नं. 2, 3 और 4 के लिए 'राख निपटान कार्य प्रणाली" का विस्तार करने के वास्ते (अर्थात् एक्स्ट्रेक्शन वाल्व और राख निपटान कार्य पाइप एवं स्थापना व्यय के लिए) 10·00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

वार्षिक योजना 1980–81 के दौरान आयातित सामान पहुंचना आरम्भ हो जाएगा । यूनिट 2, 3, 4 के साथ ई. एस. पी. की स्थापना करने और बिजली की पूर्ति तथा सिविल कार्यों सहित जगह की सुविधाएं प्रदान करने का काम आरम्भ हो जाएगा । इन यूनिटों में ऐश हैण्डलिंग का काम आरम्भ हो गया है । इस स्कीम के लिए 270 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(ख) यूनिट नं. 1 के साथ निपटान प्रणाली का सुधार

86·51 लाख रुपये की लागत की यह स्कीम स्वीकृत हो चुकी है । स्कीम लगभग पूरी हो चुकी है और 1980-81 में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

(ग) इन्द्रप्रस्थ स्टेशन एक्सटेंशन के 5वें यूनिट का बकाया भुगतान (1·00 लाख रुपये)

इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के 5 वें यूनिट के बकाया प्रभारों का भुगतान करने के लिए 1·00 लाख रुपये के प्रावधान की सहमति मिल गई है ।

(2) संचारण और वितरण योजनाएं

छठी योजना के अन्त तक अर्थात् 1982–83 तक दिल्ली संघ राज्य की बिजली की मांग 687 मेगावाट तक बढ़ जाने की उम्मीद है । जैसा कि पहली सारणी में दिखाया गया है । 1982-83 की मांग पर आधारित ट्रांसमिशन सिस्टम, सब ट्रांसमिशन सिस्टम वितरण प्रणाली निश्चित हो चुकी है और प्रायोजना रिपोर्ट बना दी गई है । उपर्युक्त प्रणाली/स्कीम के अधीन कार्य-क्षेत्र की सहमति सी. ई. ए. में मिल चुकी है। सहमति प्राप्त कार्य-क्षेत्र पर आधारित प्रस्ताव 1980–81 की वार्षिक योजना में अनुमोदित हो गये हैं ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि जैसी विकासशील एजेंसियों के विकास के कारण बदली हुई मांग और सामान्य रूप से बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके ।

प्रत्येक योजना के अधीन किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य सी. ई. ए. द्वारा पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और उनका स्वीकृत परिव्यय इस प्रकार है:–

(1) 220 कि. वा. संचारण प्रणाली (195 लाख रुपये)

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं की अनुमोदित प्रायोजना रिपोर्ट के अधीन दिल्ली के चारों ओर 4 से 220 कि. वा. सब स्टेशनों अर्थात् (1) नरेला, (2) नजफगढ़, (3) महरौली, (4) पटपड़गंज सहित डी/सी 220 कि. वा. ट्रांसमिशन-रिंग पहले ही स्थापित कर चुका है । सैंट्रल ट्रांसफारमर की मरम्मत कार्यशाला स्थापना नजफगढ़ सब स्टेशन पर आवासीय यूनिट का निर्माण पूरा करने, अतिरिक्त ट्रांसफारमर यूनिट जैसे उपकरणों की स्थापना, और नजफगढ़ में दूसरा 50 एम. ए. वी. ए. लगाने से सम्बन्धित कार्यों के सिवाय चलती रहने वाली योजनाओं से सम्बद्ध बाकी काम पूरा हो चुका है । 1980-81 की वार्षिक योजना में इन कार्यों को पूरा करने के लिए 45 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

220 कि. वा. कार्य, ट्रांसमिशन सिस्टम (नई स्कीमों) जिनकी अनुमानित लागत 6.18 करोड़ रुपये है, की प्रायोजना रिपोर्ट हाल ही में स्वीकृत हुई है। स्वीकृत कार्य क्षेत्र में महरोली सब स्टेशन (2×100 एम. वी. ए.) नजफगढ़ सब स्टेशन (2×100 एम.वी.ए. के विस्तार/संशोधन से सम्बन्धित कार्य तथा इन सब स्टेशनों पर 66 के. वी. वोल्टेज स्तर के उपकरण लगाने के लिए इनके स्विचयार्ड के संशोधन से सम्बन्धित कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों के लिए 1980-81 के वास्ते 150 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

नई योजनाओं के अधीन प्रमुख 66 के.वी. उपकरणों जैसे कि 66 के.वी. अविर ट्रांसफोरमर, ब्रेकर, आइसोलेटर के बारे में खरीद के आदेश प्रस्तुत कर दिए गए हैं। पी.टी. एस. सी. टी. एम. ए. एल. ए. एस. जैसे अन्य उपकरणों और कन्ट्रोल-रिले पेनल आदि के बारे में खरीद के आदेश शीघ्र ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सामान्य बिक्री सप्लाई के लिए भुगतान करने के वास्ते फण्ड की आवश्यकता होगी। बरारी में शीघ्र ही भूमि का नियतन किया जाने वाला है। इस सब स्टेशन पर भूमि का स्तर एक जैसा बनाने तथा स्टोर, शेड और चार-दीवारी आदि का निर्माण करने का काम शुरू किया जाएगा व उपकरणों के ढांचे मुहैया करने से सम्बन्धित अग्रिम काम भी शुरू किया जाएगा।

नई दिल्ली के नाजुक क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था में सुधार करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने शंकर रोड और उपर रिज रोड के चौराहे पर 220 के.वी. एस/एस की स्थापना करने के लिए सी.ई.ए. को रिपोर्ट भेज दी है। यह एस/एस 220 के.वी. और 33 के.वी. सिस्टम पर पावर विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा और पावर सप्लाई की व्यवस्था में सुधार लाएगा। इस स्कीम की मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है।

1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 195 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हो चुका है जो इस प्रकार है :—

चलती रहने वाली योजनाएं	45 लाख रुपये
नई योजनाएं	150 लाख रुपये
कुल	195 लाख रुपये

(2) 66 के. वी. ट्रांसमिशन स्कीम (200 लाख रुपये)

दीर्घकालीन योजना का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ है कि सब ट्रांसमिशन के लिए अपनाया गया मौजूदा 33 के. वी. वोल्टेज स्तर पर्याप्त और किफायती नहीं है क्योंकि भार केन्द्रों पर भारी मात्रा में पावर लानी पड़ती है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 66 के. वी. के अलावा और कोई ऊंची वोल्टेज किफायती नहीं है। इसलिए भीतरी रिंग रोड के बाहर के क्षेत्र में 66 के. वी. सैकेन्डरी ट्रांसमिशन वोल्टेज प्रारम्भ करने के लिए सी.ई.ए. की सहमति मिल गई है जबकि मौजूदा 33 के.वी. सब ट्रांसमिशन वोल्टेज केवल रिंग रोड के अन्दर के क्षेत्रों के लिए ही सीमित होगा। 18.71 लाख रुपये की अनुमानित लागत की प्रायोजना रिपोर्ट हाल ही में स्वीकृत हुई है। इस प्रायोजना के अधीन 16 नं. 66/33/66/11 के.वी. सब स्टेशन और 58.5 कि. मी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करना, सम्बन्धित सिविल कार्य, आवासीय यूनिटों का प्रावधान, क्षति कम करने के लिए शन्ट कैपेसिटर की व्यवस्था करना, पावर लाइन संचार प्रणाली आदि काम किए जाने हैं।

लॉग डिलीवरी मेजर सब स्टेशन सम्बन्धी उपकरण के बारे में खरीद के आदेश दे दिए गए हैं जबकि कण्ट्रोल और रिले-बोर्ड, लाइटनिंग एरेस्टर, करंट ट्रांसफारमर, पोटेन्शियल ट्रांसफारमर आदि जैसे अन्य उपकरणों के लिए खरीद के आदेश दिए जा रहे हैं। सब स्टेशन के ढांचे से संबन्धित सामग्री जिसमें बस बार और हार्डवेअर फिटिंग का सामान भी शामिल है, के बारे में तथा ढांचा खड़ा करने और साथ ही साथ 66 के. वी. टावर लाइन चालू करने के काम के बारे में शीघ्र ही टेण्डर आमन्त्रित करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सब स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण से मामला चलाया है और इस विषय में कोई कठिनाई नहीं हुई। डी/सी टावर लाइन बनाने के लिए सही रास्ता प्राप्त करने के वास्ते सर्वेक्षण कार्य भी आरम्भ हो गया है। नियंत्रण कक्ष की इमारत का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है।

1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 66 के. वी. उपकरणों की अदायगी करने के वास्ते 200 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हो चुका है। इन उपकरणों के लिए खरीद के आदेश दे दिए गए हैं और सिविल कार्यों के लिए 66 के. वी. टावर लाइनों के निर्माण तथा बचे हुए शेष 66 के. वी. सब स्टेशन के लिए भूमि अभिग्रहण करने के बारे में कान्ट्रेक्ट देने के वास्ते आदेश दिए जा रहे हैं।

(3) 33 के. वी. सब ट्रांसमिशन स्कीम (200 लाख रुपये)

सी. ई. ए. द्वारा सहमति प्राप्त 33 के. वी. सब ट्रांसमिशन (नई स्कीम) के कार्य क्षेत्र में योजना की अवधि में नं. 14 के नए सब स्टेशन स्थापित करने का काम सम्बन्धित क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई खपत को पूरा करने के लिए कई अन्य स्टेशनों को विस्तार करने का काम और 33 के. वी. ओ/एच तथा यू/जी फीडर स्थापित करने/लगाने की व्यवस्था करना तथा सिविल कार्य एवं शंट केपेसिटर का प्रावधान किया गया है। प्रमुख उपकरण जैसे कि पावर ट्रांसफोरमर, स्विच गियर, आइसोलेटर आदि पहले ही लगाए जा चुके हैं तथा वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए उपकरण पहुंचने शुरू हो जाएंगे।

इस स्कीम के अधीन वार्षिक योजना 1980-81 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

1. 35 एम.वी.ए. द्वारा विस्तार सहित 200 एम.वी.ए. ट्रांसफोर्मेशन क्षमता चालू करना।
2. डी/सी टावर लाइन को छोड़कर ओ/एच, यू/जी लाइनों 56 के एम एस चालू करना।

1980-81 की वार्षिक योजना में भूमि व भवन सब स्टेशन के उपकरण और लाइन उपकरणों के लिए 200 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।

(4) 11 के. वी. और एल वी. वितरण स्कीम (955 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वितरण प्रणाली के लिए 11 के. वी. और एल.वी. वोल्टेज लेबल अपनाया गया है। मांग पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन इलाकों में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है वहां उसकी वितरण प्रणाली का सुधार और विस्तार किया जाए। और जिन क्षेत्रों में बिजली लगाई जानी है उनमें नई व्यवस्था की जाए 11 के. वी. और एल. वी. के लिए दि. वि. प्र. संस्थान की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सुधार और विस्तार कार्य करने से सम्बन्धित है तथा जिसमें ट्रांसमिशन और वितरण सम्बन्धी हानियों को घटाने की जरूरत का ध्यान

रखते हुए कालोनी में बिजली लगाना भी शामिल है सी ई ए द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ।

11 के. वी. और एल वी वितरण कार्य के अधीन कार्य क्षेत्र की सहमति मिल गई है जिसमें कालोनियों में बिजली लगाने का काम भी शामिल है । यह प्रायोजना रिपोर्ट सी ई ए द्वारा अनुमोदित है । प्रायोजना रिपोर्ट में सब स्टेशनों का विस्तार और सुधार, स्टेशनों पर स्विच लगाना, 11 के. वी. और एल वी लाइन, सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था करना, टी और डी स्टाफ के लिए आवासीय यूनिट, कार्यालय भवन का निर्माण करना आदि कार्य शामिल किए गए हैं ।

1980-81 की वार्षिक योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।

1	सब स्टेशन क्षमता	90 एम. वी. ए.
2.	11 के. वी. और एल वी लाइन	450 के एम एस
3	सर्विस कनेक्शन	35000 नं.

1980-81 के लिए 955 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(5) पुनर्वास बस्तियों में बिजली की व्यवस्था (50 लाख रुपये)

पुनर्वास कालोनियों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग रहते हैं । जबसे इन बस्तियों में अन्य सेवाएं और बुनियादी तौर पर अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं तब से इनमें बिजली की व्यवस्था करने की जोरदार मांग की जा रही है । दि. वि. प्र. संस्थान ने इन बस्तियों में बिजली लगाने के लिए प्रस्ताव बनाए हैं । इन प्रस्तावों पर योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों में विचार किया गया । 150 लाख रुपये तक सहायता अनुदान की व्यवस्था करने का जो फैसला आवास व निर्माण मंत्रालय ने किया उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदाय ने कुछ कालोनियों में बिजली लगाने का काम 1978-79 में चालू कर दिया था। यह कार्य प्रगति पर है और 1980-81 में जारी रहेगा ।

अभी हाल में अनुमोदित की गई प्रायोजना रिपोर्ट में 1980-81 के दौरान सात कलोनियों में बिजली की व्यवस्था करना और लगभग 10000 विद्युत कनेक्शन दिए जाने का काम शामिल है । इस स्कीम के वास्ते 1980-81 के लिए 50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है । पुनर्वास बस्तियों में बिजली की व्यवस्था के लिए 1979-80 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी 500 लाख रुपया दिया गया है ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप कनेक्शन, औद्योगिक कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन की व्यवस्था के लिए प्रणाली सुधार (75 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सभी गांवों में भी बिजली की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है । अभूतपूर्व सूखे के कारण गांवों में कृषि सम्बन्धी कार्यों और नलकूपों के लिए बिजली की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 1979-80 में 300 नलकूप कनेक्शन का लक्ष्य था जिसकी तुलना में, 1033 कनेक्शन दिए गए । सूखे से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए कम से कम समय में अधिक से अधिक ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भारी अभियान चलाया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार लाने और ट्यूबवेल कनेक्शन आदि की व्यवस्था के लिए काम शुरू करने के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । इस स्कीम के अधीन 1980-81 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य, निर्धारित किए गए हैं:–

सामान्य कनेक्शन	3000 नं.
ट्यूबवेल कनेक्शन	400 नं.

4. टी और डी स्टाफ के लिए आवास (75 लाख रुपये)

पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान पंखा रोड पर 906 आवासीय यूनिट का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ इस संस्थान के पास 2200 आवासी यूनिट हो गए हैं जबकि इसकी स्टाफ संख्या 25000 है । इससे 9 प्रतिशत स्टाफ के लिए आवास की उपलब्धता होती है । 1152 और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए दो स्कीमें आरम्भ की गई हैं एक शालीमार बाग में और दूसरी सराय कालेखां में। इन आवासीय यूनिटों का निर्माण हो जाने से कुल उपलब्धता 3352 अर्थात कर्मचारियों का 13.40 प्रतिशत हो जाएगी ।

टी और डी स्टाफ के लिए आवास निर्माण करने से सम्बन्धित कार्य शालीमार बाग और सराय कालेखां में किया जा रहा है । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच निर्माण व आवास मंत्रालय में की जा रही है । आवासीय यूनिटों का "क्षेत्र व प्रकार" भारत सरकार, निर्माण मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार है । और इस सम्बन्ध में जांच कार्य व सहमति शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । 1980-81 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 75.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है ।

निर्धारित प्रोफार्मों में अपेक्षित सूचना पी. आर. आई, पी. आर. 5 से 7 तक इसके बाद की सारणियों में दी गई है ।

नई दिल्ली नगर पालिका

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में विद्यमान उपभोक्ताओं द्वारा एयर कण्डीशन और बिजली के अन्य साधनों का अधिक इस्तेमाल किए जाने की वजह से बिजली की अधिक खपत होने के अतिरिक्त कनाट प्लेस सी आई जैड क्षेत्र आदि में वाणिज्य के और रिहायशी दोनों प्रकार की अनेक बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के कारण उक्त क्षेत्र में बिजली की मांग निरंतर बढ़ रही है ।

वर्ष 1979-80 में अधिकतम 107 एम वी ए तक बिजली की मांग की आशा थी । यही मांग अब 1980-81 में 140 एम वी ए तक बढ़ जाने की सम्भावना है । लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका को अपनी एच टी और एल टी वितरण प्रणाली का विस्तार करना है । इस प्रायोजना के लिए वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त नए 33 के वी और 11 के वी सब स्टेशन स्थापित करने की जरूरत है। वितरण प्रणाली को अधिक निर्भरयोग्य बनाने के लिए ओवरहेड लाइनों के स्थान पर जमीन के नीचे लाइन बिछाई जा रही है आशा है कि 1982 तक यह कार्य अन्तिम रूप से पूरा हो जाएगा।

नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विधुत प्रदाय संस्थान से 12 स्टेशनों पर भारी मात्रा में 11 के. वी. पर पावर प्राप्त करती है इन स्टेशनों में से 8 स्टेशन 33 के वी के हैं जिनकी स्थापना विषयक कार्य और रख-रखाव दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किया जाता है। और शेष चार 11 के वी फीडर हैं इस प्रकार प्राप्त की गई विद्युत शक्ति उपभोक्ताओं को एल टी पर अर्थात 11 के. वी. सर्विस लाइनों और वितरण सब स्टेशनों के माध्यम से 415 वोल्ट पर वितरित की जाती है । चूंकि इस क्षेत्र में विद्युत शक्ति की मांग बढ़ती जा रही है अत: वितरण प्रणाली का विस्तार/सुधार करने से सम्बन्धित कार्य भी चलता रहता है । अतिरिक्त विद्युत भार को पूरा करने के लिए एक 33 के. वी. सब स्टेशन तिलक मार्ग पर स्थापित किया गया है और दूसरा 33 के. वी सब स्टेशन जिसकी इमारत बेअर्ड लेन पर बन रही है 1980-81 के दौरान पूरा हो जाएगा।

निम्नलिखित वास्तविक उपलब्धियों से इस प्रणाली के विकास और मांग के बारे में पता चल सकता है :–

क्रम सं०	विवरण	यूनिट	1977-78	1978-79
1	अधिक मांग	एम वी ए	94.7	107.0
2	कनेक्शनों की संख्या	संख्या	68,828	69 021
3	उपभोक्ता सब स्टेशनों की संख्या	संख्या	280	285
4	सब स्टेशनों की स्थापन क्षमता	एम वी ए	267.42	283.5
5	बिछाये गये केबलों की लम्बाई	के एम एम	95	95.0
6	खरीदी गई ऊर्जा	एम यूनिट	330.0	365.0
7	बेची गई ऊर्जा	एम० यूनिट	310.0	343.0
8	अर्जित राजस्व	(रु० लाखों में)	1132.6	1532.70

सप्लाई के सामान्य स्रोत के बन्द हो जाने की स्थिति में स्थायी प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई पुनः चालू करने की दृष्टि से अधिकांश इलाकों में सब स्टेशनों और एच टी तथा एल टी वितरण केन्द्रों पर बिजली सप्लाई के स्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 1135 लाख रुपये है। योजना के पहले वर्ष में 140 लाख रुपये का खर्चा किया गया और 210.00 लाख रुपये का व्यय 1979-80 में किया गया। 1980-81 के लिए 230.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है ।

स्कीम के अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

चलती रहने वाली स्कीमें

1. 33 के. वी. सब स्टेशनों की स्थापना बेअर्ड लेन

इस सब स्टेशन की इमारत की योजनाएं पहले ही अनुमोदित हो चुकी है । इमारत के निर्माण का काम आरम्भ किया जा चुका है । यह इमारत 1980-81 के दौरान पूरी हो जाएगी ।

2. 11 के. वी. सब स्टेशनों की स्थापना

भारती नगर सब स्टेशन की इमारत का निर्माण आरम्भ हो चुका है और यह आशा की जाती है कि यह इमारत भी अगले वर्ष के मध्य तक पूरी हो जाएगी ।

(ख) बहुमंजिले सरकारी/गैर सरकारी भवनों के लिए विद्युत कनेक्शनों की व्यवस्था ।

1980-81 में काफी तादाद में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है । इन इमारतों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक इमारत में एक सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी डी आई जैड क्षेत्र में लगभग 16,000 मकान बना रहा है । इस योजना की अवधि में 9 सब स्टेशन तैयार हो जाने की आशा है । कुछ सब स्टेशन तो पूरे हो चुके हैं और शेष 1980-81 के दौरान पूरे हो जाएंगे ।

3. ओवरहेड सिस्टम को अण्डरग्राउण्ड सिस्टम में परिवर्तित करना ।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतर ऊपरी लाइनें भूमिगत प्रणाली में बदल दी गई हैं । शेष ओ. एच. लाइनों को भी इस वर्ष के अन्दर भूमिगत प्रणाली में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है । निम्नलिखित क्षेत्रों में यह कार्य 1979-80 में आरम्भ किया गया था जो 1980-81 के दौरान पूरा हो जाएगा ।

(1) लोदी एस्टेट
(2) अलीगंज
(3) सरोजनी नगर
(4) नेताजी नगर

4. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के आवास की व्यवस्था

विद्युत प्रणाली में गतिरोध होने की स्थिति में बिजली कर्मचारियों को बेवक्त भी घर से बुलाने की जरूरत पड़ती है । इस प्रकार बिजली फेल हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसे स्टाफ का विवरण नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर यथासम्भव उनकी ड्यूटी स्थान के निकट हो। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन विद्युत सब स्टेशनों पर भूमि उपलब्ध हो वहीं भी अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाए जाएं । ऐसे स्टाफ के लिए निम्नलिखित सब स्टेशनों पर विभिन्न वर्गों के क्वार्टर बनाए जाएंगे :--

(1) 'जे' प्वाइंट
(2) पंडारा रोड

इन क्वार्टरों/सब स्टेशनों के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के पास भूमि पहले ही उपलब्ध है और इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । पिछले दो मामलों में सब स्टेशन की इमारत का निर्माण पहले ही आरम्भ हो चुका है ।

5. पूरे हो चुके काम के लिए प्रावधान

पिछले वर्षों में व्यावहारिक रूप से जो काम पूरा हो चुका है उस पर इस वर्ष के दौरान किए जाने वाले मामूली खर्च के लिए 3.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है ।

नई स्कीमें

1. 33 के. वी. सब स्टेशनों की स्थापना:--

(क) यू एन आई डी ओ कान्फ्रेंस के कारण विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तिलक मार्ग पर एक नया 33 के वी सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है । इस सब स्टेशन की इमारत के लिए शीघ्र ही भूमि का आवंटन किया

जा रहा है । यह इमारत 1980-81 के दौरान पूरी हो जाएगी ।

(ख) वर्तमान विद्युत क्षमता के बेहतर उपभोग के लिए कनाट प्लेस सब स्टेशन पर एक नया 13 पेनल डबल बस बार बोर्ड लगाया जाना है । इस सब स्टेशन पर भूमि के लिए व्यवस्था कर ली गई है जो आवश्यक परिवहन प्रणाली के निर्माण के कारण शीघ्र ही आवंटित की जाने वाली है ।

2. 11 के. वी. सब स्टेशनों का निर्माण

(क) नए सब स्टेशन भवनों का निर्माण

(1) डी आई जेड एरिया:– डी आई जेड एरिया में 9 सब स्टेशन निर्मित किए जाने हैं । इनमें से कुछ का निर्माण पिछली योजना के दौरान किया जा चुका है और शेष का निर्माण इस वार्षिक योजना के दौरान पूरा हो जाएगा ।

(2) **लिटन रोड:–** मौजूदा सब स्टेशन बहुत पुराना है और यहां पर अतिरिक्त स्विचगियर की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है । अतः एक नया सब स्टेशन भवन बनाया जाएगा ताकि खाली जगह उपलब्ध हो सके ।

3. एच. टी. इण्टर कनेक्शन की व्यवस्था

बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के वास्ते बड़े प्राप्ति स्टेशनों स्विच स्टेशनों से विद्युत् शक्ति का स्थानान्तरण करने के लिए तथा साथ ही सप्लाई के किसी स्रोत में ब्रेक डाउन हो जाने की स्थिति में आन्तरिक स्थानान्तरण सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित एच टी फीडरों/इण्टर कनेक्टरों की व्यवस्था की जाएगी :–

(1)	विद्युत भवन	से	कुतुब रोड तक
(2)	गोल्फ लिंक	से	खान मार्किट तक
(3)	टाउनहाल	से	वाई एम सी ए तक
(4)	रेस कोर्स	से	तुगलक क्रेसेंट तक
(5)	कनाट पलेस	से	गोल मार्किट तक

4. (1) विभिन्न सब स्टेशनों पर संयंत्र और उपकरणों की वृद्धि

(क) बम्बई साझा सब स्टेशन :–

यह प्रस्ताव किया गया है कि उपर्युक्त सब स्टेशन की ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि की जाए क्योंकि इस क्षेत्र में बिजली की खपत का भार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ।

2. गोल मार्किट सब स्टेशन

यह प्रस्ताव किया गया है कि मौजूदा आईसोलेटर और फ्यूज यूनिटों को बदलने के साथ-साथ कुछ 11 के. वी. एच. टी. पेनल भी बढ़ा दिए जाए ।

(ख) विभिन्न सब स्टेशनों पर फ्यूज यूनिट और आईसोलेटरों को बदलना

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में बिजली खराब होने के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है । अतः एन. आर. ई. बी. की दक्ष समिति की इन मौजूदा आइसोलेटर और फ्यूज यूनिटों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है । 150 एम वी ए रप्चरिंग कैपिसिटी के स्थान पर 350 एम वी ए रप्चरिंग कैपिसिटी के एच टी पेनल लगाने का प्रस्ताव है ।

5. एल. टी. वितरण प्रणाली का विस्तार

निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्युत् भार की सामान्य रूप से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एल टी वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा क्योंकि मौजूदा प्रणाली पर क्षमता के अनुसार पूरा लोड पड़ चुका है :–

(1) जोन II
(2) जोन III
(3) जोन IV
(4) जोन V

6. ऊपरी लाइन प्रणाली को भूमिगत प्रणाली में बदलना ।

ऊपरी तारों से बिजली वितरण प्रणाली से ब्रेक डाउन बार-बार होता रहता है जिसकी वजह से सम्बन्धित क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में बाधा आती रहती है । इसके अतिरिक्त इन लाइनों के तांबे के कण्डक्टर की चोरी होने की आशंका भी बनी रहती है । अतः पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ ऊपरी लाइनों को तो पहले ही भूमिगत लाइनों में बदल दिया गया है। अब निम्नलिखित ऊपरी लाइनों को भी भूमिगत सिस्टम में बदलने का प्रस्ताव किया गया है ताकि वितरण प्रवाह अधिक निर्भर योग्य हो सके :--

(1) विनय मार्ग डी-1, डी-2 फ्लैट
(2) ब्लाक 85
(3) पण्डारा पार्क
(4) लोदी रोड
(5) खान मार्कीट
(6) कार्नवालिस रोड
(7) रेस कोर्स कैम्प

7. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था

इलैक्ट्रीसिटी सिस्टम में ब्रेक डाउन होने पर उसे दुरुस्त करने के लिए बिजली कर्मचारियों को बेवक्त उनके घर से बुलाना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ऐसे ब्रेकडाउन के कारण ज्यादा असुविधा न हो इस के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा स्टाफ नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र के अन्दर यथासम्भव अपनी ड्यूटी के स्थान के पास ही निवास करें । वर्ष 1980-81 में अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए लिटन रोड पर क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।

8. विविध और अन्य कार्य

कई ऐसी तात्कालिक और आकस्मिक स्कीमें भी होती है जिन्हें किसी निश्चित क्षेत्र में तत्काल किन्हीं आकस्मिक से लागू करना पड़ता है । ऐसी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 1980-81 में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

9. वाहनों की खरीद

1980-81 में एक ट्रक और एक मेटाडोर खरीदने के लिए 2.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । वित्तीय 1980-81 के लिए मदों के अनुसार स्वीकृत परिव्यय संलग्न है।

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत स्कीमों का वित्तीय ब्यौरा

चलती रहने वाली स्कीमें

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. लाखों में)
1	बेलर्डलेन (भवन और उपकरण) स्थापना	8.00
1	बेअर्डलेन (भवन और उपकरण)	
2.	11 के. वी. सब स्टेशनों की स्थापना	
	(क) निम्नलिखित स्थानों पर सब-स्टेशनों का निर्माण ।	6.00

1. भारती नगर
2. जोर बाग
3. जे प्वाईन्ट (बंगाली मार्किट)

(ख) चाणक्यपुरी नेहरू पार्क में स्विच स्टेशन (1×500 के वी ए ट्रांसफारमर के साथ)	5·00
(ग) शिवाजी स्टेडियम पर स्विच स्टेशन (2×500 के वी ए ट्रांसफारमर के साथ)	3·00
(घ) डी आई जेड एरिया में स्विच स्टेशन	4·00
(ङ) बहुमंजिल सरकारी/गैर सरकारी भवन में बिजली के कनेक्शन देना जिसमें डी आई जेड एरिया में सब स्टेशनों की स्थापना का काम भी शामिल है ।	20·00

3. एल. टी. वितरण प्रणाली का विस्तार 3·00

(1) जोन-5
(2) जोन-7

4. ऊपरी लाइन प्रणाली को भूमिगत लाइन प्रणाली में परिवर्तित करना **15·00**

1. लोदी एस्टेट
2. अलीगंज
3. सरोजनी नगर
4. नेताजी नगर

5. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए क्वार्टरों का निर्माण **4·00**

1. 'जे' प्वाइंट
2. पंडारा रोड

6. पूरे हो चुके काम के लिए प्रावधान	3·00
7. स्टेशनरी और टेलीफोन आदि	0·25
8. स्थापना व्यय	22·00
	93·25

नए कार्य

क्रम सं. विवरण	राशि (रु. लाखों में)
1. 33 के. वी. सब-स्टेशनों की स्थापना	**28·00**
क 1. तिलक मार्ग (भवन)	7·00
2. तिलक मार्ग (उपकरण)	10·00
ख 1. कनाट प्लेस (13 पेनल बोर्ड का प्रावधान)	10·00
2. अतिरिक्त भूमि और भवन	1·00
2. 11 के. वी. सब-स्टेशनों की स्थापना	**23·00**
1. डी आई जेड क्षेत्र 5 संख्या	20·00
सब-स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण	
1. लिटन रोड (एस/एस 6)	3·00
. निम्नलिखित सब-स्टेशनों के बीच एच टी इन्टर कनेक्टर की व्यवस्था करना	44·75

(1) विद्युत भवन	कुतुब रोड तक (1×5 एम वी ए)	15·00
(2) गोल्फ लिंक	खान मार्किट तक (1×5 एम वी ए)	6·00
(3) टाउन हाल	वाइ एम सी ए तक (1×5 एम वी ए)	3·75
(4) रेस कोर्स	तुगलक क्रेसेन्ट तक (1×3 एम वी ए)	3·00
(5) कनाट प्लेस	गोल मार्केट तक	12·00
(6) अन्य इण्टरकनेक्टर		5·00

4. विभिन्न सब-स्टेशनों पर संयंत्र और उपकरणों की वृद्धि ।	5·00
क (1) बम्बई साझा सब स्टेशन	1·00
(2) गोल मार्किट सब स्टेशन	1 00
ख विभिन्न सब स्टेशनों पर फ्यूज यूनिट और आइसोलेटरों का बदलना	3·00

5. नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में एल टी वितरण प्रणाली का विस्तार । **5·00**

(1) जोन II
(2) जोन III
(3) जोन IV
(4) जोन IX

6. निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊपरी लाइन प्रणाली को भूमिगत लाइन प्रणाली में बदलना 15·50

(1) D-I/D-II फलैट्स विनय मार्ग
(2) ब्लाक 85
(3) पंडारा पार्क
(4) लोदी रोड
(5) खान मार्किट
(6) कार्नवालीस रोड
(7) रेस कोर्स कैम्प

7. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए आवास	3 00
1. लिटन रोड	
8. विविध और अन्य कार्य	10·00
9. वाहनों की खरीद (एक ट्रक एक मेटाडोर)	2·50
कुल नई स्कीमों के लिए	136·75
कुल चलती रहने वाली स्कीमों के लिए	93·25
कुल योग	230·00

परिशिष्ट

वर्ष के अनुसार उर्जा का उत्पादन और आयात

दस हजार यूनिटों में

क्रम सं०	विवरण	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
	ऊर्जा									
	एम० यू० में कुल आवश्यकता	1780.123	1854.51	2014.602	2141.460	2254.230	2466.060	2699.060	2956.080	3238.060
	वि० वि० प्र० सं० से उपलब्ध ऊर्जा एम० यू० में .	1421.687	1493.14	1568.595	1593.194	1447.000	1434.000	1434.000	1434.000	1434.000
	एम० यू० में आयात .	358.436	361.37	446.007	548.266	807.230	1032.060	1265.060	1522.080	804.060

वार्षिक योजना 1980-81

दिल्ली राज्य
विवरण पी०आर०-I
(रु० लाखों में)

विद्युत शक्ति कार्यक्रम परिव्यय और व्यय का स्तर

स्कीम/कार्यक्रम	अनुमानित लागत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी के अनुसार	राज्यों द्वारा बाद में संशोधित	वास्तविक व्यय 1977-78	31-3-78 तक संचित व्यय	31-3-78 से आगे
1	2	3	4	5	6
1. उत्पादन स्कीमें	–	–	–	–	–
(क) स्वीकृत और आगे चलने वाली स्कीमें	–	–	–	–	–
1. वायु प्रदूषण नियन्त्रण	–	–	–	–	–
(1) यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के साथ ई० एस० पी० का प्रावधान . .	585	685	55.6	55.6	529.4
(2) यूनट नं० 1 के साथ राख निपटान स्कीम में सुधार	86.5	106.5	21.031	51.041	35.459
(3) यूनिट 5 इन्द्रप्रस्थ स्टेशन का बकाया भुगतान	70.5	70.5	0.956	59.471	11.029
योग	741.5	862.0	77.587	166.112	575.888
2. टी और डी स्कीम					
(क) अनुमोदित और आगे चलने वाली स्कीमें।					
(1) 220 के०वी० स्कीम , ...	1839.49	–	310.227	1388.658	450.832
(2) 33 के० वी० स्कीम	2146.72	–	399.371	1100.758	1045.962
(3) 11 के० वी० और एल० वी० स्कीम .	4700.00	–	938.585	3028.377	733.038
उप योग	8686.21	–	1648.183	5517.793	2229.832
(ख) नई स्कीम					
(1) 220 के० वी० स्कीम	–	1235	–	–	–
(2) 66 के० वी० स्कीम	–	1880	–	–	–
(3) 33 के० वी० स्कीम	–	1685	–	–	–
(4) 11 के० वी० और एल० वी० स्कीम . .	–	4255	–	–	–
(5) पुनर्वास बस्तियों में बिजली की व्यवस्था .	–	435	–	–	–
उप योग :	–	9490	–	–	–
योग :	8686.21	9490	1648.183	5517.793	2229.832

स्कीम कार्यक्रम	1978-83 अस्थायी योजना परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1980-81 वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	1981-82 अनुमानित	1982-83 अनुमानित	चालू किए जाने वाले काम
	7	8	9	10	11	12	13	14
1 (क) 1	530	75	200	–	270	10	30	1982-83 तक स्कीम पूरी करना
2.	35	–	1	–	–	–	–	1979-80 तक स्कीम पूरी करना
3.	10	05	5	–	1	5	4	
कुल योग	575	75.5	206	–	271	15	34	
2 (क)								
(1)	330	296.66	40	–	–		–	1980-81 तक स्कीम पूरी करना
(2)	835	560.32	270	–	–		–	–वही– 79-80
(3)	1055	1138.77	–	–	–		–	78-79 तक स्कीमों का पूरा करना
उप योग :	2220	1995.75	310	–	–		–	
(ख)								
(1)	–	–	40	–	–	600	424	82-83 तक स्कीम पूरा करना
(2)	–	–	80	–	–	800	740	–वही–
(3)	9000	–	230	–	–	600	455	–वही–
(4)	–	–	900	–	–	1150	810	–वही–
(5)	–	150*	75*	–	–	–	–	* 150 लाख रुपये के सहायता अनुदान को छोड़ कर
उप योग	9000	150	1325	–	–	3150	2429	
कुल	11220	2145.75	1635	–	–	3150	2429	

* इसमें 220/33 के०वी० सब स्टेशनों की स्थापना और शंकर रोड तथा अपर रिज रोड के चौराहे पर उससे संबंधित कार्यों के लिए 1568 लाख रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है। इसके लिए अलग प्रयोजना रिपोर्ट की जांच सी० ई० ए० द्वारा की जा रही है और स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
3 अन्य स्कीमें :					
क. स्वीकृत और आगे चलने वाली स्कीमें					
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली का सुधार और नलकूप कनेक्शन देने की व्यवस्था	415	--	64.664	319.664	95.336
(2) टी और डी स्टाफ के लिए आवास . . .	--	582	60.558	223.813	--
उप-योग :	415	582	125.222	543.477	95.336
(ख) नई स्कीमें					
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली का सुधार और नलकूप कनेक्शन की व्यवस्था	-	400	-	-	-
(2) टी और डी स्टाफ के लिए आवास . .	-	-	-	-	-
(3) टी और डी स्टाफ के लिए आवास ऋण .	-	-	-	-	-
(4) प्रशासनिक और अन्य भवन . .	-	-	-	-	-
उप-योग :	-	400	-	-	-
योग	415	982	125.222	543.477	95.336
कुल जोड़ :	9842.71	250.84	1850.992	6227.382	2901.056

	7	8	9	10	11	12	13	14
3. (क)								
(1)	75	71.53	--			--	--	1978-79 में स्कीमों को पूरा करना
(2)	390	82.32	64			200	124.68	82-83 तक स्कीमें पूरी करना
उप-योग	465	153.85	64			200	124.68	
(ख)								
(1)	300	--	60			140	120	82-83 तक स्कीमें पूरी करना
(2)	100	--	--			--	100	वही
(3)	100	--	--			25	25	वही
(4)	100	--	--			50	50	वही
उप-योग	600	--	60			215	295	
योग	1065	153.83	124			415	419.68	
कुल जोड़	12860	2375.10	1965			12080	8122.68	

लाइन और सब स्टेसनों की ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 220 के०वी० और पूर्वोक्त: परिव्यय, व्यय लक्ष्य और उपलब्धियां

पी० आर० 5

राज्य, दिल्ली

ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन

स्कीम का नाम	वित्तीय (रु० लाखों में) कुल लागत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी के अनुसार	संशोधित लागत सब से बाद की	1977–78 के अन्त तक व्यय	1978–79 वास्तविक	1979–80 अनुमोदित	वास्तवि
1	2	3	4	5	6	7
1. चलती रहने वाली वर्क लाइन और सब स्टेशन 220 के० वी०	1839.49	1769.318	1388.658	296.66	40	—
2. नई वर्क लाइन और सब स्टेशन 220 के० वी० . .	—	1235	—	—	30	—
कुल जोड़	1839.49	3004.318	1388.658	296.66	70	—

	1980-81 अनुमोदित	1981-82 अनुमानित	1982-83 अनुमानित	1978-8 कुल
1	8	9	10	11
1.	45	—	—	380.
2.	150	600	424	1235.
कुल जोड़	195	600	424	1615.

इसमें 220/33 के वी सब स्टेशन स्थापित करने और शंकर रोड़ तथा अपर रिज रोड़ के चौराहे पर तत्सम्बन्धी कार्य करने 1568 लाख रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है इसके लिए अलग प्रायोजना रिपोर्ट की जांच सी ई ए कर रही है उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

विवरण पी०आर० 6
राज्य दिल्ली

गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम

(पम्प सेट के लिए ऊर्जा पैदा करना, गांवों में बिजली लगाना और सेवा कनेक्शन)

वस्तुगत कार्यक्रम/उपलब्धियां	31-3-78 तक संचित प्रगति	कितने पम्प सेट/नलकूपों को निम्नलिखित अवधि के दौरान ऊर्जा मिली			
		1978-79 वास्तविक	1979-80 के दौरान लक्ष्य	1979-80 के दौरान वास्तविक	1980-81 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
(क) सामान्य योजना के अधीन ऊर्जा प्राप्त पम्प सेट/नलकूपों का कार्यक्रम	2854	534	300	1038	400

	1981-82 अनुमानित	1982-83 अनुमानित	1978-83 कुल
	7	8	9
(क)	350	316	2000
(ख) गांव में बिजली लगाना (संख्या)	सभी गांवों में बिजली लग चुकी है		

प्रोफार्मा/पी०आर० 7

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था

2. वित्तीय विनिधान/खर्चा गांवों में बिजली लगाना

(रु० लाखों में)

कार्यक्रम	1978–79 वास्तविक	1979–80 वास्तविक	1980–81 अनुमोदित	1981–82 अनुमान	1982–83 अनुमान	1978–83 कुल
1	2	3	4	5	6	7
संशोधित अनुमान कार्यों के लिए सामान्य राज्य योजना के अन्दर परिव्यय	71.53	--	75	140	120	471.53

पावर
व्यय

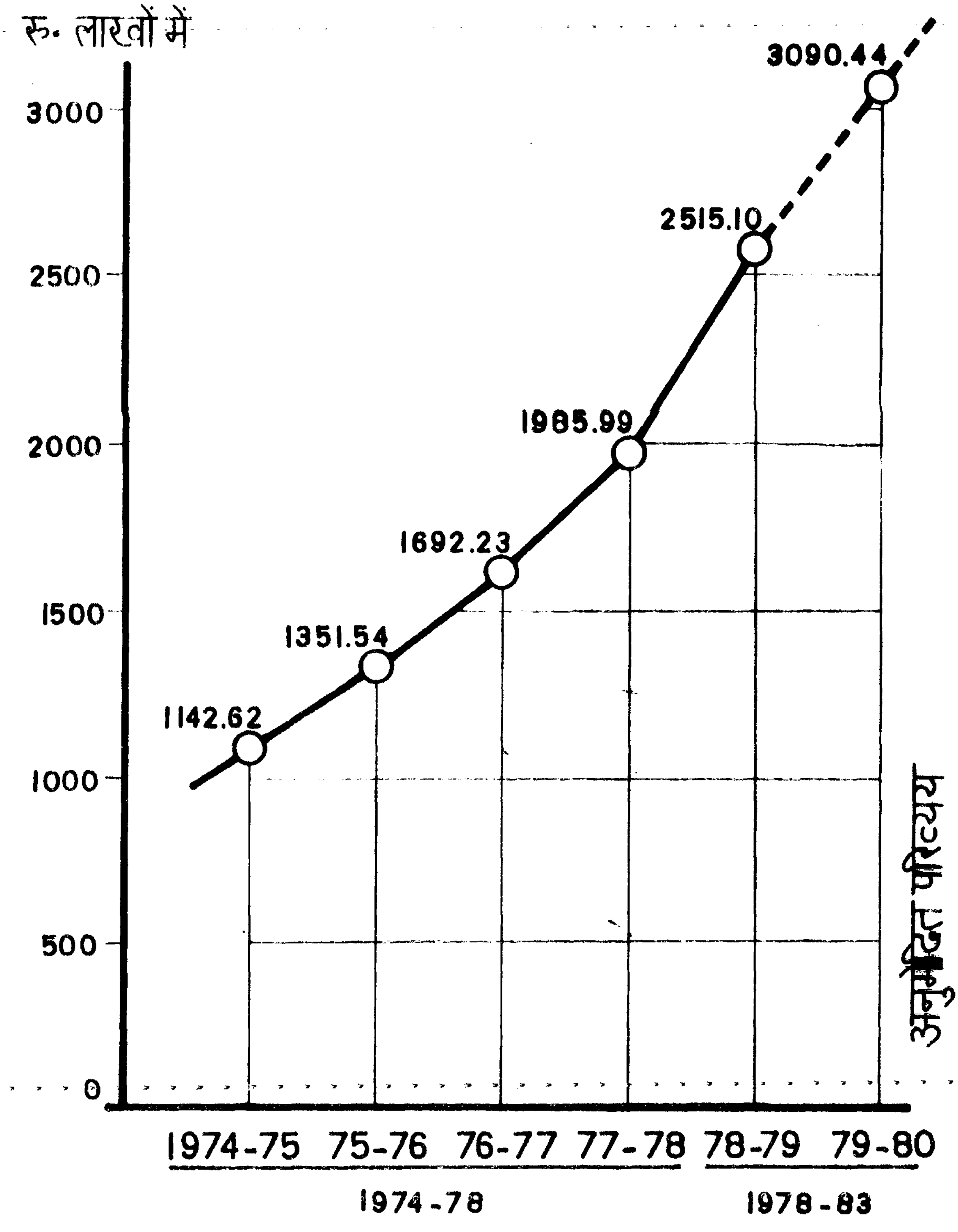

रु. लाखों में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1142.62
1351.54
1692.23
1985.99
2515.10
3090.44
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

उद्योग

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

कुल
510.00

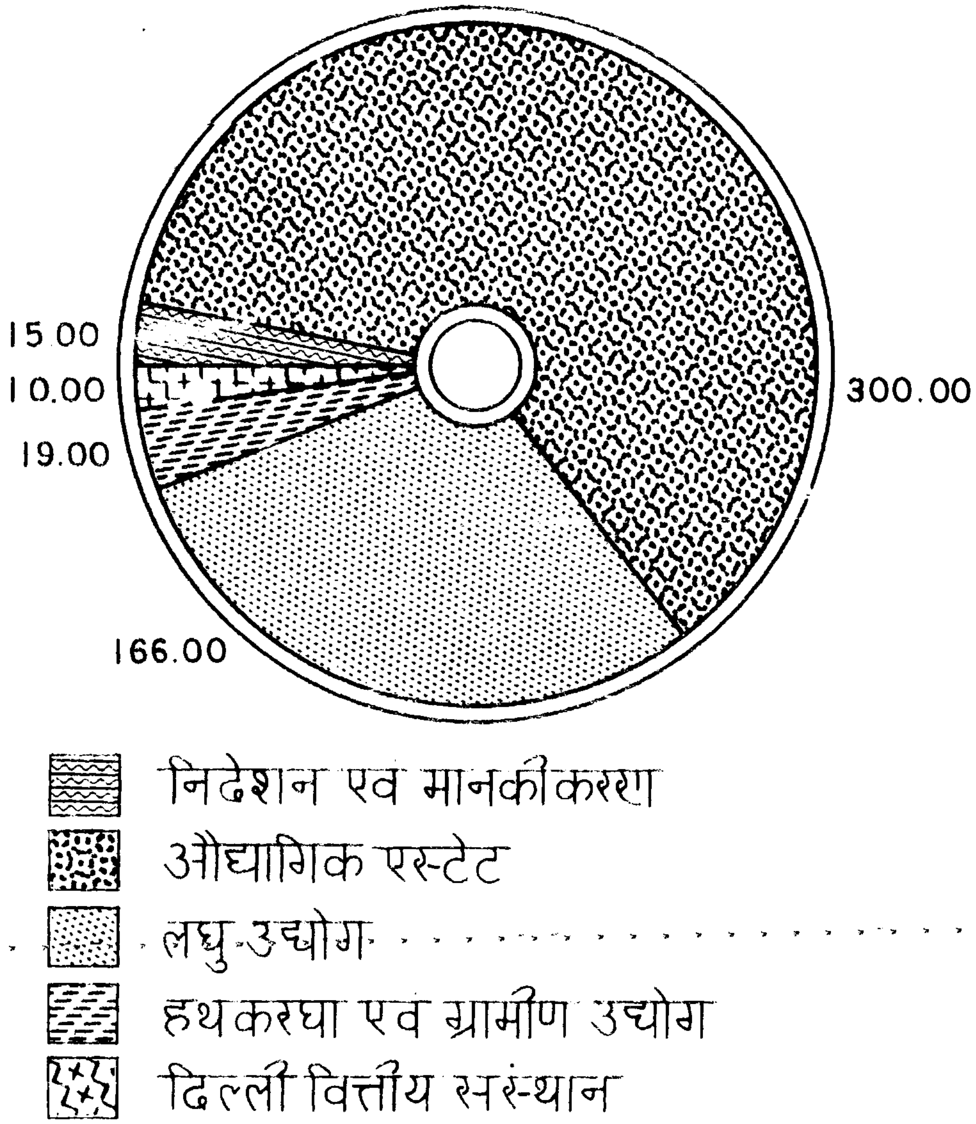

उद्योग

पंचवर्षीय योजना 1978-83

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में उद्योग धन्धे दिल्ली संघ राज्य-मिका निभाते हैं। ताजा अनुमान के अनुसार दिल्ली संघ राज्य-त्र में लगभग 40,000 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनकी गत 600 करोड़ रुपये है इनके द्वारा प्रतिवर्ष 100 रोड़ रुपये के मूल्य का माल तैयार किया जाता है। इन उद्योगों 3,50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दिल्ली ज्य की आय में 18 प्रतिशत अंशदान इन्हीं उद्योगों का है। उद्योगों में बिजली का कई प्रकार का इलक्ट्रोनिक व बिजली बढ़िया सामान, बिजली के उपकरण, यंत्र और औजार बिजली कई प्रकार के लैम्प, इंजीनियरी का सामान, प्लास्टिक का मान, चमड़े का सामान, मशीनी औजार, बुनी हुई वस्तुएं जरी), रेडीमेड पोशाकें एवं हथ करघा और हस्तकला की तुएं बनाई जाती हैं। लघु उद्योगों का विकास करने पर दिया गया है। दिल्ली के मास्टर प्लान में बड़े उद्योग स्था-करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उद्योगों के विकास लिए उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और अवस्था-सम्बन्धी सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। दिल्ली एक वितरण और व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहां लघु उद्योगों का बहुल विकास हुआ है।

इस पंचवर्षीय योजना में अधिक लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से परम्परागत उद्योगों कुटीर और लघु उद्योगों को उन्नत करने तथा उन्हें तकनीकी और विपणन संबंधी में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ भारी मात्रा में अवस्थापना संबंधी सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। संक्षेप में पंचवर्षीय योजना 1978-83 का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100,000 लोगों के लिए कार्य का सृजन करना है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 15.96 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्माण कार्यों के लिए है। उपशीर्ष के अनुसार स्वीकृत पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए परिव्यय, 1978-79 के दौरान किया गया खर्च, वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय, 1979-80 के दौरान वास्तविक व्यय और वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय की सारणी इस प्रकार है:--

क्र सं०	उप शीर्ष	पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिए स्वीकृत परिव्यय	1978-79 में वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय	1979-80 में वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	निदेशक प्रशासन	28.50	4.35	5.50	1.23	8.00
2.	मानकीकरण	43.00	1.36	7.00	3.50	7.00
3.	औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटनुमा फैक्टरियां*	1433.50	227.31	265.00	109.17	300.00
4.	लघु उद्योग	783.70	177.19	179.53	143.62	166.00
5.	हथ करघा उद्योग	75.30	7.15	26.97	12.24	15.00
6.	हस्तकला	25.00	0.57	3.00	0.74	3.00
7.	खादी एवं ग्रामोद्योग	6.00	0.25	1.00	0.44	1.00
8.	दिल्ली वित्त निगम	70.00	10.00	12.00	10.00	10.00
9.	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा खनन कार्य	35.00	35.00	..	..	..
	कुल (उद्योग)	2500.00	463.18	500.00	280.94	510.00

*इसके अतिरिक्त 200 लाख रुपये की राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटिड फैक्टरियों के निर्माण के लिए दी गई है।

वार्षिक योजना 1978-79

वार्षिक योजना 1978-79 में 463.8 लाख रुपये खर्च हुए जबकि स्वीकृत परिव्यय 538.75 लाख था। दिल्ली के मास्टर प्लान में फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित करना और उसमें शिल्प कला का काम आदि है। इस कार्य के लिए मार्च, 1978 में रानी झांसी रोड पर 9 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 78.60 लाख रु अदा किए गए। रानी झांसी रोड की फ्लैटिड फैक्टरियों और प्रायोजना की लागत तथा वार्षिक कुल बिक्री एवं अनुमानित नियोजन आदि का विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं०	स्कीम का नाम	भूमि के मूल्य और विकास सम्बन्धी प्रभारी सहित प्रायोजना की कुल लागत	कुल बिक्री लाखों में	अनुमानित नियोजना	
				प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप
1	2	3	4	5	6
1.	हस्तकला के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां	40.02	50.00	450	4
2.	तैयार पोशाकों के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां . . .	48.76	300.00	1000	10
3.	हौजरी और बुने हुए कपड़ों के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां . .	46.31	400.00	800	8
4.	मुद्रण और जिल्दसाजी के काम के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां .	43.76	400.00	900	9
5.	हल्के इंजिनीयरी सामान के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां . .	49.07	400.00	1920	19
6.	युवा उद्यमकर्त्ताओं के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां . .	68.30	800.00	1400	14
7.	फाउन्टेन-पैन सम्बन्धी काम के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां . .	37.98	240.00	1980	19

सात प्रायोजनाओं में से 6 को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और युवा ठेकेदारों के लिए फ्लैटिड फैक्टरियों के निष्पादन की स्वीकृति भारत सरकार से मिलनी बाकी है। यह आशा की जाती है कि ये फ्लैटिड फैक्टरियां दो वर्षों के अंदर बन जाएंगी और देश में इस प्रकार का सम्भवत: यह सब से बड़ा काम्पलैक्स होगा। काम करने के इन स्थानों के पूर्णत: तैयार हो जाने पर सरकार समुचित प्रशिक्षण द्वारा इस शिल्प के ग्रेड को बढ़ाने का प्रयत्न भी करेगी और कच्चा माल किफायती दर पर देने की व्यवस्था भी की जाएगी। कुछ विशेष मामलों में क जोर वर्गों के कारीगरों से रियायती दर पर किराया जाएगा।

पटपड़ गंज में औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 1 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया था। प्रायोजनाओं, प्र जना की लागत, वार्षिक कुल बिक्री और अनुमानित गोज का विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	स्कीम का नाम	भूमि की लागत और विकास प्रभारों सहित प्रायोजना की लागत	क्षेत्र एकड़ों में	अनुमानित नियोजन	वार्षिक बिक्री (रुपया लाखों
1	2	3	4	5	
1	आटो/साइकिल पुर्जे (पार्टों के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट)	68.33	20	2850	1490
2	प्लास्टिक के सामान के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट	68.33	20	2000	400
3	बिजली के घरेलू सामान के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट	51.22	15	1695	894
4	पहले चरण में स्थानान्तरित किए जाने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक एस्टेट .	68.33	20	43.40	2250

1	2	3	4	5	6
5. दूसरे चरण में स्थानांतरित किए जाने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक एस्टेट		68.33	20	43.40	2250.00
6. इंजीनियरी के सामान के लिए औद्योगिक एस्टेट					
7. युवा उद्यम कर्त्ताओं के लिये औद्योगिक एस्टेट		51.22	15	16.95	894.00
8. औजार संबंधी उद्योगों के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट		51.22	15	16.95	894.00
9. तार व केबल के लिये कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट		63.33	20	16.95	894.00

री 9 प्रायोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। प्रायोजनाएं जब पूरी हो जाएंगी तो इनसे बड़े पैमाने पर जगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

र्षिक योजना 1979-80

1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 500 लाख रुपये का रव्यय स्वीकृत हुआ था जबकि खर्चा 280.94 लाख रुपये और 200 लाख रुपये फ्लैटिड फैक्टरियों के लिए दिल्ली कास प्राधिकरण को भी दिए गए। रानी झांसी रोड और पटपड़ज के औद्योगिक परिसर के अतिरिक्त सामूहिक उद्योगों के ए फ्लैटिड फैक्टरियों की 15 और नई स्कीमें भी 1979-0 की वार्षिक योजना में शामिल थीं ताकि ऐसे गरीब औद्योगिक कामगरों को जगह मिल सके जो अपने काम के लिए शेड हीं बना सकते। प्रत्येक प्रायोजना पर 42.00 लाख रुपये की गत का अनुमान लगाया गया है, और प्रत्येक फ्लैटिड कम्पलैक्स 1250 कामगरों के काम की व्यवस्था होगी। इनसे सालाना त्पाद 15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का होगा। रेडीमेड पोशाकों, जली और बिजली के सामान, प्लास्टिक के हल्के निर्माण तथा षधीय और हल्के इन्जीनियरी उद्योगों के निर्मित सांचे/प्रमाप खेल में खरीद लिए गए हैं।

र्षिक योजना 1980-81

1980-81 की वार्षिक योजना के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 10 लाख रुपये हैं। प्रत्येक स्कीम का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

. निर्देशन तथा प्रशासन (8.00 लाख रुपये)

. उद्योग निदेशालय की स्टाफ स्कीम (8.00 लाख रुपये)

उद्योग विभाग का कार्य विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए इस कार्य की देखभाल के लिए अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करना पड़ेगा। वर्ष 1978-79 में 4.35 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और 1979-80 के दौरान 1.23 लाख रुपये का व्यय हुआ। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए .00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

. मानवीकरण (7.00 लाख रुपये)

. माप व तौल प्रयोगशाला की स्थापना (5.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हित के लिए पानी और बिजली के मीटरों की जांच करके उस पर मोहर लगाना है। यह स्कीम गौण और संदर्भ-मानकों को बनाए रखने में भी सहायक होगी और यह निरीक्षक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का काम भी देगी। वजीरपुर में प्रयोगशाला के लिए इमारत के लिए इमारत निर्माण पूरा हो चुका है। वातानुकूलन सम्बन्धी उपकरण डी.जी.एस.एण्ड डी. के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। कुछ आवश्यक उपकरण भी इस वर्ष खरीदे जाएंगे। भवन निर्माण और वातानुकूलन का कार्य पूरा करने तथा उपकरण खरीदने के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 के वास्ते 20 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान 0.31 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 1979-80 में 1.58 लाख रुपये का व्यय किया गया। आशा है कि उक्त प्रयोगशाला में इसी वर्ष काम आरम्भ हो जाएगा। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

2. क्वालिटी मार्किंग स्कीम (2.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का उद्देश्य बिजली के घरेलू साधनों के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों सहित एक क्वालिटी मार्किंग प्रयोगशाला की स्थापना करना है। इस स्कीम को शीघ्र लागू करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार ने 11.1.78 से बिजली के सारे घरेलू साधनों पर आई.एस.आई. मानकों के अनुसार क्वालिटी का नियन्त्रण को अनिवार्य कर दिया है। 1.50 लाख रुपये के मूल्य का उपकरण खरीदा गया है। उद्योग निदेशालय को सौंपे गए इस क्षेत्र में प्रचालन कार्य के लिए स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ प्रयोगशाला के लिए भी स्टाफ नियुक्त करना है। 1978-79 के दौरान 1.05 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जबकि वर्ष 1979-80 के दौरान 1.92 लाख रुपये का व्यय हुआ। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय 23.00 लाख रुपये है। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

3. औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटिड फैक्ट्री

1. ओखला में इलैक्ट्रोनिक के लिये कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट (3.00 लाख रुपये)

दिल्ली इलैक्ट्रोनिक का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यह उद्योग तकनीकी योग्यता प्राप्त तथा अन्य रूप में शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में अधिक समर्थ होगा। इसमें स्थान की सीमित अपेक्षा होने के कारण और इसकी परिष्कृत प्रकृति होने के कारण दिल्ली इसके लिए उपयुक्त स्थान है। इस उद्योग के निर्यात करने की भी काफी गुंजायश है। ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज 2 में 25.00 लाख रुपये की लागत से 12.5 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया। इस एस्टेट में समीप के भूखण्ड में स्थित इलैक्ट्रोनिक्स के लिए परीक्षण तथा विकास केन्द्र होगा। यह कार्य प्रगति पर है। और इसके इसी वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। पूरी हो जाने पर एस्टेट 103 औद्योगिक इकाइयों को स्थान दे सकेगी। जिनसे प्रत्यक्ष रूप में **700 व्यक्तियों को और अप्रत्यक्ष रूप में भी इतने ही व्यक्तियों** को रोजगार मिलेगा। इनसे 8.00 करोड़ रुपये का वार्षिक

अनुमानित उत्पादन होगा जिसका एक भाग निर्यात किए जाने की आशा है। प्रत्येक उद्योग को इसके अपने फैक्टरी भवन के निर्माण के लिए विकसित भूखण्ड मिलेगा। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के लिए 15.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हो चुकी है। वर्ष 1979-80 तथा 1979-80 के दौरान 9.99 लाख रुपये का व्यय हुआ। जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 3.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

2. बादली तथा अन्य ग्रामीण एस्टेट (1.60 लाख रुपये)

इस औद्योगिक एस्टेट को ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट के रूप में आरम्भ किया गया था जो इसकी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी और जिसमें 7 निर्मित शेड थे। विस्तार करने के अधीन 174 भूखण्ड विकसित किए गए हैं जिनमें से 90 का आवंटन पहले ही हो चुका है। शेष भूखण्डों को छोटे-छोटे भूखण्डों में अलग किया जा रहा है जिनका आवंटन शीघ्र किए जाने की आशा है इस एस्टेट में सातों शेड और लगभग 30 इकाइयां पहले ही कार्यरत हैं। लीज डीड में निर्धारित समय के अन्दर निर्माण कार्य न करने के कारण कितने ही पट्टानामें रद्द किए जा चुके हैं। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान 2.93 लाख रुपये खर्च किए गए। इस एस्टेट का प्रशासनिक खण्ड पूरा हो चुका है। भूखण्डों का विकास कार्यपूरा करने के लिए 1980-81 के वास्ते 1.60 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 6.50 लाख रुपये है। यह प्रायोजना पूरी होने पर प्रत्यक्ष रुप से 2000 लोगों को काम दिलाने के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी इतनी संख्या में ही लोगों को रोजगार दिला सकेगी।

3. चमड़े के सामान के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (4.10 लाख रुपये)

चमड़े का माल निर्मित करने वाला उद्योग दिल्ली का एक महत्वपूर्ण और भारी मात्रा में निर्यात का माल पैदा करने वाला उद्योग है। इससे समाज के कमजोर वर्गों के बड़ी संख्या में उन कामगरों को काम मिलता है जिनके पास इस समय काम के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। यह योजना चमड़े के माल के उद्योग के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए है। इस पूरी प्रायोजना से 200-200 वर्ग फुट के लगभग 150 कार्य स्थल बनेंगे। चमड़े के जूते और चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्माण में लगे कारीगर और उद्यमकर्त्ता आवंटन के पात्र होंगे। इस एस्टेट द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:–

1. क्वालिटी नियन्त्रण केन्द्र 2. सामान्य सुविधा केन्द्र 3. कच्चा माल एवं बिक्री डिपो 4. निर्यात प्रोत्साहन केन्द्र।

इस प्रायोजना के पूरा होने पर इससे 1500 कामगरों को रोजगार मिलेगा और इसमें स्थित इकाइयों की वार्षिक कुल बिक्री 5.00 करोड़ रुपये होगी।

इस इमारत के प्रत्येक 20×10 के 60 कार्य स्थान और सामान्य सुविधाओं के लिए चार हाल कमरों वाले खण्ड पूरे हो चुके हैं और अलाट भी हो चुके हैं। फर्श एरिया अनुपात का प्रतिबन्ध होने के कारण अन्य दो खण्डों का निर्माण नहीं किया जा सका। मामले को अब हल कर लिया गया है और बढ़ाया गया 120 फर्श एरिया अनुपात स्वीकृत हो गया है। एक संयुक्त खण्ड का निर्माण भी हो रहा है जो इस वर्ष पूरा हो जाएगा। सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए 2,04,401/- रुपये के मूल्य का उपकरण खरीदा गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान 9.41 लाख रुपये का व्यय किया गया और वर्ष 1979-80 में 5.06 लाख रुपया खर्च हुआ। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लि[ए] स्वीकृत परिव्यय 30.00 लाख रुपये है। और 1980-81 क[ी] वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 4.10 लाख रुपये है।

4. रानी झांसी रोड पर हस्तशिल्प के लिए फ्लैटिड फैक्टरि[यां] (15.00 लाख रुपये)

हस्तशिल्प दिल्ली का एक महत्वपूर्ण और बहुत भारी संख्या में निर्यात किए जाने वाले माल का कुटीर उद्योग है। अधिकत[र] हस्तशिल्प गन्दे और अस्वास्थ्यकर स्थानों पर चल रहे हैं। इनके काम के मौजूदा स्थान तंग होने के कारण इतने महत्वपू[र्ण] उद्योग को विकास का अवसर नहीं मिलता। इसलिए इन[के] वास्ते फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित करने का निश्चय किया ग[या] है जिससे शिल्पकारों को कुछ सामान्य सुविधाएं जैसे कच्चा मा[ल] डिपो, डिजाइन केन्द्र, विपणन आदि मिलने के साथ-साथ स्वास्थ्य[-] कर और काम के लिए अधिक अनुकूल वातावरण मिलेगा। रानी झांसी रोड पर लगभग 9 एकड़ भूमि का अभिग्रह[ण] किया गया है। इसमें 7 फैक्टरियों को जगह मिलेगी जिन[में] से एक 16×12′ के सांचों में विभाजित हस्तशिल्प के लि[ए] होगी। लोकनिर्माण विभाग ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और प्रायोजना की रूप रेखा अन्तिम रूप से तैयार हो गयी है। इस प्रायोजना की अनुमानित कुल लागत 40.02 लाख रुप[ये] है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्य[य] 30.00 लाख रुपये है और इस पंचवर्षीय योजना में 20.0[0] लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में निर्माण कार्य के लिए 15.00 लाख रुपये का परि[-]व्यय स्वीकृत किया गया है।

इस प्रायोजना के पूरे होने पर 450 शिल्पकारों को रोजगा[र] मिलेगा और 50 लाख रुपये मूल्य का माल प्रतिवर्ष पैदा हो[गा] जिसमें से अधिकांश निर्यात किया जाएगा।

5. रानी झांसी रोड पर तैयार पोशाकों के लिए फ्लैटिड फैक्[ट]रियां (15.00 लाख रुपये)

दिल्ली सिले सिलाए कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन ग[या] है। यह स्थानीय उद्योग इस समय लगभग 100.00 करो[ड़] रुपये प्रतिवर्ष का माल निर्यात कर रहा है। इसमें कि[सी] प्रकार की हानि या संकट नहीं है। इसमें मेहनत भी है औ[र] दिल्ली के लिए यह उपयुक्त भी है। इस परिसर से 100[0] लोगों को प्रत्यक्ष रुप से और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रुप [से] रोजगार मिलेगा। इस कम्पलैक्स का वार्षिक उत्पादन अनु[-]मानत: 3.00 करोड़ रुपये का होगा जिसमें से अधिक मा[ल] निर्यात किया जाएगा।

रानी झांसी रोड पर लगभग 9 एकड़ भूमि का अभिग्रहण कि[या] गया है। इसमें 7 फ्लैटिड फैक्टरियों को जगह मिलगी। इनमें से एक फ्लैटिड फैक्टरी तैयार पोशाकों के लिए प्रत्ये[क] 20×15 के सांचों में विभाजित होगी। इस योजना की कु[ल] लागत 48.76 लाख रुपये है और परिसर का प्लिंथ एरि[या] 5513 वर्ग मीटर है। लोक निर्माण विभाग ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और प्रायोजना की रुपरेखा स्वीकृत हो ग[ई] है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 26.00 ला[ख] रुपये का प्रावधान स्वीकृत हो चुका है और वार्षिक योज[ना] 1980-81 में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत परिव्यय 15.0[0] लाख रुपये है।

6. हौजरी और बुनी हुई पोशाकों के लिए रानी झांसी रो[ड] पर फ्लैटिड फैक्टरी (15.00 लाख रुपये)

दिल्ली हौजरी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। ये उद्यो[ग] श्रम प्रधान होता है। इनकी खपत अधिक होने के कारण इन[का] निर्यात भी बहुत होता है। साथ ही उस काम में कोई हा[नि]

या जोखिम भी नहीं है। इसमें बहुत सी इकाइयां तो बहुत छोटी हैं और अनुकूल क्षेत्रों में स्थित हैं। सदर बाजार की वितरण मार्किट के बिल्कुल साथ होने के कारण इन्हें शहर से दूर नहीं ले जाया जा सकता । इसलिए होजरी और बुनी-बनाई पोशाकों के लिए शहर के निकट फ्लैटिड फैक्टरियों स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कम्पलैक्स से लगभग 800 व्यक्तियों को काम मिलेगा। वार्षिक उत्पादन 4.00 करोड़ रुपये का होगा जिसमें से कुछ निर्यात भी किया जाएगा।

रानी झांसी रोड पर 9 एकड़ के करीब भूमि का अभिग्रहण किया गया है। इसमें 7 फ्लैटिड फैक्टरियां को जगह मिलेगी जिनमें से एक फैक्टरी होजरी और बुने कपड़ों के लिए होगी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है और प्रायोजना के आलेख/रेखाचित्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है । इस प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 46.31 लाख रुपये है और परिसर का प्लिंथ एरिया 3739 वर्ग मीटर है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 26.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और निर्माण कार्य के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत परिव्यय 15.00 लाख रुपये है।

7. मुद्रण और जिल्दसाजी आदि के लिए (रानी झांसी रोड) फ्लैटिड फैक्टरियां (15.00 लाख रुपये)

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधिक कार्यालय होने की वजह से मुद्रण उद्योग का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। बड़े-बड़े मुद्रणालयों को औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है । किन्तु छोटे मुद्रणालयों को शहर से दूर ले जाना मुश्किल है। इस लिए इतने छोटे मुद्रणालयों और जिल्दसाजी के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित करने का यह प्रस्ताव रखा गया है। इस कम्पलैक्स में लगभग 900 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी।

रानी झांसी रोड पर लगभग 9 एकड भूमि का अभिग्रहण किया गया है। इसमें 7 फलैटिड फैक्टरियों को जगह मिलेगी जिनमें से एक फलैटिड फैक्टरी मुद्रण और जिल्दसाजी के लिए होगी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और प्रायोजना की रूपरेखा अन्तिम रूप से तैयार हो गयी है । इस प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 43.76 लाख रुपये है और कम्पलैक्स का प्लिंथ एरिया 3065 वर्ग मीटर है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय 15.00 लाख रुपये है और पंचवर्षीय योजना 1978-83 के वास्ते कुल 26.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

8. हल्के इंजीनियरी सामान के लिए रानी झांसी रोड पर फ्लैटिड फैक्टरियां (15.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का उद्देश्य हल्के इंजीनियरी उद्योग के लिए प्रत्येक 20×15 के सांचे की फलैटिड फैक्टरियों का निर्माण करना है। इस कम्पलैक्स से 1920 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा । वार्षिक कुल बिक्री अनुमानतः 400 करोड़ रुपये है जिसका 20 प्रतिशत निर्यात किया जाना है । बाद में सामान्य सुविधाएं और सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी ।

रानी झांसी रोड पर अभिग्रहण किए गए भूखण्ड में हल्के इंजीनियरी उद्योग की फैक्टरियां भी स्थापित की जाएंगी। इस प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 49.07 लाख रुपये है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 26.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। 15.00 लाख रुपये का परिव्यय 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत हुआ है।

9. युवा उद्यमकर्त्ताओं के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (15.00 लाख रुपये)

दिल्ली के युवकों का उनके अपने हलके इंजीनियरी उद्योग स्थापित करने का अवसर प्रदान करने के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कम्पलैक्स में स्थित फैक्टरियों से 144 उद्यमकर्त्ताओं और लगभग 1400 कामगरों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा तथा इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रूप से लोग रोजगार पाएंगे। इससे लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन होगा । जिसका एक भाग निर्यात किए जाने के लिए होगा। इस स्कीम की स्वीकृति उद्योग मन्त्रालय से शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। रानी झांसी रोड पर अभिगृहीत की गई भूमि पर युवा उद्यमकर्त्ताओं के लिए भी फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित की जाएगी। इस प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 67.30 लाख रुपये है।

छोटी हल्की इंजीनियरी इकाई के लिए 600 वर्गफीट का एक सांचा अलाट करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका माप 30'×20' होगा जो 8 से 10 कामगरों के लिए पर्याप्त होगा और जो कच्चे माल और तैयार माल के भंडार के लिए पर्याप्त होगा। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए रखा गया प्रावधान 26.00 लाख रुपये है और 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय 15.00 लाख रुपये है ।

10. फाउन्टेन पेन उद्योग के लिए रानी झांसी रोड पर फ्लैटिड फैक्टरियां (15.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का उद्देश्य फाउन्टेन पेन और इसके अन्य घटक बनाने वाले उद्योगों के लिए चार मंजिल फलैटिड फैक्टरी कम्पलैक्स में प्रत्येक के वास्ते 10'×12' के कार्य स्थान की व्यवस्था करना है। इस कम्पलैक्स में प्रत्यक्ष रूप से 1900 व्यक्तियों और अप्रत्यक्ष रूप से भी इतने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा । इसका वार्षिक उत्पादन अनुमानतः 2.40 करोड़ रुपये का होगा । बाद में कुछ सामान्य सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। रानी झांसी रोड पर लगभग लगभग 9 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई है । इन प्रायोजना के लिए फलैटिड फैक्टरियां रानी झांसी रोड कम्पलैक्स में बनाई जाएंगी। इस कम्पलैक्स का प्लिंथ एरिया 3065 वर्ग मीटर है इस प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 37.98 लाख रुपये है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए रखा गया प्रावधान 26.00 लाख रुपये है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय 15.00 लाख रुपये है।

11. आटो और साइकिल पार्ट्स के लिए सहायक औद्योगिक एस्टेट पटपड़गंज (17.00 लाख रुपये)

दिल्ली आटोमोबाइल सहायक उद्योग का महत्वपूर्ण केन्द्र है। किसी आटोमोबाइल के निर्माण में काम आने वाले 70 प्रतिशत कुल-पुर्जे दिल्ली में बनाए जाते हैं । साइकिल पार्ट्स बनाने वाली भी कई इकाइयां दिल्ली में हैं। अतः पटपड़गंज में एक कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है जहां इस उद्योग की चुनी हुई इकाइयों को विकसित भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे । यह एस्टेट सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ निर्यात सहायता की व्यवस्था भी करेगी। भूमि अभिग्रहण कर ली गई है। पटपड़गंज में जहां और कई अन्य

औद्योगिक एस्टेट स्थापित की जा रही है यह भी उसी 160 एकड़ भूमि में से है । इस क्षेत्र को सुगम्य बनाने के लिए दो पुल बनाने पड़ेंगे। यह भूमि निचाई पर है। अतः इसका स्तर 1.3 मीटर ऊंचा किया जाना है। आटो और साइकिल पार्ट्स के सहायक औद्योगिक एस्टेट के लिए निर्धारित क्षेत्र 20 एकड़ है । इस प्रायोजना की लागत 68.33 लाख रुपये है। यह एस्टेट जब पूरी तरह तैयार हो जाएगी इससे 2825 लोगों के वास्ते काम की व्यवस्था होगी और प्रतिवर्ष 1490 लाख रुपये के मूल्य का माल पैदा होगा । पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 49.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और वार्षिक योजना 1980-81 में विकास कार्य के लिए स्वीकृत परिव्यय 17.00 लाख रुपये है।

12. बिजली के घरेलू साधनों के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट (पटपड़गंज) (12.00 लाख रुपये)

घरेलू बिजली साधन उद्योग में घरों में काम आने वाले बहुत प्रकार के साधनों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से अधिकतर लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं । हाल ही में भारत सरकार ने 1-1-1978 से इस उद्योग के लगभग सारे उत्पादों पर आई. एस. आई. मानक के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण अनिवार्य कर दिया है । इसलिए इस उद्योग के उचित विकास के लिए बिजली के घरेलू साधनों के वास्ते कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है । इस प्रायोजना के लिए पटपड़गंज में 15 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है । जिसमें से पचास प्रतिशत भूमि विकसित भूखण्ड योग्य क्षेत्र के रूप में उपलब्ध होगी । यह भूमि पटपड़गंज में उसी (एक सौ साठ एकड़) भूमि में से है जहां कई अन्य औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए जा रहे हैं । इस प्रयोजना की कुल लागत 51.22 लाख रुपये है । यह एस्टेट जब पूर्ण रूप से विकसित हो जायेगी तो इससे प्रत्यक्ष रूप से 1695 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे 894 लाख रुपये के मूल्य का सामान पैदा होगा । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए विकास कार्यों के वास्ते 12.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है । पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 37.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

13. पटपड़गंज में प्लास्टिक के सामान के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट (17.00 लाख रुपये)

प्लास्टिक उद्योग का विकास हाल ही में हुआ है किन्तु दिल्ली में बहुत प्रकार की प्लास्टिक की चीजें निर्मित की जा रही हैं । इस उद्योग की लगभग 450 इकाईयां हैं । जिनकी पूंजी 691.00 लाख रुपये है । इनमें से ज्यादातर इकाईयां अनुकूल क्षेत्रों में स्थित हैं । स्थानीय स्त्रोतों से प्लास्टिक का कच्चा माल उपलब्ध होने से प्लास्टिक उद्योग का नये रूप से विकास हुआ है, शिक्षित युवकों के लिए इस उद्योग में रोजगार के बहुत अवसर हैं, इसलिए प्लास्टिक के सामान के वास्ते एक कार्यात्मक एस्टेट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पटपड़गंज में जहां कई अन्य औद्योगिक एस्टेट, स्थापित की जा रही हैं वहीं पर इसके लिए भी भूमि अभिग्रहण की गई है। प्लास्टिक के सामान की कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट के लिए 20 एकड़ भूमि निश्चित की गई है । इस प्रायोजना की कुल लागत 68.32 लाख रुपये है । यह प्रायोजना प्रत्यक्ष रूप से 2,000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी और प्रतिवर्ष 4.00 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पैदा करेगी । वार्षिक योजना 1980-81 में विकास कार्य के लिए 17.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है ।

14. पहले चरण में स्थानान्तरित की जाने वाली औद्योगिक एस्टेट (पटपड़गंज) (17.00 लाख रुपये)

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में इस समय लगभग 40,000 कार्यात्मक उद्योग हैं किन्तु इनमें से लघु उद्योग के रूप में केवल 13,700 उद्योग ही उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शेष लगभग 26,300 इकाईयां या तो अनुकूल क्षेत्रों में स्थित हैं या अनुकूल क्षेत्रों में अनधिकृत से चलाई जा रही हैं । हाल ही में अनुकूल क्षेत्रों में दर किरायदारी को मान्यता देने के लिए और अनुकूल क्षेत्रों में हानिरहित या संकटरहित उद्दयोगों को अस्थायी लाइसेन्स प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अनेक कदम उठाये हैं । इसके बावजूद भी ऐसे कितने ही उद्योग अभी बाकी हैं जिन्हें अनुकूल क्षेत्रों पर ले जाया जाना है ।

इसलिए आवासीय क्षेत्रों में समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और उद्योगों को विकास के उचित अवसर प्रदान करने के वास्ते जनहित में यह आवश्यक है कि ऐसी नए औद्योगिक एस्टेट विकसित की जाएं जहां पर अनुकूल क्षेत्रों से हटाए गए उद्योगों और अनुकूल क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे उद्योगों को स्थापित किया जा सके । पहले चरण में केवल उन्हीं उद्योगों को शिफ्ट किया जाए जो वास्तविक सर्वेक्षण करने पर हानिकर या संकटकर पाए गए हों ।

इस कार्य के लिए पटपड़गंज में 20 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई है जिसमें से 50 प्रतिशत भूखण्डों के लिए उपलब्ध होगी । बहुत कम उपलब्ध किफायत से भूमि के उपयोग में लाने के लिए माडल प्रणाली से विकास शुरू किया जाएगा। 28.35 और 45 मीटर मानक चौड़ाई तथा अधिकतम लम्बाई के उपखण्ड विकसित किए जाएंगे । उद्यमकर्ताओं के इस प्रकार खरीदे गए उपखण्डों में से उपयुक्त भूखण्ड बनाए जा सकते हैं । इस एस्टेट का पूर्ण विकास होने पर इससे 4340 लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इससे 22.50 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पैदा होगा । वार्षिक योजना 1980-81 में विकास कार्य के लिए 17.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय 48.00 लाख रुपये है ।

15. दूसरे चरण में स्थानान्तरण की जाने वाली औद्योगिक एस्टेट पटपड़गंज (17.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का उद्देश्य भी प्रथम चरण की स्कीम जैसा ही है । बहरहाल इसमें उन उद्योगों को स्थान मिलेगा जो इस समय अनुकूल क्षेत्रों में चल रहे हैं और अनुकूल क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से प्रतिबन्ध के अधीन चलाए जा रहे हैं किन्तु उनमें कोई हानि या जोखिम नहीं है । वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 17.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

16. इंजीनियरी उद्योग के लिए फ्लैटिड उद्योग एस्टेट पटपड़गंज (12.00 लाख रुपये)

इंजीनियरी उद्योग (ग्रुप) समूह में दिल्ली के आधे उद्योग आ जाते हैं । इन उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है । इसके अलावा लघु उद्योग के क्षेत्र में ये सामान्यतः हानिरहित और गैर जोखिम के होते हैं और इनके लिए [illegible] धन की समस्या भी नहीं होती । इन उद्योगों के उत्पादन अधिकांश रूप में निर्यात होते हैं । निर्यात किए जाने वाली [illegible] चीजें बिजली की मोटर, ट्रांसफारमर, स्विच गियर, बिजली के उपकरण और कल पुर्जे, आटोमोबाइल की सहायक वस्तुएं, साइकिल और उसके पुर्जे, हाथ के औजार, छोटे औजार, सैनिटरी सामान, आरे के फलक ब्लेड, मशीनरी और उसके पुर्जे, [illegible]

नेट, तार और केबल आदि हैं। इन्जीनियरी उद्योग के उचित विकास के लिए पूरी तरह विकसित अवस्थापना की आवश्यकता है।

इन्जीनियरी उद्योग के लिए एक कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। पटपड़गंज में 15 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया है और उसे माडल प्रणाली के अनुसार विकसित किया गया है। 50 प्रतिशत भूखण्ड योग्य क्षेत्र आबंटन के लिए उपलब्ध है। इस भूमि के 25, 35 और 45 मीटर मापक चौड़ाई और अधिकतर लम्बाई के उपखण्डों का विकास किया जाएगा। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 12.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

17. युवा उद्यमकर्त्ताओं के लिए फ्लैटिड फैक्टरी (पटपड़गंज) (17.00 लाख रुपये)

दिल्ली में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए विविध प्रकार के अन्य साधन जैसे उद्यम तकनीकी जानकारी का प्रशिक्षण/वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण कार्य एवं उन सबसे अधिक एक बड़ी मार्कीट आदि साधन तो उपलब्ध हैं किन्तु विकसित भूमि के रूप में औद्योगिक अवस्थापना बहुत दुर्लभ है। इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि एक ऐसी औद्योगिक एस्टेट की स्थापना की जाए जो अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ केवल ऐसे विकसित भूखण्डों की व्यवस्था करें जहां युवा उद्यमकर्ता अपने उद्योगों की स्थापना कर सकें। इनका चुनाव उनको उद्यम सम्बन्धी योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि पटपड़गंज में अभिग्रहण की गई है और इस पर सांचा प्रणाली के अनुसार भूखण्ड विकसित किए जाएंगे ताकि भूमि के दुर्लभ साधनों में किफायत की जा सके। भूमि का विकास 25, 35 और 45 मीटर चौड़े मानक उपखण्डों में किया जाएगा और इनमें क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत का भूखण्ड क्षेत्र आ जाएगा। इस एस्टेट का पूर्ण विकास हो जाने पर इससे 1695 लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रतिवर्ष 8.24 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पैदा होगा। विकास कार्य के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 17.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

18. केबल/तारों के लिए फ्लैटिड औद्योगिक एस्टेट (12.00 लाख रुपये)

दिल्ली में कई प्रकार के केबल/तार/कन्डक्टर बनाने वाली लगभग 200 इकाइयां हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण (1) बार कन्डक्टर (2) इलैक्ट्रीकल वेल्डिंग तार (3) इलैक्ट्रिकल इन्सुलेशन केबल (4) पावर केबल (5) कमर्शियल केबल हैं। अधिकांश एकक इस समय अननुकूल क्षेत्र में स्थित हैं और उनके पास उचित रूप से काम करने और विकास करने का अवसर नहीं है। इन उद्योगों के विकास के लिए और इनके लिए काम करने के उचित स्थानों की व्यवस्था के लिए अवस्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए केबल/तार और कन्डक्टर सम्बन्धी कार्य के लिए कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। यह एस्टेट पटपड़गंज में 20 एकड़ भूमि के खण्ड पर होगा। जिसमें से 50 प्रतिशत सांचा प्रणाली के रूप में विकसित किए जाने वाले आबंटन योग्य भूखण्डों पर होगा। मानक चौड़ाई और अधिकतम सम्भव लम्बाई के उपखण्डों का विकास किया जाएगा। ये उपखण्ड 25, 35 और 45 मीटर चौड़े होंगे। इस एस्टेट का पूरा विकास हो जाने पर इससे 1695 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे 8.94 करोड़ रुपये के मूल्य का माल तैयार किया जाएगा। 1980-81 की वार्षिक योजना में विकास कार्य के लिए 12.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

19. औजार बनाने वाले उद्योगों के लिए फ्लैटिड औद्योगिक (पटपड़गंज) (12.00 लाख रुपये)

औजार बनाने वाले उद्योग अन्य उद्योगों के तकनीकी विकास का आधार हैं। इसलिए इनका विकास अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक उद्योग के विशेष औजार इस्तेमाल करने होते हैं। इलैक्ट्रोनिक के क्षेत्र में उद्योगों को मापक यंत्र, मिलास्कोटा, सिनानल जनरेटर, पावर मीटर आदि की जरूरत होती है। अन्य क्षेत्रों में कुछ औजार चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की सूची में आते हैं जिनमें दबाव, तापमान, प्रवाह की गति आदि का अभिलेख रखने और यंत्र को नियमित करने वाले डाक्टरी थर्मामीटर, आकलन यंत्र, पानी के मीटर, भाप के मीटर और बिजली के मीटर आदि शामिल हैं। नजर के चश्मों से सम्बन्धित औजार, फोटोग्राफी के उपकरण और सिनेमेटोग्राफी उपकरण भी होते हैं। यह उद्योग दक्ष और परिष्कृत है। इसकी दिल्ली में बड़ी गुंजाइश है और इससे काफी संख्या में शिक्षित युवकों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए इस उद्योग के वास्ते एक कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। लगभग 15 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके उनके विकास सांचा प्रणाली के अनुसार भूखण्डों में किया गया है। लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र आबंटन योग्य भूखण्ड क्षेत्र के रूप में उपलब्ध होने की सम्भावना है। 25, 35 और 45 मीटर चौड़ाई एवं अधिकतम लम्बाई के उपखण्डों का आवश्यकता के अनुसार आबंटित किए जाएंगे। इस एस्टेट का विकास किया जाएगा। ये भूखण्ड उद्योगपतियों को उनकी पूरी तरह विकास हो जाने पर इससे 1695 लोगों को रोजगार मिल सकेगा और 8.94 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पैदा होगा। 1980-81 के लिए 12.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक शेड का निर्माण (1.00 लाख रुपये)

इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सी. डी. ब्लाक में 1250 वर्ग फुट के आकार के 20 वर्कशेड बनाकर ग्रामीण शिल्पकारों के लिए काम के वास्ते स्वास्थ्यकर स्थान की व्यवस्था करना है। इस स्कीम से प्रत्यक्ष रूप से 550 लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी इतने ही लोगों को और रोजगार मिलेगा। इन शेडों में कुल वार्षिक बिक्री 1.00 करोड़ रुपये की होगी। भूमि इस वर्ष खरीदी जाएगी। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

21. ओखला औद्योगिक एस्टेट का सुधार (3.00 लाख रुपये)

ओखला औद्योगिक एस्टेट एक पुरानी औद्योगिक सम्पदा है। चूंकि इस क्षेत्र में केवल 40 प्रतिशत भूमि ही उपयोग में लाई जा रही है इसलिए खुले क्षेत्र में कुछ और भूखण्डों का विकास किया जाना है। खुले क्षेत्र में कुछ शेड भी बनाए जाने हैं। विकास की लागत और आवश्यक सेवाएं नगर निगम को हस्तान्तरित करने के सुधार कार्य को पूरा करने के बारे में भुगतान की राशि लगभग 25 लाख रुपये है। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 3.00 लाख रुपये है।

नई स्कीम फ्लैटिड फैक्टरियां

फ्लैटिड फैक्टरियों में उन गरीब औद्योगिक कामगरों को जगह मिलेगी जो अपने वर्कशेड नहीं बना सकते। लिफ्ट की व्यवस्था मुश्किल होने के कारण ये फ्लैटिड फैक्टरियां तीन-तीन मंजिल की होंगी. दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक सामूहिक उद्योगों के लिए 15 फ्लैटिड फैक्टरियां निर्मित करने का प्रस्ताव

रखा गया है । प्रतिमानों के अनुसार प्रत्येक प्रायोजना की लागत 42·00 लाख रुपये होगी । इसका विवरण इस प्रकार है :--

	(रुपये लाखों में)
1. 4000 वर्गमीटर भूमि का मूल्य 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	3·00
2. विकास की लागत 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	1·20
3. आच्छादित क्षेत्र के निर्माण की लागत 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से	31·50
4. टायलट स्टाल आदि के क्षेत्र का मूल्य जिसका आबंटन नहीं किया जाना है	5·25
5. विविध	1·05
	42·00

माल का सालाना उत्पादन 15 करोड़ के मूल्य का होगा । सारी 15 फ्लैटिड फैक्टरियों की लागत 630·00 लाख रुपये होगी और इससे 22,000 कामगरों को रोजगार मिलेगा । फ्लैटिड फैक्टरियों का निर्माण माडल रूप में होगा । प्रत्येक में कम से कम 5 कामगरों को काम मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार इकाइयों को एक से अधिक माड्यूल आंट किए जा सकेंगे । फ्लैटिड फैक्टरियां किराए के आधार पर अलाट की जाएंगी।

22. सामूहिक उद्योग नं. 1 के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (0·50 लाख रुपये) (ओखला में रेडीमेड पोशाकें)

दिल्ली रेडीमेड कपड़ों का एक बड़ा केन्द्र है । इनमें से अधिकतर कपड़ों को निर्यात किया जा रहा है दिल्ली में इन इकाइयों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये के मूल्य के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया जाता है। इन इकाइयों में से अधिकतर इकाइयां आजकल दक्षिण दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में स्थित हैं और बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना काम चला रही हैं। इस उद्योग को किसी औद्योगिक कम्पलैक्स में उचित स्थान की जरूरत है ताकि इसका समुचित विकास हो सके । इससे इस उद्योग के उत्पादन की विभिन्न किस्मों को विदेशी खरीदार एक ही स्थान पर देख सकेंगे क्योंकि यहां शोरूम जैसी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था भी हो सकेगी। यहां इससे सम्बन्धित अन्य उद्योग जैसे बटन होल बनाना, कटाई का काम लेस बनाना या हाथ से छपाई करना आदि भी स्थापित किए जा सकते हैं। यह उद्योग बहुत हल्का भी है। इसमें हाथ से चलने वाली मशीन से या थोड़ी विद्युत शक्ति से काम चलाया जा सकता है । इसलिए इसे फ्लैटिड फैक्टरियों में स्थापित किया जा सकता है। दक्षिण दिल्ली में ऐसे इन सामूहिक उद्योगों के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये जिसमें प्रत्येक 45 वर्ग मीटर के आकार के 100 माड्यूल बनाए जाएंगे। निर्मित माड्यूल ओखला में 37·78 लाख रुपये की लागत से खरीद लिए गए हैं। इस प्रायोजना के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 0·50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

23. सामूहिक उद्योगों नं. 2 के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां—इलैक्ट्रीकल ग्रुप (0·50 लाख रुपये)

दिल्ली में इस समय घर में काम आने वाले कितने प्रकार के बिजली के साधन और अन्य वस्तुओं का निर्माण हो रहा है । यह उद्योग मुख्य रूप से गजट को जोड़ने और उसके परीक्षण के काम में लगा हुआ है। ये उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और इन्हें छोटी सी जगह पर भी स्थापित किया जा सकता है। इस सामूहिक उद्योग के लिए दक्षिण दिल्ली में फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है । और इसके लिए 45-45 वर्ग मीटर के 100 माड्यूल बनाने का विचार है । निर्मित माड्यूल 27·75 लाख रुपये की लागत से ओखला में खरीद लिए गए हैं। 1980-81 के लिए 0·50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हो चुका है।

24. सामूहिक उद्योग नं. 3 (इलैक्ट्रिक ग्रुप) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (0·50 लाख रुपये)

इलैक्ट्रोनिक उद्योग श्रम प्रधान है और इसके विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरण/औजार आदि को इकट्ठा करना, उनकी मरम्मत करना और देखभाल करना आदि के साथ-साथ कुछ इलैक्ट्रोनिक अवयवों को निर्मित करना और आपस में जोड़ना भी शामिल है । इस सामूहिक उद्योग के लिए दक्षिण दिल्ली में फ्लैटिड फैक्टरियां स्थापित करने और 45-45 वर्ग मीटर के 100 माड्यूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मित माड्यूल ओखला में 37·78 लाख रुपये की लागत से खरीद लिए गए हैं। वर्ष 1980-81 के लिए 0·50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

25. सामूहिक उद्योग नं. 4 (हल्के निर्माण) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (रुपये 0·50 लाख)

ये इंजीनियरी उद्योग हैं। इनमें से कुछ उद्योग धातु का सामान बनाने लोहे तथा अन्य धातु सम्बन्धी चादर के उत्पाद, हाथ बिजली प्रेस सम्बन्धी कार्य, धातु छपाई का काम, छोटे पुर्जों के कार्य और उसके सहायक कार्य आदि में लगे हैं बाकी उद्योग भी इसी प्रकार के हैं । ये उद्योग छोटी फ्लैटिड फैक्टरियों में स्थापित किए जा सकते हैं। इन सामूहिक फैक्टरियों को दक्षिण दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके लिए 45 वर्ग मीटर के 100 माड्यूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मित माड्यूल ओखला में 31·63 लाख रुपये की लागत से खरीद लिए गए हैं। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0·5 0लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

26. सामूहिक उद्योग नं. 5 ओखला में (प्लास्टिक तथा औषधीय उद्योग) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां (0·50 लाख रुपये)

दिल्ली में कई प्रकार के प्लास्टिक के सामान बनाने वाले अनेक लघु उद्योग हैं। केवल पंजीकृत क्षेत्र में ही 524 ऐसी इकाइयां हैं जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। इनमें लगभग 7000 व्यक्ति काम करते हैं और इनकी कुल वार्षिक बिक्री 15 करोड़ रुपये है। ऐसे उद्योगों की वास्तविक संख्या इससे तिगुनी होगी । जिनमें से अधिकतर अनुकूल क्षेत्रों में स्थित होंगी। प्लास्टिक के कितने ही प्रकार की वस्तुएं छोटे-छोटे कार्य स्थलों में ही निर्मित की जा सकती हैं जिन के लिए केवल 7·5 कि. वा. तक विद्युत शक्ति की जरूरत होती है। इनमें से कुछ प्लास्टिक से तैयार किए गए सामान हैं जैसे बोतलों के ढक्कन लैम्पशेड आदि । इन्हें कम्प्रेशन वेल्डिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया जाता है । प्लास्टिक की शीट, 215 या ट्यूब से निर्मित वस्तुओं को फैब्रीकेशन तकनीक से तैयार किया जाता है, पालिथीन उत्पाद जैसे कि काले और

रंगीन छपे हुए धागे तथा चश्मों के फ्रेम और अन्य विविध प्रकार के प्लास्टिक तथा सम्बद्ध उत्पाद प्लास्टिक शीटों से फैब्रीकेशन तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं या इन्जेक्शन मोल्डिंग द्वारा ।

इस कम्पलैक्स में कुछ औषण विषयक और रसायनिक छोटे उद्योग जैसे कैप्सूल बनाना सादी प्रक्रिया, प्रयोगशाला रसायनिक आदि से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई बनाने से सम्बन्धित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं । इस ग्रुप के लिए ओखला में 26.31 लाख रुपये के मूल्य की निर्मित फलैटिड फैक्टरियां खरीदी गई हैं । इन फैक्टरियों की 9 बड़ी इकाइयां हैं जिनका प्रत्येक का आकार 46 वर्ग मीटर है और 33 छोटे एकक हैं जिनका प्रत्येक का आकार 44 वर्ग मीटर है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

27. सामूहिक उद्योग नं. 6 (हल्का इंजीनियरी उद्योग) के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रु. 0.50 लाख)

केवल दिल्ली में लगभग 1700 हल्के इंजीनियरी सामान के लघु उद्योग पंजीकृत हैं जिनकी लागत 52.00 करोड़ रुपये है । इनकी वार्षिक कुल बिक्री 82.00 करोड़ रुपये है और इनसे 24,000 कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। अनु-कूल और अनुकूल क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होगी।

इनमें से कई उद्योग ऐसे भी हैं जिन्हें फलैटिड फैक्टरियों में आसानी से चलाया जा सकता है । इनके लिए 7.5 कि. वा से अधिक विद्युत शक्ति की जरूरत नहीं होगी । ऐसे उद्योगों में सर्जिकल और मेडिकल यंत्र बनाना, प्रयोगशाला और विज्ञान से सम्बन्धित औजार बनाना, गणना, करने वाले उपकरण बनाना, चश्मों से सम्बन्धित औजार और औद्योगिक औजार बनाना सिलाई की मशीनें पानी के मीटर तैयार करना, विभिन्न प्रकार के मशीनी पुर्जे/अवयव निर्मित करना जिनका उपयोग आटो-मोबाइल और प्रशीतन कार्यों के लिए किया जाता है, एवं इलैक्ट्रानिक उद्योग, सैनिटरी फिटिंग तथा धातु का साज सामान और विविध प्रकार की तथा चादर धातु प्रक्रिया उद्योग हैं। ओखला में 30.07 लाख रुपये के मूल्य की निर्मित फलैटिड फैक्टरियां खरीदी गई हैं । इन फैक्टरियों के 6 बड़े यूनिट हैं जिनमें से प्रत्येक 46 वर्ग मीटर के आकार का है । प्रत्येक का मूल्य 67,605.80 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 42 छोटी इकाइयां हैं यह प्रत्येक इकाई 44.69 वर्ग मीटर आकार की है । प्रत्येक इकाई की लागत 65658.27 रुपये है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

28. सामूहिक उद्योग नं. 7 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रु. 1.00 लाख)

इस प्रायोजना के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हुआ है । और पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय 42.00 लाख रुपये है । सामूहिक फलैटिड फैक्टरियों में छोटी/कुटीर इकाइयों को स्थान मिलेगा । इनका निर्माण रानी झांसी रोड पर किए जाने का प्रस्ताव है ।

29. सामूहिक उद्योग नं. 8 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रुपये 1.00 लाख)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए इस स्कीम के वास्ते 42.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है। फलैटिड फैक्टरियों के इस ग्रुप में छोटे, कुटीर यूनिटों को रानी झांसी रोड के मौजूदा स्थल पर बसाया जाएगा ।

30. सामूहिक उद्योग नं. 9 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रु. 1.00 लाख)

इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 के वास्ते 42.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । फलैटिड फैक्टरियों के इस समूह का निर्माण रानी झांसी रोड पर किया जाएगा।

31. सामूहिक उद्योग नं. 10 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रुपये 1.00 लाख)

पंचवर्षीय योजना में 42.00 लाख रुपये का स्वीकृत परि-व्यय है । इन सामूहिक फलैटिड फैक्टरियों का विकास झिलमिल ताहिरपुर में किए जाने का प्रस्ताव है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है ।

32. सामूहिक उद्योग नं. 11 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (झिलमिल ताहिरपुर) (रु. 1.00 लाख)

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है और पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय रुपये 42.00 लाख है । फलैटिड फैक्टरियों के इस समूह में छोटे/कुटीर उद्योगों को स्थान मिलेगा और इन्हें झिलमिल ताहिरपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

33. सामूहिक उद्योग नं. 12 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (रुपये 1.00 लाख)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 42.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है। फलैटिड फैक्टरियों के इस ग्रुप का विकास झिलमिल ताहिरपुर में किया जाएगा ।

34. सामूहिक उद्योग नं. 13 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (झिलमिल और ताहिरपुर) (रु. 0.10लाख)

वार्षिक योजना1980-81 के लिए 0.10 लाख रुपये का परिव्यय हुआ है । और पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 42.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

35. सामूहिक उद्योग नं. 14 के लिए फलैटिक फैक्टरियां (झिलमिल ताहिरपुर) (रु. 0.10 लाख)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय रुपये 42.00 लाख है । और वार्षिक योजना 1980-81 के वास्ते 0.10 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हुआ है।

36. सामूहिक उद्योग संख्या 15 के लिए फलैटिड फैक्टरियां (झिलमिल ताहिरपुर) (रुपये 0.10 लाख)

इस प्रायोजना के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 42.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है और वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत प्रावधान 0.10 लाख रुपये है ।

37. नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स का विकास (रुपये 40 लाख)

नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स को नरेला के विकास चक्र का भाग माना गया है । नरेला में 8.89 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की 612 एकड़ औद्योगिक भूमि के विकास का प्रस्ताव है । पूरा औद्योगिक क्षेत्र लगभग 1800 औद्योगिक भूखण्डों में विभाजित किया जाना है । इस प्रायोजना के पूरा होने पर 18,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा । दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम भारत सरकार ने नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स के विकास के लिए एक एजेन्सी के रूप में मान्यता दे दी है। पांचवी योजना 1974–79 में दि. रा. औ. वि. नि. को नरेला कम्पलैक्स के विकास के लिए 205 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स के विकास के वास्ते 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । 1978-79 और 1979-80 के दौरान दि. रा. औ. वि. नि. को औद्योगिक कम्पलैक्स के विकास के वास्ते 45 लाख रु. ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए थे । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 40 लाख रुपये का परिव्यय नरेला औद्योगिक कम्पलैक्स के विकास के लिए स्वीकृत हुआ है ।

लघु उद्योग

चलती रहने वाली स्कीम

1. लघु उद्योगों के लिए ब्लाक ऋण (रुपये 30.00 लाख)

ब्लाक ऋण योजना के अधीन अधिकतर बहुत छोटे उद्यमकर्ता ही कार्यकर पूंजी के लिए ऋण की मांग करते हैं । सामान्यतः दिल्ली वित्त निगम संयंत्र, मशीनरी और भवन आदि के लिए तो ऋण की व्यवस्था कर देता है किन्तु कार्यकर पूंजी ऋण की व्यवस्था नहीं करता । बैंकों से कार्यकर पूंजी ऋण लेने के बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और उनकी ब्याज की दर भी बहुत ऊंची होती है। इसलिए लघु इकाइयों और शिल्पकारों को उनका उत्पादन बढ़ाने और इन्हें नियोजित करने के लिए ब्लाक ऋण स्कीम के अधीन 10,000/- रुपये से अनधिक का ऋण प्रदान किया जाता है। छोटे उद्यमकर्ताओं में यह स्कीम बड़ी लोकप्रिय है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए इस स्कीम के वास्ते 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान क्रमशः 20 लाख तथा 17 लाख रुपये ब्लाक ऋण के रूप में वितरित किए गए हैं। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 30.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

2. दिल्ली वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण पर आर्थिक सहायता (रुपये 0.10 लाख)

पहले उद्योग निदेशालय द्वारा उद्योगों को अनुकूल क्षेत्रों से हटाकर अनुकूल क्षेत्रों में बसाने के लिए ऋण दिया जाता था। दिल्ली वित्त निगम द्वारा ऐसा कोई ऋण सामान्य ब्याज दर पर नहीं दिया जाता। बहरहाल, औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि ब्याज की प्रभावी दर सरकारी दर के बराबर हो। दि. वि. नि. ने बहुत बड़ी संख्या में इकाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाये जाने के संबंध में ऋण दिया है ऐसी इकाइयों को उपदान की अदायगी के लिए दावे भेजने का अनुरोध किया गया है। बहुत कम उद्योगों से मांग आई है। इसलिए वर्ष 1980-81 के लिए इस संबंध में 10,000/- रुपये का मामूली सा प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

3. टूल रूम और ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना (रुपये 15.00 लाख)

अच्छे स्तर के औजार, सांचे जिग और उपस्कर के लिए दिल्ली में लघु उद्योगों की मांग पूरी करने के वास्ते डेनमार्क सरकार की सहायता और सहयोग में क टूल रूम और ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किया गया है। टूल रूम केन्द्र के तीन काम हैं (क) औजारों के निर्माण और डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण (ख) औजारों के बारे में परामर्श सेवा और (ग)ए औजारों की डाइ जिग तथा उपस्कर आदि बनाना । टूलरूम की स्थापना से लघु उद्योग खासतौर पर हल्के इंजीनियरी उद्योग जो आटोमोबाइल के पार्ट्स, प्लास्टिक का सामान बिजली और इलैक्ट्रोनिक की चीजें आदि के निर्माण में लगे हैं, को विशेष लाभ पहुंचेगा।

इस कार्य के लिए वजीरपुर में 3 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई थी। भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इस प्रायोजना की अनुमानित कुल लागत 524.06 लाख रुपये है जिसमें डेनिश सरकार की ओर से 420 लाख रुपये का अंशदान है । दिल्ली प्रशासन ने केवल भूमि का मूल्य, आयात किए गए उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी और भारतीय कर्मचारियों का वेतन दिया है। 31-3-79 तक टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता अनुदान के रूप में 693.76 लाख रुपये की राशि दी गई। यह सोसाइटी की तरह पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन केन्द्र का प्रबन्ध करने के लिए पंजीकृत है। वर्ष 1979-80 के दौरान 15.00 लाख रुपये की राशि भी केन्द्र को दी गई थी। यह राशि आयात की गई मशीनरी और डेनिश सरकार द्वारा दिए गए उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी अदा करने तथा स्टाफ का वेतन देने और फटकर खर्चों के उपयोग में लाई गई है। मशीनरी और उपकरण पहुंच गए हैं। प्रधान निदेशक और प्रमुख डेनिश सलाहकार ने केन्द्र का कार्यभार सम्भाल लिया है। तकनीकी और गैर तकनीकी डेनिश के दक्ष स्टाफ और कुछ भारतीय स्टाफ ने भी कार्यभार संभाल लिया है। केन्द्र पर प्रशिक्षण पहले ही आरम्भ हो चुका है। उत्पादन कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 57.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। यह राशि टूल रूम सोसाइटी को स्वीकृत मदों पर व्यय करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हुआ है।

4. निर्यात प्रोत्साहन सेल (0.80 लाख रुपये)

निर्यात प्रोत्साहन के काम में लगे स्टाफ के वेतन की व्यवस्था के लिए यह एक स्टाफ स्कीम है । मेले और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए भी खण्ड की जरूरत होती है । वर्ष 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 1.72 लाख और 0.60 लाख रुपये खर्च किए गए । पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 7.25 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 0.80 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है ।

5. समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्य स्थान के किराए पर उपदान (रुपये 2.00 लाख)

दिल्ली के मास्टर प्लान में गरीब शिल्पकार जैसे चमड़े का काम आदि करने वालों के लिए फलैटिड फैक्टरियों/शेडों का निर्माण किया जाना है । दिल्ली में भूमि का मूल्य और निर्माण सम्बन्धि लागत बहुत अधिक है और इस प्रकार के गरीब शिल्पकारों से नियमों के अनुसार किराया वसूल करना बहुत मुश्किल है । भारत सरकार ने एक किराया रियायत वसूली पद्धति स्वीकृत की है अर्थात् पहले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत किरायें

किराया वसूल किया जाए तीसरे वर्ष में 60 प्रतिशत और चौथे तथा पांचवें वर्ष में 75 प्रतिशत किराया वसूल किया जाए। इस समय दो स्कीम कार्यान्वित हुई है अर्थात् भारत नगर में बुनकर-बस्ती और वजीरपुर में चमड़े के माल के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां। समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लोगों को ये फैक्टरियां आदि अलाट की जाती हैं और इस लिए वे किराया उपदान के पात्र होते हैं। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में क्रमशः 0.65 लाख रुपये और 0.85 लाख रुपये खर्च किए गए। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 6.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

6. इन्जीनियर उद्यमकर्ताओं को ब्याज पर उपदान (रुपये 5.00 लाख)

यह केन्द्रीय सरकार की स्कीम है। इसमें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले इन्जीनियर उद्यमकर्ताओं को सरकार से उपदान मिलता है। यह उपदान उनके द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज की प्रभावी दर से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होता। प्रत्येक इकाई के लिए यह उपदान 20,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होता। दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है इसका अपना विधान नहीं है। इसलिए यह अपनी बजट से उपदान देकर भारत सरकार से उसकी पद्धति के अनुसार उसका पुनर्भुगतान नहीं ले सकता। अतः इस तकनीकी कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय स्कीम के नमूने पर योजना में एक अलग स्कीम शामिल करनी पड़ी। वर्ष 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 1.32 लाख और 1.85 लाख रुपये खर्च किए गए। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 18.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के वास्ते 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

7. आर्थिक कठिनाई में पड़ी इकाइयों को उपदान (रुपये 5.00 लाख)

मांग में कमी होने और कामर्शियल बैंकों द्वारा दी गई कार्यकारी पूंजी पर अधिक ब्याज होने के कारण ऐसा महसूस किया गया कि कितने ही लघु उद्योगों का काम इतना कम हो गया है कि उनकी अपनी पूंजी ही खत्म हो रहा है और उनका बने रहना मुश्किल है। ऐसे मन्द होने वाले यूनिटों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया इसके अध्यक्ष सचिव (उद्योग) हैं और निदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, सदस्य सचिव हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों और संस्थाओं जैसे दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय उद्योग निगम के प्रतिनिधि भी इस कमेटी में सम्मिलित हैं। समिति का यह अनुभव है कि जो इकाई सामान्यतः अपनी स्थापना क्षमता से 20 प्रतिशत कम काम करती है जो अपनी पूंजी का प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक खत्म कर रही है उसे सिकयूनिट कहा जा सकता है। कामर्शियल बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे सिकयूनिटों के मामले ढूंढ कर उन्हें कमेटी को अग्रसारित करें। कमेटी ने अध्ययन के लिए 3-4 दक्ष व्यक्तियों की टीम बनाई है जिनके साथ बैंक के प्रतिनिधि भी होते हैं। इस दक्ष टीम की रिपोर्ट पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति में चर्चा हुई। बहुत से मामलों में समिति ने उत्पादों को परिवर्तन, आधुनिकीकरण का सुझाव दिया। कुछ मामलों में समिति ने ऐसा महसूस किया कि इन इकाइयों की बिमारी को दूर करने के लिए ब्याज की सस्ती दर पर वित्तीय सहायता दे दी जाए। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित कितने ही यूनिट सिक हो गए हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। ऐसी इकाइयों की सहायता के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि सरकार द्वारा इन्हें उपदान दिया जाए ताकि इनके ब्याज की प्रभावी दर उन्हें उपलब्ध होने वाले सरकारी ऋण पर ब्याज की सरकारी दर से अधिक न हो अर्थात् 8¾ प्रतिशत हो। इस सम्बन्ध में भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की स्वीकृति मांगी गई है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

8. उद्यमकर्ताओं को मार्जिन धन सहायता (5.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अनुसार उद्यमकर्ताओं को भूमि खरीदने और वर्कशैड आदि के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए नीचे लिखी शर्तों पर मार्जिन मनी दिया जाता है।

(1) मार्जिन मनी उद्यमकर्ताओं के अंशदान के अनुरूप होगा।

(2) उद्योग निदेशालय द्वारा दिया गया मार्जिन मनी भूमि और भवन की लागत पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न होगा।

मार्जिन मनी की पहली किस्त भूमि की खरीद के समय देय होगी और दूसरी निर्माण योजना के स्वीकृत होने और वित्तीय संस्थान द्वारा सिद्धान्त रूप से ऋण का प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो जाने पर दी जाएगी। पुनर्भुगतान और ब्याज की दर वही होगी जो भारत सरकार द्वारा विहित की गई है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

9. वर्कशैड के निर्माण के लिए ब्याज-उपदान (रुपये 5.00 लाख)

यह प्रस्ताव रखा गया है कि जिन उद्यमकर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पट्टे पर औद्योगिक प्लाट आवंटित किए जाते हैं और जो दिल्ली वित्त निगम या राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण लेकर फैक्टरी-शैड बनाते हैं उन्हें इस सीमा तक ब्याज उपदान दिया जाए कि प्रभावी ब्याज दर विद्यमान सरकारी दर (मौजूदा 8¾ प्रति वर्ष) से अधिक न हो। यह उपदान उपर्युक्त संस्थाओं से ऋण के रूप में ली गई सभी राशियों पर दिया जाएगा। यह औद्योगिक भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से ली गई धन राशि, जो सम्बन्धित वित्त निगम द्वारा प्रमाणित होगी के लिए दिया जाएगा। ब्याज उपदान केवल भूमि की खरीद और भवन के निर्माण पर खर्च किए गए ऋण पर ही देय होगा। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय 5.00 लाख रुपये है।

10. डी.एस.डी.आई.सी. की संयुक्त क्षेत्र परियोजना

यह स्कीम डी.एस.आइ.डी.सी. द्वारा छोड़ दी गई है।

11. दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को शेयर पूंजी (रु. 5.00 लाख)

इस समय यह निगम कच्चे माल की प्राप्ति, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्थानीय और बाह्य विपणन, रेत और पत्थर खनन

कार्य तथा उद्यमकर्ताओं को पैकेज सम्बन्धी सहायता के कार्य में लगा हुआ है। इस निगम को पिछली दो वर्षों में बड़ी हानि हुई है। और इसकी सारी पूंजी जो कि 320.00 लाख रुपये थी यह 31-3-79 तक खत्म हो गई। इसमें 290.00 लाख रुपये दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को शेयर पूंजी के रूप में दिए गए और 50.00 लाख रुपये की राशि इस निगम को वर्ष 1979-80 के दौरान प्रदान की गई। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को शेयर पूंजी के रूप में स्वीकृत की गई है।

12. दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिक खपत वाली वस्तुओं का निर्माण और विपणन (रु. 10.00 लाख)

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दिल्ली के लघु उद्योगों द्वारा अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विशेष वस्तुओं के निर्माण की स्कीम आरम्भ की है। ऐसे उत्पादों का विपणन एक चल-प्रणाली के माध्यम से फुटकर बाजारों द्वारा शुरू किया गया है जिसे 'शाप-एट युअर-डोर' कहा जाता है। यह काम ऐसे युवा उद्यमकर्ता करते हैं जो छोटे-छोटे कार्य व्यापार के माध्यम से स्वयं रोजगार के अवसर की तलाश में रहते हैं। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिक्री की अधिक प्रभावकारी व्यवस्था के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान 40.00 लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव रखा गया। दि. रा. औ. वि. नि. ने फण्ड के उपयोग के लिए आवश्यक उपाय किए हैं जैसे स्थानों का चयन आदि। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान 20.00 लाख रुपये की निधियां दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गई।

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

13. दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सामुदायिक कार्य केन्द्रों की स्थापना (20.00 लाख रुपये)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास पुनर्वास कालोनियों में समाज के ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्वयं नियोजन के अवसर प्रदान करने के वास्ते 28 सामुदायिक कार्य केन्द्रों की एक श्रृंखला बनाने की स्कीम आरंभ की है जो शहरी क्षेत्रों से विस्थापित होने के कारण अपनी जीविका के साधन खो चुके हैं। इस स्कीम की बहुत सराहना की गई है क्योंकि इसमें कम लागत पर ही स्वयं रोजगार के अवसर मिलने की व्यवस्था है। इस स्कीम के लाभ और अधिक रोजगार की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 सामुदायिक कार्य केन्द्रों की स्थापना करके इस स्कीम के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे प्रत्यक्ष रूप से 21,200 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इन केन्द्रों में स्थापित उद्योगों से 7.00 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक बिक्री होने की आशा है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। 1978-79 और 1979-80 में 60 लाख रुपये की राशि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गई। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 20.00 लाख रुपये का परिव्यय दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया है।

14. झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में सामुदायिक कार्य केन्द्र बनाए रखने के लिए सहायता अनुदान (8.00 लाख रुपये)

वर्ष 1976-77 के दौरान झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में 28 कार्य केन्द्रों के निर्माण के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को 84.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। दि. रा. औ. वि. नि. ने जबकि कुछ कार्य केन्द्रों का निर्माण कर लिया है और कुछ और बनाए जा रहे हैं फिर भी उनके रखरखाव और उन्हें चलाने के लिए धन खर्च करना मुश्किल है क्योंकि उनके साधन बहुत कम हैं। इस स्कीम के अधीन 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 4.95 लाख और 6.10 लाख रुपये खर्च किए गए। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 8.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

15. ब्लाक उद्योग केन्द्र (रुपये 2.10 लाख)

ब्लाक केन्द्र दिल्ली में जिला उद्योग केन्द्रों के समान स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्लाक औद्योगिक केन्द्र में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र होंगे। इनमें वर्कशेडों में गैर सरकारी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने हैं। यह पूरे ब्लाक में उद्योग के विस्तार और विकास की देखभाल भी करेगा। इन ब्लाक औद्योगिक केन्द्रों का प्रधान सहायक निदेशक के रैंक का कोई अधिकारी होगा जिसकी सहायता के वास्ते स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार, प्रशिक्षण, उत्पादन और विद्युत सम्बन्धी स्टाफ होगा। मुख्यालय पर इस कार्यक्रम की देखभाल के लिए संयुक्त निदेशक उद्योग के रैंक का अधिकारी होगा जिसकी सहायता के लिए एक उपनिदेशक उद्योग और दूसरा सहायक स्टाफ होगा। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 15.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.10 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है।

16. प्रचार और प्रदर्शन (रुपये 5.00 लाख)

उद्योग निदेशालय ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, प्रगति मैदान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित लघु उद्योग मेले 1978 में भाग लिया था। 1979-80 में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। वर्ष 1979-80 के दौरान 6.13 लाख रुपया खर्च किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

17. इलेक्ट्रोनिक्स के लिए परीक्षण और विकास केन्द्र (रुपये 3.00 लाख)

इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र दिल्ली में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के आधिक विकास में बहुत सहायक होगा। इस प्रायोजना पर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79 के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा खर्च किया गया कुल परिव्यय, 37.49 लाख रुपये है। भारत सरकार इलेक्ट्रोनिक्स विभाग द्वारा उपकरण खरीदने के लिए 25.00 लाख रुपये का अंशदान और दिया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण से 5.00 लाख रुपये की लागत से 2.5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। केन्द्र का भवन लगभग पूरा हो गया है और उसका कब्जा शीघ्र ही ले लिया जायगा। वर्ष 1979-80 के दौरान कुल खर्च 3.59 लाख रुपये था। वार्षिक योजना 1980-8

में स्टाफ आदि की नियुक्ति के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

18. दिल्ली उर्वरता परिषद् (प्रोडक्टिविटी कौंसिल) को सहायता अनुदान (शून्य)

दिल्ली उर्वरता परिषद् की स्थापना त्रिदलीय निकाय के रूप में दिल्ली प्रशासन के सक्रिय सहयोग से 1959 में हुई। इस परिषद् को उर्वरता सलाहकार/औद्योगिक इंजीनियर के पूरे खर्च के लिए वहन करने के लिए वर्ष 1962 में 20,000 रुपये का सहायता अनुदान दिया गया। यह परिषद् वर्ष प्रतिवर्ष अपने सीमित साधनों और अल्पतम स्टाफ के साथ अपनी कार्यकलापों का विस्तार रहा है। किन्तु दिल्ली के लघु मध्यम उद्योगों द्वारा तत्काल अपेक्षित औद्योगिक इंजीनियरी तकनीक की जरूरत को पूरा करने में बुरी तरह असमर्थ रही है। इस बात को देखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है कि परिषद् के विकास के लिए और इन उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा संस्था को संकट से निकालने के लिए पर्याप्त संख्या में इन्जीनियरों की नियुक्ति की जाए। और इस संबंध में उर्वरता सलाहकार और औद्योगिक सम्पर्क अधिकारियों पर खर्च की गई धन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि उन्हें प्लान बजट में से सहायता अनुदान के रूप में दी जाए। यह अतिरिक्त अनुदान दिल्ली उर्वरता परिषद् की आय पर औसत व्यय से अधिक नहीं होगा।

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए दिल्ली उर्वरता परिषद् को 2.80 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है जिसमें से 2.00 लाख रुपये दिल्ली उर्वरता परिषद् के भवन का निर्माण करने के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में होंगे। दि. उ. प. को 2.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान वर्ष 1979-80 के दौरान दिया गया था। 1980-81 की वार्षिक योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

19. व्यापार-केन्द्र के लिए सहायता अनुदान (शून्य)

यह स्कीम छोड़ दी गई है।

हथकरघा उद्योग

1. हथकरघा से बने वस्त्रों की बिक्री पर छूट (रुपये 4.00 लाख)

हथकरघा वस्त्रों की बिक्री को अधिक बढ़ाने की दृष्टि से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित मान्यताप्राप्त एम्पोरियमों में छूट प्रदान की जाती है:--

(1) दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

(2) दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एम्पोरियम, चांदनी चौक।

(3) दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।

(4) सुपर बाजार दि को आपरेटिव स्टोर लिमिटेड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान 4.07 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

2. भारत नगर में बुनवाइ कालोनी (1 लाख रुपये)

भारत नगर में 4.85 एकड़ भूमि पर एक बुनकर कालोनी स्थापित की गई है। 7 दो मंजिले ब्लाकों में से 5 का निर्माण हो चुका है। प्रत्येक में 4 वर्कशेड वाले तीन ब्लाक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार को आबंटित किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष दो और संयुक्त ब्लाकों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इस परियोजना पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 में 15.14 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1979-80 की अवधि में भी 4.76 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित हो चुका है।

3. हथकरघा वस्त्रों के लिए कोटि-अंकन योजना (1.00 लाख रुपये)

प्रस्तावित योजना केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए कोटि माल की सप्लाई को ही सुनिश्चित नहीं करेगी बल्कि स्वदेशी उपभोग खपत को भी सुनिश्चित करेगी। योजना आरम्भ करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि यह स्वैच्छिक आधार पर संचालित की जाए। कोटि-अंकन केन्द्र बुनकरों की कालोनी के समीप स्थापित किया जाएगा। योजना को कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है। योजना के दो घटक हैं यथा (1) निरीक्षण, उत्पादों का प्रमाणन एवं कोटि-अंकन तथा (2) उत्पादों की कोटि सुधारने हेतु एककों को मार्ग दर्शन। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. हथकरघा वस्त्रों के लिए डिजाइन-कक्ष (0.40 लाख रुपये)

उद्योग निदेशालय हथकरघा वस्त्रों के लिए बुनकर कालोनी, भारत नगर में एक डिजाइन कक्ष स्थापित कर चुका है। योजना के अधीन हथकरघा डिजाइनर का एक पद, एक मास्टर, एक क्राफ्टसमैन तथा एक सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार का पद संस्वीकृत हो चुका है। डिजाइन-कक्ष के विस्तार के लिए एक अवर श्रेणी लिपिक एवं एक हेल्पर का अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा। नये नमूनों एवं आधुनिक कपड़ों के नमूने उत्पादित करने के लिए कुछ अतिरिक्त आधुनिक उपकरण मंगाए जाने अपेक्षित हैं। 1978-79 एवं 1979-80 में क्रमशः 0.11 लाख रुपये एवं 0.16 लाख रुपये व्यय किए गए। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.40 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज सहायता (0.20 लाख रु.)

भारत सरकार द्वारा 1973-74 से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध किया जा रहा है। यह प्रबन्ध बन्द कर दिया गया है और अब बुनकर सहकारी समितियां कार्यशील पूंजी के लिए ऋण जिला एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त कर सकती हैं जो इन समितियों को ब्याज की सहायता दर पर बारी-बारी से वित्त प्रदान करेंगी। इस योजना के अधीन बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज पर सहायता दी जाएगी। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस योजना के लिए उद्योगों की ओर से कोई अच्छा उत्साह प्राप्त नहीं है। इन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 1.50 लाख रुपये का अलग प्रावधान किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.80 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है।

6. परिष्कृत औजार एवं उपकरण खरीदने के लिए सहायता अनुदान (0.50 लाख रुपये)

सहायता अनुदान सामान्यत: कुछ परिष्कृत औजारों जैसे-सलाईस, रीड्स-हील्स, वारपिंग ड्रम्स, आइरन वाट्स जेक-बार्ड्स आदि खरीदने के लिए दिया जाता है । क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में समिति की संख्या बहुत बढ़ चुकी है अत: 60 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधि इस योजना के लिए अपेक्षित होगी । वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 की अवधि में क्रमश: 0.38 लाख रुपये एवं 0.42 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

7. बुनकर गांव

इस योजना को छोड़ दिया गया है।

8. नन्दनगरी में हथकरघा विकास (7.90 लाख रुपये)

यह प्रस्तावित किया गया है कि इस क्षेत्र की 6 बुनकर सहकारी समितियों को संगठित किया जाए एवं उन्हें अनुमानत: 19.50 लाख रुपये लागत के शेड एवं अन्य सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । नन्दनगरी में भूमि अधिगृहित की जा चुकी है। यह योजना जब पूर्ण होगी तो इससे 100 बुनकरों को रोजगार मिलेगा एवं 20.00 लाख रुपये का माल प्रतिवर्ष तैयार होगा। 1979-80 की अवधि में 2.83 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 7.90 लाख रुपये का एक परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

6. हस्तशिल्प (3.00 लाख रुपये)

यह एक पहले से चल रही योजना है । उप शीर्षकों के अधीन निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं :—

1. हस्तशिल्प की प्रगति ।
2. हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षण योजना ।
3. छूट, प्रसार एवं प्रचार
4. कागज उत्पाद एवं कागज मशीन का सुदृढ़ीकरण ।

1. हस्तशिल्प की प्रगति

हस्तशिल्प की प्रगति के लिए यह एक आधार (सहारा) योजना है ।

2. हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षण योजना

इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए मास्टर क्राफ्ट के माध्यम से कुछ शिल्पों यथा मीनाकारी, हाथीदांत, नक्काशी एवं धातु उत्कीर्णन का प्रशिक्षण प्रदान करना है । प्रशिक्षण योजना के साथ ही निम्नलिखित दो नई योजनाएं चालू वर्ष में आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित की गई हैं :—

(1) ब्लू आर्ट पॉटरी

(2) कलात्मक कालीन (दरी) बुनाई ।

इस योजना के अधीन प्रतिमाह वृत्तिका के रूप में 60/- रुपये प्रतिप्रशिक्षार्थी को दिये जा रहे थे । नवीन अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, भारत सरकार ने यह वृत्तिका 60/- से बढ़ाकर प्रति प्रशिक्षार्थी 80/- रु. प्रतिमाह कर दी है एवं प्रत्येक मास्टर क्राफ्ट को 375 रु. प्रतिमाह प्रत्येक योजना के लिए दिया जाएगा। इस समय विभाग द्वारा यह सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

3. छूट, प्रसार एवं प्रचार

इस योजना के अन्तर्गत दि. रा. औ. वि. नि. के माध्यम से ह. शि. सप्ताह के अवसर पर हस्तशिल्प की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से छूट दी जाती है । इस अवधि में हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए प्रैस, पोस्टर, बैनर एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा व्यापक प्रसार एवं प्रचार किया जाता है ।

4. कागज उत्पाद एवं कागज मशीन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण

कागज मशीन एवं कागज शिल्प जो काश्मीर की एक व्यावसायिक कला है, का प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाला एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है और इस समय कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पीछे दो कमरों में चल रहा है । यह प्रस्ताव है कि इसे वर्तमान स्थान से जो कि केन्द्र चलाने के लिए अपर्याप्त है, उपयुक्त परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाए। केन्द्र को कर्मचारियों से सुदृढ़ करने का प्रयास भी किया जा रहा है ।

1978-79 एवं 1979-80 की अवधि में क्रमश: 0.57 लाख रुपये एवं 0.74 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

7. खादी एवं ग्रामोद्योग (1.00 लाख रुपये)

खादी एवं ग्रामोद्योग अभी हाल ही तक सीधे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा था अब दिल्ली प्रशासन ने कार्यकारी पार्षद (चिकित्सा) उद्योग-प्रभारी की अध्यक्षता में एक गैर-सांविधिक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1977-78 में हमारे लिए 12.52 लाख रुपये ऋण के रूप में और 0.92 लाख रुपये सवितरण के लिए एवं वर्ष 1978-79 के लिए 0.665 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 3.80 लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया। अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक अभियान आरंभ किया जा चुका है। खादी एवं ग्रामो द्योग स्थापित करने के लिए सहायता हेतु 850 आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

इस कार्य के लिए वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता है । इस पर 1978-79 एवं 1979-80 में क्रमश: 0.25 लाख रुपये एवं 0.44 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

8. दिल्ली वित्तीय निगम (10.00 लाख रुपये)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 की अवधि में दि. वि. नि. को शेयर पूंजी के रूप में 50.00 लाख रुपये दिये गये जिसमें से सामान्यत: लघु मध्यम पैमाने के उद्योगों को ऋण अनेक विशेष स्कीमों जैसे छोटे एककों को, जिसके अधीन निगम 5 प्रतिशत मार्जिन (उधार प्रतिभूति-अन्तर) में एवं ब्याज को 9 प्रतिशत वार्षिक की प्रभावशाली दरों पर 50,000 तक अग्रिम ऋण मशीनों के लिए प्रदान करती है । इसी प्रकार दि. वि. नि. योग्यता प्राप्त अभियन्ताओं को 3.00 लाख से अनधिक एवं अभियन्ता समूह को 10 प्रतिसत वार्षिक की प्रभावशाली ब्याज दर पर 10 प्रतिशत तक का मार्जिन रखते हुए 4.00 लाख रुपये तक के ऋण अनुदान की योजना संचालित कर रही है। आइ. डी. ए. स्कीम के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण भी दिया गया। 1977-78 तक दि. वि. नि. ने 2199.02 लाख (क्रय संयंत्रों

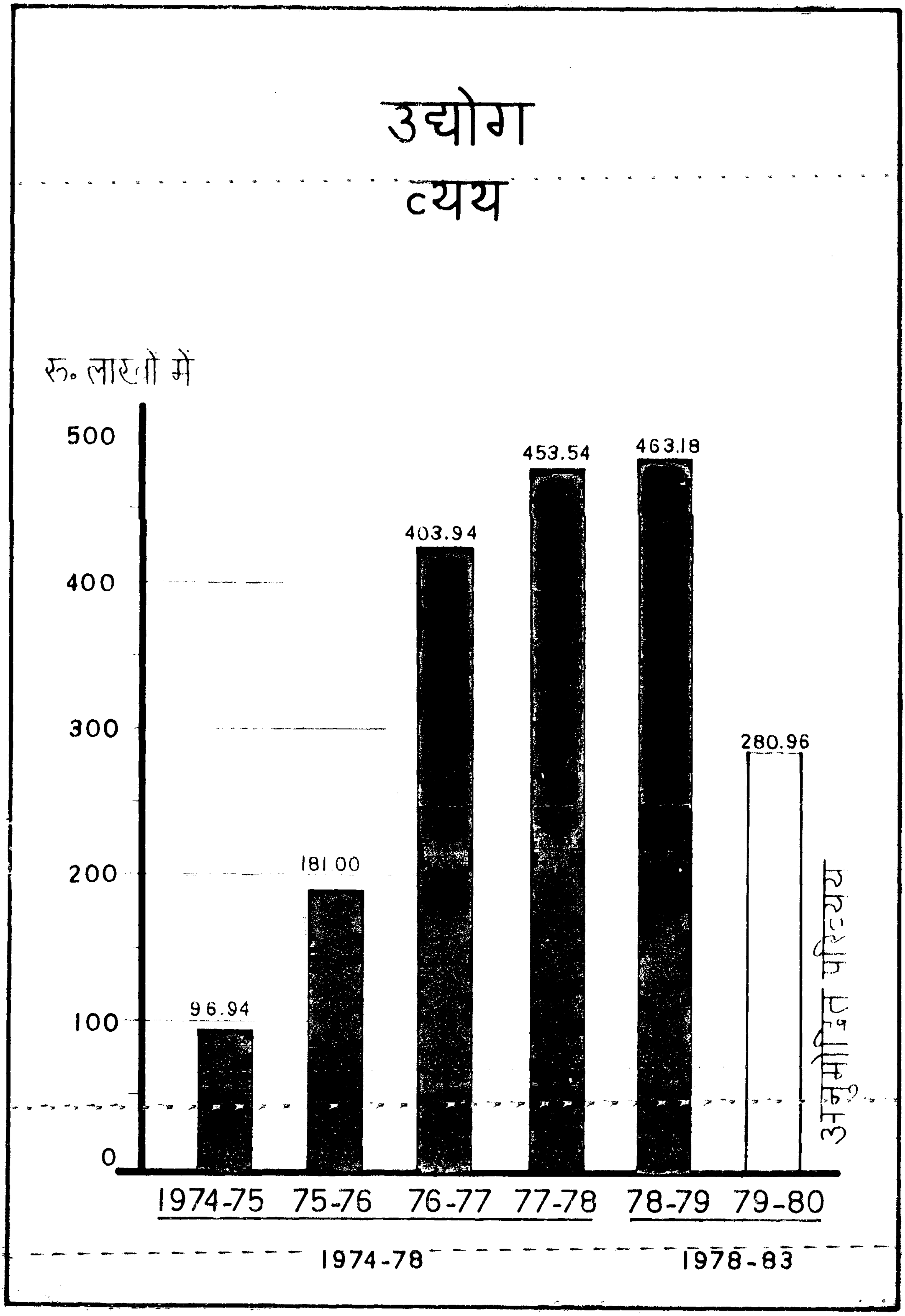
उद्योग
व्यय
रु० लाखों में
500
400
300
200
100
0
96.94
181.00
403.94
453.54
463.18
280.96
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

परिवहन एवं संचार

परिवहन एवं संचार के अधीन विकास-शीर्ष ने सापेक्ष महत्व प्राप्त किया है और यह अपनी सीमा में विस्तृत गतिविधियों जैसे बन्दरगाह का विकास, प्रकाश स्तम्भ एवं विद्युत पात नौपरिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़कें एवं पुलों, सड़क परिवहन, जल परिवहन को सम्मिलित करना है जैसा कि योजना में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया है । फिर भी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सड़कों के विकास सड़क परिवहन यातायात पुलिस एवं पर्यटन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है क्योंकि यही संघ राज्य क्षेत्र के विषय के विकास क्षेत्र में आती है और विकास की अन्य मदें या तो केन्द्रीय सूची की सीमा में आती हैं अथवा वे सभी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं हैं।

निम्नलिखित पैरा में विकास क्षेत्र का एक संक्षिप्त खाका जिससे प्रशासन सम्बद्ध है, प्रस्तुत किया गया है।

सड़कें एवं पुल

देश के किसी भी अन्य बड़े महानगर के मुकाबले दिल्ली की जनसंख्या आश्चर्यजनक तीव्रतर दर से बढ़ रही है। जैसा कि नीचे के ब्यौरे में दिया गया है, जनसंख्या में वृद्धि एवं उसका धनत्व समस्या की गम्भीरता को और बढ़ा रहे हैं।

प्रथम जुलाई को जनसंख्या (लाखों में)

मद	वर्ष				
	1961	1971	1975	1978	1979
नगर . .	23.93	36.87	43.82	49.88	52.08
ग्राम . .	3.03	4.22	4.81	5.30	5.48
योग . .	26.96	41.09	48.63	55.18*	57.56*
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि० मी०व्यक्ति)	—	2738	3235	3835	4000

*प्रथम जुलाई को आधे वर्ष की अनुमानित जनसंख्या

पिछले कुछ वर्षों की अवधि में जनसंख्या को आश्चर्यजनक वृद्धि के अतिरिक्त व्यापारिक संस्थापनाओं शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी संस्थापनाओं सहित अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप सड़कों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है । ये सब घटक (कारण) व्यापक परिवहन प्रणाली के विकास में वृद्धि कर रहे हैं और सड़कों पर मोटरों एवं अन्य चल वाहनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सड़कों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है । यह दबाव पड़ौसी राज्यों एवं अन्य राज्यों से समुचित संख्या में वाहन आने से और बढ़ जाता है। क्षेत्रीय व्यवस्था ऐसी है कि सड़कों द्वारा अधिक परिवहन हो । पूरे वर्ष में पंजीकृत वाहनों की संख्या को चित्रित करने वाली तालिका पूरे वर्ष में वाहनों के पंजीकरण में आई तीव्रता को दर्शाती है ।

वर्ष	वाहनों की संख्या (31 दिसम्बर को) लाखों में।	टिप्पणी
1961	0.12	दि० प० नि० की बसें इसमें शामिल नहीं है । 1970-71 की अवधि में 1553
1971	0.37	बसें (दोनों ही दि० प० नि० के स्वामित्व वाली एवं दि० प० नि० के अधीन चलने
1975	2.04	वाली प्राइवेट बसें) दि० प० नि० के अधीन चल रही थी। 1979-80 की
1978	4.49	अवधि में दि० प० नि० के अधीन चलने वाली बसों की संख्या बढ़ कर 3203
1979	4.79	हो गई।

अत: राजधानी के लिए सड़कों की सुसंगठित व्यवस्था सर्वोच्च महत्व रखती है । संघ राज्य क्षेत्र के आर्थिक विकास में परि वहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभाती ह और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रमु घटक का कार्य करती है। संघ राज्य क्षेत्र में यातायात ए परिवहन प्रणाली के अधिक प्रभावशाली एवं सफल विकास लिए और मुक्त यातायात दुर्व्यवस्था एवं दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिए इस विकास सैक्टर के अधीन बहुत-सी योजनाए क्रियान्वित की जा रही हैं। स्थूल रूप से दिल्ली में विभि सड़कों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकेगा—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विशेष दृष्टि से महत्वपूर्ण मा (रिंग रोड एवं बाहरी रिंग रोड आदि) ।

(2) शहरी मार्ग एवं पुल।

(3) ग्रामीण मार्ग।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं देखभाल करने व जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। जब कि शहरी सड़कें ए पुल, एवं, ग्रामीण सड़कें जो प्रत्येक जिले की आन्तरिक से करती हैं, ग्रामीण केन्द्र को जोड़ती हैं एवं मुख्य मार्गों की शा एवं पोषक के रूप में कार्य करती हैं, प्रशासन के क्षेत्र में आ हैं जिनका कार्य तीन अधिकरण जैसी कि राज्य क्षेत्र व्यवस्था है, दिल्ली प्रशासन (नी.नि.वि.), दिल्ली न निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका संभालती है ।

पंचवर्षीय योजना, 1978-83

जैसा कि ऊपर दिया गया है, दिल्ली में केवल सड़कें यातायात का माध्यम है क्योंकि संघ क्षेत्र में रेलें एवं याता

परिवहन एवं संचार

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

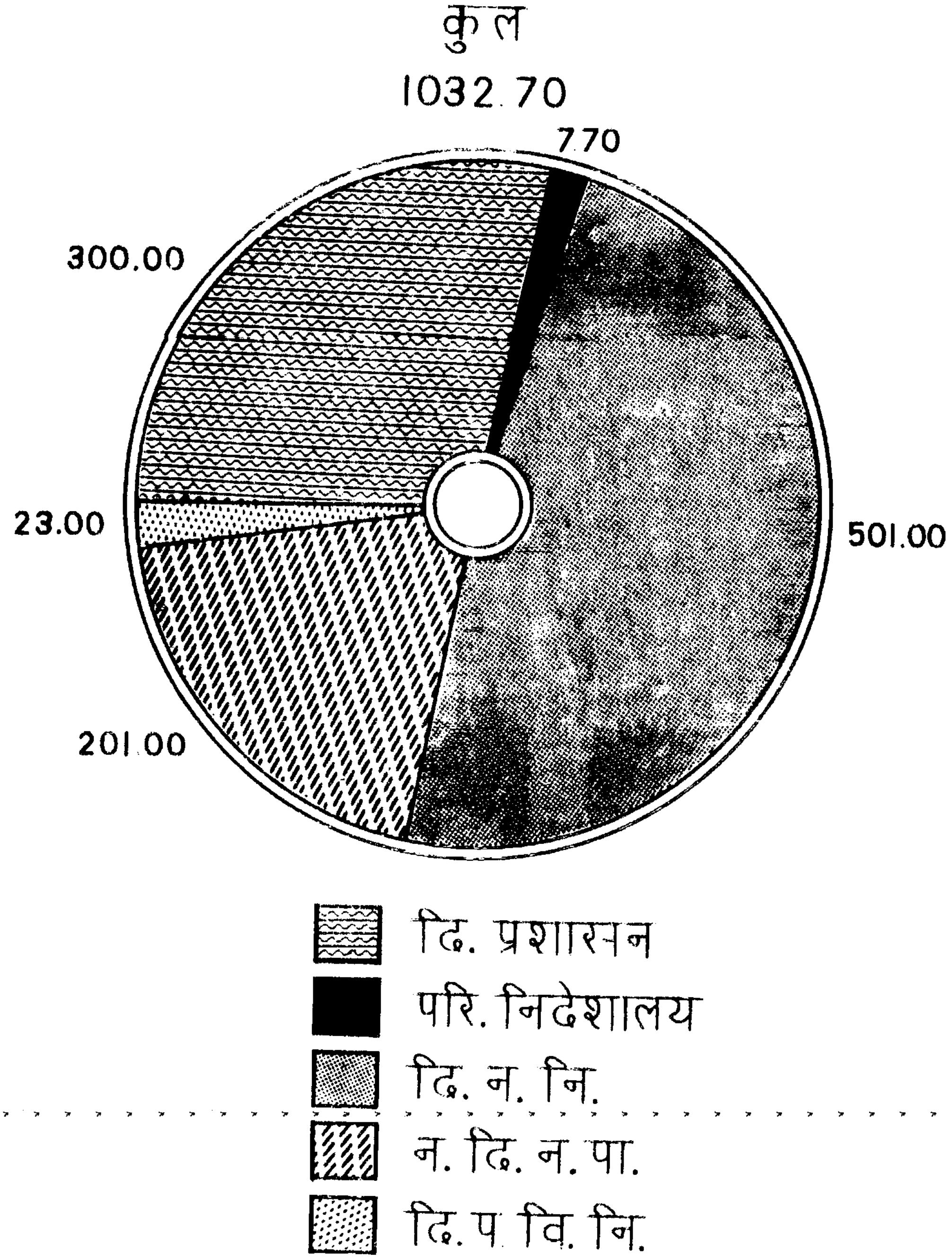

के अन्य साधन शुद्ध यातायात कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते इसलिए ये संघ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संघ क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना, 1978-83 का उद्देश्य इस प्रकार की कमियों को दूर करना है (1) लुप्त सड़क श्रृंखलाएं (2) लुप्त बड़े/छोटे पुल (3) विद्यमान सड़कों का सुद्ढीकरण एवं सुधार (4) पैदलपथ, साइकिल ट्रैक, सड़कों की पटरी उपलब्ध कराना (5) सड़कों को चौड़ा करना (6) उपमार्गों का निर्माण (7) ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का सुधार और (8) ग्रामीण को कृषि उत्पादन शीघ्र और सस्ते से मण्डी में लाने के योग्य बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से मण्डी तक समुचित मार्ग उपलब्ध करना ।

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए अनुमोदित परिव्यय का विवरण अभिकरण के अनुसार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है ।

(रुपये लाखों में)

क्रम सं	अभिकरण	सड़क एवं पुल	यातायात विनियमन एवं नियंत्रण	योग
1.	दिल्ली प्रशासन (लोक नि० वि०) . .	1497.00	150.00	1647.00
2.	दिल्ली नगर निगम (दि० न० नि०) . .	2103.00	—	2103.00
3.	नई दिल्ली नगर पालिका (न० दि० न० पा०)	950.00	—	950.00
	योग . .	4550.00	150.00	4700.00

पंचवर्षीय योजना 1978-83 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 450.95 लाख रुपया अलग रखा गया है एवं सा. नि. वि. द्वारा इस कार्य पर 10.00 लाख रुपया व्यय किया जाएगा । इस प्रकार संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना, 1978-83 के लिए प्रशासन द्वारा कुल 460.95 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के लिए केवल 113.00 लाख रुपये निर्धारित किए थे।

इस क्षेत्र के अधीन पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए दो वर्षों 1978-79 एवं 1979-80 का वास्तविक व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

अभिकरण का नाम	1978-79		1979-80	
	स्वीकृत परिव्यय (संशोधित)	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
(1) मार्ग एवं पुल				
1. दिल्ली प्रशासन (लो०नि० वि०)	208.52	167.05	275.00	284.00
दिल्ली यातायात पुलिस	26.00	23.84	30.00	29.76
उपयोग	234.52	190.89	305.00	314.16
2. दि० न० नि०	486.58	475.00*	300.00	252.54
3. न० दि० न० पा०	193.25	219.71	275.00	140.99
उपयोग (मार्ग एवं पुल)	914.35	885.60	880.00	707.69
(2) सड़क यातायात	0.80	0.71	6.50	0.32
(3) पर्यटन				
(क) दि० प० वि० नि०	102.37	—	44.00	42.50
(ख) दि० न० नि०	—	—	1.00	—
(ग) न० दि० न० पा०	—	—	5.00	—
उपयोग (क) :	102.37	—	50.00	42.50
योग (परिहवन एवं संचार)	1017.52	886.31	936.50	750.51

*आंकड़े जारी निधि से सम्बन्धित हैं।

वार्षिक योजना 1979-80

परिवहन एवं संचार सेक्टर के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में 936.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें 880.00 लाख रुपये उप-सेक्टर मार्ग एवं पुल के लिए अलग रखे गए। इस अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध विभिन्न अभिकरणों द्वारा 1979-80 की अवधि में बताए गए वास्तविक व्यय को उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जो कि दस्तावेज की तालिका-भाग में शामिल इस सेक्टर की तालिका से इस क्षेत्र के अधीन की गई वास्तविक उपलब्धि देखी जा सकती है।

वार्षिक योजना 1980-81

प्रशासन द्वारा वार्षिक योजना, 1980-81 में इस क्षेत्र के लिए 1145.90 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 1105.00 लाख रुपये इस उप सेक्टर के सड़कों एवं पुलों के लिए प्रस्तावित किए गए थे । उक्त प्रस्तावित परिव्यय में से योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सेक्टर के अधीन विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में वास्तविक व्यय 750.51 लाख रुपये के मुकाबले 1032.70 रुपयें का परिव्यय स्वीकृत किया ।

अनुमोदित परिव्यय विवरण अभिकरणानुसार नीचे दिया गया है:–

	(रुपये लाखों में)
अभिकरण का नाम	**स्वीकृत परिव्यय 1980-81**
1. सड़कें एवं पुल	
1. दिल्ली प्रशासन (लो.नि.वि.)	
चालू योजनाएं	42·95
नई योजनाएं	227·05
एम.एन.पी.	5·00
यातायात पुलिस	25·00
उपयोग-(1)	300·00
2. दिल्ली नगर निगम	
चालू योजना	370·38
नई योजना	129·62
उपयोग-(2)	500·00
3. नई दिल्ली नगर पालिका	
चालू योजना	83·10
नई योजना	116·90
उपयोग-(3)	200·00
2. सड़क-यातायात	**7·70**
3. पर्यटन	
(क) दि.प.वि.नि.	23·00
(ख) दि.प.नि.	1·00
(ग) न.दि.न.पा.	1·00
उपयोग (क-ख-ग):	25·00
योग:– (परिवहन एवं संचार)	1032·70

चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय इस सेक्टर के अधीन पंचवर्षीय योजना 1978–83 के मुख्य उद्देश्यों के लिए जिन्हें उपर्युक्त पैरा में स्पष्ट किया गया है, पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य राजमार्ग की टूटी फूटी सड़कों के प्रावधान से सम्बद्ध कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। जैसा कि कार्यकारी दलों ने अवलोकन किया है योजना आयोग ने पैदल पथ, साइकिल ट्रेक, सड़क मरम्मत आदि के प्रावधान को चालू रखा है।

योजना आयोग की इच्छानुसार इस बार इस दस्तावेज में दिल्ली परिवहन निगम पर विस्तृत दृष्टिपात करते हुए एक पैरा जोड़ा गया है।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। योजना के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा इस दस्तावेज की तालिका जी.एन.-2 में परिवहन एवं संचार सैक्टर के अधीन दिया गया है।

(क) **सड़कें एवं पुल**

दिल्ली प्रशासन (लो.नि.वि.)

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 275·00 लाख रुपये का परिव्यय लो. नि. वि. द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न सड़क एवं पुल योजनाओं के लिए रखा गया है। इस परिव्यय में से 42·95 लाख रुपये चालू योजनाओं के लिए 227·05 लाख रुपये नई योजनाओं के लिए और 5·00 लाख रुपये एन. एन. पी. स्कीमों के लिए है। योजना अवधि में क्रियान्वित किए जाने वाली स्कीमों में सड़कों को पूर्ण करने का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है जिसमें नये मार्गों का निर्माण, विद्यमान मार्गों को चौड़ा एवं सुदृढ करना, पैदल पथ, सड़क मरम्मत, महत्वपूर्ण मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था एवं पुलों के ऊपर/नीचे रेल-क्रासिंग स्तर आदि को परिवर्तित करना शामिल है। कुछ बड़ी स्कीमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:--

चालू स्कीम (व्याप्त योजनाएं)

1. बाहरी रिंग रोड नं. 26 का निर्माण (नजफगढ़ नाले से रोहतक रोड तक) नजफगढ़ नाले पर आई. सी. पुल (5·00 लाख रुपये)

बाहरी रिंग रोड नं. 26 नई कालोनियों जैसे तिलक नगर, श्याम नगर, प्रीतम पुरा आदि एवं औद्योगिक बस्तियों के विकसित होने के कारण यातायात-वृद्धि की तीव्रता को हल करने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सीमा प्रदेश में रिंग रोड के एक भाग का कार्य करता है। रोड नं. 26 नजफगढ़ रोड से रोहतक रोड एवं जी. टी. करनाल रोड को जोड़ता है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों की भीड़-भाड़ को दूर करते हुए हरियाणा पंजाब से आने वाले स्थानीय-यातायात को स्वतंत्र प्रवाह प्रदान करता है। रोड की चौड़ाई 200 फुट एवं रोड के इस भाग की लम्बाई 2.74 किलोमीटर है। मार्ग में सिवाय नजफगढ़ नाले के निकटवर्ती भाग जहां पर पुल निर्माणधीन है एवं नानकपुरा (केशोपुर गांव) का एक भाग जहां पर कि अनधिकार प्रवेश अभी रोका जाना है, को छोड़ कर यह दो लाइनों वाला कैरिज-वे (प्रत्येक 12 फुट) अधिकतर पूरा हो चुका है। इस पुल पर 1975 में 8·67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन ठेकेदार ने कार्य बीच में ही छोड़ दिया। शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार को सौंपा जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। अब सिंचाई एवं बाढ़ विभाग ने यह सूचित किया है कि अधिक से अधिक बरसाती पानी के निकास के लिए नजफगढ़ नाले के तल को चौड़ा किया जाएगा। तदनुसार पुल की लम्बाई बढ़ जाएगी जिसके लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है। नानकपुरा क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के संबंध में भूमि एवं भवन विभाग के उच्च स्तर पर कार्यवाही की है एवं संरचना के अधिग्रहण के लिए अंतिम निर्णय जारी होने वाला है।

इस भाग के लिए छठी योजना में 26·02 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें से 1978-79 की अवधि में 3·21 लाख रुपया व्यय हो चुका है। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 1·00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय 1979-80 की अवधि में पूर्णतः व्यय हो चुका है। चालू वर्ष 1980-81 के लिए 5·00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जो कि पुल के पूरा करने एवं नानकपुरा में संरचना अधिग्रहण, भूमि आदि पर व्यय किया जाएगा।

. एन.एच.-24 बाह्य पथ (रोड नं.-64) मार्ग-कार्य सहित ी. टी. रोड से सम्बद्ध मार्गों का निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण (1.00 लाख रुपये)

मानसिक अस्पताल शाहदरा के निकट कुछ भूमि के अभाव ें यह रोड़ अपूर्ण पड़ा है । सम्भवतः यह भूमि चालू वर्ष में ुपलब्ध की जाएगी । छठी पंचवर्षीय योजना 1978–83 में स कार्य के लिए 7.56 लाख रुपये का परिव्यय विद्यमान है। ार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत 0.01 लाख रुपये ा परिव्यय उपयोग नहीं किया जा सका। चालू वित्त वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि शेष ार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

. एन. एच.-1 बाह्य पथ एवं जी. टी. रोड (रोड नं.-66) के योजक पश्चिमी यमुना शहर के साथ रोड का निर्माण (4.00 लाख रुपये)

हारराेड जी. टी. गाजियाबाद रोड को मास्टर प्लान रोड ं.-59 से जोड़ता है एवं यमुना पार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ार्ग है । इस समय यह ग्रामीण क्षेत्र एवं गांव यथा मौजपुर, ावरपुर आदि के लिए पहुंच मार्ग प्रदान कर रहा है लेकिन ोड नं. - 50 के पूरा होने पर इस रोड का महत्व और भी बढ़ ाएगा । इस रोड की चौड़ाई 100 फुट है एवं लम्बाई लगभग 3.75 कि. मी. है जिसमें से रोड़ नं.-59 के संगम से ोड नं.-65 के संगम तक 2.16 कि. मी. के मार्ग में 2 ाइनों वाला एक कैरिज वे पहले ही तैयार किया जा चुका है। ोड नं.-05 के संगम से जी. टी. रोड गाजियाबाद इसके ंगम तक के शीर्ष भाग का कार्य शीघ्र आरम्भ नहीं किया जा का क्योंकि उ. प्र. सिंचाई विभाग से सम्बन्धित भूमि रोड े मार्ग में आ रही थी। अब यह भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है । शेष रोड-कार्य 6.43 लाख रुपये की स्वीकृत अनुमानित ागत से आरम्भ किया जा रहा है।

छठी योजना में 12.00 लाख रुपय का स्वीकृत परिव्यय है ज़िसमें से 1979-80 की अवधि में 1.70 लाख रुपये का ास्तविक व्यय हुआ । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए .00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि शेष कार्य ो पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा ।

. पटेल रोड के निकट से आनन्द पर्वत (रोड नं.-89) को ोड़ने वाले रोड का निर्माण (1.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर प्लान रोड पटेल नगर से ोहतक रोड को जोड़ेगा एवं मास्टर प्लान रोड नं.-89 विस्तार ें भी निरन्तरता होगी। इस रोड का पंक्तिबंधन सम्बन्धी निर्णय बहुत पहले लिया गया था लेकिन भूमि उपलब्ध नही ी गई क्योंकि कुछ संरचना रोड के मार्ग में आती है । रोड ी लम्बाई लगभग 2.20 कि. मी. होगी एवं 2 लाइन कैरिज- े के लिए अनुमानित लागत लगभग 11.35 लाख रुपये होगी। रा-न-होने पर यह रोहतक रोड से पटेल-नगर एवं रिंग रोड रण-3 को सीधा मार्ग प्रदान करेगा एवं इसके साथ की प्रेमनगर सी कालोनियों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करेगा एवं टेल नगर रेलवे स्टेशन के लिए भी मार्ग उपलब्ध करेगा ।

इस स्कीम के लिए छठी योजना में 11.35 लाख रुपये का रिव्यय स्वीकृत है । वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय 0.01 लाख रुपये की तुलना में चालू वित्त वर्ष में स स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया जा चुका है।

5. गुड्स एवायडिंग लाइन के क्रासिंग पर ऊपरी पुल एवं पहाड़गंज रोड (आर. ओ. बी.-36) के लिए भी मार्ग का निर्माण (0.50 लाख रुपये)

यह आर. ओ. बी. 76-77 के लगभग निर्मित किया गया था । मार्ग बनाने का कार्य भी आरम्भ किया गया था लेकिन पंक्तिबंधन में अनाधिकार प्रवेश एवं स्थगन आदेश के कारण यह अपूर्ण रह गया था । सितम्बर, 79 में संरचना हटा ली गई थी एवं स्थगन आदेश अक्तूबर, 1979 में इस शर्त के साथ हटा लिया गया था कि एक ओर से दूसरी ओर को आने जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए पुल-मार्ग के नीचे एक उप-मार्ग का निर्माण किया जाए ।

मार्ग के एक ओर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है एवं दूसरी ओर का कार्य भी पुल के समीप 100 मीटर के विस्तार को छोड़ कर जो स्थगन आदेश में आता था, पूरा हो चुका है। इसके लिए संशोधित अनुमान बनाया जा रहा है एवं कार्य के चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ।

छठी योजना में 10.02 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से 0.03 लाख रुपये 1978-79 की अवधि में व्यय किए गए थे। शेष कार्य पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 1979-80 के व्यय 8.67 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

6. मार्जिनल बांध से पश्चिमी यमुना नहर क्षेत्र 3 (रोड नं.-65) तक रोड का निर्माण (0.50 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर प्लान रोड यमुना पार क्षेत्र में है एवं मार्जिनल बांध रोड से मास्टर प्लान रोड़ नं. 66 एवं जी. टी. गाजियाबाद रोड को जोड़ता है । इस रोड की कुल लम्बाई लगभग 3.00 कि. मी. है । इस समय जी. टी. गाजियाबाद के संगम से रोड नं.-66 के संगम तक दो लाइनों वाला कैरिज वे कुछ विस्तार को छोड़ कर जहां पर कि इस समय अनधिकृत प्रवेश है, तैयार हो चुका है। रोड का शेष भाग अनधिकृत प्रवेश के कारण पूरा नही किया जा सका।

छठी योजना में 15.25 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से 1978-79 की अवधि में 3.13 लाख रुपये व्यय हुए। 1979-80 के लिए अनुमोदित 0.10 लाख रुपये 1979-80 की अवधि में उपयोग नहीं किये जा सके । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया जाएगा जो कि शेष मार्ग पर 2 लाइन वाले कैरिज वे के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

7. बाहरी रिंग रोड नं.-26 (एन. एच.-1 से एन. एच.-10 तक) का निर्माण (3.00 लाख रुपये)

इस भाग की लम्बाई लगभग 9.205 कि. मी. है । यह एन. एच.-1 को एन. एच.-10 से जोड़ता है एवं इसके साथ-साथ के गांव जैसे पूथ कला, महीपुर, होलंबीपुर आदि को मार्ग उपलब्ध करता है । दो आर. ओ. के अतिरिक्त समस्त विस्तार में दो लाइनों वाला कैरिज-वे अधिकतर पूरा हो चुका है उनके मार्ग दिल्ली अम्बाला एवं दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन को पार करते हैं एवं एक पुल दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी को जिसके लिए वार्षिक योजना में पृथक से प्रावधान विद्यमान है, पार करता है ।

छठी योजना में 15.00 लाख रुपये का एक प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिसमें से 2.25 लाख रुपये 78-79 में व्यय किए गए थे एवं स्वीकृत परिव्यय 2.50 लाख रुपये की

तुलना में 1979-80 की अवधि में 4.05 लाख रुपये व्यय किए गए थे । 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जो कि पूर्ण हुए भाग को पक्का करने (रोड तारकोल से) पर व्यय किया जाएगा ।

मुख्य पुल की लुप्तता (जारी स्कीम)

1. व.रा.ब.अ. के निकट वजीराबाद बैराज एवं रेल एवं सड़क पुल के मध्य यमुना नदी पर पुल का निर्माण (क) पुल कार्य एवं मार्ग (5.00 लाख रुपये)

यह पुल उन पुलों में से एक है जो कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यमुना नदी के ऊपर बनाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। पूरा होने पर यह संघ राज्य क्षेत्र में यमुना के पार से आने वाले यातायात में वृद्धि की तीव्रता को निपटाएगा (कम करेगा)। इस पुल में पैदल पथ आदि के साथ आठ लाइनों में विभाजित कैरिजवे का प्रावधान होगा। 1168.92 लाख की धनराशि का एक अनुमान तकनीकी अनुमोदन के लिए 1977 में जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय भेजा गया था । फिर भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि पुल के डिजाइन की पुन: जांच की जाए। 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण डिजाइन के संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी । अतएव पुल का डिजाइन समीक्षाधीन है एवं डिजाइन पर निर्णय के पश्चात् पुल एवं मार्गों का अनुमान तैयार किया जाएगा । पुल एवं मार्ग दोनों पर अनुमानित 20.00 करोड़ के लगभग लागत लगने की आशा है । फिर भी छठी योजना 1978-83 में 100 लाख रुपये का एक अल्प प्रावधान किया गया है । 78-79 की अवधि में 14.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई थी । 1979-80 के लिए स्वीकृत 1.00 लाख रुपये का परिव्यय नहीं किया जा सका । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है । जो कि भूमि अधिग्रहित करने पर व्यय किया जाएगा ।

2. रोड नं.-29 के किनारे नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण (3.00 लाख रुपये)

मास्टर प्लान रोड नं.-29 रोहतक रोड (एन. एच. 10) को रोड नं.-28 से जोड़ता है एवं जे. जे. कालोनियों के साथ ही मादीपुर, ज्वालापुर आदि की सेवा करता है । एक स्वीकृत अनुमानित 8.22 लाख रुपये की लागत से नजफगढ़ नाले के आर-पार एक पुल निर्माणाधीन है । पुल पूरा होने वाला है एवं शीघ्र ही यातायात के लिए खोला जाने वाला है । पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग, रघुबीर नगर, विष्णुपार्क से आने जाने वाला यातायात आसानी से रोहतक रोड के पार जा सकेगा । 10.15 लाख रुपये का एक प्रावधान छठी योजना के लिए स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें 2.93 लाख रुपये 78-79 में व्यय हुए । वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय 4.00 लाख रुपये की तुलना में 9.97 लाख रुपये व्यय किए गए थे । 1980-81 के लिए स्वीकृत 3.00 लाख रुपये का परिव्यय शेष कार्य पर एवं समायोजन पर व्यय किए जाएंगे। इसमें 81-82 के लिए कोई व्यय नहीं है ।

ऊपरी/निचले पुल के रेल क्रासिंग स्तर को बदलना

बाहरी रिंग रोड पर ओखला (आर.ओ.बी-22) के निकट दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन के क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण (5.00 लाख रुपये)

(क) उप भूमि-परीक्षा एवं क्षेत्र-अनुसंधान (ख) परियोजना-कार्य

बाहरी रिंग रोड ओखला औद्योगिक क्षेत्र के निकट दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन को पार करता है । नई कालोनियों एवं औद्योगिक बस्तियों के विकसित होने के कारण यातायात- वृद्धि की तीव्रता को कम करने के लिए दिल्ली के बाहरी सीमा प्रदेश में यह एक महत्वपूर्ण रोड है । दिल्ली मथुरा लाइन पर भारी रेलवे यातायात रहने के कारण विद्यमान रेल स्तर क्रासिंग अधिकतर बन्द ही रहता है जिसके फलस्वरूप इस रोड पर यातायात प्रवाह स्थान-भ्रंश एवं भीड़-भाड़ पूर्ण बना रहता है । इसीलिए रोड के मास्टर प्लान ने इस क्रासिंग पर आर.ओ. बी. के निर्माण की व्यवस्था की है । आर. ओ. बी. के पंक्तिबंध का निर्णय दि. वि. प्रा. द्वारा जुलाई 1979 में लिया गया था । विद्यमान रेलवे लाइन के ऊपर आर. ओ. बी. का निर्माण रेलवे प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा जिसके लिए लो. नि. वि., दिल्ली प्रशासन उनको लागत का शेयर देगा । आर. ओ. बी. का डिजाइन एवं पूर्वानुमान रेलवे प्राधिकरण के पा[स] निर्माणाधीन है एवं आर. ओ. बी. के शेष भाग और मार्गों [के] डिजाइन एवं अनुमान लो. नि. वि. में प्रक्रियाधीन है ।

छठी योजना में 20.00 लाख रुपये का एक अल्पप्रावधा[न] किया गया जिसमें से 1978-79 एवं 1979-80 में कोई व्य[य] नहीं किया गया । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृ[त] 5.00 लाख रुपये का परिव्यय उपभूमि परीक्षा एवं क्षेत्र-अनु[-] संधान के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे जिसके लिए 4.08 ला[ख] रुपये की धनराशि का एक अनुमान पहले ही स्वीकृत हो चुका है ।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 5.00 करोड़ रुप[ये] है ।

वर्तमान शुद्ध कार्य में से अभावों को दूर करने सम्बन्धी स्कीम

वार्षिक योजना 1980-81 में 29.75 लाख रुपये [का] परिव्यय नई स्कीमों जो कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्वत[ंत्र] यातायात प्रवाह हेतु लुप्त मार्गों को पूरा करने, नए मास[्टर] प्लान रोड एवं पुल उपलब्ध करने पर व्यय किए जाने के लिए र[खा] गया। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दि[या] जा रहा है:-

1. नजफगढ़ नाले के साथ ढाबा रोड नं.-48 का निर्मा[ण] (4.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाले इस मास्टर प्लान रोड का रेखां[कन] दि. वि. प्रा. द्वारा बहुत पहले अनुमोदित किया गया [था] परन्तु समस्त प्रस्तावित सीध में अनाधिकार प्रवेश के कारण का[र्य] आरम्भ नहीं किया जा सका । अब यह प्रस्तावित किया गया कि एक 16 फुट चौड़ा रोड बनाया जाए जो कि अन्तत: रोड [के] मुख्य कैरिजवे के साथ सेवा मार्ग का कार्य करेगा। इस से[वा] मार्ग पर कार्य पहले ही शुरु किया जा चुका है एवं 79-80 [की] अवधि में 13.34 लाख रुपये अनुमानित लागत अनुमोदित [की] गई है । पूरा होने पर इसकी लम्बाई लगभग 1.89 कि. मी[.] होगी और यह विजय नगर, राजपुर रोड कालोनियों आदि [को] मार्ग उपलब्ध करते हुए जी. टी. रोड करनाल को माल रो[ड] से जोड़ेगा ।

छठी योजना में इस कार्य के लिए 10.00 लाख रुपये [का] स्वीकृत परिव्यय है जिसमें से 79.80 की अवधि में 4.[…] लाख रुपये व्यय हुए । वार्षिक योजना 1980-81 के लि[ए] स्वीकृत 4.00 लाख रुपये का परिव्यय इस सेवा मार्ग के [पूरा] करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

2. एन. एच.-1, 10, 8, 2, एवं 24 के साथ-साथ से[वा] मार्ग का निर्माण (1 लाख रु.)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ [स]े पैदलपथ सेवा मार्ग, मार्ग प्रकाश जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने

उत्तरदायित्व दिल्ली प्रशासन का है । इस समय अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 4 लाइन की चौड़ाई बढ़ाने की प्रक्रियाधीन है। रोड के साथ साथ कालोनियां बस जाने के कारण धीमी गति वाले वाहनों की सघनता बहुत बढ़ती जा रही है । जिस पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग तीव्र गति वाले यातायात की आवश्यकता को पूरा करता है । इसलिए यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कम से कम खुला स्थान दिया जाए ताकि दुर्घटना न हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ- साथ भीड़-भाड़ वाले एवं व्यस्त क्षेत्र में सेवा मार्ग उपलब्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि एन एच. के साथ चरणबद्ध ढंग से सेवा-मार्ग उपलब्ध किए जाए । एन. एच. -1 के साथ साथ आदर्श नगर से औचन्दी मार्ग के संगम तक के मार्ग में 1980-81 में 13.73 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सेवा मार्ग बनाया जाएगा ।

छठी योजना में सेवा मार्ग उपलब्ध करने के लिए 6.35 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है । वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत 0.50 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में लाख रुपये का व्यय हुआ । चालू वर्ष के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

3. रोड नं.-28 का इसके संगम सहित रोड नं.-29 से लेकर बाहरी रिंग रोड का निर्माण (2.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर-प्लान रोड जब पूरी तरह से तैयार होगा तो रिंग रोड को बाहरी रिंग रोड से जोड़ेगा एवं रघुबीर नगर, विष्णु गार्डन-ख्याला गांव आदि कालोनियों को पहुंच मार्ग प्रदान करेगा । रिंग रोड के संगम से रघुबीर नगर (रोड न.-31 का संगम) तक के पहुंच मार्ग में 2 लाइनों वाले कैरिज-वे का निर्माण वि. वि. प्रा. द्वारा जे. जे. स्कीम के अधीन किया गया था । मास्टर-प्लान रोड नं.-31 के संगम से रोहतक जाने वाले 80 फुट चौड़े रोड के संगम तक के भाग का रेखांकन दि. वि. प्रा. द्वारा दिनांक 25-9-79 को अनुमोदित किया गया था लेकिन अनधिकार प्रवेश मुक्त भूमि लो नि वि. को नहीं सौंपी गई । इस सम्बन्ध में भूमि व भवन विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा जा चुका है। ताकि इस मार्ग में दो लाइन वाला कैरिजवे पूरा किया जा सके। 80 फुट के रोड के संगम से बाहरी रिंग रोड तक के शेष भाग के रेखांकन पर दि. वि. प्रा. द्वारा अभी निर्णय किया जाना है।

छठी योजना में 16.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है जिसमें 1979-80 की अवधि में 0.10 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय की तुलना में कोई व्यय नहीं किया गया था। 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय का उपयोग भूमि एवं संरचना अधिग्रहीत करने एवं उस पहुंच मार्ग जिसका रेखांकन पहले ही अनुमोदित है पर कार्य आरम्भ करने के लिए किया जाएगा ।

4. रोड नं.-72 संयुक्त रोड नं.-74 एवं शाहदरा में क्षेत्र 4, 9 एवं 10 में से गुजरने वाली गुड्स एवाइडिंग लाइन के किनारे रोड का निर्माण (3 लाख रुपये)

यमुना पार के क्षेत्र में 100 फुट चौड़ाई वाला यह एक महत्वपूर्ण रोड है । पूर्ण विकसित होने पर यह मास्टर-प्लान रोड नं.-74 को गाजियाबाद को जाने वाली गुड्स एवायडिंग रेलवे लाइन के साथ के रोड से जोड़ेगा । इस समय यह प्रस्तावित किया गया है कि 2.19 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय से एक दो लाइनों वाला कैरिज-वे मास्टर प्लान-रोड नं.-58 के पहुंच मार्ग-संगम से लेकर मास्टर-प्लान रोड नं.-75 के विस्तार के संगम तक बनाया जायें । इस भाग की लम्बाई लगभग 0.90 कि. मी. होगी । पूरी तरह विकसित होने पर यह रोड यमुना-पार क्षेत्र को अर्जुन नगर-कस्तूरबा नगर कालोनियों के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करेगा ।

छठी योजना 1978-83 में इसके लिए 5.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है । वार्षिक योजना 1979-80 में स्वीकृत परिव्यय की तुलना में लाख रुपये व्यय किए गए । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि शेष कार्य को पूरा करने पर व्यय किया जायेगा ।

5. जे. एन. यू. के पहुंच मार्गों का पालम-महरौली रोड तक विस्तार

(क) पश्चिमी पहुंच मार्ग (1.00 लाख रुपये)

(ख) पूर्वी पहुंच मार्ग (1.00 लाख रुपये)

यह पहुंच मार्ग बाहरी रिंग रोड (रोड नं.-10) को महरौली-महीपालपुर रोड से जोड़ता है । प्रत्येक पहुंच मार्ग रोड की लम्बाई लगभग 1.25 कि.मी. एवं चौड़ाई 100 फुट है। क्रमश. लगभग 0.60 कि. मी. एवं 1.30 कि. मी. लम्बा एक दो लाइनों वाला कैरिज-वे पहले ही बन चुका है। पहुंचमार्ग रोड के शेष भाग के रेखांकन की सर्वेक्षण योजना अन्तिम निर्णय के लिए दि. वि. प्रा. को भेजी जा चुकी है। इन पहुंच मार्गों के रेखांकन पर शीघ्र ही निर्णय होने वाला है ।

उपर्युक्त दो निर्माण कार्यों के लिए छठी योजना में क्रमशः 12.00 लाख एवं 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना, 1979-80 में दोनों स्कीमों के लिए 2.00 लाख रुपये प्रति योजना के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में कुछ भी व्यय नहीं किया गया था । वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रुपये प्रति स्कीम के स्वीकृत परिव्यय को भूमि अधिग्रहित करने एवं कार्य आरम्भ करने पर व्यय किया जाएगा ।

6. कालीदास मार्ग से भारतनगर तक मार्ग (कड़ी) का निर्माण (1.00 लाख रुपये कालीदास मार्ग) (क) भूमि अधिग्रहण (ख) रोड - कार्य

यह रोड गुलाबी बाग क्षेत्र में 100 फुट चौड़ाई वाला एक मास्टर-प्लान रोड है । इस रोड का रेखांकन 1975 में दि. वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया था । परन्तु अनधिकार प्रवेश के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका था । अनधिकार प्रवेश मुक्त भूमि संभवत शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी । भूमि संरचना प्राप्त करने एवं दो लाइनों वाले कैरिज-वे के लिए क्रमश: 6.58 लाख रुपये एवं 6.01 लाख रुपये की धनराशि का अनुमान तैयार किया जा रहा है । पूरा होने पर इस रोड की लम्बाई लगभग 0.75 कि. मी. होगी ।

छठी योजना में उक्त कार्य के लिए 4.00 लाख रुपये का अल्प प्रावधान स्वीकृत किया गया था। फण्ड की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कहा जाएगा अथवा किसी अन्य स्कीम में से उपलब्ध की जाएगी। वार्षिक योजना 1979-80 में 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें कोई व्यय नहीं किया गया। 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जो कि दो लाइनों वाले कैरिज-वे के लिए भूमि प्राप्त करने एवं उसके निर्माण पर व्यय किए जाएंगे।

7. सर्वेक्षण अन्वेषण एवं स्कीमों के लिए विशेष टी. एवं पी.

(क) परियोजनाओं का अन्वेषण तैयार करना।

(ख) सड़क निर्माण उपकरण की खरीद एवं जीप/ट्रेलर की खरीद (12 लाख रुपये)

लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर यातायात की सघनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए समय समय पर अन्वेषण एवं नई स्कीमों को तैयार करने की आवश्यकता है। नई स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए एवं विद्यमान मार्गों की उचित देख-भाल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मशीनों को प्राप्त किया जाएगा।

लो. नि. वि के अधिकतर रोड दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं एवं समस्त दिल्ली संघ क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह प्रस्तावित किया गया है कि मार्गों की देखभाल करने के लिए लो. नि. वि. के समस्त डिविजनों को समुचित उपकरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि सड़कों की शीघ्र एवं समुचित देखभाल की जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण एवं देखभाल के उप-करण जैसे —ट्रक, ट्रेलर आदि प्राप्त करने के लिए 7.70 लाख रुपये की धनराशि का एक अनुमान स्वीकृत हो चुका है एवं अनुसंधान एवं अनुमान बनाने के लिए 8.43 लाख रुपये का दूसरा अनुमान विचाराधीन है।

छठी योजना में इन मदों यथा अनुसंधान एवं टी. एवं पी. की खरीद के लिए 20.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 5.00 लाख रुपये की धन-राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 2.65 लाख रुपये व्यय किये गये थे। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 12.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है जो कि शेष टी. एवं पी. की खरीद पर एवं समुचित उप भूमि अन्वेषण पर व्यय किए जाएंगे।

लुप्त मुख्य पुल (नई स्कीम)

1. बाहरी रिंग रोड नं.-26 के साथ साथ दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल का निर्माण (क) पुल कार्य (ख) पुल के लिए पहुंच मार्ग।

दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर बाहरी रिंग रोड नं.-26 की सीध में रोड नं.-41 के मध्य पार करता है एवं प्रस्तावित आर. ओ. बी. दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर पार करता है। 12.77 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पुल का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। पुल के पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। छठी योजना में इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। 1979-80 में 4.24 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत 7.00 लाख रुपये का परिव्यय पुल एवं इसके पहुंच मार्गों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

2. शान्तिवन के निकट विद्यमान रेल एवं पुल के दक्षिण में यमुना नदी पर पुल का निर्माण (क) उप भूमि अन्वेषण (5.00 लाख रुपये)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यमुना नदी पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित पुलों में से यह भी एक है प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है एवं स्थल का अभी निर्णय किया जाना है। पुल की अनु-मानित लागत राशि लगभग 20.00 करोड़ रुपये होगी।

छठी योजना 1978-83 में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 13.41 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर उप भूमि अनुसंधान कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत 5.00 लाख रुपये का परिव्यय उप भूमि अनुसंधान पर प्रयुक्त किया जाएगा। 1981-82 एवं उससे आगे के लिए स्पिल ओवर व्यय 10.00 लाख रुपये होगा जो कि भूमि प्राप्त करने एवं पुल से सम्बन्धित प्रार-म्भिक कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

डबल लेन सेक्शन रोडों को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना

(1) वजीराबाद बैराज से पूर्वी यमुना नहर (4 लेन) को जोड़ने वाले रोड नं. 59 का सुदृढ़ीकरण (5.00 लाख रुपये)

यमुना पार क्षेत्र में रोड नं.-45 को लोनी रोड से मिलाने वाला यह एक महत्वपूर्ण रोड है। रोड की लम्बाई लगभग 5.57 कि. मी. एवं चौड़ाई 200 फुट है यह रोड वस्तुत. जी. टी. राजमार्ग-1 का ही उपमार्ग होगा। इस समय दो लेनों वाला कैरिज-वे बनकर तैयार हो चुका है। इस क्षेत्र में नई कालोनियों एवं बहुत बड़ी संख्या में गांवों यथा गोकुलपुर, भौजपुर आदि के विकसित होने के कारण यातायात की तीव्रता में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि इसे चौड़ा करके 4 लेनों में विभाजित कैरिज-वे बनाया जाए जिसके लिए पृथक से प्रावधान किया गया है। विद्यमान कैरिज-वे के सम्बन्ध में यह विचार क्षेत्र के विकसित होने एवं समय-समय पर होने वाली यातायात की भारी वृद्धि के आधार पर है। इस रोड पर याता-यात अत्यंत तीव्रगति से बढ़ चुका है जिसके कारण विद्यमान सड़क अपर्याप्त हो गई है एवं मुक्त प्रवाह के लिए भी अयोग्य है। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि व्यापक अनुसंधान के बाद तारकोल एवं कंकरीट रोड़ी डालकर इसे सुदृढ़ किया जाए। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग 11.00 लाख रुपये होगी। इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना, 1980-81 में 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(2) आश्रम से सफदरजंग अस्पताल तक रिंग रोड चरण-1 का सुदृढ़ीकरण (2.00 लाख रुपये)

रिंग रोड चरण-1 मथुरा रोड को आश्रम संगम से जोड़ता है एवं सफदरजंग क्रासिंग पर मथुरा रोड को विस्तरित करता है। रोड का यह भाग 5.30 कि. मी. लम्बा एवं 210 फुट चौड़ा है जो कि पूरी तरह विकसित है। सेवा-मार्ग, पैदल-पथ आदि सहित इस पर 6 लेनों में विभाजित कैरिज-वे है। रोड के इस भाग में यातायात की तीव्रता में भयंकर वृद्धि हो चुकी है। इस पर बहुत बड़ी संख्या में दि. प. नि. की बसें, प्राईवेट वाहन, स्कूटर आदि बढ़ चुके हैं जिससे विद्यमान सड़क यातायात के लिए अपर्याप्त हो गई है परिणामस्वरूप कैरिज-वे में दरार पड़ गई है। सी. आर. आर. आई. प्राधिकारियों से सड़क की जांच करने एवं कैरिज-वे को दोबारा सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने की प्रार्थना की गई है। सी. आर. आर. आई. से सुझाव प्राप्त होने पर इसका अनुमान तैयार किया जाएगा। छठी योजना में 5.00 लाख रुपये का एक अल्प प्रावधान किया गया है परन्तु अभी तक उसमें से कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत 2.00 लाख रुपये के परि-व्यय को सुदृढ़ीकरण के कार्य पर व्यय किया जाएगा। 1981-82 का स्पिल ओवर व्यय संभवत 3.00 लाख रुपये होगा।

(3) पूर्वी यमुना रोड से रोड नं.-66 के संगम तक रोड नं.-68 का सुदृढ़ीकरण (3.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ा एवं करीब 3.46 कि. मी. लम्बा यह मास्टर प्लान यमुना पार क्षेत्र के गांवों एवं अपने किनारे-किनारे आने वाली नई कालोनियों की सेवा करता है। यह रोड मास्टर प्लान रोड 69 को मास्टर प्लान रोड 66 से जोड़ता है। इस समय दो लेनों वाला कैरिजवे जो कि उस समय यातायात की तीव्रता को देखते हुए बनाया गया था, विद्यमान है। यातायात की तीव्र वृद्धि के कारण सड़क की मोटी पपड़ी अपर्याप्त एवं मुक्त प्रवाह में बाधक है जिससे सड़क में दरारें पड़ गई हैं। 1978 में यातायात गणना की गई थी एवं यह पाया गया था कि विद्यमान सड़क की तह को 4 सें मी. मोटा कंकरीट-तारकोल मिश्रण डालकर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उक्त कार्य 3.90 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित हो चुका है।

इसके लिए छठी योजना 1978—83 में 2.52 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है। वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत परिव्यय का प्रयोग कार्य पूरा करने के लिए किया जाएगा। 1981-82 के लिए स्पिल ओवर व्यय संभवतः शून्य होगा।

(4) रोड नं.-66 का सुदृढ़ीकरण (2.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर प्लान रोड यमुनापार क्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण रोड है। इस समय दो लेनों का कैरिजवे रोड नं.-59 के संगम के साथ से रोड नं.-65 के संगम के साथ से बनाया जा चुका है। विद्यमान कैरिजवे की मोटी तह जो कि उस समय की यातायात तीव्रता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, अपर्याप्त हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप सड़क में दरार और गड्ढे पड़ चुके हैं। अतएव यह निर्णय लिया गया कि इस पर 4 सें. मी. मोटा डामर (बिटुमन) डालकर सुदृढ़ किया जाए जिसके लिए 2.42 लाख रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति 1978 में प्राप्त की गई थी। डामर की कमी के कारण कार्य शीघ्र आरंभ नहीं किया जा सका।

छठी योजना 1978-83 में इस कार्य के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत 2.00 लाख रुपये का परिव्यय इस कार्य को पूरा करने पर व्यय किया जाएगा।

ओवर/अण्डर ब्रिज द्वारा रेल लेवल क्रासिंग का प्रति स्थापन दिल्ली-करनाल रेलवे लाइन के सम्मुख बाहरी रिंग रोड नं.0-26 पर रेल ओवर ब्रिज एवं पहुंच मार्ग का निर्माण (8.00 लाख रुपये)

दिल्ली की बाहरी परिधि सहित रोहतक रोड को दिल्ली-करनाल रोड से जोड़ने वाला प्रमुख बाहरी रिंग रोड नं.-26 निर्माणाधीन है। इसके पूरा होने पर इसके किनारे बड़ी संख्या में कालोनियों के विकसित होने से अत्यधिक भारी वाहनों के चलने की आशा है। यह रोहतक रोड की ओर से हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश जाने एवं आने वाले अन्तर्राज्यीय यातायात के लिए उपमार्ग का कार्य भी करेगा। यातायात प्रवाह न रुकने देने के लिए इस रेलवे लाइन पर एक रेल ओवर ब्रिज का प्रस्ताव है। 74.06 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना पूर्णतः स्वीकृत (लो. नि. वि. लागत शेयर) हो चुकी है। इस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसके लिए पहले ही 40.00 लाख रुपया उनके पास जमा किया जा चुका है। पहुंच मार्ग का निर्माण इस विभाग द्वारा किया जाएगा। छठी योजना में इस कार्य के लिए 5.00 लाख रुपये का अन्य प्रावधान किया गया है। 1979-80 के व्यय 40.00 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में 8.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय इस कार्य को पूरा करने के लिए व्यय किया जाएगा।

(2) दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन के सम्मुख बाहरी रिंग रोड नं.25 पर रे. ओ. ब्रि. एवं पहुंच मार्ग का निर्माण (8.00 लाख रुपये)

दिल्ली की बाहरी परिधि सहित रोहतक से दिल्ली करनाल रोड को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन बाहरी रिंग रोड नं.-26 पर यह एक अन्य रेल ओवर ब्रिज है। इसके पूरा होने पर बड़ी संख्या में विकसित कालोनियों के कारण इस पर से अत्यधिक भारी वाहनों के चलने की आशा है। यह भी रोहतक रोड की ओर से हरियाणा पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की ओर जाने आने वाले वाहनों के लिए उपमार्ग का कार्य करेगा। यातायात प्रवाह न रुकने देने के लिए इस पर एक रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। 74.18 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली समस्त परियोजना (लो नि वि लागत शेयर) पहले ही स्वीकृत हो चुकी है और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसके लिए पहले ही 40.00 लाख रुपये उनके पास जमा करा दिए गए हैं। पहुंच मार्ग का कार्य इस विभाग द्वारा आरम्भ किया जाएगा।

छठी योजना में 50.00 लाख रुपये का एक अल्प प्रावधान किया गया जिसमें से 1979-80 में 46.76 लाख रुपये व्यय हुए थे। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 8.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है जो कि कार्य पूरा करने पर व्यय किया जाएगा।

(3) मथुरा रोड से निजामुद्दीन ब्रिज को जोड़ने के लिए रे. ओ. बि. एवं लिंक रोड का निर्माण (2.00 लाख रुपये)

यह रोड मथुरा रोड को एन-एच-2 उपमार्ग (रिंग रोड नाम से प्रसिद्ध) से जोड़ेगा और यह लोधी रोड की कड़ी भी होगा। रेखांकन के अन्तिम निर्णय के लिए सर्वेक्षण योजना दि. वि. प्रा. को भेजी जा चुकी है। निजामुद्दीन पर तीसरे प्रस्तावित टर्मिनल जो कि दि. वि. प्रा. में विचाराधीन है के कारण अभी इस मार्ग के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ है। यदि प्रस्ताव हो गया तो कालका जी, डिफेन्स कालोनी, लाजपतनगर में आने वाले यातायात के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिंग रोड एवं उ. प्र. क्षेत्र में जाने के लिए यमुना पर निजामुद्दीन ब्रिज से मार्ग आसान हो जाएगा। रेखांकन पर अन्तिम निर्णय के पश्चात परियोजना की लागत का अनुमान लगाया जाएगा। फिर भी 25.00 लाख रुपये का प्रावधान छठी योजना, 1978—83 में स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय की भूमि एवं संरचना प्राप्त करने जैसे प्रारम्भिक कार्यों पर किया जाएगा। 1981-82 से आगे के लिए स्पिल ओवर व्यय 23.00 लाख होने की संभावना है।

रोड को चार लेनों में चौड़ा करना (नई स्कीमें)

1. रोड नं. -56 को जी. टी. गाजियाबाद रोड से जोड़ने वाली रोड नं. 57 को 2 लाइनों से 4 लाइनों में चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर प्लान रोड यमुना पार क्षेत्र में है एवं जी टी गाजियाबाद रोड को रोड नं.-56 से जोड़ता है। यमुना पार क्षेत्र में बड़ी संख्या में कालोनियों विकसित होने के कारण इस रोड पर यातायात में भारी वृद्धि हुई। 2 लेनों वाला विद्यमान कैरिजवे यातायात की भारी वृद्धि से निपटने के लिए अपर्याप्त है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि 1979 में आयोजित यातायात गणना के आधार पर इसे चौड़ा करके 4 लेनों वाला विभक्त कैरिजवे बना दिया जाए। इसका अनुमान तैयार किया जा रहा है।

छठी योजना में इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत 2.00 लाख रुपये का परिव्यय बांध सम्बन्धी मिट्टी के काम आदि के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(2) पटेलनगर को पूसा संस्थान के पश्चिम में होकर रे. ओ. बि.-26 से जोड़ने वाले रोड नं.-25 को 2 लेन से 4 लेनों में चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

इस रोड की लम्बाई लगभग 4.47 कि. मी. है। यह एक महत्वपूर्ण रोड है जो कि पूसा संस्थान के पश्चिम से होकर जाता है एवं शंकर रोड को मा. प्लान रोड 89 विस्तार से जोड़ता है। इस रोड की चौड़ाई 100 फुट है परन्तु इस समय केवल 2 लेनों वाला कैरिजवे विद्यमान है। कालोनियों के विकसित होने के कारण इस रोड पर यातायात में भारी वृद्धि हुई है। रेलवे ओवर ब्रिज नं.-26 के बन जाने पर जो कि रोड नं.-89 विस्तार के सम्मुख निर्माणाधीन है इसमें और भी वृद्धि होगी। वर्तमान कैरिजवे भारी यातायात वृद्धि को निपटाने के लिए अपर्याप्त है। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि रोड को 4 लेनों वाले कैरिजवे जितना चौड़ा कर दिया जाए जिसका अनुमोदन 42.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सम्प्रेषित किया गया है। छठी योजना 1978-83 में 21.00 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया जा चुका है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय इस कार्य को पूरा करने पर किया जाएगा।

(3) ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिमी रोड के साथ बदरपुर रोड को जोड़ने वाले रोड नं.-14 को 2 से 4 लेनों में चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

इस रोड की लम्बाई लगभग 3.87 कि. मी है। यह रोड पश्चिमी ओखला औद्योगिक क्षेत्र सहित एस. ए. रोड को महरौली बदरपुर रोड से जोड़ता है। इस समय यह एक दो लेनों वाला कैरिजवे है यद्यपि इसकी चौड़ाई 100 फुट है। बहुत बड़ी संख्या में कालोनियों जैसे गोविन्द पुरी, तुगलकाबाद आदि एवं ओखला औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के कारण यातायात बहुत गंभीर रूप से बढ़ गया है जिससे रोड को चौड़ा करके 2 लेनों से 4 लेनों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बाद में दि. प. नि. की बसों की तीव्रता भी भयंकर रूप से रोड पर बढ़ी है। चौड़ा करने का प्रस्ताव 12.07 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत हो चुका है। इस कार्य के लिए छठी योजना में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हो चुका है।

(4) रोड नं.-36 को चौड़ा करना (8.00 लाख रुपये)

इस रोड की लम्बाई 5.05 कि. मी. है। दक्षिणी दिल्ली में पटेल रोड, रिंग रोड एवं जेल रोड को जोड़ने वाला यह एक महत्वपूर्ण रोड है। यद्यपि इस रोड की चौड़ाई अंशतः 150 फुट एवं 100 फुट है परन्तु इस समय इस पर दो लेनों वाला कैरिजवे है। मानसरोवर गार्डन, सुभाषनगर, प्रताप नगर आदि नई कालोनियों के विकसित होने से इस रोड पर यातायात की प्रबलता इस हद तक बढ़ी है कि विद्यमान कैरिजवे उसे संभालने में असमर्थ है। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि रोड को 2 लेन से 4 लेनों के कैरिज-वे में चौड़ा किया जाए जिसके लिए 46.30 लाख रुपये की अधिकतम अनुमानित लागत का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। छठी योजना में इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय इस कार्य को आरम्भ करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(5) वजीराबाद बैराज को पश्चिमी यमुना नहर से जोड़ते हुए रोड नं.-59 को दो लेनों से 4 लेनों तक चौड़ा करना (4.00 लाख रुपये)

इस रोड की लम्बाई लगभग 5.57 कि. मी. है। यह रोड नं.-45 को लोनी रोड से जोड़ता है एवं रोड नं.-50 के क्रम से है जो कि निर्माणाधीन है। यद्यपि इसकी चौड़ाई 200 फुट है परन्तु इस पर केवल 2 लेनों वाला कैरिजवे विद्यमान है। इस रोड पर यातायात इस सीमा तक बढ़ गया है कि विद्यमान कैरिजवे उसे संभालने में असमर्थ है। तथापि रोड नं.-50 एवं रोड नं.-63 का भाग जो कि निर्माणाधीन है के पूरा होने पर यातायात का दबाव और अधिक बढ़ेगा क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से उत्तर प्रदेश आने-जाने वाला भारी यातायात दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों से भीड़ समाप्त करने की दृष्टि से इसे प्रयोग करेगा। यह रोड अपने किनारे के गांवों को भी आसान रास्ता उपलब्ध करेगा। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि रोड को चौड़ा करके 2 लेनों से 4 लेनों में विभाजित कैरिजवे बना दिया जाए। अनुमान के उद्देश्य से रोड को दो भागों यथा वजीराबाद बैराज से मार्जिनल बांध एवं मार्जिनल बांध से लोनी रोड में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग की स्वीकृत अनुमानित 34.50 लाख रुपये पहले ही प्राप्त हो चुकी है एवं दूसरे भाग की अनुमानित 34.95 लाख रुपये की स्वीकृत प्रतीक्षित है। छठी योजना में इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया जा चुका है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय का उपयोग इस कार्य को आरम्भ करने के लिए किया जाएगा।

(6) महरौली रोड एवं जे. एन. यू. के पश्चिमी पहुंच मार्गों को जोड़ने वाले रोड नं.-11 को 2 लेनों से चार लेनों चौड़ा करना (4.00 लाख रुपये)

100 फुट चौड़े इस रोड की लम्बाई लगभग 3.43 कि. मी. है। यह रोड एशियन लैंगवेज इन्स्टीट्यूट एवं कुतुब होटल से गुजरते महरौली रोड को जे. एन. यू. के पश्चिमी पहुंच मार्गों से जोड़ता है। इस समय इस पर दो लेनों वाला कैरिजवे विद्यमान है जो कि क्षेत्र में नई कालोनियों एवं संस्थानों के विकसित होने के फलस्वरूप यातायात की प्रबल वृद्धि के लिए अपर्याप्त है। 2 लेनों से 4 लेनों में चौड़ा करने का कार्य 1979-80 में 14.88 लाख रुपये की स्वीकृत अनुमानित लागत पर आरम्भ किया गया था।

छठी योजना में इस कार्य के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय शेष कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। 1979-80 की अवधि में 1.37 लाख रुपये व्यय किया गया।

(7) श्रीफोर्ट रोड को 2 लेनों से 4 लेनों में चौड़ा करना (3.00 लाख रुपये)

यह मास्टर प्लान रोड लगभग 1.25 कि.मी लम्बा एवं 80 फुट चौड़ा है। यह मास्टर प्लान रोड नं. 5 को मास्टर प्लान नं. 5-सी से जोड़ता है एवं मस्जिद मोठ जैसी महत्वपूर्ण कालोनियों को जहां पर कि दि. वि. प्रा. ने मकान बनाए हैं एवं क्षेत्र की अन्य कालोनियों को मार्ग प्रदान करता है। 1 से 4 लेनों में चौड़ा किया जाने का कार्य 9.32 लाख रुपये की स्वीकृत अनुमानित लागत से 1979-80 में आरम्भ किया गया था।

छठी योजना 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत हो चुका है। 1979-80 के व्यय 4.96 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1978—83 में 3.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि इस कार्य को चालू वर्ष में पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(8) रिंग रोड चरण-3 को चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

रोड के इस भाग की लम्बाई लगभग 8.00 कि.मी. है। रिंग रोड के किनारे नई कालोनियां, औद्योगिक क्षेत्र आदि विकसित होने के कारण इस पर यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है। यह रोड दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में आने जाने वाले भारी वाहनों एवं दि.प.नि. की बसों द्वारा बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। रिंग रोड का चरण-1 एवं चरण-2 पहले ही 6 लेनों में विभक्त कैरिजवे के रूप में चौड़ा किया जा चुका है। रिंग रोड चरण-3 धौला कुआं से नजफगढ़ रोड तक ही केवल चार लेनों में चौड़ा किया गया है। विद्यमान कैरिजवे यातायात की तीव्र वृद्धि को संभालने में अक्षम है। अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि केवल नारायण गांव जहां पर कि भूमि उपलब्ध नहीं है को छोड़कर रोड को 4 लेनों से 6 लेनों में चौड़ा कर दिया जाए। धौला कुआं से मी. एच 3600 एम तक का मार्ग चौड़ा करने के लिए 33.41 लाख की अनुमानित लागत का प्रस्ताव अधिकतर अनुमोदित हो चुका है। नारायण रे. ओ. ब्रि. से नजफगढ़ रोड को 4 से 6 लेनों में चौड़ा करने के लिए 12.56 लाख रुपये की धनराशि का एक अन्य अनुमान स्वीकृत होने वाला है।

छठी योजना में 10.00 लाख रुपये का एक अल्प प्रावधान किया गया था जिसमें 1979-80 में कुछ भी व्यय नहीं किया गया। 1980–81 के लिए स्वीकृत परिव्यय का उपयोग शेष कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(9) चिराग दिल्ली को महरौली रोड से जोड़ने वाले रोड नं. 15 को 2 लेनों से 4 लेनों में चौड़ा करना (7.25 लाख रुपये)

150 फुट चौड़ाई वाला यह मास्टर प्लान रोड लगभग 3.80 कि. मी. लम्बा है। यह महरौली रोड को चिराग दिल्ली बदनगीर रोड से जोड़ता है एवं मालवीय नगर, हौजरानी आदि जैसी महत्वपूर्ण कालोनियों के भारी यानीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करता है। इस समय इस पर दो लेनों वाला कैरिजवे विद्यमान है जो कि उस समय की आवश्यकता एवं यातायात की तीव्रता के अनुरूप बनाया गया था। 1979-80 की अवधि में रोड के साथ एक यातायात गणना की गई थी और यह पाया गया था कि रोड को शीघ्र चौड़ा करके 2 लेनों से 4 लेनों में विभक्त कैरिजवे बनाने की आवश्यकता है। 31.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अधिकतर प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। 1980-81 में कार्य आरम्भ किया जाएगा।

छठी योजना में इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। वार्षिक योजना 1980–81 में स्वीकृत परिव्यय इस कार्य को आरम्भ करने पर व्यय किया जाएगा।

(10) रोड नं. 3 एवं महरौली बदरपुर रोड को जोड़ने वाले सब-आर्टीरियर (एस. ए.) रोड को चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

इस रोड की लम्बाई लगभग 5.47 कि. मी. एवं चौड़ाई 100 फुट है। महरौली बदरपुर रोड को बाहरी रिंग रोड से मिलाने वाला यह रोड दक्षिणी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण रोड है। गोविन्दपुरी, तुगलकाबाद आदि जैसी नई कालोनियों एवं बदरपुर पत्थर खानों के कारण 2 लेनों को विद्यमान कैरिजवे वर्तमान यातायात प्रवाह को सम्भालने के लिए अपर्याप्त है। 1978–79 में एक यातायात गणना की गई थी और यह पाया गया था कि रोड को चौड़ा करके 2 से 4 लेनों में विभक्त कैरिजवे बनाने की आवश्यकता है। 68.81 लाख रुपये की धनराशि का एक अनुमान एम. ओ. एस. टी. को भेजा गया था जो उसने स्वीकृत कर दिया है। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 5.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(11) रिंग रोड से राव तुलाराम मार्ग को जोड़ने वाले परिधि-मार्ग (पेरिफेरी रोड) को चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

यह रोड रिंग रोड चरण-2 को राव तुलाराम मार्ग से जोड़ता है। इस रोड की लम्बाई लगभग 1.92 कि.मी. एवं चौड़ाई 100 फुट है। यह रोड बसन्त विहार मोती बाग-2 एवं इस क्षेत्र की अन्य कालोनियों के लिए रास्ता उपलब्ध करता है। इस रोड पर यातायात की बहुलता बहुत बढ़ गई है जिसके कारण विद्यमान 2 लेनों वाला कैरिजवे इसे सम्भालने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि इसे चौड़ा करके 2 से 4 लेनों वाला विभक्त कैरिजवे बना दिया जाए।

2 से चार लेनों में विभक्त कैरिजवे बनाने की दृष्टि से रोड चौड़ा करने का कार्य 1979-80 में 13.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था।

छठी योजना 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980–81 के लिए स्वीकृत परिव्यय इस कार्य के पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(12) (1) श्रीनिवासपुरी (2) नारायणा (3) शकूरबस्ती में विद्यमान रे.ओ.ब्रि. को चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

यह रेल ओवर ब्रिज रिंग रोड पर बहुत पहले बनाये गये थे जबकि वहां पर 4 लेन वाले कैरिजवे के लिए यातायात की समुचित तीव्रता नहीं थी। इसीलिए इन रेल ओवर ब्रिज (पुलों) की चौड़ाई 4 लेनों में विभक्त कैरिजवे एवं पैदल यात्रियों के लिए पैदल पथ की रखी गई थी। रिंग रोड के साथ-साथ नई कालोनियां विकसित होने एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के इससे जोड़ा जाने के कारण इस पर यातायात मुख्यतः दि. प. नि. बसों एवं ट्रकों, कारों आदि की बहुलता इस स्थिति तक बढ़ गई कि रोड की वर्तमान चौड़ाई बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए अपर्याप्त हो गई है। इसलिए ये रेल ओवर ब्रिज यातायात के मुक्त प्रवाह के लिए तंग हो गये हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इन रेल ओवर ब्रिजों को चौड़ा किया जाए ताकि 6 लेनों वाला कैरिजवे एवं पैदल पथ आदि बनाए जा सकें। मामले को रेलवे प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है जो कि लो. नि. वि. से लागत-शेयर प्राप्त करने के उपरान्त इन रे. ओ. ब्रिजों को चौड़ा करेंगे। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है इसलिए छठी योजना में केवल 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81

के लिए स्वीकृत 2.00 लाख रुपये का परिव्यय इसके प्रारम्भिक कार्यों यथा उप मिट्टी अनु-संधान, स्कीम की परियोजना तैयारी आदि पर व्यय किए जाएंगे ।

विविध कार्य

(1) विभिन्न रोडों पर प्रकाश की व्यवस्था (45.00 लाख)

जिन रोडों की चौड़ाई 100 फुट से अधिक है उनका विकास एवं देखभाल लोक निर्माण विभाग कर रहा है। उन रोडों पर यातायात की तीव्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथापि इन रोडों पर बस, ट्रक, स्कूटर, साइकिल आदि जैसे विभिन्न प्रकार के वाहन प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि तीव्रगति से चलने वाले वाहनों की गति रात्रि में अधिक तीव्र होती है जिससे अंधकार के कारण पैदल यात्रियों आदि की जिन्दगी जोखिम में रहती है। उद्योगों की धूल एवं धुआं भी रात्रि में चालक की दृष्टि को धुंधला करता है । फिर भी भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली में मार्गों के प्रकाश का स्तर अधिक अच्छा होना चाहिए । आगन्तुकों एवं ब. म. व्यक्तियों के विचार से भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सर्वत्र प्रकाश की अपेक्षा करते हैं । एक किलोमीटर रोड पर प्रकाश की व्यवस्था करने पर लगभग 2.00 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये तक की आवश्यकता होती है ।प्रकाश की उन्नत व्यवस्था करने का कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से आरम्भ किया जा चुका है । छठी योजना 1978-83 में विभिन्न मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए 74.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया जा चुका है। छठी योजना में जिन पर प्रकाश के लिए प्रस्ताव रखा गया है उनमें से कुछ जैसे - रोड नं.-30, बाहरी रिंग रोड नं.-26, रे. ओ. ब्रिज-40, रोड नं.-58, रोड नं.-3 आदि परिधि मार्ग हैं। वार्षिक योजना, 1980-81 में इस कार्य के लिए 45.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है । इस स्कीम पर 1979-80 की अवधि में 66.62 लाख रुपया खर्च हुआ था ।

(2) पैदल पथ साइकिल ट्रैक (3.85 लाख रुपये)

मास्टर प्लान रोडों पर ट्रक, कार, साइकिल, पैदल यात्रियों आदि जैसे विभिन्न किस्म के यातायातों की तीव्रता बहुत बढ़ने के कारण भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण मार्गों के किनारे पैदलपथ एवं साइकिल ट्रैक उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई है । इस सम्बन्ध में साइकिल एवं पैदल यात्रियों जैसे धीमी गति वाले यातायात को तेज गति से चलने वाले यातायात से पृथक करने की यातायात पुलिस की मांग भी समय-समय पर प्राप्त हो चुकी है । इसलिए यह निर्णय किया गया है कि मार्गों के किनारे योजनाबद्ध ढंग से पैदलपथ एवं साइकिल ट्रैक उपलब्ध किए जाएं क्योंकि समस्त मार्गों के साथ इन योजनाओं पर अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक आएगी।

महत्वपूर्ण रोडों यथा राव तुलाराम मार्ग, शान्तिपथ, विश्वविद्यालय क्रासिंग से खालसा कालेज क्रासिंग विस्तार एन.-एच-1, रेल ओवर ब्रिज-17 एवं रेल ओवर ब्रिज-15, रोड नं-89 विस्तार आदि के किनारे पैदल पथ आदि उपलब्ध कराने के लिए छठी योजना 1978--83 में इस स्कीम के लिए 15.00 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है । 1979-80 की अवधि में इस स्कीम पर किया गया 1.85 लाख रुपये का व्यय पहले ही हाथ में है । इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 3.85 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय है ।

(3) बस स्थान - बस विश्राम (3.60 लाख रुपये)

मुख्य कॉरिडर पर बसें खड़ी करने के कारण हुई घिचपिच को समाप्त करने एवं यातायात के समुचित संचालन के लिए बस स्थान/विश्रान्ति का निर्माण बहुत अनिवार्य समझा गया है। इस समय लो. नि. वि. दिल्ली प्रशासन के समस्त रोड 2 से 4 लेनों में चौड़े किए जा रहे हैं । अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि महत्वपूर्ण रोडों अथवा अन्य रोड जो कि सुधार/चौड़ा करने के अन्तिम चरण में हैं, पर योजनाबद्ध ढंग से बस स्थान/विश्रान्ति उपलब्ध कराए जाएं । छठी योजना 1978--83 में 10.00 लाख रुपये का एक अल्प प्रावधान किया गया है। रोड नं.-8 एवं 10 के साथ बस स्थान/विश्रान्ति बनाने का कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है । एवं 1979-80 की अवधि में इस पर 2.85 लाख रुपया व्यय हुआ था । वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत 3.60 लाख रुपये का परिव्यय विभिन्न कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

(4) चौराहे के प्रकाश संकेतों आदि में सुधार (14.05 लाख रुपये)

मास्टर प्लान रोडों पर यातायात की तीव्रता इस हद तक बढ़ गई है कि अधिकांश रोडों को या तो 2 से 4 लेनों में चौड़ा कर दिया गया है या उन्हें चौड़ा करने का प्रस्ताव किया जा चुका है। अधिकतर महत्वपूर्ण रोडों के चौराहे यातायात की तीव्रता के कारण दुर्घटना की ओर उन्मुख हैं । समय-समय पर दिल्ली यातायात पुलिस से भी इन चौराहों के सुधार की मांग प्राप्त की गई है । तदनुसार सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है और सुझाए गए सुधारों के लिए दि. वि. प्रा. भेजी गई है । कुछ महत्वपूर्ण चौराहे जिन्हें सुधारने का प्रस्ताव किया गया है । सफदरजंग चौराहा, रिंग रोड के साथ एम. एवेन्यू रोड नं-9, लोनी रोड के साथ रोड नं.-59, श्रीफोर्ट रोड, रिंग रोड चरण-2 के साथ झण्डेवालान मार्ग रिंग रोड चरण-2 सहित राव तुलाराम मार्ग, बाहरी रिंग रोड नं.-57 सहित रोड नं.-5 आदि । दि. वि. प्रा. से चौराहा-योजना अनुमोदन होने पर एक-एक करके चौराहा सुधारने का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

छठी योजना में इस कार्य के लिए 40.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 14.05 लाख रुपये का परिव्यय उन स्कीमों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिनके चौराहा प्लान पहले ही दि. वि. प्रा. से अनुमोदित हो चुके हैं । 1979-80 में इस स्कीम पर 10.41 लाख रुपया व्यय किया गया था।

(5) विभिन्न लो. नि. वि. रोडों पर जल निकास का सुधार (4.00 लाख रुपये)

रोडों का सुधार करने एवं उन्हें चौड़ा करने के साथ ही यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि कॉरिडर को जमा हुए पानी से बचाया जाए। मानसून की अवधि में भारी वर्षा के कारण कुछ महत्वपूर्ण मार्गों पर पानी भर गया और उससे कॉरिडर को क्षति पहुंची । वर्ष भर इनकी मरम्मत होती रही जिन पर लाखों रुपया व्यय हुआ। यह अनुभव किया गया है कि सतह पर थोड़ा-सा भी पानी ठहरने से यानीय यातायात प्रभावित होता है। मास्टर प्लान के विकास के लिए मौलिक क्रास सेक्शन के अनुसार रोड के दोनों ओर समुचित स्थान पर बरसाती पानी के लिए नालियां बनाई जाएंगी । समस्त मार्गों के किनारे ऐसी नालियां उपलब्ध कराने की लागत करोड़ों रुपये आएगी। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि रोडों के किनारे किनारे ऐसी बरसाती नालियां योजनाबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएं। ऐसे कुछ रोड यथा रोड नं. 75-ए, पारि रोड नं.-9 आदि को छठी योजना अवधि में बरसाती पानी के निकास हेतु नालियां बनाने के लिए चुन लिया गया है ।

छठी योजना, 1978–83 की अवधि के लिए 5.00 लाख रुपये का एक प्रावधान स्वीकृत हो चुका है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का परिव्यय विभिन्न स्थानों पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत हो चुका है।

(6) विभिन्न वर्तमान रोडों के साथ-साथ सेवा मार्गों का निर्माण (7.80 लाख रुपये)

मास्टर प्लान रोडों को मौलिक क्रास सेक्शन के अनुसार धीमी गति वाले वाहनों को तीव्र गति वाले वाहनों से पृथक करने के लिए मुख्य कैरिजवे के साथ-साथ सेवा मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण रोडों से यातायात की भयंकर भीड़ को समाप्त करने एवं आगे भीडभाड को कम करने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण रोड जैसे-रोड नं. 3, रोड नं.-10, रोड नं. 7, बदरपुर में मथुरा रोड आदि के साथ-साथ छठी योजना अवधि में सेवा-मार्ग उपलब्ध कराए जाएं।

छठी योजना 1978–83 में इस कार्य के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में इस कार्य को आरम्भ करने के लिए 7.80 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है।

(7) एम-एन-पी (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)

ग्रामीण रोडों के लिए छठी योजना में चिन्हित 10.00 लाख रुपये का परिव्यय लो. नि. वि. द्वारा लिया जाएगा। कुछ स्कीम जो इस अवधि में पूरी होगी ये हैं (1) 2.77 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर विजवासन से कौमी गांव तक हुए मार्ग का निर्माण (2) 7.57 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बिहारीपुर से उ. प्र. की सीमा तक मार्जिनल बांध लिंक रोड का निर्माण (3) 5.21 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पाण्डेबल कला से खड़खड़ी जेटमाल तक विद्यमान रोड को ऊंचा करना (बाढ मरम्मत) (4) महरौली रोड से कटवारिया सराय के मध्य रोड जिसका रेखांकन वि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, का निर्माण।

वार्षिक योजना 1980-81 में न्यू. आ. का. स्कीम को पूरा करने के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(2) दिल्ली नगर निगम चालू योजना (136.98 लाख रुपये)

वार्षिक योजना 1980-81 के इस उपशीर्षक के अधीन आने वाली कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इसे चौड़ा करना (30 लाख रुपये)

(1) जखीरा से तिलकनगर तक नजफगढ़ रोड चरण-2 को चौड़ा करना (30 लाख रुपये)

इस रोड की कुल लम्बाई 6.96 कि. मी. है। समस्त रोड के किनारे कालोनियां एवं उद्योग विकसित होने के कारण इस रोड पर यातायात की तीव्रता बहुत प्रबल हो गई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है और वर्तमान यातायात प्रवाह से निपटने के लिए अपर्याप्त है। दिल्ली की यातायात समिति एवं मास्टर प्लान दिल्ली ने इसे प्राथमिकता के अनुसार चौड़ा करने की सिफारिश की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसकी रेखांकन योजना (1) जखीरा से पटेल रोड क्रासिंग तक 150 फुट चौड़ाई (2) पटेल रोड क्रासिंग से तिलक नगर तक 200 फुट चौड़ाई को स्वीकृत कर दिया है। अतः जखीरा से पटेल रोड क्रासिंग तक केवल 100 फुट भूमि उपलब्ध होने के कारण यह प्रस्तावित किया गया है इस रोड को 38 फुट (ए-बी) से 48 फुट तक चौड़ा कर दिया जाए 5 फुट चौड़े पैदलपथ सहित दोनों ओर 20 फुट चौड़े सेवा-मार्ग बनाए जाएं। इस मार्ग पर कार्य पहले से ही प्रगति पर है। पटेल रोड क्रासिंग से तिलक नगर के मार्ग के लिए प्रस्तावित किया गया है कि यहां 36 फुट चौड़ा एक अतिरिक्त कैरिजवे उपलब्ध किया जाए। विद्यमान कैरिजवे की चौड़ाई 51 फुट है जिसमें से यह प्रस्ताव है कि 12 फुट चौड़ाई साईकिल ट्रैक सेवा मार्ग के लिए उपयोग की जाए। परियोजना की कुल लागत लगभग 202 लाख रुपये होगी। वार्षिक योजना, 1980-81 के लिए 30.00 लाख रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना 1979-80 के स्वीकृत परिव्यय 20.00 लाख रुपये एवं वास्तविक व्यय 23.33 लाख रुपये की तुलना में किया गया है।

(2) पटेल रोड नं. 34 चरण-2 को चौड़ा करना (1.50 लाख रुपये)

इस रोड पर यातायात की तीव्रता बढ़ने के फलस्वरूप यह प्रस्तावित किया गया है कि इस रोड की चौड़ाई 200 फुट आर. ओ. डब्ल्यू. में कर दी जाए लेकिन समस्त रोड की चौड़ाई में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि 10 फुट चौड़े पैदल पथ के प्रावधान के साथ 36 फुट चौड़े एक अतिरिक्त कैरिजवे का निर्माण जहां तक भूमि उपलब्ध हो किया जाए। कार्य प्रगति पर है और अधिकतर पहले ही पूरा हो गया है। वार्षिक योजना 1979-80 के वास्तविक व्यय 1.56 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में 1.50 लाख रुपये का परिव्यय इस स्कीम को पूरा करने के लिए रखा गया है।

(3) रानी झांसी रोड से फैज रोड तक लिंक रोड को चौड़ा एवं सुधार करना (0.50 लाख रुपये)

इस रोड पर यातायात की तीव्रता इस कदर बढ़ गई है कि यह बढ़े हुए यातायात को निपटाने के लिए अपर्याप्त हो गया है। एक बहुत बड़ी संख्या में दि. प. नि. बसें एवं अन्य वाहन इस पर से गुजरते हैं। रोड की लम्बाई लगभग 4800 फुट है एवं विद्यमान रोड सन्तोषजनक नहीं है। 1979-80 के वास्तविक व्यय 2.34 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(4) जखीरा से रिंग रोड तक या रोहतक रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। विद्यमान रोड को चौड़ा करके 4 लेनों में विभक्त करने की स्कीम एम. ओ. एस. टी. से पहले ही स्वीकृत है एवं कार्य भी प्रगति पर है।

1979-80 के वास्तविक व्यय 5.72 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

(5) रानी झांसी रोड से जखीरा तक पुराने रोहतक रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। विद्यमान रोड को 2 विभक्त कैरिजवे में चौड़ा करने के साथ मेहता भवन से जखीरा तक केन्द्रीय विभाजित सहित दोनों ओर पैदल पथ एवं साइकिल ट्रेक/सेवामार्ग का प्रावधान जहां पर कि सुविधा पहले से ही एम. ओ. एस. टी. द्वारा स्वीकृत कर दी गई। कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्त स्कीम के लिए 1979-80 की अवधि में व्यय 1.61 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

(6) आजादपुर से उ. प्र. सीमा तक जी. टी. रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (5.00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 11.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। घण्टाघर से शक्तिनगर तक जी. टी. रोड की सतह के सुधार की स्कीम एवं 150 फुट चौड़े लो. नि. वि. रोड. से शाहदरा चौक तक जी. टी. रोड को 6 लेनों में चौड़ा करने की स्कीम पर एम. ओ. एस. टी. का अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है एवं कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। नजफगढ़ नाले से आजादपुर तक विद्यमान जी. टी. रोड. को चौड़ा करने के लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है एवं प्रशासनिक अनुमोदन के लिए शीघ्र ही एम. ओ. एस. टी. को प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है इस स्कीम के लिए वर्ष 1980-81 में 5.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(7) मथुरा रोड से फोर्थ एवेन्यू तथा लोधी रोड का सुधार एवं उसे चौड़ा करना (10.00 लाख रुपये)

इस रोड का आर. ओ. डब्ल्यू. 150 फुट है। विद्यमान 24 फुट के कैरिजवे सहित इस रोड की कुल लम्बाई 2000 मीटर है। अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार 2 कैरिजवे प्रत्येक 34 फुट के साथ आवश्यक पैदल पथ एवं धीमी गति के वाहनों के लिए एक 24 फुट के ट्रैक उपलब्ध कराने हेतु इस रोड की रेखांकन योजना दि. वि. प्रा. द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। दो कैरिजवे प्रत्येक 24 फुट सहित केन्द्रीय विभाजिका एवं आवश्यक फुटपाथ उपलब्ध कराने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इस कार्य को चालू रखने के लिए वास्तविक व्यय 0.21 लाख रुपये की तुलना में 1980-81 के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

8. मलकागंज रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (0.50 लाख रुपये)

यह रोड दीना के तालाब के लिए जी. टी. रोड सब्जी मण्डी से आरम्भ होता है। इस रोड का आर. ओ. डब्ल्यू. जैसा कि रेखांकन योजना में स्वीकृत है 100 फुट है। यहां इस रोड पर भारी यातायात रहता है। इस रोड की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस रोड को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए 2.00 लाख रुपये की धनराशि पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत की गई है एवं 0.50 लाख रुपये वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

9. बस स्थान एवं रोड रेलिंग (जंगला) का निर्माण (1.00 लाख रुपये)

मुख्य कैरिजवे पर बसें खड़ी करने के कारण होने वाली यातायात की भीड़-भाड़ को दूर करने एवं लेन में ठीक-ठाक यातायात गुजरने के लिए बस स्थानों का निर्माण अति आवश्यक समझा गया है। 1979-80 की अवधि के वास्तविक व्यय 3.40 लाख रुपये की तुलना में पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान एवं वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

10. सिटी रोड का सुधार एवं नए रोड का निर्माण (4.00 लाख रुपये)

सिटी रोड पर यातायात की तीव्रता गम्भीर रूप से बढ़ चुकी है एवं इसके और भी बढ़ने की आशा है। यातायात की तीव्रता से निपटने के लिए सिटी रोड का सुधार करना आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस उद्देश्य के लिए 160.00 लाख रुपये का परिव्यय एवं वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस स्कीम पर 1979-80 की अवधि में 32.56 लाख रुपये व्यय किए गए थे।

(ख) नई स्कीमें (129.62 लाख रुपये)

वार्षिक प्लान 1979-80 में स्वीकृत परिव्यय 53.75 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण रोडों के लिए 97.37 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

नई स्कीमें (शहरी रोड)

1. महरौली बदरपुर रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (1.00 लाख रुपये)

इस रोड का आर. ओ. डब्ल्यू. 250 फुट है। यह रोड महरौली की ओर से फरीदाबाद के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारी यानीय यातायात की तीव्रता की यहां विचारणीय वृद्धि हुई है एवं इसके किनारे विभिन्न कालोनियों के विकसित होने के कारण और भी वृद्धि होने की संभावना है। 250 फुट आर. ओ. डब्ल्यू. के अनुसार इसको चौड़ा करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस योजना के लिए 10.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। 1979-80 की अवधि में 0.55 लाख रुपया व्यय किया गया था। वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

2. ग्रेटर कैलाश-2 से कालकाजी मन्दिर तक बाहरी रिंग रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (5,00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 10.00 लाख रुपये का परिव्यय इस स्कीम के लिए स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय विभाजिका उपलब्ध कराकर विद्यमान कैरिजवे से पृथक् दो लेनों वाले कैरिजवे उपलब्ध कराना, दोनों ओर पैदलपथ का प्रावधान एवं विद्यमान सेवा-मार्ग को चौड़ा करने की योजना प्रशासनिक अनुमोदन के लिए पहले ही एम. ओ. एस. टी. को भेजी जा चुकी है। इस स्कीम के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1980-81 में किया जा चुका है।

3. पुनर्वास कालोनियों में रोड का सुधार एवं चौड़ा करना (1.00 लाख रुपये)

दिल्ली क्षेत्र में 27 के करीब पुनर्वास कालोनियां हैं। नव विकसित होने के समय इन कालोनियों को समुचित पहुंच मार्ग उपलब्ध करने का कोई भी मामला नहीं लिया गया था। इन कालोनियों को मुख्य रोड से पहुंचमार्ग उपलब्ध कराने के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है एवं वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है।

4. नियमित कालोनियों में रोड सुधार (0.05 लाख रुपये)

दिल्ली की परिधि में 156 नियमित कालोनियां हैं। सभी अनधिकृत कालोनियों को विनियमित करने सम्बन्धी भारत सरकार की उद्घोषणा के पश्चात इन कालोनियों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक हो गया है। इन कालोनियों को पहुंच मार्ग उपलब्ध करने की बहुत आवश्यकता महसूस की गई। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 5.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान इन कालोनियों के पहुंच मार्ग सुधारने एवं उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 0.05 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

5. नगर मार्गों पर प्रकाश-व्यवस्था का प्रावधान एवं सुधार (1.00 लाख रुपये)

दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते यहां के मार्गों की प्रकाश व्यवस्था का मानदण्ड बेहतर होना चाहिए । यह लगभग राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक पर्यटन नगर है रोड तल (सतह) की किस्म का सुधार लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि स्ट्रीट लाईट को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के स्तर पर प्रकाशित किया जाए । हमारे मार्गों का वर्तमान मानदण्ड अपर्याप्त है । वाहनों के अत्यधिक धुआं एवं धूल छोड़ने एवं दिल्ली के चारों ओर उद्योग विकसित होने से यहां वायु-प्रदूषण भी बढ़ा है । यह सभी घटक मिलकर मार्गों पर प्रकाश की तीव्रता को घटाते हैं । दिल्ली के मार्गों पर लगभग 25 लाख प्वाइन्ट (बिन्दु) हैं। प्रकाश का मानदण्ड सुधारने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि नगर-क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के सुधार हेतु एक परियोजना आरम्भ की जाए जिसके अधीन फलोरो सेन्ट एवं सरकरी बत्तियों का प्रयोग किया जाए। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस स्कीम के अधीन 10.00 लाख रुपये की राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है । वार्षिक योजना 1980-81 में भी इस कार्य के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

नई स्कीमें (ग्रामीण मार्ग)

1. महीपालपुर महरौली रोड को सुधारना सुदृढ करना एवं चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

यह रोड दिल्ली गुड़गांव एवं महरौली गुड़गांव रोड को जोड़ता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और भारी यानीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करता है । इस रोड की विद्यमान चौड़ाई यातायात की तीव्रता को संभालने में असमर्थ है । वर्तमान रोड की सतह भी बहुत बुरी अवस्था में है। अतः उचित यातायात व्यवस्था के लिए इस का सुधार सुदृढ एवं चौड़ा करना आवश्यक है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस स्कीम के लिए 6.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए भी 2.00 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं ।

2. शहरी एवं ग्रामीण मार्गों के लिए पहुंच मार्ग एवं श्रृंखला मार्ग (लिंक रोड़) का निर्माण (9.00 लाख रुपये)

यद्यपि अधिकांश गांवों को अन्य समस्त रोडों से जोडा जा चुका है परन्तु ग्रामीणों को अपना कृषि उत्पाद नजदीकी मण्डी में लाने सम्बन्धी यातायात की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़े गांवों के प्रमुख मार्गों से अतिरिक्त पहुंचमार्ग बना कर जोड़ दिया जाए। ग्रामीण बचत को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि रोड सम्बन्धी समस्त ठोस कार्य करके गांवों के मध्य श्रृंखलन मार्ग बनाए जाएं ।

इस समय बहुत ही कम मार्ग गांवों को गांवों से जोड़ते हैं । अतएव यह निर्णय किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी गांवों में अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं श्रृंखलन मार्ग बनाए जाएं । इस उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 83.62 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । वार्षिक योजना, 1979-80 के व्यय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में 9.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

3. विद्यमान ग्रामीण मार्गों का सुदृढीकरण एवं सुधार (20.00 लाख रुपये)

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर विद्यमान मार्ग 1977 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । यातायात-भार की वृद्धि को उठाने के लिए कुछ मार्गों को सुदृढ करना आवश्यक है । इसीलिए कुछ ग्रामीण मार्गों को सुदृढ करने का प्रस्ताव किया गया है। 60.00 लाख रुपये का प्रावधान पंचवर्षीय योजना 1978-83 में किया गया है । 1979-80 में 30.51 लाख रुपये की तुलना में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

पुल

1. रेल लाइन के सम्मुख जेल रोड पर पुल के निर्माण सहित भूमि एवं सम्पत्ति अधिग्रहण करना (100.00 लाख रुपये)

आर./डब्ल्यू. 150 फुट के लिए रेखांकन दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदित है । प्रस्तावित पुल 92 फुट चौड़ा होगा । लम्बाई में रेलवे पुल 436 फुट होगा । पहुंच मार्ग तिलक नगर की ओर 1600 फुट एवं कैन्ट की ओर 1250 फुट होगा । इस कार्य के लिए 181.90 लाख रुपये का अनुमान मंत्रालय अनुमोदित कर चुका है । परिवहन मंत्रालय इस पुल के लिए भूमि एवं सम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए भी 36.40 लाख रुपये की धनराशि का अनुमान स्वीकृत कर चुका है । भूमि एवं सम्पत्ति अधिग्रहण करने एवं सेवाएं स्थानान्तरित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । पंचवर्षीय योजना, 1978-83 के लिए 218.87 लाख रुपये का प्रावधान किया जा चुका है । वार्षिक योजना 1980-81 में भी इस कार्य के लिए 100.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

2. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग एवं आजाद मार्किट को जोड़ने वाले रेलवे के ऊपरी पुल का 6 लेनों वाले पुल के साथ ही पैदल पथ का निर्माण (125.00 लाख रुपये)

आजाद मार्किट एवं श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग एवं उसके पुल के मध्य श्रृंखला मार्ग के लिए रेखांकन योजना दि. वि. प्रा. द्वारा स्वीकृत हो चुकी है । यह प्रस्तावित किया गया है कि 120 फुट आर./डब्ल्यू. का श्रृंखला मार्ग उपलब्ध कराया जाए एवं पुल मिठाई को आजाद मार्किट की ओर एवं कुतुबरोड पुल को नयाबांस की ओर चौड़ा किया जाए । 307.17 लाख रुपये का एक अनुमान तैयार किया था जो कि प्रशासनिक अनुमोदन के लिए परिवहन मंत्रालय भेजा गया है । जैसी कि एम.ओ.एस.टी. ने इच्छा व्यक्त की थी, योजना आयोग परिवहन मंत्रालय की शर्तों के अधीन परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया है । उत्तर रेलवे में एम. ओ. एस. टी. की टिप्पणी के आधार पर अनुमान में अल्प परिवर्तन किया था और अब परिवहन मंत्रालय 314.00 लाख रुपये की धनराशि के अनुमान को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर चुका है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 314.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया एवं 45.00 लाख रुपये का एक प्रावधान वार्षिक योजना 1979-80 के लिए किया गया था जिसमें से केवल 20.00 लाख रुपये की धनराशि का ही वास्तविक व्यय हुआ था। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 125.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (98.80 लाख रुपये)

दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण मार्गों से सम्बन्धित सभी प्रकार की चालू एवं नई स्कीमें संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन आती हैं। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में ग्रामीण मार्गों के लिए चिन्हित 450.95 लाख रुपये का परिव्यय दिल्ली नगर निगम द्वारा

कार्यान्वयन के लिए रखा जाएगा। तथापि संघ राज्य क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना 1978-83 में रोड सैक्टर के अधीन मार्ग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय केवल 113.00 लाख रुपये है। दिल्ली नगर निगम के लिए मार्ग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 98.80 लाख रुपयें का परिव्यय वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किया गया है।

(3) नई दिल्ली नगर निगम पालिका

(क) सतत योजनाएं (83.10 लाख रुपये)

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

1. एम. एवेन्यू में पुल के नीचे रोड का निर्माण (2.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के लिए 59.00 लाख रुपये की प्रारम्भिक प्रशासनिक स्वीकृति 1972 में प्राप्त की गई थी जो कि बाद में भारत सरकार ने संशोधित करके 65.00 लाख रुपये कर दी। रोड की चौड़ाई में परिवर्तन के कारण इसकी अनुमानित लागत और बढ़ गई है। अब पुनर्संशोधित अनुमान लागत 116.00 लाख रुपये है। कार्य जुलाई 1976 में आरम्भ किया गया एवं मार्च 1977 में पूरा हुआ था। लेकिन एल. एव टी. ओ. द्वारा भूमि उपलब्ध न किए जाने के कारण सेवा मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जा सका। 1979-80 के वास्तविक व्यय 0.15 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में 2.00 लाख रुपये का परिव्यय खातों को निपटाने के लिए किया गया है।

2. सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी तरफ पुल का निर्माण एवं महरौली रोड को चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

यह स्कीम 1963 में बनाई गई थी एवं भारत सरकार ने इस पर 56.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के लिए विभिन्न अधिकारणों जैसे-केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि से भूमि देर से प्राप्त होने के कारण कार्य चरणों में पूरा किया गया। अनुमान को संशोधित करके 168.00 लाख रुपये किया गया जिसे 1972-73 में भारत सरकार ने भी स्वीकृत कर दिया था। सफदरजंग पुल जो कि नागरिक उड्डयन प्राधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे के समीप्य सम्बन्धी आपत्ति उठाये जाने के कारण रुक गया था, को अतिरिक्त लगभग समस्त कार्य 1972-73 में पूरा हो चुका था। यह 1972 के अन्त में आरम्भ किया था एवं अक्तूबर 1974 में पूरा हुआ था। लेकिन नागरिक उड्डयन प्राधिकारियों द्वारा भूमि न दिए जाने के कारण ग्राउण्ड सर्कूलेशन सिस्टम पूरा नहीं किया जा सका। अथक प्रयत्नों के पश्चात तीन ओर का लूप कार्य पूरा हो चुका है। हवाई अड्डे की ओर चौथी लूप के लिए भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार अभी सीढ़ियों का कार्य निष्पादित किया जाना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत दोबारा संशोधित करके 227.00 लाख रुपये कर दी गई है। स्कीम पूरी होने वाली है एवं 1981-82 तक खाता बंद कर दिया जायगा। 1979-80 के व्यय लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

3. विशेष टी. एवं पी. प्राप्त करना (2.00 लाख रुपये)

दिल्ली में रोडों के असफल होने संबंधी विभिन्न कारणों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अभियन्ता समिति ने यह सिफारिश की थी कि सड़कों की सतह को फिर से बनाने का कार्य मनुष्यों के स्थान पर मशीनों से किया जाना चाहिए। इस समय 1112 कि. मी. लम्बी सड़कों (इकहरी लेन) की देखभाल नई दिल्ली नगर निगम पालिका करती है।

विभिन्न सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में अतिरिक्त सड़क निर्माण मशीनों के उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। किस्म नियंत्रण सुधारने/निष्पादित करने की दृष्टि से स्वतंत्र निरीक्षण करने जैसी कि अभियन्ता समिति ने सिफारिश की है के लिए जीपें प्राप्त करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त तार बाइलर, रोड रोलर, पेवर फिनीशर एवं टिप्पर ट्रक आदि उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। 1979-80 के व्यय 0.97 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

4. बाराखम्बा रोड सहित रणजीत सिंह रोड के संयोजक स्कूल लेन ओवर ब्रिज का निर्माण (40.00 लाख रुपये)

पुरानी दिल्ली एवं नई दिल्ली के मध्य यातायात की भारी वृद्धि होने एवं नियत यातायात को कनाट प्लेस की ओर मोड़ने के कारण लो. नि. वि. दिल्ली प्रशासन द्वारा 1963 में एक ओवर ब्रिज उपलब्ध कराने की स्कीम आरंभ की गई थी। 1968 में उपराज्यपाल के आदेश से यह कार्य दि वि प्रा. को स्थानान्तरित कर दिया गया था। तत्पश्चात यह परियोजना 26-8-78 को विचार-विमर्श हेतु योजना आयोग में विचार के लिए आई एवं यह निर्णय किया गया कि इसे न. दि. न. पा. को सौंप दिया जाए। उस समय एन. डी. आर. ए. सी. ने एक अण्डर ब्रिज बनाने की सिफारिश की थी एवं तकनीकी राय इसके विपरीत थी। मामला समीक्षा एवं निर्णय हेतु निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा डी. यू. ए. सी. को भेजा गया था। सौन्दर्यात्मक कारणों के कारण डी.यू.ए.सी. भी अण्डर ब्रिज बनाने के हक में है। जनवरी, 75 में डी. यू. ए. सी. की सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकृत कर ली थीं लेकिन लागत के घटक को ध्यान में रखते हुए एवं बाढ़ की स्थिति के कारण मामला पुनः निर्माण एवं आवास मंत्रालय को भेजा गया। यह अन्तिम रूप से टी. एवं सी. पी. ओ. को ओवर ब्रिज का डिजाइन बनाने के लिए सौंपा गया था। ओवर ब्रिज की डिजाइन भी डी. यू. ए. सी. द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। अपने भाग का निर्माण करने के लिए रेलवे को भुगतान किया जा चुका है एवं डाक एवं तार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि को उनकी सेवाएं स्थानान्तरित करने के लिए इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना, 1978-83 में 142.28 लाख रुपये का प्रावधान है। 1979-80 के 0.18 लाख रुपये व्यय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में इस स्कीम के लिए 40.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है।

5. कनाट प्लेस के भीतरी और 3 उपभागों का निर्माण (4.00 लाख रुपये)

कनाट प्लेस क्षेत्र में उपमार्गों द्वारा पैदल यात्रियों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन को प्रवाहमय बनाने से सम्बन्धित नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कनाट प्लेस के अन्तर्गत में उपमार्ग बनाना आवश्यक हो गया है। इस कार्यक्रम के अधीन तीन प्रमुख यात्री गलियारे बनाए जाएंगे। कार्य की इस मद के लिए पंचवर्षीय योजना,

1978–83 में 20.00 लाख रुपये का प्रावधान विद्यमान है जिसमें से वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

6. पार्लियामेन्ट स्ट्रीट सहित टालस्टाय मार्ग का विस्तार एवं चौड़ा करना (2.50 लाख रुपये)

कनाट प्लेस क्षेत्र में पुर्नपरिचालित प्रणाली आरम्भ करने के साथ यह आवश्यक हो गया है कि टालस्टाय मार्ग का पार्लियामेन्ट स्ट्रीट तक विस्तार किया जाये। यह एन. डी. आर. ए. से अनुमोदित हो चुका है। कनाट प्लेस से यातायात मोड़ने के लिए स्कूल लेन ब्रिज आने पर यह स्कीम बड़ा महत्व प्राप्त करेगी। जनपथ से संसद भवन तक टालस्टाय मार्ग के विस्तार कार्य का निष्पादन टी. एवं सी. पी. ओ. द्वारा तैयार किए गए रेखा चित्र के अनुसार किया जा चुका है। इस रोड पर विद्यमान यातायात को देखते हुये यह आवश्यक है कि जनपथ से बाराखम्बा रोड तक टालस्टाय मार्ग को चौड़ा कर दिया जाए। तदनुसार रोड के इस भाग को भी चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न पार्टियों से प्राप्त भूमि का मुआवजा भी दिया जाएगा । इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना, 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है। वार्षिक योजना 1980-81 में भी इस स्कीम के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

7. मार्किट रोड सहित आर. के. आश्रम मार्ग का रेखांकन एवं चौड़ा करना (3.00 लाख रुपये)

इस स्कीम की अनुमानित लागत 28.36 लाख रुपये है। पंचकुइयां रोड से पंचेदा रोड तक आर. के आश्रम मार्ग को चौड़ा करने के कार्य का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। पूर्ण रेखांकन भाग का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। साइकल ट्रैक का निर्माण भी चालू वर्ष में आरंभ किए जाने की आशा है। मार्किट रोड के रोड को एक ओर से चौड़ा करने का कार्य पूरा हो चुका है एवं दूसरी ओर (यथा पश्चिम) को चौड़ा करने का कार्य आरम्भ हो चुका है। तथापि पश्चिमी ओर साइकिल ट्रैक एवं पैदल पथ का निर्माण कार्य सरकारी क्वार्टरों के गिराने के बाद आरम्भ किया जाएगा क्योंकि वे विभिन्न अधिकरणों से भूमि प्राप्त करने के लिए रेखांकन में आते हैं। इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान है। 5.51 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

8. चैम्सफोर्ड रोड को चौड़ा करना (3.50 लाख रुपये)

इस स्कीम की अनुमानित लागत 21.25 लाख रुपये है । यह स्कीम चौथी/पांचवी पंचवर्षीय योजना का ही एक भाग थी किन्तु रेलवे द्वारा भूमि न दिए जाने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका था। बाद में मंडी हार्डिंग सराय एवं बुद्ध तीर्थयात्री विश्राम कक्ष से भूमि प्राप्त की गई एवं इस भाग को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे से भूमि से सम्बन्धी मामले के लिए कार्यवाही की जा रही है । रेलवे के रेखांकन की सीध में आने वाली भूमि एवं भवन के लिए [illegible].00 लाख रुपये की धनराशि की मांग की थी जिसमें से [illegible].00 लाख रुपये की प्रथम किश्त समिति इस कार्य के लिए अनुमोदित कर चुकी है । पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए 40.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1979-80 के व्यय 22.65 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 में 3.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

विविध कार्य

(1) चौराहों का सुधार (3.00 लाख रुपये)

स्थल अन्वेषण एवं यातायात सर्वेक्षण के पश्चात् टी. एण्ड सी. पी. ओ. द्वारा रेखाचित्र चौराहा सुधार के लिए भेजा है। यह एक जारी प्रक्रिया है। इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 7.00 लाख रुपये का प्रावधान है। 1979-80 के व्यय 0.69 लाख रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(2) सड़क के किनारे गाड़ी-स्थान एवं बस स्थान (2.00 लाख रुपये)

टी. एण्ड सी. पी. ओ. द्वारा तैयार/भेजी गई योजना के आधार पर एस. पी. (यातायात) एवं दि. प नि. प्राधिकारियों की की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क के किनारे गाड़ी-स्थान एवं बस स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है। विभिन्न बस स्थान एवं गाड़ी खड़ी करने के स्थान निर्माण करने की सूची दिल्ली परिवहन निगम एवं एस. पी. यातायात से पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। कनाट प्लेस के अन्दर एवं उसके चारों ओर गाड़ी खड़ी करने की वास्तविक समस्या का सामना किया जा रहा है। इस क्षेत्र में गम्भीरता यातायात बढ़ता जा रहा है ।

इस लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ी खड़ी करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 10.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय इस स्कीम के लिए स्वीकृत किया जा चुका है ।

(3) नई दिल्ली नगर पालिका में योजना कार्यों के लिए योजना कक्ष का सृजन (1 लाख रुपये)

प्लान स्कीम के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में स्कीमें निष्पादित की जा रही हैं । यह आवश्यक है कि सर्वेक्षण करने, स्थल अन्वेषण करने, अनुमान तैयार करने, संरचनात्मक डिजाइन तैयार करने, एन. आइ. टी. एस. तैयार करने एवं अन्य दस्तावेजी कार्य आदि करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी अग्रिम रूप में नियुक्त किए जाएं । न. दि. न. पा. के स्वंय के निर्माण आदि कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग का विद्यमान स्टाफ भी अपर्याप्त है । अतएव यह आवश्यक है कि इन योजना कार्यों के लिए एक अतिरिक्त योजना कक्ष सृजित किया जाए। इस पर 3.5 लाख रुपये का व्यय प्रतिवर्ष होगा जो कि के. लो. नि. वि. संहिता, खण्ड-2 में उल्लिखित कार्य की अनुमानित लागत की 2.50 प्रतिशत ग्राह्य व्यय सीमा के अन्दर है । उपर्युक्त के साथ ही कुछ धनराशि की आवश्यकता कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, इलैक्ट्रोनिक कैलकुलेटर, सर्वेक्षण उपकरण एवं संदर्भ पुस्तकों आदि प्राप्त करने के लिए होगी । इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना 1980-81 में किया गया है ।

(4) करबला नाले को पाटना (8.00 लाख रुपये)

यह नाला बहुत ही घनी आबादी में से गुजरता है एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है । इससे मच्छर भी बहुत

पैदा होते हैं । इसीलिए 1976-77 में यह स्कीम एक अतिरिक्त स्कीम के रूप में शामिल की गई थी और इसके लिए 2·00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध की गई थी । करबला नाले के नजफखान रोड से करबला कालोनी तक के भाग (648 मीटर) को पाटने का कार्य पूरा हो चुका है । नाला पाटने का चरण-2 एवं चरण-3 का कार्य प्रक्रियाधीन है ।

इस स्कीम के चालू वर्ष में ही पूरा होने की आशा है । इसलिए इसके लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 8·00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(ख) नई स्कीमें (116·90 लाख रुपये)

इस उप शीर्षक के अधीन वार्षिक योजना 1980-81 में लिए जाने के लिए अनुमोदित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:--

1· सिकन्दरा रोड को चौड़ा करना (2·00 लाख रुपये)

बाराखम्बा रोड एवं फिरोजशाह रोड को चौड़ा करने के पश्चात् इस रोड को चौड़ा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है । टी. एवं सी. पी. ओ. से रेखाचित्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं एवं स्कीम हाल ही में आरम्भ की जा चुकी है। इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 7·80 लाख रुपये आबंटित किए गए जिसमें 2·00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किया गया है । यह व्यय वार्षिक योजना 1979-80 के 7·59 लाख रुपये की तुलना में है ।

2· मन्दिर मार्ग को चौड़ा करना (3·00 लाख रुपये)

यह रोड पूर्व पश्चिम के मार्गों यथा शंकररोड, पार्क स्ट्रीट से पंचकुइयां रोड के मध्य मुख्य योजक का कार्य निभाता है तथापि इस क्षेत्र में बहुत से विद्यालय एवं धार्मिक संस्थाएं भी स्थित हैं जिसके कारण पर्यटकों एवं बालकों के आने से भारी यातायात में वृद्धि होती है । इस भारी यातायात को सभालने के लिए विद्यमान कैरिजवे अपर्याप्त है। इसीलिए फुटपाथ सहित छः लेनों में इस रोड को चौड़ा करने का प्रस्ताव 15·00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित हो चुका है । कार्य हाल ही में शुरू किया गया है एवं इसके चालू वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है । वार्षिक योजना, 1979–80 की अवधि में किए गए व्यय 9·45 लाख रुपय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3·00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

3· नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न रोडों का सुदृढ़ करना (24·00 लाख रुपये)

क्षेत्र के विकास के समय नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में रोड़ी मिट्टी एवं पत्थर की सतह को पानी डालकर दबाने के पश्चात् तारकोल मिश्रित रोड़ी डालकर बनाये गये थे । यह रोड हल्के यातायात जो उस समय विद्यमान था, के लिए बने थे। इन मार्गों पर यातायात गम्भीर रूप से बढ़ गया है जिसके कारण वर्तमान सड़क अपर्याप्त हो गई हैं एवं बार-बार टूटती फूटती रहती है। बार-बार की ऐसी टूट-फूट का अध्ययन करने के लिए 1968 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अभियन्ता समिति ने यह सुझाव दिया था कि विद्यमान सड़क की सतह जो 10 फुट से 22 फुट की गई थी को बढ़ाकर 22 फुट से 24 फुट किए जाने की आवश्यकता है । समिति के सुझावों पर अमल करने के लिए विभिन्न रोडों को प्रतिवर्ष सुदृढ करने का कार्य किया जाता है । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। समिति ने यह भी महसूस किया कि सड़क खोदकर उसको आवश्यक सतह सहित फिर से बनाना उपयुक्त एवं सस्ता है और इसलिए यह सुझाव दिया कि प्रत्येक रोड का विस्तृत अनुसंधान करके उस पर सुव्यवस्थित ढंग से अपेक्षित मोटाई में डामर एवं डामर मिश्रित कंकरीट डाला जाए। प्रारम्भ में 29 रोड जिनके सम्बन्ध में सी. आर. आर. आइ. की सिफारिशें प्राप्त की जा चुकी थीं, को सुदृढ करने का प्रस्ताव था। 1979–80 की अवधि में व्यय 14·03 लाख रुपये की तुलना में इस स्कीम के लिए 24·00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

4· महानगर शहर के मध्य क्षेत्र में वाहन स्थान का निर्माण (3·00 लाख रुपये)

जैसा कि एन.डी.आर.ए.सी. ने सर्वेक्षण एवं सिफारिशें की हैं, महानगर शहर के मध्य क्षेत्र में 3292 कार-स्थान उपलब्ध किए जाने अपेक्षित हैं जिनमें से 1000 कार स्थान उपलब्ध हैं । अपर्याप्त कार-स्थान का परिणाम यह होता है कि यहां यातायात की भीड़-भाड़ एवं दुर्घटनाएं होती हैं । एन.डी.आर.ए.सी. की सिफारिशों के अनुसार महानगर शहर के मध्य क्षेत्र में अतिरिक्त वाहन-स्थान उपलब्ध किए जाएंगे । प्रस्तावित वाहन स्थलों के लिए भूमि एल. एवं डी. ओ. द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । यह अपेक्षित किया है कि केवल हिन्दुस्तान टाइम्स भवन के पीछे उपलब्ध भूमि पर ही वाहन स्थल विकसित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 3·00 लाख रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना 1980–81 में किया गया है ।

5· महानगर शहर के मध्य क्षेत्र में रोडों को चौड़ा करना (2·00 लाख रुपये)

कनाट प्लेस एवं उसका विस्तार महानगर शहर के केन्द्र का अभिज्ञान कराती है । समस्त क्षेत्र जोन डी-1 के लिए क्षेत्री विकास योजना एवं मास्टर प्लान के जोन डी-3, डी-4 एवं डी-5 के भाग में आता है । घिरा हुआ क्षेत्र कनाट प्लेस एवं उसका विस्तार अर्थात् रेलवे लाइन से घिरा शंकर मार्किट एवं जनपथ तक टालस्टाय मार्ग एवं अशोका रोड का क्षेत्र है । समस्त क्षेत्र एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर कि बहुत बड़ी संख्या में बहुमंजिला भवन बन चुके हैं । तेजी से बहुमंजिला भवनों के बढ़ने के साथ ही नाना प्रकार से यातायात की तीव्रता बढ़ रही है एवं और अधिक बहुमंजिला भवनों के शीघ्र अस्तित्व में आने की आशा है। क्षेत्र के तेजी से विकसित होने के कारण विद्यमान रोड बढ़े हुए यातायात के भार को उठाने के अयोग्य हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप यहां यातायात बहुत घिचपिच रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विभिन्न रोडों को चौड़ा करना आवश्यक समझा गया जो कि आरम्भ किया जा चुका है। इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 21·72 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्य को चालू वर्ष में पूरा करने के लिए 2·00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किया जा चुका है

6· चर्च रोड को चौड़ा करना (3·00 लाख रुपये)

यह रोड केन्द्रीय सचिवालय एवं नार्थ एवेन्यू जहां पर कि संसद सदस्यों के फ्लैट स्थित हैं को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है । यह केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय आदि में जाने वालों के साथ ही जनता द्वारा बड़ी तीव्रता से प्रयोग किया जाता है। हाल ही में इस रोड पर दि.प.नि. का टर्मिनल बन गया है जिससे इस रोड पर नाना प्रकार से यातायात बढ़ चुका है । यह महा

किया गया है कि रोड की विद्यमान चौड़ाई भारी यातायात का बोझ उठाने में अक्षम है एवं इसके परिणाम स्वरूप यहां दुर्घटनाएं एवं यातायात जाम रहता है । इसलिए यह निश्चित किया गया है कि प्रथम चरण में इस रोड को वर्तमान चौड़ाई को 40 फुट से 52 फुट कर दिया जाए साथ ही इसके दोनों ओर आठ फुट चौड़े पैदल पथ बनाए जाएं । कार्य आरम्भ किया जा चुका है । इस स्कीम की अनुमानित लागत 6.00 लाख रुपये है एवं इसके 1980-81 की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है। 3.00 लाख रुपये की धनराशि चालू वर्ष के लिए स्वीकृत हो चुकी है।

(7) न.दि.न.पा. में बस पंक्ति छप्परों (शेल्टर) का निर्माण (2.00 लाख रुपये)

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सैकड़ों बस अड्डे (स्टाप) स्थित हैं जिनके छप्पर नहीं हैं इसके परिणामस्वरूप गर्मी, सर्दी एवं बरसात के कठोर मौसम में ये आनाच्छादित हो रहते हैं । अतएव यह प्रस्तावित किया गया है कि पंचवर्षीय योजना 1978—83 की अवधि में 25.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 40 बस पंक्ति छप्पर विभिन्न स्थानों पर निर्मित किए जाएं । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(8) नगर शिकायत केन्द्र एवं आवश्यक ड्यूटी कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण (2 लाख रुपये)

महत्वपूर्ण व्यक्तियों राजनयिकों के रहने एवं समय समय पर आगन्तुकों के आते रहने के कारण नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । इस क्षेत्र के रोडों को उच्च मानदण्ड के अनुसार देखभाल करने एवं इस ढंग से बनाने की आवश्यकता होगी कि किसी भी उच्च संभ्रान्तजनों को असुविधा न हो । शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर बिना समय गंवाए निपटाया जाएगा । यहां पर तथापि अनिवार्य ड्यूटी कर्मचारियों के लिए कोई भी नियमित शिकायत केन्द्र एवं निवासस्थान नहीं है जिससे प्राथमिकता से आपातिक शिकायतों को निपटाना कठिन हो जाता है । इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि विभिन्न स्थानों पर आवश्यक ड्यूटी कर्मचारी-क्वार्टर सहित नियमित शिकायत केन्द्र बनाए जाएं। इस कार्य के लिए वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(9) न्याय मार्ग को चौड़ा करना (1.00 लाख रुपये)

राजनयिक दूतावास क्षेत्र का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि अधिकतर महत्वपूर्ण दूतावास अर्थात् अमरीकी, चीनी, रूसी आदि इस रोड के दोनों ओर स्थित हैं और इससे यह दूतावास जनों एवं अतिथियों द्वारा प्रयोग किया जाता है । इन वर्षों में इस रोड पर यातायात विभिन्न प्रकार से बढ़ा है । इस रोड की विद्यमान चौड़ाई को 22 फुट से बढ़ाकर 44 फुट करने एवं इसके दोनों ओर उपयुक्त पैदलपथ बनाने के लिए इस स्कीम की अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये के लगभग होने की संभावना है। 1980-81 में इस रोड को चौड़ा करने के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

10 लालबहादुर शास्त्री मार्ग (लोधी रोड से मथुरा रोड) को चौड़ा करना (3.00 लाख रुपये)

नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली के बीच में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है । यहां पर ओबराय इन्टर-कान्टीनैन्टल 5 स्टार होटल विद्यमान होने के कारण यह रोड भारी यातायात की मात्रा को संभालने में अक्षम है और इसीलिए इसे चौड़ा करने का प्रस्ताव है इस स्कीम को पूरा करने के लिए 15.00 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी । इस रोड को चालू वर्ष में ही चौड़ा किया जाएगा और इसलिए वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

11. जी.पी.ओ. से 'सी' हैक्सागन से विण्डसर प्लेस तक अशोका रोड को चौड़ा करना (3.00 लाख रुपये)

अशोका रोड एक मुख्य मार्ग है और दक्षिणी दिल्ली से कनाट प्लेस क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र आने एवं जाने के लिए तीव्र यातायात का वहन करता है । यह दि. प. नि. की बसों का भी मुख्य मार्ग है । वर्तमान रोड 48 फुट चौड़ा है एवं इसको 12.00 लाख रुपये की लागत से 6 लेनों में चौड़ा करने का प्रस्ताव है। स्कीम पर प्राथमिक कार्य आरम्भ हो चुका है । इसे पूरी तरह चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा जिसके लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980—81 में स्वीकृत किया गया है ।

12. जन्तर मन्तर रोड को चौड़ा एवं सीधा करना (3.00 लाख रुपये)

संसद् भवन, अशोक रोड एवं रायसीना रोड को जोड़ने वाले इस उप सड़क मार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता है ताकि जनपथ के यातायात को राहत मिल सके। इस क्षेत्र के सामान्य विकास के अनुसार इस रोड को इस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि यह डा राजेन्द्र प्रसाद रोड से जुड़ जाए । इस स्कीम का कार्य पहले ही प्रगति पर है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

13. किंग जार्ज एवेन्यू को चौड़ा करना (2.00 लाख रुपये)

किंग जार्ज एवेन्यू (राजा जी मार्ग) दक्षिणी दिल्ली एवं केन्द्रीय सचिवालय के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह दि. प. नि. की बसों सहित बहुत बड़ी मात्रा में यातायात का वहन करती है । आरम्भ में इस स्कीम को 1980—81 में आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव था लेकिन रोड की यातायात मात्रा को देखते हुए विद्यमान रोड को 40 फुट से 60 फुट चौड़ा किए जाने का कार्य वर्ष 1979-80 में शुरू कर दिया गया था जिसके लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसकी तुलना में 2.70 लाख रुपये का व्यय हुआ था । स्कीम के चालू वर्ष में ही पूरी होने की सम्भावना है । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

(14) पुराना किला रोड को चौड़ा करना (1.00 लाख रुपये)

पुराना किला रोड पूर्व पश्चिम के मार्गों के लिए धमनी की भूमिका निभाता है जिसके लिए क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 4 लेन वाला कौरिजवे बनाने का प्रस्ताव है । वर्तमान रोड 38 फुट चौड़ा है एवं इसे 5.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विभाजित कौरिजवे सहित 52 फुट चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है । स्कीम वार्षिक योजना, 1980-81 की अवधि में आरम्भ किए जाने के लिए अनुमोदित हो चुकी है जिसके लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है ।

15. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सफदरजंग अस्पताल के सामने अरविन्द मार्ग पर उपमार्ग का निर्माण (3.00 लाख रुपये)

सफदरजंग अस्पताल एवं अ.भा.आयु.वि. संस्थान आमने-सामने अरविन्द मार्ग एवं उसके क्रासिंग सहित रिंग रोड पर स्थित है । यहां पर भारी मात्रा में वाहनीय यातायात ही नहीं

रहता बल्कि इस रोड पर पैदल यात्रियों की भी बहुत भीड़ रहती है विशेषकर उस व्यस्ततम घण्टों में जबकि प्रतिदिन हजारों रोगी इन अस्पतालों में बाह्य रोगी के रूप में आते हैं। यहां पर दाखिल रोगियों की परिचर्या करने वाले सेवकों की संख्या इसके अतिरिक्त है। अपने स्कूल में उपस्थित होने के लिए सैकड़ों स्कूली बच्चे भी इस व्यस्त सड़क को पार करते हैं। यह पैदल यात्रियों के लिए बहुत ही असुरक्षित है एवं इस रोड पर समुचित यातायात प्रवाह में भी बाधक है। अतएव यह महसूस किया गया है कि इस रोड को प्रयोग करने वाले सैकड़ों पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन दोनों अस्पतालों को जोड़ने तथा पैदल यात्रियों का यानीय यातायात के बीच में सीधे रूप से जाना रोकने के लिए एक उपमार्ग का प्रावधान बहुत जरूरी है। इस उपमार्ग की लागत लगभग 20.00 लाख रुपये होगी। पंचवर्षीय योजना 1978—83 में इस स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि इसकी तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980–81 में स्वीकृत किया गया है।

(16) गोल्फ कोर्स रोड को चौड़ा करना (3.00 लाख रुपये)

लोधी रोड पर यू. एन. आइ. डी. ओ. कम्पलेक्स एवं अन्य सरकारी आवास-भवन बन जाने के कारण गोल्फ रोड के यातायात में गम्भीर वृद्धि हुई थी जिसके कारण इसे चौड़ा करने की आवश्यकता है इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस स्कीम को 1980-81 में आरम्भ किया जाए एवं 1980-81 में पूरा किया जाए। इसके लिए वार्षिक योजना 1979-80 के व्यय लाख रुपये की तुलना में 3.00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किया गया है।

(17) नार्थ ब्लाक के चारों ओर यातायात परिचालन प्रणाली में सुधार (0.50 लाख रुपये)

विभिन्न कारणों से पंडित पन्त मार्ग एवं चर्च रोड आदि की विपरीत दिशा में केन्द्रीय सचिवालय पर यातायात बढ़ गया है। चर्च रोड पर दि. प. नि. बस टर्मिनल की स्थापना के बाद स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। नार्थ ब्लाक के यातायात परिचालन में सुधार से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 20-3-75 को संसद भवन की भवन समिति की 21वीं बैठक में विचार किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि एक सुधार योजना बनाई जाए एवं कार्य को चरणों में निष्पादित किया जाए। तदनुसार एक योजना सी. आर. आर. आई. द्वारा तैयार की गई। इसलिए इस स्कीम को 1980-81 में आरंभ करने एवं पंचवर्षीय योजना 1978-83 के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। यह एक नई योजना है एवं इसके लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी इस कार्य के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(ख) सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रचार कक्ष दिल्ली यातायात पुलिस का आधुनिकीकरण (25 लाख रुपये)

दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रचार कक्ष ने आम जनता के लाभ के लिए सड़क सुरक्षा उपायों के प्रचारार्थ एक बहु माध्यम शिक्षा अभियान चलाता है। अभियान में सभी उपलब्ध माध्यम जैसे आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस आदि का प्रयोग किया जाता है एवं व्याख्यान एवं सेमिनार आदि भी आयोजित किए जाते हैं।

विकास शीर्षक के अधीन संघ राज्य क्षेत्र की पंचवर्षी योजना 1978–83 में 150 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृ किया गया है एवं चालू वर्ष की वार्षिक योजना, 1980-81 लिए 25.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पहले में द चालू स्कीम अर्थात यातायात पुलिस का आधुनिकीकरण एवं सड़ सुरक्षा शिक्षा एवं प्रचार कक्ष इस कार्य को पूरा करने के लि यातायात पुलिस हेतु जारी रहेगी। वार्षिक योजना 1980-8 में स्वीकृत परिव्यय को उपयोग करने का विस्तृत ब्यौरा नि तालिका में दर्शाया गया है.-

कुल आवंटन 25.00 लाख रुप

क्रम सं.	मद	स्वीकृत परिव्य
1.	फोल्डर, सूचकपत्र, स्लाइड, इश्तहार, पोस्टर, छतरी, टट्टी (होर्डिंग) का निर्माण एवं प्रैस, दूरदर्शन, रेडियो आदि से विज्ञापन (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डी. ए. वी. पी. के द्वारा)	6,50,000.0
2.	दि. प. नि. पट्ट/बस पंक्ति छप्पर/ साइड स्पेस आदि पर विज्ञापन।	1,00,000.0
3.	दृश्य एवं अन्य प्रचार सामग्री तैयार करने के साथ प्रदर्शनी लगाना।	80,000.0
4.	फिल्म उत्पादन/खरीद	50,000.0
5.	क्रेन की खरीद	50,000.0
6.	अत्यधिक गतिशीलता के लिए मोटर साईकिल, जीप आदि की खरीद।	2,00,000-0
7.	रडार, स्मोकमीटर, ब्रीथलाजर की खरीद एवं सी. सी. टी. वी. स्कीम का विस्तार।	1,00,000.
8.	प्रोजेक्टर (16 मी. मी. एवं सुपर 8 मी. मी.) सहित जनता सम्बोधन उपकरण एवं अन्य दृश्य एवं श्रव्य स्लाइड	30,000.
9.	सड़क-संकेत डेस्टीनेशन बोर्ड एवं बोलर्ड आदि तैयार करना।	1,00,000.
10.	ओवर हेड सिगनल सहित सिगनल एवं ब्लीकर	2,00,000.
11.	यातायात पार्क में बेबी साइकिलें, कारें, तिपहिया साइकिलें वाटर कूलर एवं फर्नीचर उपलब्ध कराना	20,000.
12.	पंजाबी बाग एवं रोशन आरा रोड पर दो यातायात प्रशिक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम का शेष भुगतान	7,50,000.
13.	एम. टी./स्टोर एवं अन्य उपकरणों का विकास	20,000.
14.	सी. सी. टी. वी. के लिए डाक एवं तार को वार्षिक किराया	53,700.

सं.	मद	स्वीकृत परिव्यय
.	कार्यालय के आधुनिकीकरण हेतु कार्य उपकरण, दूरभाष, छायांकन सामग्री, फर्नीचर, सेमीनर, अध्ययन, बाल प्रतियोगिताएं आदि सहित विविध व्यय	96,300.00
	योग	25,00,000.00

) सड़क यातायात

संघ राज्य क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना 1978–83 में सड़क यातायात के अधीन 25.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत या गया है। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 6.50 रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें से म के बहुत देर बाद प्राप्त होने के कारण 0.32 लाख या व्यय हुआ था।

र्षिक योजना 1980-81

वार्षिक योजना 1979-80 में जारी तीन स्कीमें वार्षिक ना 1980-81 में भी जारी है एवं 7.70 लाख रुपये का व्यय इस तीनों स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया है। स्कीम के अनुसार विस्तृत ब्यौरा नीचे दर्शाया गया।

सांख्यकी एवं योजना कक्ष का सुदृढ़ीकरण (अनुसंधान एवं क्षण कक्ष का सृजन (2.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अधीन भारत सरकार द्वारा एक सहायक शिक (सांख्यकी) एक सांख्यीकीय अधिकारी, 4 सांख्यीकीय यक, 5 फील्ड अन्वेषक, 5 संगणक, 2, आशुलिपिक, . श्रे. लि. एवं 2 चपरासी के पद वार्षिक योजना, 79-80 में स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह पद वार्षिक ना 1980-81 की अवधि में जारी है एवं 2.00 लाख का परिव्यय इन पदों के व्यय हेतु वार्षिक योजना 80-81 में स्वीकृत है।

मोटर चालन प्रशिक्षण विद्यालय (3.50 लाख रुपये)

ह स्कीम भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। विद्यालय के लिए भूमि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मोरपुर गांव में खरीदी गई थी। प्रशिक्षण विद्यालय को चलाने लिए अपेक्षित उपकरण एवं वाहन खरीदने हेतु 3.50 लाख की धनराशि वार्षिक योजना, 1980-81 में स्वीकृत की है।

टैक्सी चालकों के लिए छायादार विश्राम-स्थलों का निर्माण 20 लाख रुपये)

स्कीम के अधीन यह निर्णय किया गया है कि कुल 0 लाख रुपये की लागत से दिल्ली संघ क्षेत्र में विभिन्न पर टैक्सी चालकों के लिए 100 छायादार विश्राम-स्थल जाएं। यह छायादार स्थल हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली की प्री-फैबरीकेटिड सामग्री से बनाए जाएंगे। एक र स्थल की लागत लगभग 0.22 लाख रुपये है। स्कीम ी में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है एवं चालू वित्त वर्ष में कार्यान्वित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए 2.20 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किया गया है जिससे चालू वर्ष में 20 छायादार विश्राम-स्थल बनाए जाएंगे।

पर्यटन

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते एवं इसका ऐतिहासिक महत्व होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1975-76 में दिल्ली पर्यटन विकास निगम की स्थापना पर्यटकों की सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। दि.प.वि.नि. के अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में पर्यटकों की सुख सुविधा के विकास में दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका भी भाग लेती है।

पंचवर्षीय योजना 1978–83

पर्यटन क्षेत्र के लिए 150.00 लाख रुपये का परिव्यय राज्य क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना 1978–83 में स्वीकृत किया गया है। विभिन्न अभिकरणों के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में स्वीकृत परिव्यय की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है :–

(रुपये लाखों में)

अभिकरण	1978–83 का स्वीकृत परिव्यय
1. दिल्ली पर्यटन विकास निगम (दि.प.वि.नि.)	130.00
2. दिल्ली नगर निगम	5.00
3. नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.पा.)	15.00
योग	150.00

वार्षिक योजना 1979-80

संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन सुख सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 लाख रुपये का परिव्यय वार्षिक योजना 1979-80 में स्वीकृत किया गया था। विभिन्न अभिकरणों के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में स्वीकृत परिव्यय एवं वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है।

(रुपये लाखों में)

अभिकरण	स्वीकृत परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय
1. दि.प.वि.नि.	44.00	42.50*
2. दि.न.नि.	1.00	
3. न. दि. न. पा.	5.00	
योग	50.00	42.50*

*इसमें दि. प. वि. नि. को ऋण के रूप में दिए गए 25.00 लाख रुपये एवं शेयर पूंजी के रूप में दिए गए 17.50 लाख रुपये शामिल हैं।

वार्षिक योजना 1980-81

वार्षिक योजना 1980-81 में तीन अभिकरणों का पर्यटन क्षेत्र के लिए 25.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए सम्मिलित तीनों अभिकरणों यथा दि. प. वि. नि. को 23 लाख रुपये, दि. न. नि. को 1 लाख रुपये एवं नई दिल्ली नगर पालिका को 1 लाख रुपये आवन्टित किए गए हैं।

चालू वर्ष में तीनों अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें इस प्रकार हैं:–

दि.प.वि.नि.

(1) पर्यटक-सुविधा/जलपान केन्द्र/चलते-फिरते अल्पाहार गृह (0.25 लाख रुपये)

दिल्ली पर्यटन महत्व के विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत खोमचे वालों एवं रेहड़ी वालों की अभूतपूर्व वृद्धि का सामना कर रहा है। दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उनको हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान अधिक प्रभावी प्रतीत नहीं होते। पर्यटकों एवं यहां तक की आकस्मिक अतिथियों को दिल्ली में इन पर्यटन स्थलों की सैर करते समय हल्के जलपान की आवश्यकता होती है। दि. प. वि. नि. ने एक स्कीम संचालित करने का प्रस्ताव किया है जिसके द्वारा पर्यटन महत्व के विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों को स्वच्छ एवं हर प्रकार का हल्का नाश्ता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस स्कीम को आरंभ करने के साथ ही यह विचार किया गया है कि 5 मेटाडोर खरीदे जाएं एवं इसे चलते-फिरते जलपान गृह के मुताबिक बनवा लिया जाए एवं पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर भेजा जाए। यह पासपोर्ट एवं कस्टम कार्यालय जैसे व्यस्त कार्यालय समूह पर भी खड़ा किया जा सकेगा। इस स्कीम में ही केन्द्रीय रसोई घर (सेन्ट्रल किचन) का प्रावधान भी किया गया है जो कि दैनिक आधार पर चलते-फिरते जलपान गृहों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक विधि से तैयार किया हुआ भोजन, दूध की बोतल, जूस (रस) एवं ऐसी ही जलपान की अन्य वस्तुएं सप्लाई कर सकेगा। जब यह विस्तृत विवरण तैयार किया गया था, तब यह अनुमान लगाया गया कि डी. जी. एस. एन. डी. की अनुमोदित दर पर प्रत्येक मेटाडोर वेन की कीमत लगभग 70,000 रुपये होगी एवं एक केन्द्रीय रसोई घर की स्थापना के लिए निगम को 1 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। इस स्कीम में कार्यशील पूंजी फण्ड के लिए भी कुछ प्रावधान किया है।

तदनुसार 5.00 लाख रुपये का एक प्रावधान वार्षिक 1980-81 में प्रस्तावित किया गया था। तथापि इस स्कीम के लिए 25.00 लाख रुपये की धनराशि अन्तिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) सवारीयान (कोच) की खरीद (2.50 लाख रुपये)

निगम द्वारा किए जाने वाले व्यापारिक कार्यकलापों में से मुख्य कार्य-कलाप पैकेज टूर, स्थानीय दर्शनीय स्थान-दर्शन यात्रा, एक दिवसीय वापसी यात्रा आदि है। इसलिए दि. प. वि. नि. चार्टर्ड कोचों में यात्रायें संचालित करता है। फिर भी यह पाया गया कि समय समय पर बाजार में लग्जरी कोचों का अत्यधिक अभाव रहता है इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि दि. प. वि. नि. के लिए द्रुतगामी कोच शुरू किए जाएं क्योंकि दिल्ली में इन पर्यटनों के संचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। दो चेसिस खरीदने के लिए आदेश पहले ही दिया जा चुका है। यह प्रस्तावित किया गया है कि 1980-81 की अवधि में दि. प. वि. नि. के बेड़े में एक और वाहन की वृद्धि कर दी जाए। वार्षिक योजना 1980-81 में 2.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(3) शेयर पूंजी में निवेश (20.00 लाख रुपये)

जहां तक निगम को योजना फण्ड उपलब्ध कराए गए थे, वे कुछ विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए थे। निगम के ज्ञापन एवं समवाय नियमावली में निर्धारित लक्ष्यों एवं निगम की स्थापना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन की कार्यवाही पर किसी प्रकार की नम्यता नहीं छोड़ते। निगम बैंक से फण्ड उधार लेने का प्रस्ताव करती है लेकिन निगम की प्रदत्त पूंजी बहुत कम है एवं निगम के फण्ड में वृद्धि के लिए यह एक उचित आधार नहीं है। यह वित्तीय संस्थाओं से फण्ड की वृद्धि करने की रोकथाम करती है। इस तथ्य पर उचित विचार के पश्चात् योजना आयोग शेयर पूंजी के लिए चालू वर्ष की योजना, 1980-81 में 20.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत कर चुका है ताकि निगम अपने लक्ष्य जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है को प्राप्त करने सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने फण्ड में वृद्धि कर सके।

(4) सूचना केन्द्र को सहायता अनुदान (0.25 लाख रुपये)

दिल्ली पर्यटन विकास निगम के छः सूचना केन्द्र रेलवे स्टेशन, पालम हवाई अड्डे, अ. रा. ब. अ., भारतीय उम्पोरियम आदि पर हैं। निगम इन केन्द्रों एवं उनके टेलीफोन, बिजली, पानी आदि पर पृथक से बहुत धनराशि व्यय करता है। क्योंकि दि. प. वि. नि. किसी भी ऐसे व्यापारिक कार्यकलाप से सम्बद्ध नहीं है जो कि विद्यमान केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय एवं 1980-81 की अवधि में इसके विस्तार हेतु पर्याप्त स्रोत उपलब्ध करा सकें। इसीलिए इन केन्द्रों की सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वार्षिक योजना, 1980-81 एवं उससे आगे के लिए 0.25 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है।

(5) दिल्ली नगर निगम ऋण (1.00 लाख रुपये)

(1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खेल सुविधाएं (2) विभिन्न स्थानों पर मनोरंजन गृहों का निर्माण की योजनाएं 1.00 लाख रुपये के परिव्यय सहित वार्षिक योजना 1979-80 में शामिल की गई थी। चालू वित्त वर्ष में पर्यटन क्षेत्र के अधीन दिल्ली नगर निगम द्वारा उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से वही धनराशि यथा 1.00 लाख रुपये वार्षिक योजना 1980-81 में स्वीकृत किए गए हैं।

(3) नई दिल्ली नगर पालिका (1.00 लाख रुपये) ऋण जनता होटल का निर्माण

नई दिल्ली में आयोजित पर्यटन मंत्री की कान्फ्रेंस के कहने पर न. दि. न. पा. को निर्माण के लिए घटी दर पर उचित स्थल उपलब्ध कराने की सम्भावनाओं का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। जनता होटल सस्ती दर पर उन आम लोगों को उपलब्ध किए जाएं जो कि संघ राज्य क्षेत्र में निर्मित सितारा होटलों की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते। यह स्कीम कार्यान्वयन के लिए 5.00 लाख रुपये के परिव्यय सहित वार्षिक योजना 1979-80 में शामिल की गई थी लेकिन आरम्भ नहीं की गई क्योंकि न.दि.न.पा. घटी दर पर भूमि उपलब्ध

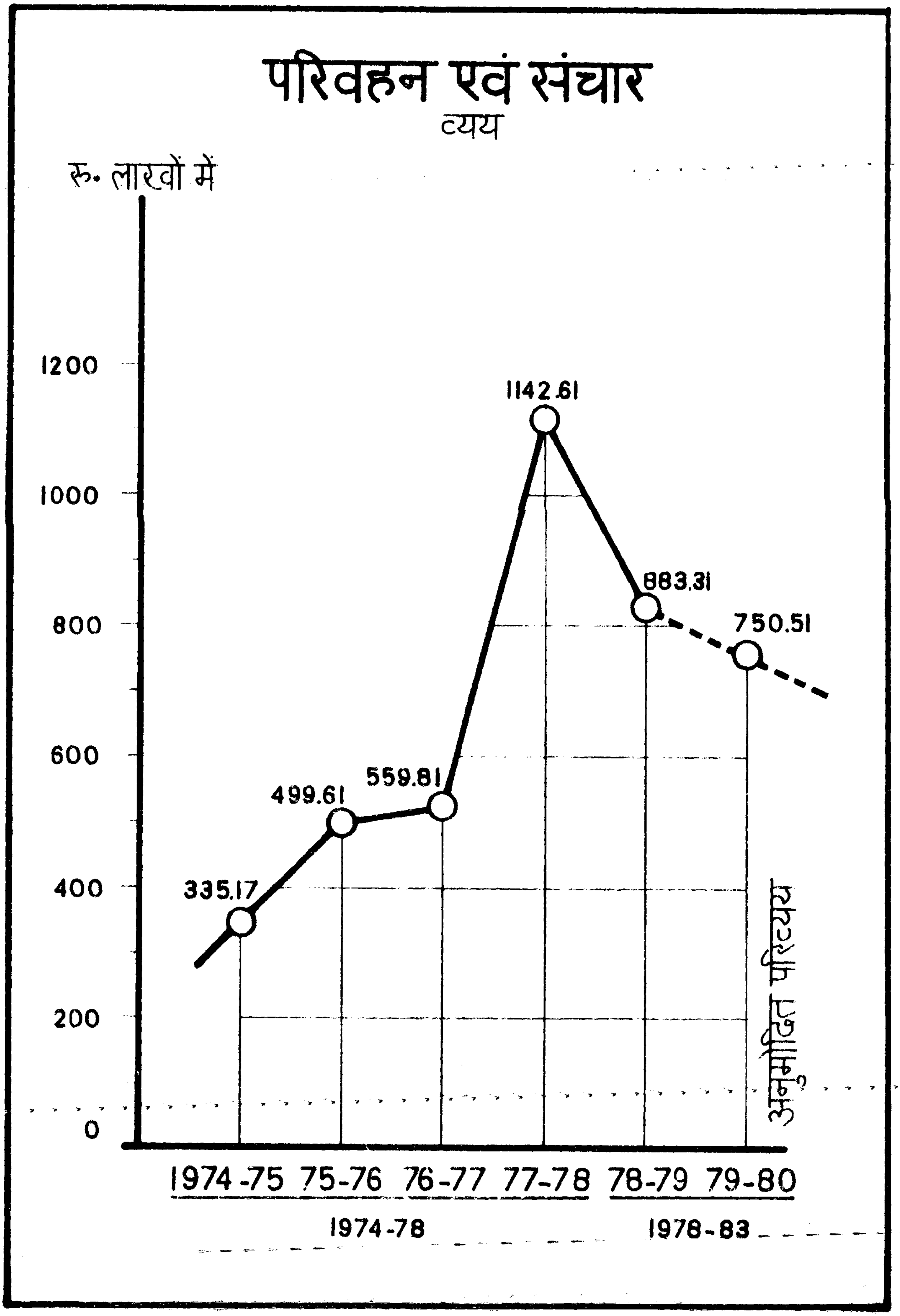

परिवहन एवं संचार
व्यय
रु॰ लाखों में
1200
1000
800
600
400
200
0
1142.61
883.31
750.51
559.81
499.61
335.17
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

नहीं कर सका था। उचित भूमि के अभाव में न. दि. न. पा. असहाय थी। चालू वित में भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा। इसीलिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम (दि. प. नि.)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि यहां अधिक से अधिक परिवहन बसों से होता है। इस सम्बन्ध में दिल्ली की जनता को बस सेवा उपलब्ध कराने में दि. प. नि. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक भारत सरकार का उपक्रम है इसी नाते संघ राज्य क्षेत्र के बजट में इसे शामिल नहीं किया जाता फिर भी संघ राज्य क्षेत्र की जनता को महत्वपूर्ण सेवा उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ आधार भूत सूचनाएं दस्तावेज में शामिल की गई हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों एवं पिछले कुछ वर्षों में दैनिक विनिमयकर्ताओं की औसत संख्या का नीचे दिया गया तुलनात्मक चित्र दि. प. नि. द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है।

मद	इकाई	1970-71	1978-79	1979-80*
1. दि. प. नि. की बसें	संख्या	1288	2283	2475
2. दि. प. नि. के अन्तर्गत प्राइवेट बसें	,,	265	598	728
उपयोग	,,	1553	2881	3203
3. दैनिक विनिमयकर्ताओं की औसत संख्या	लाखों में	10.00	24.00	26.65

*31 दिसम्बर, 1979 को।

(8) दि.प.नि. की पंचवर्षीय योजना 1978—83

निगम की पंचवर्षीय योजना 1978–83 इसके बेड़े में वृद्धि करने एवं अतिरिक्त डिपो के रूप में अंधी संरचनात्मक सुविधाएं, द्वितीय केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना, टर्मिनल, मुद्रालय आदि के सम्बन्ध में कुल 67.70 करोड़ रुपये का परिव्यय 1978—83 की अवधि के लिए निम्नलिखित वर्ष अनुसार ब्रेक अप सहित निश्चित करती है:–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बसें	डिपो	वर्कशाप	टर्मिनल	स्क्रेप यार्ड	छाया स्थान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1978-79 .	387.05	100.00	115.00	100.00	--	10.00	712.05
1979-80 .	755.00	235.00	119.00	85.00	26.00	10.00	1230.00
1980-81 .	812.00	265.00	83.00	115.00	--	25.00	1300.00
1981-82 .	1402.00	270.00	90.00	130.00	--	8.00	1900.00
1982-83 .	1330.00	215.00	33.00	50.00	--	--	1628.00
योग . .	4686.05	1085.00	440.00	480.00	26.00	53.00	6770.05
पंचवर्षीय समय 1978—83 की अवधि में वास्तविक रूप से जोड़ .	2749	19	1	18	1	1	--

अन्तिम दो वर्षों के लिए दि. प. नि. को स्वीकृत परिव्यय एवं वास्तविक व्यय इस प्रकार है:—

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय
1978-79	550.00	506.62
1979-80	891.75	907.87 (अप्रत्याशित)
1980-81	1938.00	

1980-81 में 700 बसें खरीदने का प्रस्ताव है जिसमें से 241 बसें पुरानी बसों के बदले में होंगी एवं 459 बिल्कुल नये रूप से जोड़ी जाएंगी। 1979-80 को समस्त अवधि में जोड़ी गई 72 बसों सहित इन नयी जोड़ी गई बसों की संख्या 1980-81 में 531 होने की आशा है।

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा

1. सामान्य शिक्षा

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संवर्धन, आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता की व्यवस्था का ध्यान रखती है । यह कार्य अपेक्षित व्यवहार तथा जलवायु सृजित करने के लिए व्यापक रूप से निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके तथा दूसरे यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि यह पद्धति विकास के विशेष कार्य के लिए विशेष मानव शक्ति प्रदान करती है । हमारे संविधान के अनुसार संविधान के प्रवर्तन के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति के अनुरूप चलने के लिए, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की योजना, राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी जाने वाली नीतियों को पूर्ण रूप से ध्यान में रख कर तैयार की गई है । राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, दिल्ली की स्थिति इस दृष्टि से विशेष प्रकार की है अतः शिक्षा स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने के लिए शिक्षा के गुणों में सुधार करना प्राधिकारियों का दायित्व हो जाता है ।

दिल्ली प्रशासन प्रत्येक इच्छुक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। यह संघ राज्य क्षेत्र की क्रमिक पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली प्रशासन और विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा निरन्तर तथा अनवरत प्रयास करके उपलब्ध किया जा सका है। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं का अवस्थाओं में विकास किया जाना है जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर। पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है । माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली प्रशासन करता है । यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध अधिकतर प्राथमिक शिक्षा से है, तथापि ये अपने क्षेत्र में 10 माध्यमिक तथा 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूल चला रही है । इसके अतिरिक्त कुछ स्वायत्त निकाय तथा निजी संस्थाएं प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लगी हुई हैं । इन संस्थाओं को शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुदान दिया जाता है । निम्नलिखित तालिका योजनाबद्ध क्षेत्र के प्रारम्भ के पश्चात् स्कूलों की वृद्धि को दर्शाती है:—

खोले गए/विद्यमान स्कूलों की संख्या 1950—1980

अवस्था	1950–51	1965–66	1968–69	1973–74	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्राथमिक .	530	891	913	1574	1610	1614	1620	1677	1727
माध्यमिक .	74	421	462	396	359	361	322	325	340
उच्चतर माध्यमिक .	69	393	439	572	606	626	660	678	688
योग . .	673	1705	1814	2542	2575	2601	2602	2680	2755

सरकार के 1961 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र में अब तक 15 कालेज स्थापित किए गए हैं । इन कालेजों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली प्रशासन दोनों वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं । दिल्ली प्रशासन इसके द्वारा स्थापित किए गए कालेजों के रख-रखाव प्रभार का 5 प्रतिशत, उपकरणों तथा वैज्ञानिक सामान पर 25 प्रतिशत खर्च तथा निर्माण कार्यों पर 50 प्रतिशत खर्च में हिस्सा देता है ।

दिल्ली में अपनाई गई विकास योजनाओं से पुराने शहर के विभिन्न भागों, नई विकसित बस्तियों तथा दिल्ली के समीपस्थ गांवों में उदारता से प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं तथा परिणामस्वरूप विभिन्न आयु वर्ग के दाखिलों की सं. में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना, शिक्षा के गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरीके के व्यापक तथा समाकलित कार्यक्रम प्रारंभ करने पर अधिक बल दे रही है । इस प्रयोजन हेतु पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में सुधार, पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य अध्यापन/पठन सामग्री में सुधार, परीक्षा तथा मूल्यांकन के बेहतर तरीके आदि के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं । पुराने शहर के विभिन्न भागों में, नई विकसित बस्तियों तथा दिल्ली के समीपस्थ गांवों में प्राथमिक स्कूल खोलने की उदारता से व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप बच्चों के दाखिले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । वृद्धि न केवल प्राथमिक अवस्था में बल्कि अन्य श्रेणियों जैसे माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों में भी

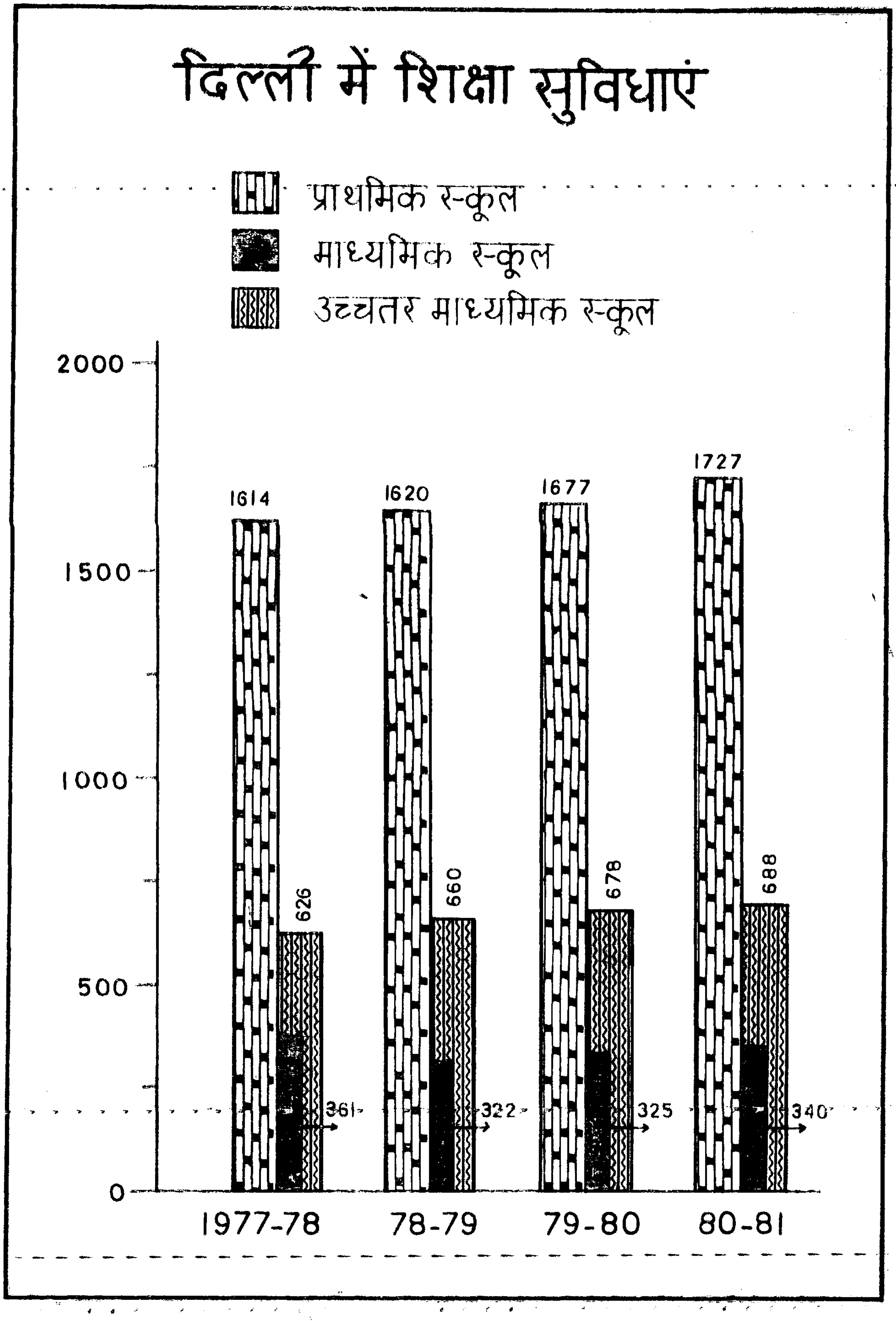

दिल्ली में शिक्षा सुविधाएं
प्राथमिक स्कूल
माध्यमिक स्कूल
उच्चतर माध्यमिक स्कूल
2000
1500
1000
500
0
1614
1620
1677
1727
626
660
678
688
361
322
325
340
1977-78
78-79
79-80
80-81

स्कूलों में दाखिला

आयु वर्ग अनुसार

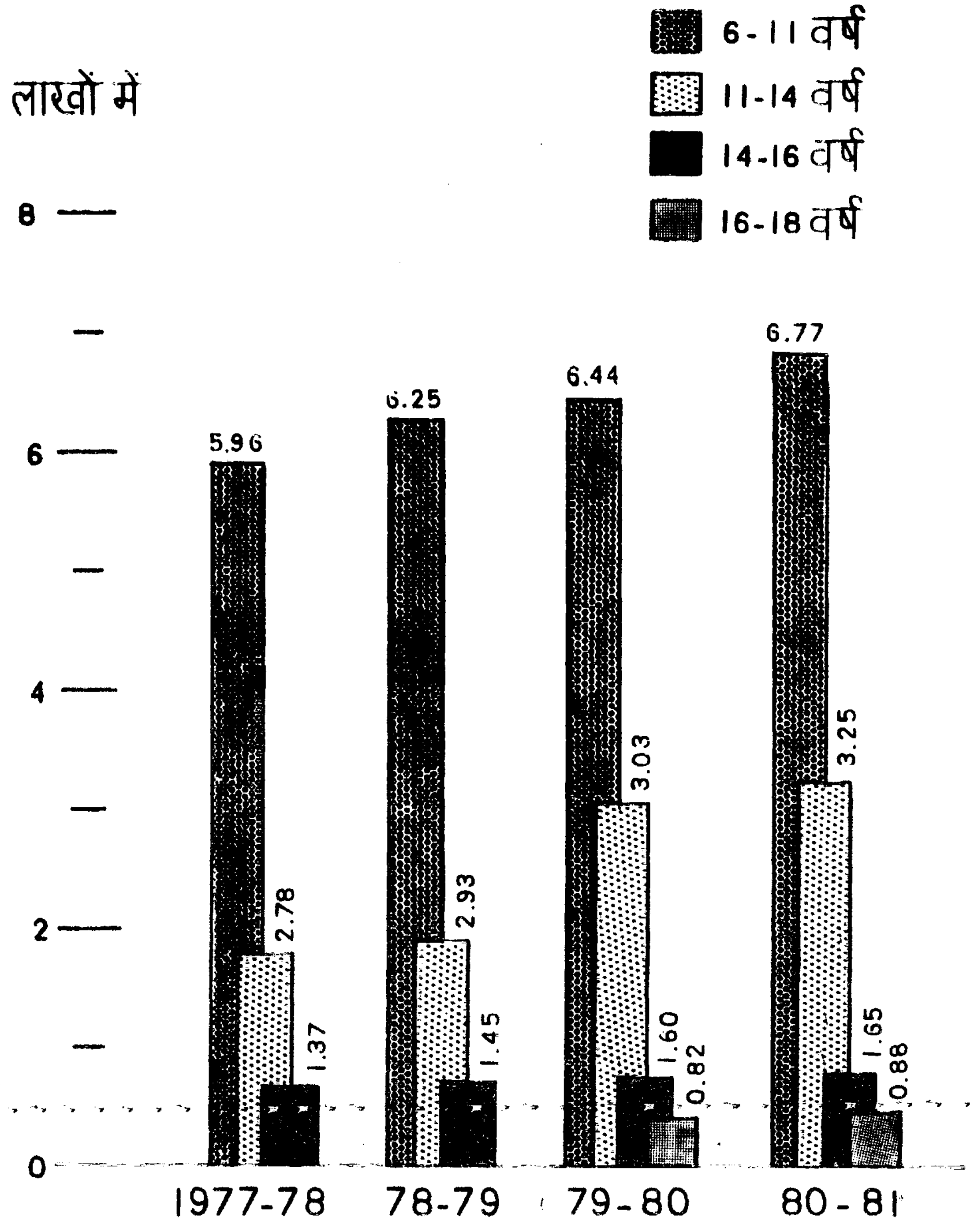

देखी गई हैं । विभिन्न आयु वर्ग में दाखिले की स्थिति निम्न- लिखित तालिका में दर्शाई गई हैं :--

अवस्था	1973-74 स्तर	उपलब्धि				1978--83 की छठी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78		1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नामांकन (लाखों में)									
(दाखिले)									
1. आयु वर्ग (6--11 वर्ष) (प्राथमिक) 1--5									
योग . .	5.74	6.09	6.47	6.99	5.96	7.37	6.25	6.44	6.77
लड़के . .	3.22	100.90	103.00	103.80	101.95	107.70	101.90	3.46	3.51
लड़कियां . .	2.52	94.50	97.00	99.70	86.00	103.10	86.30	2.98	3.26
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	99.30	97.90	100.80	102.00	94.09	105.40	94.20	98.50	102.50
2. आयु वर्ग (11--14 वर्ष)									
माध्यमिक कक्षा 6--8									
योग . .	2.63	2.73	2.98	3.51	3.78	3.47	2.93	3.03	3.25
लड़के . .	1.54	94.10	95.60	96.90	81.00	95.30	82.20	1.75	1.90
लड़कियां . .	1.09	76.90	78.60	79.60	65.50	69.40	6.90	1.28	1.35
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	85.60	86.10	87.60	89.00	71.00	82.10	74.80	75.60	78.50
3. आयु-वर्ग (14--16 वर्ष)									
योग . .	1.92	2.05	2.20	2.35	1.37	प्रा० नहीं	1.45	1.60	1.65
लड़के . .	1.12	70.80	76.70	77.80	62.70	91.70	60.80	0.93	0.92
लड़कियां . .	0.80	61.80	78.00	69.80	49.30	83.80	47.30	0.67	0.73
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	64.90	67.80	72.40	73.00	56.40	87.90	54.40	61.10	61.10
आयु वर्ग (16--18 वर्ष)									
कक्षा 11--12									
योग . .	--	--	--	--	--	प्रा० नहीं	--	0.82	0.88
लड़के . .	--	--	--	--	--	46.25	20.50	0.45	0.48
लड़कियां . .	--	--	--	--	--	44.80	16.20	0.37	0.40
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	--	--	--	--	--	45.40	18.50	32.20	33.30

संघ राज्य क्षेत्र की 30-9-79 को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थिति निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है :--

क्रम सं० अभिकरण	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
1. दिल्ली प्रशासन	—	240	438
2. केन्द्रीय . .	—	—	13
3. सहायता प्राप्त	—	28	157
4. गैर सहायता प्राप्त	—	47	66
5. स्थानीय निकाय	1568	10	4
6. सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय . .	56	—	—
7. गैर सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय . .	53	—	—
योग . .	1677	325	678

1978-83 की छठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सैक्टर के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना स्कीमों के लिए 5350.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 1978-83 के लिए अनुमोदित परिव्यय का अभिकरण-बार विवरण, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के वास्तविक व्यय तथा 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है :-

(रुपये लाखों में)

अभिकरण (एजेन्सी)	अनुमोदित परिव्यय 1978-83	वास्तविक व्यय 1978-79	वास्तविक व्यय 1979-80	अनुमोदित परिव्यय 1980-81
1	2	3	4	5
दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय)	3794.00	852.18	429.85	822.50
दिल्ली नगर निगम	1250.00	513.65*	199.11	325.00
नई दिल्ली नगर पालिका	306.00	54.62	44.34	52.00
योग	5350.00	1420.45	673.30	1199.50

*आंकड़े उपलब्ध फंड पर आधारित हैं।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर बनाई गई है :-

(1) शहर के विभिन्न भागों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यमान विभिन्नता को कम करना।

(2) पुनर्वास कालोनियों में अधिक स्कूल खोलना।

(3) 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आकर्षित करने के लिए निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने जैसे प्रोत्साहन देने के लिए विशेष नामांकन अभियान आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) उन बच्चों के लिए अल्पकालिक कक्षाएं चलाना जो अपने परिवार की आय की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं।

(5) बड़े बच्चों को अल्पकालिक अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

(6) अभिभावकों को सहमत करके बच्चों को स्कूल से निकालने से रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना।

शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए उपरिलिखित बातों के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कदम भी उठाए जाने हैं :-

1. स्कूल पाठ्यक्रमों का इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा पुनरावलोकन।

2. कार्य करने वालों के लिए शिक्षा कार्य तथा शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु अध्यापकों के लिए अनुकूल कैम्पों का गठन करना।

3. विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ कर के शैक्षणिक कार्यक्रम का संवर्धन करना।

4. बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रमेत्तर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त समय का आबंटन।

5. समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपचारी (प्रतिविधिक) कक्षाएं प्रत्येक स्कूल में आरंभ की जाएगी।

6. शिक्षा जारी रखने के लिए केन्द्र एन.सी.इ.आर.टी. की सहायता से खोलने का प्रस्ताव है जो अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति हेतु उनकी शिक्षात्मक सामग्री को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

7. कार्य कर रहे व्यक्तियों के शिक्षा कार्य समन्वय तथा शिक्षा-स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा अनुसंधान तथा राज्य प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का मुख्य अंक स्कूल-भवन का निर्माण करना है जिसकी संघ राज्य क्षेत्र में अत्यधिक कमी है। माध्यमिक शिक्षा हेतु, अनुमोदित परिव्यय का अधिकांश भाग निर्माण कार्यों तथा 11-14 वर्ष तथा 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की प्रगति में खेल-मैदान का विकास, व्यायामशाला का रख-रखाव, खेल-सामान की आपूर्ति, कोचिंग कैम्पों का गठन तथा खेल परिषदों के लिए अनुदान आदि भी शामिल हैं। आगे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस

बात पर विचार किया गया है कि 16-35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की कुल जनसंख्या को 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षित किया जाएगा।

वार्षिक योजना 1979-80

1979-80 की वार्षिक योजना के दौरान क्षेत्र के अधीन सभी तीन अभिकरणों के लिए विभिन्न प्लान स्कीमों पर 752.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जबकि इन तीन अभिकरणों ने 673.30 लाख रुपये व्यय किए थे। 78.70 लाख रुपये की कमी हुई है। शिक्षा निदेशालय तथा दिल्ली नगर निगम के अधीन कमी बतायी गयी थी। 66.15 लाख रु. की अधिक कमी शिक्षा निदेशालय द्वारा बतायी गयी थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्माण कार्यक्रम के अधीन 63.04 लाख रुपये की कमी भी शामिल है जो लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण के सामान उपलब्ध न होने के कारण/रुपरेखा/डिजाइन को अंतिम रूप न मिलने के कारण निर्माण कार्य पूरा न किया जा सका। राजस्व की ओर कमियां भारत सरकार से ऐसी स्कीमों के लिए अनुमोदन देरी से प्राप्त होने की वजह से विभिन्न प्लान स्कीमों के अधीन पद सृजित न होने के कारण हुई। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 25.00 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय के बजाय केवल 15.96 लाख रुपये प्रयोग में लाए गए। 9.04 लाख रुपये की राशि प्रयोग में न लाई जा सकी क्योंकि दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका को अनुदान प्रदान न किया जा सका तथा 1979-80 के दौरान 1000 समाज केन्द्र खोलने के लक्ष्य की बजाय केवल 631 केन्द्र खोले गए।

1979-80 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में दाखिले का लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लिया गया था। 1978-79 की तुलना में दाखिले की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। 1978-79 के अंत में दाखिले की स्थिति कक्षा 1-5, 6-8, 9-10 तथा कक्षा 11-12 के अधीन क्रमश: 6.25 लाख, 2.93, 1.45 लाख तथा 0.75 लाख थी 1979-80 में उपरोक्त कक्षाओं के लिए दाखले लक्ष्य 6.48 लाख, 3.06 लाख, 1.67 तथा 0.89 लाख निश्चित किया गया था जिसकी बजाय वास्तविक दाखिला कक्षा 1-5, 6-8, 9-10 तथा 11-12 के अधीन क्रमश: 6.44 लाख, 3.03 लाख, 1.60 लाख तथा 0.82 लाख थी। 1979-80 के दौरान 57 प्राथमिक, 3 माध्यमिक तथा 18 उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोल कर 1978-79 के विद्यमान स्कूलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई।

वार्षिक योजना 1980-81

1980-81 की वार्षिक योजना में अभिकरणों द्वारा जिन विभिन्न योजना स्कीमों को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, उनके लिए प्रशासन ने 1312.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है जिसकी बजाय चालू वित्त वर्ष में 1199.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ है इस सैक्टर के अधीन 1980-81 की वार्षिक योजना में अभिकरण-वार अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है :--

(रुपये लाखों में)

दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय)	822.50 रु.
दिल्ली नगर निगम	325.00 रुपये
नई दिल्ली नगर पालिका	52.00 रुपये
योग :	1199.50

क्योंकि 1980-81 की वार्षिक योजना 1978-83 की पंचवर्षीय योजना का भाग है, अत: चालू वित्त वर्ष में सैक्टर के अधीन कार्यान्वयन के लिए शामिल की गई प्लान स्कीमें इस रूप में बनाई गई हैं कि 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में सैक्टर के लिए निर्धारित किए गए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इसलिए 1980-81 की वार्षिक योजना में कार्यान्वयन हेतु शामिल की गई स्कीमें सतत स्कीमें हैं। दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगरपालिका ने चालू वित्त वर्ष में कोई नई स्कीमें शामिल नहीं की हैं शिक्षा निदेशालय के मामले में भी दो स्कीमों के सिवाय, सभी सतत स्कीमें हैं। शिक्षा के गुणों में सुधार लाने के लिए पिछले वर्ष स्कूल पाठ्यक्रम का निरन्तर पुनरावलोकन, कार्य कर रहे लोगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम तथा अध्यापकों के लिए अनुकूल स्कीमों का गठन करना, विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ करके शैक्षनिक कार्यक्रम का संवर्धन करना। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए उपचारी (प्रतिविधिक) कक्षाओं का प्रावधान शिक्षा जारी रखने के लिए केन्द्रों की स्थापना आदि जैसे किए गए विभिन्न उपाय चालू वर्ष में भी जारी रखे जाएंगे।

चालू वर्ष में शिक्षा विद्यमान विभिन्नताओं में कमी लाने की ओर ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष दाखिला अभियान चलाया जाएगा जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल से बच्चों के नाम कटवाने में कमी करने के लिए, अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु सहमत करने के लिए शिक्षा निदेशालय एवं नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के अधिक बच्चों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए नि:शुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, नि:शुल्क भोजन आदि प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन जारी रखे जाएंगे। उन बालिकाओं के लिए दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अल्पकालिक कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी जो घरेलू आय की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। बड़े बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पकालिक कक्षाओं की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाएगी।

प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा एम. एन. पी. का अभिन्न अंग होने के कारण इसे 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों में व्यापक बनाने के साथ-साथ प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने तथा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने तथा इस ओर ठोस प्रयास करने के लिए उन्हें उत्साहित करने हेतु शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पिछले वर्ष एक समिति गठित की गई थी। यह समिति चालू वर्ष में अपने कार्यकलाप जारी रखेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए पुनर्वास कालोनियों, गंदी बस्ती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में और स्कूल खोले जाने हैं। चालू वर्ष में 15 माध्यमिक स्कूल तथा 100 सीनियर सैकेन्डरी स्कूल खोले जाने हैं।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

1. शिक्षा निदेशालय

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
प्राथमिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा

(1) प्रदर्शन विद्यालयों के साथ प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना (0.30 लाख रु.)

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परन्तु शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश के अवसर प्रदान करने के प्रयोजन प्रशासन द्वारा 1976-77 में नर्सरी अध्यापक प्राशिक्षण संस्थान, प्रारंभ किया गया जैसा कि तथ्य से विदित है कि 1979-80 की वार्षिक योजना में 50 स्थान उपलब्ध थे जिसके लिए 1500 उम्मीदवार पंजीकृत किए गए। अतः जनता की मांग को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया । क्योंकि यह स्कीम कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में है । इसलिए अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा गंदी बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है इससे स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। यह सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 0.30 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979-80 के दौरान 0.25 लाख रु. का व्यय किया गया। चालू वर्ष में अनुमोदित 0.30 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित मदों पर खर्च की जाती है :--

		रु.
1.	एक स्नातकोत्तर चित्रकला अध्यापक तथा एक संगीत अध्यापक	5,000
2.	फर्नीचर	10,000
3.	पुस्तकें	10,000
4.	उपकरण	5,000
	योग	30,000

प्रशिक्षण को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष से बढ़ा कर 2 वर्ष कर दी गई है । जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ कर 100 हो जायेगी।

(2) पुस्तक बैंकों का सुदृढ़ करना (2.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अधीन उन विद्यार्थियों को पुस्तकें ऋण पर दी जाती है जिनके अभिभावकों की बजाय 500 रुपये प्रति मास तक है। 5वीं योजना के दौरान प्रत्येक स्कूल में पुस्तक बैंक स्थापित कर दिये गए थे अब नए पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का प्रावधान करके उन्हें सुदृढ़ किया जाना है । 1979-80 की वार्षिक योजना में प्राथमिक शिक्षा के अधीन इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। पूरी राशि का प्रयोग कर लिया गया था। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए 2.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निःशुल्क परिवहन सुविधाएं (2.00 लाख रुपये)

यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कार्यक्रम दोनों के अधीन पढ़ने वाली लड़कियों को उपलब्ध है। इसका प्रयोजन प्रोत्साहन दे कर लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने साहस बंधाना है । लड़कियां बस में बैठकर एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित स्कूल में आती हैं तथा फिर घर वापिस जाने के लिए भी उन्हें वहीं से बस में लिया जाता है। 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जो पूरे का पूरा प्रयोग कर लिया गया था । 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(4) स्कूल पुस्तकालय का सुधार (2.00 लाख रुपये)

यह चलती रहने वाली योजना है और इसे स्कूल के पुस्तकालयों में प्रारंभ किया गया था। फलस्वरूप कुछ स्कूल पुस्तकालय के स्तर में सुधार लाने की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 1960-61 अपना स्तर बनाए रखने में सक्षम हो गए हैं तथा पूर्णतः सज्जित हैं । विद्यमान स्कूल पुस्तकालयों में पाठ्यक्रमों में शामिल नए विषयों पर नवीनतम पुस्तकें उपलब्ध करा के उन्हें और सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है । प्रारंभिक शिक्षा में विस्तार के कारण नए स्कूल खुल रहे हैं, जिससे नए पुस्तकालय खोलने की आवश्यकता पड़ गई है । 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए एक लाख रु. का प्रावधान किया गया था जिसे पिछले वर्ष पूरा खर्च कर लिया गया था । 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम को चालू वर्ष में कार्यक्रम रूप देने के लिए न्यू. आ. कार्यक्रम के अधीन 2.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(5) निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराना (4.20 लाख रु.)

माध्यमिक शिक्षा के अधीन समाज के कमजोर वर्गों में से अधिक बच्चों को आकर्षित करने के लिए निदेशालय द्वारा प्रोत्साहन के रूप में उन्हें निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराई जा रही है । इस समय तो उन विद्यार्थियों को ही निःशुल्क वर्दी प्रदान की जा रही है जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये तक है । क्योंकि यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के अधीन चल रहा है, प्राथमिक शिक्षा के अधीन समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं । हालांकि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका जैसे स्थानीय निकाय अपने स्कूलों में यह लाभ प्राथमिक शिक्षा के अधीन बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। अतः दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों में इस सुविधा को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है । यह नई स्कीम है और इसे 1978-83 की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था इसलिए भारत सरकार से इसका प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन अभी लिया जाना है। यह पहली बार चालू वर्ष की योजना में शामिल की गई है तथा इसलिए 1980-81 की वार्षिक योजना में इसके लिए 4.20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(6) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना (4.00 लाख रु.)

आजकल यह स्कीम दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की जा रही है । चालू वर्ष में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल के दिल्ली प्रशासन के 6-11 वर्ष के बच्चों के कल्याण के लिए शिक्षा निदेशालय को भी "पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क उपलब्धि" नामक इस नई स्कीम को प्रारंभ करने का इरादा है । यह स्कीम पिछले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष में आरंभ की गई, परन्तु 1979-80 की वार्षिक योजना में इस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वर्तमान स्कीम के अधीन चालू वर्ष में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी । भले ही उनके अभिभावकों की आय कितनी भी हो। इससे जो अभिभावक पढ़ाई का खर्चा उठाने की स्थिति में न होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं को स्कूल भेजने में सहायता मिलेगी जो इस स्कीम के अधीन प्रायोगिक रूप से 40,000 विद्यार्थियों को 1980-81 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जानी है जिसके लिए 4.00 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

सामान्य शिक्षा

परिव्यय 1980-81

शिक्षा स्तर | स्थानीय निकायानुसार

रु॰ लाखों में

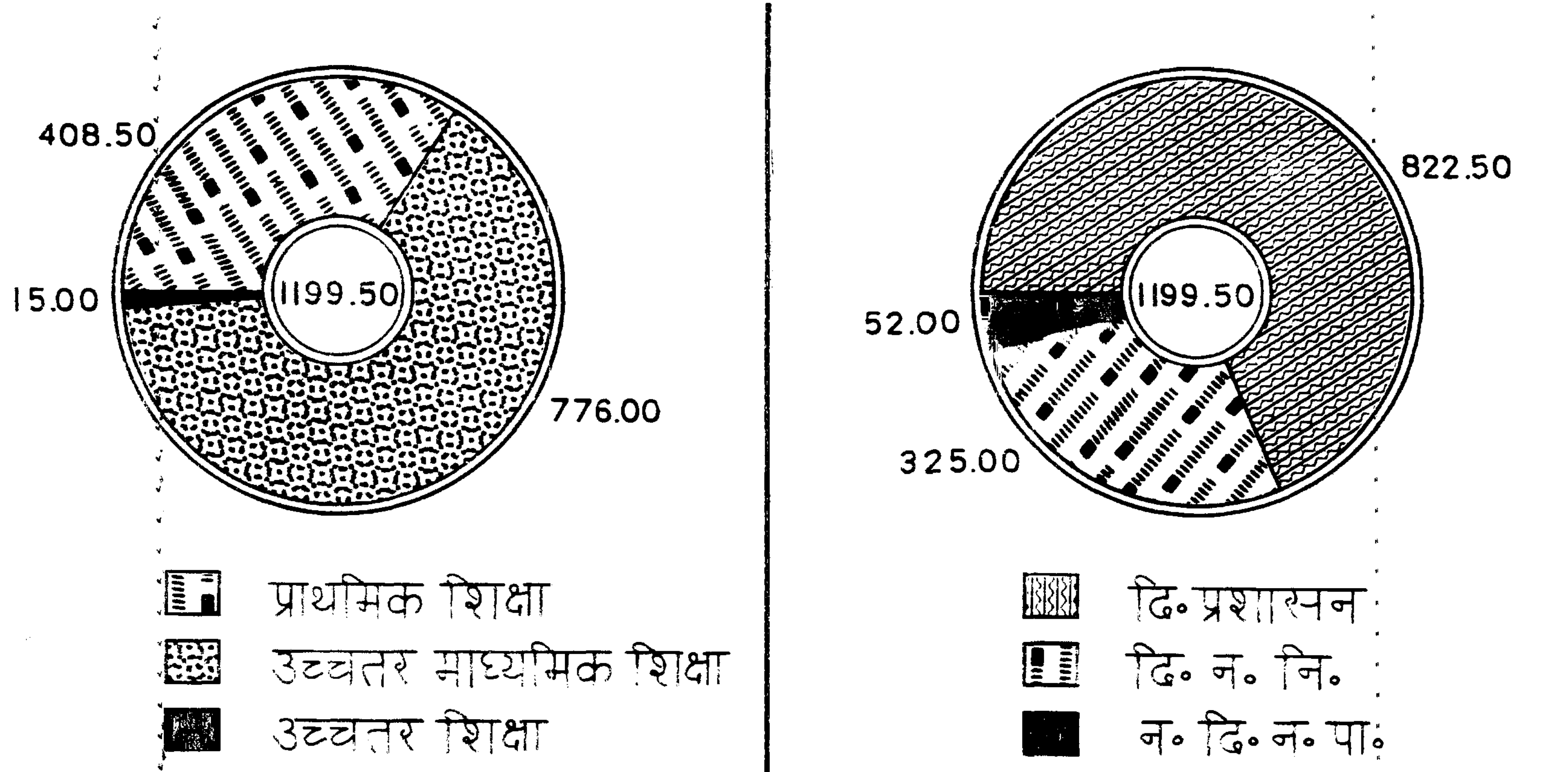

(7) निर्माण कार्य (25.00 लाख रुपये)

1980-81 के दौरान प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन विभिन्न निर्माण कार्य करने के लिए 25.00 लाख रुपये परिव्यय अनुमोदित किया गया है। चालू वर्ष में किए जाने वाले निर्माण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

(8) प्रत्येक जोन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता (1.50 लाख रुपये)

शिक्षा को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अनिवार्य समझा गया है कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल में नाम न कटवाएं। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जोन में सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक जोन में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक अभिभावक से सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हें अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए सहमत करें। परन्तु यह कार्य न किया जा सका क्योंकि इस स्कीम का तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन भारत सरकार से वित्त वर्ष 1979-80 के अंत में प्राप्त हुआ था। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस प्रस्ताव को चालू वर्ष में कार्यरूप देने के लिए 1.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(9) मिडिल स्कूल खोलना (60.00 लाख रु.)

11-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे की पढ़ाई का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय करके यह आशा की जाती है कि पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होंगे। इससे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से पुनर्वास बस्तियों में अधिक संख्या में मिडिल स्कूल खोलने की मांग बढ़ेगी, जहां स्कूल बिल्कुल नहीं है। अतः 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1980-81 में 15 मिडिल स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में इस मद पर 60.00 लाख रु. का व्यय होगा इसलिए यह धनराशि 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित की गई है। 1979-80 के लिए 12.00 लाख रुपये का अनुमोदित परिव्यय पिछले वर्ष पूरे का पूरा उपयोग में लाया जा चुका है। चालू वर्ष में दिल्ली नगर निगम के भवन में स्थित 20 महंगे मिडिल स्कूलों को समीपस्थ सरकारी स्कूलों में मिलाने का भी कार्यक्रम है।

(10) पाठ्यक्रम नवीकरण एवं विकास कार्यकलाप (स. रा. अ. प्र. सं. नि.) कक्ष (1.00 लाख रुपये)

यह कक्ष राजकीय शिक्षा संस्थान द्वारा सं. रा. अ. प्र. सं. नि. के करार के अधीन सर्जित किया गया है परन्तु अभी तक कार्यालय के लिए कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की गई है। कार्यकलापों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने के लिए कर्मचारियों की सहायता आवश्यक है। इस कक्ष के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कितने ही पदों का सृजन किया जाना है, जिसके लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 1.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 1979-80 की वार्षिक योजना में स्कीम के लिए 1.70 लाख रु. का प्रावधान उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि भारत सरकार से अनुमोदन वित्त वर्ष 1979-80 के अंत में प्राप्त हुआ था।

(11) प्रौढ़ साक्षरता के लिए मास्टर प्लान (प्रौढ़ शिक्षा) 30.00 लाख रुपये)

1978-79 में प्रारंभिक कार्य शुरू करने के बाद यह स्कीम 1979-80 में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय नीति विवरण में भारत सरकार द्वारा दर्शाए गए स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना तथा गिनती का कौशल सिखाना जो पहले शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं।

(2) अपनी आर्जन क्षमता में वृद्धि करने तथा अपनी पारिवारिक आय की पूर्ति करने में उनको सक्षम बनाने के विचार से उनके कार्य कौशल में सुधार करना।

(3) उनकी सामाजिक जागरूकता बढ़ाना जो उन्हें दैनिक व्यवहार, देश की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की गतिविधियों से अवगत रखने तथा उन अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने में सहायता देगी जो प्रगति में प्रारंभ कर दी हैं।

संक्षेप में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से ऐसे विकास कार्यकलाप लोगों तक लाने हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों की सहायता के विचार से बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय को सौंपी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था (सैटअप) को सुदृढ़ करने के लिए निधि फंड भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। मुख्यालय में निम्नलिखित पद सृजित किए जा चुके हैं:--

1. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक
2. एक उप निदेशक
3. एक सहायक निदेशक
4. एक लेखाकार
5. एक सांख्यिकी सहायक
6. दो कार्यालय सहायक
7. दो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निजी (पर्सनल) कर्मचारी।

भारत सरकार ने 3 विकास खंडों में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की प्रायोजना चलाने के लिए भी धनराशि प्रदान की है। एक प्रायोजना अधिकारी 10 पर्यवेक्षक और दो कार्यालय सहायक के पदों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु एक जीप की खरीद के लिए भारत सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है। निदेशालय ने शहरी क्षेत्रों में 100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की 10 प्रायोजनाएं तथा बकाया दो प्रायोजनाएं विकास खंडों में प्रारंभ कर दी है।

1979-80 में निदेशालय ने 1000 समाज केन्द्र खोलने थे जबकि केवल 631 केन्द्र खोले गए। 40,000 प्रौढ़ों के दाखिले के बजाय 25,000 प्रौढ़ दाखिल किए गए। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में प्रौढ़ों के दाखिले की संख्या 70,000 हो जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुवर्ती कार्य तथा शिक्षा की निरन्तर व्यवस्था रखने में 300 सतत शिक्षा केन्द्र खोलना भी शामिल है। इन केन्द्रों में छोटे पुस्तकालय तथा वाचनालयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को प्रायोजना पुस्तकालयों से पूरा किया जाएगा। चालू वर्ष में सतत शिक्षा केन्द्रों को चल पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

चालू वर्ष में मौजूदा 10 प्रायोजनाओं को जारी रखने के अतिरिक्त 10 नई प्रयोजनाएं (प्रत्येक 100 केन्द्रों की) चालू की

जाएगी । इस के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना के दौरान 10 प्रायोजना अधिकारी, 30 पर्यवेक्षक, 1000 अंशकालिक प्रशिक्षक, 10 उच्च लिपिक तथा 10 चपरासी नियुक्त किए जाने हैं।

1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 25 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसकी तुलना में 15.96 लाख रुपये खर्च किये गये । 9.04 लाख रु. की कमी इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका को अनुदान प्रदान नहीं किया जा सका और 1000 समाज केन्द्रों के लक्ष्य के बजाय केवल 631 केन्द्र खोले गए । 1980-81 की वार्षिक योजना में चालू वर्ष में उपरोक्त कार्यक्रमों का चलाने के लिए 30,000 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

2. निदेशन और प्रशासन (18.50 लाख रुपये)

शिक्षा निदेशालय के निम्नलिखित कार्यकारी एककों के संबंध में प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:--

(क) मुख्यालय में निदेशालय कर्मचारियों (स्टाफ) की वृद्धि।

निदेशालय में अध्यापकों और स्कूलों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है परन्तु कर्मचारियों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि नहीं हो रही है । 1971-72 से मुख्यालय के कर्मचारियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि अध्यापकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है ।

पिछले वर्ष लगभग 500 अध्यापक नियुक्त किए गए। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के प्रवर्तन से प्रत्येक एकक पर अतिरिक्त भार आ गया है और जिसको इसमें शामिल भी नहीं किया गया है। इसलिए निदेशालय की विभिन्न शाखाओं का सुदृढ करना आवश्यक हो गया है। पद्धति में प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए जिन कर्मचारियों के पद सृजित करने का प्रस्ताव है वे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी कक्ष), एक प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा), एक प्रशासनिक अधिकारी (प्रश्न कक्ष), एक प्रशासनिक अधिकारी (स्नातकोत्तर अध्यापक तथा अन्य श्रेणियां), एक प्रशासनिक अधिकारी (टी.जी. टी./भाषा अध्यापक) एक सचिव (खेल परिषद), एक सहायक शिक्षा निदेशक (स्कूल) तथा एक लेखा अधिकारी (टी बी. एस.)

(ख) सांख्यिकी एकक

वर्तमान समय में सभी स्कूलों से समय पर आंकड़े इकठ्ठे करने में बहुत कठिनाई होती है । इससे विभिन्न अभिकरणों को आंकड़े प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाता है । इस विलम्ब से बचने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक मंडल में सांख्यिकी सहायक तथा सांख्यिकी अन्वेषण के साथ एक छोटे एकक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है । यह दोनों व्यक्ति मुख्यालय तथा विद्यालयों के साथ पूरे सहयोग से कार्य करेंगे ।

(ग) योजना शाखा

योजना शाखा की प्रकृति तथा उसके कार्यक्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, विभिन्न स्कीमों की प्रगति पर निगरानी रखने तथा उनके कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए मानिटरिंग कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान सहायक शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए एक योजना मानिटरिंग अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक तथा सहायक कर्मचारी होंगे ।

(घ) लेखा समाधान कक्ष

लेखा परीक्षा से लेखा कार्य अलग करने के साथ लेखा कार्य के लिए तो कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी है परन्तु लेखा समाधान के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि यह भी आवश्यक है । अतः योजना और गैर योजना खर्च का समाधान करने के लिए निदेशालय में लेखा समाधान की स्थापना अनिवार्य है । इस कक्ष में एक लेखा अधिकारी, एक लेखाकार, 4 उच्च लिपिक तथा 20 अवर लिपिक होंगे।

(ङ) क्रय शाखा

शिक्षा निदेशालय में बहुत बड़ा लेखन सामग्री (स्टेशनरी) भंडार है । यह निदेशालय के सभी स्कूलों तथा शाखाओं के लिए व्यवस्था करता है । मौजूदा स्टाफ बहुत कम है। इसलिए वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त 425-700 रुपये के वेतनमान में एक वरिष्ठ भंडार पाल की व्यवस्था करना अनुमोदित हो चुका है ।

(च) निर्माण कार्य शाखा

निदेशालय के निर्माण कार्य शाखा का कार्य पर्याप्त रूप से बढ़ गया है परन्तु इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी इसलिए 1980-81 के दौरान स शि, नि. (एस्टेट) एक विरिष्ठ पर्यवेक्षक 550-900 रुपये, एक सहायक तथा एक उच्च लिपिक की व्यवस्था करके इसे समुचित रूप से सुदृढ करने का विचार है।

अधिनियम शाखा

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के अनुसार यह दायित्व, दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया है कि वह सहायता प्राप्त स्कूलों पर इस बात की कड़ी निगरानी रखे कि स्कूल नियमानुसार कार्य कर रहे हैं, या नहीं । इस अधिनियम तथा नियमावली के विभिन्न उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय की अधिनियम शाखा को सुदृढ करने का निर्णय किया गया है। संशोधित अधिनियम की मुख्य सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के सभी स्कूलों को पंजीकरण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी, एक विधि अधिकारी, एक लेखा अधिकारी, एक सहा. शि. नि. (सहायता प्राप्त स्कूल), एक सहा. शि. नि. (गैर सहायता प्राप्त स्कूल), एक सहायक शिक्षा नि. (कालेज) सहित उप. शि. नि. के स्कूल पंजीयक कार्यालय की स्थापना की अपेक्षा होगी ।

उपरोक्त सुझावों को कार्यरूप देने के लिए 18.50 लाख रुपये का परिव्यय, 1980-81 की वार्षिक योजना में निदेशन तथा प्रशासन स्कीम के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

2. निरीक्षण कक्ष को सुदृढ करना (1.80 लाख रुपये)

इस स्कीम के अधीन नया शैक्षणिक मंडल अर्थात् उत्तरी मण्डल पांचवी योजना अवधि के दौरान सृजित किया गया था । चालू वर्ष में अन्य मंडलों के अनुसार निरीक्षण स्टाफ में निम्नलिखित पद सृजित करने का प्रस्ताव है :-

1. उप शिक्षा निदेशक
2. आशुलिपिक
3. आपरेटर
4. दफ्तरी
5. चपरासी

1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 1 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में नई जीप के रख र

का खर्चा कम होने के कारण केवल 0.31 लाख रुपये की धनराशि प्रयोग में लाई जा सकी। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 1.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(3) माध्यमिक शिक्षा

1. 11-14 एवं 14-18 वर्ष के आयु वर्ग में अतिरिक्त स्कूल सम्बन्धी सुविधाओं का प्रावधान (150 लाख रुपये)

बढ़ते हुए दाखिले (नामांकन) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए 1980-81 में 10 माध्यमिक स्कूल खोलना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान स्कूलों में 400 नए अनुभाग भी जोड़े जाएंगे। इस प्रकार खोले गए नए स्कूलों का कर्मचारियों की तथा मुख्य मदों जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकें, विज्ञान उपकरण, चित्रकला और गृह विज्ञान सामग्री दृश्य श्रव्य सहायता आदि के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान इस स्कीम के अधीन फंड में से उपलब्ध कराई जाती है।

शिक्षा पाठ्यक्रम में दो स्टेज के प्रारम्भ के कारण अध्यापकों के अतिरिक्त पदों का सृजन अनिवार्य हो गया है जिन्होंने नई कक्षा 12 को पढ़ाया है। पाठ्यक्रमों की शुरूआत के कारण वरिष्ठ वेतनमान में अध्यापकों के अधिक पदों की मांग पैदा हो गई है। शिक्षा की व्यवसायिकता के कारण विभिन्न योग्यताओं के अध्यापकों की मांग बढ़ गई है। 1979-80 के दौरान व्यवसायिक विषयों का अध्यापन कार्य अंशकालिक अध्यापकों द्वारा किया गया परन्तु 1980-81 के दौरान विषयों के लिए पूर्णकालिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ सकती है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) कार्य सुचारु रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपकरण/सामग्री भी उपलब्ध कराई जानी है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। नए स्कूल खोलने के अतिरिक्त चालू वर्ष में काफी संख्या में स्कूलों को मिलाने के लिए, उन्नत करके अलग अलग विचार करता है। चालू वर्ष में 2 मिडिल, 5 सैकेण्डरी तथा 1 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों को अलग-अलग किया जाना है, 6 मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूल तक उन्नत किया जाना है। मिडिल स्कूल से सीनियर सैकेण्डरी तथा सैकेण्डरी स्कूल से सीनियर सैकेण्डरी स्कूल तक उन्नत किए जाने वाले स्कूलों की संख्या क्रमशः 2 तथा 12 होगी। 18 मिडिल स्कूलों को मिलाया जाना है। इससे चालू वर्ष में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, लिपिकीय कर्मचारियों आदि की विभिन्न श्रेणियों के नए पदों की सृजन की आवश्यकता होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:--

1.	प्रधानाचार्य	12
2.	उप प्रधानाचार्य	8
3.	मुख्याध्यापक/स्नातकोत्तर अध्यापक	150
4.	प्र. स्नातक अध्यापक	800
5.	मुख्य लिपिक	20
6.	उच्च लिपिक	30
7.	अवर लिपिक	30
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40
	योग	1090

उपरोक्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 150.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979-80 में 94.57 लाख रुपये का व्यय हुआ था।

2. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (10 लाख रुपये)

1968-69 में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए प्रारंभ किये गए स्कूल में उच्चतर माध्यमिक तथा सीनियर सैकेण्डरी स्तर (10+जमा 2) तक पत्राचार शिक्षा के कारण यह काफी लोकप्रिय हो गया है। इससे विशेष तौर पर उन लोगों को अधिक सहायता मिली है जो किसी एक या अन्य कारण से नियमित रूप से स्कूल जाना छोड़ चुके हैं, किन्तु अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं। यह घरेलू औरतों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सेना कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय में इस स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा से 8,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। 1980-81 में इस सुविधा को 10,000 विद्यार्थियों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल में 2 पाठ्यक्रम दोनों 2 वर्ष की अवधि के, अर्थात् सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी, चलाए जाते हैं। इस सेवा को और मज़बूत करने का प्रस्ताव किया गया है। 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 9.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जब कि इसकी बजाय 9.12 लाख रुपये का व्यय किया गया। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

3. अल्पकालिक कक्षाओं तथा सांध्य स्कूलों की व्यवस्था (1.15 लाख रु.)

ऐसे प्रौढ़ों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने 1968-69 में एक सांध्य प्रौढ़ स्कूल चलाया, जो विभिन्न कारणों से अपनी पढ़ाई की इच्छा पूरी न कर सके। परन्तु प्रौढ़ स्कूल को इतनी लोकप्रियता मिली कि इस समय दिल्ली में ऐसे 12 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 6,000 से अधिक उम्मीदवार हैं। चालू वर्ष के दौरान प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी एक स्कूल खोल कर यह सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया गया है। महिलाएं दोपहर के बाद स्कूल में उपस्थित होंगी। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 1.15 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979-80 के दौरान 1.65 लाख रुपये खर्च किये गये, जो पिछले वर्ष के लिए 0.90 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय से कहीं अधिक है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निःशुल्क परिवहन सुविधाएं (6.00 लाख रुपये)

यह स्कीम 1962 से चल रही है। इसका प्रयोजन लड़कियों को अपनी शिक्षा उच्चतर माध्यमिक (सैकेण्डरी) स्कूल तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि प्रत्येक गांव में उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं चलाए जा सकते, लड़कियों को बसों में उनके गांव से केन्द्रीय रूप से स्थित स्कूल में ले जाया जाता है तथा वापिस उन्हें गांव में छोड़ दिया जाता है। इस बस सुविधा ने बहुत से गांव की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाया है, जो अन्यथा संभव न था। वर्तमान समय में 12 स्कूलों में पढ़ रही 2600 से अधिक लड़कियां इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। चालू वर्ष में इस सुविधा का विस्तार कुछ और अधिक गांवों में किया जाना है। पिछले वर्ष 33.58 लाख रुपये के खर्च की तुलना में एन ओ एन एम एन पी के अधीन 1980-81 की वार्षिक योजना में 6.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

5. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन कैंप/केन्द्र (0.30 लाख रु.)

पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता के लिए 1974-75 में दो अलग अलग स्कीमें अर्थात् अध्ययन कैम्प तथा अध्ययन केन्द्र, प्रारंभ की गई थी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं से ऊपर कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की कमी को दूर करने के लिए ग्रीष्म शिविर तथा शीत ऋतु अवकाश में अध्यापकों के समुचित मार्ग दर्शन के अधीन उनके लिए कक्षाएं लगाई जाती हैं। अवकाश के दौरान ऐसी कक्षाओं में पढ़ाई वाले अध्यापकों को मौजूदा समय में प्रचलित ग्रुप पैटर्न के अनुसार उचित मानदेय दिया जाएगा इस सुविधा की व्यवस्था के लिए विद्यालयों के वर्ग बना दिए जाएंगे। 1979-80 की वार्षिक योजना में 0.20 लाख रुपये का प्रावधान था जबकि केवल 0.03 लाख रुपये का परिव्यय ही प्रयोग में लाया जा सका। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 0.30 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

6. निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराना (10.00 लाख रुपये)

समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को यदि निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाए तो उन्हें स्कूल जाने के लिए कुछ प्रोत्साहन मिलता है निःशुल्क वर्दी प्राप्त करने के पात्र ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके अभिभावकों की आय 500 रुपये तक है। 1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 10.00 लाख रु. का प्रावधान था जिसकी तुलना में केवल 6.52 लाख रु. की धनराशि खर्च की गई, क्योंकि भारत सरकार से स्कीम की स्वीकृति बहुत देर से प्राप्त हुई थी। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

7. पुस्तक बैंकों को सुदृढ़ करना (6.00 लाख रुपये)

यह सुविधा प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक (सैकेण्डरी) शिक्षा कार्यक्रम, दोनों के अधीन प्रदान की गई है। 1980-81 में इस स्कीम को कार्य रूप देने के लिए 6.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम पर 3.16 लाख रु. व्यय किया गया।

8. स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन की सुविधाओं में सुधार (6.00 लाख रु.)

पांचवीं योजना के दौरान स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए गए परन्तु विषय वस्तु तथा विज्ञान पढ़ाने की पद्धति में निरंतर परिवर्तन के कारण अब और अधिक सुविधाओं की जरूरत है।

नए प्रतिमान के अनुसार 9 वीं तथा 10वीं कक्षाओं में विज्ञान अनिवार्य विषय बना दिया गया है। 145 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों ने ऐच्छिक विज्ञान विषय प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त विज्ञान माध्यमिक स्कूलों में तथा सीनियर सैकेण्डरी और सैकेण्डरी स्कूलों के माध्यमिक विभागों में भी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इन सभी स्कूलों को व्यवहारिक कार्य (प्रैक्टिकल कार्य) करने के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना में 3.61 लाख रुपये के व्यय की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में 6.00 लाख रु. का परिव्यय रखा गया है।

9. स्कूल स्तर पर ही विज्ञान अध्यापन का पुनर्गठन तथा विस्तार (6.00 लाख रु.)

इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे।

1. नए पाठ्यक्रम का विकास।
2. नई अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।
3. विज्ञान सामग्री से संस्थाओं को सज्जित करना।
4. विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वालों तथा अध्यापकों का विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण।

अब तक ये सारे कार्यकलाप तीन विज्ञान केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक एक शिक्षा मंडल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चौथे शिक्षा मंडल अर्थात् उत्तरी मंडल के सृजन से चौथा विज्ञान केन्द्र प्रारंभ करना अनिवार्य हो गया। तदनुसार पिछले वर्ष एक विज्ञान केन्द्र की वृद्धि कर दी गई। 1979-80 की वार्षिक योजना में 1.82 लाख रु. के खर्च की तुलना में 1980-81 के लिए 6.00 लाख रु. का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

10. स्कूल पुस्तकालयों का सुधार (3.00 लाख रु.)

1961 में प्रारंभ की गई स्कीम का उद्देश्य स्कूल पुस्तकालयों में पुस्तकों के स्तर तथा संख्या, दोनों में सुधार करना है। स्कूलों के पुस्तकालय भली भांति सुसज्जित हैं परन्तु इन पुस्तकालयों तथा पांचवीं योजना में खोले गए स्कूलों के पुस्तकालयों को और सुदृढ़ बनाने के लिए भी धनराशि (फंड) अपेक्षित है। नए प्रतिमान की शुरुआत के कारण 11 वीं तथा 12 वीं कक्षा के नए विषयों तथा पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को शामिल करने की जरूरत है। प्रत्येक उन्नत स्कूल को 1,000/- रुपये कीमत की पुस्तकें प्रदान करने का प्रस्ताव है। 1980-81 की वार्षिक योजना में सैकेण्डरी शिक्षा के लिए 3.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 1979-80 में भी इतनी ही राशि अर्थात् 3.00 लाख रु. खर्च किए गए थे।

अन्य कार्यक्रम

1. शैक्षणिक दूरदर्शन (6.00 लाख रुपये)

स्कीम का उद्देश्य कक्षा के कमरों में अध्यापन सम्बन्धी विशेष सहायता प्रदान करना है। अध्यापकों को उदारता से प्रतिरूपों के प्रयोग, चलचित्रों आदि के प्रयोग से अपनी कक्षाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है। प्रायोजना का उद्देश्य कक्षाओं के लिए अध्यापकों को साधन उपलब्ध कराने तथा उन्हें अध्यापन तकनीक में नवीनतम विकास से अवगत कराना है। पिछले वर्षों में विभिन्न स्कूलों को प्रदान किए गए ऐसे 100 फिलिप्स दूरदर्शन सैटों को बदलने का भी विचार है जो अब ठीक नहीं हो सकते। एक ग्राफ अनुभाग, कर्मशाला तथा दृश्य टेप पुस्तकालय सहित एक स्रोत केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा। 3.99 लाख रुपये के व्यय की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के कार्यान्वियन के लिए 6.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। दूरदर्शन शाखा जो इसी स्कीम के अधीन कार्यकलापों की देख भाल करती है को दूरदर्शन शाखा में, क्लोज सर्किट टी वी संस्थापना करा के पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

2. स्कूलों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्ग दर्शन सेवा 4.50 लाख रुपये)

यह एक चलती रहने वाली स्कीम है जिसके अधीन विद्यार्थियों का शैक्षणिक तथा व्यवसायिक मार्ग दर्शन करने के लिए 106 स्कूलों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। वर्तमान समय में एक परामर्शदाता तीन स्कूलों में कार्य करता है। शिक्षा के नए प्रतिमान की शुरुआत के साथ प्रत्येक स्कूल के लिए पूर्णकालिक परामर्शदाता उपलब्ध कराना आवश्यक समझा गया। परन्तु प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के अभाव के कारण 2 स्कूलों के लिए एक परामर्शदाता की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अगले पांच वर्षों में 200 परामर्शदाताओं की आवश्यकता होगी। 1979-80 के दौरान 40 स्कूलों के लिए ई. वी. जी. परामर्शदाताओं के 20 पद सृजित किए जाने थे। परन्तु इसे कार्य रूप न दिया जा सका इसलिए चालू वर्ष में 40 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है। इस स्कीम में आने वाले प्रत्येक स्कूल को मनोवैज्ञानिक साधन, पुस्तकें और फर्नीचर आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऊपर प्रस्तावित दायित्व के निर्वहन के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 4.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है, जबकि 1979-80 की वार्षिक योजना में 1.03 लाख रुपया खर्च किया गया था। ई वी जी परामर्शदाताओं के पदों का सृजन न होने के कारण 1979-80 के 3.00 लाख रुपये के कुल परिव्यय का प्रयोग न किया जा सका।

3. विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण (0.75 लाख रु.)

इस स्कीम के अधीन विद्यार्थियों के लिए शिविर एवं शीतावकाश में शैक्षणिक महत्व की दृष्टि से विभिन्न स्थानों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को देश से परिचित होने का अवसर मिलता है जो उनके ज्ञानवर्धन तथा सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। चालू वर्ष में लगभग 60 स्कूलों ने ऐसे भ्रमण के लिए आवेदन किया था परन्तु धनराशि (फंड) की कमी के कारण भी स्कूलों को ऐसे भ्रमणों का आयोजन करने की अनुमति प्रदान न की जा सकी। चालू वर्ष अर्थात् 1980-81 में इस स्कीम को कार्य रूप देने के लिए 0.75 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 1979-80 के लिए 0.50 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की केवल 0.03 लाख रुपये की राशि ही प्रयोग की जा सकी क्योंकि स्कूलों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुए।

4. स्कूल सुधार कार्यक्रम के लिए सामुदायिक स्रोत संघठित करना (0.30 लाख रु.)

इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्कूलों के लिए अनुरूप अनुदान का प्रावधान करके स्कूलों के सुधार के लिए सामुदायिक स्रोतों को संघटित करना है। स्कूल पी. टी. ए. को स्कूलों के सुधार हेतु योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में इस स्कीम के लिए प्रावधान जरा बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक स्कूलों के लिए इसकी व्यवस्था हो सके गंदी बस्ती क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को अधिक प्रतिशत अर्थात 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। 1979-80 की वार्षिक योजना में 0.25 लाख रुपये का प्रावधान था जिसकी तुलना में केवल 0.13 लाख रुपये प्रयोग में लाए जा सके। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 0.30 लाख रुपये का आबंटन अनुमोदित किया गया है।

5. निर्माण कार्य (434.92 लाख रुपये)

दिल्ली में 440 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी और सैकेण्डरी स्कूल तथा 242 माध्यमिक स्कूल हैं इस प्रकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुल 682 स्कूल विद्यमान हैं। 682 की तुलना में अब तक हम केवल 250 पक्के भवन तथा अस्थायी संरचना के 45 एकक अर्थात् कुल 295 भवनों की व्यवस्था कर सके हैं। 432 स्थानों पर लगभग 1300 टैंट (तम्बू) प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनमें से 38 राजकीय माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल पूर्णतः तम्बुओं में स्थित हैं। अनुपातिक रूप से प्रत्येक नए शिक्षा सत्र में 20 नए राजकीय स्कूल खोले जाते हैं। निम्नलिखित की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जाएंगे :--

(क) पूर्णतः तम्बुओं वाले स्कूलों के लिए नया भवन।

(ख) विद्यमान स्कूलों में तम्बूओं के प्रयोग को कम करने के लिए पक्के और कच्चे (अस्थाई) भवन उपलब्ध कराना।

(ग) आगामी वर्षों में बढ़ी हुई संख्या से उत्पन्न जरूरतें पूरी करने के लिए नए भवन उपलब्ध कराना।

(घ) तरण-ताल व्यायामशाला उपलब्ध कराना तथा स्कूलों बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत खेल-मैदानों का विकास।

1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के अधीन 419.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। चालू वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कार्यक्रम के अधीन किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं :-

विस्तृत विवरण

1979-80 के दौरान निर्माणाधीन कार्य तथा उसे पूरा करने के लिए 1980-81 में ले जाया गया।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सांख्यीकृत लागत	1980-81 के दौरान प्रदान की गयी धनराशि	निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तिथि	कैफियत
1	2	3	4	5	6
	नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन				
		रु० लाखों में	रु० लाखों में		
1.	मदनगीर भवन सं 0 2	21.04	0.20	अप्रैल, 1980	
2.	रामकृष्ण पुरम 12	42.61	21.00	जून, 1980	
3.	पट्टी जहां नुमा किशन गंज	33.30	0.25	अप्रैल, 1980	
4.	नया मालवीय नगर, (एक्सटेंशन) साकेत	31.25	12.00	सितम्बर, 1980	

1	2	3	4	5
		रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	
5.	पिंडवाला कलां	19.33	0.05	अप्रैल, 1980
6.	तुगलकाबाद रेलवे कालोनी	33.07	12.00	जुलाई, 1980
7.	बौडेला (महावीर नगर एक्सटेंशन)	33.60	15.00	सितम्बर, 1980
8.	बदरपुर महरोली रोड (पुष्प विहार)	38.17 1.02	10.00	अक्तूबर, 1980
9.	नया लक्ष्मी नगर	28.36	5.00	अगस्त, 1980
10.	आनन्दवास	—	—	अप्रैल, 1980 दि० वि० प्रा० द्वारा दिया जाता है।
	नया माध्यमिक स्कूल भवन			
11.	नई पुलिस लाइन	30.35	4.00	जुलाई, 1980
12.	शाहपुर जट्ट	14.45 1.87	4.00	जुलाई, 1980
13.	मस्जिद मोठ	32.26 3.36	11.00	1980
	विद्यमान सरकारी स्कूल भवनों का मुख्य विस्तार			
14.	पंजाबी बाग (लड़कियां)	7.88	0.50	जून, 1980
15.	रिंग रोड जे० पी० कालेज	8.11	0.50	अप्रैल, 1980
	विद्यमान सरकारी स्कूल भवन के निर्माण कार्य का द्वितीय चरण			
16.	गुलाबी बाग	13.17	4.00	—
17.	झंडेवालान 6	7.71	0.75	—
18.	अशोक विहार, चरण-I	9.65	0.40	—
19.	भोला नाथ नगर	15.68	2.50	—
20.	शकूर पुर 3 (लड़के)	9.67	0.50	—
21.	रानी बाग	14.94	2.63	—
22.	रन्जीत नगर (सं० 2)	9.00	1.50	—
23.	हरी नगर आश्रम	13.50	4.00	मार्च, 1980
24.	पश्चिम पुरी	4.00	2.00	
	अस्थाई कमरे			
25.	241 कमरे 241 कमरे 33 कमरे	46.41 52.78	15.20	
	10 पुनर्वास कालोनियों में सुधार कार्य			
26.	त्रिलोकपुरी, नंद नगरी, कल्याणपुरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, तथा आनन्दवास में 6 भवन	26.48	5.00	
	विद्युत कार्य			
27.	विद्युत कार्य	—	15.36	

संस्वीकृत निर्माण कार्य परन्तु जिनका निर्माण अभी शुरू होना है

क्र०सं०	कार्य का नाम	संस्वीकृत लागत	संस्वीकृति की तिथि	1980-81 के दौरान प्रदान की गई धनराशि
1	2	3	4	5
		रुपये लाखों में		रुपये लाखों में
	नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन			
28.	जहांगीर पुरी	43.65	28-6-79	10.00
29.	मानसरोवर गार्डन	37.62	26-6-79	15.00
30.	न्यू फ्रैंडस कालोनी	42.23	28-6-79	12.00
31.	जनक पुरी ब्लाक 'सी' भवन संख्या 2	34.91	21-7-79	14.00
32.	बादली गांव	39.99	21-7-79	10.00
33.	ईसापुर गांव	34.68	21-7-79	10.00
34.	गीता कालोनी (रानी गार्डन)	51.28	21-1-80	1.00
35.	लांसर रोड, भवन सं० 2	44.83	21-1-80	15.00
36.	जनकपुरी ब्लाक 'ए' भवन सं० 2	48.51	21-1-80	5.00
37.	मादीपुर जे० जे० कालोनी भवन सं० 2	39.34	21-1-80	2.00
38.	सरस्वती विहार	56.79	6-2-80	1.00
39.	तिलक नगर बाल विद्यालय सं० 1	54.71	20-2-80	2.00
40.	शालीमार बाग भवन सं० 1	52.10	29-2-80	5.00
41.	रन्जीत नगर भवन सं० 3	47.76	21-3-80	3.00
42.	पालम सं० 1	34.41	21-3-80	1.00
43.	तिलक नगर बालिका सं० 2	47.40	21-3-81	5.00
44.	पश्चिमी पटेल नगर, बालिका सं० 2	40.03	31-3-80	5.00

1	2	3	4	5
		रुपये लाखों में		रुपये लाखों में
45.	बबर पुर, शाहदरा	53.70	31–3–80	0.50
46.	कलां महल सं० 2	36.07	10–5–78	20.00
47.	बख्तावर पुर गांव	9.12	2–7–79	10.00
	नए माध्यमिक स्कूल भवन			
48.	हरी नगर ब्लाक बी/ई	41.75	सितम्बर, 1979	5.00
	मुख्य विस्तार			
49.	नारायणा (बालिका)	24.98	10–1–79	14.00
50.	मोती बाग-1	10.37	3–2–79	5.00
51.	ईदगाह रोड (ग्रहाता विकास)	6.84	27–8–79	5.00
52.	छतरपुर गांव	28.02	21–1–80	2.00
53.	बवाना	50.98	6–2–80	1.00
54.	राजेन्द्र नगर	4.42	6–2–80	1.00
55.	नया सीलमपुर, जी० टी० रोड	36.35	25–10–79	1.00
56.	भोला राम शाहदरा	37.85	21–3–80	1.00
57.	बल्लीमारान (पनामा भवन)	17.51	31–3–80	5.00
	निर्माण कार्य चरण-2			
58.	जनक पुरी ब्लाक 'ए' भवन सं० 1	13.53	21–6–78	5.00
59.	जनक पुरी ब्लाक 'सी' भवन सं० 1	9.82	23–2–78	5.10
60.	मादीपुर जे जे कालोनी	21.34	19–2–78	10.00
61.	मुण्डेला कलां	32.28	20–2–80	5.00
	पुनर्वास कलोनियों में सुधार			
62.	बवाला	7.73	31–3–80	1.00

उपलब्ध भूमि, नक्शा/तैयार किया गया अनुमान किन्तु ए ए तथा ई सं. प्रतीक्षित

	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	1980-81 के दौरान अपेक्षित धनराशि	कैफियत
	2	3	4	5
		रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	
	नए उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन			
3.	यमुनापुरी	61.28	1.00	
	मुख्य विस्तार			
4.	रामकृष्ण पुरम 7	47.39	1.00	
5.	किचनर रोड	13.34	1.00	
		रुपये लाखों में		रुपये लाखों में
	निर्माण कार्य चरण-2			
	पंजाबी बाग (बाल विद्यालय)	25.45	0.50	
7.	घुम्मनहेड़ा	36.66	0.50	
	पुनर्वास बस्तियों में सुधार			

1	2	3	4	5
68.	ज्वालापुरी	7.57	1.00	
69.	दक्षिणपुरी	2.99	1.00	
70.	मंगोलपुरी	2.39	1.00	

उपलब्ध भूमि, नक्शा/अनुमान तैयार किया जाना है ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	1980–81 के दौरान उपलब्ध कराई गयी धनराशि	कैफियत
1	2	3	4	5
		रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	
71.	जयदेव पार्क	30.00	0.50	
72.	जनक पुरी ब्लाक 'बी' भवन सं० 2	40.00	0.50	नई मद 1980–81/960 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजायन के अनुसार ।
73.	ढका भवन सं० 2	40.00	0.50	–वही–
74.	यमुनापुरी भवन सं० 2	40.00	0.50	–वही–
75.	शालीमार बाग, ब्लाक 'ए'	40.00	0.50	–वही–
76.	कल्याणपुरी भवन सं० 2	40.00	0.50	–वही–
77.	राजेन्द्र नगर	40.00	0.50	–वही–
78.	भटियाला गांव	20.00	0.50	नई मद 1980-81/720 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजाइन के अनुसार ।
79	उजवा (बालिका)	20.00	0.50	नई मद 1980-81 480 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजाईन के अनुसार
80.	जनक पुरी बी–1 पोसंगीपुर	30.00	0.50	नई मद 1980-81/720 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजाइन के अनुसार
81.	नांगलोई जे जे कालोनी	20.00	0.50	–वही–
82.	राजकीय व्यापार निगम कालोनी मालवीय नगर	40.00	0.50	–वही–
83.	बोडेला आवास स्कीम (विकास पुरी)	40.00	0.50	नई मद 1980–81 960 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजाइन के अनुसार ।

1	2	3	4	5
84.	दिलशाद गार्डन	30.00	0.50	नई मद 1980-81/
85.	चन्द्र नगर	40.00	0.50	960 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित डिजाइन के अनुसार

नए माध्यमिक स्कूल भवन

86	बांकेनर गांव (बालिका)	10.00	0.50	नई मद 1980-81/ 360 विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित नया डिजाइन ।

मुख्य विस्तार

87	झिलमिल कालोनी, शाहदरा	20.00	0.50	नई मद 1980-81/ अपेक्षित स्थान
88	नारोजी नगर	20.00	0.50	की सूचना शीघ्र दी
89	नरेला (बालिका)	20.00	0.50	जानी है ।

निर्माण कार्य चरण—2

90	मेहरम नगर	20.00	0.50	नक्शा तैयार है। अनुमान प्रतीक्षित है।
91.	सफदर जंग एन्क्लेव "बी" ब्लाक	15.00	0.50	नई मद 1980-81/ द्वितीय चरण के मानक डिजाइन के अनुसार ।

विभिन्न सरकारी स्कूलों में तम्बू हटाने के लिए अस्थाई कमरे

92.	200 अस्थाई कमरे	40.00	10.00	नई मद 1980-81/ अपेक्षा शीघ्र ही सूचित की जाएगी ।

अन्य परियोजनाएं

93.	वसंत बिहार में विज्ञान केन्द्र एवं केन्द्रीय कर्मशाला	40.00	0.50	
94.	सामाजिक शिक्षा केन्द्र, नजफगढ़	20.00	0.50	
95.	दिल्ली क्रीड़ा स्थल (स्पोर्ट स्टेडियम) पर निर्माण कार्य चरण—2	30.00	0.50	
96.	क्षेत्रीय क्रीड़ा परिसर, श्रीनिवासपुरी	20.00	0.50	
97.	तरणताल, नजफगढ़	5.00	0.50	

1	2	3	4	5
98.	तरणताल, शकूरपुरबाल विद्यालय—1	5.00	0.50	नई मद 1980-81 मानक डिजाइन केअनुसार
99.	तरणताल, जनक पुरी सी	5.00	0.50	— वही। —
100.	तरणताल, नरेला (बाल विद्यालय)	5.00	0.50	— वही —
101.	डिफेंस कालोनी (बाल विद्यालय) में व्यायामशाला	5.00	0.50	— वही —
102.	कल्याणपुरी (बाल विद्यालय) में व्यायाम शाला	5.00	0.50	— वही —
103.	छोटे क्रीड़ा स्थल सहित खेल मैदानों का विकास (क) 15 सरकारी स्कूलों में	15.00	10.0	नक्शा तैयार है अनुमान प्रतीक्षित है।
	(ख) 15 सरकारी स्कूलों में	15.00	10.00	नई मद 1980-81

अन्य विविध निर्माण कार्य

104.	चारदीवारी तथा नलकूप निर्माण तथा अन्य आवश्यक निर्माण कार्य	20.00	10.00	नई म 1980-8
105	विद्युत कार्य	10.00	2.02	नई म 1980-8

भूमि की लागत का भुगतान

106.	नए स्थल बनाना	20.00	5.00	नई म 1980-8

आवासीय

107.	पुनर्वास कालोनियों के 10 स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए टाइप-1 के क्वार्टर	5.00	1.00	नई म 1980-81

भूमि अभी प्राप्त की जानी है

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	1980-81 के दौरान अपेक्षित धनराशि	टिप्पि
1	2	3	4	5
	रु० लाखों में			
	नए उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन			
108.	नया मालवीय नगर (साकेत)	30.00	0.50	भूमि कीमत दि
109.	बोडेला स्कीम (विकास पुरी)	40.00	0.50	वि० प्रा० दी जा चु
110.	खिचड़ीपुर पुनर्वास कालोनी	30.00	0.50	है परन्तु क प्रतीक्षित
111.	वजीरपुर जेजे कालोनी	30.00	0.50	है ।
112.	माडल टाउन सं० 2	40.00	0.50	

1	2	3	4	5
113.	पश्चिम पुरी भवन सं० 2	40.00	0.50	नई मद 1980-81
114.	दिलशाद गार्डन	30.00	0.50	भूमि को कीमत दि० वि० प्रा० को दी जा चुकी है परन्तु कब्जा प्रतीक्षित है ।
115.	महरोली आउटस्कर्ट	10.00	0.50	भूमि की कीमत भूमि एवं भवन विभाग को दी जा चुकी है परन्तु कब्जा प्रतीक्षित है ।
116.	सुदर्शन पार्क, राम गढ़ रतन पार्क	40.00	0.50	नई मद 1980-81
117.	नजफगढ़ पुनर्वास योजना	40.00	0.50	दि० वि० प्रा० को प्रस्ताव भेजा जा चुका है परन्तु आवंटन प्रतीक्षित है ।
118.	मंगोलपुरी स्थल सं० 2	40.00	0.50	
119.	मंगोलपुरी स्थल सं० 2	40.00	0.50	
120.	कालका जी द्वितीय चरण कालोनी	40.00	0.50	
121.	विश्वासपुरी, शाहदरा	40.00	0.50	
122.	ब्रह्मपुरी, शाहदरा	40.00	0.50	
123.	पटपड़गंज पुनर्वास कालोनी	40.00	0.50	दि० वि० प्रा० को प्रस्ताव भेजा जा चुका है परन्तु आवंटन प्रतीक्षित है नई मद 1980-81
124.	प्रीतम पुरा आवास स्कीम	40.00	0.50	
125.	मादीक नगर (मस्जिद मोठ)	40.00	0.50	
	नए माध्यमिक स्कूल भवन			
126.	पोचन पुर गांव	10.00	0.25	गांव-पंचों द्वारा भूदान किया जा चुका है, परन्तु, पंचायत विभाग से हस्तांतरण अपेक्षित है
127.	रनहोला गांव	10.00	0.25	
128.	सम्मोठ गांव	10.00	0.25	
129.	लाडपुर गांव	10.00	0.25	— वही— नई मद 1980-81
130.	पंजाब खोड़ा गांव	10.00	0.25	
131.	ओचन्दी गांव	10.00	0.25	
132.	नई सीमापुरी	30.00	0.50	दि० वि० प्रा० को प्रस्ताव भेजा जा चुका है परन्तु आवंटन प्रतिक्षित है ।
133.	जे० जे० कालोनी, नारायणा	30.00	0.50	— वही — नई मद 1980-81

4. अध्यापक शिक्षा

(1) अध्यापकों के लिए राजकीय पुरस्कार (0.20 लाख रुपये) इस स्कीम के अन्तर्गत 10 अध्यापकों को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है । उन्होंने मेडल तथा योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ 300 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्राप्त किया । 300 रुपये की धनराशि इतनी कम है कि वह अध्यापकों को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, विशेष तौर से अब जब कि इस आधार पर उनकी सेवा अवधि में विस्तार बंद कर दिया गया है । इसलिए यह धनराशि बढ़ा कर 1000 रुपये करने का निर्णय किया गया है । चालू वर्ष में इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिए 0.20 लाख रुपये का आंवटन 1980-81 की वार्षिक योजना में किया गया है जब कि 1979-80 में इस पर 0.03 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई थी ।

(2) अध्यापकों के लिए पुस्तकालय विकास (1.00 लाख रुपये)

इस स्कीम का प्रयोजन अध्यापकों को अपने कार्य स्थान के निकट संदर्भ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना है । वर्तमान समय में 6 अध्यापक-पुस्तकालय चल रहे हैं । इनमें स्कूल के सभी विषयों पर नवीनतम पुस्तकें उपलब्ध हैं। विद्यमान 6 पुस्तकालयों में प्रत्येक में एक पुस्तकालय लिपिक की व्यवस्था की गई है। विद्यमान 6 पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । चालू वर्ष में ऐसी दो पुस्तकालय और खोलने का प्रस्ताव है जिससे 4 परीक्षा-जिलों में प्रत्येक में 2 पुस्तकालय हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त विद्यमान पुस्तकालयों को उनके पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि भी प्रदान की जाएगी । 1980-81 की वार्षिक योजना में 1.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(3) अध्यापक शैक्षिक प्रशासन का व्यवसायिक संवर्धन (0.30 लाख रुपये)

1. यह स्कीम राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली के अध्यापक तथा शैक्षिक प्रशासकों को भाग लेने के लिए वित्तीय व्यवस्था करना।

2. विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापकों के व्यवसायिक कार्यकलापों हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं ।

(3) अध्यापकों द्वारा व्यवस्थित परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, जो अध्यापन की तकनीकों को विकसित करने में पर्याप्त प्रभावशाली हैं ।

4. सन्दर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराने के विचार से कुछ वर्ष पहले प्रारंभ किए गए जिला कार्यालय पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समाचार पत्रों जैसे प्रकाशन भी 1980-81 के दौरान विकसित किए जाने हैं ।

उपरोक्त कार्यक्रमों कार्यान्वित करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 0.30 लाख रुपये का आवंटन अनुमोदित किया गया है, 1979-80 में इस पर 0.29 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

4. शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद् (राजकीय शिक्षा संस्थान की स्थापना) (5.00 लाख रुपये)

राजकीय शिक्षा संस्थान की स्थापना 1966 में स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए हुई थी, जिसकी ओर स्कूली शिक्षा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी ।

संस्थान में कार्य कर रहे अध्यापकों को शिक्षा तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं शैक्षिणिक विकास से अवगत कराने तथा शैक्षणिक विकास के लिए शैक्षिणिक नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें दिल्ली-स्कूलों के लिए एन. सी. आर. टी. पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाना/अपनाना भी शामिल है। सं. राष्ट्र अ. बा. सं. नि. तथा सं. रा. शै. सा. स. की वित्तीय सहायता से प्रारंभ कीजा रही विभिन्न योजनाओं हेतु अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए कार्य कर रहे अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा थी । प्रशिक्षण कार्यक्रम का गठन (व्यवस्था) एस. आई. ई. तथा विज्ञान केन्द्रों द्वारा होता है, जो निदेशालय की विज्ञान शाखा द्वारा चलाए जाते हैं । क्योंकि एक अध्यापक को स्कूल के बहुत से विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिक्षा निदेशालय के दो शैक्षणिक खंडों में बेहतर समन्वय की बात पिछले कुछ वर्षों में इसलिए अत्यंत महसूस की गई ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किए गए प्रयासों से वे बेहतर परिणाम निकले जो वर्तमान समय में सम्भव हैं ।

एस. सी. ई. आर. टी. के कार्यकलाप

(1) सभी शैक्षणिक मामलों में आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करके शिक्षा निदेशालय के शैक्षणिक खंड के रूप में कार्य करना ।

(2) शिक्षा को उचित रूप से योजनाबद्ध, निदेशात्मक कार्यान्वयन तथा उचित और समायोजित मूल्यांकन करके शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के कार्य में सहायता करना ।

मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए एन. सी. ई. आर टी. :--

(क) बच्चों की विभिन्न पृष्ठभूमि तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्कूली अवस्था तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करना।

(ख) एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा तैयार की गई पुस्तकों की पूंजी को विशेष अपेक्षा को ध्यान में रख कर पुनरावलोकन करना तथा जहां आवश्यक हो उसे स्वीकार करना ।

(ग) अनौपचारिक शिक्षा के लिए पठन सामग्री तथा स्कूली बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचि को ध्यान में रख कर पूरक सामग्री तैयार करना ।

(घ) अध्यापन की अधिक प्रभावशाली तकनीक तैयार करके अध्यापन के गुणों में सुधार लाना तथा स्कूली शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करने के लिए समुचित अध्यापन सहायता तैयार करना ।

(ङ) अधिक प्रभावशाली मूल्यांकन-तकनीकों का विकास जो विभिन्न अध्यापन पठन कार्यक्रमों में इसलिए बनाई जाएगी ताकि विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की आदतें अपनाएं तथा ऐच्छिक निपुणता प्राप्त कर सकें जिससे युवकों के व्यवहार में प्रत्याशित परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी ।

(च) विषयवस्तु के ज्ञान तथा अध्यापन तकनीकों को आधुनिक बनाना ताकि सभी अध्यापक अपने आप को सभी विकासों से अवगत रख सकें ।

(छ) अध्यापकों को उनके व्यवसायिक संवर्धन तथा अपने प्रयोग हेतु समुचित व्यसायिक सायिक साहित्य तैयार करने में सहायता करना ।

(ज) प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रशिक्षण कालेजों द्वारा अनुसरण किए जा रहे पढ़ाई के पाठ्यक्रम में सुधार करके अध्यापकों के सेवा से पूर्व-प्रशिक्षण का सुधार एवं उन्हें सम्पन्न करना ।

(झ) शैक्षणिक - अनुसंधान का मार्ग-दर्शन करना, जो स्कूलों में शिक्षा के गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है ।

(ण) शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत समस्त पदधिकारियों (कार्यकर्त्ताओं) को सम्पन्न बनाने का दायित्व लेती है।

संरचना तथा संगठनात्मक स्थापना

शिक्षा मंत्रालय ने परिषद् के लिए प्रतिमान का सुझाव दिया है जिसके अधीन निदेशालय के सभी शैक्षणिक एकक एकछत्र के नीचे एकत्र किये जायेंगे । एकक जो इकठ्ठे हो जायेंगे, निम्नलिखित हैं :--

(1) राजकीय शैक्षणिक संस्थान
(2) विज्ञान शाखा तथा विज्ञान केन्द्र
(3) शारीरिक शिक्षा
(4) पाठ्य-पुस्तक शाखा
(5) दूर-दर्शन शाखा
(6) सर्वेक्षण एकक
(7) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्ग-दर्शन कार्यालय

उपरोक्त में से प्रत्येक एकक के कार्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तथा निम्नलिखित विभाग/एककों की स्थापना की जाएगी

ये कार्य निदेशक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे । ये विभाग/एकक निम्नलिखित हैं ।

(1) मानविकी विभाग
(2) विज्ञान विभाग
(3) पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक विभाग
(4) शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक
(5) शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एकक/कार्यालय
(6) शैक्षिणिक सर्वेक्षन एकक
(7) प्रकाशन एकक
(8) पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक
(9) प्रशासन एवं लेखा एकक

क्योंकि राज्य परिषद् के लिए अनुकूल भवन बनने में समय लगेगा, यह प्रस्ताव किया गया है कि एस. आई. इ. तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एकक वहीं कार्यरत रहेंगे जहां वर्तमान समय में वे कार्य कर रहे हैं। पाठ्यक्रम विभाग तथा सर्वेक्षण एकक को वहां स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जहां सम्भव होगा ताकि कार्यकारी निदेशक को समन्वय तथा पर्यवेक्षण के कार्य में कठिनाई न हो। बेहतर समन्वय तथा परस्पर व्यापिता तथा आवृत्ति को कम करने के लिए प्रत्येक के आंतरिक गठन को अनुकूल रूप से परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग तथा एकक की साहित्यक तथा प्रलेखन सेवा तब तक अलग अलग रहेंगी जब तक वे एक भवन में स्थानान्तरित न हो जाएं। प्रत्येक विभाग/एकक प्रशासनिक तथा लेखा एकक भी अलग अलग होगा।

एककों के विद्यमान शैक्षणिक कर्मचारी निम्नलिखित हैं:-

	उप निदेशक	सहायक निदेशक	उप-शिक्षा अधिकारी	द्विवर्तीय श्रेणी
	1300–1700	1200–1600	1100–1600	650–1200
एस. आई. ई.	1	2	13	13
विज्ञान शाखा	1	5	22	9
पाठय-पुस्तकें	-	1	-	-
दूर दर्शन शाखा	-	1	2	-
दृश्य श्रव्य शिक्षा	-	-	-	1
सर्वेक्षण एकक	-	-	1	
शै. व्य. व. मार्ग कार्यालय			1	1

चालू वित्त वर्ष में निम्नलिखित अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना है:--

1.	पवन निदेशक	1	1500-2000 रुपये
2.	उप निदेशक (अनुसंधान)	1	1300-1700 रुपये
3.	सहायक निदेशक (सर्वेक्षण) एवं शारीरिक शिक्षा)	2	1200-1600 रुपये
4.	प्रशासनिक अधिकारी	2	650-1200 (100 रुपये प्रतिमास विशेष वेतन)
5.	आशुलिपिक	4	330-560 रुपये
6.	उच्च लिपिक	2	330-560 रुपये
7.	अवर लिपिक	2	260-400 रुपये
8.	चालक (ड्राइवर)	2	260-400 रुपये
9.	चपरासी	4	196-252 रुपये

1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था, जो प्रयोग में न लाया जा सका क्योंकि भारत सरकार से अनुमोदन मार्च, 1980 के मध्य में प्राप्त हुआ था तथा इसलिए प्रस्तावित पदों का सृजन न किया जा सका। वार्षिक योजना, 1980-81 के लिए पुनः 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष में कर्मचारियों के वेतन, पुस्तकें, आवधिक प्रकाशन, उपकरण एवं सामग्री, फर्नीचर इत्यादि के लिये प्रयोग में लाए जाएंगे।

5. विश्वविद्यालय शिक्षा

नए डिग्री कालेज खोलना (15.00 लाख रुपये)

भारत सरकार द्वारा 1962 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रशासन ने दिल्ली में कुछ कालेजों की स्थापना की। अब ऐसे 15 कालेज हैं। 1972 से कोई नया कालेज न खोला जा सका, परन्तु यमुना-पार क्षेत्र में कालेज खोलने की आवश्यकता पर्याप्त समय से अनुभव की जा रही है। 1978-79 के दौरान कालेज में सीमित प्रवेश को देखते हुए कालेज खोलना 1980-81 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार प्रशासन द्वारा स्थापित कालेजों को दिल्ली प्रशासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्त प्रदान करता है, प्रशासन को भी खर्च में कुछ हिस्सा देना पड़ता है। 1979-80 के दौरान 12.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जब कि 7.11 लाख रुपये का खर्च वहन किया गया। धनराशि पूर्णतः प्रयोग में न लाई गई, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरूप अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। 1980-81 की वार्षिक योजना में 15.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे।

6. खेल-कूद एवं युवा कार्यक्रम

1. दिल्ली क्रीड़ा परिषद् (4.00 लाख रुपये)

1968 में दिल्ली क्रीड़ा परिषद् की स्थापना से क्रीड़ा के कार्य कलापों को पर्याप्त समर्थन मिला। परिषद् दिल्ली प्रशासन का केवल सलाहकार निकाय ही नहीं है, अपितु यह क्रीड़ा-क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला अभिकरण भी है। जब कि परिषद् ने हमेशा उन खेलों पर उचित बल दिया है जो औलम्पिक का अंग हैं, कबड्डी, तैराकी जैसे असंख्य पारस्परिक एवं ग्रामीण खेल तथा महिला हाकी, टूर्नामेंट जैसी प्रतियोगिताएं भी यह प्रकाश में लाई हैं, जिनका लोकप्रिय आकर्षण है।

उपरोक्त कार्यक्रम को जारी रखने के लिए, 1980-81 की वार्षिक योजना में 4.00 लाख रुपये का आबंटन अनुमोदित किया गया है। 1979-80 की वार्षिक योजना के लिए 3.00 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

2. शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद को प्रोत्साहन (8.00 लाख रुपये)

जुलाई 1978 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को व्यापक बनाने, बालक तथा बालिकाओं में प्रतिभा का पता लगाने, उन्हें अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया इस प्रकार राष्ट्रीय खेल परिणामों में उन्हें श्रेष्ठता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, देशी खेल तथा योग-व्यायाम को विशिष्टता दी गई है। इस बात पर बल दिया गया है कि इन कार्यक्रमों की व्यवस्था शिक्षा पद्धति के अनुसार की जानी होगी।

शारीरिक शिक्षा को व्यापक बनाने की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए स्कूलों के खेल मैदानों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने तथा उनका रख-रखाव करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि अधिकांश स्कूलों में स्थानाभाव के कारण खेल-मैदानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, राजधानी के विभिन्न भागों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, में क्रीड़ा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थी वहां आसानी से खेल सकें। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में केवल स्कूली बच्चों के प्रयोग के लिए तीन क्रीड़ा-स्थल बनाने तथा उन्हें अनुकूल

रूप से सज्जित करने का भी प्रस्ताव है। क्रीड़ा परिसर, व्यायाम शालाएं आदि के उचित रख-रखाव तथा सज्जित करने की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त खेलों का सामान भी स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि स्कूल के अध्यक्ष आवश्यक खेल-सामान विद्यार्थी-कोष से खरीदने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव करते हैं। शारीरिक-शिक्षा-अध्यापकों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए उनका मार्गदर्शन करने का जो कार्य अपेक्षित है उन्हें उसके अनुकूल बनाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थियों को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 8.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, परन्तु विभिन्न पदों के न भरे जाने के कारण 3.61 लाख रुपये की राशि का उपयोग हो सका। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 8.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. खेल-मैदान का विकास (3.00 लाख रु.)

स्कूल में खेल-कूद के कार्यकलापों की व्यवस्था करने के लिए खेल-मैदान का विकास मूल रूप से अनिवार्य है। अधिकतर सरकारी स्कूलों में यह दशा है कि उनके पास स्कूल से सम्बद्ध कोई अपना खेल मैदान नहीं है या अविकसित तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए अनुपयुक्त मैदान है। यह अत्यावश्यक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि ऐसे खेल-मैदान खेलों तथा अन्य कार्यकलापों के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं, यदि समतलीकरण, मरम्मत, विभिन्न क्रीड़ा-स्थल तैयार करना, पिच, कूदने के लिए गड्ढे तैयार करना, तथा रास्ता तैयार करना तथा ईंटें बिछाना आदि जैसे कार्य किए जाते हैं। विभिन्न 80 स्कूलों के खेल मैदान विकसित करने की दृष्टि से उपरोक्त कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 3.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

अन्य कार्यक्रम

छात्रवृत्तियां (5.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, अध्यापकों के बालकों तथा ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को छात्रवृत्तियां तथा विभिन्न योग्यता छात्रवृत्तियां आदि जैसे अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। योग्य विद्यार्थियों में वृद्धि तथा नये प्रतिमान के अधीन 12 वीं कक्षा के बढ़ जाने से, 1980-81 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम को सम्पन्न करने के लिए, अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 5.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, जब कि खर्च 5.14 लाख रुपये हुआ था। यह 1979-80 की वार्षिक योजना के 4.00 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय से कहीं अधिक था।

दिल्ली नगर निगम

1. (3–5) आयु वर्ग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार (4.90 लाख रु.)

सारे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 3,000 नर्सरी स्कूल/कक्षाएं अधिकतर निजी संगठनों/संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं। इन संस्थाओं में फीस की दर बहुत अधिक होती है। समाज के कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चों तथा पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले परिवार इस नर्सरी शिक्षा की सुविधा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं हैं वैसे भी वे निजी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस की अदायगी कर पाने में असमर्थ होते हैं। दिल्ली नगर निगम ने इस आवश्यकता को महसूस किया है और इन बच्चों को नर्सरी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र तथा पुनर्वास कालोनियों में अधिक नर्सरी स्कूल खोलने का प्रयास कर रहा है।

1979-80 के दौरान दिल्ली नगर निगम ने 25 नर्सरी कक्षाएं खोलीं जिससे 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 1500 अतिरिक्त बच्चों ने नर्सरी शिक्षा प्राप्त की। अब 1980-81 में 25 नर्सरी कक्षाएं खोल कर 3 से 5 वर्ष की आयु के लगभग 2,000 अतिरिक्त बच्चों को नर्सरी शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए 1979-80 के दौरान नर्सरी शिक्षा के विस्तार हेतु सृजित दायित्वों के अतिरिक्त सहायक अध्यापक (नर्सरी) के 50 पद तथा चतुर्थ श्रेणी आया के 25 पद सृजित करने की जरूरत होगी। 1979-80 के दौरान 1.85 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 4.90 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

2. बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम (26.00 लाख रुपये)

प्राथमिक शिक्षा को सर्व साधारण तक पहुंचाने तथा शत-प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क स्कूल वर्दी, निःशुल्क चश्मे (ऐनक), शैक्षणिक भ्रमण तथा छात्रवृत्ति के रूप में कल्याण स्कीम के अधीन विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इससे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे अधिक आकर्षित होते हैं तथा इन स्कूलों में दाखिल बच्चों के बेहतर रहन-सहन में सहायकता मिलती है। वर्ष 1979-80 में 24.33 लाख रुपये के खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 26.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

3. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार (4.75 लाख रुपये)

भारी शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। निगम ने प्राथमिक स्तर पर इसके महत्व को मान्यता दी और इसके विस्तार और सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास भी किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम का शारीरिक शिक्षा विभाग निगम स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रौढ़ों के लिए शारीरिक शिक्षा केन्द्र चलाता है तथा विभिन्न खेल कूद और क्रीड़ाओं में विद्यालय तथा अन्तःक्षेत्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। खेल मैदान शारीरिक शिक्षा केन्द्र, तरण-ताल तथा अखिल भारतीय टूर्नामेंट कार्यक्रम की अन्तर्प्रतियोगिताएं विकसित करने का प्रस्ताव है। 1979-80 के दौरान 4.50 लाख रु. के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 3.14 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया। चालू वर्ष में इस स्कीम को जारी रखने के लिए 4.75 लाख रु. का परिव्यय 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित किया गया है।

4. निगम स्कूलों में विज्ञान अध्यापन में सुधार (4.50 लाख रुपये)

नए प्रतिमान के अनुसार विद्यालय स्तर पर ही विज्ञान अध्यापन अनिवार्य हो गया है। स्कूल में विज्ञान अध्यापन में सुधार के लिए रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम पहले से ही पिछले वर्ष से निगम स्कूलों में चल रहा है। 1980-81 की वार्षिक योजना के अधीन भी ये कार्यकलाप जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा की नई शैली में शामिल पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन तथा अतिरिक्त कार्यकलाप भी चालू वर्ष से प्रारंभ किए जाएंगे। पिछले वर्ष में 1.86 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में 4.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(5) प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार (6–11 वर्ष) (62·00 लाख रुपये)

प्राथमिक स्कूल सुविधाएं प्रदान करने का कार्य निगम के अनिवार्य हैं। निगम प्रारम्भ से ही प्राथमिक स्कूली सुविधाएं बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को सर्व-साधारण तक पहुंचाने की स्कीम के अधीन प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निगम प्रारंभ से ही प्राथमिक स्कूली सुविधाएं उचित रुप से बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसा कोई क्षेत्र या गांव (400 या अधिक जनसंख्या वाला) मुश्किल से ही होगा जहां प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था न हो।

1979-80 की वार्षिक योजना के दौरान निगम ने 1457 प्राथमिक स्कूल चला कर 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के 4,73,438 बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया। 1980-81 की वार्षिक योजना में 50 नए स्कूल खोलकर 25,000 बच्चों को अतिरिक्त स्कूली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सुविधाएं 1979-80 के दौरान पहले से ही विस्तरित सृजित स्कूली सुविधाओं को जारी रखने के अतिरिक्त होंगी और इसके लिए प्रधानाध्यापक के 50 पद, 500 सहायक अध्यापक के पद, 50 चतुर्थ श्रेणी पद तथा 100 अल्प कालिक कर्मचारियों के पद, पानी ढोने वाले तथा मेहतर के पद सृजित करने होंगे। 1979-80 की वार्षिक योजना में किए गए 19.91 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में चालू वर्ष में उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यरुप देने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 62.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(6) प्राथमिक शिक्षा में सुधार (10·00 लाख रुपये)

निगम क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की प्रक्रिया पिछले 18 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर चलती रही है तथा अब अवस्था आ गई है कि शिक्षा सुविधाओं के गुणात्मक सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

1978–83 की पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं :-

1. सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार।
3. अनुदेशात्मक शिक्षा सामग्री का प्रकाशन।
4. प्रतिभाशाली अध्यापकों को निगम पुरस्कार का वितरण।
5. सृजनात्मक कला केन्द्र खोलना।
6. प्रतिभाशाली विद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

वर्ष 1979-80 में 4.19 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में उपरोक्त कार्यक्रम को कार्य रुप देने के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(7) निरीक्षणालय तथा स्थापना विभाग को सुदृढ़ करना (12·85 लाख रुपये)

उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना के दौरान पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों में वृद्धि के फलस्वरूप, शिक्षा में वांछित सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण, लिपिकीय तथा अलिपिकीय स्टाफ को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में विस्तार के परिणाम-स्वरूप नए पदों के सृजन की अपेक्षा होगी, जिसके लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 12.85 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। जबकि पिछले वर्ष 2.15 लाख रुपये का वास्तविक खर्च हुआ था।

(8) निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम (200·00 लाख रुपये)

प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य बाधा, निगम स्कूलों के लिए उपयुक्त स्कूल भवन का अभाव है, विशेष तौर से पुराने नगर तथा नई पुर्नवास कालोनियों में यह अभाव है। इस कार्यक्रम के अधीन दि. न. नि. द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:--

1. भूखण्डों/भवनों का अधिग्रहण।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निर्माण एवं आवास मंत्रालय को स्कूल प्लाटों की कीमत का भुगतान करना।
3. पुराने पूर्व सरंचित ढांचों के स्थान पर पक्के स्कूल भवन प्रतिस्थापित करना।
4. 1979-80 की वार्षिक योजना के अधीन तम्बूओं में बने कक्षा कमरों के स्थान पर पक्के पूर्व सरंचित कक्षों का निर्माण।

चालू वित्त वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पिछले वर्ष 141.68 लाख रु. के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में 200.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (6·11 वर्ष) 8·20 लाख रु.)

यह स्कीम 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के बारे में है। नई दिल्ली नगर पालिका ने 6–11 वर्ष ही के आयु वर्ग के सभी बच्चों को 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ निश्चय किया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :-

(1) नान ग्रेडिड पैटर्न:- कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन विद्यार्थियों के लिए नान ग्रेडिड स्कूल पैटर्न अपनाना स्वीकार कर लिया गया है जो अधिक आयु के हो चुके हैं और स्कूल में प्रवेश पाना चाहते हैं। इससे हमें अपनी पारस्परिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में सिंगल पाइन्ट एन्टरी सिस्टम के दोष को सुधारने में सहायता मिलेगी।

(2) भाषा जात अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा:- हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं जो नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, उनके विकास के लिए, विशेष अनुभाग खोल कर उन बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है। विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त अनुभाग खोले जाएंगे (प्रत्येक स्कूल परिसर में एक)। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम आधे प्राथमिक स्कूलों में यह व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1974–78 के दौरान, समाज के कमजोर वर्गों के इलाकों में 5 प्राथमिक स्कूल खोले गए। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए पांच माध्यमिक स्कूलों में से दो स्कूलों के छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और इन स्कूलों को एक प्रधानाध्यापक के पर्यवेक्षण के अधीन चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए इन स्कूलों को इनके लिए प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूल के रूप में अलग-अलग करके प्रधानाध्यापक और अन्य स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई। पिछले वर्ष के लिए 6.63 लाख रुपये के

अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 7.64 लाख रुपये का खर्च वहन किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 8.20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

2.1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें (1.20 लाख रुपये)

इस स्कीम के अधीन जिन बच्चों के अभिभावकों की आय 500 रुपये प्रति मास से कम है, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। अब अभिभावकों की इस आय सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। चालू वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 6 तक के सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की आय चाहे जितनी भी हो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। 1979-80 की वार्षिक योजना में 0.60 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में इस स्कीम पर 1.06 लाख रु. का वास्तविक व्ययवहन किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 1.20 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

3. छात्रवृत्तियां तथा अन्य प्रोत्साहन (1.42 लाख रुपये)

समाज के कमजोर वर्गों में से आने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं:--

(1) छात्रवृत्तिः--

6 से 7 कक्षा में विद्यार्थियों को योग्यता एवं आय के साधन के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। वह प्रोत्साहन वार्षिक परीक्षा में कुल योग में से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के पश्चात् पहले तीन स्थान प्राप्त करने वालों को दिया जाएगा। यह आशा की जाती है कि इस स्कीम से लगभग 150 विद्यार्थी प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे।

(2) विद्यार्थी कल्याण कर्मचारी

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम को शामिल किया गया है। विद्यार्थी कल्याण कर्मचारी प्रत्येक अभिभावक के पास घर-घर जाकर उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करते हैं ताकि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम हो जाए। 1979-80 की वार्षिक योजना में 1.48 लाख रु. के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 1.42 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

4. कार्य अनुभव कार्यक्रम तथा अभिरुचि केन्द्र (0.40 लाख रु.)

यह एक चलती रहने वाली स्कीम है। इस स्कीम के अधीन प्राथमिकता माध्यमिक स्कूलों में कार्य अनुभव कर्मशालाएं स्थापित की जाएंगी। जहां विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्य के अनुरूप अवसर प्रदान करने के लिए ये अभिरुचि केन्द्र नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किये जाएंगे। कुछ समय के प्रशिक्षण के पश्चात् युवकों को बेहतर कार्य मिल सकेगा। पिछले वर्ष अर्थात् 1979-80 के दौरान 0.20 लाख रु. के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 0.40 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

5. प्रशासनिक, पर्यवेक्षण, योजना एवं सांख्यिकीय कक्ष (0.60 लाख रुपये)

शिक्षा विभाग के निरीक्षण खंड में स्टाफ की कमी है। यह कमी नए स्कूलों की स्थापना और नए स्कूल खोलने के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 के कार्यान्वयन के कारण गैर सरकारी स्कूलों के लिए निरीक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता है।

योजना प्रस्ताव को प्रतिपादित करने तथा अनुमोदित योजना स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए इस कक्ष को केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ स्थापित किया जाना है। यह विभाग नीति योजना बनाने तथा विभिन्न अभिकरणों को आंकड़े प्रसारित करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सूचना भी एकत्रित करता है। पिछले वर्ष में 0.60 लाख रु. के वास्तविक व्यय की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के चालू वर्ष में, इस स्कीम को कार्यरूप देने के लिए 0.60 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

6. प्राथमिक शिक्षा विस्तार (11–14) वर्ष (13.48 लाख रुपये)

भारत सरकार की शिक्षा नीति में यथा निर्धारित इस स्कीम का लक्ष्य भी, 11–14 वर्ष के आयु वर्ग में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना है। इस स्कीम के अधीन 1974–78 के दौरान 4 प्राथमिक स्कूल उन्नत किए गए तथा एक माध्यमिक स्कूल खोला गया। इन स्कूलों को विस्तारित करने की भी आवश्यकता है। अध्यापकों के नए पदों के सृजन के अतिरिक्त, फर्नीचर, दृश्य, श्रव्य सहायता विज्ञान वस्तुएं, पुस्तकालय पुस्तकें आदि जैसी सामग्री भी स्कूलों को उपलब्ध कराई जाती है। पिछले वर्ष में 12.35 लाख रु. के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 13.48 लाख रु. का परिव्यय रखा गया है।

7. निःशुल्क वर्दी की व्यवस्था (5.00 लाख रुपये)

यह एक चलती रहने वाली योजना है। कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रु. से कम है, को वर्दी के दो जोड़े प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। 1979-80 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के पर्व पर अभिभावकों की 500 रुपये मासिक आय की सीमा हटा दी गई तथा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को वर्ष 1979-80 के दौरान इस स्कीम से लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम को चालू वर्ष में कार्यरूप देने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 5.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

8. विज्ञान तथा सेवा काल कार्यक्रम में सुधार (0.50 लाख रु.)

इस स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में सं. रा. अ. बा. सं. नि. की अध्यापन नीति लागू करना ही नहीं है अपितु पहले से ही न. दि. न. पा. के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का व्यावसायिक विकास करना भी विज्ञान पढ़ाने की आधुनिक अध्यापकों को स्कूल स्तर पर ही विज्ञान पढ़ाने की आधुनिक तकनीकों से भली-भांति परिचित कराने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक विस्तार सेवा एवं विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किया गया है। इसमें स्कूलों को विज्ञान सामग्री उपलब्ध कराना भी शामिल है। योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 200 अध्यापकों को अनुकूल बनाए जाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष में 0.50 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 0.50 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

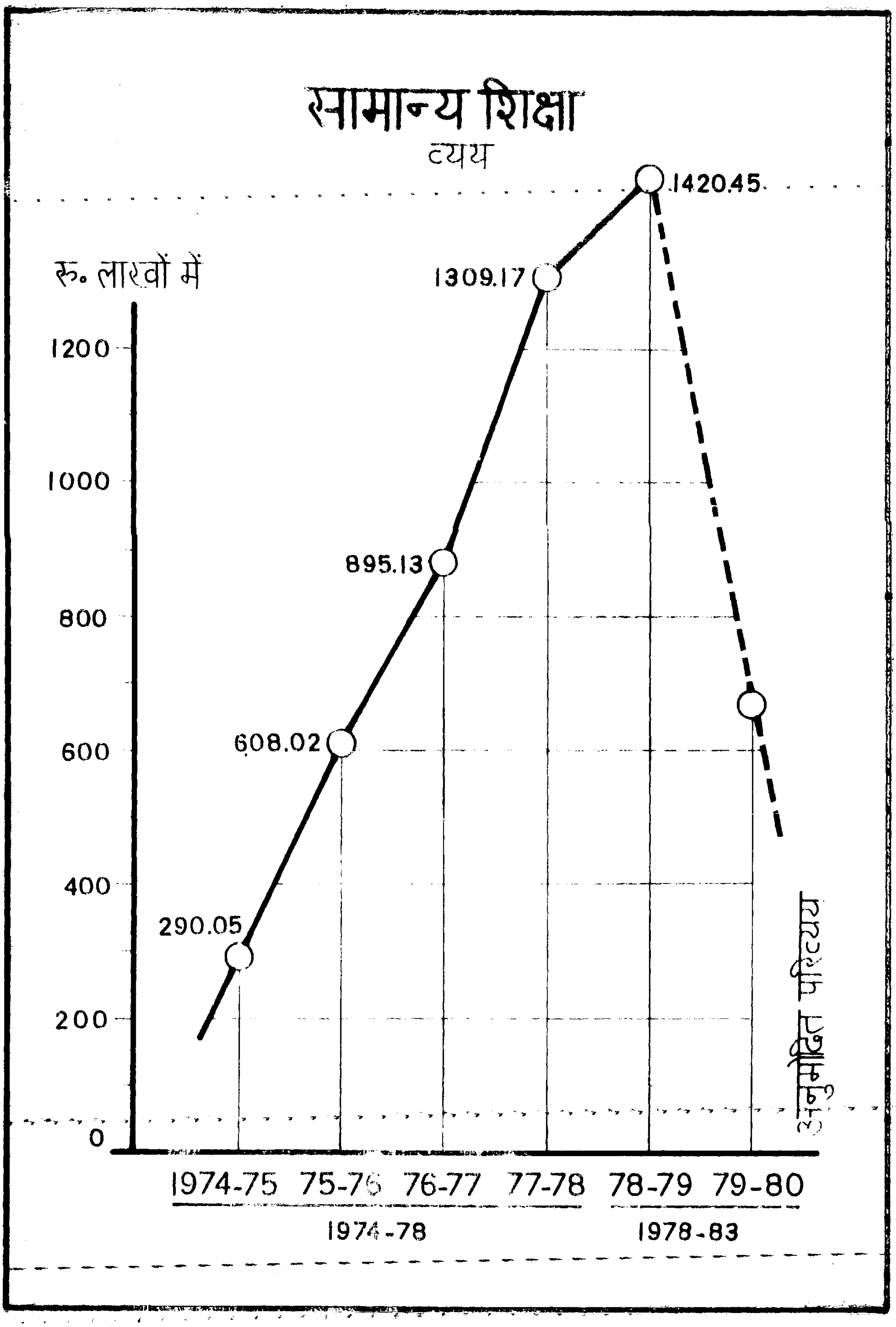

सामान्य शिक्षा
व्यय
रु० लाखों में
1200
1000
800
600
400
200
0
290.05
608.02
895.13
1309.17
1420.45
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

।. निर्माण कार्य (11.00 लाख रुपये)

1980-81 के दौरान पूरे किए जाने वाले विभिन्न निर्माण ार्यक्रमों के लिए 11.00 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत की ई है जबकि वर्ष 1979-80 में 19.10 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हुआ था ।

10. सामाजिक शिक्षा (0.30 लाख रुपये)

नई दिल्ली नगर पालिका में निरक्षरता का उन्मूलन करने के था। पग के रूप में आए साक्षरों के लिए शिक्षा की जानकारी देते हुए वाले केन्द्रों के अतिरिक्त पुरुष तथा महिला दोनों के लिए ामाजिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करके अपने सामाजिक शिक्षा ार्यक्रम का पुनर्गठन किया है ।

नई दिल्ली नगर पालिका में सामाजिक शिक्षा केवल पढ़ने, लखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे कार्यात्मक और रोजगारोन्मुख बनाने के उपाय प्रस्तावित किये गये हैं । सभी केन्द्रों ो ऐसे प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन, बुनाई मशीन आदि पकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। केन्द्र सुबह 10 बजे से सांय 5 जे के बीच 4 घंटे चलेंगे और लाभान्वित होने वालों की सुविधा े अनुसार पुरुष केन्द्र रात्रि के दौरान चलेंगे। 1979-80 की ार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 0.30 लाख रुपये के ावधान को पूरा प्रयोग कर लिया गया था और उतनी ही धनाशि 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत की गई ै ।

1. शारीरिक शिक्षा (1.00 लाख रु.)

इस स्कीम के अधीन सभी प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा ध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था होगी । न.दि.न.पा. क्षेत्र स्थापित होने वाले युवा केन्द्रों में बड़े बच्चों के लिए शिक्षा ी तैयारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

सांध्य खेलों की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्कूलों में स्काउाएगी तथा उन्हें खेल-कूद तथा क्रीड़ा सामग्री भी प्रदान की ाएगी ।

सांध्य खेलों की व्यवस्था की जाएगी । सभी स्कूलों में स्काउटंग और तैराकी अनिवार्य कर दी जाएगी । 1980-81 की ार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख का परिव्यय नुमोदित किया गया है । जबकि वर्ष 1979-80 में 0.39 ाख रु. का वास्तविक खर्च हुआ था ।

2. सांस्कृतिक शिक्षा (0.50 लाख रु.)

इस स्कीम का उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास रना है । बच्चे की आदतों और सांस्कृतिक विकास पर बल दिया ाता है । यह स्कीम बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा का विकास रने में सहायक होगी । बच्चे में सरुचिपूर्ण अनुभूति का कास होगा । इस स्कीम के अधीन नई दिल्ली के सभी महत्व- र्ण इलाकों में संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाएंगे । ूल और केन्द्रों को संगीत वाद्य यंत्र अथवा अन्य सामग्री लब्ध कराई जाएगी । पिछले वर्ष में 0.42 लाख रु. के स्तविक खर्च की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना इस स्कीम के लिए 0.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित या गया है।

. प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार (0.30 लाख रु.)

शिक्षा स्तर को ऊंचा करने तथा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का ुमुखी विकास करने के लिए, नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में कार्यकलापों की श्रृंखला प्रारम्भ की जा रही है। इन कार्यकलापों का स्कूल के भीतरी और बाहरी जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा । अभी हाल में आल इण्डिया रेडियो ने, 'प्राथमिक शिक्षा के लिए रेडियो पाठ', नामक स्कीम प्रारंभ की है । इस स्कीम को प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को एक रेडियो/ट्रांजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 0.30 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि पिछले वर्ष भी इतनी ही धनराशि वास्तव में व्यय की गई थी ।

14. अध्ययन और अर्जन (0.10 लाख रुपये)

व्यवसायिक शिक्षा का परिणाम एक सुगठित कार्यक्रम द्वारा कम से कम उच्चतर प्राथमिक अवस्था में विद्यार्थी के लिए नकद या किसी वस्तु के अर्जन के रूप में होना चाहिए।

इससे विद्यार्थियों को शिक्षा पर तथा शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में किए गए खर्च में कुछ सीमा तक राहत मिलेगी। इस प्रकार अर्जित की गई धनराशि से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा को इस प्रकार से व्यवस्थित करना संभव होगा जो उन्हें कमाने और पढ़ने योग्य बनाए। इसका मूलभूत उद्देश्य ऐसी स्थिति का सृजन करना है जिससे विद्यार्थी की शिक्षा पर प्रभाव न पड़े इससे उसे अपने अंदर ऐसे गुणों के विकास में सहायता मिलेगी जो उनकी आर्थिक उन्नति में सहायक होंगे। जैसे उत्पादन कार्य तथा शारीरिक श्रम "कठिन परिश्रम की इच्छा और क्षमता" के अनुभव का मूल्यांकन करना । यह कार्यक्रम आगामी समय में पर्याप्त लाभांश प्रदान करेगा ।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की 8 संस्थाओं में अध्ययन और अर्जन कार्यक्रम अपना लिया गया है। शिक्षा के दूसरे पहलुओं जैसे साक्षरता गणना, शिल्प शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में उचित स्थान (हिस्सा) दिया जाएगा। केन्द्रों के उत्पादन बाजार में बेचे जाएंगे। इस स्कीम से अर्जित की गई धनराशि भाग लेने वाले विद्यार्थियों में वितरित कर दी जाएगी । नई दिल्ली नगर पालिका अपनी ओर से यह स्कीम "न लाभ न हानि" आधार पर चलाएगी। स्कीम का प्रारम्भिक खर्चा विभाग वहन करेगा । विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 10.00 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । 1979-80 के दौरान 10.00 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय तुलना में कोई व्यय वहन नहीं किया गया ।

15. एम. एन. पी. स्कीमों के सिवाय अन्य स्कीमें 10 जमा 2 शिक्षा पद्धति (8.00 लाख रुपये)

नई दिल्ली नगर पालिका 4 उच्चतर माध्यमिक तथा 10 माध्यमिक स्कूल चला रही है। दिल्ली प्रशासन ने 10 जमा 2 की पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है जिसके अधीन स्कूल या तो 10 वीं कक्षा तक या 12 वीं कक्षा तक चलाए जाएंगे । (10 जमा 2) पद्धति के अधीन अपेक्षित सभी सुविधाएं, नई दिल्ली नगर पालिका के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उपलब्ध इस स्कीम के अधीन 1977-78 के दौरान 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को 12 वीं कक्षा तक उन्नत किया गया। चालू वित्त वर्ष में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 8.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

कला एवं संस्कृति

वर्ष 1978-79 तक इस सैक्टर में ललित कला महाविद्यालय आरकाइव्ज विभाग, पुरातत्व विभाग, साहित्य कला परिषद् तथा दिल्ली गजेटियर द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमें थीं। वर्ष 1979-80 में ललित कला महाविद्यालय इस सेक्टर से अलग कर दिया गया क्योंकि अब यह भारत सरकार से प्राप्त वर्गीकरण के आधार पर तकनीकी शिक्षा सैक्टर का भाग है ।

आरकाइव्ज की स्कीम के मूल उद्देश्य दिल्ली प्रशासन के सभी विभागों/कार्यालयों के स्थायी अभिलेखों का केन्द्रीकरण, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, दिल्ली के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित पांडुलिपि, चित्र तथा दुर्लभ पुस्तकों का अधिग्रहण करना जो किसी व्यक्ति, संस्थाओं तथा समितियों के कब्जे से प्राप्त हो सकते हैं। उपायुक्त, दिल्ली केन्द्रीय कारागार का अभिलेख ऐतिहासिक महत्व का समझते हुए तथा स्थानीय निकायों दिल्ली नगर निगम के अभिलेख के मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह विभाग उनके अभिलेख को अधिगृहीत कर रहा है । पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग अभिलेख की 16,000 से 17,000 प्रतियां अधिगृहित कर सका है। ये अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा उस समय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

1941 से 1950 तक की अवधि के अभिलेख का संदर्भ तथा विषय सूची तैयार कर ली गई है तथा बाद की अवधि का कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है । गोपनीय अभिलेख के मामले में अभिलेख की मार्ग दर्शिका विवरण सूचियां, कलैण्डर और तालिका आदि तैयार करने का कार्य भी इस विभाग द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है ।

विभाग ने कुछ दुर्लभ पुस्तकों को सुरक्षित रख छोड़ा है जो बहुत पुरानी हैं तथा पिछले सैनिक विद्रोह से बहुत पहले की अवधि की हैं। विभागीय पुस्तकालय में 10,000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें एकत्रित की गई हैं ।

जबकि पुराने अभिलेख, दुर्लभ पांडुलिपियां तथा चित्र (पेंटिंग) का अधिग्रहण उनकी सुरक्षा तथा रख रखाव का काम दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आ गया है तथापि दिल्ली के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित हैं तथा हमारी सांस्कृतिक परम्परा का भाग हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उनका रख रखाव पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।

साहित्य कला परिषद् (सा. क. प.) तथा दिल्ली गजेटियर यद्यपि ललित कला एवं संस्कृति सैक्टर के अधीन हैं, तथापि प्रशासन के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । सा. क. प. भारतीय संस्कृति को उन्नत करने, साक्षरता कार्यकलापों को भारतीय भाषाओं से समन्वित करने तथा कलात्मक कार्यकलाप तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहित करने पर विचार करती है । दूसरी ओर दिल्ली गजेटियर, दिल्ली के व्यक्ति परिचय के लिए सामग्री के संकलन तथा सत्यापन के कार्य में लगा हुआ है।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना में इस सैक्टर के लिए 116.00 लाख रु. का प्रावधान है । इस सैक्टर के अधीन चालू वर्ष में विभिन्न स्कीमों का कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 25.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परिव्यय का अभिकरणवार विवरण तथा अन्य विवरण निम्नलिखित हैं --

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	अभिकरण	1978–83 की पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय	1978–79 में वास्तविक खर्च	1979–80 के लिए अनुमोदित परिव्यय	व्यय 1979-80	अनुमोदित परिव्यय 1980–81
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुरातत्व एवं आरकाइव्ज	70.00	3.40	12.00	1.35	15.00
2	शिक्षा निदेशालय (साहित्य कला परिषद तथा दिल्ली गजेटियर)	46.00	5.49	8.00	7.10	10.00
	योग (ललित कला एवं संस्कृति)	116.00	8.89	20.00	8.45	25.00

कला एवं संस्कृति

व्यय

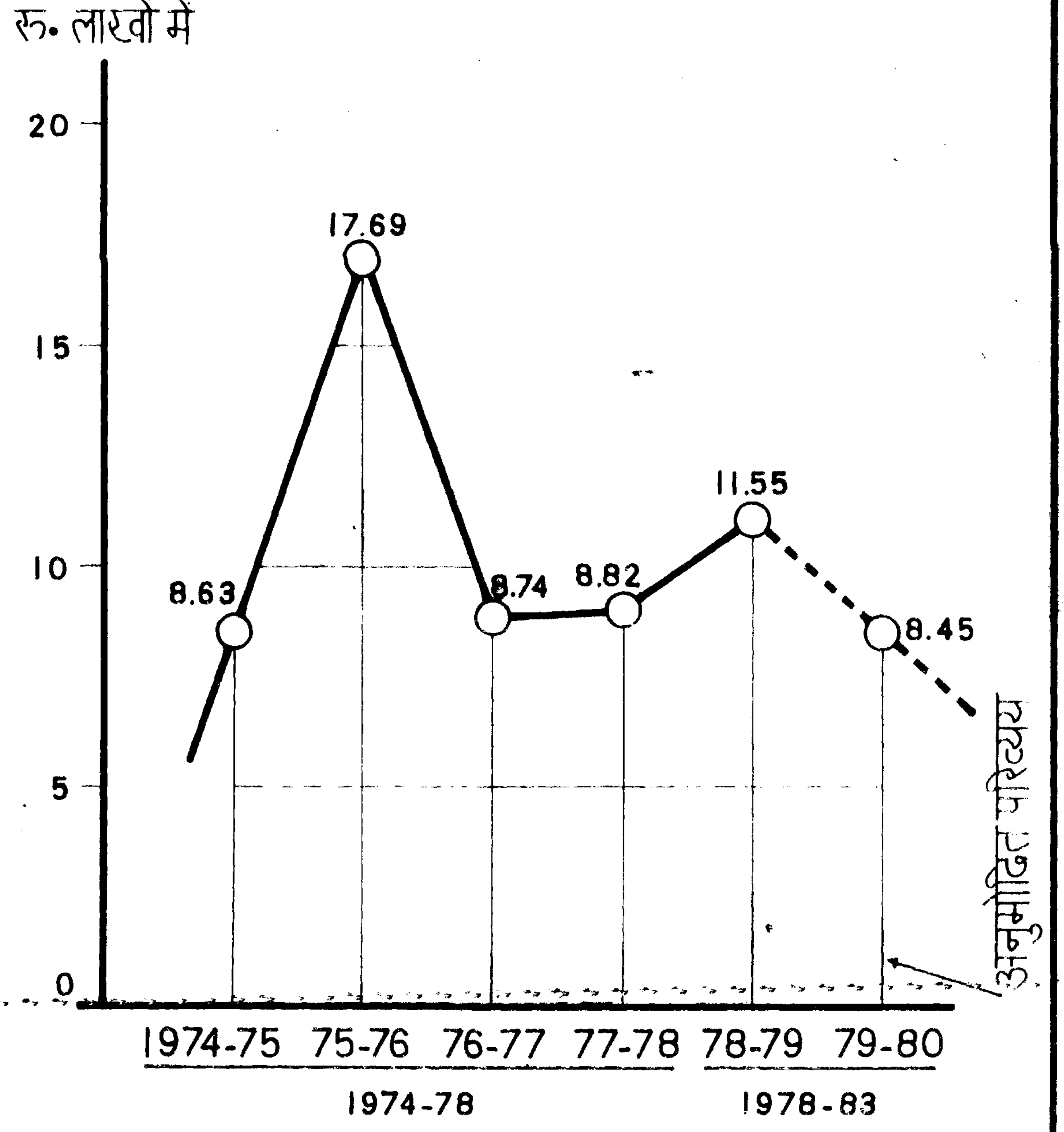

1980-81 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित स्कीमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :--

1. पुरातत्व विभाग की स्थापना (3.00 लाख रु.)

पुरातत्व की स्कीम दिल्ली के प्रचीन स्मारकों के संरक्षण तथा रख रखाव से सम्बन्धित है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली में ऐसे स्मारकों की संख्या 1300 है जिनमें से 75 को "सुरक्षित" घोषित कर दिया गया है तथा उनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये प्राचीन स्मारक हमारे इतिहास के अंग हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि इन्हें और अतिग्रस्त न होने दिया जाए तथा इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया जाए।

इन स्मारकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रशासन में एक अलग अभिकरण स्थापित किया गया है ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें। आवश्यक कर्मचारियों की संस्वीकृति दे दी गई है तथा कुछ स्मारकों के संरक्षक का विस्तृत अनुमान ले लिया गया है। चालू वर्ष के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

दिल्ली अभिलेखागार (12.00 लाख रुपये)
निर्माण कार्य (9.00 लाख रुपये)

तकनीक के अनुरूप तकनीकी भवन के निर्माण की व्यवस्था है जहां वास्तविक ऐतिहासिक शोधकार्य करने वालों के प्रयोग के लिए दिल्ली प्रशासन के सभी कार्यालयों/विभागों के स्थायी प्रकृति के अभिलेख, वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित रखे जा सकें। इस प्रयोजन से 2 एकड़ भूमि का प्लाट आई.आई.टी., हौज खास, नई दिल्ली के दक्षिण में खरीद लिया गया है। प्रस्तावित भवन की योजना/डिजाइन आदि तैयार किए गये थे। परन्तु क्योंकि निर्माण की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भवन के निर्माण की लागत को कम करने के विचार से योजना/डिजाइन को संशोधित किया जाए। योजना आदि के संशोधन का कार्य प्रगति पर है। अंतिम योजना/डिजायन के तैयार होने पर भवन का प्रतिरूप तैयार किया जाएगा तथा शहरी ललित कला आयोग को उसके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। भवन से सम्बन्धित विभिन्न औपचारिकताएं पिछले वर्ष पूरी हो गई थी और यह आशा की जाती है कि कार्य चालू वित्त वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ कर लिया जाएगा। तद्नुसार 1980-81 की वार्षिक योजना में 9.00 लाख रु. का परिव्यय भवन निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है।

राजस्व लेखा (3.00 लाख रु.)

इस कार्य के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 3 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रस्ताव में माइक्रोफिल्म कैमरा तथा अभिलेख की माइक्रोफिल्म प्रतियां तैयार करने के लिए माइक्रोफिल्म एकक के वास्ते आवश्यक स्टाफ तथा अभिलेख सिद्धान्तों के अनुसार अभिलेख के रख-रखाव तथा अनुरक्षण के लिए कुछ कर्मचारियों का प्रावधान भी शामिल है ताकि इनका रख-रखाव भावी पीढ़ियों के लिए किया जा सके कर्मचारियों की जरूरत और ऐसे निजी स्वामियों के अभिलेख की तालिका तैयार करने के लिए है, जिन्होंने अभिलेखागार को अपना संग्रह दान दे दिया या बेच दिया है।

इस प्रकार राजस्व लेखे में 0.40 लाख रु. के वास्तविक व्यय की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना में 3.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

2. शिक्षा निदेशालय

1. साहित्य कला परिषद् को सुदृढ़ करना (8.00 लाख रुपये)

साहित्य कला परिषद् की स्थापना चौथी योजना अवधि के दौरान हुई थी। यह कला और संस्कृती के क्षेत्र में स्वायत्त निकाय के रूप में 1975 से कार्य कर रही है इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. कला वीथि एवं अजायबघर की स्थापना।
2. फैलोशिप, छात्रवृति आदि की स्वीकृति।
3. ड्रामा, नृत्य, संगीत तथा कविता प्रतियोगिता पर पुरस्कार।
4. साक्षरता और सांस्कृतिक महत्व दिवस मनाना।
5. विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों, लेखकों, कलाकारों तथा संगीतकारों को पुरस्कृत करना।
6. निर्धन कलाकार लेखकों को पेंशन देना।
7. नृत्य कलाकारों/लेखकों को ऋण देना।
8. पुस्तकों और पांडुलिपियों आदि पर पुरस्कार।

1980-81 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के लिए 8.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जब कि 1979-80 की वार्षिक योजना के दौरान 5.80 लाख रुपये का वास्तविक खर्च हुआ था।

दिल्ली गजेटियर (2.00 लाख रुपये)

निदेशालय का गजेटियर एकक निम्नलिखित कार्य करने का जिम्मेदार है।

1. **दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति परिचय।**
2. ग्रामीण दिल्ली का भूगोल खंड-1।
3. दिल्ली में स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास।
4. दिल्ली की सांस्कृतिक बपौति
5. दिल्ली गजेटियर का हिन्दी अनुवाद।
6. दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति परिचय के खंड 1 का हिन्दी अनुवाद।

1979-80 में इस स्कीम पर हुए 1.30 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की तुलना में वर्ष 1980-81 में उपरोक्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय प्रस्ताव विद्यमान संस्थाओं के समेकन, नए तथा विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा संकाय विकास, पालीटेक्नीकों के पुनर्गठन, डिजाइन तथा निर्माण एकक की स्थापना तथा छात्रों और कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ पाठ्यक्रम के विकास पर बल देता है। राष्ट्रीय स्तर के इस विस्तृत उद्देश्य को संघ राज्य क्षेत्र की 1978-83 की पंचवर्षीय योजना तथा अनुवर्ती वार्षिक योजनाएं बनाते समय समुचित रूप से ध्यान में रखा गया है। संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनायी गई विद्यमान प्रणाली अपने 4 पालीटेक्नीकों द्वारा विद्युतन यांत्रिक तथा सिविल इंजीनियरी के डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है। इन पालीटेक्नीकों में से एक केवल महिला के लिए, एक वाणिज्य व्यवसाय संस्थान के माध्यम से वाणिज्यीक और सचिवीय क्षेत्र के विषयों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एक फार्मेसी कालेज के माध्यम से फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये और एक दिल्ली इंजीनियरी कालेज सिविल, यांत्रिकी तथा विद्युत इंजीनियरी में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम के लिए है। आर्ट कालेज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और इस सैक्टर के अधीन आता है, ललित कला (चित्रकला) मूर्ति कला तथा एप्लाइड आर्ट में स्नातक की उपाधि प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लगी हुई हैं। ये निजी संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। ऐसी संस्थाओं की संख्या 7 है। वे निम्नलिखित हैं :-

1. सारदा उकील कला विद्यालय ।
2. हमदर्द फार्मेसी कालेज
3. महिला पोलीटेक्नीक, नई दिल्ली ।
4. सीमा सुरक्षा बल का संकेत (सिगनल) स्कूल, तुगलकाबाद ।
5. प्रबन्ध कौशल स्कूल, हंस भवन ।
6. दिल्ली उपादकता परिषद् ।
7. होटल प्रबन्ध, भोजन प्रबन्ध तथा पोषण आहार प्रबन्ध संस्थान, पूसा ।

उपरोक्त 7 संस्थाओं में से क्रम सं. 1 एवं 2 पर उल्लिखित संस्थाएं शिक्षा संस्थाएं शिक्षा निदेशालय से सहायता अनुदान प्राप्त करती हैं।

हौज खास पर आई आई टी जो केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में है, वह भी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में अपना योगदान देती है।

इन विभिन्न पोलीटेक्नीकों/संस्थाओं में संस्वीकृत प्रवेश की क्षमता 2200 है। इंजीनियरी कालेज ने इंजीनियरी के स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में 315 विद्यार्थियों को प्रवेश क्षमता स्वीकृत की है। आर्ट कालेज में उपरिलिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अधीन 45 विद्यार्थियों के प्रवेश की वार्षिक स्वीकृति क्षमता है।

अनुमोदित परिव्यय का संस्थावार विवरण तथा सैक्टर के अधीन विभिन्न वर्षों में किया गया वास्तविक व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	संस्थाएं	पंचवर्षीय योजना 1978-83	वास्तविक खर्च 1978-79	अनुमोदित परिव्यय 1979-80	वास्तविक खर्च 1979-80	अनुमोदित परिव्यय 1980-81
1	2	3	4	5	6	7
1.	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	350.00	64.21	50.00	51.80	50 0
2.	दिल्ली इंजीनियरी कालेज	110.00	21.86	20.00	7.17	21 00
3.	आर्ट कालेज	40.00	2.66	10.00	12.61	30 00
	योग	500.00	88.73	80.00	71.58	101 00

संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुदेश देने के लिए 6 संस्थाएं हैं। चालू वर्ष में एक और संस्था/पालीटैक्नीक बढ़ाने का लक्ष्य है ताकि इनकी संख्या 7 हो जाए।

वार्षिक योजना 1979-80

1979-80 की वार्षिक योजना में इस सैक्टर के अधीन 80.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसकी तुलना में 31 मार्च, 1980 तक 71.58 लाख रु. के खर्च की सूचना प्राप्त हुई थी। तकनीकी शिक्षा निदेशालय हेतु 1979-80 के दौरान विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए 50.00 लाख रु. का परिव्यय अलग से किया गया था जब कि पिछले वर्ष 49.62 लाख रुपये की धनराशि वास्तव में खर्च हुई थी। यह कमी मुख्य पद सृजित न करने के कारण राजस्व स्कीम के अधीन हुई थी। 1979-80 में 2261 के प्रवेश लक्ष्य की तुलना में 1848 विद्यार्थी पोलीटैक्नीक तथा संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए, जिसमें से 930 सफल विद्यार्थियों के लक्ष्य की तुलना में 935 विद्यार्थी सफल हुए।

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज

कालेज 1979-80 की वार्षिक योजना में 20.00 लाख रु. के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 12.61 लाख रुपये की धनराशि का प्रयोग कर सका। खर्च में कमी इस तथ्य के कारण हुई कि कालेज भवन के लिए 3.13 लाख रु. की धनराशि प्रयोग में न लाई जा सकी क्योंकि कालेज भवन के अनुमान में संशोधन किया जा रहा था। राजस्व पक्ष में कमी रिक्त पदों के भरे जाने के कारण हुई। फिर भी खर्च में कमी के प्रभाग 1979-80 में प्रवेश तथा उत्तीर्ण संख्या के लक्ष्य पर नहीं पड़ा। विज्ञान स्नातक तथा विज्ञान निष्णात इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 240 और 58 विद्यार्थियों के लक्ष्य को 1979-80 की वार्षिक योजना में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था।

1979-80 की वार्षिक योजना में आर्ट कालेज के लिए 10.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जबकि व्यय कुल 7.17 लाख रुपये का हुआ। 1979-80 के दौरान राजस्व पक्ष में 2.48 लाख रु. की कमी की सूचना मिली जो पर्याप्त स्थान की कमी के कारण रिक्त पदों के भरे न जा सकने से हुई, क्योंकि कालेज भवन का दूसरा चरण अभी पूरा किया जाना है।

वार्षिक योजना 1980-81

तीन अभिकरण अर्थात् तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली इंजीनियरी कालेज तथा आर्ट द्वारा चालू वित्त वर्ष में क्रियान्वित की जा रही योजना स्कीमों के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 101.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979-80 की वार्षिक योजना के दौरान इन तीनों अभिकरणों द्वारा 71.58 लाख रु. का वास्तविक व्यय वहन किया गया था। प्रत्येक अभिकरण के संबंध में अनुमोदित परिव्यय पूर्ववर्ती पैरों में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान तीन अभिकरणों के अधीन प्रगति के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य इसके विवरण वाले भाग में दिया गया है।

चालू वर्ष में फार्मेसी कालेज में फार्मेसी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, 1979-80 की वार्षिक योजना में 2.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। इंजीनियरी (यांत्रिकी, विद्युत, सिविल तथा वस्तुकला) में अल्पकालिक डिग्री पाठ्यक्रम दिल्ली इंजीनियरी कालेज में प्रारम्भ करने के प्रस्ताव की चर्चा चल रही है तथा यह भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् स्कीम को 1980-81 की वार्षिक योजना में कार्यान्वियन के लिए शामिल कर लिया जाएगा। प्रारम्भ में विद्युत तथा इलैक्ट्रानिक में 20 विद्यार्थियों और यान्त्रिकी एवं सिविल इंजीनियरी प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है। पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की होगी तथा ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इंजीनियरी की सम्बन्धित शाखा में 3 वर्षीय राजकीय बोर्ड डिप्लोमा, दिल्ली के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से पास कर रखा हो अथवा समकक्ष परीक्षा पास कर रखी हो तथा दो तीन वर्षों से नौकरी कर रहे हों, प्रवेश पाने योग्य होंगे। इस स्कीम का उद्देश्य अत्यन्त लाभदायक है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करने का एक मात्र प्रयास है।

1980-81 के दौरान सैक्टर के अधीन नौकरियां मिलने की सम्भावना

दिल्ली इंजीनियरी कालेज

कालेज तथा आर्ट कालेज एक लेखाकार तथा दूसरा एस ए एस के अतिरिक्त पदों के सिवाय जो आर्ट कालेज में सृजित किए जाने हैं अपने योजना प्रस्ताव चालू वर्ष में अपने पास मौजूदा जनशक्ति से चालू कर रहे हैं।

1	2	3	4
1	निदेशालय को सुदृढ़ करना	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	एक
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	एक
		तकनीकी सहायक	एक
		उच्च लिपिक	दो
		अवर लिपिक	दो
		डिस्पैच राइडर चतुर्थ श्रेणी	एक
2.	डी. सी. आई. एम (प्रशिक्षण और स्थापन कक्ष)	प्रशिक्षण एवं स्थापन अधिकारी	दो
		अन्वेषक	दो
3.	जन शक्ति मानिटरिंग एवं मूल्यांकन कक्ष	मुख्य जन शक्ति अधिकारी	एक
		तकनीकी अधिकारी	एक
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक/ सांख्यिकी विद्	एक
		तकनीकी सहायक	एक
		आशुलिपिक	दो
		उच्च लिपिक	दो
		अवर लिपिक	दो
		चतुर्थ श्रेणी	तीन
4.	सुविधाओं तथा पुस्तक बैंक का विकास	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष	छः
		चतुर्थ श्रेणी	छः
5.	औषधि निष्णात पाठ्यक्रम	प्राध्यापक	एक
		सहायक प्राध्यापक	एक
		सहायक पद	

1	2	3	4	5
6. जी0 बी0 पंत पोलीटेक्नीक में आटोमोबाइल कीम रम्मत के संस्थापन		फोरमैन		एक
		मैकेनिक		चार
		वैल्डर और पिचक निशान मिटानेवाला		एक
		सहायक (हैल्पर)		दो
		अवर लिपिक		एक
7. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा प्रभावकारी सुधार की भी निरन्तर समीक्षा		तकनीकी अधिकारी		एक
		तकनीकी अधिकारी		एक
		तकनीकी सहायक		एक
		अवर लिपिक		एक
8. परामर्शदाता तथा औद्योगिक सलाहकार सेवा		तकनीकी सहायक		एक
		अवर लिपिक		एक

1980-81 के वार्षिक योजना में क्रियान्वित की जाने वाली योजना स्कीमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

पुस्तक बैंकों से उन्हें ऋण पर निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हें अनारीक्षत विद्यार्थियों की श्रेणी के समकक्ष लाने के लिए उनके वास्ते अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित तथा अतिरिक्त जन शक्ति आरक्षित कोटे में अतिरिक्त नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। वे 25 % पदोन्नीत वाले पदों के पात्र होंगे और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुविधा का लाभ भी उठा सकेंगे।

1980-81 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों का अभिकरण के अनुसार विवरण निम्नलिखित है।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय

प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं परिष्कृत उपकरण तथा यंत्र उपलब्ध करा के विद्यमान अभिकरणों में अध्यापन के स्त्रोत तैयार करना संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक तथा शिल्प विज्ञान संबंधी क्षेत्रों में स्थापन के मार्ग दर्शक तथा नियंत्रित कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में दुकान के फैलाव हेतु आत्म विश्वास जगाने के लिए पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वे अपने व्यावसायिक क्षेत्र में उचित पर्यवेक्षण करने तथा मार्ग दर्शन करने के आत्मविश्वास तथा सामर्थ्य के साथ आगे आ सकें।

चालू वित्त वर्ष में तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजना स्कीमों के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 50.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्कीमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

1. निर्देशन एवं प्रशासन

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण में वृद्धि के लिए प्रशासनीय तथा तकनीकी सहायता (तकनीकी शिक्षा निदेशालय की स्थापना का सुदृढीकरण) (0.50 लाख रु.)

सम्पूर्ण प्रशिक्षण तथा मानव शक्ति नियोजन को तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने के सुझावों पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की बहुत सी बैठकों में बार-बार विचार विमर्श हुआ है। इस विषय में कार्यवाही के रूप में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण निदेशालय का संयुक्त स्थापन के रूप में गठन किया गया है। फिर भी दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिए तथा समन्वित व सम्बद्ध तरीके से उचित स्कीमें प्लान आउट करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता महसूस की गई है। इस पद को धारण करने वाला तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए वाहन एजेन्सियों की लगातार सहायता व सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क करेगा जिसके लिए अलग से सिफारिशें की गई हैं कि लाभन्वित संस्थापनाओं की स्थापना की जाएगी। इन संस्थानों के प्रणालीबद्ध करने व देखभाल के लिए अनुदान सहायता की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण देने के लिए मशीन तथा उपकरणों, उचित जगह, कार्यक्रम प्रशिक्षण का अंश, प्रशिक्षण आदि के लिए सुशिक्षित स्टाफ (जैसा कि विभिन्न विषय वस्तुओं में निहित है) के रूप में उत्पन्न सुविधाओं तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड की कमेटियों ए. आई. सी. टी. एस. एन. सी. टी. वी. तथा टी. सी. वी. टी. आदि की देख रेख का कार्य भार भी उसी को सौंपा जाएगा। वह शिक्षा मंत्रालय, उद्योग निदेशालय, एन. आर. सी तथा ए. आई. सी. टी. ई. आदि के साथ प्रशिक्षण कार्य क्रम को उचित ढंग से आरम्भ करने के लिए सम्पर्क बनाए रखेगा।

इस समय प्रशासनिक अनुभाग सहायक निदेशक (त. शि.) की देख रेख में कार्य कर रहा है। इस अनुभाग को एक डिस्पैच राईडर तथा सहायक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

निदेशालय के एकेडामिक वर्क का निष्पादन जैसे पोलीटैक्निक के प्रवेश, पाठ्यक्रम लागू करना, छात्रों की आवश्यकताओं, बाईज फंड, लाईब्रेरी व बुक बैंक की स्थापना, संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण की आवश्यक सामग्री जैसे उपकरण व यंत्रों आदि की खरीद का कार्य भी सहायक निदेशक द्वारा देखा जाता है। उन्हें एक वरिष्ट तकनीकी सहायक, एक तकनीकी सहायक तथा एक अवर लिपिक उपलब्ध कराना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना का विकास भी सहायक निदेशक की देखरेख में है जिसे डेम आपरेटर, एक अवर लिपिक तथा एक वरिष्ठ तक. सहा. व स्टैटिशियन की सेवाएं उपलब्ध करानी हैं।

वार्षिक योजना 1979-80 में इस स्कीम के लिए 1.34 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था, जो कि पदों का सृजन न होने के कारण सारा प्रयोग में न लाया जा सका। फिर भी 1979-80 के दौरान इस धन राशि का उपयोग मशीनों तथा यंत्रों की खरीद के लिए किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए वित्त वर्ष में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 0.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(ख) सहकारी तथा औद्योगिक जांच सेवाओं का विकास (प्रशिक्षण एवं स्थापना कक्ष) (0.20 लाख रु.)

यह एक चालू स्कीम है जिसके अंतर्गत एक पद सहायक निदेशक, एक आशुलिपिक एक तक. सहा. तथा चतुर्थ श्रेणी का पद स्वीकृत हुआ है जो कि हैडक्वार्टर में भरे जाने हैं। इसके अलावा एक पद प्रशिक्षण तथा स्थापना अधिकारी, एक इन्वेस्टिगेटर तथा पांच वर्कशाप/लेबोरेटरी अटैन्डैन्टों के पदों का सृजन

चारों पोलीटेक्निकों में से प्रत्येक के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक, वाणिज्य तथा प्रौद्योगिकीय संस्थापनों के सक्रिय सहयोग के साथ प्रशिक्षण तथा स्थापना कार्य का आरंभ करना तथा पर्यवेक्षण करना है। ठीक ऐसा ही स्टाफ बाकी दो संस्थाओं–इन्स्टीट्यूट आफ कमर्शियल प्रेक्टिस तथा कालेज आफ फार्मेसी को भी उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 1979-80 बजट में 0.57 लाख रु. का प्रावधान इस स्कीम के लिए प्रस्तावित पदों का सृजन न होने के कारण प्रयोग न किया जा सका। फिर भी पूरी राशि मशीनों तथा उपकरणों की खरीद के लिए प्रयोग की गई। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(ग) जनशक्ति अनुश्रवण (मानीटरिंग) और मूल्यांकन कक्ष: (0.50 लाख रु.)

एक उचित कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक विश्वस्त सूचना प्रणाली आवश्यक है, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में जहां की लागत बहुत अधिक है। वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोजित किया जाना है। विभिन्न विशेषताओं की मांगों में परिवर्तन का अनुमान लगाया जाना है। ताकि उचित उपयोग के स्थानों बारे में उचित मार्ग दर्शन किया जा सके। यह कार्य केवल प्रबन्ध अनश्रवण (मानीटरिंग) तथा मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना द्वारा ही संभव हो सकेगा। पोलीटेक्निक के प्रिंसिपल के समकक्ष मुख्य जनशक्ति अधिकारी की देख रेख में एस. टी. ए. सर्वेक्षण अधिकारी तथा अन्य सहायक स्टाफ सहित एक कक्ष की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम के लिए 1.09 लाख रु. के अनुमोदित परिव्यय में से वर्ष 1979-80 के दौरान 1.02 लाख रु. का व्यय किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रु. की राशि अनुमोदित हुई है।

11. पोलीटेक्निकों का समेकन

(1) जी. टी. करनाल रोड पर के. जी. पोलीटेक्निकल के भवन का निर्माण (2.50 लाख रु.)

वर्ष 1963-64 में भारत सरकार ने लड़कों के लिए तीसरे पोलीटेक्निक की स्थापना की स्वीकृति दी थी। वर्कशाप ब्लाक का निर्माण पहले ही किया जा चुका है जिस पर 14.43 लाख रु. खर्च हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक ब्लाक तथा टीचिंग ब्लाक का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है। फैले हुए कार्य के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 2.50 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है। वर्ष 1979-80 के लिए 10.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था जिसके विरुद्ध 14.53 लाख रु. का व्यय किया गया।

(2) पूसा पोलीटेक्निक भवन की तीसरी मंजिल का निर्माण (2.00 लाख रु.)

यह पोलीटेक्निक 1962 में स्वीकृत हुआ तथा इसकी स्थापना हुई। मुख्य भवन तथा वर्कशाप का निर्माण हो चुका है। बहुत से नए कोर्स अर्थात्, इलैक्ट्रोनिक में डिपलोमा कोर्स तथा आन्तरिक इंजीनियरिंग में सैंडविच कोर्स तथा प्रिंटिंग टेक्नोलोजी में डिप्लोमा कोर्स जोड़े गए हैं। इससे संस्थान में अतिरिक्त जगह के प्रावधान की आवश्यकता हो गई है। 8.95 लाख रु. की अनुमानित लागत पर वर्तमान भवन की तीसरी मंजिल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। यह कार्य गतवर्ष आरंभ किया गया था। वार्षिक योजना 1979-80 में इस कार्य के लिए 1.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था, जिसके विरुद्ध 2.44 लाख रु. खर्च किए गए। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(3) महिला पोलीटेक्निक्स के दूसरे चरण का निर्माण (3.00 लाख रु.)

मुख्य भवन के प्रथम चरण, जिसमें क्लास रूम, प्रयोगशालाएं कार्यालय आदि शामिल हैं, का निर्माण 1974-75 में पूरा हो गया था। दूसरे चरण का निर्माण, जिसमें कार्यशाला लाएब्रेरी, स्टोर आदि शामिल हैं और जिस पर 26.00 लाख रु. खर्च होंगे, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी विस्तृत रूपरेखा (ड्राइंग) तैयार की गई है। निर्माण कार्य वर्ष 1979-80 में आरंभ किया गया था। इस स्कीम के लिए वर्ष 1979-80 में 6.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था जिसके विरुद्ध 0.33 लाख रु. का व्यय हुआ। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 3.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(4) मशीनें तथा यंत्र (7.00 लाख रु.)

संस्थान में उपलब्ध मशीनों तथा यंत्रों में से बहुत से यंत्र तथा मशीनें प्रशिक्षण तथा नई तकनालाजी व मेथडालाजी में लगातार प्रयोग के कारण पुराने हो गये हैं। अतः इन उपकरण तथा मशीनों के आधुनिकीकरण की मांग बढ़ रही है ताकि नवीनतम तकनालाजी में प्रशिक्षण दिया जा सके। संयोग से विभिन्न कोर्सों के सिलेबस में संशोधन किए गए हैं। जिससे संस्थान में अतिरिक्त तथा नए ढंग के उपकरण तथा मशीनों का प्रावधान आवश्यक हो गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में पोलीटेक्निक्स के लिए 3.25 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था, जिसके विरुद्ध 8.88 लाख रु. खर्च हुआ। पोलीटेक्निक्स में मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान 7.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। यह स्कीम आई. सी. और सी. ओ. पी. में भी कार्यान्वित की जा रही है।

(5) लाइब्रेरी सुविधाओं तथा बुक बैंकों का विकास (0.75 लाख रुपये)

यह स्कीम संस्थान के सामान्य विकास का भाग है। क्योंकि क्रमिक अनुसंधान तथा परिवर्तनों से तकनालाजी में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के कारण विभिन्न विषयों पर नवीनतम पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं की मांग दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः पुस्तकालयों में अत्यन्त आधुनिक तथा नवीनतम पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है।

इसके अलावा इस प्रकार की तकनीकी पुस्तकों की खरीद सामान्य आय वाले परिवार के छात्रों की क्षमता से दूर की बात है। ऐसी परिस्थितियों में बुक बैंक का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हो गया है। लाइब्रेरी तथा बुक बैंकों की सुविधा सभी पालीटेक्निकों में उपलब्ध करायी जाती है। अतः वार्षिक योजना 1980-81 में पालीटेक्निकों के लिए 0.75 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। जबकि वर्ष 1979-80 में 1.35 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हुआ था। यह स्कीम आई. सी. पी. तथा सी. ओ. पी. में भी कार्यान्वित की जा रही है।

(6) संस्थानों का पुनर्निर्माण व पुनर्गठन (0.75 लाख रु.)

तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय कौंसिल ने पालीटेक्निकों के सैट-अप पर दोबारा से विचार करने के लिए एक विशेष

कमेटी नियुक्त की थी, जिसने इनके पुनर्गठन का सुझाव दिया है। यह कमेटी मदन कमेटी के नाम भी जानी जाती है। इसने सिफारिश की है कि छात्रों को पढ़ाने तथा एकेडेमिक डिस्पेंसिंग से संबंद्ध कार्य के लिए प्रवक्ता लेक्चरार से कम हैसियत वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्थानों की संरचना को पुनर्गठित किया जाना है। साथ ही वर्तमान कमियों को भी दूर करना है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने इन सुझावों को एकत्र किया है तथा इन्हें नार्दर्न रीजनल कमेटी आफ आल इण्डिया कौंसिल आफ टेकिनकल एजूकेशन के पास उनकी सहमति के लिए भेजे जा रहे हैं। अतः वर्तमान पालीटेकनीकों में इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1979-80 में 1.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था जो कि भारत सरकार द्वारा स्कीम स्वीकृत न होने के कारण प्रयोग न हो सका। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.75 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। यह स्कीम आई. सी. पी. और सी. पी. ओ. में भी लागू की जा रही है।

(7) छात्रों की सुख सुविधाओं के लिए प्रावधान (0.25 लाख रु.)

ऐसा देखा गया है कि मूल भूत सुख सुविधाओं जैसे पीने का पानी तथा वाटर कूलर, चिकित्सा सुविधाएं, सफाई सुविधाएं, कैन्टिन, रीडिंग रूम, छात्र कार्य कलाप कक्ष, कामन रूम, छात्रों द्वारा मांग जाने वाली लेखन सामग्री तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री की आपूर्ति के लिए कांपरेटिव काउन्टर, साइकिल तथा स्कूटर स्टैण्ड, खेल का मैदान, हाबी सेन्टर, डाक तथा टेलीफोन आदि की सुविधाएं प्रशिक्षण संस्थानों में नियोजित तरीके से छात्रों को उपलब्ध करायी जाएं तो इन कमियों से उत्पन्न होने वाला छात्र असन्तोष रोका जा सकता है।

वार्षिक योजना 1979-80 में सभी पालीटेकनिकों के लिए 0.50 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1980 तक 2.22 लाख रु. का व्यय हुआ। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए चालू वर्ष में पालीटेकनिकों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 0.25 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। यह स्कीम आई. सी. पी. तथा सी. ओ. पी में भी कार्यान्वित की जा रही है।

(8) अनुसूचित जाति व अनु. ज. जा. के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं (0.20 लाख रु.)

पर्यावरणीय सीमाओं के कारण आरक्षित श्रेणी के छात्र अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सभी कमजोर छात्रों के लिए लेक्चर नोट्स तथा विशेष मार्ग दर्शन करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अल्पकालिक आधार पर विशेष रूप से ऐसे छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। ये कक्षाएं परीक्षा के निकट दिसम्बर, या इसके आस पास लगेगी। वार्षिक योजना 1979-80 में 0.40 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था जो कि भारत सरकार का अनुमोदन काफी देर से फरवरी 1979 में मिलने के कारण प्रयोग न किया जा सका। चालू वर्ष में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 0.20 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है। ताकि इस स्कीम को चालू वर्ष में लागू किया जा सके।

(9) प्रोडक्शन टेक्नालाजी में डिप्लोमा कोर्स (0.50 लाख रु.)

यह कोर्स जी. बी. पन्त पालीटेक्निक में शैक्षिक सत्र (1979-80) में शुरू किया गया था जिसमें तीस छात्रों को प्रवेश दिया गया था। एक विभागाध्यक्ष, एक लैक्चरार, दो सहायक वर्कशाप अधीक्षक, दो वर्कशाप अनुदेशक तथा एक वर्कशाप कुली के पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। वार्षिक योजना 1979-80 में 1.50 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध केवल 0.20 लाख रु. का व्यय हुआ क्योंकि पदों का सृजन तो हो गया था परन्तु 31 मार्च, 1980 तक इन पदों पर भर्ती न की जा सकी। वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान इस कोर्स के लिए कुछ विशेष मशीनों तथा उपकरणों के प्रबन्ध के लिए तथा स्टाफ के वेतन के लिए 0.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(10) गारमेंन्ट फेब्रिकेशन टेक्नालाजी में डिप्लोमा कोर्स (1.12 लाख रु.)

इस स्कीम का उद्देश्य है कि दिल्ली तथा इस के आस-पास जो गारमेंन्ट फेब्रिकेशन उद्योग जिसका अपूर्व विकास हो रहा है और जो निर्यात के क्षेत्र में एक साहसिक छलांग लगाने वाला है, के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों, टेक्निशियनों की व्यवस्था की जाती है, जो कि अपेक्षित ज्ञान तथा पर्याप्त कौशल वाले होंगे तथा नवीनतम व्यावसायिक तकनीकों से परिचित होंगे तथा जो कि स्वतंत्र रूप से और प्रभावशाली तरीके से शाप फ्लोर चला सकेंगे।

भारत सरकार ने इस कोर्स को तीस छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमोदित कर दिया है। एक विभागाध्यक्ष, एक लेक्चरार, एक सहायक वर्कशाप अधीक्षक तथा एक अवर लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। यह कोर्स जी. टी. करनाल रोड पालीटेकनीक के नए भवन में इसी शैक्षिक सत्र से आरम्भ होने वाला है। वार्षिक योजना 1979-80 में 1.00 लाख रु. की राशि रखी गई थी जिसके विरुद्ध 0.03 लाख रु. का उपयोग हुआ क्योंकि वर्ष 1979-80 के अन्त तक स्टाफ की भर्ती नहीं की जा सकी थी। उपरोक्त स्टाफ के वेतन तथा मशीनों व उपकरणों के प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.12 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

इन्स्टीट्यूट आफ कमर्शियल प्रेक्टिस सी. आई. सी. पी. का समेकन।

1. पटपड़ गंज में आई. सी. पी. के भवन का निर्माण (0.50 लाख रु.)

आई. सी. पी. 1969 में मोरी गेट के एक जीर्णावस्था स्कूल में शुरू किया गया था। लगभग 8 एकड़ का एक प्लाट का 1.75 लाख रु. में प्रबन्ध किया गया था। प्लान लें-आउट तथा इस्टिमेट लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। इस परियोजना पर 70 लाख रुपये का खर्चा आएगा। यह कार्य इस वर्ष का मुख्य निर्माण कार्यक्रम होगा। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 4.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ था, जो कि मशीनों तथा उपकरणों की खरीद के लिए प्रयोग किया गया था। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ताकि चालू वर्ष में निर्माण कार्य आरम्भ हो सके। कुछ स्कीमें जिनका संक्षिप्त विवरण पहले ही "पीलीटेक्निकों का समेकन" शीर्ष के अन्तर्गत दिया जा चुका है, वे स्कीमें भी आई. सी. पी. तथा सी. ओ. पी. में कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी स्कीमों के बारे में केवल स्कीम का नाम तथा वार्षिक योजना 1980-81 में अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है। ये सभी स्कीमें राजस्व स्कीमें हैं:—

रु. लाखों में

मद	अनुमोदित परिव्यय 1980-81
1. मशीनें तथा उपकरण	0.50
2. लाइब्रेरी सुविधाओं तथा बुकबैंक का विकास	0.10
3. संस्थानों का पुनर्गठन व पुनर्निर्माण	0.10
4. छात्रों की सुख सुविधाएं	0.10

कालेज आफ फार्मेसी का समेकन

(1) खानपुर में कालेज आफ फार्मेसी के भवन का निर्माण 8.00 लाख रु.)

कालेज आफ फार्मेसी पारियों में पूसा परिसर के जीर्णावस्था भवन में कार्य कर रहा था। 40.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत भवन के निर्माण के लिए अनुमोदित हो चुकी है। निर्माण कार्य 1978 में आरम्भ किया गया था। संस्थान के मुख्य भवन जिसमें लैक्चर थियेटर, क्लास रूम प्रयोगशाला, लाइब्रेरी तथा प्रशासनिक शाखा आदि शामिल हैं, का फिलहाल निर्माण हो रहा है। वर्ष 1979-80 के लिए अनुमोदित ..00 लाख रु. के प्रावधान के विरुद्ध 31 मार्च, 1980 तक 14.79 लाख रुपये का व्यय हुआ था। वार्षिक योजना 1980-81 में इस कार्य के लिए 8.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। कालेज आफ फार्मेसी चालू वर्ष में खानपुर स्थित अपने भवन में स्थानान्तरित होना है।

(2) मशीनें तथा उपकरण (2.00 लाख रु.)

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 2.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है जब कि वर्ष 1979-80 के दौरान ..98 लाख रु. का व्यय हुआ था।

(3) पुस्तकालय सुविधा तथा बुक बैंकों का विकास (0.15 लाख रु.)

वर्ष 1979-80 में 0.39 लाख रु. के व्यय के विरुद्ध वार्षिक योजना 1980-81 में 0.15 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ।

(4) छात्रों की सुख सुविधाएं (0.15 लाख रु.)

वर्ष 1979-80 में 0.53 लाख रु. के विरुद्ध वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.15 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(5) कालेज का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण (0.15 लाख रु.)

भारत सरकार की तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण वार्षिक योजना 1979-80 के लिए अनुमोदित 0.50 लाख रु. के प्रावधान का उपयोग न किया जा सका। चालू वर्ष में स्कीम के कार्यान्वियन के लिए वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.15 रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(6) फार्मेसी में अंशकालिक डिप्लोमा (फार्मेसी में कन्डेन्सेड छः मास्टर कोर्स) (0.50 लाख रु.)

प्रशासन द्वारा फार्मेसी अधिनियम को लागू करने के पीछे वे लोग जो कि योग्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन इस व्यवसाय में काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं, को रोजगार से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों के पुनर्वास के उपाय के रूप में तथा प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को अल्पावधि का करेसपान्डेंस कोर्स (जो कि विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को व्यवसाय में नियुक्त रखे जाने के लिए बनाया गया है) कराकर रोजगार में रखा जाए। यह कोर्स कालेज आफ फार्मेसी में चलाया जा रहा है। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम के लिए 0.50 लाख रु. अनुमोदित हुए थे, जिसमें से केवल 0.10 लाख रु. का व्यय हुआ क्योंकि यह कोर्स अक्तूबर, 1979 से आरम्भ हुआ था। वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान अंशकालिक स्टाफ के प्रबन्ध तथा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए 0.50 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

(7) कालेज आफ फार्मेसी में फार्मेसी का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (2.00 लाख रु.)

औषध उद्योग का बड़ी तीव्रगति से विस्तार हो रहा है तथा भारी संख्या में प्रशिक्षित ग्रेजुएट फार्मेसिस्टों की आवश्यकता है। अधिक संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट तैयार करने तथा अनुसंधान व विकास के गठन के लिए फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शुरुआत करना दिल्ली के लिए आवश्यक है।

इस समय देश में केवल 10 विश्वविद्यालय/संस्थान ही फार्मेसी में मास्टर प्रोग्राम का प्रस्ताव रख रहे हैं। हर वर्ष केवल 150 पोस्ट ग्रेजुएट ही तैयार हो पाते हैं। फार्मेसी में मास्टर की डिग्री वालों के लिए रोजगार के काफी अच्छा अवसर हैं।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने एम. फार्मेसी कोर्स को अनुमोदित कर दिया है। यह कोर्स कालेज आफ फार्मेसी (दिल्ली) में फार्मेसिटिक्स तथा फार्मेकोलाजी दो विषयों में साथ-साथ आरम्भ किया जाना था। आरम्भ में प्रत्येक विषयों में तीन-तीन छात्रों को प्रवेश दिया जाना था। पिछले वर्ष यह कोर्स कालेज आफ फार्मेसी में आरम्भ किया गया था। सृजन किए जाने वाले पदों, - एक प्रोफेसर, दो सहायक प्रोफेसर तथा अन्य सहायक स्टाफ के वेतन व भत्ते तथा मशीनों एवं उपकरणों, कच्चे माल तथा कार्यालय के खर्चे, छात्र वृत्ति तथा विशेष भाषणों के लिए अंशकालिक अध्यापकों के भुगतान का खर्चा वहन करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 2.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(5) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (7.00 लाख रु.)

स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि पहले ही गो.ब.पंत पोलीटेक्निक परिसर, कालेज आफ फार्मेसी के खानपुर परिसर तथा वजीरपुर और स्टाफ के रिहायसी क्वार्टरों के लिए वजीरपुर, गो.ब.पंत पोलीटेक्निक्स परिसर तथा खानपुर में जगह ले ली गई है। वार्षिक योजना 1979-80 में किया गया 6.00 लाख रु. का प्रावधान उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि वित्त वर्ष 1979-80 के अन्त तक यह स्वीकृत नहीं हो सकी थी। फिर भी चालू वर्ष में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 7.00 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

6. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर क्रमिक पुनर्विचार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभावशाली संशोधन (पाठ्यक्रम विकास) (0.20 लाख रु.)

दिल्ली में लगभग एक दशक से संस्थान चल रहे हैं जिनमें निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

(1) सिविल इंजीनियरिंग
(2) इलैक्ट्रकल इंजीनियरिंग
(3) मैकेनिकल इंजीनियरिंग
(4) इलैक्ट्रानिक्स तथा इलैक्ट्रानिक संचार
(5) आटो मोबाइल इंजीनियरिंग (एस डब्ल्यू)
(6) आर्कीटेक्चरल असिस्टेंट
(7) प्रिंटिंग टेक्नालाजी
(8) उत्पादन प्रौद्योगिकी
(9) एयर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन
(10) माइक्रोवेव टेक्नालाजी
(11) सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस
(12) अंग्रेजी आशुलिपि
(13) हिन्दी आशुलिपि
(14) विपणन व बिक्री प्रबन्ध
(15) कम्पनी सेक्रेट्रीशिप में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स
(16) आई. सी. डब्ल्यू. ए. कोचिंग, इंटरमिडिएट परीक्षा
(17) आंतरिक सज्जा
(18) व्यावसायिक कला
(19) चिकित्सा प्रयोगशाला
(20) ब्यूटी कलचर
(21) बी. फार्मेसी
(22) डी. फार्मेसी

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा बार्ड द्वारा निर्धारित किए गए थे। फिर भी उत्पादकता तथा प्रतियोगात्मक आधार के निर्माण में सुधार के लिए किए गए क्रमिक अनुसंधान तथा उत्पादन तकनीकों व गृहीत टेक्नालाजी के कारण व्यावसायिक विशिष्टिकरणों की प्रायः सभी शाखाएं प्रभावित हुई हैं। हर रोज विशेष प्रयोजन उपकरण तथा मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं तथा नए परिवर्तन व जुगत में लाभ प्राप्त करने के लिए खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के विषय ने उद्योगों की स्थापना के लिए मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए पहले के उद्देश्यों से एक शिफ्ट रजिस्टर की है और लघु उद्योग के क्षेत्र के केन्द्रीयकरण तथा स्व-रोजगार के लिए इंटरप्रेन्योरशिप उत्पन्न करने के लिए तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध कराई जा रही है इस बदलती हुई आवश्यकता तथा टेक्नालाजीकल उन्नति के साथ-साथ पाठ्यक्रम तथा प्रचलित प्रणाली अपूर्ण पायी गई है जो कि इन क्षेत्रों में है।

1. पढ़ाई के पाठ्यक्रम रोजगार के अच्छे अवसरों वाले न होकर विस्तृत हैं।
2. पाठ्यक्रम सिद्धांतों के अनुकूल है और प्रेक्टीकलों की मात्रा अप्रयाप्त है।
3. सैद्धांतिक ज्ञान तथा प्रेक्टीकल कार्य अनुभव के अनुकूल नहीं है।
4. प्रयोगशाला के प्रयोग पुराने ढर्रे के हैं इनका संबंध उद्योग की समस्याओं को कम करने से नहीं है।
5. प्रदान किया गया मौलिक ज्ञान उच्च कौशल तथा ज्ञान प्राप्त करने का उचित आधार नहीं प्रदान करता।
6. प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का पुर्ननिवेशन में समावेशन तथा आत्मासात्करण नहीं होता।
7. प्रणाली बदलते हुए व्यवसाय तथा टेक्नालाजी के अनुरूप नहीं है।
8. प्रशिक्षण के उद्देश्य उचित रूप से समाकलित नहीं है तथा उनकी उचित रूप से व्याख्या नहीं की गई है।
9. पृथक व्यावसायिक व्यक्तियों के प्रदान करने की कमी है।

प्रशिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली तथा प्रयोजन युक्त बनाने के लिए यह महसूस किया गया है कि पाठ्यक्रमों का विकास किया जाए तथा यह प्रक्रिया लगातार होती रहे जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्थिर मूल्यांकन तथा साथ-साथ नियोजित उद्देश्यों को तर्क संगत सिद्ध करती है।

चालू वर्ष में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 0.20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

7. वास्तविद में नेशनल डिप्लोमा कोर्स की स्थापना । 0.05 लाख रु.)

डिप्लोमा स्तर कोर्स पर छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल कोई भी सुविधा नहीं है, जिससे वे अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इंजीनियरिंग तथा वास्तुविद में नेशनल डिप्लोमा आरम्भ करने की मांग की गई है। इस वर्ष एक नेशनल डिप्लोमा आरम्भ करने का सुझाव विवाद के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए वार्षिक योजना 1980-81 में अल्प प्रावधान के रूप में 0.05 लाख रु. की राशि का परिव्यय रखा गया है।

8. पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अनुवर्ती शिक्षा सुविधा के लिए प्रावधान (0.50 लाख रु.)

रोजगार केन्द्रों में रोजगार के लिए लड़के तथा लड़कियों की भारी संख्या में नाम दर्ज हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यताएं तो हैं परन्तु व्यावसायिक योग्यताएं नहीं हैं। अतः यदि उन्हें किसी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा सकें तो उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अलावा कितने ही लड़के तथा लड़कियां ऐसे हैं जो कि नियमित व्यावसायिक संस्थानों में कोर्स करने की स्थिति में नहीं हैं। और इस प्रकार वे रोजी रोटी के लिए अपने अथ

यासों से किसी भी प्रकार का रोजगार पाकर संतुष्ट हैं । ऐसा महसूस किया गया है कि व्यवसायिक पत्राचार पाठ्यक्रमों से ऐसे छात्रों को भी लाभ होगा तथा यह उनकी दशा सुधारने में भी सहायक होगा ।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि मुख्य कार्य-कारी पार्षद की अध्यक्षता में "पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान" के रूप में तथा नाम के प्रयोजन से पंजीकृत संस्थाओं की सीमाओं के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएं जिसकी प्रबन्धक समिति के सदस्यों के रूप में सरकारी कर्मचारी होंगे तथा तक-नीकी शिक्षा बोर्ड के पंजीयक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के सभी निवासियों के लिए नामांकन होगा । दोनों प्रशासनों से आने वाले व्यक्ति । प्रत्येक संस्थान के बारे में भारत सरकार की नीति के अनुसार पूंजी तथा आवर्ती व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:—

	रुपये
(1) पूंजी व्यय लागत प्रस्तुत करते हुए ।	2,00,000
(2) आवर्ती (राजस्व व्यय) प्रतिवर्ष कुल व्यय	2,00,400
प्राप्ति को कम करके ।	43,400
कुल	1,57,000

संस्थान के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. सभी शिल्प तथा कौशलों में प्रशिक्षण तथा अनुदेश प्रदान करना तथा ज्ञान की सभी शाखाओं, सैद्धान्तिक एवं अनुप्रयुक्त, सभी संगठनात्मक तथा प्रबन्ध तकनीकों में प्रशिक्षण तथा अनुदेश देना, जिसकी सभी प्रकार के संस्थानों, स्कूलों में संस्थानों के पोषक कार्यक्रम, औद्योगिक संस्थापनों तथा इसी प्रकार के संगठनों में दक्षता पूर्ण कार्य के लिए आवश्यकता होती है ।

2. इसे न्यूट्रीसन विस्तार तथा विकास के साथ प्रारम्भ करना तथा इसे संबद्ध करना ।

3. खाद्य पदार्थों का उपयोग करने में बचत का प्रचार करना ।

(4) भारतीय भोजन तथा इसको और पौष्टिक बनाने के विचार से इसको गैर खाद्यान्नों की ओर उन्मुख करने लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न में केन्द्र तथा राज्य की सहायता करना तथा सहयोग करना ।

(5) खाद्य अनुसंधान संस्थानों, खाद्य वैज्ञानिकों तथा खाद्य प्रौद्योगिकी को इसके पोषणिक विचारों की प्रस्तुति के लिए प्रभावशाली तथा ग्राहीय तरीकों ढूंढने में सहायता देना तथा अपने को शामिल करना ।

(6) पाठ्यक्रम निर्धारण करना, परीक्षाओं का आयोजन करना तथा लोगों को प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा तथा पुरस्कार प्रदान करना ।

(7) उप नियमों में यथा निर्धारित फीस तथा अन्य प्रभारों को निर्धारित करना तथा उनको वसूलना ।

सामान्य शैक्षिक क्षेत्र तथा तकनीकी क्षेत्र दोनों में से नामांकन किया जाएगा बशर्ते कि वे कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हों । यह स्कीम दिल्ली में पहली बार चलाई जा रही है अतः वार्षिक योजना 1980-81 में 0.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

9. गो. ब. पन्त पालीटेक्निक, ओखला, नई दिल्ली में आटो-मोबाईल के लिए रिपेयर लोक-अप की स्थापना (1.00 लाख रु.)

गो. ब. पन्त पालीटेक्निक, ओखला, नई दिल्ली में 1966-67 में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा स्तर का कोर्स आरम्भ किया गया था। इस कोर्स को आरम्भ करने के लिए 3.00 लाख रु. की मशीनों तथा उपकरण प्राप्त किए गए थे । फिर भी आटोमोबाइल के नवीनतम माडल तथा मैकों की मरम्मत व देख-रेख में अनुभव प्रदान करने की कमी ही रही है । अतः 1977-78 से इस कोर्स को सैंडविच पैटर्न में बदलने पर विचार किया गया था । उद्योगों से संबद्ध होने पर पूसा पालीटेक्निक में भी सैंडविच आधार पर तीस छात्रों के अतिरिक्त प्रशिक्षण को विकास द्वारा इस कोर्स में प्रवेश की संख्या बढ़ी थी ।

सैंडविच कोर्स में लगभग दो वर्ष का संस्थागत प्रशिक्षण है जिसमें एक वर्ष प्रशिक्षण के लिए तथा 6 महीने भारी आटोमो-बाईल रिपेयर शाप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ।

जी. बी. पंत पालीटेक्निक तथा पूसा पालीटेक्निक में चल रहे इन कोर्सों के लिए विशेषीकृत परख उपकरण, मरम्मत मशीनरी तथा यन्त्र पहले ही प्राप्त कर लिए हैं । यदि थोड़े और जगल तथा उपकरण उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी रिपेयर शाप से इसकी तुलना की जा सकेगी । दिल्ली प्रशासन के पास कितनी बड़ी संख्या में स्टाफ-कार, जीपें, ट्रक, ट्रेलर, ट्रेक्टर आटोसाईकल तथा रिक्शाएं हैं जिसकी मरम्मत तथा सर्विस बाहर से करायी जाती है क्योंकि प्रशासन में ऐसी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध नहीं हैं और इनकी मरम्मत का खर्चा काफी आता है दिल्ली प्रशासन के वाहन नवीनतम माडल तथा मेक के हैं । इनकी मरम्मत का अवसर पाकर छात्रों से पेट्रोल या डीजल से चलने वाले सभी प्रकार के आटोमोबाईल वाहनों की मरम्मत का विश्वास पैदा होगा तथा उन्हें नए माडलों पर प्रशि-क्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । इससे वाहनों की मरम्मत सफाई अथवा सर्विस आदि कराने के लिए केन्द्रीय वर्क-शाप की सुविधा प्राप्त होगी । स्पेयर पार्टस तो बाजार से खरीदने पड़ेंगे जबकि सामान्य प्रयोग के सामान तथा लेबर का खर्चा रिपेयर लोक अप में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जाएगा । ऐसे सामान के लिए आनुपातिक खर्चा लाभ उठाने वाले विभाग से भी लिया जा सकता है यदि ऐसी इच्छा प्रकट की जाती है तो केन्द्रीय नोडल/केन्द्रीय बिन्दुओं पर मास्टर क्राफ्टसमैन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी । छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रु. का प्रावधान विद्यमान है और यह चालू वित्त वर्ष में पहली बार हुआ है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक फोरमैन, चार मैकेनिक, एक वेल्डर-कम-डेंटर-कीमैन, दो हेल्पर तथा एक अवर श्रेणी लिपिक के पदों का सृजन चालू वर्ष में किया जाना है। जिसके लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

(10) फूड क्राफ्ट संस्थान के लिए भूमि तथा चार दिवारी के निर्माण का प्रावधान (3.00 लाख रु.)

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए होटल उद्योग में डिप्लोमा तथा

सर्टिफिकेट स्तर के विभिन्न कोर्सों के आयोजन के लिए फ्रुड क्राफ्ट का अनुमोदन कर दिया है। यह संस्थान मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में एक पंजीकृत निकाय द्वारा चलाया जायेगा तथा इसके सदस्य भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित किए जाएंगे।

संस्थान में कार्य आरम्भ होने के बाद राजस्व व्यय का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच साल तक वहन किया जाएगा तथा बाद में यह खर्च दिल्ली प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा।

इसके लिए स्थान दिल्ली उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्टाफ के सदस्यों तथा छात्रों के निवास के लिए होटल व हालों की स्थापना, देख रेख तथा प्रबन्ध।

(9) संस्थान के छात्रों के अनुशासन का नियमन, निवास का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण।

(10) उपनियमों इत्यादि के अनुसार फैलोशिप, छात्रवृति, प्रदर्शनी ऋण, आर्थिक सहायता, पुरस्कार आदि की व्यवस्था प्रदान करना। समिति का कार्यालय दिल्ली में होगा तथा रोजाना के कार्य से सम्बन्धित अन्य मामले सोसायटी के उपनियमों तथा समिति के ज्ञापनों के अधीन निपटाये जाएंगे।

संस्थान के भवन के लिए भूमि तथा चार दीवारी के निर्माण के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में कैपिटल साइड से 3-00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(11) परामर्श तथा औद्योगिक सलाहकार सेवाएं (0.20 लाख रु.)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर शिक्षा मंत्रालय ने सलाह दी है कि परामर्श तथा परीक्षण सेवाओं में अवंटन/चयन आधार पर गतिविधियां संस्थानों तथा उद्योगों को आपसी लाभ के लिए प्रभावित करेगी। इससे छात्रों तथा स्टाफ में सुविज्ञता तथा विश्वास पैदा होगा तथा साथ ही संस्थान की गरिमा में सुधार होगा। उन्होंने सलाह दी है कि संस्थानों को परामर्श केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि परामर्श तथा औद्योगिक सलाह सेवाओं को बढ़ावा मिल सके।

भारत सरकार के उपरोक्त सुझावों के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने परामर्श सेवाओं के संस्थान की वर्तमान स्थिति का पुनरावलोकन किया है तथा उन क्षेत्रों को पहचाना जहां इस प्रकार की परामर्श सेवाएं प्रस्तुत की जा सकें।

प्रशासन को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के योग्य बनाने के लिए यह महसूस किया गया है कि परामर्श सेवाएं केवल स्वशासी निकायों में ही सफल हैं जहां कि प्रशासन को तुरन्त खर्चा करने का पूरा प्राधिकार है। भारत सरकार के अधीन स्कीमें तभी सफल हो सकती है यदि परामर्श सेवा का फण्ड प्रिंसिपलों के व्यक्तिगत लेजर एकाउंट से परिचालित होता है। इसलिए परामर्श के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया था। ये अभी उनके विचाराधीन हैं और उनकी स्वीकृति के बाद परामर्श सेवा को संस्थागत कर दिया जायेगा।

फिर भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में संस्था की ओर से सारे कार्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए एक छोटे से कक्ष की स्थापना आवश्यक होगी तथा कार्य पूरा कराने के लिए इस संस्थान को सौंप दिया जायेगा। तकनीकी शिक्षा निदेशक के नियन्त्रण में विशेष रूप से इस स्कीम के कार्य की देखभाल के लिए तथा कार्य आरम्भ करने के लिए एक तकनीकी सहायक तथा एक अवर श्रेणी लिपिक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अतः चालू वर्ष में इन पदों का सृजन किया जाता है। कार्यालय के आकस्मिक खर्चों के लिए भी कुछ प्रावधान उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होगी। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में इस स्कीम के लिए 5.00 लाख रु. का योजना प्रावधान रखा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में इस स्कीम को चालू वर्ष में आरम्भ करने के लिए 0.20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

(12) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को विनियम के आधार पर स्टाफ प्रतिनियुक्त करने की सुविधाएं (0.03 लाख रु.)

तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले तथा औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थानों को अपने ज्ञान तथा कौशल को आधुनिक बनाने के लिए विनिमय के आधार पर स्टाफ प्रतिनियुक्त करने पर विचार किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यों पर लगे हुए स्टाफ के पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है।

प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक प्रचलन के नवीनतम पहलुओं से छात्रों को परिचित कराने के लिए अध्यापकों में एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने के लिए यह महसूस किया गया है कि संलग्न स्टाफ को शिक्षा के उच्च संस्थानों तथा प्रौद्योगिक संस्थानों में सुनियोजित एक्सचेंज कार्यक्रम के अधीन प्राप्त करने के लिए भेजा जाए। फिर भी स्टाफ की कमी होने के कारण कोचिंग तथा लर्निंग के ऐसे कार्यक्रम को कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। उन अध्यापकों, (जो अब तक अपने शिक्षा के दायरे को सीमित किए हुए हैं), कारीगरों, मध्यम स्तर के तकनीशियनों तथा इंजीनियरों ने इंजीनियरी प्रणाली तथा ग्रुप तकनालाजी को विकासशील साइंस के क्षेत्र में ऐसे सहयोग को अपने लिए लाभप्रद पाया है। ऐसे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ड्यूटी रिलीज आवधिक रिलीज बेसिस अथवा प्रतिनियुक्ति पर ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रमों में सहयोग देने वाले संस्थानों को ऐसे स्टाफ प्रतिनियुक्त करना आवश्यक होगा। उनके स्थान पर कुछ अस्थायी स्टाफ नियुक्त किया जा सकेगा यदि उतनी ही योग्यता तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बदले में नहीं भेजा जाता है तो यात्रा/दैनिक भत्ते, आउट स्टेशन भत्ते अथवा ...स्टेशन भत्ते आदि को देने का प्रबन्ध एक्सचेंज कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित तरीके से किया जा सकता है।

यह एक नई स्कीम है तथा भारत सरकार से इसकी प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति ली जानी है। पंचवर्षीय योजना 1978–83 में इस स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं है फिर भी वार्षिक योजना 1980-81 में 0.03 लाख रु. का एक अलग प्रावधान स्वीकृत हुआ है।

दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग: दिल्ली

जारी स्कीमें

1. कालेज का नए स्थल पर स्थानान्तरण (2.40 लाख रु.)

इस समय यह कालेज केवल लगभग 15 एकड़ के भीड़ वाले क्षेत्र में स्थित है जिसके एक ओर तो यह घने वाणिज्यिक संस्थानों तथा दूसरी ओर आवासीय भवनों से घिरा है। एक संस्थान की वर्तमान व परियोजित गतिविधियों के लिए यह परिसर न केवल अपर्याप्त रहा है बल्कि एक अस्वास्थ्यकर परिवेश में स्थित है। इस समय इस परिसर में कालेज के अलावा कश्मीरी गेट पोलीटेक्निक तक टेक्निकल हायर सैकेण्डरी स्कूल पूर्ण रूप से स्थापित है तथा यहां खेलों आदि के लि

कोई भी खुली जगह उपलब्ध नहीं है। इन सभी कारणों से आवश्यक हो गया है कि कालेज को खुले स्थान पर स्थानान्तरित किया जाए। शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा यह पहले ही सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पंचवर्षीय योजना पर विचार करते हुए वर्किंग ग्रुप ने 2.73 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान की सिफारिश की है। (2.00 करोड़ रुपये) को उधार लिया जा सकता है। जो कि कश्मीरी गेट स्थित वर्तमान सम्पत्ति (भूमि तथा भवन) को बेच कर प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह प्रयोजना आरम्भ नहीं की जा सकी। कालेज को नए स्थान पर स्थानान्तरित करने तथा वहां पर भवन बनाने के 12.11 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी देने वाला संशोधित ई. एफ. सी. ज्ञापन भारत सरकार के अनुमोदन के लिए पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है अतः वार्षिक योजना 1980-'81 में 2.40 लाख रु. का अल्प प्रावधान किया गया है।

2. वर्तमान पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण (13.19 लाख रु.)

इस कालेज में इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मानविकी तथा प्लेसमेन्ट विभाग हैं। इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागों की अधिकतर मशीनें पुरानी हो गई हैं तथा कालेज द्वारा दिए जा रहे पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पूर्ति के लिए इन मशीनों की जगह नई मशीनों की आवश्यकता है। ये पायनीयर प्रणाली, नियन्त्रण प्रणाली तथा इलैक्ट्रोनिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण 1980-81 में किया जाना है। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, प्राडक्शन डिजायन इंजीनियरिंग तथा विभिन्न वर्कशापों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है इसके साथ साथ सायल हाइड्रोलिक, जन स्वास्थ्य तथा सिविल इंजिनियरिंग विभाग की विंड टनल प्रयोगशाला के विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। सभी आवश्यकताओं के लिए कालेज लाइब्रेरी में तकनीकी पुस्तकों को भी उपलब्ध कराना है। 1979-80 के 10.88 लाख रु. के व्यय के विरुद्ध वार्षिक योजना 1980-81 में 13.19 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

3. छात्र कल्याण तथा बुक बैंक (0.20 लाख रु.)

तकनीकी शिक्षा पर योजना आयोग द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग, दिल्ली में, उन गरीब छात्रों की सहायता के लिए जो कि पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद सकते, एक बुक बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस सिफारिश को प्रभावशाली बनाने के लिए इस स्कीम को 0.20 लाख रु. के प्रावधान सहित वार्षिक योजना 1980-81 में शामिल किया गया है। वार्षिक योजना 1979-80 में भी इतनी ही राशि रखी गई थी जो कि पूरी की पूरी उपयोग में आ गई थी।

लघु स्कीमें

1. सब स्टेशन की स्थापना (1.60 लाख रु.)

इस कालेज में पावर की सप्लाई परिसर के किनारे मदरसा रोड पर स्थित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सब स्टेशन के पैनल से सप्लाई होती है। कालेज के अलावा यह स्टेशन कश्मीरी गेट क्षेत्र की भी आवश्यकता पूरी करता है। यद्यपि इस कालेज के लिए स्वीकृत सीमित मात्रात्मक पावर की सीमा 144 किलोवाट है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से कालेज की गतिविधियों में विस्तार हो जाने के कारण यह देखा गया है कि पावर की आवश्यकता इस सीमा से अधिक हो गई है। और कभी कभी तो यह आवश्यकता 218 किलोवाट से या इससे अधिक हो जाती है। इस के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन किया जाए तथा विशेष रूप से कालेज के प्रयोग के लिए सब स्टेशन स्थापित किया जाए जिस में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उच्च टेन्शन द्वारा पावर की सप्लाई करें।

उपरोक्त बात तथा कार्य की प्रकृति व तत्परता को देखते हुए वार्षिक योजना 1979-80 में 1.60 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था। वार्षिक योजना 1980-81 में 1.60 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला का वातानुकूलन (1.00 लाख रु.)

इस कालेज में स्थापित कम्प्यूटर प्रयोगशाला में निम्नलिखित कम्प्यूटर हैं:–

(क) सहायक उपकरणों सहित अनालाग कम्प्यूटर है इसमें 2 किलोवाट बिजली की खपत होगी।

(ख) सहायक उपकरणों सहित अंक संबंधी (डिजीटल) कम्प्यूटर टी. डी सी-312 इस कम्प्यूटर की खपत 4 किलोवाट होगी।

(ग) सहायक उपकरणों सहित एक अंक सम्बन्धी रूसी कम्प्यूटर।

इन सभी कम्प्यूटरों के कार्य के लिए एक विशेष तापक्रम अपेक्षित है इसीलिए इस प्रयोगशाला का वातानुकूल किया जाना है। ताकि तापक्रम 22° से 25° डिग्री सेंटिग्रेड के बीच रखा जा सके। अन्य आवश्यकताओं के अलावा इस प्रयोगशाला के लिए आकड़े भी उपलब्ध कराने होंगे। यह स्कीम वार्षिक योजना 1979-80 में 1 लाख रु. के प्रावधान सहित पिछले वर्ष आरम्भ की जानी थी जिसमें से केवल 1.22 लाख रु. का प्रयोग हुआ। यह स्कीम चालू वर्ष में जारी रहनी है अतः इसे 1.00 लाख रु. के अनुमोदित परिव्यय सहित वार्षिक योजना 1980-81 में पुनः शामिल कर लिया गया है।

3. कम्प्यूटर के लिए पदों का सृजन (0.33 लाख रु.)

इस कालेज में लगाया गया कम्प्यूटर पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये है। ग्रेजुएट कोर्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिल किए गए छात्रों के अलावा इस प्रयोगशाला से बहुत से अध्यापक भी लाभान्वित हैं। इस लिए कम्प्यूटर दिन में आठ से ज्यादा घन्टों तक कार्यरत रहता है। वार्षिक योजना 1979-80 के अनुमोदित परिव्यय 0.31 लाख रु. के विरुद्ध 0.116 लाख रु. का व्यय हुआ। चालू वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 0.33 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

4. एडवांस हाईड्रालिक प्रयोगशाला का निर्माण (0.50 लाख रु.)

इस कालेज में छात्रों तथा अध्यापकों को एडवांस हाईड्रालिक्स में अनुसंधान तथा शोध कार्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है अतः इसके लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है। वार्षिक योजना 1979-80 में 0.89 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था। वार्षिक योजना 1980-81 में 0.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

5. कैन्टीन शेड का निर्माण (0.08 लाख रु.)

इस कालेज में छात्र तथा कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1500 है । इस समय जो कैन्टीन है वह एक समय में केवल 50 व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी कर सकती है अतः पिछले दिनों कैन्टीन के विस्तार की ओर प्राधिकारियों का ध्यान गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 1979-80 में कार्यरूप देने का निर्णय लिया गया था। जिसके लिए पिछले वर्ष 0.08 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 0.15 लाख रु. का व्यय हुआ। यह कार्य प्रगति पर है तथा चालू वर्ष में जारी रहेगा जिसके लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 0.08 लाख रु. परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

अन्य स्कीमें (1.70 लाख रु.)

इस उप शीर्ष के अधीन चालू वित्त वर्ष में कार्यान्वित करने के लिए कुछ गौण नई स्कीमों का पहली बार परिचय कराया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना 1978--83 में इन स्कीमों के लिए कोई परिव्यय नहीं है क्योंकि ये स्कीम उस समय शामिल नहीं की गई थीं। फिर भी योजना आयोग ने चालू वर्ष में इन स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कर दिया है और जिसके लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.70 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित कर दिया है । ये स्कीमें संकाय विकास में तथा छात्रों को उत्तम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबद्ध हैं । चूंकि ये नई स्कीमें हैं अतः इनके लिए अभी भारत सरकार से तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी है। प्रत्येक स्कीम का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

1. संकाय (फैकल्टी) विकास

(1) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा परायोजित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाना सदैव संभव नहीं है क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण अध्यापकों को अधिक संख्या में परायोजित नहीं किया जा सकता है। इस स्कीम का उद्देश्य स्टाफ के सदस्यों के लिए सेमिनार व अल्पवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने तथा अपने कालेज में ऐसी ही सेमिनार आयोजित कराने के अवसर उपलब्ध कराना है । यह उनके कौशल को आधुनिक बनाएगा ।

(2) इस स्कीम के अन्तर्गत विस्तार तथा परामर्श केन्द्र सहित अनुसंधान तथा विकास कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव है। दिल्ली तथा इसके आस पास टेस्टिंग तथा डिजाइनिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा स्वयं अपने विचारों द्वारा डिजाइन तथा संयोजित की गई परियोजना पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए अनुसंधान तथा विकास कक्ष उत्तरदायी होगा ।

2. छात्र कल्याण

इस स्कीम के अन्तर्गत लड़कों के कामन रूम, लड़कियों के कामन रूम, हास्टल कामन रूम तथा जिमनास्टिक आदि की सुख सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

3. कमरा सं. सी. 221 को गैलरी सहित क्लास रूम में बदलना

सिविल इंजीनियरिंग विभाग क्लास के कमरों की कमी के कारण कठिनाई का सामना करता रहा है । जिस समय वर्तमान सिविल इंजीनियरिंग खण्ड का निर्माण किया गया था उस समय इस कालेज में केवल पूर्वस्नातक कोर्सों का प्रस्ताव था। अब एम. एस. ई. सिविल इंजिनियरिंग के तीन नए कोर्स और जोड़ दिए गए हैं । अतः अब इस विभाग को एक और क्लास रूम की आवश्यकता है । यह कमरा (सं सी-221) इस समय सर्वेक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रयोग किया जा रहा है । जो कि गैराज में लाया जा रहा है । चूंकि यह एक आनुदेशिक आवश्यकता है। अतः इस कमरे को गैलरी सहित लेक्चर थियेटर में बदलने की स्कीम आवश्यक है ।

4. नई स्ट्रक्चरल लैबोरेट्रीज में बिजली के कनेक्शन

प्रयोगशाला में वर्तमान बिजली की फिटिंग पर्याप्त नहीं है जहां पर कि सुबह से शाम तक भारी संख्या में छात्र कार्य करते हैं । इस प्रयोगशाला को आनुदेशिक कार्यों के लिए लाभप्रद बनाने के लिए इसमें एक्जास्ट फैन, सीलिंग फैन तथा ट्यूब लाइटें आदि लगाई जानी हैं ।

5. जन स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रयोगशाला का विकास तथा ड्राइंग हालों की मरम्मत

पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आनुदेशिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्य अत्यन्त आवश्यक है । संस्थान ने हाल ही में प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करने के लिए आयात द्वारा कुछ परिष्कृत उपकरण प्राप्त किए हैं। इन उपकरणों की लागत कुछ लाख रु. है । इनको नई स्वास्थ्य प्रयोगशाला में लगाया जाना है जो कि विकसित की जा रही है।

6. इलैक्ट्रिकल एवं सिविल विभाग कार्य

सिविल इंजीनियरी विभाग के सभी छात्रों को इन हालों में ड्राइंग की कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है । इनमें वर्तमान प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और छात्र ड्राइंग तथा डिजाइन कार्यों के लिए इस अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की शिकायत करते रहे हैं । जूनियर मेजरमेंट, कन्ट्रोल प्रणाली तथा माईक्रोवेव प्रयोगशाला को, छात्रों को अनुदेश देने के लिए, और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं ।

ललितकला महाविद्यालय

(1) कालेज का भवन (24.23 लाख रु.)

योजना के अधीन कालेज की सारी स्कीमों में से ज्यादातर अतिरिक्त भवन की सुविधा से जुड़ी हुई हैं। यह अतिरिक्त भवन की सुविधा भविष्य में कालेज के विकास तथा शैक्षिक शिक्षण सुविधाओं के लिए है । कालेज की भवन परियोजना में छात्रों तथा स्टाफ के लिये स्टूडियो, वर्तमान कला कार्य के स्थायी संग्रह को भंडार करने के लिए कला दीर्घा तथा पुस्तकालय, एवं प्रशासनिक ब्लाक, जलपान गृह, स्टूडेंटस कामन रूम तथा केयरटेकरों के क्वार्टरों आदि का निर्माण शामिल है । भवन के प्रथम चरण का निर्माण पूरा हो गया है । भवन के प्रथम चरण के लिए लिफ्ट ब्लाक का कार्य भी पूरा हो गया है।

दूसरे चरण के निर्माण के बारे में भवन परियोजना में स्टूडियो ब्लाक, प्रशासनिक भवन तथा केयर टेकरों के क्वार्टर आदि का निर्माण शामिल है । यह निर्माण कार्य 92.84 लाख रु. की अनुमानित लागत पर होना था (अब 1.5 करोड़ रु.) जो कि सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा 1971 तक स्वीकृत नहीं हुई थी अतः परियोजना को 49 लाख रु. की अनुमानित लागत पर संशोधित कर दिया गया था जिसमें स्टूडियो ब्लाक था पूर्व प्रस्तावित सात मंजिल के भवन की जगह दो मंजिल का भवन प्रतिबंधित था । इस परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा जैसा कि भवन की ड्राइंग दिल्ली अरबन आर्ट कमिशन तथा नई दिल्ली नगर पालिका से स्वीकृत हो गई है ।

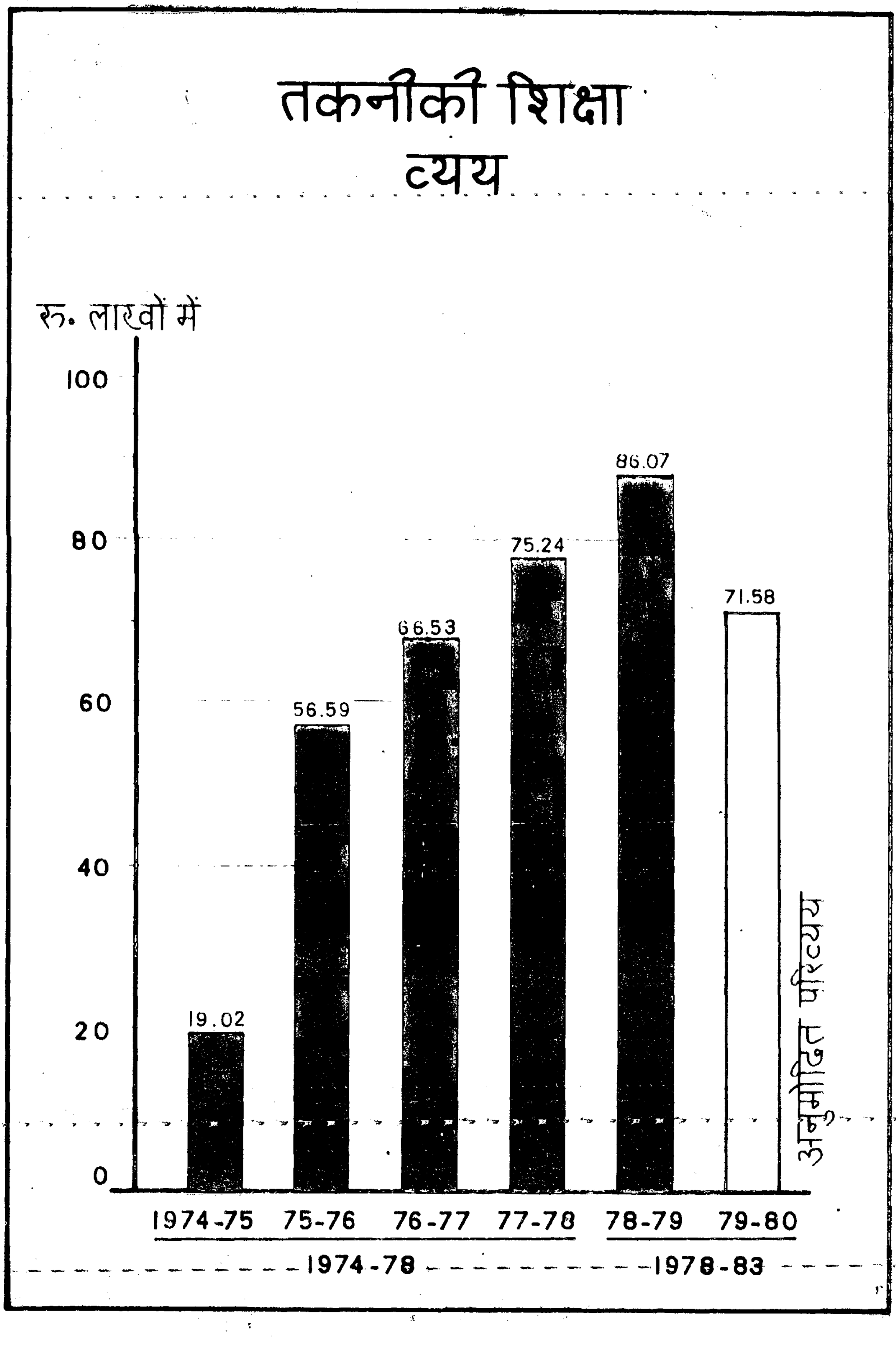

तकनीकी शिक्षा
व्यय
रु. लाखों में
100
80
60
40
20
0
19.02
56.59
66.53
75.24
86.07
71.58
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

निर्माण कार्य के माल की कीमतें बढ़ जाने के कारण दूसरे चरण के निर्माण के लिए परियोजना की अनुमानित लागत बढ़ाकर 60.00 लाख रु. कर दी गई है ।

वार्षिक योजना 1979-80 में इस कार्य के लिए 5.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था जबकि व्यय 4.65 लाख रु. हुआ था । इस परियोजना (द्वितीय चरण) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय है । इसलिए वार्षिक योजना 1980-81 में इस स्कीम के लिए 24.23 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

(2) छात्र तथा स्टाफ के कल्याण की गतिविधियां (0.43 लाख रु.)

ललित कला महाविद्यालय 1964 में स्थापित हुआ था । तब से लेकर अब तक छात्रों के कल्याण तथा लाभ के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जगह की कमी के कारण पूरे नहीं हो सके । संस्थान ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है । जिसमें छात्रों को अनुदान, दूसरे कला संस्थानों इत्यादि से कला कार्य के आदान प्रदान द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराके प्रदर्शनियों के आयोजन तथा उनके भाग लेने में सहायता दी जाती है । यह संस्थान चलती फिरती प्रदर्शनियों द्वारा छात्रों के प्रतिभाशाली कार्यों की बिक्री के लिए प्रदर्शन हेतु भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ।

ललित कला महाविद्यालय ने तीन छात्रवृत्तियां बनाई हैं जो कि तीनों विषयों के लिए हैं अर्थात् पेंटिंग, मूर्तिकला तथा अनुप्रयुक्त कला । इन तीनों विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस छात्रवृत्ति की राशि 500 रु. प्रतिमाह है तथा इसकी अवधि 12 महीने की है । यह एक सतत स्कीम है तथा इसलिए पिछले वर्ष के 0.33 लाख रु. के व्यय के विरुद्ध वार्षिक योजना 1980-81 में 0.43 लाख रु. का परव्यय अनुमोदित हुआ है ।

(3) वोकेशनल कोर्स तथा अनुवर्ती आर्टिस्ट नियोजनोन्मुख सर्टीफिकेट कोर्स (0.17 लाख रु.)

दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कालेज के सम्बद्ध होने से विशेष अध्ययन के विभिन्न कोर्सों के पाठ्क्रमों में संशोधन किया गया है ताकि विश्वविद्यालय के पैटर्न की पुष्टि हो सके । इस संशोधन के बाद कुछ नए विषय आरम्भ किए गए हैं । कालेज की दो तरफा जिम्मेदारियां हैं एक तरफ तो कालेज ने अपनी गतिविधियां आयोजित की हैं दूसरी ओर कौशल के विकास के लिए इसने सुविधा भी उपलब्ध कराई है । जैसा कि इसमें छात्र को पर्याप्त रूप से व्यावसायिक जिम्मेदारियां स्वीकार करने योग्य बनाया जाए तथा वह अपनी आजीविका कमा सके ।

कालेज पाठ्यक्रम में कुछ वोकेशनल सर्टीफिकेट कोर्स शुरू कर सकता है । जबकि वास्तविकता यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह पाठ्यक्रम अनुमोदित होता है या नहीं । इस प्रकार कालेज अपनी शैक्षिक सुविधाओं का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लाइन पर विकास कर रहा है । इसके साथ साथ ही कालेज कुछ विशेष व्यवसायों तथा क्राफ्ट (शिल्पों) में अल्पावधि के सक्षम कोर्सों का विकास भी सुनिश्चित कर सकता है इस प्रकार की कार्यवाही के परिणाम से कला की शिक्षा के शैक्षिक तथा व्यवसायिक पक्ष का विकास होगा । स्कीम में अध्ययन के निम्नलिखित कोर्स हैं:—

1. ड्राइंग अध्यापक :- यह कोर्स संशोधनों सहित शिक्षा स्नातक के डिग्री कोर्सों की लाइन पर नियोजित है तथा इसने ज्योमेट्रिकल एवं मैकेनिकल ड्राइंग, प्रेक्टिकल टीचिंग, एलीमेन्ट्री पेडागोजी इत्यादि को शामिल कर लिया है ।
2. स्टेन्सिलों, स्क्रीन तैयार करना तथा स्याही आदि मिला कर फोटोग्राफिक तकनीकों का प्रयोग ।
3. फोटोग्राफी :- कैमरा तथा इसके प्रयोग का अध्ययन, सेंसिटिव मेटीरियल, फोटो केमिकल एक्सपोजन, डेवलपमेन्ट प्रिंटिंग, इनलार्जिंग आदि ।

इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में 0.85 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था जो कि जगह की कमी होने के कारण प्रयोग न हो सका । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.17 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

(4) ललित कला महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन तथा पुर्नसंरचना (2.70 लाख रु.)

कालेज का पुनर्गठन

दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कालेज के संबद्ध होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि स्टाफ के वर्तमान पैटर्न का गठन किया जाए ताकि यह विश्वविद्यालय के अनुमोदित स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप हो सके । इस प्रकार लेक्चरार (सामान्य वेतनमान) तथा स्टूडियो सहायकों आदि के जो पद अब विद्यालय में विद्यमान है उन्हें समाप्त करना होगा तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार लिपिक वर्गीय तथा अन्य सहायक स्टाफ की श्रेणी के संबंध में स्टाफ की संरचना से मेल खाते हुए लेक्चरार तथा सहायक प्रोफेसरों के पदों का सृजन करना होगा।

अध्ययन के पाठ्यक्रमों की पुनसंरचना

ललित कला महाविद्यालय के संबद्ध होने के कारण अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप अध्ययन के पाठ्यक्रमों की पुर्नसंरचना करना आवश्यक हो गया था । जिसके परिणाम स्वरूप संस्थान में पहले से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के नेशनल डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रशिक्षण देने की पुरानी प्रणाली के उपकरण, मशीनों तथा फर्नीचर आदि बदला जा रहा है ।

अध्ययन के संबद्ध पाठ्यक्रम

वे कोर्स जिनके लिए सुविधाएं उत्पन्न की जानी हैं तथा जिनका विकास किया जाना है इस प्रकार हैं :-

एप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट (पेंटिंग) तथा मूर्तिकला। अध्ययन के पहले वर्ष के पाठ्यक इन सभी संकायों के लिए है । 10 जमा 2 की नई प्रणाली के अधीन बी. एफ. एन. की डिग्री की अवधि चार वर्ष की है । अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन के प्रारंभ के एक वर्ष से यह आवश्यक हो गया है कि पूर्णकालिक अध्ययन के छात्रों की वर्तमान संख्या 45 से 55 में और वृद्धि की जाए ।

वार्षिक योजना 1979-80 में अनुमोदित 2.75 लाख रु. के परिव्यय के विरुद्ध 31 मार्च 1980 तक पदों को न भरे जाने के कारण केवल 1.28 लाख रु. का व्यय हुआ । इस स्कीम के अन्तर्गत कुल मिला कर 34 पद हैं जिनमें से 14 पदों को आस्थगित रखा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 में 2.70 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है ।

5. पुस्तकालय का विकास तथा भारतीय कला के नमूनों का अभिग्रहण (1.17 लाख रु.)

इस कालेज जैसे विकासशील संस्थाओं में आधुनिकतम पुस्तकालय का निर्माण बहुत महत्व रखता है । भारतीय कला

के नमूनों का अभिग्रहण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी कला के नमूने संस्थान में पारंपरिक तथा समकालीन विशेष संग्रह के प्रदर्शन से पूर्व कालेज में पैडन्स का प्रबन्ध, मूर्ति कला के लिए फ्रेम तथा आयल पैंटिंग के लिए फ्रेम तथा चढ़ाने मैटेलिक टेबलेटस, प्रिंटिड केटालाग आदि का प्रबंध किया जाना है। बहुमंजिले नए भवन (प्रथम चरण) में कला संग्रहालय दीर्घाओं के लिए एक हाल निर्धारित कर दिया है। जिसमें छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए संग्रह की गई कला को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसका निर्माण कार्य भी पूरा होने ही वाला है।

वार्षिक योजना 1979-80 में 0.91 लाख रु. के व्यय के विरुद्ध इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 1.17 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

6. संकाय विकास कार्यक्रम (0.30 लाख रु.)

इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों जैसे पुनचर्या तथा विशेष कोर्सों के लिए स्टाफ के सदस्यों को अवसर प्रदान करना, अध्यापकों के लिए विनिमय कार्यक्रम, सेमिनारों का आयोजन, स्टाफ के लिए रचनात्मक अनुसंधान तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि है। कालेज में दी जा रही शिक्षा में पूर्णरूप से सुधार लाने के लिए किसी भी विकास शील शैक्षिक संस्थान के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत आवश्यक है। क्योंकि इससे शैक्षिक अलगाव के व्यवधान पर काबू पाया जा सकेगा।

इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में 0.30 लाख रु. का अनुमोदित परिव्यय था जो कि प्रयोग न हो सका दोबारा से वार्षिक योजना 1980-81 में इस स्कीम को चालू वर्ष में आरंभ करने के लिए 0.30 लाख रु. अनुमोदित हुए है।

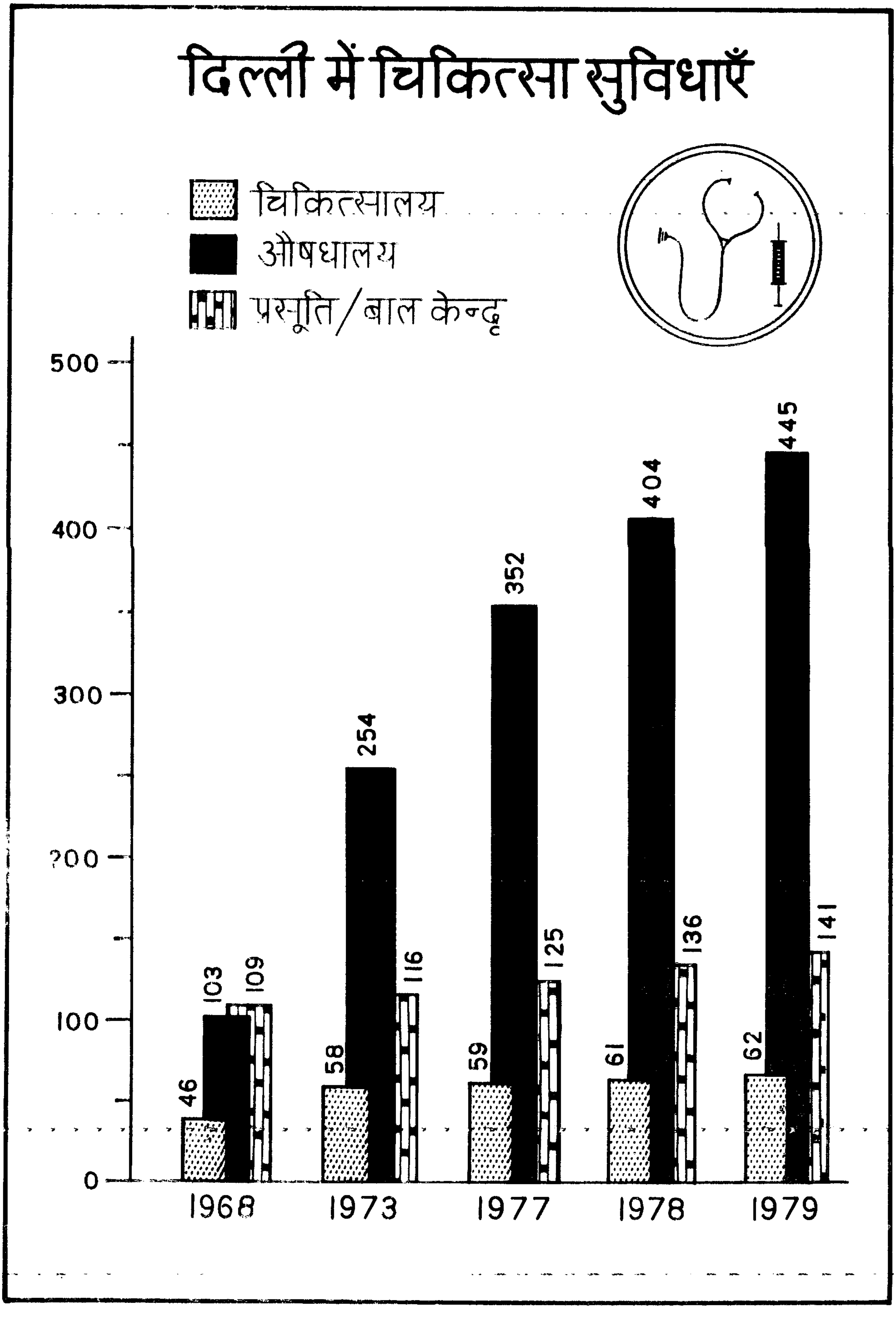
दिल्ली में चिकित्सा सुविधाएँ
चिकित्सालय
औषधालय
प्रसूति/बाल केन्द्र
500
400
300
200
100
0
46
103
109
58
254
116
59
352
125
61
404
136
62
445
141
1968
1973
1977
1978
1979

दिल्ली में बिस्तरों की संख्या
चिकित्सालय

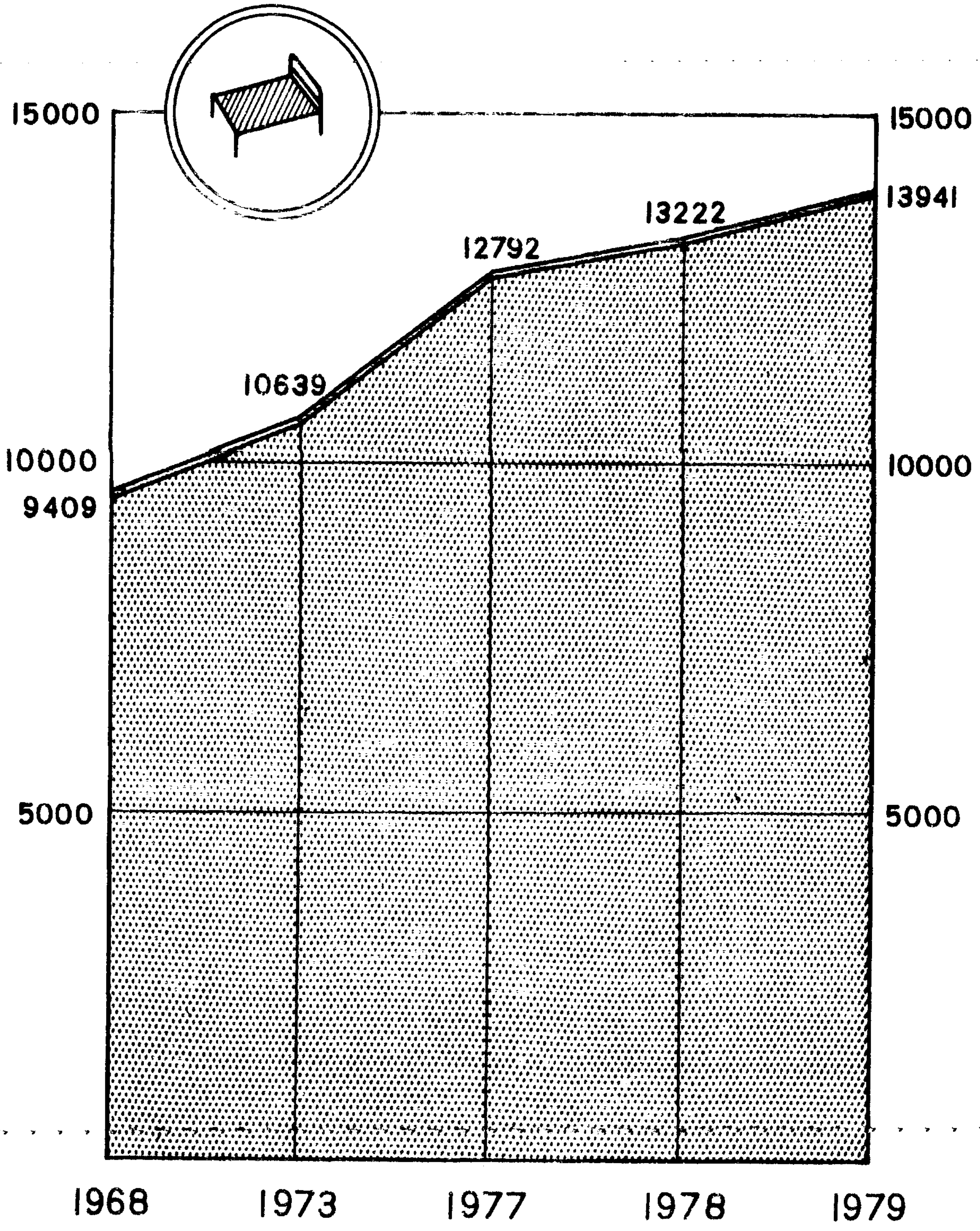

चिकित्सा

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं निजी क्लनिक तथा प्रैक्टिशनरों के अलावा दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका व दिल्ली कैण्टोनमैन्ट बोर्ड तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दिनांक 13-12-79 को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है:—

1.	अस्पतालों की संख्या	62
2.	अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	12767
3.	डिस्पेंसरियों की संख्या	445
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	8
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दाई केन्द्रों से सम्बद्ध उपकेन्द्र	16
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बिस्तर संख्या	80
7.	माता तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र	141
8.	माता तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र में बिस्तरों की संख्या	185
9.	विशेष क्लिनिक	24
10.	निजी नर्सिंग होम	84
11.	नर्सिंग होमों में बिस्तरों की संख्या	909

पंच वर्षीय योजना 1978-83 तथा वार्षिक योजना 1980-81

इस क्षेत्र की योजना में केवल दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 तथा वार्षिक योजना 1980-81 में सम्मिलित स्कीमों का उद्देश्य निम्नलिखित नीतियों के अनुसार कार्य करना है :--

(1) ग्रामीण क्षेत्रों, पुर्नवासित बस्तियों एवं यमुना पार के इलाके में और अधिक अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां खोल कर चिकित्सा सुविधाओं के भौगोलिक असंतुलन को सही करना,

(2) ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 लोगों के लिए एक डाक्टर डिसपेंसरी अथवा 20,000 लोगों के लिए दो डाक्टर डिस्पेंसरियां तथा शहरी क्षेत्र में 25,000 लोगों के लिए दो डाक्टर डिस्पेंसरी खोलना

(3) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रसार करना।

(4) होम्योपैथी तथा इंडीजिनस की प्रणाली को प्रोत्साहन देना,

(5) वर्तमान प्रति 1000 लोगों के लिए 2 से 2.5 बिस्तरों के जनसंख्या बिस्तर अनुपात को कायम रखना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 4310.49 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ। वार्षिक योजना 1978-79 के दौरान 565.42 लाख रु. का व्यय हुआ था और आगे 1979-80 में 388.17 लाख रु. की राशि का उपयोग हुआ इस प्रकार की कमी मुख्य रूप से बहुत सी नई स्कीमों के बारे में भारत सरकार का अनुमोदन न मिलने/देर से मिलने अरबन आर्ट कमीशन से दीन दयाल अस्पताल की आर्कीटेक्चरल ड्राइंग तथा ले आउट प्लान अनुमोदित न होने के कारण है। व्यवहारिक रूप से 1978-79 के दौरान 273 बिस्तरों को बढ़ाया गया तथा 5 एलोपैथी की डिस्पेंसरियां, 30 होम्योपैथी की डिस्पेंसरियां तथा आई. एस. एम. खोले गए थे। दो पोली क्लिनिक आरम्भ किए गए। वर्ष 1979-80 के दौरान 8 माता एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना के अलावा 92 अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाये गए तथा 4 एलोपैथी डिस्पेंसरियां और 9 आई. एस. एम. डिस्पेंसरियां खोली गई।

वार्षिक योजना 1980-81 में 844 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। एजेंसियों के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना (78-83) परिव्यय, वर्ष 1978-79 तथा 79-80 में वास्तविक व्यय तथा 1980-81 के लिए अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :-

एजेन्सी का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1978-83	वास्तविक व्यय 1978-79	अनुमानित व्यय 1979-80	अनुमोदित परिव्यय 1980-81
1	2	3	4	5
चिकित्सा				
1 दिल्ली प्रशासन				
(1) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	2425.42	147.28	94.12	409.50
(2) चिकित्सा विभाग (तिब्बिया कालेज हमदर्द तिब्बी, तथा इ० एस० आई० स्कीमों को सुदृढ़ बनाना)	165.00	7.09	2.00	36.25
(3) सड़क दुर्घटनाओं के लिए एम्बुलेंस	10.00	5.13	—	—

1 D.A.—16.

1	2	3	4	5
(4) मानसिक रोग अस्पताल शाहदरा .	136.27	18.17	42.22	32.75
(5) मौलाना आजाद मैडिकल कालेज .	340.00	8.12	33.83	99.15
(6) लो०ना०ज० न० अस्पताल	130.00	59.85	62.93	65.00
(7) गो० व० पंत अस्पताल	300.00	88.73	69.95	50.85
कुल दिल्ली प्रशासन	3506.69	408.37	305.05	693.50
दिल्ली नगर निगम .	753.20	140.60*	82.58	142.50
नई दिल्ली नगर पालिका	50.60	16.45*	0.54	8.00
कुल : (चिकित्सा)	4310.49	565.42	388.17†	844.00

*रिलीजिज पर आधारित ।

इसके अलावा 1979-80 में स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन भवनों के निर्माण के लिए डी. डी. ए. को 40 लाख रु. की राशि जारी की गई थी।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 409·50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। स्कीम-वार विवरण इस प्रकार है।

(क) एलोपैथी

(1) निर्देशन एवं प्रशासन

(1) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सुदृढ़करण (0·25 लाख रु.)

इस स्कीम के अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक, कम्पयूटर तथा अवर श्रेणी लिपिक के एक एक पद अनुमोदित हुए हैं । वार्षिक योजना 1980-81 के लिए इन पदों को जारी रखने के लिए 0·25 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

(2) आई. एस. एम. सैल की स्थापना (0·25 लाख रु.)

आई. एस. एम. तथा होम्योपैथी के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए एक उपनिदेशक तथा दो सहायक निदेशक एवं सहायक स्टाफ सहित अलग से एक सैल बनाने का अनुमोदन हुआ है। इसके लिए 1980-81 के लिए 0·25 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

चिकित्सा राहत अस्पताल डिस्पेंसरियां

1. हरिनगर में 500 बिस्तरों वाले दीन दयाल अस्पताल की स्थापना (250·00 लाख रु.)

पश्चिमी दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों की चिकित्सा आवश्यकता की पूर्ति के लिए हरिनगर में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव है । यह स्कीम भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है तथा हरि नगर में आवासीय क्वार्टरों सहित अस्पताल की गतिविधियों के निर्माण के लिए 10-8-1978 को 5,47,50,000 रु. मंजूर हो गए हैं। इस प्रस्तावित अस्पताल में 300 आयुर्वेदिक बिस्तर वाला तथा 200 एलोपैथिक बिस्तर वाले अस्पताल होंगे जो कि क्रमशः 12·72 तथा 7·2 एकड़ भूमि पर बनाए जायेंगे। 200 बिस्तरों वाले एलोपैथिक अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है । 300 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल की आर्कीटेकचरल ड्राइंग तथा ले-आउट प्लान अरबन आर्ट कमीशन के पास अनुमोदन के लिए पड़ी हुई है । ऐसा अनुमान है कि छठी योजना के अन्त तक 500 बिस्तरों वाले इस अस्पताल की स्थापना हो जाएगी। वार्षिक योजना 1980-81 में 200 बिस्तरों वाले एलोपैथिक शाखा के लिए इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन, नर्सों तथा सर्जनों के लिए हास्टल, कैज्युल्टी तथा ओ. पी. डी. ब्लाक के निर्माण के लिए 200·00 लाख रु. (निर्माण कार्य) उपलब्ध कराए गए हैं।

2. शाहदरा में 500 बिस्तरों वाले गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं मेडिकल कालेज की स्थापना (150·00 लाख रु.)

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में भौगोलिक असन्तुलन को दूर करने के लिए शाहदरा में 500 बिस्तरों वाले एक अस्पताल, एक मेडिकल कालेज परिसर के निर्माण की परियोजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। इस कार्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि खरीद ली गई थी। अस्पताल की गतिविधियों के आंशिक निर्माण के आरम्भ करने तथा स्थल के विकास के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 150·00 लाख रु. (निर्माण कार्य) का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

3. जोशी अस्पताल का खर्चा बढ़ाना (0·50 लाख रु.)

इस समय यह अस्पताल 30 बिस्तरों का है । यह अस्पताल किराये के भवन में कार्य कर रहा है। अस्पताल के भवन के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही विकल्प के रूप में डी.डी.ए. से मोतिया खान में 5 एकड़ का एक प्लाट देने की प्रार्थना की गई है। जिसके लिए डी.डी.ए. को 15·00 लाख रु. की राशि पहले ही दे दी गई है। अस्पताल की गतिविधियों के आंशिक निर्माण तथा स्थल के विकास के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 0·50 लाख रु. (निर्माण कार्य) का अल्प प्रावधान किया गया है बशर्ते कि यह स्कीम स्वीकृत हो जाए ।

4. 100 बिस्तरों वाले सात अस्पताल खोलना (15·00 लाख रु.)

ग्रामीण जनता तथा पुर्नवासित बस्तियों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के विचार से सात सौ बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव है। जिनमें से 5 अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में तथा पुर्नवासित बस्तियों में खोले जाने वाले दो अस्पतालों के लिए डी.डी.ए. द्वारा मंगोल पुरी तथा खिचड़ी पुर में 10-10 एकड़ के प्लाट दे दिए गए थे । इसके अलावा ग्राम जाफर पुर में भी ग्राम सभा द्वारा 20 एकड़ भूमि दे दी गयी है । ग्राम सभा पुठ खुद, नंगली पूना तथा छत्तर पुर ग्राम सभाओं से पठ्ठे पर भूमि ली जानी है।

चिकित्सा

परिव्यय 1980-81

रु. लाखों में

दिल्ली प्रशासन | निकायानुसार

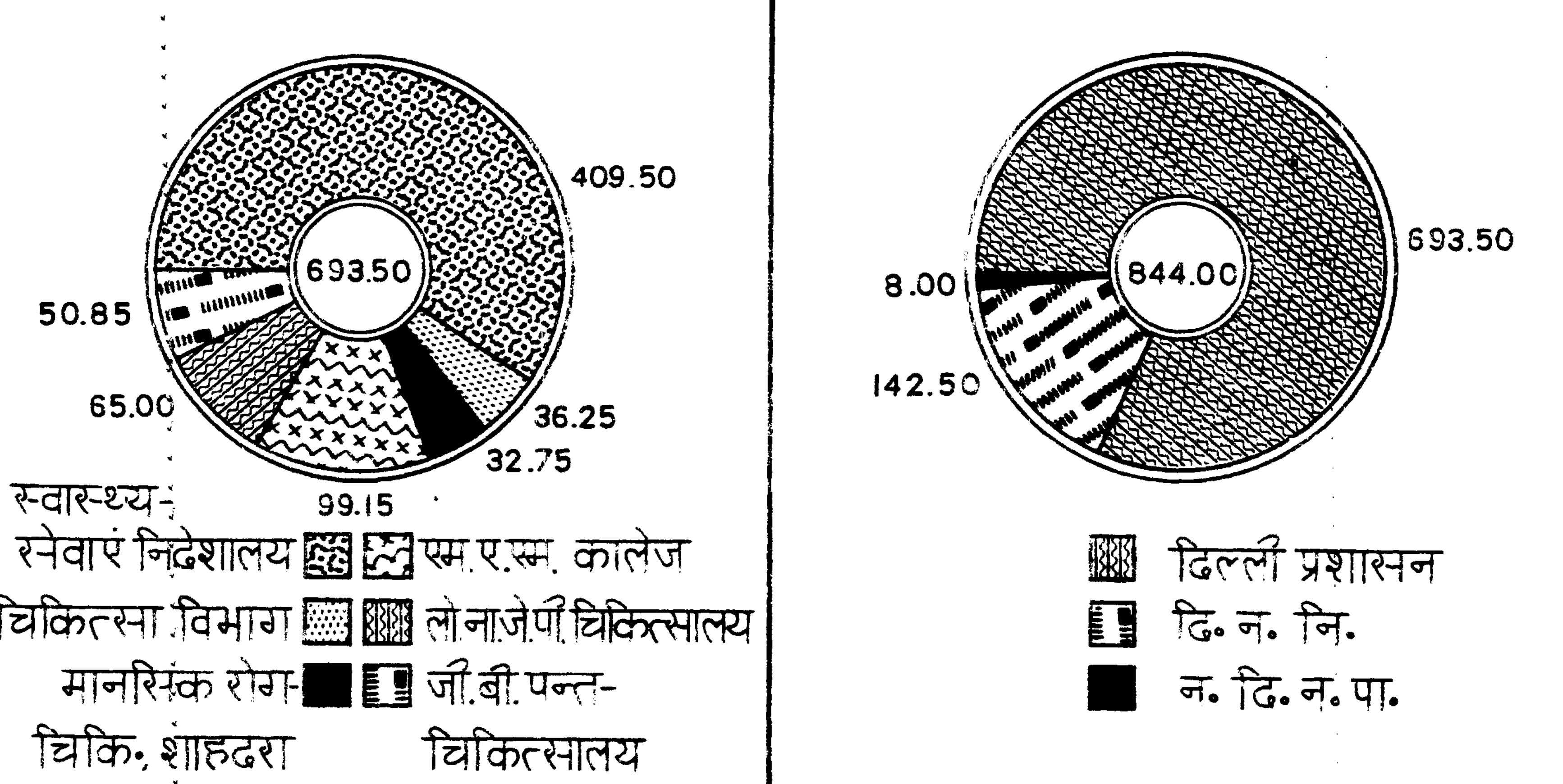

सातवां अस्पताल खोलने के लिए अभी स्थान निर्धारित किया जाना है। मंगोल पुरी तथा खिचड़ी पुर में अस्पताल की गतिविधियों के आंशिक निर्माण तथा स्थल के विकास के लिए 15.00 लाख रु. (निर्माण कार्य) का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

5. नई एलोपैथिक डिस्पेंसरियां खोलना (18.00 लाख रु.)

इस स्कीम का उद्देश्य ऐसी डिस्पेंसरियां खोल कर आम जनता को समीपस्थ स्थानों पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन डिस्पेंसरियों को खोलने के लिए मानदण्ड इस प्रकार रहेगा शहरी क्षेत्र में 25 हजार लोगों के लिए दो डाक्टर वाली डिस्पेंसरी तथा ग्रामीण/पुनर्वासित बस्तियों में दस हजार लोगों के लिए। वार्षिक योजना 1980-81 में पांच नई एलोपैथिक डिस्पेंसरियां खोलने के लिए पदों के सृजन तथा 1979-80 में खोली गई चार डिस्पेंसरियों के पदों को जारी रखने के लिए 18.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

6. पोली क्लिनिक को खोलना (7.00 लाख रु.)

इस स्कीम का उद्देश्य डिस्पेंसरी द्वारा भेजे गए रोगियों को विभिन्न विशेषीकृत विषयों में विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रत्येक पोली क्लिनिक के साथ लगभग 10 डिस्पेंसरियां संबद्ध होंगी ताकि पोली क्लिनिक में रोगियों का पर्याप्त संख्या में उपस्थिति से विशेषज्ञ को व्यस्त रखा जा सके। दिनांक 21-3-79 को मोती नगर तथा तिलक नगर दिल्ली नगर निगम अस्पतालों में पोली क्लिनिक खोले गए थे। वर्ष 1980-81 के दौरान दो और पोली क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है। 1980-81 के लिए दो और पोली क्लिनिक खोलने तथा 1978-79 में खोले गए दो पोली क्लिनिकों के अस्वीकृत बचे हुए पदों को जारी रखने के लिए 7.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

7. पुलिस अस्पताल का दर्जा बढ़ाना (0.80 लाख रु.)

वार्षिक योजना 1980-81 में पुलिस अस्पताल के बचे हुए कार्य जैसे रसोई घर का निर्माण, पहुंच मार्गों आदि के निर्माण के लिए 0.20 लाख रु. (निर्माण कार्य) का प्रावधान किया गया है। राजस्व शीर्ष के अधीन मेडिकल तथा अन्य आर्थोपेडिक सर्जरी में विशेषज्ञों के दो पदों के सृजन/जारी रखने के लिए 0.60 लाख रु. उपलब्ध कराये गए हैं।

8. वर्तमान एलोपैथिक डिस्पेंसरियों का खर्चा बढ़ना (0.00 लाख रु.)

निदेशालय के नियन्त्रण में उन एलोपैथिक डिस्पेंसरियों को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करा कर उनका दर्जा ऊंचा करने का प्रस्ताव है। जिनमें प्रतिदिन बाह्य रोगियों की संख्या 150 से अधिक है। इस प्रकार की एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी का दर्जा ऊंचा करने के लिए निम्नलिखित स्टाफ अपेक्षित है।

1.	चिकित्सा अधिकारी	2
2.	ए.एन.एम.	1
3.	ड्रेसर	1
4.	नर्सिंग अर्दली	1
	कुल	5

इस स्कीम के अन्तर्गत हर वर्ष ऐसी पांच एलोपैथिक डिस्पेंसरियों का दर्जा ऊंचा करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1979-80 से भारत सरकार के कार्यान्वयन के लिए इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है तथा पांच डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाया जा चुका है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1979-80 में दर्जा ऊंची की गई पांच एलोपैथिक डिस्पेंसरियों के आवश्यक पदों को जारी रखने तथा 1980-81 में पांच डिस्पेंसरियों का दर्जा ऊंचा करने के लिए पदों के सृजन हेतु 2.60 लाख रु. कारपरिव्यय अनुमोदित हुआ है।

9. दिल्ली प्रशासन की एलोपैथिक डिस्पेंसरियों के लिए भवनों का निर्माण (0.10 लाख रु.)

जो डिसपेंसरियां किराये के भवनों अथवा डी. डी. ए. द्वारा अथवा जीर्णावस्था के भवनों में हैं और वास्तव में ये भवन डिस्पेंसरियों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। लगभग 31 डिस्पेंसरियां किराये के भवनों में चल रही हैं। डिस्पेंसरियों के लिए भवन बनाने का प्रस्ताव है। जिसके लिए अभी भूमि ली जानी है। वार्षिक योजना 1980-81 में भवन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्य को आरम्भ करने हेतु 0.10 लाख रु. (निर्माण कार्य) का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

औषधि की अन्य प्रणालियां (होम्योपैथी)

10. एन. एच. एम. सी. तथा अस्पताल में 80 बिस्तरों की वृद्धि (6.00 लाख रु.)

इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1979-80 के दौरान एन.एच.एम.सी. तथा अस्पताल का दर्जा ऊंचा करने के लिए 73 पदों का सृजन किया गया है तथा 12 पदों का सृजन किया जाना है। इसी प्रकार वार्षिक योजना 1980-81 के अन्तर्गत इन पदों को जारी रखने/सृजन के लिए 6.00 लाख रु. (राजस्व) उपलब्ध कराया गया है।

अन्य स्वास्थ्य स्कीमें

11. स्कूल स्वास्थ्य स्कीम (9.00 लाख रु.)

यह स्कीम यमुना पार के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रगामी आधार पर पहले ही कार्यान्वित की गई है। वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान 60,000 स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेषीकृत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा कर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र (प्रथम चरण) में इस स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव है। यमुना पार के क्षेत्र के पहले से कार्यान्वित की गई स्कीम के अस्वीकृत पदों तथा पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र (प्रथम चरण) में इस स्कीम के विस्तार के लिए अपेक्षित पदों के सृजन हेतु 9.00 लाख रु. (राजस्व) का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। इस राशि में वर्ष 1980-81 के दौरान पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र (द्वितीय चरण) में इस स्कीम के विस्तार के लिए 3.00 लाख रु. शामिल है।

चिकित्सा विभाग

आयुर्वैदिक तथा यूनानी

1. तिब्बिया कालेज बोर्ड को सुदृढ़ करना (20.00 लाख रु.)

यह स्कीम तिब्बिया कालेज की विकास गतिविधियों के लिए शामिल की गई है ताकि ख्याति प्राप्त संस्थान के रूप में इसका स्तर कायम रखा जा सके तथा विकास किया जा सके। इस कार्य

के लिए कंज्यूलटी विभाग, आधुनिक फार्मेसी, पंच कर्मा, तथा वनस्पतिक बाग की स्थापना तथा लेक्चर थियेटर एवं प्रयोग शालाओं तथा लाइब्रेरी भवन की मरम्मत तथा नवीकरण करने, पुस्तकों तथा फर्नीचर की खरीद एवं इन्टर्नशिप के दौरान वजीफे की मंजूरी के लिए प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। इन सभी गतिविधियों के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 20.00 लाख रु. की राशि अनुमोदित हुई है।

2. हमदर्द तिब्बिया कालेज (10.25 लाख रु.)

हमदर्द तिब्बिया कालेज औषधि की यूनानी प्रणाली में शिक्षा प्रदान कर रहा है। जिसमें 5 वर्षीय बी. आई. एम. एस. डिग्री कोर्स प्रदान किया जाता है। जिसके लिए आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषध प्रणाली दिल्ली प्रशासन दिल्ली की परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इस संस्थान को हमदर्द नेशनल फाउन्डेशन चलाता है। इस स्कीम के अंतर्गत हमदर्द तिब्बिया कालेज दिल्ली को अपने कार्यों को चलाने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है इस स्कीम के अर्न्तगत हमदर्द ट्रस्ट द्वारा संस्थान का आवर्ति व्यय का 25 प्रतिशत एक वर्ष में कम से कम 2.00 लाख रु. देना होता है। और बाकि 75 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। इस कार्य के लिए 1980-81 में 10.25 लाख रु. की राशि अनुमोदित हुई है।

ई.एस.आई. स्कीम (6.00 लाख रु.)

ई.एस.आई.सी. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस पर हुए व्यय को 7 : 1 के अनुपात में ई. एस. आई. कारपोरेशन तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा बांट लिया जाता है। दिल्ली में बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की योजना में दिल्ली प्रशासन के भाग (दवाइयों का खर्चा) के लिए प्रावधान बनाया गया है। इस कार्य के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 6.00 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

मानसिक रोगों के लिए अस्पताल : शाहदरा

वार्षिक योजना 1978-83 में इस अस्पताल की विभिन्न स्कीमों के लिए 136.27 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। वर्ष 1978-79 में 18.17 लाख रु. का व्यय हुआ तथा आगे 1979-80 में 42.22 लाख रु. की राशि का प्रयोग किया गया। वर्ष 1980-81 के लिए 32.75 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। जिसका विवरण इस प्रकार है:—

1. समाज कार्य विभाग को सुदृढ़ करना (1.15 लाख रु.)

शाहदरा स्थित मानसिक चिकित्सा अस्पताल उत्तर भारत में अपनी प्रकार का एक ही तथा विशेष श्रेणी का अस्पताल है। इसके साथ ही अमृतसर तथा आगरा के मानसिक चिकित्सा अस्पतालों के बीच केवल यह एक संस्थान है। इस समय इस अस्पताल में स्वीकृत बिस्तरों की संख्या 578 है। तथा भविष्य में इनकी संख्या 1000 तक बढ़ाकर अस्पताल का दर्जा ऊंचा करने का विचार है। इस अस्पताल में इस समय केवल एक ही महिला चिकित्सक उस समय स्वीकृत हुई थी जबकि अस्पताल को ऐसे दस चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ताओं की शीघ्र आवश्यकता है। मानसिक चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता का एक पद स्वीकृत हो गया है तथा दूसरे के लिए प्रस्ताव अभी शामिल किया जाना है। अस्पताल को 100-100 से अधिक रोगियों के लिए एक कनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता है अतः इनके लिए 6 पदों का प्रस्ताव रखा गया है। अस्पताल को एक वरिष्ठ मानसिक चिकित्सक सामाजिक की आवश्यकता है। जिसका पदनाम समाज कल्याण अधिकारी होगा। वह इन सभी गतिविधियों का प्रभारी होगा। इस प्रकार यह प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय को तकनीकी/प्रशासनिक आवश्यक स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। वर्ष 1980-81 के लिए 1.15 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

2. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (235.00 लाख रु.)

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ने के कारण स्टाफ में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है। अस्पताल में 24 घन्टे की आवश्यक ड्यूटी के लिए कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ अपेक्षित है। जबकि उपलब्ध आवासीय सुविधा आवश्यकता से कम है। इस प्रकार 246 स्टाफ क्वार्टरों के अतिरिक्त निर्माण की स्कीम बनाई गई थी तथा इसको कार्यन्वित करने के लिए बीड़ा उठाया गया था। वर्ष 1977-78 के दौरान 4.62 लाख रु. तथा 1978-79 के दौरान 12.01 लाख रु. तथा 1979-80 में 42.22 लाख रु. का व्यय हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 में 25.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

3. शैल्टर्ड वर्कशापों का निर्माण (1.00 लाख रु.)

अस्पताल में 1977-78 के दौरान बिस्तरों की संख्या 578 तक बढ़ गई है। अस्पताल में इलाज कराने वाले ज्यादातर मानसिक रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाने के बाद समाज में उचित स्थान नहीं मिलता। इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक वे अस्पताल में रहते हैं उस दौरान उनको कुछ व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इलाज पूरा होने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकें तथा समाज द्वारा उन्हें स्वीकार किया जा सके। इसीलिए शैल्टर्ड वर्कशापों की यह स्कीम चलाई गई है। यह स्कीम मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप में पहले ही स्वीकार कर ली गइ है। तथा अब यह स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भारत सरकार के अन्तिम/औपचारिक प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति के लिए निलम्बित है। निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए निर्माण कार्य लेखे में से इस स्कीम के लिए 1980-81 में 1.00 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

4. नर्सों के लिए होस्टल का निर्माण (5.00 लाख रु.)

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ने से नर्सों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा होती रहेगी। जब कि इस समय केवल 20 नर्सों के लिए होस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं। 70 अतिरिक्त नर्सों को होस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अधिशिक्षिकाओं के लिए आवासीय क्वार्टरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह स्कीम बनाई गई थी। तथा मंत्रालय ने इसे सैद्धांतिक रूप से अनुमति भी प्रदान कर दी है। इस कार्य के लिए 25.87 लाख रु. का परिव्यय अपेक्षित है। वर्ष 1980-81 के लिए 5.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

5. कैंटीन का निर्माण (0.50 लाख)

इस समय अस्पताल से कोई भी कैन्टिन सम्बद्ध नहीं है। जबकि अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या इस समय 430 है। और जो कि आने वाले वर्ष में बढ़ती ही रहेगी। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 100—150 बाह्य रोगियों को ओ. पी. डी. में जांच की जाती है। अस्पताल में भर्ती किए गए अन्तः रोगियों को मिलने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। चूंकि यह अस्पताल मुख्य शाहदरा से दूर दराज में स्थित है और इसके आस पास कोई भी दुकान नहीं है अतः यहां कैन्टीन की शीघ्र ही अत्यंत आवश्यकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम बनाई गई थी तथा मंत्रालय ने भी इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कर दिया है। इस स्कीम के लिए पंचवर्षीय योजना 1978—83 के दौरान निर्माण कार्य के लिए 7.51 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है। यह स्कीम मंत्रालय के पास अन्तिम तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति के लिए निम्नलिखित है। इस स्कीम के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 0.50 लाख रु. की राशि स्वीकृत हुई है।

6. एक्स रे प्लांट के लिए स्टाफ (0.10 लाख रु.)

बाह्य तथा अंतः रोगियों के लिए एक्सरे प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन ट्यूमर तथा आपीलेप्सी की बीमारियों के निदान के लिए एक्सरे बहुत आवश्यक है। प्लांट स्टाफ के बिना के लिए एक्सरे बहुत आवश्यक है। प्लांट बिना स्टाफ के बिना नहीं चल सकती अतः इस स्कीम के अन्तर्गत स्टाफ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 1980-81 में 0.10 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है। बशर्ते कि इस स्कीम को स्वीकृति मिल जाए।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की विभिन्न स्कीमों के लिए वर्ष 1980-81 में 99.15 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है। स्कीम वार विवरण इस प्रकार है :

1. एनाटामी पैथोलाजी ब्लाक तथा एनिमल हाउस का विस्तार (10.00 लाख रु.)

पांचवी पंचवर्षीय योजना की यह एक सतत स्कीम है। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस संस्थान के पैरा क्लिनिकल विभाग के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए यह स्कीम तैयार की गई थी। भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कैपिटल साइड में पैथोलाजी ब्लाक तथा एनीमल हाउस के लेक्चर थियेटर में एयर कंडीशनिंग का कार्य अभी किया जाना है। इसके लिए अनुमानित लागत का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। तथा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति/व्यय स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा एनिमल हाउस तथा इससे सम्बद्ध शाखा विशेष सर्जरी के रख रखाव के लिए स्टाफ तथा उपकरण उपलब्ध कराये जाने हैं। मोटे रूप से स्टाफ में एक अनुसंधान अधिकारी, एक तकनीकी पर्यवेक्षक, 4 तकनीकी सहायक, तीन लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट, 5 एनिमल अटेन्डेन्ट, 4 स्वीपर तथा एक लोहार एवं पेन्टर के पद हैं। वर्ष 1980-81 के लिए 10.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। जिसमें से 6.97 लाख रु. निर्माण कार्य तथा 3.03 लाख रु. राजस्व कार्यों के लिए है।

2. टीचिंग ब्लाक में अतिरिक्त सीटों के लिए नया भवन (10.52 लाख रु.)

पांचवी पंचवर्षीय योजना की यह एक सतत स्कीम है। भवन का निर्माण कार्य 1978-79 के दौरान पूरा हो गया था। इस स्कीम में इस प्लान अवधि के दौरान प्रयोगशालाओं, प्रदर्शन कक्षों तथा लेक्चर थियेटरों में साज सामान की फिटिंग का कार्य किया जाना अपेक्षित है। प्रयोगशालाओं में एयर कंडीशनिंग की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए अनुमानित लागत का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। तथा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति/व्यय स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में लायब्रेरी तथा कैन्टीन को चलाने एवं उनकी सफाई तथा सुरक्षा के लिए भी स्टाफ अपेक्षित है। मोटे रूप से इस स्टाफ में एक स्वागत कर्ता, दो पुस्तकालयाध्यक्ष, एक अवर श्रेणी लिपिक सात चौकीदार, 12 स्वीपर, दो फ्राश तथा दो अटेन्डेन्टों के पद अपेक्षित हैं। वर्ष 1980-81 के लिए 10.52 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। जिसमें 7.10 लाख रु. निर्माण कार्य तथा 3.42 लाख रु. राजस्व कार्यों के लिए है।

3. पूर्व स्नातक होस्टल का विस्तार (30.00 लाख रु.)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की यह एक सतत स्कीम है। इस स्कीम के प्रथम चरण का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। तथा दूसरे चरण एवं तीसरे चरण का कार्य 1980-81 में शुरू होने वाला है। प्रथम चरण के अधीन होने वाला कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण कार्य के अलावा स्टाफ फर्नीचर, होस्टल के विभिन्न कमरों तथा रसोई के लिए उपकरण, वार्डन तथा सहायक वार्डन के लिए कार्यालय तथा होस्टल कार्यालय के लिए राजस्व व्यय हेतु प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। प्रथम चरण के लिए अपेक्षित स्टाफ इस प्रकार होगा एक हाउस कीपर, एक केयर टेकर, एक स्टोर कलर्क, एक अवर श्रेणी लिपिक, एक स्वागत कर्ता, 22 स्वीपर, 14 चौकीदार, 7 रसोइए, 12 हेल्पर तथा 12 बेयरर। वर्ष 1980-81 के लिए 30.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है जिसमें से 22.00 रु. निर्माण कार्य तथा 8.00 लाख रु. राजस्व कार्य के लिए होंगे।

4. अनाटामी तथा मोरच्यरी ब्लाक में एयर कंडीशनिंग (9.00 लाख रु.)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की यह एक सतत स्कीम है। विभिन्न कठिनाइयों के कारण पहले यह स्कीम आरम्भ नहीं की जा सकी और हाल ही में 1978-79 में इसे आरम्भ किया गया है। सिविल कार्य पहले ही प्रदान कर दिया गया है। इस स्कीम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कैपिटल साइड के लिए 40.00 लाख रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 1979-80 के दौरान ठेकेदार की कुछ समस्याओं के कारण सिविल कार्यों में कोई प्रगति न हो सकी। वर्ष 1980-81 के लिए 9.00 लाख रु. (निर्माण कार्य) का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

5. नेशनल ईयर बैंक की स्थापना तथा इससे सम्बद्ध पदों के सृजन के लिए स्कीम (5.00 लाख रु.)

इस समय ई. एन. टी. की ओ. पी. डी. में हर वर्ष लगभग 35 हजार नए केसों की देखभाल की जाती है। इसमें से लगभग 10 प्रतिशत रोगियों के मामले सी. एस. ओ. एम. से सम्बन्धित हैं। ये सारे केस ईयर ड्रम तथा/अथवा ग्लास (होमोग्रास ट्रान्स प्लान्टेशन) के लिए सम्भावित हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए एकल प्रकार का आपरेशन ई. एन. टी विभाग की वर्तमान शिकायत के लिए काफी लम्बा है। रोगियों की इस भारी संख्या को देखते हुए नेशनल ईयर बैंक की स्थापना दिसम्बर, 1975 में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा जे. पी. अस्पताल में की गई थी। यह ईयर बैंक मो. आ. मेडिकल

कालेज के ई. एन. टी विभाग के अध्यक्ष की देखरेख तथा मार्ग-दर्शन में कार्य कर रहा है। फिर भी नेशनल ईयर बैंक के बढते हुए कार्य को यह महसूस किया गया है कि पदों का सृजन किया जाए तथा उपकरण खरीदें जाएं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाये। यह बैंक उचित तथा प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके। इस स्टाफ में लेक्चरार (ई.एन.टी.) ईयर बैंक, जूनियर रेजिडेंट (ई. एन. टी.) ईयर बैंक, नर्सिंग अर्दली, प्रयोगशाला तकनीशियन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पद शामिल हैं। इन पदों तथा आवश्यक उपकरणों को 1980-81 के दौरान उपलब्ध कराया जाना है जिसके लिए 5.00 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

6. ई. एन. टी. विभाग में स्पीच तथा हियरिंग रिहेबीलीटेशन यूनिट का सृजन (2.43 लाख रु.)

पिछले तीन वर्षों में ई. एन. टी. विभाग ने अपने विभिन्न पक्षों जिनमें अध्यापन्न, अनुसंधान तथा रोगियों की देखभाल शामिल हैं, में आश्चर्यजनक विकास किया है। उपकरणों तथा पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण बहरों तथा गूंगों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल के लिए हमें समय नहीं मिलता इस प्रकार बहरा सुनने तथा कहने के द्वारा अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। उनको भाषा ग्रहण करने के लिए विशेष उपाय तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बहरे, कठिनाई से सुनने वाले तथा ततलाने वाले रोगी इलाज के लिए हमारे ई. एन. टी. की ओ. पी. डी में आते हैं। इसके अलावा हमारे यहां बहुत से रोगियों की डेमटीकटिव सर्जरी भी की जा रही है। जैसे कैंसर के लिए लेरिनगो-का-टामी। ऐसे मामलों में पुनर्वास के लिए स्पीच थरेपी अत्यंत आवश्यक है। जो रोगी न्यूरोलाजीकल अव्यवस्था से पीडित है। उनके लिए भी स्पीच थरेपी आवश्यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय (व्यस्क/बच्चों) में में पांच प्रतिशत बोलने तथा सुनने की अव्यवस्था से पीडित हैं। किसी बहरे बच्चे के लिए छोटी आयु में सीखना आसान है और यदि उचित तथा पूरी देखभाल एवं प्रशिक्षण पहले ही प्रदान नहीं किया जाता है तो वे आजीवन विकलांग रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्र को इससे भारी नुकसान होता है तथा ये समाज को बोझ होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अस्पताल में सम-ज्ज स्टेंफर्ड ऑडियोलाजी तथा स्पीच ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किए जाएं। यह प्रस्तावित अनुभाग आवश्यक रुप से ई. एन. टी. विभाग का एक हिस्सा होगा। इस अनुभाग में एक ऑडियोलाजीस्ट, स्पीच, थेरेपिस्ट एवं एक आशुलिपिक की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्टाफ तथा उपकरणों के लिए 1980-81 में 2.43 लाख रु. परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

7. पूर्व स्नातक चिकित्सा सेवा का पुर्नगठन समवाय दशाओं के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाओं का निर्माण (10 लाख रु.)

यह स्कीम वर्ष 1979-80 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रुप में आरंभ की गई थी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की योजना के अधीन इस स्कीम को सतत रखने के लिए 1980-81 के लिए 10 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

8. लायब्रेरी ब्लाक का निर्माण (5.00 लाख रु.)

मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने सौ छात्रों वाले मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के स्तर के लिए अपनी सिफारिशों में इंगित किया है कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में एक एक सेन्ट्रल लाएब्रेरी होनी चाहिए। निःसंदेह इस समय मौ. आ. मेडिकल कालेज में लायब्रेरी है। परन्तु यह लायब्रेरी संस्थान की अध्यापन एवं प्रशासनिक शाखा से ग्रहण किए गए स्थान में संक-शिफ्ट के रूप में है यह तब किया गया था जब कि प्रति वर्ष 50 प्रवेश दिए जाते थे। अब जबकि प्रवेशों की संख्या 180 तक पहुंच गई है परन्तु स्टाफ तथा छात्रों के लिए लाएब्रेरी सुविधा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मेडिकल काउंसिल आफ इंडियां की इस मुख्य सिफारिश को ध्यान रखते हुए पढाई तथा पुस्तकों के भण्डारन के लिए लाएब्रेरी ब्लाक के निर्माण की स्कीम पांचवी पंच वर्षीय योजना अवधि में अनुमोदित करा ली गई थी। कुछ प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावित अवधि में आरम्भ नहीं किया जा सका। अतः इस स्कीम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित स्कीम को सील ओवर के रूप में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। भवन के निर्माण तथा इसके एयर कंडशनिंग (यथा आवश्यक सीमा तक) को अनुमोदित लागत केपिटल साइड में 30.00 लाख रु. आंकी गई है। इसके अतिरिक्त लाएब्रेरी को अंको मोडेशन परिसर में शिफ्ट करने के साथ वर्तमान स्टाफ कार्यभार को नहीं सम्भाल पाएगा। इस स्टाफ को बढ़ाना ही होगा अतः इसमें वृद्धि अपेक्षित है। इसके अलावा नए लाएब्रेरी ब्लाक के लिए फर्नीचर तथा अन्य सम्बद्ध उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। वर्ष 1980-81 के लिए 5.00 लाख रु. (निर्माण कार्य) का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

9. डेन्टल विंग की स्थापना (12.57 लाख रु.)

अध्ययन तथा उपचार की सभी शाखाओं के लिए दिल्ली मुख्य केन्द्र बन गया है। यह आश्चर्य की बात है कि अब तक कोई डेन्टल कालेज नहीं खोला गया। इस समय बी. डी. एस. कोर्स (डेन्टल ग्रेजएशन) के लिए इच्छुक दिल्ली के छात्रों को अन्य राज्यों के डेन्टल कालिजों में प्रवेश लेना पडता है। अधिकतर राज्यों में डामीशियल आवास का बन्धन है। अतः दिल्ली के छात्रों को विभिन्न अन्य डेन्टल कालिजों में केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित सीटों के विरुद्ध उपलब्ध थोडी सी सीटों में ही सन्तोष करना पड़ता है। दिल्ली के छात्रों के लिए अन्य तथा दूर दराज में बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद तथा मद्रास के डेन्टल कालिजों में, औसतन केवल 3 सीटें प्रदान की गई हैं। दिल्ली के छात्रों के अभिभावकों को इतनी दूर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए बहुत खर्चा उठाना पडता है। इस प्रकार मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में बी. डी. एस. कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव है। बी. डी. एस. कोर्स के लिए बीस छात्रों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है। जैसा कि डेन्टल कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा निहीत बी. डी. एस. डिग्री कोर्स तथा केन्द्रीय सरकार अनुमोदित तथा चरण क्रम में छात्रों की संख्या 40 तक बढाई जा सकती है। पांच वर्ष के बाद पूरा स्टाफ तथा उपलब्ध कराये गए उपकरणों के बाद विभिन्न विषयों में एम. डी. एस. कोर्स आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है। आरम्भ में इसके लिए अलग अन्य भवन की आवश्यकता नहीं है। यह डेन्टल विंग वर्तमान मौलाना आजाद मेडिकल कालेज कम्पलेक्स में खोली जा सकती है। एम. बी. बी. एस. छात्रों का मो. आ. मेडिकल कालेज का हॉस्टल भी हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। अब अतः इस कार्य के लिए स्टाफ तथा उपकरणों की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए वर्ष 1980-81 में 12.57 लाख रु. (राजस्व) का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

10. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में एक वर्कशाप का प्रावधान (2.62 लाख रु.)

मौ. आजाद मेडिकल कालेज की स्थापना 1958 में हुई थी अपने धीरे धीरे विकास के साथ संस्थान के विभिन्न कम्पार्टमेंटों में परीक्षण के लिए विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं तथा उनमें नाजुक तथा परिकृत विभिन्न प्रकार के यन्त्र प्रयोग किए जा रहे हैं। ये यन्त्र विदेशों से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि भारत में अभी इनका

निर्माण नहीं हो रहा है अतः इन यन्त्रों की उचित देखभाल तथा रख रखाव बहुत आवश्यक है । इस लिए इस संस्थान में आवश्यक स्टाफ सहित मशीनों के रुप में वर्कशाप उपलब्ध करायी गई है। यह वर्कशाप इन परिष्कृत यन्त्रों तथा उपकरणों की न केवल उचित देखभाल व रख रखाव की सुविधा उपलब्ध करायेगी बल्कि यह अमूल्य फारेन एक्सचेंज की बचत भी करेगी जिसके बदले में इन्हें प्राप्त किया गया है । वर्कशाप आरम्भ में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा इससे संबद्ध अस्पतालों को सुविधा उपलब्ध करायेगी और इस स्कीम के पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह दिल्ली प्रशासन के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के परिष्कृत उपकरणों के लिए सूक्ष्मता के कार्य भी करेगी ।

स्टाफ तथा उपकरणों के लिए 1980-81 में 2.62 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

11. एक सुरक्षा कक्ष का सृजन (0.10 लाख रु.)

मौलाना आजाद कालेज तथा इससे सम्बद्ध लो. ना. ज. प्र. नारायण अस्पताल तथा जी. बी. पन्त अस्पतालों के भवनों में विभागों हॉस्टलों आदि में चोरी आदि को रोकने के लिए एक सुरक्षा कक्ष के सृजन का प्रस्ताव है । इस स्कीम के अन्तर्गत आवश्यक सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराने तथा जहां आवश्यक हो चार दिवारी को ऊंचा करने का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिए 1980-81 में 0.10 लाख रु. का अल्प प्रावधान किया गया है । बशर्ते कि यह स्कीम स्वीकृत हो जाए ।

12. पी. एण्ड एस. एम. विभाग के लिए स्वास्थ्य शिक्षा यूनिट की स्कीम (0.91 लाख रु.)

वर्तमान समय में निवारण एवं सामाजिक चिकित्सा का यह विभाग 20,000 जनसंख्या वाले एक ग्रामीण फील्ड प्रेक्टिस का केन्द्र और 30,000 आबादी वाले एक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन करता है । जहां ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के स्वास्थ्य की भली भांति देख की जाती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कालेज को ग्रामीण तथा शहरी फील्ड प्रेक्टिस क्षेत्रों के प्रस्तावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा के प्रावधान के लिए सुगठित स्वास्थ्य शिक्षा इकाई तथा स्वास्थ्य टीम के लिए एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य शिक्षक की आवश्यकता बहुत अधिक है ।

स्वास्थ्य शिक्षा इकाई निवारक एवं सामाजिक औषधि विभाग का एक भाग होती तथा इसे कालेज के विभाग में रखा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक लेक्चरर, दो स्वास्थ्य शिक्षक, (ग्रामीण तथा शहरी फील्ड प्रेक्टिस क्षेत्रों के लिए एक एक), एक स्वस्थ्य शिक्षा तकनीशियन तथा एक अटेन्डेन्ट के पद होंगे, एम. सी. आई. ने भी (प्रतिवर्ष 100 छात्रों को प्रवेश देने वाले मेडिकल कालेज की निम्नतम स्तर आवश्यकता, मार्च, 1973 द्वारा) सिफारिश की है कि मेडिकल कालेज के निवारक तथा सामाजिक औषधि विभाग में ग्रामीण तथा शहरी फील्ड प्रेक्टिस केन्द्रों के लिए एक एक स्वास्थ्य शिक्षकों के पद उपलब्ध कराये जायें । इस इकाई को जारी रखने तथा स्टाफ के लिए 1980-81 में 0.91 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

14. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के लिए अतिरिक्त स्टाफ (1.00 लाख रु.)

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज 1958 में खुला था उस समय इसमें 60 पूर्व स्नातकों प्रवेश की व्यवस्था थी । यह संख्या अब 180 तक बढ़ गई है तथा इसकी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है । परन्तु उपलब्ध स्टाफ अपर्याप्त है । यह स्कीम अपेक्षित स्टाफ के लिए बनाई गई है । इसीलिए एक स्कीम तैयार की गई है तथा 1980-81 में 1.00 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है ।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल

इस अस्पताल की 4 स्कीमों के लिए वर्ष 1980-81 में 65 लाख रु. की राशि अनुमोदित हुई है । इन स्कीमों का विवरण इस प्रकार है :-

1. गुरु नानक आई सेन्टर (10 लाख रु.)

वास्तव में गुरु नानक आई सेन्टर के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजना में 41.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। और छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 30.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है । वर्ष 1979-80 में 10.00 लाख रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था परन्तु वास्तविक व्यय 5.63 लाख रु. का हुआ । यह कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा होने पर ओ. पी. डी. की सभी सुविधाओं, आपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक, आई लेबोरेटरी तथा बिस्तरों आदि से सुसज्जित अलग भवन होगा । वास्तव में यह परियोजना सितम्बर, 1976 में शुरु हुई थी । इसका प्रथम चरण पहले ही पूरा हो चुका है और इसमें आई. ओ. पी. डी. कार्य कर रहा है । यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना 1978–83 में लगभग पूरा हो जाएगा । वार्षिक योजना के लिए 10 लाख रु. का परिव्यय निर्माण कार्यों के लिए अनुमोदित हुआ है ।

2. 300 बिस्तरों वाला ब्लाक (15 लाख रु.)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 40.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है । वर्ष 1979-80 में 10.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था परन्तु वास्तविक व्यय 29.09 लाख रु. का हुआ । यह कार्य प्रगति पर है । इस परियोजना के पूरा होने पर इस समय बरामदे तथा फर्श पर ठहरे हुए रोगियों के ठहरने की उचित व्यवस्था हो जाएगी । और किसी सीमा तक वार्डों की भीड़ को भी कम किया जाएगा 1936 में बनाई गई पुरानी संरचनाएं गिराई जाएगी । पांचवी मंजिल के निर्माण की स्वीकृति जारी हो गई है और चालू वर्ष में कार्य पूरा होने की आशा है । इस निर्माण कार्य के लिए वर्ष 1980-81 में 15 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

3. स्टाफ तथा उपकरणों को सुदृढ़ करना (20 लाख रु.)

पांचवी पंचवर्षीय योजना में 61.47 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था । और छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 में 50.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है । वर्ष 1979-80 में 20.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ था ।

राजधानी के बड़े अस्पतालों में से यह एक है । अस्पताल की गतिविधियां तथा बाह्य एवं अन्तः रोगियों की संख्या भी कई गुनी बढ़ गई है । विभिन्न प्रकार की बिमारियों के लगभग सभी उपचार यहां किए जा रहे हैं । बढती हुई उपरोक्त प्रवृति को देखते हुए तथा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के विशेष परिष्कृत उपकरणों की वर्तमान सेवाओं में विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है । विशेष प्रकार के उपकरण प्राप्त किए जाने हैं जिनका उपयोग भली भांति रूप से प्रशिक्षित अतिरिक्त स्टाफ की सहायता से किया जाएगा । वर्ष 1980-81 में

पदों के सृजन, स्टाफ को जारी रखने तथा उपकरणों की खरीद के लिए 20 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

4. कोबाल्ट यूनिट (20 लाख रु.)

1964 में कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए एक काबाल्ट यूनिट की स्थापना की गई थी। इस समय रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण यह यूनिट रोगियों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी नही कर पाती। 25 लाख रु.की लागत पर एक और कोबाल्ट यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव प्रतिपादित किया गया है। यह स्कीम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तकनीकी/प्रशासनिक रूप से पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। इस स्कीम के लिए 1980-81 में 20.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

जी. बी. पन्त अस्पताल

जी. बी. पंत अस्पताल में कार्डियालाजी, कार्डियन-सर्जरी, न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैसटरो इन्टरोलाजी तथा साईकोस्ट्रोक में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा इसमें एक नर्सिंग होम भी है उपरोक्त क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार के लिए बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए बहुत सी स्कीमें इस अस्पताल की वार्षिक योजना 1980-81 तथा पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1980-81 के लिए 50.85 लाख रु.की राशि अनुमोदित हुई है।

1. जी. बी. पंत अस्पताल का विस्तार (15 लाख रु.)

यह 150 बिस्तरों वाले ब्लाक के निर्माण कार्य की स्कीम है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 49 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ था। नर्सिंग होम में बिस्तरों की कमी पहले से ही रही है। इस परियोजना के पहले चरण में डाइगनोस्टीक सुविधाओं के और अधिक विस्तार के अलावा नर्सिंग होम में 40 बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। निर्माण कार्य केवल 1976-77 में आरम्भ हो सका। ताकि 110 बिस्तरों की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की जा रही है। और 150 बिस्तरों वाले ब्लाक की यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हो जाने की आशा है। ताकि बिस्तरों की व्यवस्था के लिए लगभग 73 लाख रु. की लागत आयेगी। भवन में एयर कंडिशीनिंग लगाने तथा साथ ही जनरेटर लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जैसा कि 40 बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है। अतः ताकि 110 बिस्तरों की व्यवस्था के लिए 1980-81 में 15.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। 150 बिस्तरों वाले ब्लाक की इस स्कीम के अन्तर्गत ओ. टी. वार्डस आदि के कार्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2. यूनिटों के लिए अतिरिक्त स्टाफ (10.50 लाख रु.)

पांचवी योजना की यह एक अनुमोदित स्कीम है। जिसके लिए छठी योजना में स्वीकृति मिली है। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ तकनीकी कारणों की वजह से पदों के सृजन की उपेक्षा होती रही तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं हुआ। कुछ पदों के लिए 1978-79 में स्वीकृत 30 हजार रु. की स्वीकृत राशि के अलावा।

अस्पताल की सेवाओं में बिस्तर को देखते हुए उसी अनुपात से जन शक्ति को भी बढ़ाया जाना है। ताकि विभिन्न स्कीमों में निहित नियोजित विकास हो सके। अब तक कुछ पोस्टों का सृजन किया गया है तथा कुछ और पदों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। जी. बी. पन्त अस्पताल के बिस्तरों की कमीशनिंग तथा 40 कमरों वाले नर्सिंग होम ब्लाक को खोलने, ओ. पी. डी. अनुभाग खोलकर ज्यादा समय तक जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने से स्टाफ में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। अतिरिक्त पदों के सृजन तथा स्वीकृत स्टाफ को जारी रखने के लिए 10.50 लाख रु. का अनुमोदित परिव्यय है।

3. विशेष उपकरण तथा स्टाफ (19.60 लाख रु.)

चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सी विकासीय गतिविधियां है तथा इन क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। इसलिए और अधिक परिष्कृत तथा नए उपकरणों की आवश्यकता महसूस की गई है। तथा भविष्य में यह आवश्यकता बढ़ती ही जायेगी। इस प्रकार के अमूल्य उपकरणों की आवश्यकता पूर्ति के लिए 51 लाख रु. की राशि 1979-80 में खर्च की गई। पांचवीं योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध कराये गए योग्य स्टाफ की तत्काल सेवाएं उपलब्ध होने तथा नवीनतम साधनों की सहायता से रोगियों का बहुत लाभ हुआ है। आवश्यकता पूर्ति के लिए 1980-81 में 19.60 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

4. भण्डार एवं प्रयोगशाला ब्लाक (2.00 लाख रु.)

वास्तव में इस अस्पताल को लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल की एक सौध बनाने की योजना थी। अतः जी. बी. पन्त अस्पताल के लिए बनाए गए भवन में भण्डार आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु बाद में जब इसको एक विशेषीकृत अस्पताल के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया तो ये समस्याएं सामने आई। नियोजित भण्डार की सुविधाएं न होने के कारण अस्पताल के एक वार्ड में विभिन्न प्रकार के भण्डारों की व्यवस्था कर ली गई है। अतः अलग से प्रयोगशाला तथा भण्डार ब्लाक की आवश्यकता महसूस की गई है। फिलहाल जिस जगह पर भण्डारन किया गया है वह स्थान 32 बिस्तरों के लिए प्रयोग किया जायेगा। अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि भण्डार एवं प्रयोगशाला ब्लाक का 4 मंजिला भवन 35.00 लाख रु. की परियोजित लागत पर बनाया जाए। यह राशि अगले पांच वर्षों के लिए वितरित की गई है। 1980-81 के लिए 2 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

5. लेक्चर एवं अनुसंधान ब्लाक (1.85 लाख रु.)

विशेष अध्ययन में पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा देने वाले इस संस्थान में उतना आवश्यक स्थान नहीं है। जो कि एक शिक्षा संस्थान में होनी चाहिए।

जैसे :- (1) लेक्चर हाल, (2) सेमिनार कक्ष, (3) स्नातकोत्तर अध्ययन कक्ष, (4) बाइलाजीकल, फिजीयोलाजीकल, इलैक्ट्रोनिक्स, केमिकल्स बायोकेमिकल, बायोकेमिकल अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रयोगशालाएं जो कि ऐसे परिष्कृत संस्थान के लिए नितान्त आवश्यक है जहां पर कितने ही प्रकार के उपकरण दैनिक प्रयोग में आते है (5) एक पुस्तकालय जिसमें पत्र पत्रिकाओं की समुचित व्यवस्था हो (6) पुस्तक संदर्भ तथा अध्ययन के लिए एक सामान्य पुस्तकालय तथा (7) री-प्रिन्ट तथा फोटोस्टेट सुविधाएं। इस विनिर्दिष्ट कार्य के लिए 28.50 लाख रु. की परियोजनित लागत से 4 मंजिलों वाला एक लेक्चर एवं अनुसंधान ब्लाक बनाकर इस अन्तर को समाप्त किया जा सकता है। यह राशि 4 वर्षों के लिए वितरित की गई है। इस कार्य के लिए 1980-81 में 1.85 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

6. रसोई घर का विस्तार एवं आधुनिकीकरण (1.40 लाख रु.)

वर्तमान रसोई घर वार्ड की एक शाखा में बनाया गया था। जो कि अपर्याप्त रहा नर्सिंग होम में 40 अतिरिक्त बिस्तरों की वृद्धि के कारण भी रसोई घर के कार्य में गुणात्मक एवं मात्रा की वृद्धि हुई है। वर्ष 1982-83 में जब 110 बिस्तरों की और वृद्धि हो जाएगी तो रसोई घर का कार्य और भी बढ़ जाएगा। यह तदर्थ रसोई घर आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता। अतः इसमें अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराकर इसे आधुनिक बनाने की शीघ्र आवश्यकता है। छठी योजना के दौरान 2.90 लाख रु. का कुल प्रावधान अपेक्षित है। इस कार्य के लिए 1980-81 के लिए 1.40 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है।

7. सीनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल (0.10 लाख रु.)

जी. बी. पन्त तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भारत सरकार द्वारा हाल ही में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत रेजिडेन्टों सहित कुल सीनियर रेजिडेन्टों की संख्या इस प्रकार है।

	सीनियर रेजिडेन्ट
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	64
जी. बी. पन्त अस्पताल	42
	106

परिसर में केवल एक रेजिडेन्ट हॉस्टल है वहां पर 42 सीनियर रेजिडेन्टों के आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि 64 इकाइयों की कमी है। इस कमी को पूरा करने में कई वर्षों का समय लग जाएगा और तब तक सीनियर रेजिडेन्टों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है। अतः 100 डाक्टरों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सीनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हॉस्टल के लिए 3 मंजिले भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। भूमितल डाइनिंग हाल, रसोई घर, मनोरंजन कक्ष, हॉस्टल अधीक्षक के कार्यालय, हाउस कीपर, रिसेप्शन रूम तथा कार एवं स्कूटर शैड के लिए प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 1980-81 के लिए 0.10 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है। विस्तृत स्कीम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है।

8. जूनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल (0.10 लाख)

जी. बी. पन्त अस्पताल तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भारत सरकार द्वारा हाल ही में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत जूनियर रेजिडेन्टों सहित कुल संख्या इस प्रकार है :-

	जूनियर रेजिडेन्ट
लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल	122
जी. बी. पन्त अस्पताल	62
	184

परिसर में केवल एक रेजिडेन्ट हॉस्टल है जहां पर 84 जूनियर रेजिडेन्टों (प्रथम वर्ष) के आवास की व्यवस्था उपलब्ध है जैसा कि फिलहाल सौ यूनिटों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई वर्षों का समय लग जायगा और तब तक जूनियर रेजिडेन्टों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है। अतः 150 डाक्टरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक जूनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल का निर्माण का प्रस्ताव है। यह तीन मंजिला भवन होगा जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 50 जूनियर रेजिडेन्टों के आवास की व्यवस्था होगी। 1980-81 के लिए 0.10 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

9. जी. बी. पन्त अस्पताल के स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (0.15 लाख रु.)

संस्थान ग्रुप के पास अपने स्टाफ के लिए संस्थान परिसर के समीप के क्षेत्र में बहुत कम आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान परिसर में आवश्यक सेवा स्टाफ के आबंटन के लिए विभिन्न श्रेणी के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण लगभग 48.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर निम्नलिखित क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

क्वार्टरों का प्रकार	निर्माण किए जाने वाले क्वार्टरों की संख्या
5	20
4	20
3	30
2	30
1	30

वर्ष 1980-81 के लिए 0.15 लाख रु. का अल्प प्रावधान अनुमोदित हुआ है।

10. रिहैबिलिटेशन एवं स्पीच थैरेपी केन्द्र (10.15 लाख रु.)

अस्पताल में न्यूरोलोजी विभाग के रोगियों के लिए केवल प्राथमिक रिहैबिलिटेशन सुविधाएं हैं। न्यूरोलाजीकल तथा साइकियाट्रिक समस्या के रोगियों का रिहैबिलिटेशन बहुत आवश्यक है विशेष रूप से जब कि रोगी इस सीमा तक अयोग्य हो कि वह अपना वास्तविक कार्य दोबारा से आरम्भ न कर सके। इन रोगियों के रिहैबिलिटेशन के लिए ऑकयुपेशनल थैरेपी/फिजियोथैरेपी तथा स्पीच थैरेपी की सुविधाएं अपेक्षित हैं। केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी अपेक्षित होगा ताकि केन्द्र को सुचारु रूप से चलाया जा सके। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए अस्पताल के समीप जगह उपलब्ध है लागत 48.00 लाख रु. है। 1980-81 के लिए 0.15 लाख रु. का प्रावधान अनुमोदित हुआ है। बशर्ते कि यह स्कीम तकनीकी/प्रशासनिक रूप से स्वीकृत हो जाए।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम की विभिन्न स्कीमों के लिए 1980-81 में 1142.50 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है। इसमें 188.30 लाख रु. एम. एन. पी. के लिए शामिल है। स्कीम वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1. पुनर्वास बस्तियों में 6 प्रसूति गृहों तथा 9 माता एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना (15.00 लाख रु.)

पुनर्वास बस्तियों के निवासियों को प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल ऐसी 7 बस्तियों में 6 प्रसूति

गृहों तथा 9 माता शिशु केन्द्रों की स्थापना की जानी है । इन उपकेन्द्रों तथा प्रसूतिगृहों के लिए भवन डी. डी. ए. से लिये जा रहे हैं तथा ये केन्द्र शीघ्र ही खुलने वाले हैं । केन्द्रों के संचालन के लिए डी. डी. ए. द्वारा दिल्ली नगर निगम को दिए गए भवनों की लागत का भुगतान करने के लिए 1980-81 में 15.00 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

2. पांच उपकेन्द्रों की स्थापना तथा वर्तमान 25 उपकेन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण (3.30 लाख रु.)

इस स्कीम के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि वर्तमान उपकेन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो सका । इस समय 3 स्थानों पर भवन उपलब्ध कराये गए हैं तथा कुछ और स्थानों पर दिल्ली नगर निगम के लिए जगह की व्यवस्था की गई है जहां शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने वाला है । इसके साथ-साथ दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित पंचायतों से भी भूमि प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि बाकी उपकेन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण किया जा सके । वर्ष 1980-81 के लिए स्कीम हेतु 3.30 लाख रु. (2.80 लाख रु. निर्माण कार्य) का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

हिन्दूराव अस्पताल

3. ओ.पी.डी. ब्लाक का निर्माण (6.00 लाख रु.)

हिन्दूराव अस्पताल उत्तरी दिल्ली की जनसंख्या को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है । तथा यह इस क्षेत्र का केवल एक ही जनरल अस्पताल है। ओ. पी. डी. में प्रतिदिन 2 हजार नये रोगियों की देखभाल की जाती है । और यह संख्या निकट भविष्य में बढ़ती ही रहने की आशा है। हिन्दूराव अस्पताल में ओ. पी. डी. ब्लाक के भवन के निर्माण का अनुमोदन चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था अब यह कार्य लगभग पूरा होने वाला है । उपकरणों की खरीद एवं स्टाफ आदि की व्यवस्था के बाकी कार्यों के लिए 1980-81 में 6 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित हुआ है ।

4. अतिरिक्त बिस्तरों की स्थापना (रु. 1.00 लाख)

चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था के उद्देश्य से हिन्दूराव के लिए एक बहुमंजिला ब्लाक का प्रावधान रखा गया था इस ब्लाक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 242 अतिरिक्त बिस्तरों को संयोजित किया जा चुका है । 1980-81 में अन्तिम भुगतान आदि के लिये 1.00 लाख रु. आउटले स्वीकृत किया जा चुका है ।

5. ओ. टी. एक्सरे और पैथालोजी की वर्तमान इमारत की दूसरी मंजिल का निर्माण (रु. 20.00 लाख)

आपरेशन थियेटर की वर्तमान इमारत पर दूसरी मंजिल और आपरेशन थियेटर और एक्सरे पैथालाजी और ब्लड बैंक के लिये बहुमंजिला ब्लाक के निर्माण की यह योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी । आपरेशन थियेटर ब्लाक की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । एक्सरे और पैथालोजी के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है । इस उद्देश्य के लिए 20 लाख रु. का एक आउटले (पूंजी 18 लाख) 1980-81 के लिए स्वीकृत हो चुका है ।

6. नर्सों के छात्रावास के लिए दूसरे विंग का निर्माण (रु. 0.30 लाख)

हिन्दूराव हस्पताल में नर्सों के छात्रावास के दूसरे विंग में निर्माण कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शु[...] किया गया था । कार्य पूर्णरूप से समाप्त हो चुका है । इ[...] योजना के लिए रु. 0.30 लाख (0.10 लाख पूंजी के रू[...] में) की राशि 1980-81 के लिए अन्तिम भुगतान आदि [...] उद्देश्य से स्वीकृत हो चुकी है ।

7. गहन चिकित्सा एकक (रु. 13.20 लाख)

हिन्दूराव हस्पताल में आने वाले दुर्घटना एवं अन्य आपा[...] कालीन मामलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इ[...] हस्पताल में एक इन्टेन्सिव थेरापी यूनिट की स्थापना का प्रस्ता[...] है । इस योजना के आरम्भ करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय [...] पहले ही तकनीकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और अब [...] प्रस्ताव दिल्ली हास्पीटल बोर्ड के सम्मुख मंजूरी के लिए पेश कि[...] जा रहा है । इस एकक को शुरू करने के लिए आरम्भि[...] काम पहले ही कर लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की स्व[...] कृति के अनुसार जरूरी साज सामान खरीदा जा रहा है । [...] योजना के अन्तर्गत 13.20 लाख (रु. 3.50 लाख) पूंजी [...] रूप में का आउटले 1980-81 के लिए स्वीकृत हो चुका है।

8. हाउस सर्जनों के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण (रु. 4.10 लाख)

हाउस सर्जनों के लिए अतिरिक्त आवास के निर्माण का क[...] प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना 198[...] 81 में रु. 4.10 लाख (रु. 4.00 लाख पूंजी के रूप [...] का आउटले स्वीकृत हो चुका है ।

9. नर्सों के प्रशिक्षण विद्यालय (तकनीकी स्टाफ के लिए स[...] क्वार्टर उनका निर्माण (रु. 5.10 लाख)

दिल्ली नगर निगम में हमेशा प्रशिक्षित नर्सों के स्टाफ [...] कमी होती है। यह मांग पूरी की जा सकती है, यदि प्रशि[...] की सुविधाएं जुटाई जाएं । हाल में हिन्दूराव हस्पताल [...] एक पुरानी इमारत में सीमित क्षमता के साथ नर्सों का प्रशि[...] विद्यालय चल रहा है । इसलिए एक नर्सों के लिए प्रशि[...] विद्यालय की इमारत के निर्माण का प्रस्ताव है। विस्तृत अ[...] मान आदि तैयार कर लिए गए हैं । कार्य के शीघ्र ही आ[...] होने की आशा है । रु. 5.10 लाख (रु. 4.10 [...] पूंजी के रूप में) का एक आउटले इस योजना के लिए 1980[...] के लिए स्वीकृत हो चुका है।

10. चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 क्वार्टरों [...] निर्माण (रु. 2.00 लाख)

आपातकालीन मामलों को दृष्टिगत रखते हुए डाक्टरों [...] हस्पतालों में रुकना और उनके लिए आवास बहुत आवश्यक [...] इस समय हिन्दूराव अस्पताल में पर्याप्त संख्या में क्वार्टर [...] लब्ध नहीं है । परिणामस्वरूप डाक्टरों को आपातक[...] मामलों में दूर से बुलाना पड़ता है । इससे कभी-कभी म[...] को वांछित चिकित्सा सहायता मिलने में विलम्ब हो जाता [...] तदनुसार कुछ उपयुक्त स्थानों पर चिकित्सा अधिकारियों के [...] क्वार्टर बनवाने का प्रस्ताव है । योजना छटी पंचवर्षीय यो[...] के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक य[...] 1980-81 के लिए रु. 2.00 लाख का आउटले स्वीकृत हो चुका है ।

1. धर्मशाला भवन का निर्माण (रु. 0·10 लाख)

भीतरी मरीजों के परिवार के लोग और उनके संबन्धी हस्पताल में उसके साथ आ जाते हैं लेकिन हिन्दूराव हस्पताल में उनके लिये निवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दूराव हस्पताल के पास एक धर्मशाला भवन के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना के लिए 1980-81 के लिए 0·10 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. स्थायी शवशाला और शव परीक्षा के कमरे का निर्माण रु. 2·50 लाख)

हिन्दूराव हस्पताल ने अब चिकित्सा व कानूनी मामले अब उत्तरी जिला पुलिस से लेना आरम्भ कर दिया है। इस हस्पताल में कोई उचित शवशाला और शव परीक्षा के लिए कोई कमरा उपलब्ध नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शवशाला और शव परीक्षा कमरे के निर्माण की योजना स्वीकृत हो गई है। 1980-81 के लिए इस योजना के लिए रु. 2·50 लाख का आउटले स्वीकृत हो गया है।

3. यन्त्रीकृत लान्ड्री की संस्थापना (रु. 1·00 लाख)

हिन्दूराव हस्पताल उत्तरी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है, जिसमें 753 बिस्तर हैं और भीतरी मरीजों का आना जाना बहुत अधिक है। यह प्रस्ताव रखा गया है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्य बड़े हस्पतालों की तरह इस हस्पताल में भी एक यन्त्रीकृत लान्ड्री जरूर होनी चाहिए। 1980-81 के लिए रु. 1·00 लाख (सभी राजस्व) का एक आउटले स्वीकृत हो चुका है।

4. बिजली के निवाहक (इन्साइरेटर) के संस्थापन के लिए इमारत का निर्माण (रु. 0·20)

दिल्ली में हस्पतालों में छूत की बीमारियों पर काम करने वाले ग्रुपों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि हस्पतालों में निवाहक (इन्सानेटर) अंतिम रूप से पूरे निपटान की क्षमता के साथ होना जरूरी है। फिलहाल कोई निवाहक (इन्साइरेटर) और इमारत नहीं है। इसके निर्माण की स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। 1980-81 में इस योजना के लिए रु. 0·20 लाख, (सभी पूंजी के रूप में) स्वीकृत हो चुके हैं।

5. भुगतान करने वाले रोगियों के लिए 20 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम का निर्माण (रु. 1·50 लाख)

फिलहाल भुगतान करने वाले रोगियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जुटाई जा रही है। निगम पार्षदों और अधिकारियों के लिए केवल पांच कमरे हैं। इस अस्पताल में नर्सिंग होम का निर्माण अत्यावश्यक है। इसके निर्माण की स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है और 1980-81 में इसके लिए रु. 1·50 लाख के आउटले की स्वीकृती मिली है।

6. हिन्दूराव हस्पताल के लिए आपाती केन्द्र के लिए अनुमान (रु. 1·00 लाख)

बिस्तरों का एक आपद (कैज्वल्टी) और आपात (एमर्जेन्सी) बहुमंजिला/ओ. पी. डी. में उपलब्ध है परन्तु इस से रोगियों को इतनी बेहतर, प्रभावशाली और पर्याप्त सेवा नहीं मिल पा रही है जितनी कि नई ओ. पी. डी. के पास आपाती केन्द्र स्थापना के पश्चात् मिल सकेगी। यह परियोजना 45,000 वर्ग फीट पर सीमित है। इस परियोजना पर कुल लागत लगभग रु. 40·00 लाख आएगी जिसमें 1980-81 के लिए रु. 1·00 लाख का आउटले स्वीकृत हो चुका है।

17. हिन्दूराव हस्पताल की चार दीवारी का निर्माण रु. 1·50 लाख)

चूंकि हिन्दूराव हस्पताल पुरानी सब्जी मण्डी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, इस लिए मरीजों और हस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा के लिए चार दीवारी एक आवश्यकता है। इसी लिए, हस्पताल के चारों ओर एक चार दीवारी के निर्माण का प्रस्ताव है। इस चार दीवारी पर कुल व्यय रु. 1·50 लाख आएगा और 1980-81 के दौरान इस कार्य के पूरा होने का प्रस्ताव है और तदनुसार इसकी स्वीकृति इस योजना में मिल गयी है।

स्वामी दयानन्द हस्पताल

18. हस्पताल का विस्तार (रु. 10·00 लाख)

स्वामी दयानन्द हस्पताल यमुना पार क्षेत्र में एक मात्र हस्पताल है जिस पर 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। 1979-80 के दौरान बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर 220 कर दी गयी है। इसी कारण इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए छठी योजना के दौरान, इस हस्पताल में 100 बिस्तर और शामिल करने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 1980-81 में रु. 10·00 लाख (5·00 लाख पूंजी के रूप में) स्वीकृत हो चुके हैं।

19. ओ. पी. डी. ब्लाक की पहली मंजिल का निर्माण (रु. 1·50 लाख)

रोगियों की भीड़ के कारण ग्राउन्ड फ्लोर वाली ओ. पी. डी. अपर्याप्त है। आज कल रोजाना हाजिरी 1500 से भी अधिक है। ओ. पी. डी. में भीड़ को कम करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ओ. पी. डी. ब्लाक में पहली मंजिल का निर्माण करने की स्वीकृति मिल गयी है। इस योजना के लिए 1980-81 में रु 1·50 लाख (सभी पूंजी के रूप में) का प्रावधान रखा गया है।

20. शवालय ब्लाक का निर्माण (0·50 लाख रु.)

चूंकि इस हस्पताल में कोई शवलय नहीं है, इस लिए मृत शरीर रखना बहुत कठिन है। अतः रेफ्रीजरेशन की सुविधाओं सहित एक शवशाला के निर्माण का प्रस्ताव है। 1980-81 में इस योजना के लिए रु. 0·50 लाख का आउटले स्वीकृत हो गया है।

21. नर्सों के लिए छात्रावास का निर्माण (दूसरा फेज) (रु. 1·50 लाख)

पहले फेज का कार्य पूरा हो चुका है। हस्पताल के विस्तार के कारण चूंकि नर्सों की संख्या बढ़ रही है, अब दूसरे फेज पर काम शुरू हो चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना स्वीकृत हो गई है। इस योजना के लिए 1980-81 में रु. 1·50 लाख का आउटले स्वीकृत हुआ है।

2. आयुर्वैदिक डिस्पेंसरियां (0.75 लाख रुपये)

पांचवी योजना में शुरू की गयी दो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के अलावा छठी योजना में तीन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 7.65 लाख रुपये हैं। इसके लिए नये भवनों में निर्माण के साथ भूमिका व्यवस्था भी करनी होगी। एक डिस्पेंसरी के लिए भूमि की व्यवस्था करने और उसे पूरा करने हेतु निर्माण कार्य तथा अन्य डिस्पेंसरी के लिए कार्य शुरू करने तथा प्रस्तावित डिस्पेंसरियों में से एक डिस्पेंसरी को शुरू करने के लिए राजस्व व्यय के लिए वर्ष 1980-81 में 0.75 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

3. होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां (0.75 लाख रुपये)

पांचवी योजना के अंतर्गत पालिका ने उन क्षेत्रों में तीन होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां चलाई थी, जहां ये सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। अब छठी योजना के अंतर्गत आम लोगों के लाभ के लिए उन क्षेत्रों में तीन और डिस्पेंसरियां बनाने का प्रस्ताव है, जहां के लोगों ने इस प्रकार की सेवाओं की मांग की है। उसके लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 6.00 लाख रुपये है। एक डिस्पेंसरी शुरू करने हेतु वर्ष 1980-81 के लिए 0.75 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

4. मौजूदा पोलिक्लीनिक में सुधा (2 लाख रुपये)

मौजूदा पोलिक्लीनिक 1971 में 37, सरदार भगतसिंह मार्ग पर शुरू किया गया, जो महत्वपूर्ण स्थान है ताकि विशेषज्ञों से परामर्श लेने तथा प्रयोगशाला और एक्स-रे द्वारा जांच जैसी विभिन्न चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा सकें। बहु मंजलीय भवन के निर्माण के बाद जनसंख्या में वृद्धि के कारण पोलिक्लीनिक के शुरू किये जाने के बाद से उसमें आने वाले सामान्य रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ऐसा समझा जाता है कि मजूदा कार्यभार तथा रोगियों की संख्या में संभावित वृद्धि के कारण मौजूदा व्यवस्था कर्मचारी और उपकरण तथा स्थान दोनों ही दृष्टियों से अपर्याप्त है। पोलिक्लीनक ऐसे भवन ही में स्थित है जो मूलत: रहने के लिए बनाया गया था, उसकी मियाद पहले ही समाप्त हो चुकी है और बरसात के मौसम में उनकी हालत खस्ता हो जाती है जिससे मूल्यवान उपकरणों को क्षति पहुंचती है। अत: ऐसा प्रस्ताव है कि कर्मचारियों और उपकरणों की संख्या में वृद्धि करके तथा मौजूदा भवन के स्थान पर बिजली-पानी, प्रतीक्षा कक्ष, साईकल स्टैंड, शौचालयों तथा स्नानगृहों से युक्त एक दुमंजिला भवन बनाकर मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि की जाये।

5. बाल मार्ग-दर्शक क्लीनिक का विस्तार (0.50 लाख रुपये)

मौजूदा बाल मार्गदर्शक क्लीनिक मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए 1972-73 में शुरू किया गया था। 1976 में इसमें एक पर्नवास एकक भी स्थापित किया गया ताकि शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। अब यह प्रस्ताव है कि छठी योजना के दौरान एक आश्रय-वर्कशाप बनायी जाये। मुख्य कार्यों तथा उपकरणों और पहुंचाती है। अत: ऐसा प्रस्ताव है कि कर्मचारियों और उप-रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ताकि जब ये बच्चे वयस्क होने लगें तो उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके और कार्य का अनुभव कराया जा सके। इससे वे यह महसूस करेंगे कि वे कुछ कमा रहे हैं तथा समाज का उपयोगी अंग हैं। इससे उन्हें समाज में रोजगार के लिए भी तैयार किया जा सकेगा अर इस भावना से बचाया जा सकेगा कि वे समाज पर बोझ हैं। आश्रय वर्कशाप के मुख्य कार्यों के लिए 1980-81 में 0.50 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

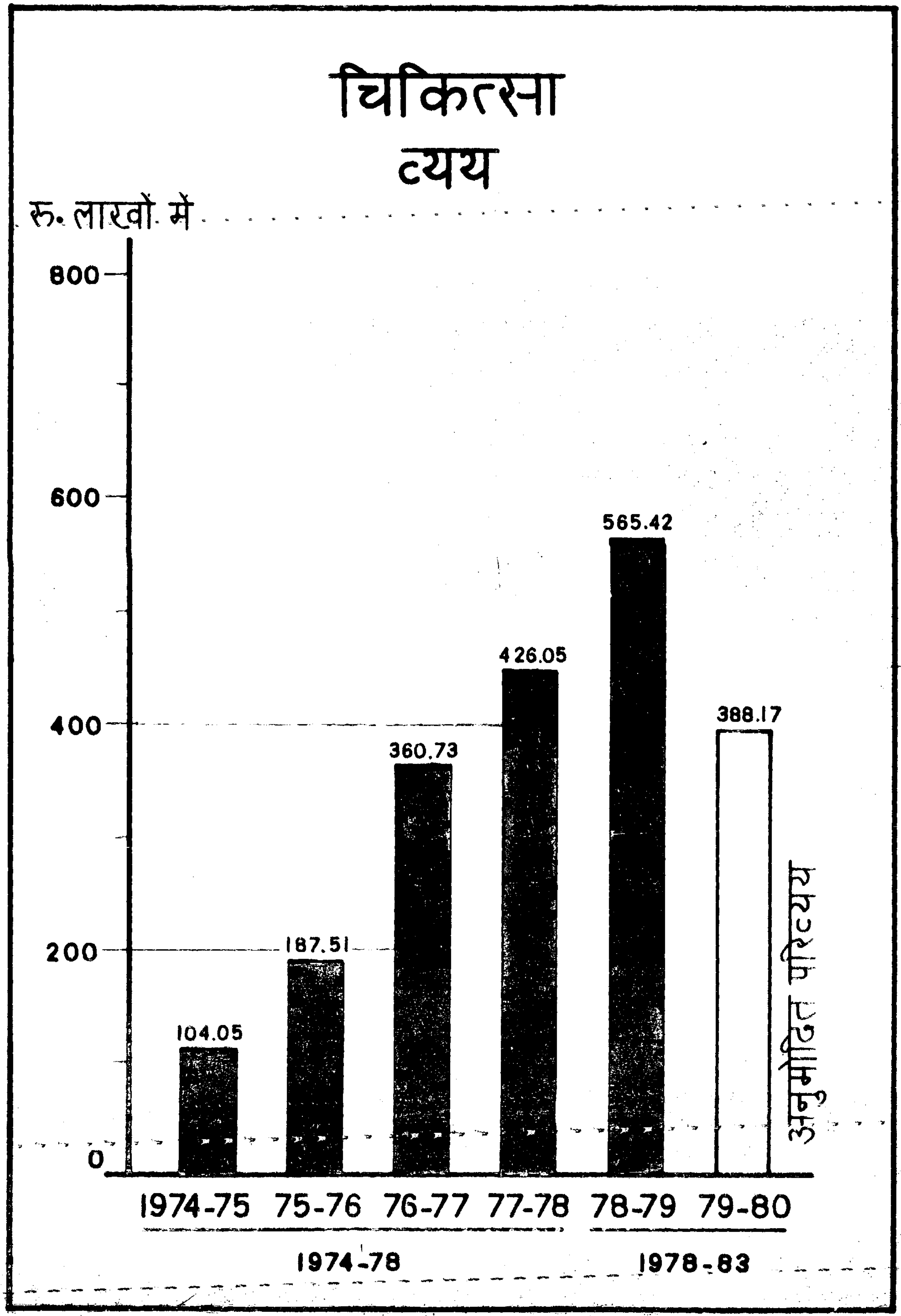

चिकित्सा
व्यय
रु. लाखों में
800
600
400
200
0
104.05
187.51
360.73
426.05
565.42
388.17
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

जन स्वास्थ्य एवं सफाई

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

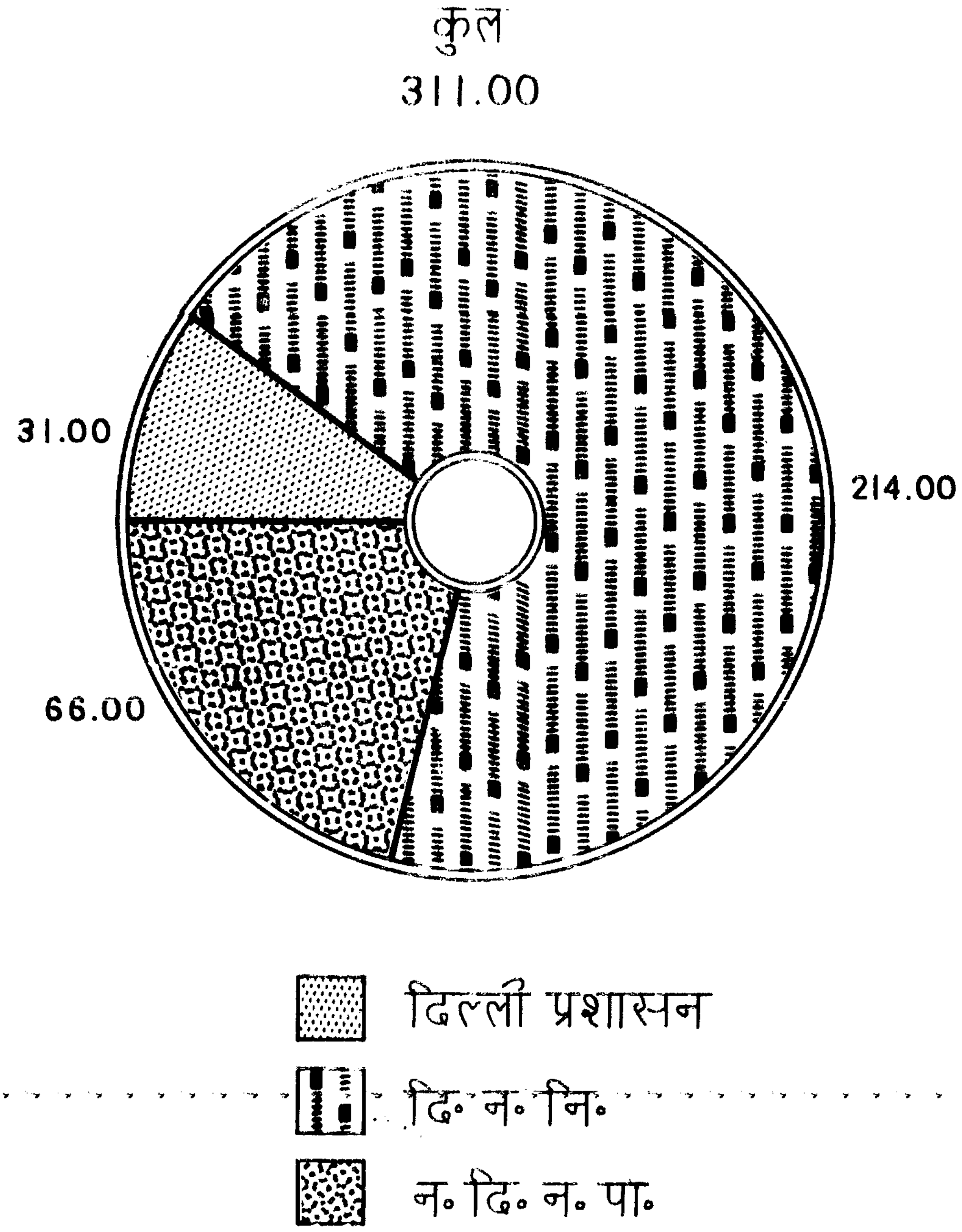

जन स्वास्थ्य तथा सफाई

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के लिए 1978–83 की पंचवर्षीय योजना में 743.37 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1978-79 में 164.19 लाख रुपये तथा 1979-80 में 157.42 लाख रुपये खर्च किए गये। 1980-81 के लिए 256.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। एजेंसी-वार स्थिति इस प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

एजेंसी का नाम	पंचवर्षीय योजना 78–83 परिव्यय	व्यय 1978-79	व्यय 1979–80	स्वीकृत परिव्यय 1980–81
1	2	3	4	5
1. दिल्ली प्रशासन	89.50	13.41	0.65	31.00
2. दिल्ली नगर निगम	614.90	144.86	156.28	214.00
3. नयी दिल्ली नगर पालिका	38.97	5.92	0.49	11.00
कुल .	743.37	164.19	157.42	256.00

इस सैक्टर के अन्तर्गत मलेरिया जैसे छूत के रोगों पर नियंत्रण संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित करके खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने, श्मशान घाटों के निर्माण, उसमें सुधार, कूड़ा को हटाने और एक स्थान पर डालने का प्रबन्ध करने, सफाई सेवाओं में सुधार करने, नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में नालों को ढकने पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है स्कीमवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

एक बीमारियों को रोकना और उन पर नियंत्रण रखना

1. मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (160.00 लाख रुपये)

पिछले दो वर्षों में दिल्ली में मलेरिया के मामलों में भारी वृद्धि के कारण इस रोग को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। एन. एम. इ. पी. निदेशालय द्वारा तैयार की गयी संशोधित कार्य योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानी रखने के कार्य को और दृढ़ बनाया गया है। घरों में मच्छरों के पैदा होने को रोकने का कार्य शुरू किया गया है कीट-नाशी कार्य गत वर्ष की अपेक्षा वृगर्न क्षेत्रों के किये जा रहे हैं तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय छिड़काव कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों तथा सामान की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम को जारी रखने के वास्ते इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1980-81 में 160.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

11. अन्य कार्यक्रम ....

क खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना

संयुक्त खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला स्थापित करना (25.00 लाख रुपये)।

भारत सरकार द्वारा की गयी सिफारिशों तथा योजना आयोग द्वारा दिये गये मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम शामिल की गयी है। फिलहाल दिल्ली में कोई औषधि प्रयोगशाला नहीं है तथा औषधियों के नमूनों की दिल्ली के बाहर विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच करायी जाती है। फिलहाल दिल्ली में औषधियों के प्रतिवर्ष 600 नमूने लिये जाते हैं जिनकी संख्या को निकट भविष्य में बढ़कर 1200 करने का प्रस्ताव है। दिल्ली प्रशासन की अपनी कोई खाद्य प्रयोगशाला नहीं है। दिल्ली नगर निगम की अपनी खाद्य प्रयोगशाला है लेकिन वह इस मकसद के लिए काफी नहीं है। अतः खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला की तत्काल आवश्यकता है। एक ही स्थान पर एक संयुक्त औषधि तथा खाद्य नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि विश्लेषण कार्य में लगे विभिन्न विभाग विश्लेषण कार्य में एक दूसरे का हाथ बटा सकें। तदनुसार खाद्य विश्लेषण विभाग तथा औषधि विश्लेषण विभाग के लिए भवन, उपकरणों, रसायनों तथा कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है। औषधि विश्लेषण विभाग के तीन प्रभाग होंगे अर्थात् रसायन शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा औषधि प्रभाव विभाग। प्रयोगशाला के लिए अन्य कर्मचारियों के अलावा प्रत्येक विभाग के लिए एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की आवश्यकता होगी, जो विभाग का प्रमुख होगा। खाद्य विश्लेषण विभाग के लिए दो वरिष्ठ रसायनिज्ञों, लेखाकार तथा अन्य प्रयोगशाला लिपिकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा औषधि स्कंध के लिए स्थापना तथा लेखा स्कंध बनाने का भी प्रस्ताव है। इनके वास्ते 1980-81 की वार्षिक योजना हेतु 25 लाख रुपये का परिव्यय किया गया है जिसमें मुख्य कार्यों के लिए 20.00 लाख रुपये की धनराशि भी शामिल है।

2. खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी किये जाने के कार्य को प्रशासन द्वारा अपने हाथों में लिया जाना (5 लाख रुपये)

खाद्य पदार्थों की बिक्री निर्माण तथा वितरण के लिए लाइसेंस दिये जाने का कार्य इस समय स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। हाल ही में की गई अचानक जांच से पता चलता है कि ऐसी सैकड़ों कम्पनियां हैं जो बगैर लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार करती हैं। चूंकि खाद्य मिलावट को रोकने का कार्य प्रशासन ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है, अतः दोहरे उत्तरदायित्व से बचने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने का कार्य भी वह अपने हाथों में ले सकता है। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र के पांच प्रशासी जिलों में से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अपने अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी किये जाने के कार्य को देखेगा। इसके लिए अधीक्षक के एक पद, प्रवर लिपिक के 10 पदों, अवर श्रेणी लिपिक 10 पदों तथा 5 चपरासियों की आवश्यकता पड़ेगी। फुटपाथों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने तथा वहां पर खाद्य पदार्थों का कारोबार करने की बुराई को दूर करने के लिए छापा मारने हेतु पांच ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। इन ट्रकों को–

चलाने के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार इस के वास्ते 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए कुल 5.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

3. औषधि नियंत्रण संगठन को दृढ़ करना (1.00 लाख रु.)

औषधि नियंत्रण विभाग को विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है । लाईसेंस शुदा विनिर्माण परिसरों और बिक्री परिसरों की संख्या में वृद्धि के कारण इस संगठन के अंतर्गत प्रशासनिक स्कंध में 46 पद तथा आसूचना व विधी स्कंध में 13 पद बनाने का प्रस्ताव है । इस स्कीम को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तकनीकी तथा प्रशासनिक तौर पर हाल ही में स्वीकृत किया है । वर्ष 1980-81 के लिए कर्मचारियों हेतु 1.00 लाख रु. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

दिल्ली नगर निगम

1. निगम अस्पतालों तथा क्षेत्रों में बी एच आई तथा आयोजना, महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने, मैडिकल रिकार्ड और सांख्यकी कार्य को दृढ़ बनाना (1.)) लाख रुपये)

स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य आंकड़े एकत्र करने तथा योजना स्कीमों के मूल्यांकन करने और उन्हें मॉनिटर संबंधी तंत्र को दृढ़ बनाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्डों के अनुसार रुग्णता आंकड़े एकत्र किये जायें ताकि राजधानी में स्वास्थ्य आसूचना का कार्य कारगर रूप से किया जा सके । वर्ष 1980-81 के लिए इस योजना हेतु 1.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

2. श्मशान घाटों का निर्माण तथा उनमें सुधार (16 लाख रुपये)

मौजूदा श्मशान घाटों में सुधार तथा नये श्मशान घाटों को बनाने की एक स्कीम पांचवी योजना में शुरू की गयी थी। सभी ओर आवास क्षेत्रों में वृद्धि को देखते हुए नये घाट बनाने होंगे । यह प्रस्ताव भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्मशान घाट बनाये जायें तथा सभी स्थानों पर पीने का पानी, शैड तथा बिजली की सुविधायें दी जायें । इस स्कीम के अन्तर्गत 'शववाहन' की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है । विभिन्न स्थानों पर निर्माण तथा सुधार कार्य चल रहा है। वर्ष 1980-81 के लिए इस स्कीम के वास्ते 16.00 लाख रुपये (15 लाख रुपये पूंजी) का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

4. कूड़े को मशीनों से हटाने तथा एकत्र करने के लिए प्रायोगिक योजना (10.00 लाख रुपये)

55 लाख रुपये की यह स्कीम निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने मार्च 1979 में स्वीकृत की । इस स्कीम के अन्तर्गत सफाई मशीनें, कॉल कैरियर कम्पैक्टर्स तथा ट्रेलर एक्सचेंज सिस्टम खरीदने होंगे । वर्ष 1980-81 में इसके लिए 10 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

5. जैविक अवशिष्ट के उपयोग के लिये उत्पादन एवं वितरण केन्द्र (2 लाख रुपये)

इस समय कुत्तों को पकड़ने और उन्हें मारने का कार्य दिल्ली नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग करता है । शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिये विशेष तथा तीव्र अभियान चलाया गया है ताकि अलर्क रोगों की घटनाओं को कम किया जा सके । मृत जानवरों को लेजा कर क्षेपण भूमि में दाब दिया जाता है । इसी प्रकार दूसरे जानवरों के ढांचों और बूचड़खानों के कूड़े का प्रयोग नहीं किया जाता और वह बेकार चला जाता है । इस कूड़े के अधिक से अधिक उपयोग के लिए एक परियोजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत खाल, हड्डियों, चर्बी तथा रक्त से लाभदायक चीजें बनायी जा सकती हैं । वातावरण प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। इस स्कीम को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है । तथा आवश्यक तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा गया है । वर्ष 1980-81 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

6. मल सफाई सेवाओं को सुदृढ बनाना (25 लाख रुपये)

2 लाख रुपये की लागत वाली एक स्कीम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई, 1979 में पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है । 220 लाख रुपये की एक अन्य स्कीम विचाराधीन है। इस स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य हैं:--वर्कशाप का पुनर्गठन, गन्दी बस्तियों में तथा जे. जे. पुनर्वास बस्तियों में ठोस तथा तरल अवशिष्ट का यन्त्रीकरण, सीवर तथा नालियों की देखरेख, क्षेत्रीय वर्कशापों का निर्माण करना तथा सफाई निरीक्षकों के कार्यालयों और सीवरों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करना ।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण तथा समाजशास्त्रीय परिवर्तनों के कारण शहरों के ठोस तथा तरल अवशिष्ट के प्रबन्ध को यंत्रीकृत करना आवश्यक है । स्कीम में कुछ ऐसे उपकरणों की व्यवस्था की गयी है जो इस देश में ही बनाये जा रहे हैं । वर्ष 1980-81 में इसस्कीम के लिए 25 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

नयी दिल्ली नगर पालिका

1. सांख्यिकीय एकक को सुदृढ़ बनाना (1.00 लाख रुपये)

नयी दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग का मौजूदा सांख्यिकीय एकक केवल महत्वपूर्ण घटनाओं के पंजीकरण का कार्य करता है । अतः इस एकक को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है ताकि वह नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में होने वाली चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी घटनाओं की सही तथा विस्तृत जानकारी रख सके जिससे कि आगामी घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सके और छूत की बड़ी बीमारियों तथा अन्य किसी घटना के खतरे को रोका जा सके । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों पर होने वाले व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

2. सफाई कार्य का यंत्रीकरण (2.50 लाख रुपये)

पांचवी योजना के दौरान कुछ ऐसे उपकरण खरीदे गये जिनसे सफाई-कर्मचारियों के शारीरिक श्रम को कम करने, क्षेपण भूमि के सही रख-रखाव, गहरी सीवर लाइनों की सफाई तथा फौगिंग और छिड़काव मशीनों को चलाने में मदद मिली । अब छठी योजना के अन्तर्गत ऐसे उपकरण, जिनके द्वारा घर-घर जाकर कूड़ा उठाया जा सके तथा सीवर के पानी को निकाला जा सके तथा गहरी सीवर लाइनों की सफाई के लिए सफाई मशीन आदि खरीदने का प्रस्ताव है जिसके लिए 11.97 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1980-81 के लिए 2.31 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 1.71 लाख रुपये उपकरणों की खरीद के लिए है ।

जन स्वास्थ्य एवं सफाई व्यय

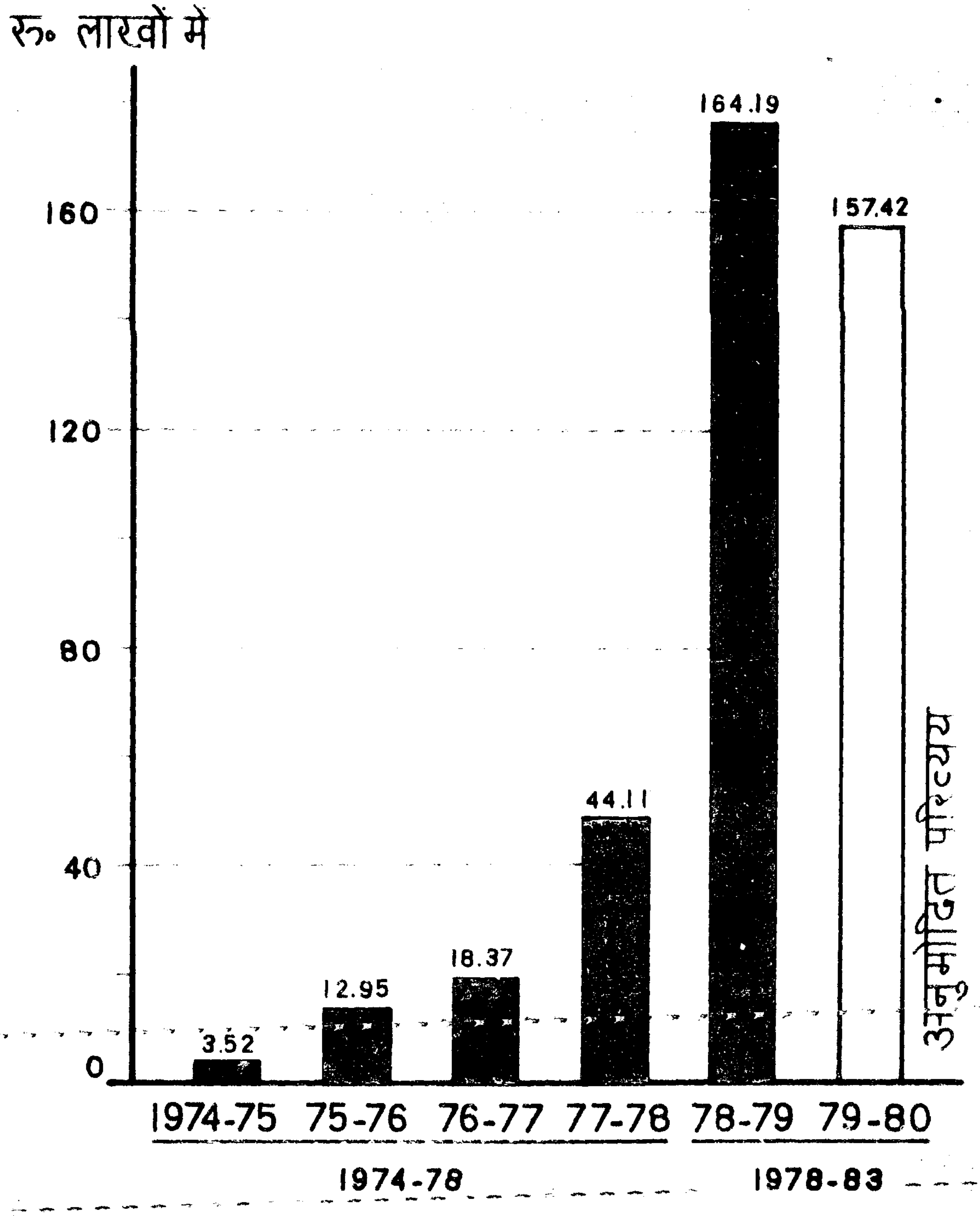

3. नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेपण भूमि का विकास (1.00 लाख रुपये)

पालिका क्षेत्र से लाये गये कूड़े को जिस भूमि पर फेंका जाता है, उसके निवास की यह स्कीम पहले से ही चल रही है जिसका उद्देश्य विद्यमान अस्वास्थ्य कर स्थितियों को दूर करना तथा अच्छी भूमि के साथ इस भूमि का समुचित विकास करना तथा पौधे आदि लगाने के लिए इसका उपयोग करना है। छठी योजना के अन्तर्गत इसके लिए कुछ स्वीकृत परिव्यय 5.00 लाख रुपये हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

4. स्वास्थ्य-सेवा एकक का विस्तार (0.50 लाख रुपये)

नयी दिल्ली नगर पालिका का मौजूदा स्वास्थ्य शिक्षा एकक स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियां चला रहा है। यह एकक एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अधीन है जिसकी सहायता सामाजिक कार्यकर्ता, चलचित्र प्रदर्शन, तथा मानचित्रकार व कलाकार करते हैं। मौजूदा कर्मचारी दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम द्वारा उन एहतियाती उपायों को प्रदर्शित करके समझाते हैं जिनके द्वारा छूत के रोगों को फैलाने वाली अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आदतों पर फिल्मों का आयोजन किया जाता है।

छठी योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि वांछित तकनीकी/गैर-तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके तथा उपकरणों की संख्या में वृद्धि करके स्वास्थ्य शिक्षा एकक को सुदृढ़ बनाया जाये ताकि अपेक्षित उद्देश्य के लिए प्राप्त सहायता का पूरा लाभ उठाया जा सके। वर्ष 1980-81 में इस उद्देश्य के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

5. कूड़ा हटाने के कार्य में सुधार सम्बन्धी स्कीम (6.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के लिए योजना आयोग ने छठी योजना के दौरान 15.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत भीड़-भाड़ वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा राजनयिक मिशनों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नयी कालोनियों में नयी किस्म के पक्के कूड़ा घर बनाने का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और मौजूदा कूड़ा घरों में जो कूड़ा लाया जाता है वह इनके आसपास बिखरा रहता है या पास की नालियों में पड़ा रहता है। इससे बहुत अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इन स्थलों की अनुमानित संख्या 400 है, जहां पर कूड़ा घर बनाने पर संभवतः 4.00 लाख रुपये खर्च होंगे।

एक अन्य प्रस्ताव कूड़ा हटाने वाले मौजूदा वाहनों की दशा सुधारने से सम्बन्धित है। विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों के बन जाने तथा बहुमंजलीय भवनों वाली नयी कालोनियां बन जाने से इनका कार्य बहुत बढ़ गया है। यहां दिन में दो बार सफाई बहुत आवश्यक हो गयी है। इन वाहनों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है। छठी योजना के योजना प्रावधानों से केवल 5 और वाहनों की व्यवस्था की जा सकती है। इस कार्य के लिए वर्ष 1980-81 में 6 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

जल-सप्लाई तथा सीवर

इस सेक्टर के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जल-सप्लाई (ग्रामीण तथा शहरी) तथा सीवर सुविधायें प्रदान करने तथा बाढ़-विरोधी कार्य करने सम्बन्धी स्कीम क्रियन्वित की जाती है। नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और वितरण का कार्य दिल्ली नगर निगम का जल आपूर्ति तथा मलव्ययम संस्थान करता है, जबकि नयी दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली कैंट क्षेत्रों के लिए यह संस्थान भारी मात्रा में पानी की सप्लाई करता है। इन क्षेत्रों में पानी के वितरण का कार्य स्थानीय निगम स्वयं करते हैं। लेकिन मल को एकत्र करने का कार्य तथा शोधन कार्य संस्थान के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष 1978--83 की छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने जल सप्लाई तथा सीवर-स्कीमों हेतु 8,100.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। पांचवी योजना अर्थात 1974--78 में 4179.19 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में किये गये वास्तविक व्यय को यहां दर्शाया गया है:--

(लाख रु० में)

उपशीर्ष एजेंसी	वास्तविक व्यय 1974--78	स्वीकृत परिव्यय 1978--83	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 वास्तविक व्यय
1. जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान	3985.96	7700.00	1170.00	1360.85
जल सप्लाई तथा सीवर				
2. न०दि०न०पा० जल सप्लाई तथा सीवर तथा बाढ़ विरोधी कार्य	193.23	400.00	41.77	44.55
योग	4179.19	8100.00	1211.77	1405.40

जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों को नीचे दर्शाया जा रहा है:--

जल-आपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान

जल सप्लाई

दिल्ली में पानी संबंधी जरूरतें यमुना के जल को चन्द्रावल, वजीराबाद, ओखला तथा हैदरपुर स्थित फिल्टरेशन प्लानों द्वारा साफ करके पूरी की जाती है। इसके अलावा विभिन्न बस्तियों में रेनी कुएं तथा ट्यूबवैल स्थापित करके पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है।

जल-सप्लाई संबंधी विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 7700.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। छठी योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसका उद्देश्य संरक्षित जल-सप्लाई को 253 एम. जी. डी. से बढ़ा कर 454 एम. जी. डी करना है। इस लक्ष्य को हैदरपुर में हाल ही में स्थापित किये गये 10(एम. जी. डी. जल-सप्लाई संयंत्र को पूरी तरह से चालू करके और उत्तरी शाहदरा में एक अन्य 100 एम. जी. डी. संयं स्थापित करके तथा रेनी कुएं और ट्यूबवैल स्थापित करके प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

वार्षिक योजना 1979-80

इस कार्यक्रम के लिए 1979-80 की वार्षिक योजना 1232.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया, जिस से 1226.91 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी है। हैदरपुर में 100 एम. जी. डी. जल शोधन संबंधी स्की लगभग पूरी होने वाली है। इस संयंत्र में 50 एम. जी. डी जल सप्लाई का कार्य भी तैयार है, लेकिन यह सप्लाई हरि याणा सिंचाई विभाग द्वारा उपनिकास की व्यवस्था न कि जाने के कारण संभव नहीं हो पा रही है। उत्तरी शाहदरा 100 एम. जी. डी. क्षमता वाले जल-शोधन संयंत्र का बन का कार्य मैसर्स एन. बी. बी. सी. को दिया गया है। वास में, हैदरपुर संयंत्र के दूसरे फेज के पूरे हो जाने से जल सप्ला की जल-प्रवेश क्षमता 303 एम. जी. डी. हो गयी है प्रस्तावित 6 रेनी कुओं को स्थापित करने के बाद 1980-8 में क्षमता में 18 एम. जी. डी. की वृद्धि की आशा है वर्ष 1979-80 में 12 गांवों को पाइप द्वारा पानी की सप्ला का कार्य पूरा किया गया। इस वर्ष दुर्गम तथा सुगम गांवों पानी की पाइप द्वारा सप्लाई का प्रस्ताव है।

वार्षिक योजना 1980-81

वर्ष 1979-80 में हुए 1225.91 लाख रुपये के व्यय तुलना में, वर्ष 1980-81 में जल-सप्लाई विभिन्न स्कीमों लिये 1325.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। प्रस्तावित स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:--

1. हैदरपुर में 100 एम. जी. डी. जल-शोधन सं (30 लाख रुपये)

स्कीम पर आने वाली कुल अनुमानित लागत 1201 रुपये है। हैदरपुर में 100 एम. जी. डी. संयंत्र के नि का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जिसमें 50 एम. जी. पानी की सप्लाई 1977-78 में शुरू की जा चुकी है तथा 50 एम. जी. डी. जल की सप्लाई का कार्य भी तैयार है। यह सप्लाई हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा उपनिकास की व्य स्था किये जाने के फौरन बाद शुरू कर दी जायेगी। वर्ष 19 80 में हुए 57.08 लाख रु. के व्यय की तुलना में 1980-81 में 30.00 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत कि गया है, जो मुख्य रूप से इस संयंत्र के पास कर्मचारी क्वार्ट निर्माण तथा बिलों को अन्तिम रूप से निपटाने के सिलसि ठेकेदार की बकाया राशि को अदा करने के लिए है।

जल पूर्ति एवं मल निष्काशन

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

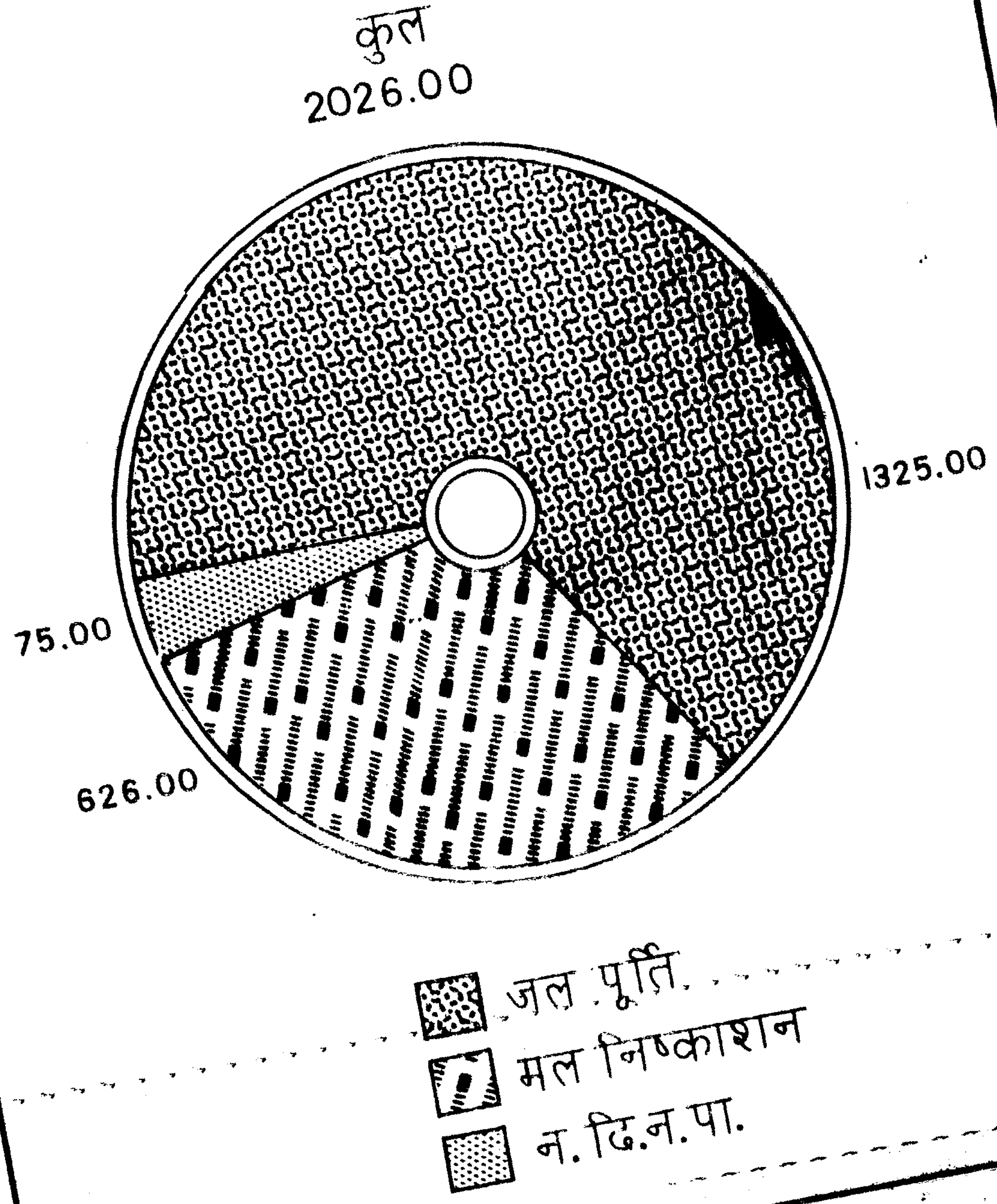

2. हैदरपुर संयंत्र में मुख्य वितरण लाइनों तथा जलाशय (70 लाख रु.)

हैदरपुर में 100 एम. जी. डी. जल शोधन संयंत्र के चालू हो जाने के फलस्वरूप पम्पिंग स्टेशनों से नगर के विभिन्न भागों में वितरण लाइनें बिछाई जा रही हैं। मुख्य वितरण लाइनें बनाने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार है :---

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(क) पुराने शहरी इलाके तथा मिन्टो रोड कम्पलैक्स के लिए जल सप्लाई स्कीम	66.90
(ख) मादीपुर ओवर हैड टैंक से वितरण	17.60
(ग) अजय एन्क्लेव तथा सुभाष नगर ओवर हैड टैंक से वितरण	30.70
(घ) स्याला जलाशय से नारायणा को मुख्य वितरण लाइन	21.20
(ङ) स्याला फेज 2 से वितरण व्यवस्था	17.00
(च) सिविल लाइन्स क्षेत्रों के लिए वितरण व्यवस्था	34.20
योग	340.60

इन स्कीमों पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है। वर्ष 1979-80 में हुए 58.15 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में 70.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

3. नहर का पंक्तिकरण (लाइनिंग आफ कैनाल) (35.00 लाख रुपये)

पश्चिमी यमुना नहर के पंक्तिकरण की स्कीम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इसकी अनुमानित लागत 608 लाख रुपये है, जिसमें दिल्ली का हिस्सा 456.19 लाख रुपये तय किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा को जो निधियां दी गयी हैं उनका वर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है:--

वर्ष	दी गयी धन राशि (लाख रुपयों में)
1971-72	5.00
1972-73	195.00
1973-74	150.00
1974-75	62.00
1975-76	--
योग	412.00

गैर वर्षाकालीन मौसम में यमुना का जल स्तर कम हो जाता है। इस मौसम में चन्द्रावल के मौजूदा शोधन संयंत्रों को पूर्वी यमुना नहर से यमुना नदी तक पंक्तिबद्ध करने का प्रस्ताव है। चूंकि यह कार्य गुड़गांव नहर के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा पानी लाये जाने के कार्यों से जुड़ा है, अतः यह प्रस्ताव निपटाये जाने के लिए हरियाणा सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 35.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

4. कच्चा पानी वाहक लाइन (300.00 लाख रुपये)

यह स्कीम उत्तरी शाहदरा में 100 एम. जी. डी. जल शोधन स्थापित करने के बारे में है, जिसके अन्तर्गत रामगंगा परियोजना के पूरे हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से कच्चा पानी लिया जायेगा। शाहदरा जल-शोधन संयंत्र के लिए कच्चा पानी लाने के लिए जल-वाहक लाइन बनाने का कार्य दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 845.00 लाख रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को पहले ही अदा की जा चुकी है। गंगनहर में जिस स्थान से यह कच्चा पानी वाहक लाइन शुरू होती है, वहां कौस रेगूलेटर बनाने के लिए 12-00 लाख रुपये की धनराशि उत्तर-प्रदेश विभाग को दी गयी है। 1979-80 में किये गये 198-00 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में 80.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। यह धनराशि इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी जायेगी।

5. उत्तरी शाहदरा में 100 एम. जी. डी. जल शोधन संयंत्र (545-00 लाख रुपये)

उत्तरी शाहदरा में 100 एम. जी. डी. जल शोधन संयंत्र बनाने का कार्य अक्तूबर, 1979 में मैसर्स एन. बी. सी. सी. को दिया गया था। इसके लिए 361 बीघे जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से 145 बीघे जमीन दे दी गयी है। इस परियोजना के लिए आवश्यक बकाया जमीन को लेने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के लिए स्वच्छ पानी के पम्पों की सप्लाई और उन्हें बनाने का कार्य भी सौंप दिया गया है। यह कार्य 125.20 लाख रुपये का है। इस शोधन संयंत्र के लिए मुख्य पम्पिंग लाइन बनाने के लिए आवश्यक आर. सी. सी. पाइपों और स्पेशल्स आदि की सफाई का 4.71 लाख रुपये का कार्य भी सौंप दिया गया है और यह सफाई शुरू हो गयी है। इस स्कीम के कार्य को 1982-83 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के शुरू हो जाने के बाद पूर्वी तथा दक्षिणी शाहदरा के कमी वाले क्षेत्रों तथा एन. डी. एस. जोन में कैलाश जलाशय, एन. डी. सी. जोन में ओखला जलाशय तथा नयी दिल्ली नगर पालिका को पानी सप्लाई की जायेगी। वर्ष 1979-80 में 275.62 लाख रुपयों की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 1980-81 में इस बड़ी स्कीम के लिए 545.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

6. मुख्य वितरण लाइन तथा जलाशय (100.00 लाख रुपये)

यह स्कीम शाहदरा में 100 एम. जी. डी. संयंत्र के निर्माण के बारे में है। शाहदरा संयंत्र से जल सफाई के समुचित वितरण के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी शाहदरा ओखला और किलोकरी में मुख्य वितरण लाइन बनाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अन्तर्गत ओखला वितरण स्कीम तथा किलोकरी वितरण स्कीम पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। 187.00 लाख रुपये की लागत वाली ओखला वितरण स्कीम फेज-2 तथा लगभग 84 लाख रुपये की लागत पर नारायणा से कीर्ति जलाशय में पानी की

सप्लाई में वृद्धि का कार्य भी 1980-81 में शुरू किया जायेगी । वर्ष 1979-80 में हुए 44.73 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 100.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

7. विभिन्न क्षेत्रों में पुराने वितरण प्रणाली को बदलना (25.00 लाख रुपये)

कुछ इलाकों, विशेषकर पुराने शहर जी. पी. क्षेत्र, करोल बाग क्षेत्र और सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ हिस्सों में वितरण प्रणाली काफी पुरानी हो गयी है जिससे इन बस्तियों की जरूरत पूरी नहीं की जा सकती। पानी के दबाव में सुधार करने तथा उसके वितरण को सम बनाने के लिए इन क्षेत्रों की वितरण प्रणाली को ठीक करना आवश्यक है। वितरण प्रणाली का एम कम्प्यूटर मॉडल बनाने और इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में सुधार के उपाय करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1979-80 में किये गये 37.35 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। ....

8. मौजूदा संयंत्रों/वर्क्स में सुधार (15.00 लाख रु.)

मौजूदा जल सप्लाई संयंत्र तथा अन्य संस्थापित यंत्र काफी पुराने हो गये हैं । अतः उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है । शहर के विभिन्न भागों में पम्प तथा सप्लाई किये गये पानी की मात्रा का सही सही पता लगाने के लिए बेकार पड़े बहुत से मीटरों को बदलने की आवश्यकता है । वर्ष 1979-80 में हुए 29.00 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

9. रैनी कुएं तथा ट्यूबवैल (105 लाख रुपये)

उत्तरी शाहदरा शोधन संयंत्र को तैयार करने में अभी समय लगेगा जबकि शाहदरा क्षेत्र में पानी की मांग बढ़ रही है। अतः इस अतरिम मांग को पूरा करने के लिए 6 रैनी कुएं शीघ्र बनाने होंगे।

रैनी कुओं के निर्माण के लिए निविदायें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी जांच की जा रही है । बिजली तथा मैकेनिकल कार्यों सहित एक रैनी कुएं पर 23.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । रैनी कुओं के निर्माण के साथ-साथ, संयोजक मुख्य नाली बनाने जैसे सहयोगी कार्य भी करने होंगे जिन पर 60.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन 6 कुओं को बनाकर वर्ष 1980-81 में जल सप्लाई में 15 एम. जी. डी. की वृद्धि की जा सकेगी ।

वर्ष 1979-80 में किये गये 10.19 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 के लिए 105.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

10. जल सप्लाई के लिए मास्टर प्लान बनाना (5.00 लाख रुपये)

मास्टर प्लान बनाने के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों के अनुसार यह सुझाव दिया गया है कि विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक कक्ष बनाया जाये । यह कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना था, लेकिन यह कार्य दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान को दिया गया । यह कार्य, सहायतार्थ अनुदान के अन्तर्गत किया जाना था । पानी की सप्लाई के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान को सहायतार्थ अनुदान देने को भारत सरकार राजी नहीं हुई । स्थानीय स्वाशासन विभाग ने यह मामला भारत सरकार के साथ फिर उठाया है, और यह दलील दी है कि ऐसी ही स्थिति में सरकार दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन की स्कीम के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सहायतार्थ अनुदान देने के लिए राजी हो गयी है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 5.00 लाख रुपयों का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

11. कर्मचारी क्वार्टर तथा कार्यालय स्थल (15.00 लाख रुपये)

वजीराबाद तथा शादीपुर में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का कार्य चल रहा है । इसके साथ ही, इन क्वार्टरों के लिए जमीन को सुधारने, सीवर तथा पानी की सप्लाई की व्यवस्था भी इसी वर्ष के दौरान करनी पड़ेगी । वर्ष 1979-80 में हुए 24.58 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस कार्य के लिए 15.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

12. शाहदरा संयन्त्र के लिए उप-मुख्य वितरण लाइन (50.00 लाख रुपये)

शोधन कार्य की मुख्य स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों को जल वाहक लाइन से पानी का वितरण किया जायेगा । अतः विभिन्न कालोनियों को पानी की सप्लाई के लिए ओवर हैड टैंकों तथा जलाशयों से उप-वितरण लाइनों की व्यवस्था करने पड़ेगी। वर्ष 1980-81 के दौरान शाहदरा क्षेत्र में ओवर हैड टैंक का निर्माण करने तथा मुख्य लाइनें बनाने के लिए पाइप खरीदने का कार्य शुरू किया जायेगा। वर्ष 1980-81 के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

13. ग्रामीण जल सप्लाई न्यू. आ. का. तथा अन्य सामान्य स्कीमें (2350.00 लाख रुपये)

जल सप्लाई की व्यवस्था के लिए, 221 गांवों, जिनकी कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) 3.75 लाख है, को ग्रामीण इलाके में स्थित गांव माना गया है। 24 गांव दिल्ली मास्टर प्लान की शहरी हदों में आ गये हैं, अतः उन्हें ग्रामीण जल-सप्लाई कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है । इन 24 गांवों की जनसंख्या 50,000 है । इस प्रकार (1971 की जनगणना के अनुसार) 245 गांवों की कुल जनसंख्या 4,25,000 थी । इसके अलावा नरेला, नजफगढ तथा महरौली तीन कस्बे हैं जिनकी 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 440,000 है। 1972 में गांवों की जो सूची बनायी गयी थी, उसमें इन 245 में से 145 गांवों को शामिल किया गया था । ग्रामीण जल सप्लाई के लिए जो गांव लिए गये हैं उसमें 3 दुर्गम गांवों को और शामिल किया गया है । इस प्रकार दुर्गम गांवों की कुल संख्या 148 है। बाकी 97 गांव सुगम गांव हैं और वहां भूमिगत पानी उचित गहराई पर मिल जाता है। गांव को पांच विकास खण्डों में इस प्रकार बांटा गया है:—

विकास खण्ड	कुल गांव	दुर्गम गांव	सुगम गांव	गांव जिसको सप्लाई 1-4-78 तक पानी की पाइपों द्वारा सप्लाई शुरू कर दी गई	
				सुगम गांव	दुर्गम गांव
1	2	3	4	5	6
1. नजफगढ़	58	54	14	12	6
2. कन्झावला	52	49	3	6	3
3. अलीपुर	59	45	14	2	14
4. महरौली	21	—	31	—	12
5. शाहदरा	55	—	35	—	6
योग	245	148	97	20	41

इस प्रकार, 1978-79 के आरंभ में ऐसे 128 दुर्गम गांव (1972 की सूची में दिये गये 125 गांव तथा 3 बाद में दिये गये गांव) तथा 56 सुगम गांव थे जिन्हें पाइप द्वारा पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी । वर्ष 1978-79 के दौरान 11 दुर्गम गांवों तथा 1 सुगम गांव को पाइप द्वारा पानी की सप्लाई शुरू की गयी । इस प्रकार 1-4-79 को ऐसे 117 दुर्गम गांव तथा 55 सुगम गांव शेष रह गये जिनको पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1979-80 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्गम गांवों के लिए 200.00 लाख रुपये के परिव्यय तथा ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सुगम गांवों के लिए 18 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी । इस वर्ष के दौरान 25 दुर्गम गांवों तथा 4 सुगम गांवों के लिए जल सप्लाई की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1979-80 के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई (न्यू. आ. का.) तथा ग्रामीण जल सप्लाइ (सी.) कार्यक्रमों पर 164.37 लाख रुपये का व्यय किया गया तथा 4 गांवों में जल-सप्लाई की व्यवस्था की गयी । पाइपों तथा फील्ड कर्मचारियों की व्यवस्था न होने के कारण कार्य में प्रगति धीमी रही । अब पाइप प्राप्त हो गये हैं और बकाया कार्य के लिए निविदाओं की जांच की जा रही है। नजफगढ़ विकास स्कीम अनुमानित लागत 295.00 लाख रुपये में 40 गांवों के लिए अलग अलग अनुमान तकनीकी तौर पर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं । वर्ष 1980-81 के दौरान 48 दुर्गम गांवों 16 सुगम गांवों को जल-सप्लाई करने का प्रस्ताव है । इसके लिए 250.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें से 200.00 लाख रुपये ग्रामीण जल सप्लाई (न्यू. आ. का.) तथा 50.00 लाख रुपये ग्रामीण जल सप्लाई (सामान्य) स्कीम के लिए हैं।

सीवर तथा नाली

मल तथा उद्योगों के कूड़े को एकत्र करने/निकालने तथा शोधन करने और उसे निपटाने के लिए दिल्ली जैसे महानगर में समुचित सीवर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वातावरण और नदी के जल को प्रदूषण से बचाया जा सके । सीवर सम्बन्धी सुविधायें जल सप्लाई सम्बन्धी सुविधाओं से पिछड़नी नहीं चाहिए । ये सुविधायें एक साथ प्रदान की जानी चाहिए । दुर्भाग्य से दिल्ली में ऐसा नहीं हो सका । वर्ष 1978-79 के अंत में जल-सफाई की संस्थापित क्षमता 263 एम. जी. डी. थी । इसके लिए जल-सफाई के 80 प्रतिशत की दर पर सीवर संयंत्रों की क्षमता 202.40 एम. जी. डी. होनी चाहिए। लेकिन सीवर सुविधायें जल-सफाई व्यवस्था से बहुत पीछे हैं । जल-सफाई क्षमता 253 एम. जी. डी. से बढ़ा कर 425 एम. जी. डी. करने के लिए कार्य चल रहा है लेकिन इसके साथ सीवर क्षमता को 130 एम. जी. से बढ़ा कर 350 एम. जी. डी. करने की स्कीमों की अभी केवल योजना बनाई जा रही है ।

इस कार्य के बकाया रहने के कारण, मौजूदा सीवर व्यवस्था पर कार्य का बहुत दबाव है और इसकी क्षमता को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है । इस समय सभी विकसित कालोनियों में सीवर की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। 7.00 लाख की आबादी वाले पूरे शाहदरा क्षेत्र में सीवर की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । छठी योजना के पहले दो वर्षों में नये ट्रंक सीवरों का निर्माण करने, मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन बनाने तथा मौजूदा और नये शोधन संयंत्रों में वृद्धि के लिए कुछ कार्य शुरू किया गया, लेकिन इस बकाया कार्य को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है ।

वार्षिक योजना 1979-80

515 लाख रुपये के स्वीकृत योजना परिव्यय की तुलना में वर्ष 1979-80 में 138.94 लाख रुपये का व्यय किया गया । वास्तव में, 31-3-80 तक सीवर-शोधन क्षमता को 121 एम. जी. डी. से बढ़ा कर 130 एम. जी. डी. कर दिया गया था । इसके अलावा सीवर क्षमता को बढ़ाने में मुख्य सीवरों का निर्माण करने तथा पम्पिंग स्टेशन बनाने और नगर के विभिन्न भागों में मुख्य तथा उप-सीवरों की संख्या को बढ़ाने का कार्य चल रहा है। शाहदरा क्षेत्र में मुख्य-सीवर के निर्माण का कार्य चल रहा है ।

वार्षिक योजना 1980-81

जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सीवर स्कीमों के लिए वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में 425.00 लाख रुपये

का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । इस स्कीम का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-

ट्रंक सीवर (80.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए परिव्यय स्वीकृत किया गया है :-

1. मस्जिद मोठ सीवर

यह स्कीम पहले शुरू की गयी थी और पूरी होने वाली है। इस ट्रंक सीवर का व्यास 42 इंच× 48 इंच ×54 इंच है। यह एन्ड्रूज गंज दक्षिणी दिल्ली के पम्पिंग स्टेशन में गिरता है। यह सीवर पंचशील, गुलमोहर पार्क तथा आई. टी. आई. के निकटवर्ती इलाकों के मल की निकासी का कार्य करेगा।

2. विश्वविद्यालय ट्रंक सीवर

इस सीवर का कार्य पूरा होने वाला है । इस पर 55 लाख रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका है । इस सीवर का व्यास 24 इंच×39इंच×43 इंच है । यह सीवर नजफगढ़ नाले के दायीं ओर विश्वविद्यालय क्षेत्र से होकर निकाली जा रही है । यह सीवर पम्पिंग स्टेशनों से होकर अन्ततः उत्तरी दिल्ली मल शोधन संयंत्र से मिलेगा । पूरा हो जाने पर यह सीवर 30 क्यूसेक की अधिकतम निकासी को संभालेगा तथा मौजूदा 48" व्यास पर दबाव कम होगा । उत्तरी ट्रंक सीवर पर बहुत दबाव है तथा सीवर का पानी बह कर नजफगढ़ नाले में जाता है।

3. मदनगीर ट्रंक सीवर

यह कार्य हाल ही में शुरू किया गया है । इससीवर का व्यास 42"×48" है । यह सामान्य सीवर है तथा दि. वि. प्रा. विकास क्षेत्र तथा नगर निगम क्षेत्रों से मल की निकासी करेगा । ये सीवर के लो. नि. वि. द्वारा विकसित किये जा रहे महरौली बदरपुर काम्पलैक्स की गंदगी की भी निकासी करेगा । यह एन्ड्रूजगंज पम्पिंग स्टेशन से मिलेगा ।

4. पश्चिमी दिल्ली रिसीविंग सीवर

नजफगढ़ रोड का 66" व्यास वाला मौजूदा ट्रंक सीवर 68.09 क्यूसेक गंदगी की निकासी के लिए बनाया गया था । अब इस क्षेत्र का बहुत विकास हो गया है और यहां की आबादी बढ़ गई है । अतः इस सीवर पर दबाव बढ़ गया है । मौजूदा सीवर पर इस दबाव को कम करने के लिए 66"×72" व्यास वाला 4100 मीटर लम्बा एक नया सीवर बनाने का प्रस्ताव है । यह सीवर केशोपुर शोधन संयंत्र से मिलेगा । यह सीवर 62.477 क्यूसेक की अधिकतम निकासी के लिए है।

5. नजफगढ़ नाला ट्रंक सीवर

3.37 लाख रुपये की लागत पर 'सी' पवांइट से केशोपुर शोधन संयंत्र तक एक 1800 मि. मि. व्यास का सीवर पहले ही डाला जा चुका है । इसकी लम्बाई 933 मीटर है । पश्चिम पुरी में तथा रोहतक रोड हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा तथा मादीपुर डैवेलपमेन्ट में जो विकास कार्य हो रहा है, उसे देखते हुए, इस सीवर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है । इसलिए 1800×1600×1400×1200 1000 700 मि. मि. व्यास का 8000 मीटर लम्बा सीवर डालने का प्रस्ताव है। यह सीवर रोहतक रोड तथा नजफगढ़ ड्रेन में चौराहे से बाहरी रिंग रोड तक होगा। यह सीवर 74.25 क्यूसेक की अधिकतम निकासी के लिए होगा । इस स्कीम को भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने तकनीकी तौर पर स्वीकृत कर दिया है।

6. माडल टाउन सीवर

माडल टाउन की सीवर व्यवस्था बहुत शोचनीय है । इस व्यवस्था में परिवर्तन करने तथा निकटवर्ती कालोनियों से मल की निकासी के लिए नया बाह्य सीवर डालने का प्रस्ताव है ।

7. रिठाला शोधन संयंत्र अन्तर्गत सीवर

उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सीवर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिठाला गांव के नजदीक एक संयंत्र बनाया जा रहा है। रिठाला शोधन के अन्तर्गत जो क्षेत्र लाये जायेंगे वे हैं:- शालीमार बाग, प्रीतम पुरा, सराय रोहिल्ला क्षेत्र का कुछ हिस्सा तथा करोल बाग क्षेत्र का कुछ हिस्सा । इस स्कीम के अन्तर्गत पम्पिंग स्टेशनों तथा ट्रंक सीवरों की व्यवस्था की जायगी ।

शालीमार पम्पिंग स्टेशन (जिन्हें प्रीतम पुरा में एच-5 क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव है) से रिठाला शोधन संयंत्र तक 90"× 102" आकार का 1680 मीटर लम्बा ट्रंक सीवर डालने का प्रस्ताव है । इस ट्रंक सीवर का आकार इसलिए बड़ा रखा गया है, क्योंकि भारत नगर पम्पिंग स्टेशन के मल को भी इस ट्रंक सीवर में डाला जायेगा ।

8. सराय रोहिल्ला से भारत नगर तक ट्रंक सीवर

पुरानी रोहतक रोड तथा रेलवे लाइन से घिरे इलाके में फिलहाल सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है । यहां आन्तरिक तथा ट्रंक सीवर डाले जाने की आवश्यकता है। इस पूर्ण क्षेत्र में आन्तरिक सीवर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की स्कीम के अन्तर्गत डाला जायेगा। 18"×24"× 23"×12" व्यास के आकार में तथा 4000 मीटर लम्बा सीवर भारत नगर पम्पिंग स्टेशन तक ले जाया जायेगा । यह सीवर 19.56 क्यूसेक की अधिकतम निकासी के लिए होगा।

9. रिंग रोड पर नारायणा विहार सीवर

रिवाड़ी रेल-लाइन से शुरु होकर मौजूदा नजफगढ़ रोड ट्रंक सीवर में गिरने वाला रिंग रोड पर बना 30"×42" आकार वाला मौजूदा सीवर 16.80 क्यूसेक निकासी के लिए बनाया गया है । पूर्ण क्षेत्र में विकास तथा नजदीक ही मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र बन जाने के कारण छठी योजना के दौरान और सीवर डालना पड़ेगा । अतः इसके लिए धनराशि के प्रावधान का प्रस्ताव है ।

10. लोवर बेला रोड सीवर

निचली बेला रोड का 15"×18" आकार का मौजूदा सीवर, जो निगम बोध घाट स्टेशन से मिलता है, पर्याप्त नहीं है । पम्पिंग स्टेशन तक 600×700×300 मि. मी. व्यास का 1330 मीटर लम्बा सीवर डालने का प्रस्ताव है । यह सीवर 7.21 क्यूसेक की अधिकतम निकासी के लिए है और इस पर कार्य चल रहा है । वर्ष 1980-81 में इस कार्य के लिए 80.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

2. मल शोधन संयंत्र (155.00 लाख रुपये)

इस स्कीम के अन्तर्गत 150 लाख रु. की लागत पर 22 एम. जी. डी. ओखला संयंत्र में वृद्धि का कार्य सौंप दिया गया है । 150 लाख रु. की लागत पर शाहदरा मल शोधन संयंत्र के लिए निविदायें प्राप्त हो गई हैं और इस कार्य को सौंपने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

केशोपुर में 40 एम.जी डी. संयंत्र के विस्तार तथा ओखला में शोधन क्षमता को बढ़ाकर 125 एम. जी. डी. करने की

स्कीम तैयार कर ली गई है । इन स्कीमों पर होने वाला अनुमानित व्यय 1200 लाख रुपये है । प्रस्तावित रिठाला शोधन संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण आदि पर कुछ व्यय हो सकता है । वर्ष 1979-80 में हुए 32.66 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इन कार्यों के लिए 155.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

3. पम्पिंग स्टेशन तथा मुख्य लाइन बनाना (100.00 लाख रु.)

बहुत गहरे सीवरों से बचने के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन बनाना तथा मुख्य लाइन बनाना जरूरी है। दक्षिणी दिल्ली में एन्ड्रूज गंज पम्पिंग स्टेशन तथा शाहदरा में प्रीतमनगर पम्पिंग स्टेशन पर कार्य पहले ही चल रहा है । विश्वविद्यालय क्षेत्र तथा माडल टाउन क्षेत्र के नये पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के लिये निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन के लिये नये पम्पिंग सैटों की व्यवस्था करने के कार्य के लिये निविदायें प्राप्त हो गयी हैं । भारतनगर तथा जामिया मिलिया में पम्पिंग स्टेशन बनाने की स्कीम तैयार हो गयी है। इन स्कीमों पर 122 लाख रुपये की लागत आयेगी । वर्ष 1979-80 में किये गये 43.44 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में 100.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

4. शाहदरा सीवर स्कीम (100 लाख रुपये)

शाहदरा 4 क्षेत्रों में बंटा है । 3 मुख्य सीवर, 2 लिफ्ट पम्पिंग स्टेशन तथा मुख्य लाइन बनाने का कार्य इस क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है । गांधीनगर, गीताकालोनी, कृष्णनगर और शाहदरा नगर वाले क्षेत्र-3 में ट्रंक सीवर डालने का कार्य चल रहा है । ट्रंक सीवर संख्या 5 की लम्बाई को बढ़ाकर 1524 मीटर करने पर 56 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस स्कीम के अन्तर्गत गीता कालोनी में एक पम्पिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है । क्षेत्र 4 में 60 इंच व्यास के सीवरों के विस्तार की भी आवश्यकता पड़ेगी । वर्ष 1979-80 में किये गये 10.99 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में 100 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

5. ओखला से हरियाणा बार्डर तक अपगामी जलधारा (1.10 लाख रुपये)

इस स्कीम के अन्तर्गत ओखला के समीप अपगामी जलधारा के कच्चे पानी के बदले हरियाणा सरकार को देने का प्रस्ताव है । अपगामी जलधारा के उपयोग तथा उसके बदले में कच्चा पानी लेने के लिये दिल्ली प्रशासन हरियाणा राज्य के साथ कार्यवाही कर रहा है । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिये 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

6. ब्रांच सीवर तथा पुराने/छोटे आकार के सीवरों को बदलना (30 लाख रुपये)

पुराने शहर तथा अन्य क्षेत्रों में जल सप्लाई में वृद्धि के कारण यहां के सीवरों को बदले जाने की आवश्यकता है । विभिन्न क्षेत्रों के ब्रांच सीवरों के लिए निविदायें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं । इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता है । कार्य के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं । इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 1980-81 में 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है । वर्ष 1979-80 में 23.12 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

7. रिहायशी स्थान, गोदाम, प्रयोगशा. स्टोर इत्यादि (10 लाख रु.)

एक सर्वेक्षण के अनुसार शोधन संयंत्रों और पम्पिंग स्टेशनों के समीप आवश्यक कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित टाइपों के क्वार्टरों की आवश्यकता है:—

टाइप-1—40 क्वार्टर

टाइप-2—40 क्वार्टर

टाइप-3—18 क्वार्टर

अतिरिक्त स्टोर्स, गोदाम तथा पम्पिंग स्टेशनों/संयंत्रों पर गंदे पानी की क्वालिटी को मानिटर के लिए उपकरणों से पूरी तरह से युक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता है । क्वार्टरों तथा स्टोरों के लिए 200 लाख की धनराशि की जरूरत पड़ने का अनुमान है । 1979-80 में हुए 1.87 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 के लिए 10.00 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

8. स्टोर्म वाटर निकासी नालियां (25 लाख रु.)

रिंग रोड के साथ साथ तथा राज गार्डन के सामने स्टोर्म वाटर नालियां बनाने के अनुमानों को दिल्ली प्रशासन की तकनीकी कार्य समिति द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है । इन स्कीमों पर आने वाली कुल लागत 32 लाख रुपये है । इस लागत का कुछ हिस्सा इसके विभिन्न लाभ प्राप्त कर्ता देंगे । पंचकुइयां रोड पर लाइनों के संकुलन को दूर करने के लिए एक स्कीम बनाई गयी । इस पर 20 लाख रु. की लागत आयेगी । इसके अलावा विभिन्न नालों का फिर से माडल तैयार करने का कार्य भी किया जायेगा । वर्ष 1979-80 में किये गये 9.992 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-80 के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

9. बाढ़ विरोधी कार्य (10 लाख रुपये):

रेंडडी समिति ने बाढ़ विरोधी जिन कार्यों की सिफारिश की है, उन्हें पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इस परिव्यय में पेय जल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुभाष नगर ड्रेन के निर्माण की स्कीम पर होने वाला व्यय भी शामिल है ।

10. मौजूदा संयंत्रों तथा पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत (15 लाख रुपये)

मौजूदा संयंत्रों तथा पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ओखला और पुराने कोशोपुर संयंत्रों की मरम्मत करने/उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है । पुरानी मशीनों को और हिस्सों को बदले जाने की आवश्यकता है अतः वर्ष 1979-80 में किये गये 5.14 लाख रुपये की व्यय तुलना वर्ष 1980-81 में 15.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

11. किलोकरी से ओखला तक ग्रेविटीडक्ट की मरम्मत (15 लाख रुपये)

मौजूदा ग्रेविटीडक्ट की मियाद पूरी हो चुकी है । 170 लाख रुपये की लागत पर नयी ग्रेविटीडक्स की व्यवस्था करने की स्कीम बनायी गयी है । यह कार्य तुरन्त शुरू किया जायेगा । वर्ष 1979-80 में किये गये 29 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में 15 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

12. ओखला में -- का उपयोग (30 लाख रुपये)

मल ...सी का उपयोग ओखला मल शोधन संयंत्र की निकटवर्ती बस्तियों में खाना पकाने के कार्यों में/के लिए किया जायेगा। इसके लिए पाईप लाइन बिछानी पड़ेगी। अतः वर्ष 1980-81 में इस कार्य के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1979-80 में 1.24 लाख रुपये व्यय किये गये।

13. यमुना नदी में प्रदूषण को रोकना (30 लाख रुपये)

यमुना नदी में कूड़ा तथा मल खुली नालियों से बहकर चला जाता है। यह कूड़ा/मल गैर-सीवर वाले क्षेत्रों तथा अपर्याप्त सीवरों से बहकर आता है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए आक्सीडेशन, पौन्ड, डीप शाफ्ट कुएं तथा अन्य शोधन व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1979-80 में किये गये 0.81 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1980-81 में 30 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

14. सूखे शौचालयों को पानी युक्त शौचालयों में बदलना (26 लाख रुपये)

पुराने शहर तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की कुछ कालोनियों में अभी भी सूखे शौचालय मौजूद हैं। लगभग 10000 सूखे शौचालयों को पानी युक्त शौचालयों में बदला जायेगा। प्रत्येक शौचालय पर 1000 रुपये व्यय होगा। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिये 25 लाख रुपये को धनराशि स्वीकृत की गयी है।

15. शाहदरा क्षेत्र में सहायक लाइनों का निर्माण

इस स्कीम के अन्तर्गत शाहदरा क्षेत्र में 13 सहायक लाइनें बनाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। 2.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह स्कीम भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1978-79 में जल-आपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान को 2.15 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी, लेकिन अब तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। बनायी जाने वाली 13 लाइनें ये हैं:

1. बलवीर नगर, 2. कैलाशनगर, 3. जी. टी. रोड, 1, 4. कृष्ण नगर, 5. कस्तूरबा नगर, 6. राधेपुरी, 7. घुरेजी, खास, 8. पटपड़गंज, 9. गीता कालोनी, 10. जी. टी. रोड-2, 11. गोकुलपुरी, 12. डेसस्ड कान्सेल 1,2,3 13. ज्योति कालोनी।

2. नयी दिल्ली नगर पालिका

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न. दि. न. पा. अपने क्षेत्र में जल-सप्लाई, सीवर तथा बाढ़ विरोधी स्कीमें क्रियान्वित करता है। इस कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 400.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्षेत्र पर वर्ष 1978-79 में 41.77 लाख रुपये व्यय किये गये। वास्तव में, महानगर केन्द्रों तथा डी. आई. जैड क्षेत्र में मुख्य वितरण नाली बनाने तथा चालू करने का कार्य किया जाता है। सीवर कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डी. आई. जैड. क्षेत्र में सीवर लाइनों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है।

वार्षिक योजना 1979-80

जल-सप्लाई, सीवरों तथा बाढ़ विरोधी कार्य संबंधी स्कीमों के लिए वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना में 100 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

स्वीकृत परिव्यय और प्रत्याशित व्यय उपशीर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

उपशीर्ष	स्वीकृत परिव्यय 1979-80	(लाख रु. में) वास्तविक व्यय
1. जल सप्लाई स्कीमें	31.00	15.50
2. सीवर स्कीमें	49.00	34.00
3. बाढ़ विरोधी कार्य	20.00	9.50
योग	100.00	59.00

1980-81 के लिए प्रस्ताव

वर्ष 1979-80 में किये गये 50 लाख रु. के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में 130.00 लाख रु. का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। प्रस्तावित परिव्यय का उपशीर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

उपशीर्ष	स्वीकृत, परिव्यय 1980-81 (लाख रु. में)
1. जल सप्लाई स्कीमें	25.00
2. सीवर स्कीमें	35.00
3. बाढ़ विरोधी कार्य	15.00
4. जल निकासी	55.00
योग	130.00

इन प्रस्तावित स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:—

क-जल सप्लाई:

1. महानगर केन्द्र में जल सप्लाई में वृद्धि (5.00 लाख रु.)

नई दिल्ली क्षेत्र के अध्ययन और उस के विकास के लिए निश्चित मार्ग निर्देश तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एन. डी. आर. ए. सी. का गठन किया। उसने महानगर केन्द्र 1, कनाट प्लेस तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का पायनियर अध्ययन किया। एन. डी. आर. ए. सी. की सिफारिशों के अनुसार इस क्षेत्र में इतनी आबादी होगी कि उस के लिए 4 एम. जी. डी. पानी की जरूरत होगी जबकि मौजूदा सप्लाई दर 1.5 एम जी डी है। अत: अन्ततः पैदा होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए जल सप्लाई स्वा में वृद्धि आवश्यक है। अतिरिक्त पानी एम जी डी तालकटोरा जलाशय से सप्लाई किया जायेगा।

एम जी डी द्वारा संकलित अतिरिक्त जरूरतों के अनुसार 83.87 लाख रूपये की एक स्कीम बनायी गयी और निर्माण तथा उसे आवास मंत्रालय के सी. पी. एच. ई. इ. ओ. द्वारा स्वीकृत कराया गया। यह तय किया गया है कि महानगर केन्द्र तथा लोधी कालोनी में आवश्यक स्टोरेज तथा बूस्टिंग व्यवस्था

से युक्त सी आई मुख्य लाइन को पानी के पुनर्वितरण के लिए मुख्य जल वाहक लाइनें बनायी जायें । कार्य चल रहा है तथा 1974–78 की अवधि के दौरान 55.97 लाख रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है । वर्ष 1979-80 में इस स्कीम के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया ।

2. डी. आई. जैड क्षेत्र में जल सप्लाई को बढ़ाना (10 लाख रुपये)

नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में कनाट प्लेस तथा डी. आई. जैड. जैसे कुछ स्थानों के तेजी से विकास के कारण मौजूदा चल लाइनें कम पड़ गयी हैं । इनमें वृद्धि की आवश्यकता है । एन. डी आर. ए. सी. ने यह सिफारिश की है कि डी. आई. जैड. क्षेत्र में पानी की बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 2.5 एम. जी. डी. साफ पानी की और सप्लाई की जानी चाहिये । इस जरूरत को पूरा करने के लिये कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है । स्कीम का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है । मार्च, 78 तक 15.78 लाख रुपये का व्यय किया गया था । इस स्कीम के दूसरे चरण को सी. पी. एच. ई. इ. ओ. ने पहले स्वीकृत कर दिया है। इस पर कार्य चल रहा है । वर्ष 1979-80 में किये गये 2.50 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस कार्य को करने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

3. हसनपुर जलाशय से मुख्य जल लाइनों में वृद्धि (2.00 लाख रुपये)

हसनपुर जलाशय के अन्तर्गत आने वाले बंगलों क्षेत्र का एन. डी आर ए. सी. पहले ही अध्ययन कर चुकी है । मास्टर प्लान की व्यवस्था के अनुसार हसनपुर जलाशय से जल सप्लाई के वितरण की व्यवस्था को नया रूप देने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इस पर मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है । स्कीम की अनुमानित लागत 50 लाख रुपये है । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

4. नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में पानी के उचित वितरण के लिए मौजूदा जल सप्लाई में सुधार (5.00 लाख रु.)

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र सहित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पानी की भारी मात्रा में सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान पर है । स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार प्रतिबन्धित समय में नई दिल्ली नगर पालिका अपने चार जलाशयों के लिए दिल्ली नगर निगम से 25 एम. जी. डी. पानी लेता है । इस प्रकार प्राप्त किये गये पानी को बाद में सी. आई. वितरण तंत्र द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों को वितरित किया जाता है । यह जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों द्वारा की जाती है । पूरी वितरण प्रणाली अंतः संबंधित है । एक टैंक में कम सप्लाई से पूरे क्षेत्र में पानी के दबाव की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है । नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में कहीं न कहीं पानी की कमी की समस्या पूरे वर्ष बनी रहती है ॥ इसके अलावा, नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो ऊंचाई पर स्थित हैं और साथ ही वहां पानी सबसे बाद में पहुंचता है । ऊपर के फ्लैटों के निवासियों के लिए पानी की समस्या बनी रहती है । मौजूदा वितरण व्यवस्था बहुत पुरानी है (40 से 50 वर्ष पुरानी) और इसकी मियाद लगभग पूरी हो चुकी है । साथ ही नई दिल्ली क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि के कारण, मौजूदा लाइनों से परेशानी पैदा होनी शुरू हो गयी है। कुछ स्थानों पर तो पानी का दबाव 10 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक गिर जाता है, जबकि मेनुअल के सी पी एच ई ई ओ के अनुसार वितरण तंत्र के किसी भी स्थान पर दबाव 17 मीटर से कम न होना चाहिए । इसलिए जरूरतों के अनुसार प्रति व्यक्ति सही उपभोग को ध्यान में रखकर न. दि. न. पा. क्षेत्र में विभिन्न निवासियों के बीच 25 एम. जी. डी. पानी के उचित वितरण के लिए जल-सप्लाई वितरण व्यवस्था को नया रूप दिये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए नागपुर की नेशनल इंजीनियरिंग एण्ड एम वायरन मेंटल इंस्टीट्यूट दोषों को दूर करके मौजूदा वितरण व्यवस्था को सुधारने की समस्या के बारे में अध्ययन कर रहा है । उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट 6 महीने में तैयार हो जायेगी । अंतिम तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस स्कीम पर 100 लाख रुपये की लागत आ सकती है । अतः वर्ष 1979-80 में किये गये 4.49 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 5.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

ख : सीवर

1. डी आई जैड क्षेत्र के सीवरों में वृद्धि (15.00 लाख रु.)

यह स्कीम पहले ही से चल रही है । मास्टर प्लान में की गयी व्यवस्था के अनुसार न. दि. न. पा. क्षेत्र के कनाट प्लेस तथा डी. आई. जैड जैसे कुछ स्थानों में तेजी से विकास को देखते हुए, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को नया रूप देना आवश्यक समझा गया है । सीवरों के अपर्याप्त आकार के कारण उन में गंदे पानी के बहकर वापस आने तथा गंदे पानी के बाहर बहने, जिससे गंदगी फैलती है, को रोकने के लिए सीवर लाइनों में वृद्धि का प्रस्ताव है । स्कीम की अनुमानित लागत 66 लाख रुपये है । पांचवी योजना में इस स्कीम के अन्तर्गत 5.64 लाख रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका है। वर्ष 1979-80 में किये गये 1.18 लाख रुपये के व्यय की तुलना में, वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 15 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

2. सीवर पम्पिंग स्टेशन का फिर से माडल तैयार करना (1.00 लाख रुपये)

न. दि. न. पा. क्षेत्र के निचले स्थानों से गंदे पानी कड़े को उठाने के लिए इस समय जयपुर हाउस तथा भारती नगर के दो सिवज पम्पिंग स्टेशन हैं । यह गंदगी ट्रंक सीवर में डाली जाती है । ये स्टेशन 40 वर्ष पहले बनाये गये थे और इनकी मियाद पूरी हो गयी है ॥ इसके अलावा क्षेत्र में पानी की आवश्यकता बढ़ जाने से गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ गयी है । अतः इन सिवज पम्पिंग स्टेशनों में विस्तार की आवश्यकता है । इनमें से एक सिवेज पम्पिंग स्टेशन के लिए 3 लाख रुपये की स्कीम स्वीकृत करा ली गयी है । स्कीम क्रियान्वित की जा रही है । जयपुर हाउस स्थित दूसरे पम्पिंग स्टेशन पर कार्य चल रहा है । इस पर 7 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । पांचवीं योजना में 2.45 लाख रुपये की धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

3. बंगलों क्षेत्र के सीवरों में वृद्धि (2.00 लाख रुपये)

बंगलों क्षेत्र के बारे में एन. डी. आर. ए. सी. ने अध्ययन पूरा कर लिया है । और इस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए निश-

चित मार्ग निर्देश तय किये हैं । उनकी सिफारिशों के अनुसार मौजूदा सीवर व्यवस्था अंततः पैदा होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है । अतः उसका समुचित विस्तार आवश्यक है । इस बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस स्कीम पर 59.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

तिलक मार्ग को बैंक लेन के साथ बने 75 व्यास 84 व्यास के मौजूदा सीवर को नया रूप देने की आवश्यकता है । यह न. दि. न. पा. क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी के एक अंश को रोकने के लिए है । मौजूदा रजिस्टर के अनुसार इस सीवर की निकासी क्षमता 100 क्यूसेक है । लेकिन इस सीवर में बहुत गाद जम गयी है और इसकी हालत बहुत खराब है । यह सीवर ईंटों का बना है तथा इसकी मियाद पूरी हो गयी है। यह सीवर शाहजहां रोड तथा पंडारा रोड पर दो बार टूट चुका है । इसे चलाने के लिये इसकी मरम्मत की जानी चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पुराने तथा बेकार सीवर के स्थान पर नया सीवर डालने के कार्य को आवश्यक समझा गया है चूंकि यह सीवर न. दि. न. पा. और दि. न. नि. दोनों के क्षेत्रों में आता है, अतः मौजूदा ट्रंक सीवर को नया रूप देने के कार्य को दि. न. नि. के साथ मिलकर किया जायेगा । बल्कि यह परियोजना दि. न. नि. द्वारा अपनी सीवर व्यवस्था तथा आन्तरिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर की जायेगी । तथापि इस सीवर के बदले में नया सीवर डालने पर होने वाली या यथानुपात लागत न. दि. न. पा. द्वारा अदा की जायेगी । आवश्यक सर्वेक्षण-कार्य किया जा रहा है । इस स्कीम पर 100.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिये 2.20 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । यह कार्य भारत सरकार की स्वीकृति मिल जाने के बाद शुरू किया जायेगा ।

5. सरकारी कालोनियों में भूमिगत टैंक का निर्माण तथा बूस्टिंग व्यवस्था (10 लाख रुपये)

सरकारी कालोनियां विशेष रूप से रिंग रोड के साथ बनी सरकारी कालोनियों के ऊपर वाले फ्लैटों में रहने वाले लोगों को गर्मी के मौसम में उस समय साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जब बिजली की सप्लाई में व्यवधान तथा कुछ अन्य दोषों के कारण दिल्ली कैंट जलाशय से पानी की सप्लाई कम हो जाती है। कभी-कभी तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि ऊपर वाले फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। विस्तृत जांच के बाद यह पता चला है कि रिंग रोड के साथ 42 इंच व्यास तथा 33 इंच व्यास की दो भिन्न मुख्य जलवाहक लाइनें हैं । 42 इंच व्यास वाली लाइनों द्वारा रिंग रोड के पार दि. न. नि. क्षेत्र के लोगों को पानी दिया जाता है जबकि 33 इंच व्यास वाली लाइन द्वारा न. दि. न. पा. क्षेत्र के लोगों को पानी दिया जाता है। मौजूदा वितरण व्यवस्था के अनुसार दोनों लाइनों के लिए दिल्ली कैंट में एक साझा जलाशय है । 42 इंच व्यास वाली दि. न. नि. की मुख्य लाइन से मिलने वाले पानी को भूमिगत तथा बूस्टिंग व्यवस्था द्वारा वितरित किया जाता है । 33 इंच व्यास वाली न. दि. न. पा. की मुख्य लाइन से मिलने वाले पानी को बाद में सीधे ही विभिन्न कालोनियों को वितरित किया जाता है । स्पष्ट है कि इस जलाशय में पानी की कमी की स्थिति में दि. न. नि. की कालोनियों में तो पर्याप्त पानी रहता है, लेकिन न. दि. न. पा. क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अतः यह अनुभव किया गया है कि पानी का उचित भंडार और बूस्टिंग व्यवस्था आवश्यक है ताकि - भूमि तल और प्रथ[म] तल पर रहने वाले लोगों को पर्याप्त दबाव से मुक्त पानी [का] समुचित वितरण किया जा सके । पांच कालोनियों अर्थात् मोती बाग, नेताजीनगर, नौरोजी नगर तथा किदवई नगर में पा[नी] की भारी कमी की समस्या लगातार बनी रहती है ।

6. आवश्यक फील्ड कार्य करने वाले कर्मचारियों के लि[ए] क्वार्टरों तथा पूछताछ कार्यालयों का निर्माण (1.0[0] लाख रुपये)

न. दि. न. पा. क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली जल सुविधा[ओं] में जल-सप्लाई महत्वपूर्ण सेवा है । इस क्षेत्र के निवासियों [की] जरूरतों के अनुसार पानी की सप्लाई के कार्य पर शीघ्र तथा का[र्य] कुशलता के साथ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । न. दि. न. पा. के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के बहुत से कार्यालय, राज[न]यिकों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों के निवा[स] स्थान तथा दूतावास शामिल हैं । यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण ह[ै] अतः सामान्य कार्य काल तथा शेष समय में साफ पानी की सप्ला[ई] को कारगर रूप से तथा प्रचुरता के साथ बनाये रखना आवश्[यक] है । इस समय न. दि. न. पा. के जल सप्लाई प्रभाग [के] बहुत कम कर्मचारी न. दि. न. पा. क्षेत्र में रहते हैं । ज[ल] सप्लाई के ठप्प हो जाने अथवा उसमें व्यवधान से उत्पन्न आप[त] स्थिति में वैकल्पित व्यवस्था करने के लिए कर्मचारियों को इ[क]ट्ठा करना पड़ता है । अतः यह अनुभव किया गया है कि मर[म्]मत कराने के लिए कर्मचारियों को इकट्ठा करने में काफी स[मय] बरबाद हो जाता है । अतः यह आवश्यक समझा गया है [कि] आवश्यक कार्य करने वाले कर्मचारियों को उसी क्षेत्र में रहने [की] जगह मिलनी चाहिए ताकि उन्हें समय पर इकट्ठा किया [जा] सके ।

जल-सप्लाई सेवा की तात्कालिकता तथा उसके महत्व को ध्[यान] में रखते हुए, जल-सप्लाई सम्बन्धी आवश्यक कार्य-कर्मचारि[यों] के लिए क्वार्टर तथा पूछताछ कार्यालय न. दि. न. पा. [क्षेत्र] में ही बनाने का प्रस्ताव है । इस पर 10.00 लाख रुपये [की] लागत आयेगी । इससे पूछताछ कार्यालयों में कार्य की क्ष[मता] बढ़ेगी तथा कर्मचारियों के लिए निवास स्थान बनाये जा सक[ेंगे]। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये [का] प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

7. लोदी कालोनी तथा जोरबाग के सीवरों में वृद्धि (2.[..] लाख रुपये)

लोदी कालोनी तथा जोरबाग में सीवर बहुत वर्ष पूर्व [डाले] गये थे । यहां पर यह पाया गया है कि पुराने सीवरों में [कुछ] हिस्से धंस गये हैं और ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे [हैं]। मौजूदा जरूरतों को देखते हुए, इन पुराने सीवरों की क्षम[ता] भी पर्याप्त नहीं है । इन क्षेत्रों में आगे जनसंख्या में वृद्धि [की] संभावना है । अतः सीवर व्यवस्था में विस्तार आवश्यक हो[गा]। इस स्थान पर यह भी देखा गया है कि सीवर का गंदा पानी [बह]कर वर्षा के पानी की निकासी के लिए बनी नालियों तथा न[ाले] में जाता है । यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है । बहकर [यह] गंदे पानी से भरा यह नाला हाल ही में बनाये गये यू. एन. आ[ई.] डी. सी. कम्पलैक्स से होकर गुजरता है । इस मामले को ल[ेकर] निर्माण तथा आवास मंत्रालय की कई बैठकों में यह वि[चार] व्यक्त किया गया कि इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार/विस्[तार] कार्य किया जाना चाहिए ताकि सीवरों का पानी बाहर निकल[कर] वर्षा-पानी की नालियों और खुले नाले में न जा पाये । [इन बातों] को ध्यान में रखते हुए, लोदी कालोनी तथा जोरबाग में सी[वर]

नों में तुरंत वृद्धि आवश्यक है । कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए तथा योजना-धन राशि के मिलने की आशा के साथ सीवर लाइन के कुछ हिस्से पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया । समिति ने 5.00 लाख रुपये के अनुमान पहले ही स्वीकार कर दिये हैं । बाकी क्षेत्रों के अनुमान फील्ड सर्वेक्षण के हो जाने के बाद तैयार किये जायेंगे । पूरी स्कीम की अनुमानित लागत 20.00 लाख रुपये होने की संभावना है । वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । इस स्कीम का कार्य भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद किया जायेगा ।

8. रिसाव संसूचन कक्ष (लीक डिटेक्शन सैल) (1.00 लाख रुपये)

न. दि. न. पा. क्षेत्र में साफ पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी न. दि. न. पा. पर है । मौजूदा वितरण व्यवस्था बहुत पुरानी है तथा उसमें होने वाले रिसाव तथा अन्य कारणों से पानी का भारी नुकसान होता है । न. दि. न. पा. क्षेत्र में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार लाइनों से पानी का यह नुकसान 25 से 35 प्रतिशत तक है । नुकसान बहुत ज्यादा है । इससे किफायत नहीं होती तथा साथ ही यह पानी उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन्हें पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है । आधुनिक तकनीकों के अनुसार, पानी के रिसाव को रोकने के लिए रिसाव संसूचन कक्ष और उसे चलाना बहुत जरूरी है । अतः न. दि. न. पा. समिति ने अपनी एक बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा न. दि. न. पा. क्षेत्र में रिसाव-संसूचन कक्ष बनाने की स्वीकृति दे दी है । दि. न. नि. क्षेत्र में इस प्रकार के कक्ष पहले से ही मौजूद हैं । इस कक्ष के लिए बहुत जटिल किस्म के उपकरण खरीदने होंगे। कक्ष को चलाने और उसके रख रखाव के लिए निधियों की भी आवश्यकता होगी । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1980-81 में रिसाव-संसूचन कक्ष के लिए 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

9. ट्यूब वैलों तथा रेनी कुओं का निर्माण करके जल-सप्लाई को बढ़ाना (2.00 लाख रुपये)

इस समय न. दि. न. पा. साफ पानी की सप्लाई अपने चार जलाशयों अर्थात् तालकटोरा, पालम, झंडेवालान तथा हसनपुर जलाशयों से करता है । निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा किये गये एक निर्णय के अनुसार दि. न. नि. पर न. दि. न. पा. क्षेत्र के लिए 30 एम. जी. डी. पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी है । लेकिन ऐसा पता चला है कि दि. न. नि. न. दि. न. पा. को 18 एम. जी. डी. से अधिक पानी की सप्लाई नहीं करता । दि. न. नि. जलाशय से पानी की इस कम सप्लाई के मामले को बहुत वर्ष पूर्व उच्च स्तर पर उठाया गया था, लेकिन दि. न. नि. द्वारा स्वीकृत न्यूनतम उपेक्षित मात्रा में पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो सकी है । इस तरह से पूरे न. दि. न. पा. क्षेत्र में पानी की सप्लाई की स्थिति बहुत निराशाजनक है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए साधारण जमीन तथा पथरीली तह तक ट्यूबवैलों के निर्माण तथा रेनी कुओं जैसे कुछ स्रोतों से पानी की सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस स्थान पर यह पाया गया है कि अधिकांश क्षेत्र में लगाया गया ट्यूबवैल इस प्रकार की पथरीली तह में कामयाब नहीं होता। अपेक्षित पानी प्राप्त करने के लिए ट्यूबवैल को इस पथरीली तह से नीचे तक ले जाना होता है । यमुना नदी के तट के पास-पास रेनी कुएं बनाकर भी पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है । इन्द्रप्रस्थ इस्टेट में मुख्य लाइनें मौजूद हैं । ये लाइनें तिलक ब्रिज से होकर दि. न. नि. क्षेत्र की लाइनों से मिलती हैं । अतः इन्द्र प्रस्थ इस्टेट के नजदीक यमुना नदी के तट के पास तीन रेनी कुएं लगाये जा सकते हैं और मौजूदा पाइप लाइनों द्वारा पानी को तिलक ब्रिज के रास्ते से आगे भेजा जा सकता है । 10 ट्यूबवैल जिनमें से कुछ पथरीली तह से नीचे तक ले जायेंगे तथा 9 रेनी कुएं बनाकर जल-सप्लाई में वृद्धि पर आने वाली अनुमानित लागत 100.00 लाख रुपये है । वर्ष 1980-81 में इस नयी स्कीम के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । भारत सरकार ने अभी इस स्कीम को स्वीकृत नहीं किया है ।

10. न. दि. न. पा. क्षेत्रों सीवरों में वृद्धि (2.00 लाख रुपये)

महानगर केन्द्र तथा डी. आई. जैड क्षेत्र के विस्तार की स्कीम बना ली गयी है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। लेकिन न. दि. न. पा. के बकाया क्षेत्रों के लिए अभी कोई स्कीम शुरु नहीं की गयी है। इस बाकी क्षेत्र में सीवर बहुत वर्ष पहले डाले गये थे। कुछ क्षेत्रों में ये सीवर बहुत खराब हो गये हैं तथा धंस गये हैं जिसकी वजह से यह सीवर लाइन ठीक से काम नहीं कर रही है। इसमें स्वास्थ्य के लिए मुसीबत पैदा होती है । इस क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों में सीवर लाइनों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है स्वास्थ्य विभाग ने भी उन कठिनाइयों के बारे में बताया है, जो उसे इन सीवर-लाइनों के दैनिक रख-रखाव में उठानी पड़ रही हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की सीवर लाइनों में विस्तार की आवश्यकता है । अतः रकम तथा उसके प्रारंभिक अनुमानों को तैयार करने के लिए फील्ड-सर्वेक्षण किया जा रहा है । पूरी स्कीम पर 70.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे 1980-81 से 1984 85 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) बाढ़ विरोधी कार्य

रेड्डी समिति की सिफारिशों के अनुसार न. पा. क्षेत्रों में बाढ़ सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं । समिति ने इन कार्यों को तीन चरणों में पूरा करने की सिफारिश की है । पहले तथा दूसरे चरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा तीसरे चरण का कार्य चल रहा है ।

वार्षिक योजना 1980-81

वर्ष 1979-80 में किये गये 9.12 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में विभिन्न बाढ़ विरोधी कार्य के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. एस. डब्ल. डी. सिस्टम सं. 6-11 की क्षमता में वृद्धि (2 लाख रुपये)

इस स्कीम का अनुमान वर्ष 1967 में तैयार किया गया और इस स्कीम पर कार्य 1970-71 में शुरु किया गया । मार्च, 1977 तक 17.65 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है । डी. आई. जैड क्षेत्र का कुछ हिस्सा एच. सी. 10 सिस्टम संख्या जी एण्ड बी के कुछ हिस्से पर कार्य को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि एन. डी. आर. ए. सी. की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है । इस क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा जल-निकासी व्यवस्था का विस्तार करने के लिए व्यापक स्कीम बनायी जा रही है । वर्ष 1979-80 में किये गये 1.49 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस व्यवस्था संबन्धी बकाया कार्य को पूरा करने के लिए तथा डी. आई. एण्ड जैड में किये जाने

वाले कार्य के लिए 2 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2. एस. डब्ल्यू. डी. सिस्टम संख्या 2 से 5 का विस्तार (0.50 लाख रुपये)

बंगला क्षेत्र जिसका एन. डी. आर. ए. सी. की सिफारिशों के अनुसार पुनर्विकास किया जा रहा है, के कुछ हिस्सों को छोड़कर इस स्कीम सम्बन्धी कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस स्कीम के अन्तर्गत बिलों के भुगतान आदि के लिए वर्ष 1980-81 में 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

3. एस. डब्ल्यू. डी. सिस्टम संख्या 12 से 14 की क्षमता का विस्तार (5 लाख रुपये)

यह कार्य वर्ष 1974-75 के दौरान शुरु किया गया था तथा मार्च, 1978 तक 16.16 लाख रुपये का व्यय किया गया। सिकन्दरा रोड माथुरा रोड शेरशाह रोड चैम्सफार्ड रोड तथा पुराना किला रोड के साथ-साथ मुख्य बैरल के विस्तार का कार्य हाल ही में पूरा किया है। बकाया हिस्से (अर्थात् सांगली मैस एरिया, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग तथा इंडिया गेट आदि में विस्तार का कार्य अभी शुरु नहीं किया गया है। इसके अलावा, पुलियाओं को नया रूप देने के लिए तथा अवरोधन नालियों की व्यवस्था करने का कार्य अभी पूरा नहीं किया जा सका है। ऊपर उल्लिखित विभिन्न कारणों से इस स्कीम (अर्थात् 12 से 14) के व्यय में उसके पूरा होने तक 32 लाख रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। 1979-80 में किए गये 2.15 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 में इस स्कीम को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

4. वर्षा-पानी निकासी की क्षमता का विस्तार तथा सिस्टम संख्या 1 (0.50 लाख रुपये)

खड़क नाले के एक हिस्से में सुधार का कार्य वर्ष 1976-77 में किया गया था। बकाया कार्य को इसलिए शुरु नहीं किया जा सका क्योंकि दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विंग ने विस्तृत स्कीम को अन्तिम रुप नहीं दिया। कार्य के इस हिस्से पर अनुमानत: 37 लाख रुपये की लागत आयेगी।

इसे क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 0.50 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

5. लोदी कालोनी/अलीगंज क्षेत्र में एस. डब्ल्यू. डी. में सुधार तथा उसकी क्षमता का विस्तार (5.00 लाख रुपये)

इन आवास कालोनियों (अर्थात लोदी कालोनी, अलीगंज और कर्बीला आदि) के क्षेत्र को 1839 के बाद विकसित किया गया था। आसपास के इलाकों की तुलना में यह इलाका काफी नीचे है। इस वजह से वर्षा ऋतु में इस स्थान पर पानी खड़ा रहता है। जल निकासी के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन के मुख्य अभियंता (बाढ़) के कार्यभार के अन्तर्गत बनाये गये मास्टर प्लान संगठन ने भी इस क्षेत्र में पानी के जमा होने की समस्या से बचने के लिए यहां की निकासी व्यवस्था को नया रूप न देने की सिफारिश की है। स्कीम को भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने अभी स्वीकार नहीं किया है। इस स्कीम पर 27.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6. मोतीबाग तथा चाणक्यपुरी क्षेत्र में एस. डब्ल्यू. डी में सुधार तथा उसकी क्षमता का विस्तार (1.00 लाख रुपये)

मोतीनगर का रिहायशी इलाका 1939 के बाद चाणक्यपुरी का राजनयिक क्षेत्र 1947 के बाद विकसित किया गया था। इनमें कुछ स्थान निचाई पर हैं और वहां पानी जमा हो जाने से समस्या पैदा हो जाती है। अत: 23 लाख रुपये की लागत पर इस क्षेत्र को मौजूदा जल-निकासी व्यवस्था के विस्तार उसमें सुधार करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

7. लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर तथा नेताजी नगर क्षेत्रों में एस. डब्ल्यू. डी. में सुधार तथा उसकी क्षमता का विस्तार (1.00 लाख रुपये)

उपर्युक्त कालोनियों के रिहायशी इलाके 1939 के बाद विकसित किये थे। इनमें कुछ स्थान निचाई पर हैं और वहां वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा हो जाता है। अत: 22 लाख रुपये की लागत पर योजना वर्ष के दौरान यहां की जल-निकासी व्यवस्था का विस्तार करने, उसमें सुधार करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम को भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने अभी स्वीकृत नहीं किया है। कार्य को चालू वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के लिए 1 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जैसा कि पिछले पैराओं में बताया गया है, 1980-81 की वार्षिक योजना में जल आपूर्ति तथा मल-व्ययन सैक्टर के लिए 2026.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। (1951.00 लाख रुपये तथा न. दि. न. पा. के लिए 75.00 लाख रुपये)।

8. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाले को ढकना (25.00 लाख रुपये)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से होकर गुजरने वाले नाले को ढकने के बारे में एक पत्र दिल्ली के तत्कालीन उप-राजपाल के माध्यम से संस्थान के प्राधिकारियों से प्राप्त हुआ था। इस नाले से गंदगी फैलती है और अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा होती हैं। गैर-वर्षा कालीन समय मौसम के दौरान नाले में कूड़े कचरे के बहकर आने से स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इससे मच्छर पैदा होते हैं तथा अन्य समस्यायें पैदा होती हैं। अत: विभिन्न प्राधिकरणों ने कहा है कि इस प्रकोप को रोकने का एकमात्र कारगर उपाय यह है कि इस नाले को ढक दिया जाये। इससे भवन की नींव के कटाव को भी रोका जा सकेगा। इस स्कीम पर कुल 70.00 लाख रुपये की लागत आने की संभावना है। कार्य के महत्व को देखते हुए इसे स्कीम को योजना में शामिल किया गया है, जिसके लिए वर्ष 1980-81 में 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

9. डिप्लोमैटिक एनक्लेव नाले को ढकना (20.00 लाख रुपये)

डिप्लोमैटिक एनक्लेव के बीच से होकर गुजरने वाला नाला काफी समय से स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। गैर वर्षा कालीन मौसम में कूड़े कचरे के बहकर आने से मच्छरों के पैदा होने की समस्या और भी गम्भीर हो जाती है। जैसा कि स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने कहा है, इस समस्या का समाधान नाले को ढक

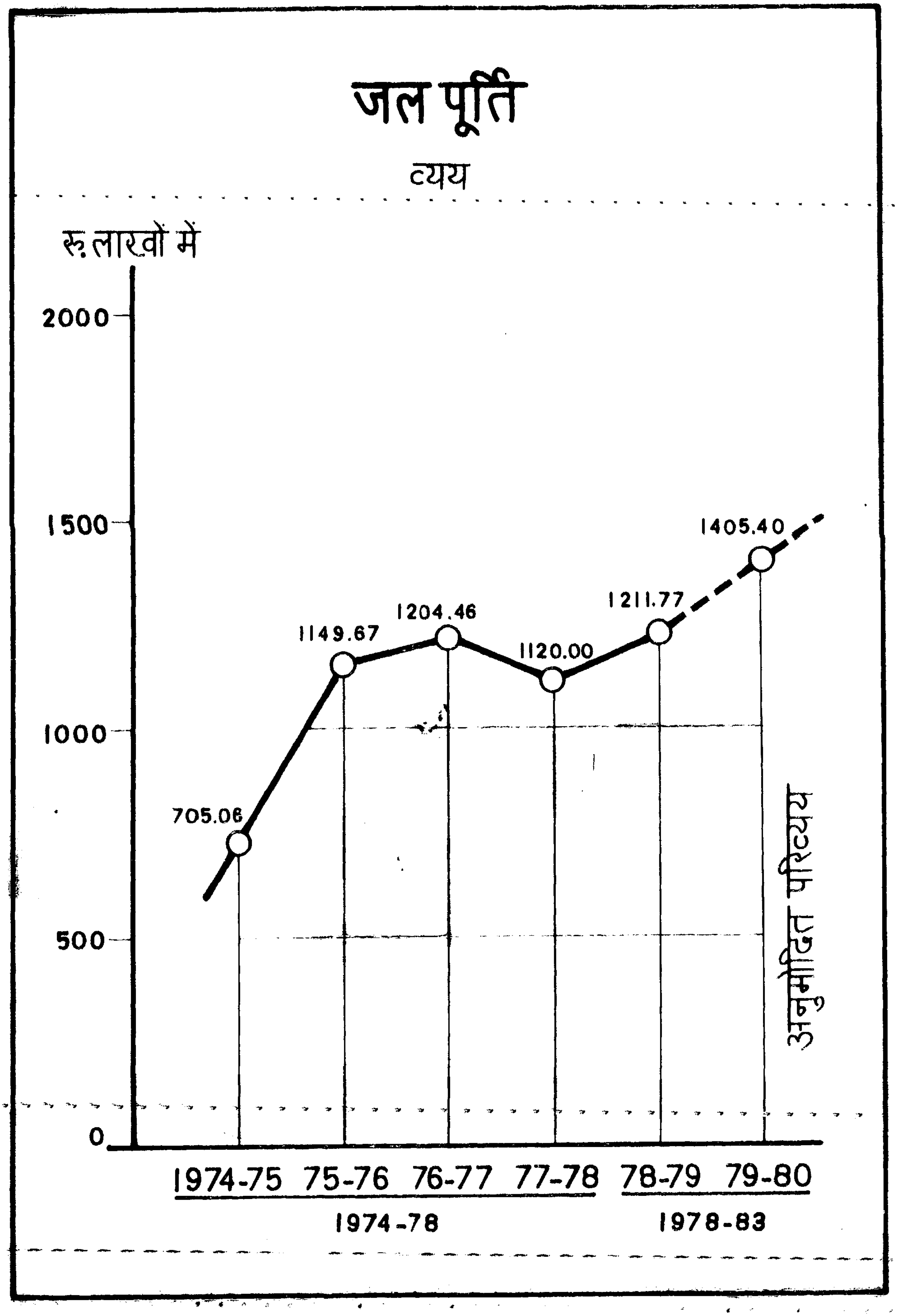
जल पूर्ति
व्यय
रु. लाखों में
2000
1500
1000
500
0
705.06
1149.67
1204.46
1120.00
1211.77
1405.40
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

कर ही किया जा सकता है । इस कार्य पर होने वाली अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपये है। इस स्कीम को वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है । जिसके लिए 20 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

10. कौटिल्य मार्ग नाले को ढकना (3.00 लाख रुपये)

यह नाला हालांकि केवल 450 फुट लम्बा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरता है और लोगों, विशेषकर अशोक होटल तथा समीपवर्ती क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है । गैर वर्षा कालीन मौसम में भी इस नाले में समीपवर्ती क्षेत्रों से कूड़ा/कचरा बहकर आता है । इस नाले में मच्छर पैदा होते हैं। अतः इस नाले को कौटिल्य मार्ग से सड़क नाले तक ढकने का प्रस्ताव है जिसकी लागत 4.00 लागत रुपये होगी । इस स्कीम को 1980-81 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है। इस के लिए 3.00 लाख रुपये का परिव्यय किया गया है।

11. सड़कों से लगी नालियों का ढकना (7.00 लाख रु.)

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की कुछ सड़कों पर बहुत सी गहरी नालियां हैं जिन्हें ढके जाने की आवश्यकता है, क्यों कि ये नालियां सामान्य मौसम तथा वर्षाकालीन मौसम, जब ये पानी से भरी होती हैं, में सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतरनाक हैं । इन नालियों में कूड़ा फेंका जाता है जिस से गंदगी फैलती है तथा मच्छरों का प्रकोप पैदा होता है और बीमारियां फैलती हैं । अशोक रोड, लेडी हार्डिंग रोड तथा सी, टी. एवेन्यू की सड़कों की नालियों को ढकने के लिए वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में 7.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

आवास

किसी महानगर की भांति दिल्ली में भी मकानों की विकट समस्या अनुभव की जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की तेज प्रक्रिया और राज्यों से लोगों के आकर बस जाने के कारण समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। 1971 में 1.5 लाख आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान था। इसके बाद प्रतिवर्ष 40,000 आवासीय इकाइयों की आवश्यकता के स्थान पर मुश्किल से प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 आवासीय इकाइयों का ही निर्माण हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष प्रतिवर्ष मकानों की उत्तरोतर मांग बढ़ती जा रही है। इस समस्या का विस्तार इतना बड़ा है कि किसी भी एक एजेन्सी को इसको हल करना मुश्किल से सम्भव है।

इस समस्या की आवश्यकता पर विचार करते हुए विभिन्न एजेन्सियों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वाटरों का निर्माण, आवास, थाने/पुलिस चौकियां और जेल भवनों के लिए कार्यालय आवास/भवन का निर्माण करने के लिए योजनाएं आरम्भ की है। इस योजना के अधीन 1974--78 की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1680.35 लाख रुपये का व्यय किया गया। विभिन्न एजिन्सयों को अपने आवास कार्य क्रमों को मूर्तरूप देने के लिए छठी योजना में 4616.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। छठी योजना के अनुमोदित परिव्यय का उपशीर्ष/योजना के अनुसार बंटवारा और 1978-79 और 1979-80 के वास्तविक व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना/उपशीर्ष का नाम	छठी योजना का परिव्यय	1978–79 वास्तविक व्यय	1979–80 अनुमोदित परिव्यय	1979–80 वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
दिल्ली प्रशासन					
1	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	1159.00	347.28	200.00	254.87
2	कार्यालय आवास	260.00	14.81	54.00	28.30
3	आम जनता के लिये मकानों का निर्माण	100.00	—	30.00	—
4	आवास मण्डल	10.00	—	10.00	—
	योग	1529.00	362.09	294.00	283.17
दिल्ली नगर निगम					
1	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	300.00	56.58	30.00	25.52
2	शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण	—	0.02	—	—
3	आम जनता के लिए मकानों का निर्माण	100.00	—	30.00	—
4	गन्दी बस्ती सुधार .	1.00	18.00	20.00	2.00
	योग .	401.00	74.60	80.00	25.52
नई दिल्ली नगर पालिका					
1	सी. डब्ल्यू. सी. लोधी रोड पर 59 क्वार्टरों का निर्माण .	8.00	0.51	1.00	2.58
2	कल्याणवास 555 क्वार्टरों का निर्माण	—	15.10	—	—
3	आम जनता के लिए मकानों का निर्माण	100.00	—	30.00	—
4	अलीगंज म स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	—	—	—	0.05
5	सेवा कार्मिकों के लिए डब्ल्यू० एस. आवास	20.00	1.32	5.00	—
	योग	128.00	16.98	36.00	2.63
अन्य आवासीय योजनाएं					
1	औद्योगिक – आवास योजना निर्माण .	15.00	—	5.00	5.00
2	गृह निर्माण ऋण योजना	560.00	133.28	112.00	156.08
3	आम जनता के लिए मकानों का निर्माण (दि.वि.प्रा.)	100.00	100.00	—	—
4	गन्दी बस्ती सुधार योजना	28.00	36.65	28.00	—

आवास

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

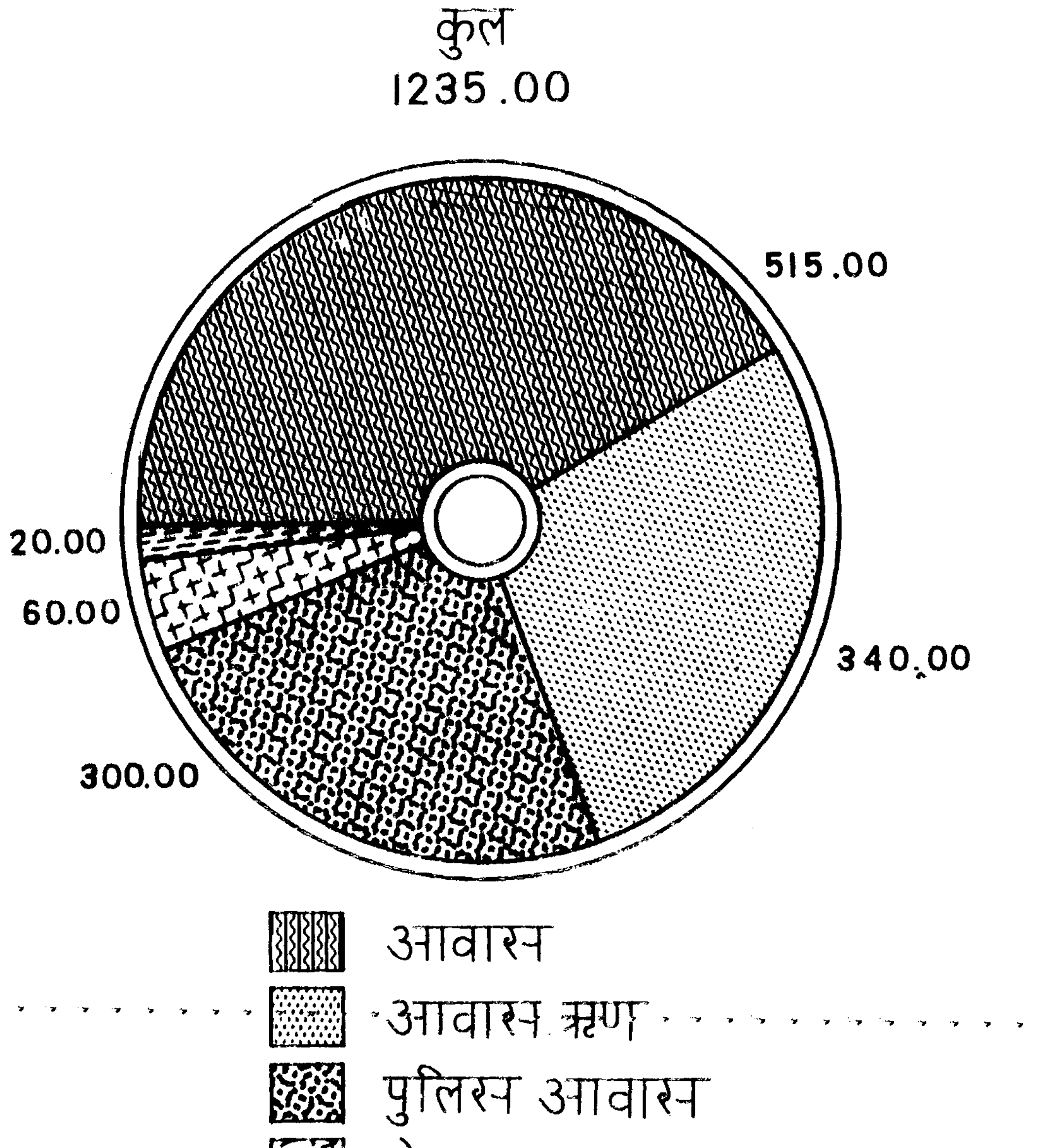

1	2	3	4	5	6
5	भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास-स्थल .	15.00	2.41	3.00	0.73
6	पुलिस आवास और थाने	1600.00	137.31	280.00	159.24
7	कारागार भवन	200.00	7.78	52.00	1.23
8	नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के लिए भवन	40.00	0.05	10.00	—
	योग	4616.00	870.34	900.00	628.60

आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने 112 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है। कड़कड़डूमा, 45-47 राजपुर मार्ग मधूरा खुर्द और मथुरा कला में 336 और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का काम प्रारम्भ है, जिनमें से 400 क्वार्टरों की 1979-80 में पूरे होने की सम्भावना है। कार्यालय आवास योजना के अन्तर्गत लगभग ,000 वर्ग फुट के निर्माण कार्य के पूरे होने की सम्भावना है।

निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और ग्राम आवास परियोजना की योजनाओं के अन्तर्गत 57, 77 और 344 व्यक्तियों को गृह निर्माण ऋण योजना में ऋण मन्जूर किये गये।

1980-81 की वार्षिक योजना

वर्ष 1979-80 में 628.60 लाख रुपये का तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 1235.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र की योजना में आवासीय योजनाओं को दिल्ली प्रशासन (सार्वजनिक निर्माण विभाग), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यान्वित करते हैं। 1980-81 की वार्षिक योजना में शामिल योजनाओं का संक्षिप्त सारांश नीचे है :--

दिल्ली प्रशासन

(1) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर :- इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन अपने कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर आवंटन के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। 1980-81 में योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

(1) 33, राजपुर मार्ग पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (3 लाख रुपये)

पुरानी इमारत को गिराकर भूमि सुलभ कराई गई। वहां पर 12 क्वार्टर टाइप-5 और 24 क्वार्टर टाइप-4 के निर्माण का काम प्रगति पर है और वे पूरे होने ही वाले हैं। क्वार्टर तीन मंजिलों में बनाए जा रहे हैं। 1980-81 में इस योजना के लिए तीन लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया।

(2) गुलाबी बाग के निकट स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (5 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन ने गुलाबी बाग के निकट तृतीय टाइप के 16 और चतुर्थ टाइप के 80 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 28 बीघे, 6 बीस्वास क्षेत्र भूमि का प्लाट खरीदा है। भूखण्ड का विकास किया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि का अधिकतम लाभ उठाने के लिये क्वार्टर चार मंजिलों में बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 86.79 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें विकास प्रभार भी शामिल है। यहां पर शापिंग सेन्टर, बागवानी का काम, गुलाबी बाग के अहाते की चार दीवारी जैसे कुछ अन्य काम भी प्रगति पर चल रहे हैं। 1980-81 की योजना के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(3) कड़कड़डूमा में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (35.00 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत कड़कड़डूमा में निम्न टाइप के क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है :-

प्रथम चरण	द्वितीय टाइप	60 नग
	तृतीय टाइप	60 नग
	चतुर्थ टाइप	20 नग
द्वितीय चरण	ए टाइप	16 नग
	बी टाइप	48 नग
	सी टाइप	32 नग
तृतीय चरण	बी टाइप	24 नग
	सी टाइप	64 नग

प्रथम चरण का ढांचा तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। द्वितीय चरण का काम प्रारम्भ किया जा रहा है। द्वितीय चरण के ब्यौरे अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं और व्यय की मन्जूरी प्रतीक्षित है। इस परियोजना पर कुल 110.00 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। कार्य चार मंजिला में चल रहा है। 1980-81 में इस योजना के लिए 35.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(4) 45-47 राजपुर मार्ग पर आवासीय भवनों का निर्माण (5.30 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन राजपुर मार्ग पर भूखण्ड सं 45-47 पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। पंचम टाइप के 12 क्वार्टरों (तीन मंजिलों में) के निर्माण का काम प्रगति पर है और ये पूरे होने ही वाले हैं। योजना पर [illegible] लागत आने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 को इस योजना के लिए 5.30 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया है।

(5) तीमारपुर में स्टाफ क्वाटरों का निर्माण (50 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन 16.5 एकड़ भूमि का भूखण्ड लिया गया है और निम्न प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा :--

सी टाइप	680
डी टाइप	32

प्रथम चरण में टाइप सी के 172 और टाइप डी के 32 तथा द्वितीय चरण में टाइप सी के 128 क्वार्टरों के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। सभी क्वार्टर चार मंजिलों के ब्लाकों में निर्मित किये जायेंगे।

इस परियोजना पर 255 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। 1980-81 को इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(6) सधौरां खुर्द में क्वार्टरों का निर्माण:--

इस योजना के अधीन सधौरां खुर्द में 8.85 एकड़ भूमि के भूखण्ड पर 67.54 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्न प्रकार के क्वाटरों के निर्माण का विचार है :-

प्रथम चरण	टाइप बी	96 नग
	टाइप सी	96 नग
द्वितीय चरण	टाइप बी	36 नग
	टाइप सी	48 नग

प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्माण का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। टाइप सी के 96 क्वार्टर के निर्माण के लिए विकास कार्य पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है। 1980-81 को इस योजना के लिए 38.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया है।

7. सधौरां कलां में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (38 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन 10 एकड़ भूमि के भूखण्ड पर 95 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्न प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण का विचार है :--

प्रथम चरण	ए टाइप	64 नग
	बी टाइप	64 नग
	सी टाइप	64 नग
द्वितीय चरण	टाइप बी	44 नग
	टाइप सी	80 नग

इस परियोजना के प्रथम चरण में भूमिगत निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 1980-81 की इस योजना के लिए 38 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया जा चुका है।

(8) 1-ए बैटरी लेन पर दिल्ली प्रशासन के विजिटिंग अधिकारियों के लिए ट्रांजिट होस्टल

इस प्रयोजना के लिए 3582 वर्ग मीटर भूमि का भूखण्ड ले लिया गया है। दिल्ली प्रशासन के पास कोई भी आवास या संक्रमण आवास नहीं है, जहां पर स्थानान्तरण होने वाले अधिकारियों आदि को या थोड़ी देर ठहराने के लिए आवास सुलभ कराया जा सके। यह समस्या दिल्ली प्रशासन की बढ़ती गतिविधियों के कारण अधिक विकट हो गई। बैटरी लेन पर संक्रमण आवास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और चालू वित्तिय वर्ष में इसके पूरा होने की सम्भावना है। इस आवास में 28 आवासीय इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई का माप 10 फुट 4 इंच 13 फुट 1 इंच है जिस के प्रत्येक तल पर अलग से रसोई और भण्डार आदि हैं और भूतल पर छता हुआ वाहन स्थल है। परियोजना पर 12.49 लाख रुपये की कुल लागत का अनुमान है। 1980-81 की इस योजना के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(9) शेखसराय में क्वार्टरों का निर्माण (3.70 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन 17.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्न प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण का विचार है :--

बी टाइप	192
सी टाइप	144

इस प्रयोजना के लिए 6.1 एकड़ भूमि का भूखण्ड पहले ही खरीदा जा चुका है। सभी क्वार्टर चार मंजिला के ब्लाकों में होंगे। इस मन्जूरी के लिए निलम्बित पड़ी है। 1980-81 में इस योजना के लिए 9.10 लाख रुपये का प्रावधान अनु प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(10) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (20 लाख रुपये)

नरेला, नजफगढ़, मादीपुर और नांगलोई में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रुपये का **प्रावधान अनुमोदित किया गया है।**

1979-80 में 254.87 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 1980-81 की उपर्युक्त स्टाफ क्वार्टर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 205.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(2) कार्यालय आवास (134.00 लाख रुपये)

कार्यालय आवास की बहुत अधिक कमी है। इस समय दिल्ली प्रशासन के बहुत सारे कार्यालय अस्थाई बैरकों और किराये पर लिए भवनों में स्थित हैं, जो कि बहुत दूर-दूर के इलाके में फैले हुए हैं। इस प्रकार किराये पर बहुत व्यय होता है। दूसरी ओर विभिन्न इलाकों में भिन्न-भिन्न भवनों में कार्यालय होने के कारण इनके सुचारु रूप से संचालन में बाधा आती है। इस को ध्यान में रखकर बहुमंजिला कार्यालय भवन पुराना सचिवालय, 5, शामनाथ मार्ग, 15, राजपुर मार्ग और शाहदरा आदि के कार्यालय भवन समूह के निर्माण का प्रस्ताव है। 1978-83 में लगभग 44,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का निर्माण किया जायेगा। दिल्ली प्रशासन के कार्यालय आवास में निर्माण की निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं :-

(1) इन्द्रप्रस्थ मार्ग पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण (60.00 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन ने आयकर कार्यालय भवन के सामने इन्द्रप्रस्थ मार्ग पर कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु भूमि का एक भूखण्ड लिया गया है। इस कार्यालय भवन का निर्माण निम्नलिखित विभिन्न चरणों में शुरू किया गया है :-

प्रथम चरण

यह इमारत पहले ही स्तम्भों के आधार पर चौदह मंजिली रूप कंक्रीट सीमेण्ट के बने ढांचे के ऊपर निर्मित की गई। इसमें 14857 वर्गमीटर का कार्यालय आवास उपलब्ध है। इस के पहले से ही अधिकार में लेकर इस ब्लाक में दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली प्रशासन के कई कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

द्वितीय चरण

यह भवन भी स्तम्भ आधार पर 14 मंजिली आर सी सी ढांचे की इमारत है। इस पर 3375 वर्गमीटर कार्यालय सुलभ है। यह निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस काम का संरचनात्मक रूप वर्ष 1980-81 के दौरान पूरा हो जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 42.27 लाख रुपये है।

तृतीय चरण

यह भी आर सी सी के स्तम्भ आधार पर निर्मित आर सी सी ढांचे का चौदह मंजिला ब्लाक है। इसका भागों में निर्माण किया जाएगा, जैसे कि पहले भाग में छः मंजिलों तक और दूसरे भाग में सात मंजिलों तक और तीसरा भाग 14 मंजिलों तक। अभी-अभी प्रथम चरण में यह काम आर सी सी स्तम्भ की बुनियाद पर शुरू किया गया है। परियोजना की कुल लागत 95.20 लाख रुपये है।

इन निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 1980-81 में 60.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(3) 5, शामनाथ मार्ग (अलीपुर रोड) पर कार्यालय आवास (3.30 लाख रुपये)

पहले चार मंजिले ढांचेदार कार्यालय भवन समूह के निर्माण का प्रस्ताव था। परन्तु इस प्रस्ताव का बाद में संशोधन करके बहु-मंजिली आर सी सी निर्मित संरचना वाले कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इसलिए 72.77 लाख रुपये की लागत से बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए संशोधित योजना तैयार की गई। व्यय मन्जूर को जारी करने के लिए योजना संसाधित की जा रही है। इस योजना के लिए 21 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

(4) पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कार्यालय आवास (0.10 लाख रुपये)

न्यायालय ने भूमि के भूखण्ड को देर से खाली किया। भूखण्ड का सर्वेक्षण कर लिया गया है। इस क्षेत्र में कार्यालय आवास के लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य को हाथ में लिया जाएगा। वर्ष 1980-81 की इस योजना के लिए 0.10 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

(5) शाहदरा में अस्थायी न्यायालय भवन का निर्माण (0.50 लाख रुपये)

स्थाई भवन का निर्माण न हो जाने तक सहारनपुर-शाहदरा छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन के भवन में शाहदरा सिविल न्यायालय के अस्थाई आवास होने के कारण ही इसके निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। 1980-81 में शाहदरा न्यायालय के अस्थाई भवन को पूरा करने के लिए 0.50 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

(6) शाहदरा में स्थाई न्यायालय भवन का निर्माण (40.00 लाख रुपये)

अभी-अभी सीलमपुर शाहदरा में स्थाई नये न्यायालय भवन के निर्माण की योजना अनुमोदित की गई है। यह आर सी सी निर्मित संरचना चार मंजिले भवन के रूप में होगा इसमें 3580 वर्ग मीटर का कार्यालय आवास सुलभ होगा। परियोजना पर 99.71 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य को पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है। 1980-81 में इस योजना के लिए 40.00 लाख रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया।

(7) श्रम विभाग के लिए कार्यालय भवन

इस समय श्रम विभाग 15, राजपुर मार्ग, दिल्ली पर 1964-65 से किराये के भवन में स्थित है। यह भवन बहुत पुराना है और इस भवन पर 2-3 साल के बाद मरम्मत और रखरखाव पर बहुत सी धनराशि व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त इस परिसर में दो श्रम न्यायालय (पांच औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय में से) भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान आवास पर्याप्त नहीं है और मुख्य निरीक्षक बायलर और धूम्र अपदूषण का कार्यालय 8 बैटरी लेन पर स्थित है तथा नजफगढ़ रोड शाहदरा और ओखला की कामगार (श्रमिक) बस्तियों में तीन क्षेत्रीय कार्यालय चल रहे हैं।

विभाग के विभिन्न कार्यकलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए 15, राजपुर मार्ग पर स्थित वर्तमान भवन को खरीदकर कार्यालय आवास के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है। 1980-81 की इस योजना के लिए 5.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

(8) पुराने सचिवालय में सेवा सुधार (10 लाख रुपये)

पुराने सचिवालय में सेवा सुधार के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 10.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

1980-81 की उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के लिए 134.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया है।

(3) आवास मण्डल की स्थापना (1.00 लाख रुपये)

यह नयी योजना है और दिल्ली में आवास मण्डल की स्थापना के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 1.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार की मन्जूरी लेने के लिए इस योजना को ब्यौरेवार तैयार किया गया है।

11 दिल्ली नगर निगम

1. स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (40.00 लाख रुपये)

दिल्ली नगर निगम के सामान्य विंग के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों की अत्याधिक कमी है। सामान्य पूल में केवल 1434 कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराये गये और अभी लगभग 64,000 और कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर सुलभ कराए जाने हैं। 65,000 क्वार्टरों की कमी है। स्टाफ क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न जगह पर निर्माण प्रारम्भ किया गया। इस समय नानी वाला बाग, गण्डयजगंज और 10 राजपुर मार्ग पर 110 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन क्वार्टरों पर लगभग 47.00 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है। 10, राजपुर मार्ग के क्वार्टर पूरे होने के अन्तिम पड़ाव पर है जब कि 1980-81 में नानी वाला बाग और गण्डयजगंज के क्वार्टरों के पूरे होने की आशा है। उपरोक्त के अतिरिक्त महरौली, आजादपुर, लांसर रोड, 14, राजपुर मार्ग और रणजीत नगर आदि में 162 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की योजनाएं भी कार्यान्वित के लिए तैयार हैं। 1980-81 के इस काम का बड़ा हिस्सा पूरा होने की आशा है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 65 लाख रुपये बैठती है। रंगपुरा, रोशनआरा रोड, स्वामी नगर, गुलाबी बाग, नजफगढ़ रोड, निगम बोध घाट का सफाई डिपार्ट, तिलक नगर, तिमारपुर आदि में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है।

वर्ष 1979-80 में 25.52 लाख रुपये व्यय किया गया था जबकि 1980-81 के लिए 40.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(2) गन्दी बस्ती सुधार योजना (50 लाख रुपये)

गन्दी बस्ती हटाओं और सुधार कार्यक्रम दिल्ली की मास्टर प्लान में दर्शाए शहरीकरण और पुनर्विकास का अभिन्न अंग है।

विद्यमान गन्दी बस्तियों में रहने की स्वस्थ और बेहतर परिस्थितियों सुलभ कराने के प्रयोजन से उन की भीड़ भाड़ कम करने एवं पुनर्विकास करके गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए मकान निर्माण पर ध्यान दिया गया ताकि गन्दे इलाकों से हटाए लोगों को फिर से बसाया जा सके। दिल्ली प्रशासन ने 849 लाख रुपये की कुल लागत से 5504 मकानों के निर्माण की सात योजनाओं को मन्जूरी दे दी है। कालका जी में 1048 और गढी में 304 मकानों के निर्माण के काम को पहले ही पूरा कर लिया गया है। और कुछेक मकान आबंटित कर दिये गये। जहांगीर पुरी में 2376 मकान, संगम पार्क में 400 मकान और मादीपुर में 640 मकानों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 1980-81 में इन के पूरा होने की सम्भावना है। 1980-81 की चल रही योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमानित किया गया और संगम पार्क, गढी, जहांगीर पुरी आदि में निर्माण की मन्जूर योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह योजना सौंपने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार 1980-81 से दिल्ली विकास प्राधिकरण इस योजना को निष्पादन करेगा।

111 नई दिल्ली नगर पालिका

(1) आम जनता के लिए मकानों का निर्माण (4.00 लाख रुपये)

दिल्ली में मकानों की समस्या को हल करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका ने आम जनता के लिए मकानों के निर्माण की योजना बनाई है। नई दिल्ली नगरपालिका ने पहले ही 732 इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है जिसको भारत सरकार की अभी मन्जूरी मिली है। इस योजना पर 1980-81 के लिए 4.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) कमजोर तबके के सेवा कार्मिकों के लिए आवास (धोबी आवास) (1.00 लाख रुपये)

नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बसे धोबियों के पुर्नवास की एक योजना तैयार की है। इसमें औद्योगिक कामगार और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात् धोबियों के लिए समाकालित राज्यानुदान प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन धोबी घाट और आवास बनाये जाने हैं। निर्माण और आवास मंत्रालय ने रामाकृष्णा पुरम के सैक्टर-10 में 4 एकड़ भूमि का भूखण्ड आबंटित किया था 28.61 लाख रुपये की अनमानित लागत से इस स्थान पर टाइप-1 के 96 क्वार्टरों का निर्माण प्रारंभ किया गया। योजना को पहले ही पूरा कर लिया गया है। यद्यपि लेखा परीक्षा से क्वार्टरों के निर्माण और उपयोग के संबंध में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका से उत्तर अभी प्रतीक्षित है। इस योजना के अधीन 1980-81 में अन्तिम बिल आदि के भुगतान के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

अन्य योजनाएं

राज्यानुदान प्राप्त औद्योगिक आवास योजना (5.00 लाख रुपये)

पांचवीं पंच वर्षीय योजना से यह योजना चल रही है। 500 रुपये प्रतिमास से कम मजदूरी पाने वाले औद्योगिक कामगारों के लिए मकान बनाने पर ध्यान दिया गया। 31 मार्च 1977 को लगभग 1,15,000 औद्योगिक कामगार मकान पाने के पात्र थे, परन्तु दिल्ली प्रशासन ने अभी तक इस योजना के अधीन केवल 4844 मकानों का ही निर्माण किया है। इन मकानों के अतिरिक्त इस योजना में सहकारी कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों की सहकारी समितियों ने ऋण और राज्यनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करके 503 मकानों का निर्माण किया। कुछ नियुक्ताओं ने इस योजना के अधीन बगैर किसी आर्थिक सहायता के अपने कामगारों के लिए 4598 मकानों का भी निर्माण किया है। इस प्रकार केवल 9945 मकान अभी तक औद्योगिक कामगारों के लिए बनाए गए जोकि कल पात्र कामगारों के लगभग 8.65 प्रतिशत बैठते हैं शाहदरा में 696 मकानों के निर्माण की योजना के लिए भूमि की लागत का भुगतान करने के लिये 1977-78 में 18.50 लाख रुपये का व्यय किया गया। 1979-80 की वार्षिक योजना में 1312 मकानों (लारेंस रोड में 720, बोडेला में 320 और ओखला में 272 के निर्माण प्रारम्भ करने और करनाल रोड पर 696 मकानों के लिए भूमि खरीदने हेतु 5 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। लारेंस रोड परियोजना के निर्माण का विवरण निर्माण व आवास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम लागत के बढ़ जाने के कारण उसने अनुमोदित नहीं किया। बाद में निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने इन योजनाओं के निष्पादन कार्य को लोक निर्माण विभाग से दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपने के लिए सहमति दी। क्योंकि यह विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल उच्चतम लागत के भीतर इन निर्माण कार्यों को करने पर सहमत था और उसने विभागीय प्रभारों सहित निर्माण कार्य और निर्माण की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमा करा दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गए अनुमान अनुमोदित उच्चतम लागत से बढ गये। जिसके अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस योजना को लागू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अत: अब पंजाब, आंध्रप्रदेश और दिल्ली में निर्मित सस्ते मकानों के अध्ययन के निर्णय को त्याग दिया गया है। 1980-81 के इस योजना के लिए 5.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

आवास ऋण योजना

निम्न आय वर्ग आवास योजना (40 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन व्यक्तियों के नये भवन निर्माण हेतु ऋण मन्जूर किये जाते हैं जिनके नक्शे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मन्जूर हों और उनकी आय 7200 रुपये प्रतिवर्ष से कम हो। इस योजना के अधीन अधिक से अधिक 14500 रुपये की धनराशि मन्जूर की जाती है। 232 वर्ग फुट से लेकर 1200 वर्ग फुट तक भूतल क्षेत्र के निर्माण की इजाजत है। ऋण को ब्याज की 9 प्रतिशत वार्षिक दर के साथ-साथ 25 वार्षिक किस्तों में लौटाना होगा।

इस योजना के अधीन वर्ष 1979-80 में 57 व्यक्तियों को 8.00 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जबकि 1.00 लाख रुपये का परिव्यय ही अनुमोदित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में 275 व्यक्तियों को ऋण देने के लिए 40 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

(3) मध्यम आय वर्ग आवास निर्माण योजना (40 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन व्यक्तियों को नये निर्माण हेतु ऋण मन्जूर किए जाते हैं, जिनके नक्शे स्थानीय प्राधिकारियों ने स्वीकृत कर दिये हैं और 7201 रुपये से 18000 रुपये के बीच उनकी वार्षिक आय हो। इस योजना के अधीन अधिकतम 27,500 रुपये के ऋण की धनराशि मन्जूर की जाती है। प्रार्थी 400 वर्ग फुट से 2000 वर्ग फुट

के तल क्षेत्र का निर्माण कर सकता है । परन्तु शर्त यह है निर्माण पर 42,000 रुपये से अधिक लागत नहीं आनी हिए । ऋण को बीस वार्षिक किस्तों में लौटाना होगा और के साथ 9 प्रतिशत वार्षिक दर से उस पर ब्याज भी देना होगा। 1979-80 में इस योजना के अधीन 77 व्यक्तियों को ऋण न किये गये और 23.08 लाख रुपये का व्यय किया गया । वित्तीय वर्ष में 410 व्यक्तयों को ऋण प्रदान करने के ए 40 लाख रुपयें का प्रावधान मन्जूर किया गया है ।

) ग्राम्य-गृह निर्माण परियोजना (10 लाख रुपये)

ग्राम्य आवास परियोजना स्कीम के अधीन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली उन ग्रामीणों को ऋण मन्जूर किये जाते हैं, जिनके भूखण्ड स डार में स्थित हैं या जिनके मकानों के पुनर्निमाण की फारिश खण्ड विकास अधिकारी ने की है । 1979-80 में इस जना के अधीन 344 व्यक्तियों को ऋण प्रदान किये गये और लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 15 लाख ये का व्यय हुआ । 1980-81 में 375 व्यक्तियों को ऋण न करने हेतु 10 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया है।

) सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण (250 लाख रुपये)

1980-81 में सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण ण मन्जूर करने हेतु 250 लाख रुपये के प्रावधान को स्वीकार या गया । जबकि 1979-80 में 110 लाख रुपये की धन-शि का उपयोग किया गया ।

ल्ली विकास प्राधिकरण

6) आम जनता के लिए मकानों का निर्माण (70 लाख रुपये)

दिल्ली में मकानों की बहुत कमी है । अतः नये मकानों के र्माण की गति को तेज करना अत्यावश्यक हो गया है ताकि इस स्या को यथोचित समय के भीतर हल किया जा सके । 78-79 की वार्षिक योजना में 100 लाख रुपये का परिव्यय जनता के लिए मकान निर्माण योजना के लिए मन्जूर किया । इस योजना के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिल्ली निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास धिकरण को क्रमशः 25-25 लाख रुपये की धनराशि इस जन के लिए आबंटित की गयी । सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण की वित योजनाओं को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने समेकित निर्माण एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार को मन्जूरी लेने लये भेजी है, अभी अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है । 78-79 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 100.00 लाख की धनराशि इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रदान गई परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई भी व्यय नहीं । क्योंकि अभी भारत सरकार को इस योजना की मन्जूरी है । इस योजना के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का ला में 8000 रुपये, 18000 रुपये और 42000 रुपये क्रमशः अनुमानित लागत से 300 जनता, निम्न आय वर्ग 56 और मध्यम आय वर्ग के 120 मकान बनाने का विचार इन के निर्माण की संकल्पना ढांचे के आधार पर की गयी समें किसी स्वतन्त्र इकाई के लिए केवल आवश्यक सुवि-सुलभ होगी । कार्य क्षेत्र की व्यवहारिक उपयोगिकता पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है । आवास की सारणी निम्नप्रकार होगी :--

श्रेणी	आवासक कक्ष	बैठक	रसोईघर	स्नानघर	शौचालय
जनता	—	I	I	I	I
निम्न आय वर्ग	I	I	I	I	I
मध्यम आय वर्ग	I	I	I	I	I

वर्ष 1980-81 में उपरोक्त निर्माण कार्यों को आरम्भ करने हेतु 70 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है ।

(7) भूमिहीन मजदूर एम एन पी की योजना के लिए भवन स्थल (5.00 लाख रुपये)

ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने के लिए संघराज्य क्षेत्र की योजना में भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवास स्थल के विकास करने की व्यवस्था की गई । ग्राम पंचायत या राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटित आवास स्थलों को विकसित किया ताकि आबंटी इन पर मकानों का निर्माण कर सकें । इस योजना के अधीन प्रत्येक आवास स्थल पर 150 रुपये विकासीय प्रभार के रूप में खर्च किये जा रहे हैं । विकास का अभिप्राय भूमि को समतल कराने, गलियों में खंडजे डलवाने, बरसाती नालों का निर्माण कराना और पेय जल सुलभ कराने की सुविधा से है । खण्ड विकास अधिकारी की सम्पूर्ण देखरेख के नीचे पंचायतें निर्माण कार्य का निष्पादन करें । वह (खण्ड विकास अधिकारी) ओवरसियर के सहयोग से तकनीकी नियन्त्रण रखेगा । 1974-78 की पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 8.43 लाख रुपये की धनराशि पहले ही ऐसे भूखण्डों के विकास करने के लिए खर्च की जा चुकी है । इस योजना के अधीन 1974-78 की अवधि में 3635 भूखण्डों का विकास किया गया । 1978-79 में 1610 भूखण्डों का विकास करने के लिए 2.41 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई । वर्ष 1979-80 में 0.73 लाख रुपये के व्यय की तुलना में 1980-81 भूखण्डों के विकास हेतु 5 लाख रुपये के प्रावधान को इस योजना के लिए स्वीकार किया गया ।

पुलिस आवास

इस योजना में थाने/चौकियों को आवास सुलभ कराने के लिए आवासीय क्वार्टरों और भवनों के निर्माण की निम्न दो वर्गों की योजनाएं प्रारंभ की गई :-

(1) पुलिस आवास योजना

(2) थाने/पुलिस चौकी भवन

1. पुलिस आवास योजना

इस उपशीर्ष में पुलिस कार्मिकों के लिए स्टाफ क्वार्टर सुलभ कराने की योजनाएं आती हैं । इस समय दिल्ली पुलिस में एक पुलिस आयुक्त, चार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त 30 उपायुक्त पुलिस, 96 सहायक पुलिस आयुक्त, 325 निरीक्षक, 1317 उप निरीक्षक, 1578 सहायक उपनिरीक्षक, 52 आशुलिपिक, 4420 सिपाही प्रधान, 14684 सिपाही और 847 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मन्जूर संख्या है । भारत सरकार ने खोसला आयोग की सिफारिश उसी रूप में स्वीकार कर ली है, जिस के अनुसार विवाहित उच्च कर्मचारियों को 100 प्रतिशत आवास

सुलभ कराया जाना है । जबकि विवाहित निम्न कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आवास सुलभ कराया जाना है ।

इस समय दिल्ली पुलिस में टाइप ई के 43, टाइप डी के 750, टाइप सी के 303, टाइप बी के 1413 और टाइप ए के 3067 क्वार्टर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को आबंटन के लिए सुलभ हैं । मकानों की कमी को पूरा करने के लिए 1980-81 की निम्नलिखित योजनाओं के लिए 180.00 लाख रुपये के परिव्यय को मन्जूर किया गया:-

(1) वजीरपुर आवासीय योजना (4.00 लाख रुपये)

इस योजना में 'क' (ए) वर्ग के 222 क्वार्टर (पुराने वर्गीकरण के अनुसार इसमें प्रथम वर्ग के 150 क्वार्टर शामिल हैं) और ख वर्ग (सभी दूसरे वर्ग) के क्वार्टरों का निर्माण आता है। अभी तक प्रथम चरण में प्रथम वर्ग के 90 क्वार्टरों के निर्माण कार्य को पूरा कराके कब्जे में ले लिया गया है। प्रथम चरण में द्वितीय वर्ग के 90 और द्वितीय चरण में द्वितीय वर्ग के 60 क्वार्टरों के निर्माण कार्य को भी पूरा करा लिया गया है। तृतीय चरण में द्वितीय वर्ग के 60 और प्रथम वर्ग के 60 क्वार्टरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आगामी वित्तीय वर्ष के मध्य में इनके पूरे होने की सम्भावना है । चतुर्थ चरण में अभी क वर्ग के 72 और लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय के निर्माण का काम स्थगन आदेश के तत्पश्चात खाली होने के बाद प्राप्त भूखण्ड पर प्रारम्भ किया जाना है । यह 1976-77 से सतत प्रायोजना है । 1980-81 में शेष प्रायोजना को पूरा करने के लिये 4.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकार की गई है ।

2. उत्तरी जिले के लिये माडल टाउन आवासीय योजना और पुलिस लाइनें (50.00 लाख रुपये)

इस योजना में क वर्ग के 472, ख वर्ग के 432 और ग वर्ग के 104 क्वार्टरों (कुल 1008 इकाइयां) के साथ-साथ 320 व्यक्तियों के लिए 2 बैरकों के निर्माण का नाम आता है क्योंकि भूखण्ड निचले स्थान पर है और इस पर काफी भरती की आवश्यकता है और यह काम तेजी से चल रहा है । भारत सरकार से व्यय की मन्जूरी लेने के लिए 4.28 करोड़ रुपये की धनराशि की सम्पूर्ण प्रायोजना के समेकित अनुमान दिल्ली प्रशासन को पहले ही भेजे जा चुके हैं जिसके ई. एफ. सी भुगतान (क्लीयरेंस) की जरूरत है । भारत सरकार की ई. एफ. सी. की मन्जूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा। 1980-81 में इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये 50 लाख रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया।

3. दक्षिणी एवं नई दिल्ली जिले के लिये आवास (35.00 लाख रुपये)

इस योजना में क वर्ग के 389, (इसमें पहले वर्ग के 165 क्वार्टर शामिल हैं) ख वर्ग के 16 और ग वर्ग के 8 क्वार्टर (कुल मिलाकर 513 इकाइयां) के साथ-साथ 640 पुरुषों के लिये 4 पंक्तिवास (बैरकों) के निर्माण का काम भी आता है। भारत सरकार ने प्रायोजना को पहले ही सरकारी और तकनीकी मन्जूरी प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में 320 पुरुषों के लिये दो पंक्तिवासों (बैरकों) का निर्माण पूरा करके सौंप दिया गया है। द्वितीय चरण में पहले वर्ग के 165 क्वार्टरों के निर्माण का सारा काम लगभग पूरा करा लिया गया है। तृतीय-चरण में 320 पुरुषों के लिये दो पंक्तवासों (बैरकों), रसोई घर और भोजनकक्ष जून 1980 के अंत तक पूरे हो जाएगें । चतुर्थ चरण के अन्य क्वार्टरों का निर्माण अभी प्रारम्भ किया जाना है। वर्ष 1979-80 में 34.28 ल[illegible] रुपये के व्यय के स्थान पर 1980-81 में इस योजना के लि[illegible] 35.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

4. दिल्ली सशस्त्र पुलिस आवास में बाहरी पुलिस के लि[illegible] पंक्ति वास (बैरेक) 15.00 लाख रुपये)

प्रथम चरण में 800 पुरुषों के लिए पांच पंक्तिवासों के सा[illegible] साथ रसोई घर एवं भोजनकक्ष के निर्माण की योजना है । [illegible] काम तेजी से चल रहा है। द्वितीय चरण में अन्य दो पंक्ति[illegible] वास (बैरेकों) के साथ-साथ रसोईघर और भोजनकक्ष के निम[illegible] का काम भी तेजी से चल रहा है और वर्ष 1980-81 के अ[illegible] तक इस के पूरा होने की आशा है। वर्ष 1979-80 [illegible] 29.23 लाख रुपये के व्यय के स्थान पर 1980-81 में 15.[illegible] लाख रुपये की धनराशि मन्जूर की गई।

5. झड़ौदा कलां में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (35.[illegible] लाख रुपये)

इस प्रायोजना में क वर्ग के 144 क्वार्टर, ख वर्ग के 2[illegible] (जिसमें दूसरे वर्ग के 45 क्वार्टर भी शामिल हैं। ग वर्ग[illegible] 48 और घ वर्ग के 16 क्वार्टर (पुराने चतुर्थ वर्ग के क्वा[illegible] शामिल हैं), इस प्रकार सब मिलाकर 453 इकाइयों के निम[illegible] के साथ-साथ, 800 पुरुषों के लिये 5 पंक्तिवास (बैरकों)[illegible] निर्माण का काम आता है। प्रथम चरण में 160 पुरुषों [illegible] लिये एक पंक्तिवास (बैरेक के साथ रसोईघर व भोजनकक्ष[illegible] दूसरे वर्ग व ख वर्ग के 45 तथा चतुर्थ वर्ग के क्वार्टरों[illegible] निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी-अभी 160 पुरुषों[illegible] लिये पंक्तिवास (बैरेक) रसोईघर और भोजनकक्ष के निर्माण[illegible] साथ-साथ क वर्ग के 72 और ख वर्ग के 24 क्वार्टरों के नि[illegible] कार्य को प्रारम्भ किया गया है। 480 पुरुषों के [illegible] तीन पंक्तिवासों (बैरकों) के साथ रसोईघर एवं भोजन[illegible] क वर्ग के 72 क्वार्टर, ख वर्ग के 176 ग वर्ग के 48 और [illegible] वर्ग 8 क्वार्टरों के निर्माण के लिये 1,22,560,50/-र[illegible] की धनराशि के समेकित अनुमान को ई. एफ. सी की स्वी[illegible] मिलनी अपेक्षित है और इसलिए इस को भारत सरकार [illegible] वित्तीय मन्जूरी लेने के लिए भेजा गया है और वित्तीय मन[illegible] की प्रतीक्षा की जा रही है । भारत सरकार की ई. एफ. [illegible] की प्रतीक्षित वित्तीय मन्जूरी मिलने के बाद लोक नि[illegible] विभाग निर्माण कार्य को प्रारम्भ करेगा । गृह मंत्रालय, भ[illegible] सरकार ने योजना को पहले स्वीकृत मांग लिया है ।

1979-80 में 19.83 लाख रुपये के व्यय के स्थान [illegible] 1980-81 में 35.00 लाख रुपये की धनराशि को मन[illegible] मिल गई है।

6. शक्करपुर आवासीय योजना

यह योजना आवास संस्थापन के लिये भवन, 640 पुरुष[illegible] लिये चार पंक्तिवास (बैरकों) के साथ रसोईघर और भ[illegible] कक्ष के निर्माण और क वर्ग के 128 ख वर्ग के 2[illegible] और ग वर्ग के 48 और घ वर्ग के 4 क्वार्टर कुल [illegible] कर 436 इकाइयां और साइकिल, स्कूटर शेड्स के निर्माण[illegible] ध्यान दिया जाता है। प्रथम चरण के निर्माण के लिये [illegible] से मिली मंजूरी से प्रथम चरण में ख वर्ग के 72 और ग[illegible] के 32 क्वार्टरों को स्तम्भ (पाइल फाउन्डेशन) के लिये [illegible] निर्माण विभाग ने टेंडर मांगे हैं । बाकी निर्माण विभाग[illegible] कार्य को पूरा करने के लिये 1,97,54,5000 रुपये की [illegible] राशि के अनुमान तैयार करवा के ई. एफ. सी. मन्जूरी के [illegible] भिजवा दिये गये हैं। गृह मंत्रालय ने भी इस प्रायोजना की

कृति दे दी है । सारी प्रायोजना पर 2.5 करोड़ रुपये की लगभग लागत होगी। 1980-81 में इस योजना के लिये 20.00 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी दी गयी ।

7. राधे श्याम पार्क आवासीय कालोनी (8.00 लाख रुपये)

1977-78 से यह प्रायोजना निरन्तर चल रही है । पहले नक्शे के अनुसार प्रायोजना में कुल मिला कर 465 इकाइयां हैं यानि पहले वर्ग के 160 दूसरे वर्ग के 224 तृतीय वर्ग के 56 और चतुर्थ वर्ग के 15 क्वार्टर हैं । भारत सरकार ने योजना को सरकारी और तकनीकी मंजूरी पहले हो दे दी है । परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस भवन का नक्शा नामंजूर होने के कारण निर्माण कार्य को पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका । कुछ भूमि सम्बन्धी विवाद हो जाने के कारण योजना के नक्शे में संशोधन करना पड़ेगा और नक्शे में शीघ्र संशोधन किया जा रहा है । सम्भवतः हमको आवासीय इकाइयों की कुल संख्या में कमी करनी पड़ेगी । आवश्यक कार्यवाही होने और वित्तीय मंजूरी मिलने के तत्पश्चात् निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाएगा । 1980-81 की इस योजना के लिए 8.00 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई ।

8. आजादपुर आवासीय योजना (1.00 लाख रुपये)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना के निष्पादन हेतु मंजूरी दे दी है । प्रायोजना में 'क' वर्ग के 184 'ख' वर्ग के 128 'ग' वर्ग के 46 और 'घ' वर्ग के 4 क्वार्टर कुल मिलाकर 364 आवासीय इकाइयां होंगी । योजना की कुल लागत 1.15 करोड़ रुपये के आस पास होगी । प्रथम चरण में 'क' वर्ग 100 और 'ख' वर्ग के 100 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है और बाकी काम द्वितीय चरण में सम्पन्न होगा । भारत सरकार की मंजूरी लेने के लिए अनुमान पहले ही भेजे जा चुके हैं । क्योंकि अनुमान एक करोड़ रुपये से बढ़ जाने के कारण ई. एफ. सी. की स्वीकृति आवश्यक है । शीघ्र ही मंजूरी मिलने की आशा है और इसके पश्चात् निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा । 1980-81 में इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई ।

9. शालीमार बाग में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (0.50 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 8000 वर्ग मीटर भूमि का भूखण्ड आवंटन कर दिया था । दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत पहले ही भुगतान कर दी है, परन्तु भूमि का कब्जा लेते समय भूमि अनाधिकृत पाई गई । अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दूसरी जगह भूमि देने का आश्वासन दिया है, शीघ्र ही भूमि मिलने की आशा है । पहले इस योजना में तृतीय वर्ग के तीन, दूसरे वर्ग के 40 और पहले वर्ग के 24 क्वार्टर आबंटित भूमि पर निर्माण करने का विचार था । भारत सरकार ने भी इस योजना को सरकारी/तकनीकी (शिल्पीय) मंजूरी प्रदान कर दी है । वर्ष 1979-80 में 0.01 लाख रुपये के किये गए व्यय के स्थान पर 1980-81 में 0.50 लाख रुपये के प्रावधान की को मंजूर किया गया है ।

10. भूखण्ड संख्या 54/3 ओरिजिनल रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (2.00 लाख रुपये)

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी इस योजना को सरकारी/तकनीकी मंजूरी प्रदान कर दी है । व्यय की मंजूरी भी जारी कर दी गई है । 1980-81 में 2.00 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई ।

11. सुरक्षा पुलिस आवास (0.50 लाख रुपये)

पहले ही आवास एवं निर्माण मंत्रालय ने जंगपुरा एक्सटेन्शन के निकट लोधी रोड पर 8 एकड़ भूमि का भूखण्ड आबंटन किया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने पर इस भूमि पर भवन निर्माण के निवेदन पर आपत्ति उठाई । इसके बाद फ्लाई ओवर ब्रिज के निकट इसके बदले में दूसरे भूखण्ड का आबंटन किया गया । प्रथम चरण में छः एकड़ भूमि का भूखण्ड कब्जे में ले लिया गया है, जबकि बाकी एक एकड़ भूमि जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षत्रीय विकास मानचित्र (नक्शे) में 'हरित पट्टी' दर्शाया गया है को द्वितीय चरण में ले लिया जायेगा और इसका उपयोग केवल वाटिकाओं और क्रीड़ा स्थल आदि के रूप में किया जायेगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत की आवश्यक धनराशि भुगतान कर दी जाएगी जब वह इस धनराशि की मांग करेगा । इस योजना में आवास संस्थापन, उपायुक्त पुलिस के प्रशासनिक ब्लाक सुरक्षा कार्यालय, 1500 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक) के निर्माण के साथ-साथ 'क' वर्ग के 224 'ख' वर्ग के 269 'ग' वर्ग के 40 और 'घ' वर्ग के छः आवासीय क्वार्टर (कुल मिलाकर 530 इकाइयों) के निर्माण का विचार है । प्रायोजना पर कुल तीन करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । जब तक लोक निर्माण विभाग इस प्रायोजना के नक्शे और अनुमान तैयार नहीं करता तब तक इसकी सही लागत और इसके वर्षगत चरणों के व्यय को दर्शाया नहीं जा सकता । योजना भारत सरकार को मंजूरी के लिये पहले ही भेजी जा चुकी है, प्रतीक्षित है । 1980-81 में 0.50 लाख लाख रुपये के प्रावधान को स्वीकार किया गया ।

12. आजादपुर में आवासीय क्वाटरों और पुलिस चौकी (2.00 लाख रुपये)

दिल्ली पुलिस में आवासीय क्वार्टरों की अत्याधिक कमी है। आजादपुर में पुलिस चौकी और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 35 बीघे 3 बिस्वे भूमि का एक भूखण्ड मकानों की कमी को दूर करने के लिए अधिक मकान बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया, ताकि अधिक मकान बनाये जा सकें । दिल्ली प्रशासन के भूमि व भवन विभाग ने 4,25,320/- रुपये की धनराशि भूस्वामियों की क्षतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए मांगी है । भूमि की लागत अदा करने के बाद भूमि का कब्जा लिया जाएगा । हमने भारत सरकार से प्रशासनिक/तकनीकी अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है जो प्रतीक्षित है । पुलिस चौकी के प्रशासनिक ब्लाक के निर्माण के साथ 20 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक) आवास और 'क' वर्ग के 100 'ख' वर्ग के 100, 'ग' वर्ग के 40 और 'घ' वर्ग के 4 क्वार्टरों के निर्माण का विचार है । भूमि और प्रायोजना पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आएगी । नयी योजना के लिये 1980-81 में 0.50 लाख रुपये के आंशिक प्रावधान को अनुमोदित किया गया ।

13. थाना नांगलोई के लिए आवासीय क्वार्टर (1.00) लाख रुपये)

थाना नांगलोई में स्टाफ क्वार्टर की अत्याधिक कमी होने के कारण इस कमी को दूर करने के लिए कुछ और क्वार्टरों के निर्माण का विचार है । इस परियोजना के लिए नांगलोई गांव में 3 बीघे और 9 बीघे भूमि अधिग्रहण की गई है । भारत सरकार

से अनुमोदन मिलने पर भूमि की कीमत अदा कर दी जाएगी। इस योजना में 'क' वर्ग के 32 'ख' वर्ग के 16 और 'ग' वर्ग के 2 क्वार्टरों के निर्माण का विचार है। भूमि और परियोजना की कुल लागत लगभग 15.00 लाख रुपये होगी। यह नयी योजना है और भारत सरकार से इसकी मंजूरी लेना है। 1980-81 में इस योजना के लिए 1.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

14. थाना कोतवाली के लिए आवासीय क्वार्टर (3.00 लाख रुपये)

तत्कालीन उपराज्यपाल महोदय ने चांदनी चौक में थाना कोतवाली का बड़ा भाग गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को सौंप दिया था और नये दरिया गंज में थाना कोतवाली के नये भवन के निर्माण के साथ-साथ आवश्यक आवासीय क्वार्टरों के भी निर्माण के लिए भूमि पर एक एकड़ भूखण्ड को चिह्नित कर दिया गया। वास्तव में 1.03 एकड़ भूमि में से केवल 0.5555 एकड़ भूखण्ड ही निर्माण प्रायोजना के लिए सुलभ हो सका। इस पर थाना कोतवाली के प्रशासनिक ब्लाक के साथ बैरक आवास का निर्माण किया गया। थाना कोतवाली के तृतीय तल पर केवल पहले वर्ग के 13 क्वार्टर ही सुलभ हो सके। बाकी 0.475 एकड़ भूखण्ड अभी रोजगार कार्यालय के पास है और इस प्रकार हमारे कर्मचारियों के लिए अपेक्षित स्टाफ क्वार्टर सुलभ नहीं हो सकते। कोई अन्य विकल्प न मिलने पर हमारे लगभग 3996 वर्ग गज के खसरा संख्या 13 मिन और खसरा 19 मिन के साथ-साथ रोजगार कार्यालय के पास कब्जे वाले भूखण्ड को भी अधिग्रहण करने का निर्णय लिया ताकि हम थाना कोतवाली में तैनात स्टाफ को आवासीय सुविधा सुलभ कराने में समर्थ हो सकें। उपायुक्त पुलिस दिल्ली ने सूचना दी है कि इसके अधिग्रहण और क्षति पूर्ति पर 8 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे विचार जानने चाहे हैं कि क्या हम इतनी विशाल धन-राशि के भुगतान करने की स्थिति में हैं। उपायुक्त पुलिस को अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया था। परन्तु हमने नगर में बहुत कम भूक्षेत्र मिलने की स्थिति को ध्यान में रखकर थाना कोतवाली परिसर के लिए इस (रोजगार कार्यालय) खसरा संख्या 13 मिन और 19 मिन के सारे क्षेत्र को योजना बनाते समय लिया गया। प्रशासन क्षतिपूर्ति की मंजूरी प्रदान करने के लिए तत्पर था परन्तु भारत सरकार ने प्रशासनिक तकनीकी कारणों के कारण योजना को मंजूर नहीं किया। यह एक नयी योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिए 3.00 लाख रुपये अनुमोदित करने का विचार है। भारत सरकार से अभी इस योजना का अनुमोदन प्राप्त करना है।

15. सुलतानपुर गांव में दिल्ली सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी भेजना (2.00 लाख रुपये)

नयी पुलिस लाईन कैम्प में भीड़-भाड़ बढ़ जाने के कारण दिल्ली सशस्त्र पुलिस की वाहनी को विभिन्न जिला-स्थलों पर भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह स्थान पहले केवल एक टुकड़ी के लिए था। इस परियोजना के लिए सुलतान पुर गांव में 20 एकड़ भूमि लेने का विचार था, जिसमें भूमि व भवन विभाग ने 802 बीघे 10 बिस्वे भूमि पहले ही अधिग्रहण कर ली है। भूमि पर लगभग 1,17,355 रुपये लागत आने का अनुमान है। लाइन संस्थापन के लिए बैरेक आवास और आवासीय क्वार्टरों के साथ कुछ आवास निर्माण का प्रस्ताव है। हमारा 640 पुरुषों के लिए बैरेक आवास के साथ रसोई घर और भोजन कक्ष 'क' वर्ग के 130, 'ख' वर्ग के 250, 'ग' वर्ग के 50 और 'घ' वर्ग के 4 क्वार्टर (कुल मिलाकर 434 इकाइयां) सुलभ कराने का विचार है। प्रायोजना पर कुल 2 करोड़ रुपये की लगभग लागत आएगी, जिसमें भूमि के अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिए 2.00 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

16. दिलशाद गार्डन में पूर्वी जिले के लिए दिल्ली सशस्त्र पुलिस की एक वाहनी (बटालियन) भेजना (0.05 लाख रुपये)

नये पुलिस लाइन कैम्प में भीड़ के बढ़ जाने के कारण दिल्ली सशस्त्र पुलिस वाहनी को जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि पहले यह जगह केवल एक बटालियन के लिये थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपेक्षित भूमि मिलने की सम्भावना है। 640 पुरुषों के लिये बेरेक आवास सुलभ कराने के साथ लाइन संस्थापन के प्रशासनिक ब्लाक के निर्माण के साथ-साथ क वर्ग के 150, ख वर्ग के 250 ग वर्ग के 50 और घ वर्ग के 4 क्वार्टर (कुल मिलाकर 343 इकाइयों) के निर्माण का विचार है। प्रयोजना पर कुल 2 करोड़ रुपये की लगभग लागत आएगी, जिसमें भूमि के अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिये 0.05 लाख रुपये के आंशिक प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

17. बोडेला में पश्चिमी जिले की दिल्ली सशस्त्र वाहनी की एक बटालियन को भेजना (0.40 लाख रु०)

नये पुलिस लाइन कैम्प में भीड़ भाड़ हो जाने के कारण दिल्ली पुलिस वाहनी को जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह जगह केवल एक बटालियन के लिये थी। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को बोडेला में 12 एकड़ भूमि आबंटन करने का अनुरोध किया गया। इस योजना में लाइन संस्थान के साथ 640 पुरुषों के लिये बैरेक आवास के निर्माण के साथ-साथ क वर्ग के 130, ख वर्ग के 250, ग वर्ग के 50, घ वर्ग के 4 क्वाटर (कुल मिला कर 434 इकाइयां) के निर्माण का विचार थाा। इस प्रायोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये की कुल लागत होगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980–81 में इस योजना के लिये 0.40 लाख रुपये आंशिक प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

18. यमुना पर केन्द्रीय जिला आवास का निर्माण (0.10 लाख रुपये)

जब से शकूरपुर आवासीय योजना (प्रीतमपुर) में निर्माण किये जा रहे आवास (लाइन) नवसृजित पश्चिमी जिले के क्षेत्र में पड़ने लगे तब से इस आवास को पश्चिमी जिले के लिये प्रयोग में लाने और केन्द्रीय जिले के लिये भूमि कहीं और तालाश करने का प्रस्ताव किया गया। उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय जिला आवास के नये भवन निर्माण के लिये यमुना पार 10–12 एकड़ भूमि का आबंटन करने का आश्वासन दिया है। इस योजना में आवास संस्थापन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ 600 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक) क वर्ग के 130, ख वर्ग के 250, ग वर्ग के 50 और घ वर्ग के 4 क्वार्टर (कुल मिला कर 434 इकाइयों) के निर्माण

का प्रस्ताव है। इस योजना पर लगभग दो करोड़ रुपये की कुल लागत होगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980–81 में इस योजना के लिए 0.10 लाख रुपये के आंशिक प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

सब मिलाकर वर्ष 1980–81 में पुलिस आवास योजना के लिये 18.000 लाख रुपये को परिव्यय को अनुमोदित किया गया है।

. थाना चौकी पुलिस भवन

इस उपशीर्ष में थाने पुलिस चौकी और उपायुक्त पुलिस कार्यालय के भवनों के निर्माण के लिए योजनाएं विशेष रूप से प्रस्तावित शामिल की गई। 1980–81 में जिन योजनाओं के लिये परिव्यय अनुमोदित किया गया उन योजनाओं का संक्षिप्त सारांश नीचे निर्दिष्ट है :—

1. पहाड़ गंज में थाना (15.00 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक साथ-साथ 150 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) और क वर्ग के 14, ख वर्ग के 24 और ग वर्ग के 16 क्वार्टर (कुल मिलाकर 54 इकाइयां) आते हैं। 1977–78 से यह सतत परियोजना है। चित्रगुप्त मार्ग और देशबन्धु मार्ग को दोबारा ठीक करने के लिये भवन मानचित्र का संशोधन करने और दिल्ली नगर निगम से नकशे की मन्जूरी लेने के कारण निर्माण कार्य को पहले शुरु नहीं किया जा सका। पहली बार प्रथम चरण में थाने भवन के प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण कार्य और स्थल के विकास को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। जबकि प्रथम चरण के पूरे होने पर पुराने थाना भवन को गिराकर द्वितीय चरण में आवासीय क्वार्टर और लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। भारत सरकार से प्रशासनिक/तकनीकी रूप से मन्जूरी पहले ही मिल गई है। सम्पूर्ण परियोजना पर कुल 45 लाख के आसपास लागत आएगी। 1980–81 में इस योजना के लिये 1.00 लाख रुपये की धनराशि मन्जूर की गई है।

2. महरोली थाना (6.50 लाख रुपये)

इस योजना में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 100 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के कुल मिलाकर 8 आवासीय क्वार्टर आते हैं। 1977–78 से यह सतत परियोजना है। और परियोजना भारत सरकार से प्रशासनिक/तकनीकी रूप से भी मन्जूर है। परियोजना पर कुल 20 लाख रुपये के आसपास लागत आयेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण से इसके भवन मानचित्र मन्जूर न होने के कारण इस निर्माण कार्य को पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका और अब मन्जूरी मिल गयी है तथा लोक निर्माण विभाग इस काम को शीघ्र ही प्रारम्भ करेगा। 1980–81 की इस योजना के लिए 6.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

3. अशोक विहार थाना (29 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाना भवन और 144 पुरुषों के पंक्तिवास (बैरेक आवास) आते हैं। भारत सरकार ने भी इस परियोजना को प्रशासनिक/तकनीकी रूप से मन्जूरी दे दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र को मन्जूर न करने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब आवश्यक कार्यवाही करवा कर लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। परियोजना पर कुल लागत लगभग 52 लाख रुपये तक होगी। 1980–81 में इस योजना के लिए 21 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

4. फराश बाजार में थाना (26.00 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाने के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 102 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 40, 'ख' वर्ग के 42, और 'ग' वर्ग के 6 क्वार्टर कुल मिलाकर 88 इकाइयां आती हैं। परियोजना पर कुल लागत 55.00 लाख रुपये के करीब आएगी। दिल्ली प्रशासन ने अनुमानित व्यय को पहले मन्जूर कर दिया है। भारत सरकार ने भी योजना को प्रशासनिक/तकनीकी रूप से मन्जूर कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन-मानचित्र को मंजूर न करने के कारण लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सका। अब आवश्यक कार्यवाही करवाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की शीघ्र सम्भावना है। वर्ष 1980–81 में 26 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

5. सीमापुरी में पुलिस चौकी (0.50 लाख रुपये)

इस परियोजना में पुलिस चौकी (नया थाना) के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के लिय पंक्तिवास बैरेक आवास और सब मिलाकर 'ग' वर्ग के 2 क्वार्टर आते हैं। जब तक थाने के लिए नया भवन तैयार नही हो जाता तब तक थाने के आवास के लिए लगभग 7.40 लाख रुपये की कुल लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण से जनता के 15, निम्न आय वर्ग के 5 और मध्य आय वर्ग के 2 क्वार्टर अलग से खरीदने का प्रस्ताव किया गया। इसके बाद ये मकान (फलैट्स) थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार आवंटित कर दिये जाएंगे। सम्पूर्ण परियोजना पर 20.00 लाख रुपये के लगभग कुल लागत होगी। 1980–81 में 10.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। भवन के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 1980–81 के अन्त तक इसके पूरे होने की आशा है।

6. जनकपुरी थाना (17.00 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाने के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 80 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 32, 'ख' वर्ग के 23, 'ग' वर्ग के 12 क्वार्टर (कुल मिलाकर 68 इकाइयां) आते हैं। भारत सरकार ने इसको प्रशासनिक / तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया है। भवन मानचित्र को मन्जूरी न मिलने के कारण निर्माण कार्य को पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब मन्जूरी मिल गई है और सम्भवत: लोक निर्माण विभाग भवन की नींव भरने के काम को प्रारम्भ कर देगा। इस परियोजना पर लगभग

30 लाख रुपये की कुल लागत होगी। 1980–81 में 17.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

7. पुलिस उपायुक्त दक्षिण कार्यालय (6 लाख रुपये)

इस परियोजना में पुलिस उपायुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ अनिवार्य आवासीय क्वार्टर आते हैं यानि 'ग' वर्ग के 44 और 'ख' वर्ग के 4 (कुल मिलाकर 48 इकाइयां) सम्पूर्ण परियोजना पर लगभग 25 लाख रुपये की कुल लागत होगी। 1980–81 में 6 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। दिल्ली प्रशासन ने व्यय-अनुमानों को पहले ही मन्जूर कर दिया है। सम्भवतः लोकनिर्माण विभाग निर्माण कार्य को शुरू करेगा। परन्तु भूमि प्रयोग के बदल जाने और भवन मानचित्र के मन्जूर न होने के कारण इसको पहले शुरू नहीं किया जा सका।

8. पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) का कार्यालय (0.50 लाख रुपये)

इस परियोजना में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कार्यालय के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 'ग' वर्ग के 8 और 'घ' वर्ग के चार क्वार्टर कुल मिलाकर (12 इकाइयां) आते है। इस योजना को निष्पादन करने के लिए भारत सरकार ने अपना प्रशासनिक तकनीकी अनुमोदन भिजवा दिया है। दिल्ली प्रशासन को 27,29,900 रुपये के अनुमानित व्यय की योजना पहले ही व्यय संस्वीकृति के लिए भेज दी गई है। वित्तीय संस्वीकृति (मन्जूरी) मिलने के बाद निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा। योजना पर 30 लाख रुपये के आसपास लागत होगी। 1980–81 में 0.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

9. शकूर बस्ती में पुलिस चौकी (0.50 लाख रुपये)

इस योजना में पुलिस चौकी के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 100 पुरुषों के लिए पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 112, 'ख' के 80, 'ग' वर्ग के 16 क्वार्टर (कुल मिलाकर 208 क्वार्टर) आते हैं। भारत सरकार ने योजना प्रशासनिक तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दी है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है। परियोजना पर लगभग 80.00 लाख रुपये की कुल लागत होगी। 1980–81 की इस योजना के लिए 0.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

10. नन्द नगरी पुलिस चौकी (0.50 लाख रुपये)

इस परियोजना में पुलिस चौकी भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 16, 'ख' वर्ग के 8 आवासीय क्वार्टर (कुल मिलाकर 44 इकाइयां) आते है। इस परियोजना पर 10.00 लाख रुपये के आस-पास कुल खर्च होगा। भारत सरकार ने भी इस योजना को प्रशासनिक (तकनीकी) रूप से अनुमोदित कर दिया है। वित्तीय संस्वीकृति मिलने के बाद लोकनिर्माण विभाग कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कर देगा। अभी वित्तीय मन्जूरी प्रतीक्षित है। 1980–81 में 0.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

11. दक्षिणपुरी पुलिस चौकी (0.05 लाख रुपये)

इस परियोजना में पुलिस चौकी भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के लिए आवास बैरक और कुल मिलाकर सभी आवासीय इकाइयां 'क' वर्ग के 12 और 'ख' वर्ग के 4 क्वाटर आते हैं। यह एक अनुमोदित परियोजना है। सम्भवतः लोकनिर्माण विभाग निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करेगा। 1980–81 में 0.05 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। परियोजना पर 15 लाख रुपये के आसपास कुल खर्चा होगा।

12. गांधी नगर थाना (0.50 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाना भवन के प्रशासनिक भवन के निर्माण के साथ-साथ 78 पुरुषों के बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 48, 'ख' वर्ग के 80 और 'ग' वर्ग के 4 क्वार्टर (कुल मिलाकर 132 इकाइयां) आते हैं। भारत सरकार से भी यह योजना अनुमोदित है; परियोजना पर 55 लाख रुपये के आसपास कुल खर्चा होगा। चालू वर्ष में निर्माण कार्य शुरू होने की सम्भावना है। 1980–81 में 0.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

13. नारायण थाना (2.00 लाख रुपये)

इस परियोजना में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 59 पुरुषों के लिए बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 8 क्वार्टर आते है। परियोजना पर 20.00 लाख रुपये के आसपास खर्च होगा। 1980–81 में 2.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया।

14. आदर्श नगर थाना (0.50 लाख रुपये)

पहले आजादपुर थाने के विद्यमान स्थल पर आदर्शनगर थाने के नये भवन के निर्माण का विचार है। इस परियोजना पर थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 100 पुरुषों के लिए बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 32, 'ख' वर्ग के 16 और 'ग' वर्ग के 2 क्वार्टर (कुल मिलाकर 50 इकाइयां) आते हैं। भारत सरकार ने योजना को प्रशासनिक तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया है। लोकनिर्माण विभाग से भवन के मानचित्र शीघ्र आने की आशा है और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा। 1980–81 की इस योजना में 0.50 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई।

15. बदरपुर थाना (0.50 लाख रुपये)

पहली पुलिस चौकी, बदरपुर के पुराने ढांचे को गिराकर विद्यमान स्थान पर भवन निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 50 पुरुषों के लिए बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 32, 'ख' वर्ग के 16 और 'ग' वर्ग के दो क्वार्टर (कुल मिलाकर 50 इकाइयां) आते हैं। परियोजना पर 25.00 लाख रुपये के लगभग कुल खर्चा होगा। भारत सरकार ने भी योजना को प्रशासनिक तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नक्शा अनुमान तैयार किये जाने के शीघ्र बाद निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा।

सराय रोहिल्ला थाना (5.00 लाख रुपये)

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा आवंटित 2 एकड़ भूमि का भू-खण्ड ले ही हमारे कब्जे में है। लोक निर्माण विभाग ने भवन-चित्र तैयार कर लिया है। इसमें थाना भवन के प्रशासनिक क के साथ-साथ 90 पुरुषों के लिए बैरेक आवास और वर्ग के 48, 'ख' वर्ग के 16 और 'ग' वर्ग के 4 क्वार्टर ल मिलाकर 68 इकाइयां) सुलभ होंगे। भारत सरकार योजना अनुमोदित कर दी है। 1980-81 में इस ना के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

कल्याणपुरी थाना (5.50 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले एक एकड़ का भू-खण्ड चिन्हित किया था, परन्तु इस परियोजना लिये इसे बहुत छोटा समझा गया क्योंकि थाना भवन प्रशासनिक ब्लाक के साथ साथ इस (थाने) में एक भारी वहन कर्मशाला की स्थापना और लगभग 100 पुरुषों लिए बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 40, 'ख' वर्ग के 52 'ग' वर्ग 4 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव था। इस परि-ना पर लगभग 60.00 लाख रुपये तक कुल खर्च ा, जिससे भूमि की कीमत भी शामिल है। चालू वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है। 1980-81 इस योजना के लिये 5.50 लाख रुपये की धनराशि मोदित की गई है।

बसंत विहार थाना (0.50 लाख रुपये)

प्रारम्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बसंत बिहार में स चौकी के लिये भू-खण्ड आवंटित किया। पुलिस चौकी रूपेण में थाना उन्नत हो जाने के बाद यह भू-खण्ड के लिये बहुत छोटा रह गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण अब सामुदाय केन्द्र में 2 एकड़ भूमि की शेष लागत के तान हेतु लगभग 10 लाख रुपये की धनराशि मांगी है। धनराशि उस (दि० वि० प्रा०) ने पुलिस चौकी के लिये की अदा की गई लागत का समायोजन करके मांगी है। त सरकार ने अब योजना को अपना अनुमोदन प्रदान कर ा है। भूमि को शीघ्र कब्जे में लेने की आशा है। इस ना में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 0 पुरुषों के लिए बैरेक आवास 'क' वर्ग के 40, 'ख' वर्ग 32 और 'ग' वर्ग के चार क्वार्टरों (कुल मिलाकर 76 इकाइयां) निर्माण का प्रस्ताव है। 1980-81 में 0.50 लाख रुपये धनराशि अनुमोदित की गई।

कमला मार्केट थाना (7.50 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने थाने के लिये 1.96 एकड़ का भू-खण्ड चिहिन्त कर दिया है। भूमि का आवंटन और ा शीघ्र मिलने की आशा है। इस योजना के सम्बन्ध में त सरकार से आवश्यक प्रशासनिक तकनीकी अनुमोदन मिलने की आशा है। हमें भूमि मिलने के बाद निर्माण को शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। 1980-81 ने 7.50 रुपये की धनराशि अनुमादित की गई। सम्पूर्ण परियोजना कुल 80 लाख रुपये के लगभग खर्च होगा।

20. राजौरी गार्डन थाना (0.50 लाख रुपये)

पहले ही 1.59 एकड़ भूमि का भूखण्ड हमारे कब्जे में है। लोक निर्माण विभाग ने भवन का मानचित्र पहले ही बना लिया है। भारत सरकार ने भी योजना को प्रशासनिक तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया है। प्रारम्भिक अनुमान और वित्तीय स्वीकृति मिलने के शीघ्र बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। 1980-81 ने 0.50 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

21. गांधी नगर थाने के अधीन कैलाश नगर पुलिस चौकी (0.40 लाख रुपये)

पुलिस चौकी के पास अपना भवन न होने के कारण पुलिस चौकी ने तम्बुओं में काम शुरू कर दिया। पुलिस चौकी के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के लिये बैरेक आवास के साथ 'क' वर्ग के 8 'ख' वर्ग के 8 क्वार्टर निर्माण करने का प्रस्ताव है। परियोजना पर कुल 20 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। भारत सरकार से योजना की आवश्यक प्रशासनिक तकनीकी अनुमोदन लेने के पहले ही अनुरोध कर दिया गया है, जो प्रतीक्षित है। यह नयी योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिये 0.50 लाख रुपये आंशिक प्रावधान के रूप में अनुमोदित किये गये।

22. कालका जी थाने के अधीन ओखला पुलिस चौकी और स्टाफ क्वार्टर (0.05 लाख रुपये)

पुलिस चौकी के पास इलाके में अपना भवन न होने के कारण पुलिस चौकी ने तम्बुओं में काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिये अपने नये भवन निर्माण का विचार है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमको इस प्रयोजन के लिये लगभग एक एकड़ भूखण्ड आवंटित किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की कीमत पहले अदा कर के भूमि का कब्जा ले लिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने आवश्यक नक्शा भी तैयार करवा लिया गया है। इस परियोजना में पुलिस चौकी के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 25 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) 'क' वर्ग के चार और 'ख' वर्ग चार क्वार्टर होंगे। परियोजना पर लगभग 10.00 लाख रुपये के कुल खर्च होगा। 1980-81 को इस योजना के लिये 0.05 लाख रुपये की आर्थिक धनराशि अनुमोदित की गई।

23. पुलिस चौकी शक्करपुर (1.05 लाख रुपये)

प्रारम्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शक्करपुर पुलिस चौकी को 0.9 एकड़ भूमि का भूखण्ड आवंटित किया परन्तु पुलिस चौकी से पूर्ण रूपेण थाने में उन्नत हो जाने से यह जगह भवन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिये लक्ष्मी नगर के जिला केन्द्र में 2 एकड़ भूमि सिद्धांततः आवंटित करने में सहमत हो गया। थाने के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 80 पुरुषों के लिये बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 32, 'ख' वर्ग के 24 और 'ग' वर्ग के 12 क्वार्टर (कुल मिलाकर 68 इकाइयां) निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर लगभग 40.00 लाख रुपये तक खर्च होगा,

जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। 1980-81 की इस नयी योजना के लिये 1.05 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

24. बाड़ा हिन्दू राव थाना (1.05 लाख रुपये)

इस थाने के पास अपना कोई भवन नहीं है और उसने प्राथमिक विद्यालय (पी0एस0) के भवन में साझे के आधार पर काम शुरू कर दिया है। हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को भूखण्ड संख्या 8793 से 95 (कुल मिलाकर क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर) को थाना भवन के लिये आवंटन करने का प्रस्ताव किया है। ये भूखण्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण के हैं। परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्रीय मानचित्र में इनको प्राथमिक विद्यालय दर्शाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम से भूमि प्रयोग परिवर्तन करने के बाद यह भूमि आवंटन करने को राजी हो गये हैं। परन्तु वास्तविक आवंटन अभी प्रतीक्षित है। उक्त कथित भूमि पर थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 80 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 32, 'ख' वर्ग के 16 और 'ग' वर्ग के 4 क्वार्टर (कुल मिलाकर 52 इकाइयां) निर्माण करने का विचार है। परियोजना पर लगभग 30.00 लाख रुपये तक कुल खर्च होगा, जिसमें भूमि की कीमत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980-81 की इस योजना के लिये 1.05 लाख रुपये की आर्थिक प्रावधान अनुमोदित किया गया।

25. पुलिस चौकी पटपड़ गंज (0.05 लाख रुपये)

पुलिस चौकी के पास इलाके में कोई अपना भवन न होने की स्थिति में इस को प्राइवेट पुराने भवन में काम शुरू करना पड़ा। यह अत्यन्त असन्तोषजनक व्यवस्था है। इसलिये हमने दिल्ली नगर निगम को पटपड़गंज रोड और कोटला रोड के चौराहे पर एक एकड़ भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव किया है ताकि हम उपरोक्त पुलिस चौकी के लिये नये भवन का निर्माण करवा सकें। दिल्ली नगर निगम के पास मामला विचाराधीन है और हमें शीघ्र ही भूमि के आवंटित होने की आशा है। पुलिस चौकी के प्रशासनिक ब्लाक के साथ साथ 20 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 12 और 'ख' वर्ग के 6 क्वार्टर (कुल मिलाकर 18 इकाइयां) निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर लगभग 20 लाख रुपये तक कुल खर्च होगा, जिसमें भूमि की कीमत भी शामिल है। यह नयी योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिये 0.05 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया।

26. पश्चिम पुरी में पुलिस चौकी (0.05 लाख रुपये)

पुलिस चौकी थाने के पास इलाके में कोई अपना भवन नहीं है और पुलिस चौकी को स्थायी रूप से तम्बुओं में काम शुरू करना पड़ा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समुदाय केन्द्र में 1382 वर्गमीटर का भूखण्ड 210 प्रतिवर्ग मीटर की दर से 2,90,325 रुपये के अस्थाई मूल्य लगाकर आवंटित कर दिया है और उसने यह धनराशि मांगी है। भूमि-मूल्य के भुगतान न होने के कारण भूमि का कब्जा नहीं मिला। पुलिस चौकी भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 30 पुरुषों के लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) के साथ-साथ 'क' वर्ग के 12 और 'ख' वर्ग के छः क्वार्टर निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर लग 20.00 लाख रुपये तक कुल व्यय होगा जिसमें भूमि का मूल्य शामिल है। यह नयी योजना है और 1980-81 को इस यो के लिये 0.05 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया

27. लारेंस रोड थाना (0.05 लाख रुपये)

थाने के पास अपना कोई भवन न होने के कारण थाना कि के भवन में काम कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एकड़ भूमि का भूखण्ड आवंटित कर दिया है। भूमि का कब्जा ह पास है। थाना भवन और उसके स्टाफ क्वार्टरों का मान लोक निर्माण विभाग से तैयार करवा लिया गया है। इस परियो में थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 80 पुरु लिये पंक्तिवास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 30 'ख' 32 और 'ग' वर्ग के 4 क्वार्टर आते हैं। इस परियोजना पर ल 40.00 लाख रुपये कुल व्यय होगा। यह नयी योजना है 1980-81 में 0.05 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान मोदित किया गया।

28. चितरंजन पार्क में पुलिस चौकी भवन (1.05 लाख

पुलिस चौकी के पास इलाके में अपना यथोचित भवन के कारण पुलिस चौकी को दिल्ली विकास प्राधिकरण के एकड़ कक्ष आवास (जनता आवास) में काम शुरू करना हमने पुनर्वास मन्त्रालय को पुलिस के नये भवन निर्माण हेतु चि पार्क में भूखण्ड अर्थात भूखण्ड संख्या 2148 (शिशु शाला के और भूखण्ड से 2150 (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के में से 0.5 एकड़ भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव किया गय मन्त्रालय के पास मामला विचाराधीन है उक्त कथित भू आवंटन और उस पर नये भवन के निर्माण पर समय ल और तब तक हमने पुलिस चौकी को आवास सुलभ कराने के दिल्ली विकास प्राधिकरण से लगभग 3,60,000 रुपये कुल से 20 जनता आवास खरीदने का प्रस्ताव किया गया। चौकी भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के वास (बैरेक आवास) और 'क' वर्ग के 12 और 'ख' वर्ग स्टाफ क्वार्टर निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह नयी यो और 1980-81 में 1.05 लाख रुपये के प्रावधान अनु किया है।

29. फ्रेण्ड्स कालोनी में पुलिस चौकी (0.05 लाख रु

पुलिस चौकी के पास इलाके में अपना कोई भवन न कारण इस समय पुलिस चौकी दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटित भूमि के भूखण्ड पर तम्बुओं में चल रहे हैं। भूमि पहले ही अदा कर दिया गया है। हमने पुलिस चौकी के प्र ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के लिये बैरेक आवास अ वर्ग के 12 और 'ख' वर्ग के 6 आवासीय क्वार्टर निर्माण क प्रस्ताव किया है। परियोजना पर लगभग 15.00 लाख रु व्यय होगा। यह नयी योजना है और 1980-81 में रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया।

. सनलाइट कालोनी में पुलिस चौकी (0.05 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने (0.93) एकड़भूमि का भूखण्ड ंटित किया था । यह भूखण्ड पहले से ही हमारे कब्जे में । अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण को 85 रुपए प्रति गज की से 3,82,602 रुपए का अनन्तिम भुगतान कर दिया गया है । म का कब्जा लेकर लोक निर्माण विभाग से भवन का आवश्यक शा तैयार करवा लिया गया है । भारत सरकार ने पुलिस की बनाने के लिए 30-5-78 को पत्र संख्या यू 4014/ –यू० टी० पी० के अनुसार अपनी मन्जूरी प्रदान कर दी है । समय पुलिस चौकी तम्बुओं में काम कर रही है । दिल्ली कास प्राधिकरण ने 340 रुपए प्रति वर्ग की दर 8,96,988 ए की अतिरिक्त धनराशि मांगी है, जिस को कि हमने दिल्ली ासन से व्यय संस्वीकृत हेतु पहले भेजा हुआ है लएव्यय संस्वीकृत क्षित है । इस परियोजना की पुलिस को भवन के प्रशास- क ब्लाक के साथ-साथ 20 पुरुषों के लिए आवास और 'क' के 12 और 'ख' वर्ग के 6 क्वार्टर हैं । परियोजना पर लगभग .00 लाख रुपये कुल व्यय होगा यह नयी योजना है 1980-81 में 0.05 लाख रुपए का आंशिक प्रावधान मोदित किया गया है ।

रामाकृष्णन् पुरम में थाना (0.05 लाख रुपये)

आवास व निर्माण मंत्रालय के भूमि व विकास कार्यालय ने 733 एकड़ भूमि का भूखण्ड आवंटित किया है । यह भूमि ली विकास प्राधिकरण के पास रख रखाव और विकास के पड़ी है । अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि समतल बराबर करके 5000/- रुपए की धनराशि मांगी है । ी प्रशासन से इसके व्यय मन्जूरी करने के लिए पहले ही ोध कर दिया है और व्यय मन्जूरी प्रतीक्षित है । हमने भवन को प्रशासनिक ब्लाक के साथ साथ 80 पुरुषों के बैरेक आवास और 'क' वर्ग के 40 'ख' वर्ग के लिए 32 और र्ग के 4 (कुल मिलाकर 76 इकाइयां) निर्माण करने का ाव किया है । परियोजना पर लगभग 50 लाख रुपए व्यय होंगे । यह नयी योजना है और 1980-81 में इस ना के लिए 0.05 लाख रुपए का आंशिक प्रावधान किया गया

सीलमपुर थाना (0.05 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आंवटित 132 फुट 137 के आकार का आवंटित भूखण्ड पहले ही हमारे कब्जे में रन्तु इस भूखण्ड को थाना-भवन के लिए बहुत छोटा समझा । पहले भूखण्ड के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण 222 वर्ग गज का अन्य भूखण्ड प्रदान किया है । हालांकि का वास्तविक आवंटन अभी प्रतीक्षित है ।

एक भूखण्ड पर थाना भवन के प्रशासनिक ब्लाक के साथ- 30 पुरुषों के लिए बैरेक आवास और दूसरे भूखण्ड पर 'क' 40 'ख' वर्ग के 32 और 'ग' वर्ग के चार क्वार्टर निर्माण का प्रस्ताव है । इस परियोजना पर लगभग 50.00 लाख कुल व्यय होंगे, इसमें भूमिका मूल्य भी शामिल है । यह योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिए 0.05 रुपए का आंशिक प्रावधान किया गया ।

33. फाजलपुर मण्डावली में अश्व चरगाह (0.20 लाख रुपये)

फजलपुर मण्डावली में 200 बीघे भूमि दिल्ली पुलिस की पुलिस अश्वचरगाह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिग्रहण की गई । भूमि व भवन विभाग ने उक्त भूमि अधिग्रहण की परन्तु भूमि व भवन विभाग को 10,10,000/– रुपए की धन-राशि की क्षतिपूर्ति के भुगतान न करने के कारण अधिनिर्णय हुआ है । भूमि के अधिग्रहण को मूल्य के भुगतान हेतु पहले ही प्रशासन की व्यय मन्जूरी के लिए भेजा गया है । अब तक धन के अभाव के कारण नहीं हो सका । वहां पर घोड़ों के लिए कुछ तबेले (आवास) और प्रशासनीक ब्लाक के एक हिस्से का निर्माण किया जायेगा । और बाकी भूमि घास उगाने के लिए छोड़ दी जायेगी । परियोजना पर लगभग एक करोड़ रुपया कुल व्यय होगा, जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है यह एक नई का योजना है और 1980-81 में इस योजना के लिए 0.20 लाख लाख रुपए का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

34. सुलतान पुर गांव में मस्करी रेंज (0.05 लाख रुपये)

अभी तक दिल्ली पुलिस के पास अपनी गोलाबारी क्षेत्र (फायरिंग रेंज) नहीं है और दिल्ली पुलिस को वार्षिक गोलाबारी और पासिंग आउट के लिए गुड़गांवा या मेरठ जिले में जाना पड़ता है । यदि हमारे पास मस्कटरी रेंज की व्यवस्था हो जाती है, तो कर्म-चारियों को मेरठ या गुड़गांवा ले जाने और फायरिंग के बाद उनको वापिस लाने का खर्च बच सकता है । इस प्रयोजन के लिए हमने भूमि व भवन विभाग से गांव सुलतानपुर में 341 बीघे भूमि अधिग्रहण की है । भूमि व भवन विभाग ने क्षतिपूर्ति की लागत के लिए 1,17,355/– रुपए की धनराशि मांगी है । उसने क्षतिपूर्ति बढ़ाये जाने की भी शर्त साथ रखी है । आवश्यक व्यय मंजूरी भी मांगी गई है । लगभग 700 लाख रुपए के अनुमानित व्यय से मस्कटरी उपकरण, शौचालय, सेप्टी-वाल और कुन्दे (बुट) आदि के लिए कुछहटोर निर्माण करने का प्रस्ताव है । परियोजना पर लगभग 10.00 लाख रुपए का कुल व्यय होगा, इसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है । यह नयी योजना है और 1980-81 इस योजना के लिए 0.20 लाख रुपए का आंशिक प्रावधान किया गया ।

1980-81 में थाना पुलिस चोकी भवन के लिए कुल मिलाकर 120.00 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

1. प्रथम जेल भवन व दूसरे चरण में कैम्प जेल का निर्माण (30.00 लाख रुपये)

संघ राज्य क्षेत्र में कारागार आवास की अत्यधिक कमी होने के कारण विद्यमान कैम्प जेल को नया स्वरूप देकर उसको 810 कैदियों वाले नियमित जिला कारावास में बदलने का निर्णय किया गया था । दो चरणों में निर्माण काय पूरा करने का फैसला किया गया । अभी तक प्रथम चरण में 500 कैदियों को आवास सुलभ कराने के लिए निर्माण किया गया और यह 11-4-78 से काम हो रहा है । इसलिए दूसरे चरण में 310 कैदियों को आवास सुलभ कराने और कुछ अन्य निर्माण (प्रशासनिक ब्लाक) आदि का दूसरे चरण में निर्माण प्रारम्भ किया

जायेगा । सम्भवत: चालू वर्ष में निर्माण कार्य को तेज किया जाए । 1980–81 में 30.00 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया, जबकि 1979–80 में 0.99 लाख रुपए व्यय किए गए ।

2. कैम्प जेल के लिये क्वार्टरों का निर्माण (5.00 लाख रुपये)

वर्ष 1979–80 में 10.00 लाख रुपए प्लान में रखे गए, परन्तु स्टाफ प्रस्ताव और नक्शे व अनुमानों की मन्जूरी न मिलने कारण उपयोग नहीं किए जा सके । कैम्प जेल में नये और अतिरिक्त पदों के सृजन प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही अनुमोदित होने की सम्भावना है । इस योजना को वर्ष 1980–81 में प्रारंभ करने के लिए 5.00 लाख रुपए का नियन (एलोकेशन) अनुमोदित किया गया

3. प्रमुख जेल के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (5.00 लाख रुपये)

अभी अभी वास्तुविद से मानचित्र और रूपरेखा प्राप्त करके जांच की जा रही है । इसलिए इस योजना में कोई प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी । 1980–81 में इस काम को प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित की गयी है ।

4. प्रमुख जेल भवन में भट्टा वार्ड का निर्माण (5.00 लाख रुपये)

कैम्प जेल के निर्माण के बाद भी 1273 बंदियों की प्राधिकृत क्षमता वाले केन्द्रीय कारागार की जनसंख्या अपने लेवल तक नहीं पहुंची । अत: कारागार में भट्टा वार्ड के भूखण्ड को खाली कराकर उसपर 250 बंदियों के लिए आवास निर्माण कराकर उपयोग में लाया जा सके । वर्ष 1979–80 में 7.00 लाख रुपये का लान परिव्यय था, परन्तु उस धन का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि भवन के मानचित्र और अनुमान को अभी अन्तिम रूप देना है । 1980–81 में इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई ।

5. नरेला और शाहदरा में दो कारागारों का निर्माण 15.00 लाख रुपये)

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को बहुत थोड़े-थोड़े समय बाद कई प्रकार के प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है । अत: कारागार आवास में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है । फिलहाल के कंझावला प्रदर्शन को ध्यान में रखकर कुछ विशेष कारागार खोलने की आवश्यकता पड़ी । इसलिए दो और जिला कारागार स्थापित करने का विचार है—नरेला विकास क्षेत्र में एक जेल और दूसरी शाहदरा में । इस प्रयोजना के लिये भूमि अधिग्रहण करना शुरु कर दिया है, यह काम तेजी से किया जा रहा है । 200 एकड़ भूमि का मूल्य 600 लाख रुपए होगा । यह नयी योजना है । 1980–81 में इस योजना के लिए 15.00 लाख रुपए का प्रावधान भूमि खरीदने के लिए अनुमोदित किया गया ।

1980–81 की वार्षिक योजना में विभिन्न जेल भवन नि[illegible] योजनाओं के लिए कुल 60.00 लाख रुपए का प्रावधान अनु[illegible]दित किया गया ।

6. नागरिक सुरक्षा एवं रक्षक निदेशालय

दिल्ली महानगर को प्रथम श्रेणीय नागरिक सुरक्षा न[illegible] के रूप में वर्गीकरण किया गया है । पचास लाख से अ[illegible] जनसंख्या वाले नगर की जनसंख्या विशाल क्षेत्र में फैली है । दिल्ली में नागरिक सुरक्षा सेवा को सुचारु रूप चलाने के लिए नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक के कम कम 45,000 स्वयं सेवकों को विभिन्न व्यवसायिक क्षे[illegible] में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । ताकि वे शान्ति [illegible] युद्ध में अपने दायित्वों को निभाने में समर्थ हो सकें । अत. स्वयं सेवकों को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षकों के लिए छात्रावास, कार्या[illegible] भण्डार और अन्य सहायक सुविधायें सुलभ कराने की अत[illegible] आवश्यकता है । निदेशालय को अभी तक अपना समु[illegible] आवास सुलभ नहीं कराया गया । आवास सुलभ कर[illegible] बहुत अनिवार्य है और इस आवश्यकता को तत्काल पूरा कि[illegible] जाए ।

शिवाजी कालेज के निकट राजा गार्डन में निदेश[illegible] को चार एकड़ भूमि आंवटित की गई, ताकि उस उक्त कथित भवन का निर्माण किया जा सके और क्षेत्र में 8 एकड़ भूमि प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रा[illegible] की गयी । दिल्ली विकास प्राधिकरण को वर्ष 1977–[illegible] में भूमि मूल्य के 8.58 लाख रुपए पहले ही भुगतान कि[illegible] जा चुका है । इस कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा और गृह र[illegible] संगठन को समुचित आवास सुलभ कराने और उसके वि[illegible] की योजनायें भी शामिल हैं ।

इस कार्यक्रम के लिए छठी पांच वर्षीय योजना में [illegible] लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया । 198[illegible] 81 की वार्षिक योजना में 20 लाख रुपए का परि[illegible] निम्नलिखित योजनाओं के लिए अनुमोदित किया गया ।

भवन निर्माण आदि :

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण (10 [illegible] रुपये)

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गृह रक्षक और ना[illegible] सुरक्षा स्वयं सेवकों के लिए संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण सं[illegible] मन्जूर किया गया । दिल्ली को प्रथम श्रेणी नागरिक सु[illegible] राज्य के रूप में घोषित किया गया । 40,002 ना[illegible] सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था, [illegible] से केवल 18,967 को प्रशिक्षित किया गया । 9,[illegible] गृह रक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, तब केवल 7675 को ही प्रशिक्षित किया गया । इस समय प्रशि[illegible] संस्थान के पास प्रशिक्षण के लिए कोई भवन या सुवि[illegible] ढांचा नहीं है जैसे प्रशिक्षण क्षेत्र, बचाव, सुरक्षा-गढ़, स[illegible] पथ, शार्ट रेंज आदि । भवन और अन्य प्रशिक्षण सुवि[illegible]

के अभाव के कारण स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में बाधा होती है। अतः संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के पास पक्के भवन में समुचित और संगठित प्रशिक्षण संस्थान होना अनिवार्य है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण के लिए एक ही केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आवासीय) के निर्माण की योजना गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमोदित करवा ली गई है। इस योजना में निम्नलिखित भवनों का निर्माण करना है :

(क) प्रशासनिक ब्लाक

(ख) कर्मशाला ब्लाक

(ग) प्रशिक्षण ब्लाक

(घ) एम० टी० ब्लाक

(ङ) आवासीय ब्लाक

1980-81 में इस योजना के लिए 10.00 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

2. प्रशिक्षण क्षेत्र, परेड मैदान आदि का निर्माण और विकास (1.50 लाख रुपए)

एक ही समय 250 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की रूप-रेखा तैयार की गई है। स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधायें सुलभ करना अत्यावश्यक है :

1 क. प्रशिक्षण क्षेत्र

1. सुरक्षा-गृह,
2. धूम्र - कक्ष
3. शार्ट रेंज
4. बाढ़ से सुरक्षा के लिए तरणताल और वाटरमेनशिप ट्रेनिंग

ख. परेड मैदान

1. समारोह-परेड के लिए ड्रिल परेड मैदान
2. अस्त्र-शस्त्र संघर्ष प्रशिक्षण क्षेत्र

ग. क्रीड़ा क्षेत्र

1. फुटबाल
2. हाकी
3. वाली बाल
4. बास्कटबाल
5. कब्बडी

1980-81 में उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के लिए 1.50 लाख रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया।

3. केन्द्रीय स्टोर का निर्माण (1.50 लाख रुपये)

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन को मनुष्यजात और प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन विपत्तियों का सामना करने के लिए निदेशालय के पास समुचित सामान होना चाहिए और हर समय उनको समुचित क्रियाशील स्थिति में रखना चाहिए ताकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी भी समय संकट का सामना किया जा सके। इस निदेशालय के पास निम्नलिखित सामान है :—

(क) नागरिक सुरक्षा उपकरण : जैसे स्टील हेलमेट, स्टेयर पम्प, अग्निशमन यन्त्र, टार्च, इमरजेंसी (52 लाख रुपए)

(ख) मेडिकल स्टोर : जैसे बचाव उपकरण, मैडिकल सप्लाई, अनुमानित मूल्य 1,17,000 रुपए)

(ग) वस्त्र भण्डार : जैसे 1000 गृह रक्षकों के निजी वस्त्र, सेवारत नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की वेष-भूषा, आपातकालीन वस्त्र जैसे कम्बल, तिरपाल (टारपुलिनस) आदि

(घ) कल्याणकारी भण्डार : जैसे खाना बनाने के बर्तन, खाद्य सामग्री के डिब्बे, जनसमूह भोज के लिए बाल्टियां और आपतकालीन शरणगृह

(ङ) सामान्य भण्डार : जैसे कार्यालय लेखन सामग्री और प्रशासनिक सामान।

उपरलिखित सामान को सम्भाल कर रखने के लिए बहुत कम जगह है। इस समय इनको राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महरौली में रखा गया है। किसी भी तरह यह भवन संकट और उपरोक्त सामान को भण्डार करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह शेड किस्म का अस्थाई आवास है और यह वर्षा ऋतु में बुरी तरह से टपकता है। शिक्षा विभाग भी खाली करने के लिए दबाव डाल रहा है।

संस्थान का कुल अनुमानित मूल्य 85 लाख रुपए है। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक भण्डारों के लिए समुचित भण्डार भवन सुलभ कराना आवश्यक है।

जिसके अनुसार 1980-81 में प्रस्तावित भण्डार भवनों के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

4. एम० टी० गैरेज और मंशाला का निर्माण (1.30 लाख रुपये)

नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन दिल्ली को निम्नलिखित वाहन रखने का अधिकार है :

1 :	रोगी वाहन (एम्बुलेंस)	14
2 :	स्टाफ कार	1
3 :	छोटे वाहन	15
4 :	मोटर साइकल	7

इस समय वाहनों के ठहराने, मरम्मत और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । किसी भी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए इन वाहनों को अच्छी हालत में रखना आवश्यक है । निदेशालय का सफलतापूर्वक संचालन और तत्काल आवश्यकता पड़ने पर ही समय पर समुचित स्वयंसेवकों, उपकरण को भेजना आवश्यक है और वाहनों को हर समय क्रियाशील हालत में रखना जरूरी है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैराज, मुरम्मत तथा धुलाई घाट, एम० टी० के सामान के लिए स्टोर, अपने पर्यवेक्षीय स्टाफ के लिए अपना कार्यालय यथाशीघ्र मुलभ किया जाए ।

निदेशालय की एम० टी० गैराज

वाहन-कर्मशाला के निर्माण के लिए 1980-81 में 1.30 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया ।

6. 16 सब कण्ट्रोल केन्द्र और डिपो व प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण (5.00 लाख रुपये)

दिल्ली जैसे प्रथम श्रेणी के नगर में नागरिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन पर नियन्त्रण केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष से होता है, वहां पर नागरिक सुरक्षा के नियन्त्रक और नागरिक सुरक्षा और अनिवार्य सेवा के प्रमुख किसी संकट का सामना के लिए आवश्यक कार्यवाही का समन्वय करके तत्काल निर्णय करते हैं, ताकि नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक साधनों का विकास किया जा सके । केन्द्रीय नागरक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष दिल्ली में 16 उपनियन्त्रण कक्षों पर अपना नियन्त्रण रखता है । सब कण्ट्रोल केन्द्र किसी अप्राकृतिक या प्राकृतिक विपत्ति की घड़ी में अपने क्षेत्र में बचाव या किसी कार का अपेक्षित सहयोग लेने के लिए केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष को सूचना देते हैं । इस को प्राप्त करने और सब नियन्त्रण केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उनको निम्नलिखित सुविधाएं सुलभ कराना आवश्यक है :

(क) सभी अनिवार्य मामलों के बारे में अद्यतन सूचना

(ख) अनिवार्य सेवा के सभी प्रतिनिधियों और सम्मेलन कक्ष के लिए कार्यालय आवास

(ग) सर्वांगीण संचार व्यवस्था द्वारा सूचना प्राप्त करके नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष को भिजवाना और आदेश जारी करना ।

(घ) मानचित्र कक्ष

(ङ) प्रशिक्षण कक्ष

इस समय 14 नियन्त्रण केन्द्र दिल्ली के कई थाने में स्थित हैं और 1971 के आपातकाल में विद्यालयों में बनाए अस्थाई शेडस किस्म के कमरों में दो सबनियन्त्रण केन्द्र स्थित हैं । इन सब नियन्त्रण केन्द्रों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए समुचित आवास का पुनर्निर्माण करना अनिवार्य हो गया है ।

इन केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 1980–81 में 50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । गृह मन्त्रालय, भारत सरकार ने भी योजना को अनुमोदित कर दिया है ।

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय का विस्तार और संगठन

भवन निर्माण की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त इस प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय के विस्तार और संगठन की प्रस्तावित निम्नलिखित नयी योजनाओं पर विचार किया । संघ राज्य क्षेत्र की 1980–81 की योजना में इनको शामिल करने के लिए योजना आयोग ने भी स्वीकार किया है ।

(1) निदेशालय में और सहायक स्टाफ का आयोजन और संगठन (0.10 लाख रुपये)

इस नयी स्टाफ योजना के लिए 1980.81 में 0.10 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया । जैसे ही भारत सरकार इस योजना को निपटा देगी, अधिक धन सुलभ कराया जायेगा गृह मन्त्रालय को ब्यौरेवार योजना पहले ही अनुमोदनार्थ भिजवा दी गई है, जिसकी प्रतीक्षा है ।

(2) नागरिक सुरक्षा के फील्ड ट्रेनिंग और सहायक स्टाफ का विस्तार (0.10 लाख रुपये)

यह भी एक नयी योजना है और इसको प्लान योजना के रूप में निष्पादन करने का प्रस्ताव है । यह योजना भारत सरकार की तकनीकी प्रशासनिक क्लीयरेंस योजना के लिए भिजवई गई है । इस योजना के लिए 0.10 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

(3) गृह रक्षक के फील्ड ट्रेनिंग स्टाफ का विस्तार (0.10 लाख रुपये)

यह भी एक नयी योजना है, और इसको प्लान योजना के रूप में अपनाने का प्रस्ताव है । 1980–81 में इस योजना के लिए 0.10 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया । यह योजना अभी भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाई गई है, जिसकी प्रतीक्षा है ।

(4) नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय के संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (1.10 लाख रुपये)

यह भी नयी स्टाफ योजना है, जिसके लिए 0.10 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

(5) प्रशिक्षण और समुदाय को गतिशील करने की व्यवस्था के लिए परिवहन बड़े का विस्तार (1.10 लाख रुपये)

यह भी एक नयी योजना है और इसमें नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए नये वाहन खरीदने की व्यवस्था है । इस योजना पर लगभग 37.15 लाख रुपये कुल व्यय होगा, जबकि 1980–81 में 0.10 लाख रुपये का ही आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

आवास

व्यय

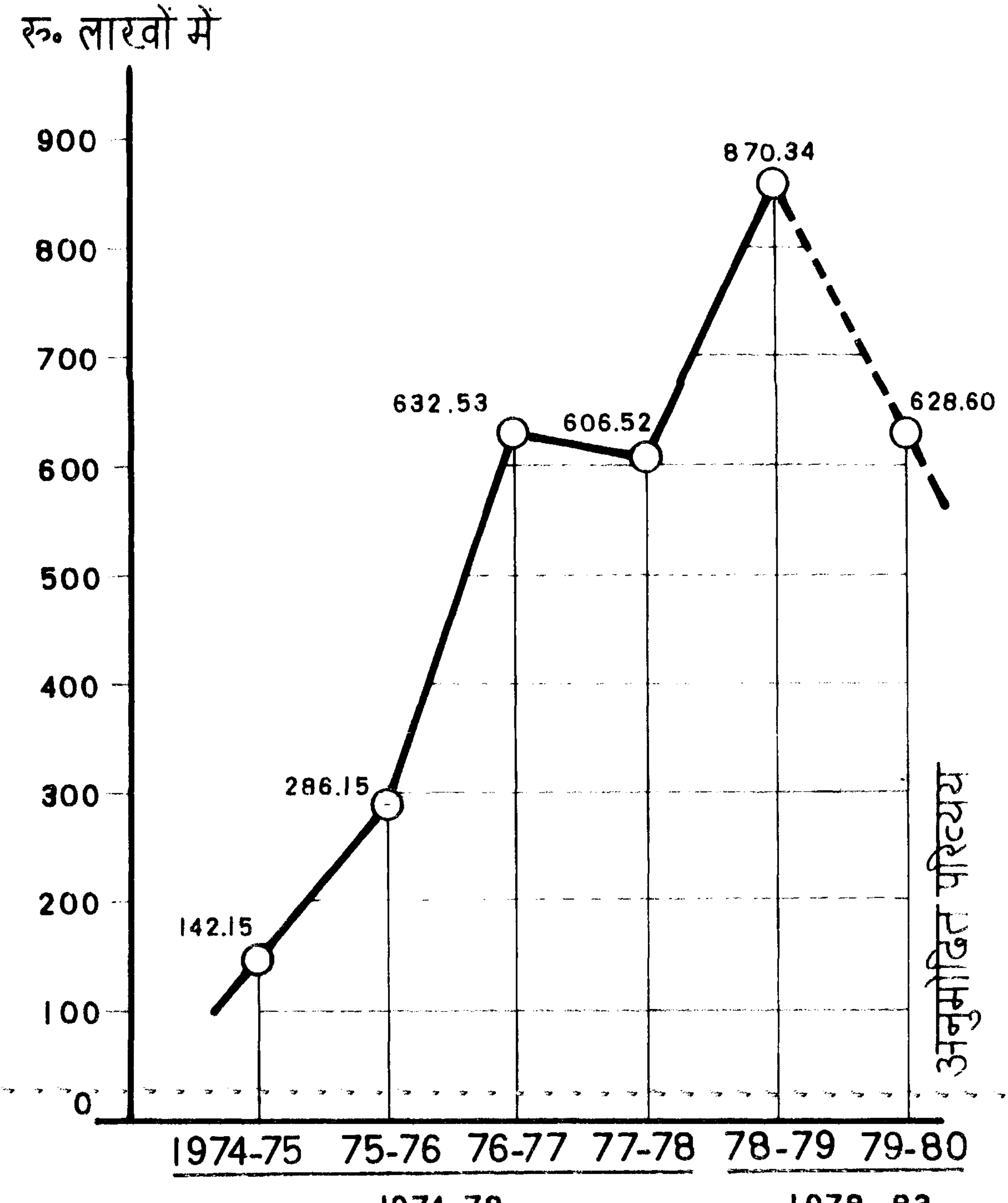

रु० लाखों में
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
142.15
286.15
632.53
606.52
870.34
628.60
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

(6) समुदाय को सक्रिय करने के लिए तार-संचार सुविधाओं का विकास

अनेक तार संचार उपकरण आदि खरीदने के लिए 1980–81 की वार्षिक योजना में लगभग 22.90 लाख रुपए का व्यय इस योजना में प्रस्तावित किया गया। भारत सरकार से क्लीयरेंस मिलने के बाद योजना आरम्भ की जायेगी, जिसकी प्रतीक्षा है। 1980-81 में इस योजना के लिए 0.10 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया।

(7) नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन के लिए प्रशिक्षण योजना का विस्तार (0.10 लाख रुपये)

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए इस नयी योजना को भी प्रस्तावित किया गया। इसी अनुमोदित योजना में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भत्ता आदि के भुगतान के लिए व्यय किया जायेगा। 1980–81 में इस योजना के लिए 0 10 लाख रुपये का आंशिक प्रावधान अनुमोदित किया गया।

1980–81 की वार्षिक योजना में नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय की उक्त योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 20 00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

शहरी विकास

अन्य महानगरों की भांति दिल्ली का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (मकानों) की सुलभ सुविधाओं की व्यवस्था की उपेक्षा शहरीकरण की दर बहुत तेज है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में शहरीकरण की बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र की योजनाएं प्रारम्भ की गई। इन योजनाओं में किसी अनधिकृत क्षेत्र पर अनुचित अधिकार करने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास कालोनियों का विकास, विनियमित अनाधिकृत कालोनियां- मास्टर प्लान तैयार संशोधन करना: गन्दी बस्तियों का परिवेश (वातावरण) सुधार, शहरी गांवों का विकास और हरिजन बस्तियों के वातावरण सुधार का काम आता है। 1974–79 पांचवीं योजना की अवधि में इस क्षेत्र पर 2255.22 लाख रुपये का व्यय किया गया।

1978–83 की छठी पंचवर्षीय योजना में 5343.00 लाख रुपये का परिव्यय इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमोदित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इस कार्यक्रम को तीन एजेंसियां उदाहरणत: दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका कार्यान्वित करती हैं। अनुमोदित परिव्यय का एजेंसी के अनुसार बटवारा और 1978–80 में खर्च किया गया व्यय निम्न निर्दिष्ट है :

उपशीर्ष / एजेंसी	छठी योजना का (1978–83) अनुमोदित परिव्यय	1978–79 का वास्तविक व्यय	1979–80	
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1.-दिल्ली विकास प्राधिकरण	1355.00	196.97	258.00	109.76
2.-दिल्ली नगर निगम	3953.00	112.68	632.00	54.30
3.-नई दिल्ली नगरपालिका	35.00	1.16	10.00	2.55
4.-दिल्ली प्रशासन	--	1.75	--	--
योगफल	5343.00	312.56	900.00	166.61

वास्तव में 27 पुनर्वास बस्तियों में 1,48,252 भूखण्ड, झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत विकसित किये गये हैं। इसके बाद 1978–79 और 1979–80 में योजना के अन्तर्गत कोई भी प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी। भारत सरकार ने अभी संशोधित योजना के अनुसार 3900 रुपये का अनुमानित व्यय प्रति भूखण्ड की दर से अनुमोदित करना है। गन्दी बस्तियों में वातावरण सुधार करने से 91,600 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त 123 गन्दे कटरों में मूलभूत सुविधायें सुलभ कराई गई। इसके बाद झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विकास करने के लिए 1978–79 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 187.97 लाख रुपये की धनराशि सौंपी गई। हालांकि इस योजना के अन्तर्गत कोई भी काम नहीं किया गया।

शहरी गांव विकास योजना के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम को 1978–79 में 70.00 लाख रुपये की धनराशि सौंपी गई, परन्तु वास्तव में कोई भी प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि अभी आवास एवं निर्माण मन्त्रालय से योजना को तकनीकी क्लियरेंस मिलनी है।

1980–81 की वार्षिक योजना

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा निष्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग ने 1980–81 की वार्षिक योजना में 798.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। अनुमोदित परिव्यय का बटवारा निम्न प्रकार है :

लाख रुपयों में

एजेंसी	1880–81 का अनुमोदित परिव्यय
दिल्ली विकास प्राधिकरण	787.00
दिल्ली नगर निगम	1.00
नई दिल्ली नगरपालिका	10.00
योग	798.00

योजना आयोग ने जिस योजना के लिए 1980–81 में परिव्यय अनुमोदित किया है, उस योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण

1. झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास योजना (150 लाख रुपये)

भारतीय महानगरों में सरकारी भूमि पर अनुचित अधिकार जमाना आम बात हो गई है। दिल्ली में किसी

शहरी विकास

परिव्यय 1980-81

रु० लाखों में

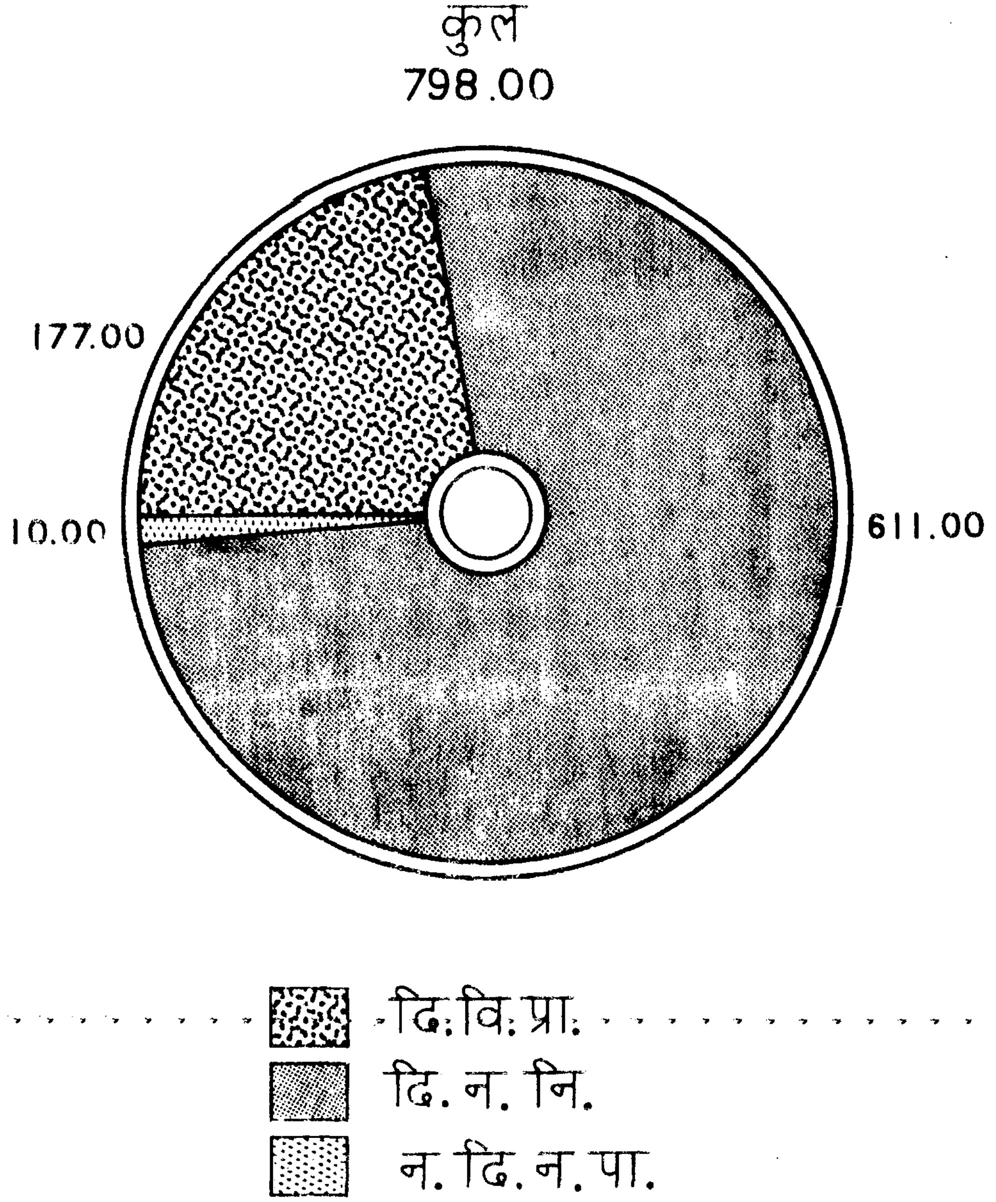

	रुपये
5. शौचालय में एक सीट सुलभ कराना	
और कुरसी तल तक दीवार . .	690.00
शौचालय का फर्श आदि . .	3882.00
योगफल .	3900.00
	कह सकते हैं

जिसके अनुसार योजना आयोग ने 1980-81 में 3345 भूखण्डों का विकास करने के लिये 150.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया था । भारत सरकार को संशोधित योजना अनुमोदनार्थ भिजवाई गई है, जिसकी प्रतीक्षा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979-80 में इस योजना के लिये 1505.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है।

2. कटरों का संरचनात्मक सुधार (15.00 लाख रुपये)

यह एक अनुमोदित योजना है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक रूप नमूने (पैटर्न) पर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 31-3-78 से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्तियों के सभी कटरों के संरचनात्मक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब दिनांक 1-4-78 से विकास प्राधिकरण ने केवल उन कटरों के विकास का दायित्व लिया है, जो उसको पुनर्वास मंत्रालय ने सौंपे हैं और इस प्रकार की सम्पत्ति का अंग हैं। इस योजना के अन्तर्गत कटरों में वर्तमान परिस्थितियों का सुधार और मूलभूत सुख सुविधाएं सुलभ कराने के लिये व्यय करने का सुझाव दिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस योजना के लिये 1978-79 में 9.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई जिसका पूरी तरह उपयोग किये जाने की सम्भावना 1980-81 की वार्षिक योजना के लिये 15.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

3. विनियमित/अनधिकृत कालोनियों का विकास (200.00 लाख रुपये)

भारत सरकार बहुत समय से अनाधिकृत कालोनियों के विनियमन की समस्या पर लगातार ध्यान दे रही है। 3000 हैक्टर से अधिक क्षेत्र में 471 अनाधिकृत कालोनियां फैली हुई हैं। इन कालोनियों के विनियमन/विकास करने का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया है। जिसके अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन कालोनियों के विनियमन/विकास के लिये 125.00 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से एक योजना तैयार की है। इस योजना में निम्नलिखित कार्य आते हैं :—

क. विकास खर्च]

471 अनाधिकृत कालोनियों में 3000 हैक्टर क्षेत्र विकास पर 75.00 करोड़ रुपये के आसपास का खर्च (इसमें भूमि के अधिग्रहण का व्यय भी शामिल है) होने का अनुमान है :

इसमें प्रस्तावित काम है :—

1. भूमि समतल और सजावट करना

(2) आन्तरिक विकास और बुनयादी ढांचा उदाहरणार्थ जल आपूर्ति, मल निकास व्यवस्था, बरसाती नाले, विद्युत सड़कें, और सेवा मार्ग वाटिकाओं के चारों ओर बाड़ा लगाना और सामुदायिक सुविधाओं का विकास ;

(3) बड़ी लाइनों से जोड़कर आपूर्ति करना

(ख) पुनर्वास]

मास्टर प्लान की व्यवस्था से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास पर खर्च होगा। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात किया गया। सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था के परिणामस्वरूप अपने घरों से बेघर परिवारों को भी पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल किया गया। दिल्ली में मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग के सुझाव और मास्टर प्लान के मानदण्ड के अनुसार सामुदायिक सुविधाएं सुलभ कराने के लिए मकान गिराए गए, जिसके कारण बहुत से परिवार बेघर हो गए।

इन कालोनियों से हटाये जाने वाले परिवारों के लिए आवासीय इकाईयां बनाने हेतु 4000 रुपए प्रति इकाई औसत लागत को मानकर 6748 मकानों का निर्माण और 3763 भूखण्डों के विकास पर लगभग 21.70 करोड़ रुपये कुल खर्च होंगे। इस प्रयोजन के लिए 10.00 करोड़ रुपए की धनराशि शहरी आवास विकास व निर्माण संगठन (हुडको) से प्राप्त की जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह योजना पहले ही भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाई गई है, जिस की प्रतीक्षा है। इस योजना को कार्यान्वियन करने की कार्यवाही भारत सरकार ने इस बीच अपनी कलीयरेंस पहले ही से दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को सूचित कर दी है। मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने जैसे उपर्युक्त मार्ग, बरसाती नाले, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, मल-निकास व्यवस्था, जल आपूर्ति सहायता प्राप्त करके आवर्ती (परिक्रामी) निधि सृजन करने का प्रस्ताव किया गया।

10 करोड़ रुपए की आवर्ती (परिक्रामी) निधि स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण विद्यमान कानूनों के अन्तर्

नियमित की जा रही इन कालोनियों के प्रत्येक भूखण्ड-धारी से 5 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से सुधार उपकर/विकास प्रभार ले रहा है ।

1979–80 की वार्षिक योजना में 90.00 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 339.00 लाख रुपये की धनराशि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस योजना के निष्पादन हेतु प्रदान की गई. ।. योजना भारत सरकार की क्लीयरेंस के लिए पहले ही भिजवा दी गयी थी । 1980–81 में इस योजना के लिए 200.00 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

4. मास्टर प्लान में सुधार (22.00 लाख रुपये)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उस समय सामाजिक-आर्थिक और भौतिक व वातावरण सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के बाद दिल्ली के योजनाबद्ध विकास की मास्टर प्लान आगामी बीस वर्षों के लिये तैयार करके दिल्ली विकास अधिनियम के प्रबन्धों के अनुसार लागू करने के लिये अन्तिम रूप में 1 सितम्बर 1962 को प्रस्तुत किया ।

इन दो दशकों में जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1961 से 1981 तक के बीस वर्षों की अवधि की योजना थी । यह योजना पूरी तरह कार्यान्वयन के अन्तिम पड़ाव पर है और अब अगामी 20 वर्षों की दूसरी विकास योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जो 1981 के बाद सम्पन्न होगी । आवास व निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार ने 98.00 लाख रुपये के अनुमानित व्यय की योजना अनुमोदित की है :—

1. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पड़ौसी राज्यों के भागों का विभिन्न पैमाने पर वातावरण सम्बन्धी सर्वेक्षण 30.00 लाख रुपये ।

2. दिल्ली और शाहदरा क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (ठेके के आधार पर स्टाफ का वेतन) 20.00 लाख रुपये ।

3. भवन, फर्नीचर, बिजली फिटिंग और अन्य आवश्यक उपकरणों का किराया 25.00 लाख रुपये ।

4. लेखन सामग्री 8.00 लाख रुपये ।

5. विविध व्यय जैसे पेट्रोल जीप का माडल बनाने का सामान, परामर्शदाताओं को फीस और अन्य अप्रत्याशित खर्च 15.00 लाख रुपये ।

योगफल 98.00 लाख रुपये ।

1979–80 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खर्च किये 17.08 लाख रुपये की धनराशि की तुलना में 1980–81 में 22.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

1. शहरी गांवों का विकास (180 लाख रुपये)

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 337 गांव हैं, जिनमें 111 गांव दिल्ली की मास्टर प्लान की शहरी सीमा में स्थित हैं । इन 111 गांवों में से 44 गांव दिल्ली नगर निगम, 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण और 5 गांव दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं । सचिव (स्थानीय स्वशासन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि वह समिति शहरी गांवों के विकास के लिये मार्ग दर्शिका तैयार कर सके । मार्ग दर्शिका के अनुसार विकास कार्य निम्न-लिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा :—

1. पेयजल आपूर्ति
2. परिवेशीय (वातावरण) सुधार और सफाई
3. विद्युतीकरण
4. मार्ग और पगडंडी
5. स्वास्थ्य,
6. शिक्षा
7. समुदाय भवन
8. वाटिकाएं और खुली जगह

इन गांवों में विकास कार्य उक्त नियत प्राथमिकताक्रम के अनुसार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इन गांवों में सामान्यतः मार्ग व पथ, अन्दरूनी बरसाती नाले और पुलियां, गलियों में समुचित प्रकाश व्यवस्था, मल निकास व्यवस्था, जल आपूर्ति, बागवानी, बड़ी मल निकासी नाले बिछाना और नाले की व्यवस्था आदि की काफी कमी है । एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया और अभी 715 गांवों में पेय जल आपूर्ति सुलभ कराना आवश्यक है और 34 गांवों में भूमिगत मल निकासी व्यवस्था करना आवश्यक है । लगभग सभी गांवों की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था है परन्तु इनके सुधार की आशा बहुत कम है । राजपुर छावनी गांव के लिये 9.93 लाख रुपयों के अनुमानित व्यय से आदर्श अनुमान तैयार करके आवास एवं निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशासनिक तकनीकी अनुमोदन के लिए पहले ही भिजवा दिया गया है । दिल्ली नगर निगम को इस योजना के लिये 1978–79 में 70.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई । इस योजना के अन्तर्गत कोई भी काम प्रारम्भ नहीं किया जा सका । क्योंकि भारत सरकार से इसका अनुमोदन अभी प्राप्त करना है । जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है । दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस योजना के लिये 1979–80 में 220.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई । फिलहाल के निर्णय के अनुसार अब दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1980–81 से योजना को कार्यान्वित करेगा । योजना आयोग ने इस योजना के लिये 1980–81 में 180.00 लाख रुपये का परिव्यय सुलभ कराया गया है ।

2. गन्दे क्षेत्रों का वातावरण सुधार (100.00 लाख रुपये)

यह सतत योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की गई । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने

1-4-78 को यह योजना दिल्ली नगर निगम को सौंप दी । वर्तमान गन्दी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने जैसे पानी की बड़ी लाइनें बिछाना, मल निकासी व्यवस्था करना, बरसाती नाले, समुदाय स्नान की व्यवस्था, शौचालय और टोंटी, वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना और खड़ंजे डलवाना और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना आदि । 1974-78 की योजना अवधि में 154.00 लाख रुपये का व्यय किया गया । पांचवीं योजना के अवधि में इस योजना से 91,600 व्यक्ति लाभान्वित हुए । दिल्ली नगर निगम को 1978-79 में इस योजना के लिये 42.68 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई । 1979-80 में अनुमोदित 100.00 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में इस योजना के लिये कुल 135.85 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई । अर्थात् दिल्ली नगर निगम को 35.85 लाख रुपये और दिल्ली विकास प्राधिकरण को 100.00 लाख रुपये । भारत सरकार के हाल के आदेश के अनुसार योजना, दिल्ली विकास प्राधिकरण को फिर से सौंप दी गई । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 100.00 लाख रुपये 66,000 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये अनुमोदित किये गये ।

3. झुग्गी झौंपड़ी पुनर्वास बस्तियों में अतिरिक्त सुविधाएं सुलभ कराना (120.00 लाख रुपये)

विभिन्न झुग्गी झौंपड़ी पुनर्वास कालोनियों में 2.00 लाख के आसपास भूखण्डों का विकास किया गया और उन पर अनुचित अधिकार जमाने वाले परिवारों को फिर से बसाया जाए । झुग्गी-झौंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत किसी अनधिकृत क्षेत्र पर अनुचित अधिकार जमाने वाले परिवारों के भूखण्ड सुलभ कराने के लिये भूमि विकास के साथ-साथ निम्नलिखित न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं भी इन कालोनियों में सुलभ कराई जाएं ।

1. जल आपूर्ति
   (क) 20 परिवारों के लिये हैंड पम्प
   (ख) 40 परिवारों के लिये छाने हुए जल का एक नल
2. पांच परिवारों के लिये एक शौचालय सीट
3. 6 परिवारों के लिये एक स्नानागार
4. केवल पक्के प्रवेश मार्ग
5. केवल प्रवेश मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था
6. बरसाती नाले

पहले इन पुनर्वास कालोनियों को शिविर स्थल के रूप में माना जाता था, वहां पर भूखण्डधारी पक्के मकान नहीं बना सकते थे । इसलिये झुग्गी झौंपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत इन कालोनियों को कम से कम सुविधाएं, प्रदान की जाती थी, परन्तु अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि इन कालोनियों को पक्की पुनर्वास कालोनियां, माना जाने लगा है । इसलिये इन कालोनियों में रहने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं सुलभ कराने का प्रस्ताव है ।

1. तीस परिवारों के लिये शोधित जल का एक नल
2. चार परिवारों के लिए एक शौचालय सीट
3. गलियों में प्रकाश व्यवस्था के लिये 30 मीटर की दूरी पर एक खम्भा
4. बरसाती नाले
5. मल निकासी नाले
6. वर्तमान गलियों को चौड़ा करना और खड़ंजे डलवाना

योजना के अन्तर्गत इन निर्माण कार्यों पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति या 600 रुपये प्रति भूखण्ड की दर से ख[illegible] करने का प्रस्ताव किया गया । लगभग 600 रुपये प्रति भूखण्ड पर व्यय की दर से इस योजना पर (148000 [illegible] 600)-8.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे । उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है । भारत सरकार से संशोधित योजना को अभी अनुमोदन मिलना है । 1978-79 में इस योजना पर कोई भी व्यय नहीं किया गया । 1979-80 में 120.00 लाख रुपये के प्रावधान की व्यवस्था की गई । भारत सरकार का अनुमोदन मिलने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त उल्लिखित धनराशि योजना शुरू करने के लिये प्रदान कर दी जाएगी । 1980-81 में 120.00 लाख रुपये का परिव्यय इस योजना [illegible] लिये अनुमोदित कर दिया गया है । यह योजना [illegible] दिल्ली विकास प्राधिकरण को फिर से सौंप दी गई ।

दिल्ली नगर निगम

6. ग्रामीण गांवों का विकास (1.00 लाख रुपये)

दिल्ली में 245 ग्रामीण गांव हैं । इन गांवों में नागरिक सुविधाओं का अभाव है । नगर निगम ने ग्रामीण क्षेत्र [illegible] स्तर को ऊंचा उठाने के लिये नागरिक सुख-सुविधाएं जैसे बाह्य मार्ग, आन्तरिक गलियों और पगडंडियों का सुधार, मल निकासी नाले, गलियों में प्रकाश व्यवस्था और सामुदायिक शौचालय आदि सुलभ कराने की एक योजना बनाई [illegible] है । 1980-81 की वार्षिक योजना में 1.00 लाख रु[illegible] का प्रावधान किया गया ।

नई दिल्ली नगर पालिका

1. मंदिर मार्ग, न्यू प्वाइंट और अलीगंज क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में पर्यावरण सुधार (10.00 लाख रुपये)

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में तीन हरिजन बस्तियां [illegible] इनमें समाज के कमजोर तबके के लोग रहते हैं । इन कालोनियों में घनी आबादी है, क्योंकि अधिसंख्य लोग छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं । जिसके अनुसार इन कालोनियों [illegible] जनसुविधाओं का अभाव है और खुले कच्चे स्थान की भी [illegible] इन मकानों के आसपास अस्वस्थकर परिस्थितियों का जोर [illegible] इसके अतिरिक्त इन कालोनियों के निवासियों के लिये अ[illegible] समारोह जैसे विवाह और अन्य धार्मिक पर्व सम्पन्न करने [illegible] लिए कोई भी समुदाय केन्द्र नहीं है । उपरोक्त को ध्यान में रखकर इन तीन कालोनियों में 35.00 लाख रुपये [illegible] अनुमानित खर्च से कच्चे स्थलों पर जन सुविधाएं सु[illegible]

शहरी विकास

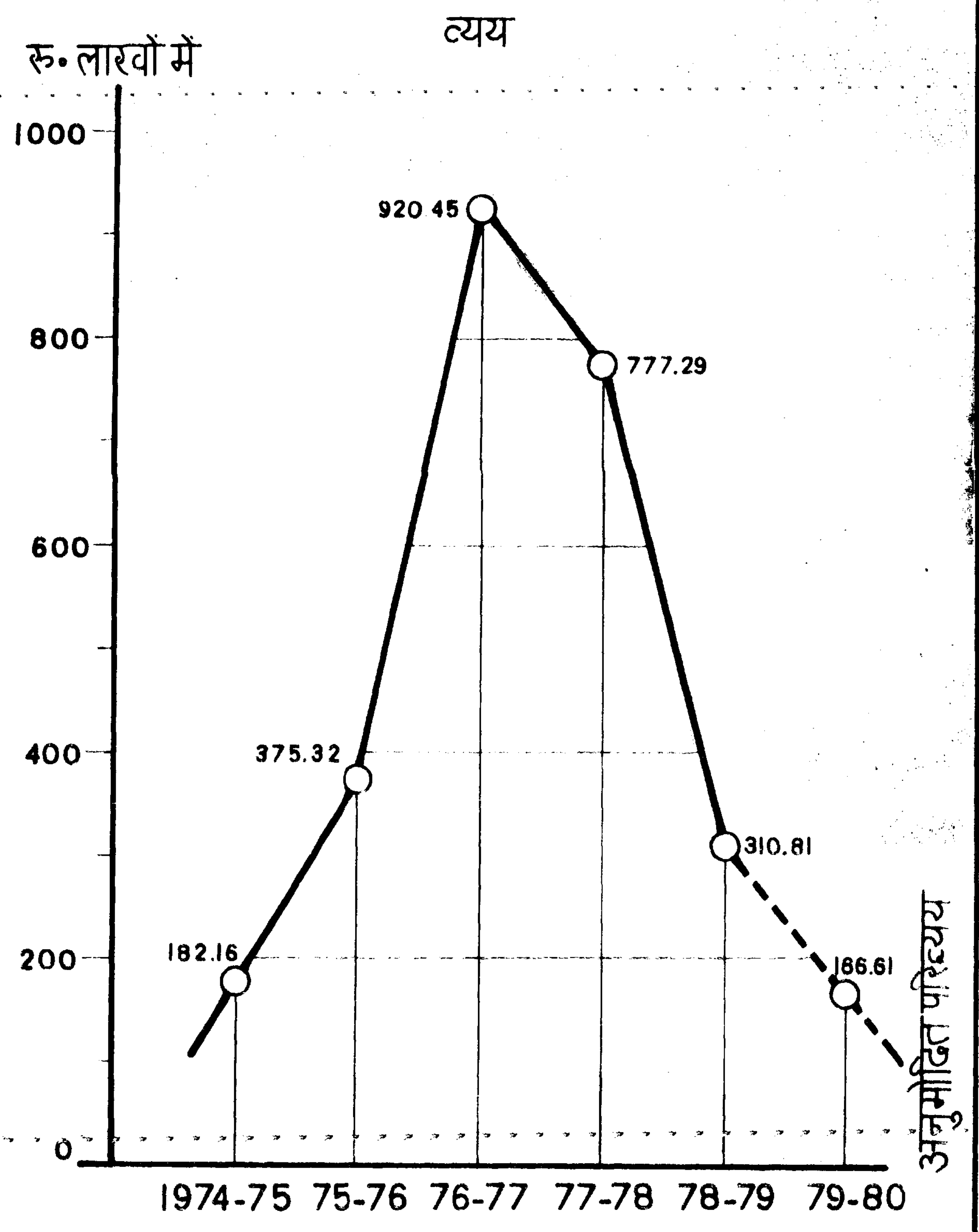
व्यय
रु॰ लाखों में
1000
800
600
400
200
0
920.45
777.29
375.32
310.81
182.16
166.61
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80

सूचना एवं प्रसार

इस सेक्टर के अधीन वे योजनाएं शामिल की गई हैं जिन्हें सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के विकास विभाग, मद्यनिषेध निदेशालय और दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । इन विभागों/अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की चर्चा निम्नलिखित रूप में की गई है :—

सूचना और प्रसार निदेशालय विकास और समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के विभिन्न कार्यों के विषय में लोगों को सूचना और जानकारी देता रहा है । प्रशासन के विभिन्न विभागों को सूचना देते रहने में भी यह निदेशालय संलग्न रहा है । दिल्ली देश का प्रमुख स्थान होने के कारण एक महानगर के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । यह विभाग दिल्ली के उस राष्ट्रीय प्रेस के साथ अत्यंत सार्थक सम्पर्क रखता है जो दिल्ली प्रशासन के कार्यों पर सतर्क दृष्टि रखती है । इसके आगे प्रशासन के विभिन्न योजना परियोजनाओं और गतिविधियों में लोगों के भाग लेने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी निदेशालय अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गहन-संचार एवं जनसम्पर्क नीतियों का उपयोग करता रहा है । विभिन्न (संचार) साधन कार्यों में प्रेस, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन विज्ञापनों एवं प्रदर्शनियों द्वारा प्रचार, नाटक एवं सास्कृतिक कार्यक्रम, चलचित्र और साथ में "दिल्ली" जैसे त्रैमासिक के उर्दू और पंजाबी में नियमित प्रकाशन शामिल हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना 1978—83 के अन्तर्गत इस सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के लिए 120 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ है । 1978–79 और 1979–80 में अनुमोदित परिव्यय और किये गये वास्तविक व्यय का अभिकरण/विभाग वार स्थिति निम्नलिखित है :—

(रुपये लाखों में)

अभिकरण/विभाग	छठी योजना 1978—83 का अनुमोदित परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय
सूचना एवं प्रसार				
1. सूचना एवं प्रसार निदेशालय	97.00	14.61	20.50	12.81
2. मद्यनिषेध	8.00	0.77	1.50	1.35
3. विकास विभाग निदेशालय	10.00	—	2.00	—
4. दिल्ली नगर निगम	5.00	—	1.00	—
योग	120.00	15.38	25.00	14.16

वार्षिक योजना 1979—80

वार्षिक योजना 1979-80 के अधीन इस क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था इसमें सूचना एवं प्रसार निदेशालय के लिए 20.50 लाख रुपये, मद्यनिषेध विभाग के लिए 1.50 लाख रुपये, विकास विभाग के लिए 2 लाख रुपये और दिल्ली नगर निगम के लिये 1 लाख रुपये के प्रावधान शामिल हैं । इसकी तुलना में इस क्षेत्र के अधीन वर्ष 1979-80 के दौरान 14.16 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया ।

वास्तव में वर्ष 1979-80 के दौरान दो अनुपूरक (प्रकाशन) और 1157 विज्ञापन जारी किए गए । 172 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त 14 नाट्यप्रदर्शन और नृत्य (बैले) और 123 कठपुतली के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा 2 छोटी प्रदर्शनियों का आयोजन भी वर्ष 1979-80 में किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1979-80 में 12 मासिक हिन्दी पत्रिकाएं और 4 उर्दू-पंजाबी त्रैमासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई ।

वार्षिक योजना 1980–81

वार्षिक योजना 1980–81 के अधीन इस क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । इसमें सूचना और प्रसार निदेशालय के लिए 22 लाख रुपए, विकास विभाग के लिए 0.50 लाख रुपए और दिल्ली

नगर निगम के लिए 1 लाख रुपए के प्रावधान शामिल हैं ।

वार्षिक योजना 1980-81 में शामिल की गई योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) सूचना और प्रसार निदेशालय

निम्नलिखित योजनाओं के लिए वर्ष 1980-81 में 22 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है :—

(1) अनुसंधान और अनुसंधान कक्ष (0.75 लाख रुपये)

अनुसंधान और संदर्भ कक्ष सामयिक विषयों पर पृष्ठ-भूमि सम्बन्धी सूचना तैयार करता है । यह कक्ष प्रेस कतरनों, महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विवरणों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आंकड़ों को अभिलेख का रख रखाव करता है । पूर्व पीठिका, अनुसंधान और अभिलेखों के रखारखाव तथा फाइलिंग आदि कार्यों को तैयार करने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों पर व्यय किया जा रहा है । इस पर 1980-81 के लिए 0.75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जब कि वर्ष 1979-80 के दौरान 0.06 लाख रुपए खर्च किए गए थे ।

(2) गीत और नाटक कक्ष (1.20 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कठपुतली के प्रदर्शन, रासलीला आदि का आयोजन, दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों की योजना उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए किया जाता है । इस निदेशालय द्वारा आयोजित इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो गया कि कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एक अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग से सम्पर्क बनाये रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

इस योजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी

(1) उपनिदेशक—एक
(2) नाटक अधिकारी—एक

इस योजना पर वर्ष 1980-81 के लिए 1.20 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है जब कि 1979-80 में इस पर 0.78 लाख रुपए खर्च किए गए ।

(3) विज्ञापन कक्ष (3.50 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और गतिविधियों को समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों के माध्यम से विशेष रुप से प्रचारित किया जाता है । विज्ञापनों के अत्यन्त विशिष्ट प्रकार को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि विज्ञापन कक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इस विभाग को दृढ़ किया जाए । इस योजना पर वर्ष 1980-81 के लिए 3.50 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है जब कि वर्ष 1979-80 के दौरान 4.05 लाख रुपए खर्च किए गए ।

(4) चलचित्र कक्ष (3.00 लाख रुपये)

दृश्य-श्रव्य प्रचार-संचार के सर्वाधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली माध्यमों में से है । चलचित्र कक्ष दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों पर वृत्त (चल) चित्रों, लघु चलचित्रों एवं लघु चलचित्रों तथा आशु विज्ञापनों (क्विकीज) को तैयार और प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलचित्र दिखाने का कार्य भी यह कक्ष करता रहा है । इस कक्ष (सेल) को दृढ़ करने के लिए एक चलचित्र अधिकारी, समाचार चित्र अधिकारी, पटकथा लेखन और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में चलचित्र प्रदर्शनों की व्यवस्था करने की मांग जनता द्वारा बार-बार की जाती रही है । दृढ़ हो जाने पर यह कक्ष 16 एम0 एम० के चलचित्रों को तैयार करने लगेगा । इस योजना पर वर्ष 1980-81 के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है जब कि 1979-80 के दौरान इस पर 2.99 लाख रुपए खर्च किए गए थे ।

(5) प्रदर्शनी कक्ष (1.50 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन के विभागों की उपलब्धियों एवं कार्यों को चित्र प्रदर्शनी द्वारा व्यापक रुप से प्रचारित करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक बड़ी और 5 छोटी प्रदर्शिनियां आयोजित की जाती हैं । प्रदर्शनी प्रभावी प्रचार के लिए शक्तिशाली एवं समेकित दृश्य श्रव्य साधन हैं । दिल्ली जैसे महानगर में प्रदर्शनी केवल राष्ट्रीय दिलचस्पी की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी प्रदर्शनियों को आयोजित करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से भी । अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करके निदेशालय की विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इस योजना पर वर्ष 1980-81 के लिए 1.50 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है जब कि 1979-80 में इस पर 0.86 लाख रुपए खर्च किए गये ।

(6) प्रकाशन कक्ष (2.50 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी पत्रिका 'दिल्ली' और उर्दू तथा पंजाबी में त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है । इसके अलावा दिल्ली प्रशासन के कार्यकलापों से संबंधित

पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पत्रक, फोल्डर और पोस्टर आदि भी छपवाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण समारोहों से संबंधित निमंत्रण कार्ड भी छपवाये और वितरित किए जाते हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के विस्तारित विकास कार्यों पर साहित्य तैयार करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करके प्रकाशन कक्ष को दृढ़ बनाना आवश्यक होगा । आगे यह भी प्रस्ताव है कि उर्दू पत्रिका 'दिल्ली' और पंजाबी की त्रैमासिक के बजाय मासिक अवधि पर प्रकाशित किया जाये । इस योजना पर वर्ष 1980-81 के लिए 2.50 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया है जब कि 1979-80 के दौरान इस पर 1.20 लाख रुपए खर्च किए गए थे ।

(7) प्रेस कक्ष (0.60 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन की नीतियों के प्रति प्रेस की प्रतिक्रिया और प्रेस-नोट के वितरण के माध्यम से प्रशासन के कार्य-कलापों पर प्रकाश डालने वाले प्रेस स्कंध की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इस स्कंध को दृढ़ करने की आवश्यकता है । प्रतिदिन सैकड़ों कतरनें उपराज्यपाल, मुख्य कार्यकारी पार्षद, कार्यकारी पार्षदों, मुख्य सचिव और विभागाध्यक्षों को, उनकी जानकारी और टिप्पणी के लिए भेजी जाती हैं ।

निदेशालय में एक सम्पर्क अधिकारी का पद प्रस्तावित है जो दिल्ली प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रकाश डालने के लिये दूर-दर्शन, आकाशवाणी और फिल्म डिवीजन से प्रभावी समन्वय स्थापित करेगा ।

प्रेस और इस कक्ष के अन्य कार्यों की देखरेख के लिए सम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1980-81 के लिए 0.60 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(8) फोटो कक्ष (सेल) (0.90 लाख रुपये)

आजकल के घटना बहुल जीवन में फोटोकक्ष का महत्व जनसम्पर्क क्षेत्र में बहुत अधिक है। दिल्ली में इस समय प्रतिदिन लगभग 15-20 समारोह होते हैं और इनके लिए केवल दो फोटोग्राफर है दिल्ली से प्रकाशित 25 दैनिक और 50 साप्ताहिक (समाचार) पत्रों द्वारा तस्वीरों को जारी किये जाने की मांग भी बहुत अधिक है । इसके अलावा दूरदर्शन एवं प्रदर्शनी एकक के लिए भी तस्वीरें तैयार की जाती हैं । दूरदर्शन पर फिल्म तैयार करने के लिए एक चलचित्र कैमरा खरीदने का प्रस्ताव है जिसके लिए 35,000/-रुपयों की आवश्यकता होगी । वर्ष 1980-81 में इस योजना के लिए 0.90 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है, जबकि 1979-80 में इस सम्बन्ध में खर्च 0.37 लाख रुपये था ।

(9) मुख्यालय कर्मचारी (3.50 लाख रुपये)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय केन्द्र खोलने और अन्य कक्षों (सेलों) के विस्तार पर मुख्यालय कक्ष (सेल) का कार्यभार बढ़ जायेगा । अतः निदेशालय के मुख्य कार्यालय को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि यह प्रचार अभियान के लिए मुख्य रूप से कारगर सेल के रूप में कार्य कर सके। इसे सुचारु रूप से संचालित करने के लिए और समन्वय के रखरखाव के अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था के कारण, प्रत्येक योजनाओं और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है । कार्य के सुचारु रूप से निरीक्षण के लिए मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि अत्यावश्यक हो गयी है । इस प्रयोजन के लिए एक संयुक्त निदेशक एक प्रशासनिक अधिकारी और अन्य आवश्यक कर्मचारियों के पदों का सृजन मुख्यालय के लिए प्रस्तावित है । इस योजना पर वर्ष 1980-81 में 3.50 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है जब कि 1979-80 का खर्च 1.58 लाख रुपये था ।

(10) अतिथि सत्कार (0.30 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत प्रेस संवाददाताओं के अतिथि सत्कार पर व्यय किया जाता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर आयोजित सम्मेलनों पर भी व्यय किया जाता है है । 1980-81 में इस योजना पर 0.30 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। जबकि 1979-80 में 0.26 लाख रुपये खर्च किए गए ।

10(ख) मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) (1.00 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत योजना अवधि 1980-81 के दौरान एक मुद्रणालय स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह एक नई योजना है जिसके सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन लिया जा रहा है । मुद्रणालय शुरू करने के लिए जमीन की खरीद और भवन निर्माण पर 1लाख रुपये का प्रावधान 1980-81 के लिए अनुमोदित किया गया हैं ।

10(ग) अल्प बचत योजना (1 लाख रुपये)

यह एक सतत योजना है । इस योजना के अन्तर्गत अल्प बचत पर प्रचार के लिए व्यय किया जा रहा है । पोस्टरों, सिनेमा स्लाइड्स, विज्ञापन पट्टो, पुस्तिकाओं, वृत चित्रों और विज्ञापनों आदि प्रचार माध्यमों के जरिए शहरी एवं नगरी जनता के बीच अल्प बचत का प्रचार प्रसार किया जाता है । इसके अलावा जनता के बीच अल्प बचत को लोकप्रिय बनाने के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटकों आदि का आयोजन किया जाता है । अल्पबचत संग्रहों को बढ़ाने के लिये भारत सरकार प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसरण में आवश्यक, व्यापक तथा गहन प्रचार प्रभावी रूप से आयोजित किया जाना है । इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के निरीक्षण के लिये एक

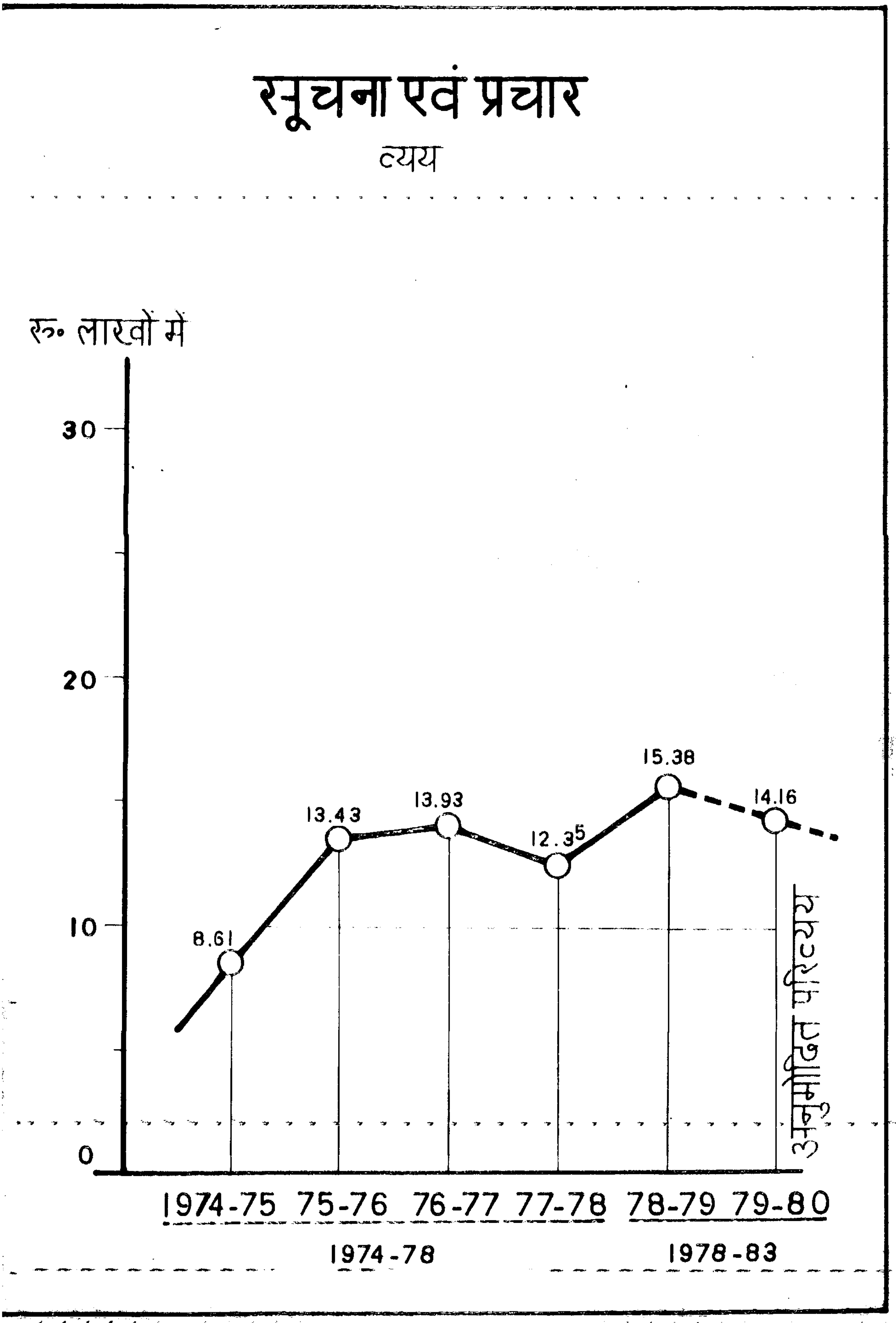

सूचना एवं प्रचार
व्यय
रु० लाखों में
30
20
10
0
8.61
13.43
13.93
12.35
15.38
14.16
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इस योजना पर 1980–81 के लिये 1 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि 1979–80 के दौरान इस पर 0.53 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

(11) क्षेत्रीय सूचना केन्द्र (1.00 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत नयी दिल्ली क्षेत्र में एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्रीय केन्द्र एक सूचना अधिकारी और अन्य आवश्यक कर्मचारियों के अधीन कार्य करेगा।

क्षेत्रीय सूचना और प्रसार अधिकारी के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) जनता और प्रशासन के बीच और अधिक प्रभावी संचार सम्बन्ध स्थापित करना।

(2) सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों पर जन-प्रतिक्रिया से मुख्यालय को अवगत कराना।

(3) मुख्यालय के अधीन प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार करना।

(4) क्षेत्र के निवासियों को सूचना सेवा उपलब्ध कराना।

(5) विकास-कार्यक्रमों पर क्षेत्र में चलचित्र प्रदर्शन आयोजित करना।

(6) विकास कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन और जन-प्रवृत्ति का पता लगाना।

(7) उपराज्यपाल, मुख्य कार्यकारी पार्षद, मुख्य सचिव आदि के आगमन पर शीघ्र प्रचार बैठकें आयोजित करना।

(8) विकास कार्यक्रमों पर सेमिनारों एवं योजना-मंच की व्यवस्थाकरना।

इस योजना पर वर्ष 1980–81 के लिए 1 लाख रुपये अनुमोदित किया गया है। यह एक नयी योजना है जिसका अनुमोदन भारत सरकार से अभी लिया जाना है।

(12) ग्रामीण सूचना केन्द्र (1.25 लाख रुपये)

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण जनता इन केन्द्रों से काफी हद तक लाभान्वित होगी। प्रत्येक केन्द्र एक सहायक सूचना अधिकारी द्वारा संचालित होगा। कर्मचारियों के और अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए 1980–81 के लिए 1.25 लाख रुपये अनुमोदित किया गया है ताकि ग्रामीण केन्द्र खोले जा सकें। यह नयी योजना है और सरकार का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

II. मद्यनिषेध निदेशालय

मद्यनिषेध प्रचार और प्रसार (1.50 लाख रुपये)

शराब पीने की आदत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक पतन की ओर ले जाती है। अतः मद्यनिषेध को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चुना गया है। लोगों को पीने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए पीने की आदत से उत्पन्न कुप्रभावों के प्रति उन्हें शिक्षित करना और पूरे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गहन एवं व्यापक अभियान चलाना आवश्यक है। सभी प्रमुख (प्रचार) माध्यमों से व्यापक संगठित प्रचार किया जायेगा। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लोगों का झुकाव शराब पीने की ओर अधिक है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुनर्वास बस्तियों में उक्त कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक गाड़ी भी खरीदी गई है।

यह योजना सूचना और प्रसार निदेशालय से मद्यनिषेध विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। मदय निषेध के प्रचार कार्य में गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को थी प्रभावी ढंग से शामिल करने का इरादा है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी है ताकि वे अपनी प्रचार योजना का खर्च पूरा कर सकें। इस पर 1980–81 के लिए 1.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जब कि 1979–80 में 1.35 लाख रुपये खर्च किया गया था। अनुमोदित प्रावधान का उपयोग नाटक-प्रदर्शन, वृत चित्रों की खरीद दूरदर्शन और आकशवाणी के माध्यम से विज्ञापन देने पर किया जायेगा।

(13) संघ राज्य क्षेत्र थे सामुदायिक दूरदर्शन सेटों की व्यवस्था करने की योजना (0.50 लाख रुपये)

वर्तमान युग में दूरदर्शन सूचना प्रसारित करने के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। यह किसानों विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषि तथा सम्बन्ध व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों को शिक्षित करने में भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं वज्ञानिकों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं, से जो कृषि अनुसंधान और विकास में कार्यरत हैं, कृषि अनुसंधान और विकास पर नवीनतम जानकारी एकत्र करने और इसे आगे कृषि समुदाय में संचारित करने के लिए भी दूरदर्शन का महत्व बहुत अधिक है। शिक्षा, प्रशिक्षण, और प्रदर्शन का भी यह प्रभावी माध्यम है। अब तो अनुसंधान से यह सिद्ध हो गया है कि दूरदर्शन रेडियो की अपेक्षा सूचना प्रसारण में अधिक प्रभावी है।

इन विचारों को मोटे तौर पर ध्यान में रखते हु, कृषि से सम्बन्धित विषयों पर देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से कार्यक्रम प्रसारित किय जाते हैं। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या का एक छोटा भाग ही इस सुविधा का लाभ उठा पाता है। सामान्य रूप से अधिकांश किसान और अन्य ग्रामीण निवासी

स्वयं अपना दूरदर्शन सेट खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा प्रचालन मरम्मत और रख-रखाव की भी गांवों में कमी है। अतः पूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने की अत्यंत आवश्यकता है।

इस योजना पर छठीं पंचवर्षीय योजना 1978-79 में 10 लाख रुपय के अनुमोदित परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के प्रत्यक गांव को एक दूरदर्शन सेट देने की व्यवस्था की गई है। इस समय कुछ गांवों में आल इंडिया रेडियो के ग्रामीण, शाखा द्वारा स्थापित 50 दूरदर्शन सेट हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर सेट काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस योजना में इन सेटों की मरम्मत की भी व्यवस्था की गई है। जो सेट स्थापित किय जाने है उनके रख-रखाव और मरम्मत के लिए, इस कार्यक्रम के अधीन एक वर्कशाप स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। 1980-81 के लिए इस योजना पर 0.50 लाख रुपय का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली नगर निगम

(14) सूचना और प्रचार केन्द्र तथा कर्मचारियों के खर्चे (1 लाख रुपये)

दिल्ली नगर निगम एक मत्हवपूर्ण नागरिक निकाय है और इसमें अधिकार क्षत्र का विस्तार 1483 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अधीन 7500 कर्मचारी कार्य करते हैं और इसके अन्तर्गत आने वाले क्षत्रों कीं आबादी 45 लाख हैं जो प्रत्यक वर्ष 1.75 लाख की दर से बढ़ती है। जनता के उपयोग का संगठन होने के कारण यह दिल्ली की जनता के दिन-प्रतिदिन के जीवन से सीधे सम्बद्ध है। बहुत बड़ी संख्या में करदाता और अन्य नागरिक मुख्यालय और विभिन्न क्षत्रीय कार्यालयों में आते हैं।

छठीं पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिय 3 लाख रुपय का प्रावधान सूचना और प्रचार केन्द्र तथा कर्मचारियों के लिय अनुमोदित किया गया है। जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए नागरिक नीतियों को एक नयी दिशा दी जा रही है। मार्ग दर्शी पुस्तकों और प्रकाशित साहित्य के माध्यम से जनता को मार्गदर्शन और सूचना देने के लिए विभिन्न क्षत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय में जन संचार साधनों का एक जाल बिछाया जा रहा है।

यह नई योजना है अतः वर्ष 1980-81 के लिए इस योजना पर 1 लाख रुऊ का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। इस नयी योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

6. 10,श्रम और श्रम कल्याण

विकास के इस शीर्ष के अन्तर्गत श्रम कल्याण, शिल्पकार प्रशिक्षण, शिक्षु प्रशिक्षण नियोजन सेवा से सम्बोधित कार्यक्रम शामिल हैं। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 450.00 लाख रुपये का परिव्यय विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगें :--

(1) आई० टी० आई० केन्द्रों के विभिन्न विदयमान व्यवसायों के प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाना ताकि अर्थ व्यवस्था के विविध उद्योगों एवं व्यवसायों की कुशल मानव शक्ति की प्रबल मांग को पूरा किया जा सके।

(2) सनियोजन एवं बाजार मांग के लिए उपयुक्त युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

(3) बाजार के साथ सम्पर्क बनाये रखना ताकि उदयोग विकास एवं परिवर्तित प्रोदयोगिकी से परिचित रहा जाय।

(4) शिक्षुता कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक नय व्यवसाय लाये जायेंगे।

(5) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और रोजगार कार्यालयों के लिय निर्माण कार्य शुरु करके आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया जायेगा।

(6) रोजगार कार्यालयों की कार्यप्रणाली को, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराकर और इनका निरीक्षण करके, बेहतर बनाया जायगा।

(7) श्रमिकों और औदयोगिक कामगरों के कार्य करने तथा रहन सहन के हालात को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक श्रम कल्याण कार्यकलाप आयोजित किये जाएंगे।

(8) कारखाना निरीक्षाणालय और औदयोगिक सम्पर्क तंत्र को सुदृढ़ करके संघ राज्य क्षत्र के घरेलू उत्पादन की विकास दर को बढ़ाने के लिय औदयोगिक शान्ति बनाय रखी जायगी।

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के परिव्यय 1978-79 का वास्तविक खर्च, अनुमोदित परिव्यय और 1979-80 के संभावित व्यय तथा 1979-80 के अनुमोदित परिव्यय का

योजनावार स्थिति को सारिणी में दिखायी गयी है :—

(रुपये लाखों में)

क्र०स०	योजना	पंचवर्षीय योजना 1978–83 परिव्यय	1978–79 वास्तविक खर्च	1979–80 परिव्यय	खर्च	1980–81 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रम कल्याण	100.00	4.50	16.00	8.93	12.41
2.	शिल्पकार प्रशिक्षण	221.67	46.77	60.00	19.14	32.25
3.	शिक्षुता प्रशिक्षण	38.33	19.92	10.00	0.34	8.55
4.	रोजगार सेवा	90.00	9.88	15.00	0.64	12.81
	योग	450.00	81.07	101.00	29.05	66.02

वार्षिक योजना 1979–80

केवल 29.05 लाख रुपये ही खर्च हो सके जबकि वार्षिक योजना 1979–80 अनुमोदित परिव्यय 101.00 रुपये था। खर्च में कमी निम्नलिखित कारणों से है :—

(1) दिल्ली नगर निगम यू० ए० सी० और दिल्ली विकास प्राधिकरण से निर्माण योजना की स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण पूंजीगत निर्माण कार्यों का निष्पादन न हो सकना।

(2) श्रम मंत्रालय से नई योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन न मिल पाना।

(3) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पदों को रखना उन्हें भरने में विलम्ब।

(4) इमारतों के निर्माण के लिए जमीन न मिल पाना।

वार्षिक योजना 1980–81

वार्षिक योजना 1980–81 के दौरान शुरु किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 66.02 लाख रुपये का अनुमोदन प्राप्त है। 1980–81 के दौरान प्रस्तावित शुरु की जाने वाली नई योजनाओं के लिये केवल सांकेतिक प्रावधान किये गये है। यह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि यह योजनाएं अभी श्रम मंत्रालय से तकनीकी अनुमोदन के अधीन हैं।

वार्षिक योजना 1980–81 के दौरान विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जायगा। औद्योगिक कामगरों के लिये एक और आवकाश गृह की स्थापना की जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक और आई० टी० आई० की स्थापना की जायगी और शिक्षुता अधिनियम के अधीन डी० जी० इ० और टी० दवारा संकलित 28 नये व्यवसायों में से 24 नये व्यवसायों के लिए सुविधाएं जुटायी जायेंगी। प्रत्येक योजना के योजनावार ब्यौरों को निम्नलिखित पैराग्राफों में बताया गया है :—

(क) श्रम कल्याण

(1) औद्योगिक सम्पर्क

1. औद्योगिक सम्पर्क कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करना (2 लाख रुपये) :

औदयोगिक शान्ति बनाये रखना औद्योगिक विवादों की जांच और समझौता बनाना विभिन्न श्रम विधि को लागू करना औद्योगिक कामगरों के लिये कल्याण केन्द्रों का संचालन और श्रमिकों के हित में समय-समय पर अन्य विविध कार्य करना दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग का दायित्व है। पिछले नौ वर्षों में पंजीकृत औदयोगिक कारखानों दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं, औदयोगिक कामगरों, श्रम अधिनियमों, औदयोगिक विवादों, श्रम कल्याण कार्यों आदि की संख्या में कई–गुना वृद्धि हुई है लेकिन विभाग को सौंपी गई विभिन्न जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए

कर्मचारियों को स्वीकृत, संख्या पहले जैसी है। इस तथ्य की निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :—

क्रम सं0	मद	1971 और 1979 के अन्त में स्थिति	
1	2	3	4
1.	दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं की संख्या . . .	167109	266576
2.	दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मचारियों की संख्या	281845	440613
3.	पंजीकृत कारखानों की संख्या	1764	3190
4.	औद्योगिक विवादों की संख्या .	2189	5032
5.	औद्योगिक शिकायतों की संख्या .	4401	15123

अत: इस योजना को 1978-83 को पंचवर्षीय योजना में 15 00 लाख रुपये के परिव्यय के साथ इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि औद्योगिक सम्पर्क कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। 1979-80 के दौरान अपेक्षित और स्वीकृत तथा 1980-81 में बनाये जाने वाले कुल पदों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं0	पद का नाम	अपेक्षित अतिरिक्त पदों की संख्या	1979-80 में भारत सरकार द्वारा सहमति प्राप्त	1980-81 में बनाये जाने वाले
1	2	3	4	5
1	संयुक्त श्रम आयुक्त	1	1	--
2	उप श्रमआयुक्त	3	1	2
3	सहायक श्रम आयुक्त	4	2	2
4	श्रम अधिकारी	2	--	2
5	निरीक्षण अधिकारी	4	1	3
6	श्रम निरीक्षण (ग्रेड -2)	5	1	4
7	श्रम निरीक्षण (ग्रेड—3)	5	1	4
	योग :	24	7	17

शेष 17 पद वार्षिक योजना 1980-81 में बनायें/भरे जायेंगे। 1979-80 में मंजूर कर्मचारियों और 1980-81 में बनाये जाने वाले पदों के खर्च को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत हुआ है

II. कार्य करने की स्थिति और सुरक्षा

1. सुरक्षा पुरस्कार योजना (0.15 लाख रुपये)

यह सतत योजना है इस योजना का उद्देश्य कारखानों और कार्यस्थलों के अन्दर दुर्घटनायें रोकने में असाधारण उपलब्धियों और औद्योगिक एककों में दुर्घटनायें कम करने से संबंधित मूल्यवान सुझावों के लिए कारखाना प्रबन्ध व्यवस्था को समुचित प्रोत्साहन और मान्यता देना है। इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी समिति द्वारा चुने गए विजेताओं को पुरस्कार दिये जायेंगे। इस योजना पर 1980-81 के लिए 0.15 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

2. कारखाना निरीक्षणालय को सुदृढ़ करना (1.20 लाख रुपये)

इस निरीक्षणालय पर भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, प्रसूति लाभ अधिनियम और पंजाब स्थापना अधिनियम 1966 (संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी लागू) को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। उपर्युक्त अधिनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था 1970 से पहले की गई थी। उस समय इस (संघ राज्य) क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों की संख्या केवल 1450 थी जब कि इस समय इनकी संख्या 3200 है। श्रम मंत्रालय के निदेशानुसार प्रत्येक कारखाने का निरीक्षण एक वर्ष में तीन से चार बार होना चाहिए और हर 150 कारखानों के लिए एक निरीक्षक होना चाहिए। दिल्ली प्रशासन ने इन नियमों को अपने अनुकूल संशोधित करके 250 कारखानों के लिए एक निरीक्षक की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। ऐसा दिल्ली की सघनता को ध्यान में रखकर किया गया है। अत: निरीक्षक और 3 उपमुख्य निरीक्षक के पदों के बनाये जाने का निर्णय किया गया ताकि उक्त नियम का पालन किया जा सके। किन्तु भारत सरकार ने वार्षिक योजना 1979-80 के दौरान केवल एक उप मुख्य निरीक्षक और दो निरीक्षकों के पदों को ही मंजूरी दी है। ये पद 1980-81 के दौरान भी चलते रहेंगे और दो उप मुख्य निरीक्षक तथा चार निरीक्षक के पदों की रचना की जायेगी। कर्मचारियों पर व्यय के लिए 1.20 लाख रुपए का परिव्यय 1980-81 के लिए अनुमोदित किया गया है।

III. सामान्य श्रम कल्याण

(1) श्रम कल्याण केन्द्र भवन का निर्माण (5.50 लाख रुपये)

इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 15 श्रम कल्याण केन्द्र हैं। इनमें से केवल दो अपने भवनों में कार्यरत हैं

अतः शेष श्रम कल्याण केंद्रों के लिए भी भवन-निर्माण का निश्चय किया गया है ।

ओखला स्थित श्रम कल्याण केन्द्र का निर्माण चल रहा है और 1979-80 के दौरान 5.50 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है । इस भवन निर्माण को पूरा करने के लिए 1980-81 में 5.37 लाख रुपए की और 0.13 लाख रुपए कर्मचारियों पर व्यय के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) औद्योगिक कामगरों के लिए अध्ययन भ्रमण (0.35 लाख रुपये)

इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक कामगरों को अन्य राज्यों के विभिन्न औद्योगिक एककों की कार्य प्रणाली और वहां के सह-कामगरों द्वारा आयोजित कल्याण कार्यकलापों को देखना और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करना है । प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के दो तीन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इन अध्ययन भ्रमणों पर जाने वाले कामगरों के यात्रा प्रभार, दैनिक भोजन प्रभार और जेब खर्च को पूरा करने के लिए इस योजना पर 1980-81 के लिए 0.35 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(3) भाड़ा-क्रय आधार पर औद्योगिक कामगारों को सिलाई/बुनाई/कसीदाकारी मशीनों की व्यवस्था (0.05 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कामगरों के परिवार के सदस्यों को सिलाई/बुनाई/कसीदाकारी की मशीनें भाड़ा क्रय आधार पर दी जाती हैं । ऐसी मशीनों का मूल्य कामगरों के वेतन के ब्याज रहित 36 किस्तों में वसूला जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत 1980-81 के लिए 0.05 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है ।

(4) कामगारों को गांवों में मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

हालांकि कृषि, डेरी, कुक्कुट-पालन ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामउद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं किन्तु उनके कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई व्यावहारिक प्रयास नहीं किया जा सका । संगठित क्षेत्र के कामगरों को प्राप्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर असंगठित क्षेत्र के कामगरों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने की जरूरत महसूस की गई है । चूंकि इस योजना के तकनीकी अनुमोदन की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है अतः 1979-80 में कोई खर्च नहीं किया जा सका और 1980-81 के लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है ।

(5) औद्योगिक कामगारों के लिये अवकाश गृह की स्थापना (1.00 लाख रुपये)

इस समय लगभग तीन हजार पंजीकृत कारखानों में 4,36,000 और 2,59,000 दुकानों तथा वाणिज्यिक स्थापनों में लगभग 4,31,000 कामगर नियोजित हैं । ये कामगर कारखानों में कठोर श्रम करते हैं और इनके आवास स्थान तथा कारखाने भीड़ भाड़ युक्त और संदूषित रहते हैं। सीमित आय के कारण उनके लिए यह संभव नहीं होता कि वे स्वास्थ्य कर स्थानों पर जाकर आराम कर सकें और इस प्रकार अपने एकरस जीवन का कोई कोई विकल्प वे नहीं ढूंढ़ पाते हैं । इस दृष्टि से प्रशासन ने मंसूरी और हरिद्वार में औद्योगिक कामगरों के हित के लिए दो अवकाश गृहों की स्थापना की है इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जनवरी 1980 तक 2527 औद्योगिक कामगरों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन अवकाश गृहों की सुविधाओं का लाभ उठाया है । इन केन्द्रों पर निःशुल्क स्थान के अलावा एक तरफ का रेल/बस किराया भी उन कामगरों को दिया जा रहा है जो इन अवकाश गृहों की सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं । विद्यमान अवकाश गृहों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऐसे एक और गृह की स्थापना वार्षिक योजना 1980-81 में की जानी थी । किन्तु काफी प्रयास के बावजूद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोई गृह उपलब्ध न हो सका । अतः तीसरा अवकाश गृह 1980-81 के दौरान स्थापित किया जायेगा । उक्त दो गृहों को जारी रखने और तीसरे की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का परिव्यय 1980-81 के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(6) कामगरों के लिये सामाजिक सुरक्षा/औद्योगिक कामगरों के लिये चल स्वास्थ्य प्रयोगशाला (0.92 लाख रुपये)

इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक कामगरों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना है । कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन प्रत्येक कारखाने को जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जायेगी कि प्रत्येक कामगर के लिए साविधिक तरीके से स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य परीक्षा की सुविधायें उपलब्ध हैं । प्रबन्धक वर्ग की ओर से कामगर को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अस्पतालों में जाने देने में उपेक्षा की जाती है क्योंकि वहां लंबी लाइन में देर तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है । अतः एक्सरे मशीन तथा अन्य आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों से युक्त एक चल प्रयोगशाला और मुख्यालय में एक छोटी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है । प्रयोगशाला के लिए कुछ आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों को भी व्यवस्था करनी है । इस योजना के कार्यान्वित हो जाने से सभी औद्योगिक कामगरों की स्वास्थ्य परीक्षा नियमानुसार की जा सकेगी और यह भी उनके कार्य स्थान पर, इस योजना पर वर्ष 1979-80 के लिए 2.18 लाख रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.92 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । 1979-80 के अनुमोदित परिव्यय का उपयोग (मोटर) गाड़ी और उपस्कर खरीदने में किया जायेगा । 1980-81 के दौरान आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ।

(2) औद्योगिक कामगार के बीच मद्यनिषेध की प्रचार योजना (0.74 लाख रुपये)

इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक कामगरों के बीच शराब पीने की बुराइयों का व्यापक प्रचार करना है। मद्यनिषेध प्रचार का आयोजन मजदूर बस्तियों और कारखाना क्षेत्रों में चार्टों, पर्चों, चलचित्र प्रदर्शन, नाटक आदि के प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। एक मोटर गाड़ी और दो प्रोजैक्टर पहले ही खरीदे जा चुके हैं। एक मोटर चालक और एक फिल्म प्रोजैक्टर प्रचालक के पदमी 1978–79 के दौरान भरे जा चुके हैं। 1980–81 में कुछ फिल्में भी खरीदी जायेंगी। 1980–81 के लिए 0.74 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(5) शिक्षा और प्रशिक्षण

1. औद्योगिक कामगारों के बीच साक्षरता का प्रसार (0.50 लाख रुपये)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामगरों के लिए साक्षरता की कक्षाएं आयोजित करना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को तीव्र विकास के लिए आवश्यक समझकर कामगर बनाया जा सके। 1979–80 के दौरान सोलह कक्षाओं का आयोजन किया गया। 1980–81 में बीस कक्षाएं आयोजित की जायेंगी। प्रत्येक वर्ष इससे लाभान्वित होने वाले कामगरों की संख्या लगभग 400 से 500 होगी। कक्षाओं के लिए अल्पकालिक अध्यापकों की मानदेय देने और लेखन सामग्री की खरीद के लिए 0.50 लाख रुपये का प्रावधान (1980–81) के लिए किया गया है।

(ख) शिल्पकार और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना शिल्पकार प्रशिक्षण और सोरी फोर्ट क्षेत्र में आई० टी० आई० का निर्माण

महिला आई० टी० आई० इस समय कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित उन पुराने बैरकों में चल रही है जो जीर्ण अवस्था में हैं तथा आई० टी० आई० की वर्तमान आवश्यकता पूरी करने में भी सक्षम नहीं है। अत: यह निश्चय किया गया कि आई० टी० आई० को सारि फोर्ट क्षेत्र में ले जाया जाय। वहां 2.5 एकड़ जमीन खरीदी गई और 1976–77 में एक चार दीवारी निर्मित की गई। हालांकि इस योजना पर 1979–80 में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है किन्तु निर्माण कार्य पूरी गति से नहीं शुरू हो सका क्योंकि शहरी वास्तुविद आयोग ने अनुमान में कुछ परिवर्तनों की सलाह दी है। अब इमारत की संशोधित अनुमानित लागत 74.25 लाख रुपये है। 1980–81 में निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा जिसके लिये 5 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(2) आई० टी० आई० नन्द नगरी का निर्माण (3 ल[ाख] रुपये)

आई० टी० आई० नन्दनगरी की 1977–78 में [...] उद्देश्य से शुरू किया गया ताकि पुनर्वास बस्ति[यों] के निवासियों को जो कमजोर वर्ग के हैं प्रशिक्षण की सुवि[धा] मिल सके। इस समय यह आई० टी० आई० हरि[...] उद्योगशाला, किंग्सवे कैंप के परिसर में कार्यरत है जि[से] प्रशासन ने अपने अधीन कर लिया है। इस आई० टी० आ[ई०] के भवन निर्माण के लिये नन्दनगरी में 2 हैक्टेयर का [...] भू-खण्ड पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया है। अनुम[ान] तैयार किये जा रहे हैं और निर्माण कार्य 1980–[81] में शुरु किया जायेगा जिसके लिए वार्षिक योजना 198[0–]81 में 3 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(3) आई० टी० आई० खिचड़ीपुर का निर्माण (3 ल[ाख] रुपये)

आई० टी० आई० नन्दनगरी की तरह एक और आ[ई०] टी० आई० का निर्माण खिचड़ीपुर की पुनर्वास कालानी [के] निवासियों के लिए 1979–80 में किया गया है। इस[के] लिए उपयुक्त स्थान मिलने तक आई० टी० आई० शाहद[रा] के परिसर में अतिथि संस्था के रूप में वहां चलती रहेगी। इस आई० टी० आई० के भवन निर्माण के लिए खिच[ड़ी]पुर में जमीन प्राप्त की जा रही है। निर्माण कार्य 198[0–]81 में शुरू किया जायेगा जिसके लिए 3 लाख रुपये [का] परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस योजना को भा[रत] सरकार ने तकनीकी रूप से 1978–83 की पंचवर्षीय योज[ना] के लिए 34 लाख रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित क[र] दिया है

(4) आई० टी० आई० नरेला (4 लाख रुपये)

आई० टी० आई० नरेला 1975–76 में ग्रामीण क्षे[त्र] में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शु[रू] किया गया था। उपयुक्त स्थान मिलने तक यह सं[स्था] आई० टी० आई० पूसा के परिसर में कार्यरत है। नरेला [में] जमीन खरीदने के प्रयास में सफलता नहीं मिल पायी। अ[ब] जहांगीर पुरी की पुनर्वास कालोनी में एक दूसरा स्थान चु[ना] गया है। निर्माण कार्य 1980–81 में शुरु किया जाये[गा] जिसके लिए 4 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया ग[या] है।

(5) अतिरिक्त कार्यशाला का निर्माण (1 लाख रुपये)

आई० टी० आई० मालवीय नगर में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ते जाने के कारण वर्तमान स्थान आवश्यकता लिए पर्याप्त नहीं है अतः इस आई० टी० आई० के लिए अतिरिक्त कर्मशाला के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और निर्माण 1980-81 के दौरान शुरू कर दिया जायेगा जिसके 1 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(6) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (2 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों र्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव इसके लिए जमीन आई० टी० आई० पूसा के परिसर में रा और जेल रोड पर पहले से ही उपलब्ध है। ान तैयार किये जा रहे हैं। और निर्माण कार्य 1980- में शुरु कर दिया जायेगा। इसके लिए 2 लाख रुपये ोदित किये गये हैं।

(7) महिला ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण (0.05 रुपये)

1980-81 के लिये प्रस्तावित यह एक नयी योजना है इसकी अनुमति अभी श्रम मंत्रालय भारत सरकार से होनी है। इन योजना के अंतर्गत आई० टी० आई० नगर के पुराने भवन को गिराकर नया भवन निर्मित का प्रस्ताव है। इस भवन का उपयोग दिल्ली क्षेत्र ामीण महिलाओं के लिए प्रस्तावित नये आई० टी० आई० लिए किया जायेगा। केवल 0.05 लाख रुपये का तिक प्रावधान इस योजना पर वार्षिक योजना 1980-81 ये किया गया है क्योंकि इसे अभी तकनीकी अनुमोदन नही हुआ है।

(8) व्यवसायों में विविधता और आधुनिकीकरण (13.55 रुपये)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सफल प्रशिक्षण प्रदान के लिए पुरानी और अप्रचलित मशीनरी तथा उपस्करों दलना और नयी डिजाइन के उपकरणों और औजारों योग आवश्यक है। शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक सरकार भी आई० टी० आई० में किये जा रहे ायों की विविधता और आधुनिकीकरण पर जोर देते हैं। यक औजारों और उपस्करों की खरीद के लिए 1980- के दौरान 13.55 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित गया है।

9) मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (0.50 रुपये)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और कुछ आई० टी० आई० द्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण मुख्यालय में कार्य कई गुना बढ़ गया है। अतः बढ़े हुए कार्याधिक्य और प्रशिक्षण संस्थानों के बेहतर प्रबन्धन पर अनुकूल कार्यवाही के लिए इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक कर्मचारी प्रस्तावित हैं। यह मामला इस समय श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों के व्यय को पूरा करने के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(10) रोजगार व्यवस्था कक्ष की स्थापना (0.05 लाख रुपये)

यह योजना वार्षिक योजना 1979-80 में इस उद्देश्य से शामिल की गई ताकि जो प्रशिक्षणार्थी विभिन्न आई० टी० आई० में अपना अध्ययन पूरा कर रहे हैं उन्हें यथा शीघ्र रोजगार दिलाने और विभिन्न उदयोगों में कुशल कामगारों की मांग को पूरा करने में मदद दी जा सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि जो प्रशिक्षणर्थी अपना अध्ययन जैसे ही पूरा करते हैं वैसे ही उन्हें रोजगार प्राप्त हो जायें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1979-80 में एक रोजगार व्यवस्था कक्ष (सेल) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। किन्तु भारत सरकार की अनुमति न मिल पाने के कारण इसे स्थापित न किया जा सका। यदि भारत सरकार इसे अनुमोदित कर देती है तो इसकी स्थापना अब 1980-81 में की जायगी।

(11) आई० टी० आई० के कर्मचारियों का पुनर्गठन (0.05 लाख रुपये)

प्रौदयोगिकी के विकास के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आई० टी० आई० के उपलब्ध कर्मचारियों की पुनर्रचना एवं पुनर्गठन किया जायें। महानिदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण (डी० जी० ई० और टी०) भारत सरकार ने ऐसी सलाह दी है और विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। उससे यह निष्कर्ष निकला है कि आई० टी० आई० (संस्थानों) के सुचारु प्रचालन के लिए कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। एक नवीन प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार विचार और अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 0.05 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है और योजना पर अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निधि उपलब्ध कराने की समस्या पर प्रशासन कार्यवाही करेगा।

(12) रोजगारोन्मुख व्यवसायों का बोर्ड (0.05 लाख रुपये)

वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली यह एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य अन्य तकनीकी एवं रोजगारोन्मुख व्यवसायों के राज्य मण्डलों (स्टेट बोर्डस) की तरह एक बोर्ड की स्थापना है। इसकी आवश्यकता टी० सी० डी० वी० टी० व्यवसाओं के लिए

दिये गये कर्मचारियों को ध्यान में रखकर महसूस की गई है। प्रस्तावित बोर्ड पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने, सफल विद्यार्थियों को पुरस्कार/प्रमाण/डिप्लोमा देने का दायित्व होगा। इस समय केवल 0.05 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान ही किया गया है क्योंकि इस योजना को श्रम मंत्रालय से अभी तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना हैं।

II शिक्षुता प्रशिक्षण

(1) राज्य शिक्षुता सलाहकार कार्यालय को सुदृढ़ करना (0.05 लाख रुपये)

शिक्षुता अधिनियम के अधीन 103 पदनामित व्यवसायों में से 60 व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को दिया जाना आरम्भ हो गया है। इसके आगे डी० जी० ई० एवं टी० ने हाल ही में 28 नये व्यवसायों को भी पदनामित किया है। इन 28 नय व्यवसायों में से 24 के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं जुटानी हैं जिससे प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 6000 प्रशिक्षणार्थियों तक हो जायगी। इन जिम्मेदारियों से निपटने के लिय राज्य शिक्षुता सलाहकार को एक उप शिक्षुता सलाहकार, दो सहायक शिक्षुता सलाहकार, चार पर्यवेक्षक, एक लेखाकार, तीन सांख्यिकीय सहायक की आवश्यकता है। उपर्युक्त कर्मचारियों के अलावा अन्य सहायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी।

इस समय केवल 0.50 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान ही किया गया है। इस योजना के ब्यौरों पर कार्यवाही पहले ही हो चुकी है और उन्हें श्रम मंत्रालय भारत सरकार को तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिय भेज दिया गया है।

(2) क्षेत्रीय कर्मचारियों की व्यवस्था (0.05 लाख रुपये)

डी० जी० ई० एवं टी० द्वारा शिक्षुता अधिनियम के अधीन सुझाये गये 28 नय पदनामित व्यवसायों में से 24 को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शुरु किया जायेगा। अतः इन व्यवसायों के लिए औदयोगिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी जुटानी होंगी और औद्योगिक स्थापनाओं पर सतत सर्वेक्षण करना होगा। इस कार्य को करने के लिये दो प्रशिक्षण अधिकारी, चार पर्यवेक्षक और दस अनुदेशक उपलब्ध कराये जायेंगे।

आवश्यक सहायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। वार्षिक योजना 1980-81 में इसके लिए केवल 0.05 लाख रुपये का ही सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि इस योजना का तकनीकी अनुमोदन श्रम मंत्रालय से अभी प्राप्त होना है।

(3) बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र (8 लाख रुपये)

इस समय बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र मोरीगेट में कार्यरत है जहां अस्थायी वासगृह इस बात को ध्यान में रखकर निर्मित किये गये हैं कि उपयुक्त आवास की कमी हैं। केन्द्र के सुचारु रूप से प्रचालित होने के लिए जो शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उन व्यवसायों में प्रशिक्षण देने में संलग्न है जो विविध आई० टी० आई० द्वारा नहीं दिये जाते हैं पूसा में इसके अपने भवन को निर्मित करने का निश्चय किया गया। निर्माण कार्य 1979-80 में शुरु कर दिया गया है और 1980-81 में भी यह जारी रहेगा। इसके लिए 8 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है।

(ग) रोजगार सेवा

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रोजगार तलाशने वालों को रोजगार सेवा उपलब्ध कराने का कार्य रोजगार निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 22 रोजगार कार्यालय और अन्य विशिष्टता प्राप्त एकक करते हैं। पंजीकरण और रोजगार देने के अतिरिक्त रोजगार तलाशने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार-सूचना व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक सूचना, व्यावसायिक अभियान, रोजगार बाजार सूचना, रोजगार और अन्य सम्बद्ध व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की स्थापना रोजगार तलाशने वालों के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों में अकुशल और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए की गई है। इन रोजगार कार्यालयों के नाम और उनके कार्य एवं क्षेत्रों की सीमा इस अध्याय के अंत में अनुलग्नक (क) में उल्लिखित है। वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान रोजगार कार्यालय में दर्ज शिक्षित आवेदकों के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के आंकड़े अनुलग्नक (ख) में दिये गये हैं।

1980-81 के लिये योजनावार अनुमोदित कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिये गये है :—

(1) दूसरे चल एकक की स्थापना (0.42 लाख रुपये)

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 35 हजार परिवारों के 12 लाख व्यक्तियों को विभिन्न गंदी कालोनियों से दूर-दराज के 40 पुनर्वास कालोनियों में बसाया है। अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित इन व्यक्तियों को अन्य कठिनाइयों के अलावा बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। पहले स्थापित चल एकक अब जमुनापार की कुछ बस्तियों में कार्य कर रहा है और यहां से निवासियों को आवश्यक रोजगार सहायता तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन देता है। इस विकट समस्या को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि विद्यमान एकक इन पुनर्वास बस्तियों के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पायेगा अतः दूसरे चल एकक की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इस एकक के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) बेरोजगारों की समस्या की विवशता का अन्दाजा करने के लिए सर्वेक्षण कराना।

(ख) नई बस्तियों के निवासियों के लिए वैकल्पिक रोजगार अवसर तलाशना और निदेशालय को बेरोजगारी कम करने के लिये उपाय सुझाना।

(ग) इन क्षेत्रों के निवासियों को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उनके लिये उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार और प्रशिक्षण/शिक्षुता प्रशिक्षण सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी का प्रचार प्रसार करके व्यावसायिक मार्ग दर्शन करना।

(घ) रोजगार सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज करना (नामावली या अल्पकालिक रोजगार) और नवीकरण, रोजगार देने आदि के प्रयोजन से अन्य रोजगार कार्यालयों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखना इससे उन व्यक्तियों का समय बचेगा जो दूर दराज से रोजगार कार्यालय आते हैं और रोजगार कार्यालयों में भीड़ भी इतनी अधिक नहीं होगी। इस एकक में एस० आर० इ० ओ० स ख्यिकी सहायक, निम्न श्रेणी लिपिक चालक और वर्लनिग के पद होंगे।

1980–81 के दौरान कर्मचारियों पर व्यय को पूरा करने के लिए 0.42 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(2) मुख्यालय में निरीक्षण और मूल्यांकन (0.24 लाख रुपये)

इस रोजगार निदेशालय के मुख्यालय स्थिति निरीक्षण/मूल्यांकन एकक में एक सहायक निदेशक एवं एक आशुलिपिक रखे गये थे। इस एकक पर इस निदेशालय के अधीन कार्यरत रोजगार कार्यालयों, व्यावसायिक मार्गदर्शन एककों, रोजगार बाजार सूचना और अन्य एककों की आवधिक जांच का दायित्व है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संघ राज्य दिल्ली में विभिन्न आकार के 23 रोजगार कार्यालय और व्यावसायिक मार्गदर्शन, नियोजन बाजार सूचना, व्यावसायिक सूचना, अनुसंधान और विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति कक्ष, कर्मचारी प्रशिक्षण एकक आदि जैसे 13 अन्य एकक हैं और एक अधिकारी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इन सभी कार्यालयो की आवधिक जांच नियमित रूप से करें। अतः रोजगार कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाकर और पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की संभावना को कम करके रोजगार सेवा की छवि में सुधार करने की दृष्टि से विद्यमान एकक को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इसलिए एक एस० आर० इ० ओ० एक आशुलिपिक के पद 1979–80 में बनाये गये हैं और 1980–81 में जारी रहेंगे।

1980–81 में कर्मचारियों पर व्यय को पूरा करने के लिए 0.24 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(3) दृश्य श्रव्य प्रचार योजना (0.23 लाख रुपये)

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के प्रयोग में आने वाले रजिस्टरों में ही स्नातकों की संख्या 1973 में 22184 से बढ़कर 1979 में 75057 हो गई है। इसके विपरीत लिपिक वर्गीय और अन्य सम्बद्ध व्यवसायों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए स्नातकोत्तर व्यक्ति भी इस प्रकार के रोजगारों की तलाश में रहते हैं। युवकों का ध्यान बाबूगिरी और उद्देश्यहीन उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हटाने और उन्हें व्यावहारिक कार्यों से परिचित कराने के लिए युवकों के पूरे दृष्टिकोण को विभिन्न दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों, विशेष रूप से रोजगार कार्यालय व्यावसायिक मार्गदर्शन एककों और विविध व्यवसायों को रोजगार आवश्यकताओं की कार्य प्रणाली पर चलचित्र तैयार करके बदलने की आवश्यकता है ताकि वे रोजगार बाजार की वास्तविकताओं से भलीभांति परिचित हो जाएं और अपने लिए ऐसे उपयुक्त रोजगारों को चुनकर स्वयं को व्यवस्थित करें जिसके लिए वे सुयोग्य हैं। आरम्भिक अवस्था में एक परियोजना अधिकारी और एक परिचर का प्रस्ताव इस एकक के लिए किया गया है। भारतीय फिल्म निगम, बम्बई द्वारा एक फिल्म तैयार की जायेगी। इसके लिए इस योजना के अन्तर्गत 1980–81 के दौरान 0.23 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(4) सेना के पूर्व कर्मचारियों के लिए रोजगार कार्यालयों को सुदृढ़ करना (0.42 लाख रुपये)

सेना के पूर्व कर्मचारियों को रोजगार व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस समय दिल्ली कैंट में विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत है। विद्यमान कर्मचारियों में एक वरिष्ठ क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी, एक उच्च श्रेणी लिपिक और एक निम्न श्रेणी लिपिक हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरक्षित रिक्तियों के अलावा पूर्व सेना कर्मचारियों के मामलों पर अनारक्षित रिक्तियों के लिये भी विचार किया जा रहा है विद्यमान स्टाफ बढ़े हुये कार्य के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। अनेक मामलों में यह देखा गया है या तो प्रस्तुतीकरण कार्य में बिलम्ब हुआ है या पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः पूर्व सेना कर्मचारियों के लिये बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए ए० ई० ओ० का एक पद और निम्न श्रेणी लिपिक के दो पद 1979–80 में बनाये गये हैं।

अतिरिक्त कर्मचारियों पर खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 1980–81 हेतु 0.42 लाख रुपये अनुमोदित किये गये है।

(5) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय को सुदृढ़ करना (0.50 लाख रुपये)

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना इस दृष्टि से की गई थी ताकि अन्धे, बहरे, गूंगे और विकलांग व्यक्तियों को आग्रह पूर्वक रोजगार दिलाने में सहायता की जा सके । रोजगार कार्यालय में उपलब्ध कर्मचारियों में एक ए० आर० इ० ग्रो०, एक रोजगार अधिकारी (अराजपत्रित), एक उच्च श्रेणी लिपिक और एक आशुलिपिक हैं । चूंकि उनके लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी अत: कार्यालय में कार्य बहुत अधिक नहीं था । अब भारत सरकार ने इन व्यक्तियों के लिये ग्रुप सी और डी को 3% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने इस प्रावधान को स्वीकार कर लिया है । शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये रिक्ति आरक्षण के कारण कार्य की मात्रा बढ़ी है जिससे स्वाभाविक रूप से इस रोजगार कार्यालय के कार्यकलापों में भी वृद्धि हुई है । इस एकक को एक ए० इ० ग्रो०, दो टाईपिस्टों और एक उच्च श्रेणी लिपिक की व्यवस्था करके सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है । जैसा कि भारत सरकार ने निर्णय किया है यह योजना केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यान्वित की जायेगी और इसके खर्च का भार केन्द्र और राज्य सरकारें आधा-आधा (प्रत्येक 50%) वहन करेंगी । इस योजना पर दिल्ली प्रशासन के खर्च को पूरा करने के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय 1980-81 हेतु अनुमोदित किया जाता है ।

(6) उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय दरियागंज के लिए भवन निर्माण (1.00 लाख रुपये)

दरियागंज स्थित रोजगार कार्यालय का भवन बहुत पुराना है । इसका निर्माण 1943 में हुआ था । इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के दिन प्रतिदिन बढ़ते कार्यों की दृष्टि से यह कार्यालय अपनी जरुरत के लिये बहुत छोटा है । अत: 15 लाख रुपये की लागत से इसके लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव है जिसे महानिदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण ने भी अनुमोदित कर दिया गया है । भवन निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । 1980-81 के लिए 10 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(7) उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कर्जन रोड, नई दिल्ली के लिए भवन निर्माण (1 लाख रुपये)

इस समय कर्जन रोड स्थित रोजगार कार्यालय उन्हीं पुराने बैरकों में कार्यरत है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं । इसके अलावा कर्मचारियों और कार्यालय अभिलेखों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी इन बैरकों में उपलब्ध नहीं है । अत: इस कार्यालय के अपने भवन की व्यवस्था का प्रस्ताव है । इस समय इसके लिये जमीन उपलब्ध नहीं है लेकिन इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस योजना को महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने भी अनुमोदित कर दिया है । इस पर 1980-81 के लिए 1 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

अनुलग्नक 'क'

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के बीच कार्य विवरण

क्र०सं०	रोजगार कार्यालय का पता	कार्य वितरण
(1)	(क) उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 14 दरियागंज, दिल्ली ।	लिपिक वर्गीय, अनुसचिवीय, और विधि सहायक जैसे कि अनुभवी लिपिक लेखा लिपिक, रोकड़िया, टाइपिस्ट, आशुलिपिक, मशीन आपरेटर सेलसमैन बिक्री सहायक, चेकर, तेस्टर, छंटाईकार और 1, 2, 3, 4 9 व्यावसायिक श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य सम्बन्धित कर्मचारी और नवागन्तुक तथा साथ में कला, विज्ञान और वाणिज्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से तृतीय श्रेणी में उतीर्ण स्नातक और अन्य विश्वविद्यालयों से प्रथम और द्वितीय श्रेणी में स्नातक ।
	(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का शिक्षण व मार्ग दर्शन केन्द्र, 14 दरियागंज, दिल्ली ।	अनुसूचित जाति और अनु-जनजाति को रोजगार और मार्ग दर्शन ।
(2)	व्यावसायिक और कार्यकारी रोजगार कार्यालय आर० के० पुरम, नई दिल्ली (22)	अध्यापक, चिकित्सक बी० एस० सी०, एम० एस० सी० (ऐ० डी०) पी० टी० आई० के पैरानेडिका कार्मिक जैसे, नर्से, ड्रेसर्स, महिला स्वास्थ्य परिचारिका, एक्सेरे टेक्नि० फोजियोथेरापिस्ट, व्यावसायिक थेरापिस्ट फार्मेसिस्ट, केमिस्ट आदि ।
(3)	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पूसा (तकनीकी), नई दिल्ली—12	इंजीनियरी में सर्टीफिकेट (सभी आई० टी० आई० ट्रेडर्स) डिग्री डिप्लोमा एव स्नातकोत्तर डिग्रीधारी तकनीकी अनुभव रखने वाले सभी तकनीकी व्यक्ति साथ में मुद्रण-व्यवसाय (ट्रेड) ट्रेस्टर, होटल उद्योग, डुप्लीकेटिंग मशीन प्रचालक, प्रयोगशाला सहायक (इंजीनियरी) मानचित्रकार और सर्वेक्षक आदि का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ।

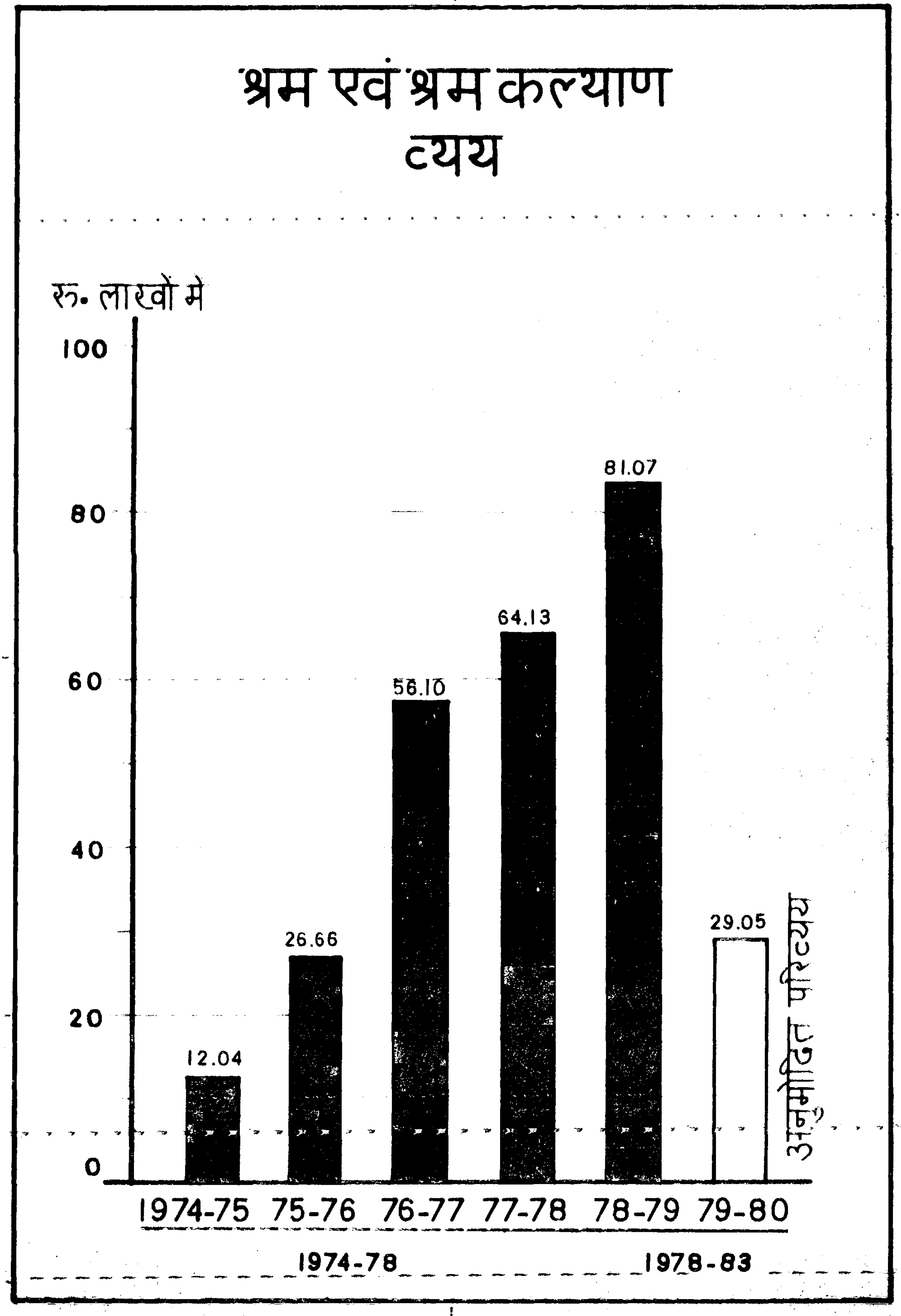
श्रम एवं श्रम कल्याण
व्यय
रु. लाखों मे
100
80
60
40
20
0
12.04
26.66
56.10
64.13
81.07
29.05
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

वर्ष के दौरान पंजीकृत संख्या

क्रम सं०	अभ्यर्थियों की श्रेणी	पुरुष	स्त्री	कुल	वर्ष में रोजगार दिया गया			शिक्षित अभ्यर्थियों (हाई स्कूल और इससे अधिक) के सम्बन्ध में कार्यों का विवरण (अनुलग्नक (ख)		
					पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 1977 के दौरान									
1.	हाई स्कूल (मैट्रिकुलेट)	24774	2559	27333	1074	216	1290	31969	6841	3881
2.	जिन व्यक्तियों ने हायर सैकेण्ड्री (साथ में इनटर्म भी)/पूर्वस्नातक परीक्षाएं उत्तीर्ण की ।	30169	10852	41021	1812	684	2496	57620	21303	7892
3.	स्नातक (कुल)	14037	7481	21518	1112	465	1577	39164	22071	6123
4.	स्नातकोत्तर (कुल)	1541	816	2357	143	53	196	4037	1590	562
	कुल	70521	21708	92229	4141	1418	5559	132790	51805	1845

क्रम सं०	अभ्यर्थियों की श्रेणी	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 1978 के दौरान									
1.	हाई स्कूल (मैट्रिकेलुट)	23082	2115	25197	1227	161	1388	39659	6466	4612
2.	हा० से०/इण्टरमीडिएट/पूर्वस्नातक	38256	10347	48603	1117	404	1521	50715	26839	7755
3.	स्नातक (कुल)	13271	11091	24362	452	280	732	45566	23465	6903
4.	स्नातकोत्तर	1405	782	2187	42	23	65	4249	1583	583
	कुल	76014	24335	100349	2838	868	3706	140189	58353	1985

क्रम सं०	अभ्यर्थियों की श्रेणी	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 1979 के दौरान									
1.	हाई स्कूल (मैट्रिकुलेट)	33429	6225	39654	1797	344	2141	48163	16676	648
2.	जिन व्यक्तियों ने हा०से० (साथ में इण्टर्म भी)/पूर्व स्नातक परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं	57801	23072	80873	1212	549	1761	61252	19118	803
3.	स्नातक (कुल)	32258	19406	51664	1164	358	1522	44637	30420	750
4.	स्नातकोत्तर (कुल)	1340	1100	2440	90	32	122	3977	2327	63
	कुल	124828	49803	174631	4263	1283	5546	158029	68541	2265

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण

परिव्यय 1980-81

रु॰ लाखों में

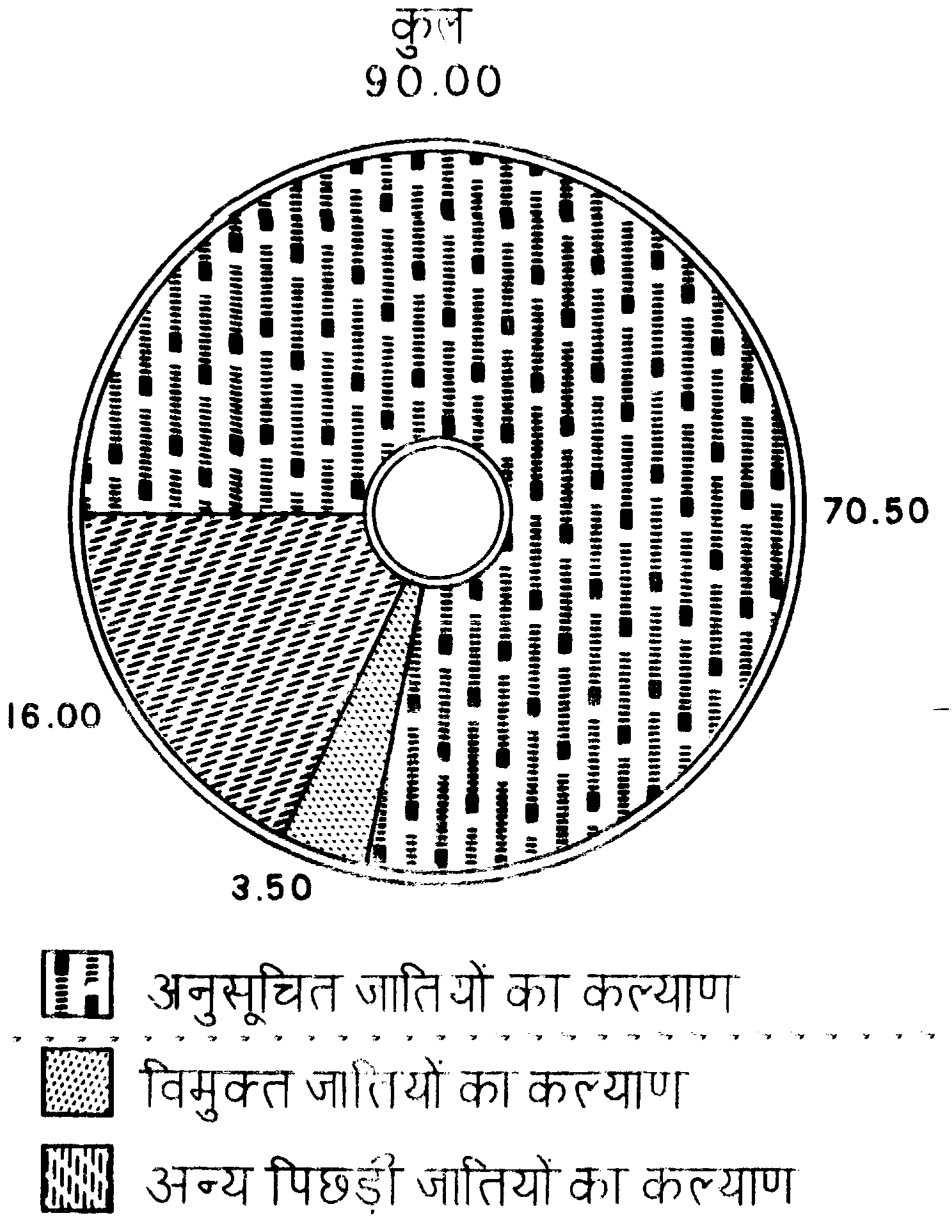

अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

दिल्ली में कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/जनजाति का है । अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा पहले विविध शक्तियों से प्रभावित होती रही है । इनका छोटा शिक्षित वर्ग कहीं-कहीं पर्याप्त उन्नति कर गया । इसके मूल में नौकरियों में आरक्षण और अन्य उपलब्ध शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाएं रही हैं । लेकिन अनुसूचित जाति की अधिकांश आबादी, विशेषकर तुच्छ व्यवसायों में संलग्न लोग, आत्यंतिक अक्षमता और सामाजिक आर्थिक विषमता के शिकार रहे हैं । उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम शुरु किये गए । इसके परिणाम स्वरुप शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं । किन्तु अनुसूचित जातियों के पूर्ण विकास के लिये विशेष प्रयास करना है । उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की योजना में कई प्रस्तावों को शामिल किया गया है । योजना आयोग ने 1978–83 की पंचवर्षीय योजना में उन विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 450 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है जो विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है । अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभ के लिये विशेष योजनाएं लागू करने की दृष्टि से विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । नीचे की सारणी में उपशीर्ष के अनुसार पंचवर्षीय योजना 1978–83 में अनुमोदित परिव्यय 1978–79 और 1979–80 में वास्तविक खर्च और वार्षिक योजना 1980–81 के लिए अनुमोदित परिव्यय का उल्लेख किया गया है :—

(रुपये लाखों में)

क० सं०	विकास का उपशीर्ष	पं० व० यो० 1978–83 का अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च 1978–79	वार्षिक योजना 1979-80 का अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च 1979-80	वार्षिक योजना 1980-81 के लिए अनुमोदित परिव्यय
(1)	प्रशासन का निदेशन	1.30	1.30	—	—	0.40
(2)	अनुसूचित जातियों का कल्याण	320.00	72.17	68.50	28.65	70.10
(3)	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	48.70	6.35	5.50	1.04	3.50
(4)	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	80.00	16.28	16.00	19.64	16.00
	कुल	450.00	96.10	90.00	49.33	90.00

वार्षिक योजना 1978–79 की समीक्षा

वार्षिक योजना 1978–79 का अनुमोदित परिव्यय 104.00 लाख रुपये था जबकि खर्च 96.10 लाख रुपये हुआ। वास्तविक उपलब्धियों में 314 विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी छात्रवृत्ति, 958 विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति और अन्य पिछड़े वर्गों के 5772 छात्रों को अन्य छात्रवृत्ति, 500/– रुपये के औजार व उपकरण के लिए 731 व्यक्तियों को लघु एवं कुटीर उद्योगों की सहायता अनुदान, 457 हरिजनों को आवास-सहायता अनुदान और समाज कल्याण कार्यों में संलग्न 15 अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया जाना है । अनुसूचित जाति के लड़के-लड़कियों के प्रत्येक छात्रावास के 50 सदस्यों को छात्रावास की सुविधाएं मिलीं । मेहतरों और झाड़ू लगाने वालों के कार्य और जीवन में सुधार लाने की योजना के अधीन तुच्छ कार्यों में लगे हरिजनों को व्हील बैरोज वितरित किये गये ताकि उन्हें पहले की तरह सिर पर 'नाइट स्वायल' न ढोना पड़े । 90 हरिजन बस्तियों में सुधार कार्य भी किया गया ।

वार्षिक योजना 1979–80

वार्षिक योजना 1979–80 में 90 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 49.33 लाख रुपये खर्च किये गये । अनुमोदित परिव्यय की खर्च न किये जाने के कारण थे—सघन शिक्षण केन्द्र, अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक केन्द्र, आवास सहायता अनुदान के लाभ की पुनर्वास बस्तियों तक ले जाने का प्रस्ताव और सहायता अनुदान की राशि को 1500 से 2500 रुपए तक बढ़ाने की अनुमति गृह मंत्रालय भारत सरकार से नहीं मिल सकी । इसके

अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिये छात्रावास और परीक्षा पूर्व शिक्षण केन्द्रों तथा संस्कार आश्रमों के निर्माण और जमीन खरीद के मामले कई कारणों से निर्णित न हो सके । हरिजनों के लिए किराये की आवास योजना को भी कई कारणों से अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका । 20 लाख रुपये के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग नहीं किया जा सका । इन सभी वास्तविक कमियों के बावजूद वास्तविक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

550 विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई । 1068 विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई । अन्य पिछड़े वर्गो के 6831 विद्यार्थियों को योग्यता छात्र वृत्तियां उपलब्ध करायी गई । लघु और कुटीर उद्योगों के लिये 1874 व्यक्तियों को सहायता अनुदान दिये गये । 529 हरिजनों को आवास सहायता अनुदान और अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य में संलग्न 19 अशासकीय संगठनों को अन्य सहायता अनुदान दिया गया । अनुसूचित जाति के 45 लड़कों और 37 लड़कियों को छात्रावास की सुविधाएं दी गईं । हरिजन बस्तियों में सुधार कार्य भी किया गया ।

वार्षिक योजना 1980-81

वार्षिक योजना 1980–81 के लिये 90 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के 1980–81 की योजना में निम्नलिखित नई योजनाओं को शामिल किया गया है :—

1. हरिजन कल्याण बोर्ड को हरिजन कल्याण निदेशालय में परिवर्तित करना ।
2. अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता
3. हरिजन विकास निगम की स्थापना।
4. अनुसूचित जातियों को निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री प्रदान करना ।

(क) इस योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ।

(1) निदेशन और प्रशासन (0.40 लाख रुपये)

दिल्ली प्रशासन के अधीन हरिजन कल्याण बोर्ड के कार्य कई गुना बढ़ गये हैं । इस बढ़े हुए कार्य को निपटाने के लिए हरिजन कल्याण बोर्ड के स्थान पर हरिजन कल्याण निदेशालय की स्थापना का निश्चय किया गया है ताकि निरीक्षण, मार्गदर्शन, विभिन्न उपलब्धियों का समेकन, विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन, नई योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य प्रभावी और सुचारु रुप से किया जा सके ।

इस समय हरिजन कल्याण बोर्ड के लिए निम्नलिखित प[द]
की स्वीकृति प्राप्त है :—

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	सचिव . . .	1	650-120
2	उपनिदेशक . . .	1	650-120 + 10
3	अधीक्षक . . .	1	550-90
4	सहायक . . .	2	425-70
5	वरिष्ठ निरीक्षक . .	1	425-70
6	निरीक्षक . . .	2	425-70
7	पर्यवेक्षक . .	1	425-70
8	अधीक्षक (एन० जी०) (पी०ई०सी०सी०)	1	550-90
9	उच्च श्रेणी लिपिक . .	5	330-56
10	निम्न श्रेणी लिपिक . .	5	260-40
11	आशुलिपिक . . .	2	330-56
12	सांख्यिकी अन्वेषक . .	1	330-56
13	चालक . . .	1	260-35
14	चपरासी . . .	3	192-23
15	चौकीदार . . .	2	196-23

हरिजन कल्याण निदेशालय के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प[द] बनाये जायेंगे :—

1	संयुक्त निदेशक (हरिजन कल्याण)	1	1200-160
2	योजना अधिकारी . .	1	650-120
3	लेखाकार (एस०ए०एस०) .	1	550-90
4	तकनीकी सहायक . .	1	425-70
5	सहायक . . .	2	425-70
6	निरीक्षक (एच० डब्ल्यू०) .	2	425-70
7	आशुलिपिक . . .	1	330-56
8	उ० श्रे० लि० . .	3	330-56
9	अवर श्रेणी लिपिक . .	3	260-40
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी . .	2	196-23

समाज कल्याण और हरिजन कल्याण के लिए एक ही
देशक का पद होगा । इसके परिणामस्वरुप सचिव, हरिजन
ल्याण के पद की हरिजन कल्याण अधिकारी (650–1200
पये) के रुप में फिर से पदनामित किया जायेगा । इसके
लिये 1980–81 को वार्षिक योजना पर 0.40 लाख
पये का अल्प प्रावधान अनुमोदित किया गया है ।

II. अनुसूचित जाति का कल्याण (70.10 लाख रुपये)
क्षा (11.10 लाख रुपये)

(1) अनुसूचित जातियों को व्यावसायिक और तकनीकी छात्रवृत्तियां (2.00 लाख रुपये)

अनुसूचित जाति के जो शिक्षु प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय/हरिजन सेवक समाज द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं न्हें इस योजना में क्रमशः 20 रुपये और 45 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव है । 1978–79 में 314 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में 1.21 लाख रुपये खर्च किये गये । 1979–80 में 1.46 लाख रुपये खर्च किये गये और 550 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली । पंचवर्षीय योजना 1978—83 में 10 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 550 व्यक्तियों को लाभान्वित करने 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(2) अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों को योग्यता छात्रवृत्ति 2.50 लाख रुपये)

अनुसूचित जाति के जो लड़के लड़कियां सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 9 वीं, 10 वीं, 11वीं, और 12वीं कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और जिन्होने पिछली परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किये हैं उन्हें क्रमश: 20/–, 25/– और 30/– तथा 35/– रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव इस योजना में है । योग्यता छात्रवृति 958 छात्र छात्राओं को दी गई और इस सम्बन्ध में वर्ष 1978–79 में 2.60 लाख रुपये खर्च किये गये । वार्षिक योजना 1979–80 के लिए 2.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया जबकि 1068 विद्यार्थियों को छात्रवृतियां प्रदान करने पर 2.49 लाख रुपये खर्च किये गये । पंचवर्षीय योजना 1978–79 में 12 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया । वार्षिक योजना 1980–81 पर 800 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 2.50 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया ।

(3) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास 1.50 लाख रुपये)

अनुसूचित जाति की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने अवसर प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें उचित आवास और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 1974 में किराये के एक भवन में उनके लिए एक छात्रावास खोला गया । अनुसूचित जाति की जिन लड़कियों के माता पिता की आय 500 रुपये प्रतिमाह से कम है उन्हें निःशुल्क आवास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । 1978–79 में 1.50 लाख रुपये खर्च किये गये एवं 50 छात्राओं ने छात्रावास में प्रवेश लिया । 45 लड़कियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 1.50 लाख रुपये का परिव्यय 1979–80 के लिए अनुमोदित किया गया जबकि 37 छात्राओं के लिए 1.30 लाख रुपये खर्च किये गये । वार्षिक योजना 1980–81 में 50 छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए 1.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(4) अनुसूचित जाति के लड़कों के लिये छात्रावास (1.50 लाख रुपये)

दिल्ली में अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रवास की सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालेजों से सम्बन्ध कुछ छात्रावास है । सीमित सीटों और अधिक खर्च के कारण बहुत थोड़े से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में बहुत से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन छोड़ने को विवश होना पड़ता है उनका अध्ययन उचित आवास एवं वातावरण के अभाव में प्रभावित होता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए 1974–75 के दौरान एक छात्रावास खोला गया । 230 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 पर 7 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । 1978—83 के दौरान 1.19 लाख रुपये खर्च किये गये और 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास में प्रवेश लिया । वार्षिक योजना 1979–80 में 35 लड़कों को लाभान्वित करने के लिए 1.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया जिसकी तुलना में 45 छात्रों पर 1.30 लाख रुपये खर्च किये गये । वार्षिक योजना 1980–81 पर 50 विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए 1.50 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है ।

(5) नये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोलना (2.10 लाख रुपये)

सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है किन्तु प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिये चयन के मामले में उनका प्रतिनिधित्व संतोषजनक ढंग से नहीं होता रहा है । पिछली परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठ भूमि के कारण उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना कठिन होता है । प्रतिभाशाली छात्र भी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं । इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए 1969–70 से एक पूर्व परीक्षा शिक्षण केन्द्र गैर योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए चलाया जा रहा है जो विभिन्न विभागों/निकायों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं । लिपिक वर्गीय ग्रेड, हिन्दी

और अंग्रेजी की आशुलिपि, असिस्टेन्ट ग्रेड परीक्षा, विभिन्न बैंकों, संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए यह शिक्षण दिया जाता है ।

दिल्ली एक महानगर है अतः देश के विभिन्न भागों से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी यहां आते हैं । इसलिए एक नया पूर्व परीक्षा शिक्षण केन्द्र खोना पड़ा है । इस प्रयोजन से पंचवर्षीय योजना, 1978-79 में 800 विद्यार्थियों के लिए 7.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इस योजना को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 2.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसे दिसम्बर, 1979 तक भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण इस्तेमाल न किया जा सका । वार्षिक योजना, 1980-81 के लिए 200 छात्रों को लाभान्वित करने हेतु 2.10 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

6. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री प्रदान करना (1.50 लाख रुपये)

योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उस पुस्तक कोष योजना को छोड़ देने के लिए कहा है जिसके लिए पंचवर्षीय योजना 1978—83 में 8.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया था और 1979-80 के लिए 1.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था । योजना आयोग ने इसके स्थान पर यह सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों को निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री देने की योजना शैक्षिक प्रोत्साहन के रूप में शुरू करने की सलाह दी है । अतः अनुसूचित जातियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री वितरण आरम्भ करने का प्रस्ताव है । 300 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 के दौरान 1.50 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं ।

(ख) आर्थिक उन्नति (17 लाख रुपये)

(1) लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सहायता अनुदान (12 लाख रुपये)

स्वरोजगार अवसरों की व्यवस्था करने की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी योजना है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति के जो कुशल/अकुशल कामगर अपने व्यवसायों में लगे रहना चाहते हैं उन्हें औजार व उपकरण देकर जिनके मूल्य की सीमा 500 रुपये होगी, उनकी आर्थिक सहायता की जाये । वित्तीय सहायता उन उम्मीदवारों को दी जायेगी जो विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । 1978-79 में इससे लाभान्वित होने वालों की संख्या 731 थी और इस पर 7.68 लाख रुपये खर्च किये गये । वार्षिक योजना 1979-80 पर 8 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ जिसमें से 7.22 लाख रुपये खर्च किये गये और इस योजना से 1874 व्यक्तियों ने लाभ उठाया । पंचवर्षीय योजना 1978-83 का अनुमोदित परिव्यय 40 लाख रुपये है । 1600 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 1980-81 पर 12 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(2) मेहतरों और झाड़ू लगाने वालों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार (5 लाख रुपये)

अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को बेहतर बनाने के प्रयत्नों के साथ साथ उनके कार्य और रहन सहन के स्तर को सुधारने का (विशेष कर मेहतरों और झाड़ू लगाने वालों का महत्व सर्वाधिक है । यह योजना 1969-7[illegible] से केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के रूप में चली आई है 1974-75 से इसे राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेहतरों और झाड़ू लगाने वाल[illegible] की दिलचस्पी 'नाइट स्वायल' सिर पर ढोने से हटाना है इनके कार्य की स्थिति में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथगाड़ी (व्हील बैरो) दस्ताने, टोकरी स्क्रेपर और गमबूट देने क[illegible] व्यवस्था की गई है । इसके कार्यान्वयन की अवधि 1 से [illegible] वर्ष होगी । विनिर्दिष्ट की गई अवधि के बीत जाने प[illegible] मेहतर । झाड़ू लगाने वाला सचिव, हरिजन कल्याण बो[illegible] दिल्ली प्रशासन / स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम [illegible] दिये गये सामानों के बारे में रिपोर्ट देगा ताकि उसे नये साम[illegible] दिये जा सकें । इन सामानों के प्रयोग की अवधि व्हील बै[illegible] के लिये 3 वर्ष, दस्तानों को 6 महीने, बाल्टी को एक वर्ष; स्क्रे[illegible] की एक वर्ष, गमबूट की एक वर्ष होगी । सम्बन्धित निरीक्षक ऐ[illegible] मामलों का पता लगायेगा और इस प्राधिकारियों की जानका[illegible] में लाया जायेगा जो इसके लिये मंजूरी की स्वीकृति देंगे । इन[illegible] रहन-सहन की स्थिति बेहतर करने के लिए उन हरिजन[illegible] को सहायता अनुदान देने और छोटी मोटी मरम्मतों [illegible] लिए प्रावधान किया गया है जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की गं[illegible] बस्तियों में रहते हैं और रख-रखाव तथा मरम्मत का ख[illegible] वहन करने में असमर्थ हैं । ड्राइलैट्रिनों को फ्लश लैट्रि[illegible] में परिवर्तन करने और उन हरिजनों के उन मकानों में जल औ[illegible] विद्युत सुविधा देने का भी प्रावधान किया है जो इन सुविधा[illegible] से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं । इस प्रयोजन के लिए पंचवर्षी[illegible] योजना 1978-79 में 30 लाख रुपये का प्रावधान किया ग[illegible] है । 1978-79 में 8 लाख रुपये खर्च किये गये । वार्षि[illegible] योजना 1979-80 के लिए 10.50 लाख रुपये का परिव्य[illegible] अनुमोदित किया गया जबकि खर्च कुछ भी नहीं हुआ क्यों[illegible] मेहतरों/झाड़ू लगाने वालों ने इसमें बहुत कम दिलचस्पी दिखायी[illegible] वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 5 लाख रुपये अनुमो[illegible] किये गये हैं ।

(ग) स्वास्थ्य आवास और अन्य स्कीमें (42 लाख रुप[illegible]

(1) आवास सहायता अनुदान (13 लाख रुपये)

इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि हरिजन राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास

गज का भूखण्ड तो है किन्तु पक्का मकान नहीं है हैं 1500/- रुपये का आवास सहायता अनुदान तीन श्तों में दिया जायेगा। इस सुविधा को पुनर्वास बस्तियों रहने वाले हरिजनों को भी देने और सहायता अनुदान की शि 1500 रुपये से 2500 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार करती है। 1978-79 के दौरान आवास सहायता अनुदान रूप में 457 हरिजनों को 3 लाख रुपये दिये गये। 1979-80 वास्तविक खर्च 4.16 लाख रुपये था और इससे 529 क्ति लाभान्वित हुए। पंचवर्षीय योजना 1980-81 पर 3 लाख रुपये का परिव्यय 520 हरिजनों को लाभान्वित रने के लिए निर्धारित किया गया है।

(2) अशासकीय संगठनों को सहायता अनुदान (1.50 ख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत उन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दान दिया जाता है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों लगे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इन संस्थाओं सहायता दी जाती रही है। 1978-79 में 15 संस्थाओं अनुदान दिया गया और 0.96 लाख रुपये खर्च किये । पंचवर्षीय योजना 1978-79 में इस योजना पर 6 ख रुपये किया गया है। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 25 लाख रुपये अनुमोदित किये गये। इसकी तुलना 1.27 लाख रुपये खर्च किये गये। वार्षिक योजना 80-81 के लिये 1.50 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित गया है।

(3) अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता (0.20 ख रुपये)

अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को बेदखली और अन्य र के अत्याचारों से पीड़ित करके प्रभावशाली लोगों द्वारा मेबाजी में अक्सर घसीटा जाता है। गरीबी के कारण अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। इस योजना में जिक और अन्य उत्पीड़ितों से अपना बचाव करने के वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। जांच होने और प्रार्थी द्वारा अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करने प्रत्येक मामले में 1000/- रुपये दिये जायेंगे। इस योजना भारत सरकार ने 25-3-80 को मंजूरी दे दी थी। वार्षिक 1979-80 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय दित किया गया। किन्तु इस मद पर कोई खर्च नहीं । पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए अनुमोदित य 5 लाख रुपये है। वार्षिक योजना 1980-81 में 20 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 0.20 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

(4) हरिजन बस्तियों का सुधार (20.30 लाख रुपये)

ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3550 और शहरी क्षेत्रों में करीब 100 ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जहां सुधार कार्य अपेक्षित है। इस योजना के अन्तर्गत चौपालों की मरम्मत, नये चौपालों का निर्माण, बिजली लगाना, गलियों के फुटपाथ, शौचालय-निर्माण, हैंडपम्प लगाना, जल की निकासी आदि के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और समुदाय गृहों सी० सी० फुटपाथों के निर्माण कार्य शहरी क्षेत्रों में शामिल हैं। इस योजना का कार्यान्वयन दिल्ली नगर निगम कर रहा है। हरिजन बस्तियों में सुधार कार्य करने के लिए दिल्ली नगर निगम को 1978-79 में 35.19 लाख रुपये दिये गये। 1979-80 में निगम को 9 लाख रुपये दिये गये। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए अनुमोदित परिव्यय 48 लाख रुपये हैं। वार्षिक योजना 1980-81 में 20.30 लाख रुपये का अनुमोदन हरिजन बस्तियों में सुधार कार्य करने के लिये किया गया है।

(5) छात्रावास और पूर्व परीक्षा शिक्षण केन्द्र के लिये कार्यक्रम भवन का निर्माण (6 लाख रुपये)

लड़के और लड़कियों के छात्रावास इस समय किराये की इमारतों में हैं। इसी तरह उचित आवास की कमी के कारण पूर्व परीक्षा शिक्षण केन्द्र भी न्यास भवन में चल रहा है जो इस प्रयोजन की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त है। अच्छी रकम किराये के रूप में अदा की जाती है और ये भवन पूर्व परीक्षा शिक्षण की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अतः छात्रावासों में लड़के-लड़कियों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने और शिक्षण केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। तिहाड़ की जिस जमीन पर इस भवन का निर्माण किया जाना है उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरित क्षेत्र (ग्रीन बैल्ट) में दिखाया गया है। इस मामले को सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं और यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 10 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इसका उपयोग विवाद समाप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए निर्माण कार्य मद में 6 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है।

(6) हरिजन विकास निगम (1 लाख रुपये)

विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति/जनजाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वित्त

विकास निगमों की स्थापना की है । सामान्यत: इन निगमों के कार्य परिवहन तथा व्यवसाय, लघु व्यवसाय उद्योग और पशुओं को कृषि सम्बन्धी खरीद, सहायक एककों की स्थापना कर्मशालाओं आदि जैसी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की सहायता करने से सम्बन्धित है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आर्थिक विकास में वित्त विकास निगम ने महत्वपूर्ण सार्थक भूमिका निभायी है । अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आयुक्त ने भी 1976-77 और 1977-78 को अपनी 24वीं रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को विकास निगम स्थापित करने की सलाह दी है । भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी वार्षिक योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विकास निगम स्थापित करने के प्रावधान पर जोर दिया है । अत: दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय (जो कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत है) की उन्नति के लिए एक हरिजन कल्याण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है । अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक बेहतरी के लिए निगम निम्नलिखित नीति/प्रयोग सम्बन्धी मुद्दों को अपनाएगा :--

1) अनुसूचित जाति के समुदाय के सदस्यों को विविध उपयोगी व्यवसाय आरम्भ करने के लिए अपनी निधि से रुपये उधार देना ।

2) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभ हेतु योजना को वित्तीय सहायता देने के लिए बैंकों के साथ सहयोग करना ।

3) निगम द्वारा स्वीकृत और संवीक्षित आवेदन-पत्र मामूली ब्याज पर ऋण मंजूर करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अग्रेषित करना ।

4) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उन सदस्यों को ऋण देना जो डाक्टर, इंजीनियर, वकील, वास्तुविद, चार्टेड एकाउंटेंट आदि का व्यवसाय आरम्भ करना चाहते है ।

5) अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को ऋण देना जो चिकित्सा और इंजीनियरी आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी हैं ।

6) अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों को रोजगार देने के लिये सहायक, एककों, कर्मशालाओं और लघु उद्योगों की स्थापना करना ।

7) ऋण देकर कुक्कुट पालन, सूअर पालन और पशु-पालन विकास को संगठित करना ।

8) भूखण्डों की खरीद और आवास निर्माण के लिए ऋण देना ।

9) अनुसूचित जातियों में स्वरोजगार की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से बस, ट्रक, टेम्पो, आटोरिक्शा जैसी गाड़ियों और अन्य मशीनरी की खरीद के लिए ऋण देना ।

10) अनुसूचित जातियों की उन पारम्परिक व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो शेष समुदाय के साथ उनकी सामाजिक एकता के लिये आवश्यक है ।

इस योजना के विस्तृत ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और आरम्भ में इस पर वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1 लाख रुपये का अल्प प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

3 अनधिसूचित जनजातियों का कल्याण (3.50 लाख रुपये)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं को पंचवर्षीय योजना 1978-83 में शामिल किया गया है :--

1. लड़कों के लिए संस्कार आश्रम-2
2. अनधिसूचित जनजातियों के लिए कल्याण केन्द्रों का पुनर्गठन ।
3. लड़कियों के लिये संस्कार आश्रम का विस्तार
4. अनधिसूचित जनजातियों का आर्थिक पुनर्स्थापन
5. लड़के-लड़कियों के लिये संस्कार आश्रमों के भवनों का निर्माण ।

इनमें से पहली चार स्कीमें (1 से 4) 1979-80 से गैर-योजना स्कीम हो गयी हैं ।

1 अनधिसूचित जनजातियों का आर्थिक पुनर्स्थापन (0.5 लाख रुपये)

अनधिसूचित जनजातियों को औद्योगिक सायवान आवंटित करने के लिये ऐसे 8 सायवानों का निर्माण, इन्हें रोजगार देने की दृष्टि से लघु उद्योगों की स्थापना, आटोपार्टस स्टील फर्नीचर, ब्रुश आदि के विनिर्माण के लिये ऋण देने का प्रस्ताव इस योजना में किया गया है । सायवानों के निर्माण का कार्य 6.49 लाख रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है । 2.36 लाख रुपये 1974-80 में खर्च किये गये और 1979-80 का खर्च 1.04 लाख रुपये था । उद्योगों के लिये अपेक्षित मशीनरी और औजार की व्यवस्था डी एस आई डी सी के जरिये किराया खरीद आधार पर की जायेगी । इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को सरकार मशीनरी की लागत का 2[illegible] प्रतिशत खर्च देगी । ऐसे व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे यथासंभव अनधिसूचित जनजातियों के सदस्यों को ही रोजगार दें । इस योजना के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 2.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और वार्षिक योजना 1980-81 में ऋण देने के लिये 0.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

2 लड़के-लड़कियों के संस्कार आश्रम के लिये जमीन की खरीद और भवन-निर्माण (3 लाख रुपये)

अनधिसूचित जनजातियों के लड़के-लड़कियों की आवासीय संस्थाएं, जिन्हें संस्कार आश्रम कहा जाता है, इस [illegible]

अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं अन्य जातियों का कल्याण व्यय

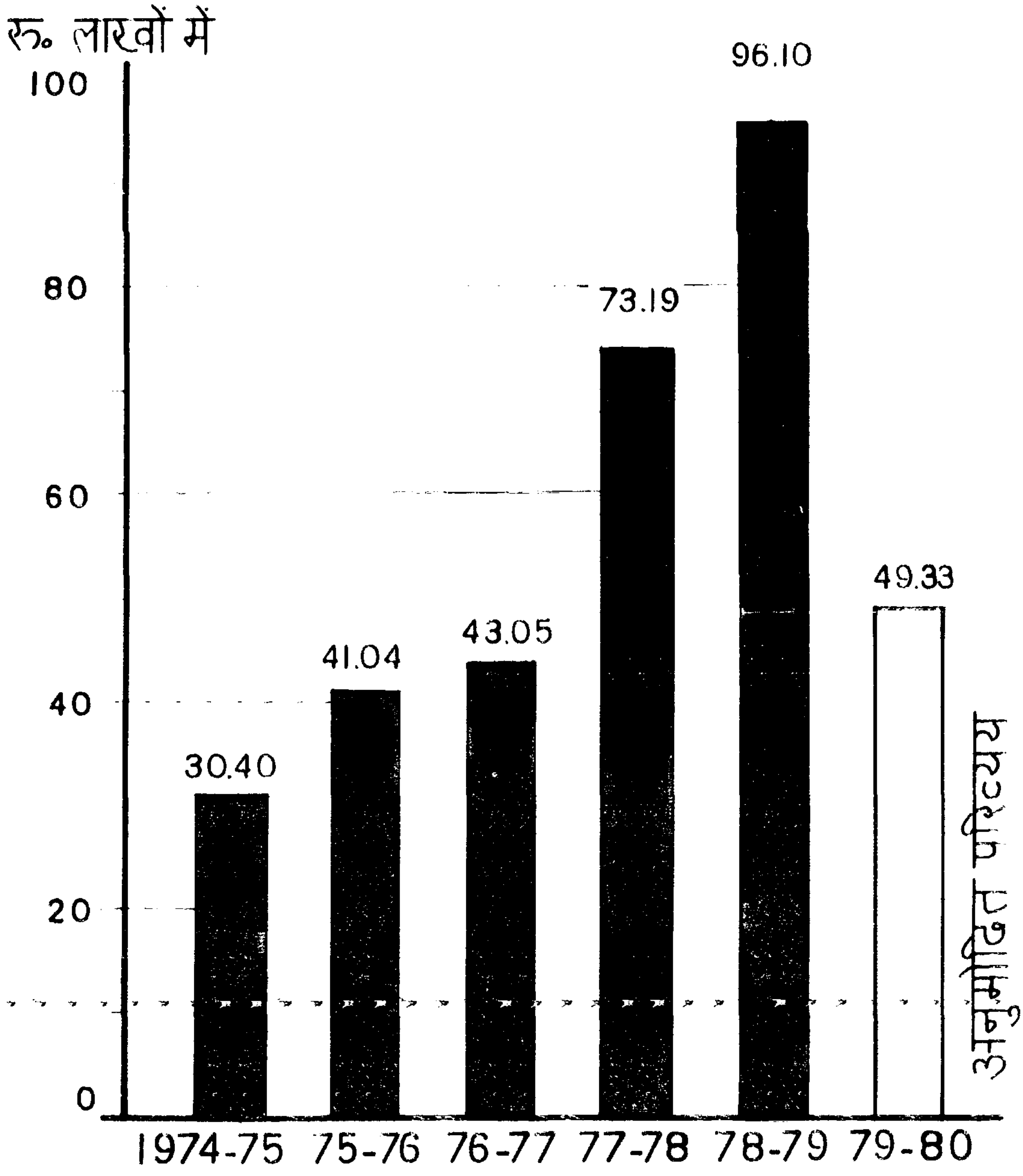

कराए की इमारतों में चल रही है । लेकिन किराए भवनों से वांछित अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं । अतः मीन खरीद कर पंचवर्षीय योजना 1978–83 के दौरान र्माण कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है । इस के लिए 40 ाख रुपए का प्रावधान किया गया है । 1979–80 के ए 5 लाख रुपए अनुमोदित किए गए । किन इस मद पर कोई खर्च नहीं किया गया क्योंकि मीन संबंधी विवाद समाप्त नहीं हुआ था । इस स्कीम र वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 3 लाख ए का परिव्यय स्वीकृत हुआ हैं ।

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (16 लाख रुपये)

1. अन्य पिछड़े वर्गों को योग्यता छात्रवृत्ति (16 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को जो 8, 9, 10 और 11वीं कक्षा की अंतिम वार्षिक परिक्षाओं में 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं क्रमशः 20, 25, 30 और 35 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति देने का विचार किया गया है । यह लाभ उन छात्रों को दिया जाता है जिनके माता-पिता की आय 5,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और जो संघराज्य क्षेत्र दिल्ली के सरकारी / मान्यता प्राप्त / सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत 28,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 1978–79 के दौरान 5772 विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति दी गई और 16.28 लाख रुपए खर्च किए गए। वार्षिक योजना 1979–80 के लिए 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया जब कि खर्च 19.64 लाख रुपए किए गए और लाभान्वित होने वालों की संख्या 6831 थी । वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 16 लाख रुपए का परिव्यय 6,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

समाज कल्याण

'समाज कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य है, भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, वृद्ध, अशक्त निराश्रित और अनाथ लोगों की देखभाल न होना जैसी विविध सामाजिक बुराइयों को कम करना , सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और नैतिक खतरे में उलझी महिलाओं/लड़कियों को सुरक्षात्मक सेवा उपलब्ध कराना है । इन कार्यक्रमों को इस वर्ग के लोगों को बुराइयों और असमाजिक तत्वों के चंगुल से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही कमजोर वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना भी इस में शामिल है । संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की विशिष्ट समस्याएं हैं, 43% प्रतिवर्ष की दर से जन संख्या में वृद्धि साथ में 90% जनसंख्या का शहरी संकुलता में रहना, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, बदलते हुए सामान्य संस्कृतिक मूल्य और रोजगार की तलाश मे आते हुए (बेरोजगार) लोग समाज कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किये गये कार्यक्रमों से संस्थागत और असंस्थागत देख रेख, सुरक्षात्मक तथा पुर्नस्थापना सेवायें व्यापक रूप से प्राप्त होती हैं । विद्यमान समाज कल्याण सेवाओं का सारांश निम्नलिखित रूप में है :–

विकलांग लोगों के लिए शिक्षा और कल्याण

विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए 500 विद्यार्थी क्षमता वाला एक गूंगे बहरों का स्कूल है । 60 विद्यार्थी क्षमता वाला एक मिडिल स्कूल अंधे बच्चों के लिए है । ये स्कूल दिल्ली में शारीरिक रूप मे अक्षम बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाये जा रहे हैं । राज्य क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक को और केन्द्र क्षेत्र में 9वीं कक्षा से शोध स्तर तक के विद्यार्थियों को वजीफे दिये जाते हैं । इससे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1,000 है । शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए तीन प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र हैं और एक परिरक्षित कर्मशाला है । इन संस्थाओं में सिलाई, बेंत कार्य, मुद्रण और जिल्दसाजी आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षित व्यक्तियों को फुटकर दर आधार पर कार्य दिया जाता है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनकी गति और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रोस्थेटिक्स और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है । कार्य कुशल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और उनके नियोक्ताओं को राज्य पुरस्कार दिये जाते हैं ताकि निजी/राज्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने में बढ़ावा मिले। देख-रेख, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुर्नस्थापन के लिये मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों और मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों के लिए एक-एक संस्थाएं हैं ।

I. परिवार और बाल कल्याण

1. महिला कल्याण

नैतिक खतरे से ग्रस्त निराश्रित महिलाओं की देख-रे शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्स्थापना के लिए विधवागृह, महिला के लिए अतिरिक्त देखरेख गृह और कस्तूरबा निकेत तीन आवासीय संस्थाएं हैं । इस से लाभान्वित होने वा की कुल संख्या 400 है । कमजोर वर्ग की महिलाओं 18 महिला प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों तथा 20 कार्यके में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जा हैं । प्रशिक्षत महिलाओं को फुटकर दर आधार पर का दिया जाता है ।

1978–79 से दहेज विरोधी अभियान भी चल गया है ।

2. बाल कल्याण

उपेक्षित तथा निराश्रित बच्चों तथा किशोर अपराधि की देखरेख, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुर्नस्थापन के लिये चौ संस्थाएं कार्यरत हैं । असंस्थागत कार्यक्रम के अधीन लग 2000 बच्चे हैं तथा 500 बच्चों की पोषण देखरेख जा रही हैं । काम काजी महिलाओं के बच्चों के लिए पूर्वकालिक केन्द्र, असामान्य व्यवहार वाले बच्चों को परा और मार्ग दर्शन ब्यूरो की सेवा, बच्चों और महिला के मार्गदर्शन और सहायता के लिए एक चल सहायता ब्य का चलना अन्य व्यवस्थाएं हैं । महरोली में एक परिसर ब बाल कल्याण परियोजना कार्य कर रही है । जिस से 8 लोग लाभान्वित हो रहे हैं । 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वा विकास के लिए दिल्ली में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्ग आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं को मंजूरी दी गई हैं रा राज्य क्षेत्र में दो परियोजनाओं को ।

III. निर्धनों और निराश्रितों के लिए कल्याण कार्य

निराश्रित वृद्ध और अशक्त लोगों की देखरेख के लिए आवासीय संस्था कार्य कर रही है । 60 वर्ष से औ आयु के जिन वृद्ध व्यक्तियों की आजिविकाओं के सा अपर्याप्त उन्हें मृत्यु प्रयंत 50 रु० प्रति माह की दृर्धक्य सहायता दी जाती है । निर्धन विधवाओं, वृद्ध अशक्त व्यक्तियों, क्षयरोगियों, प्रसव और बीमारी की स्थि में और विधवा स्त्रियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

IV. सुधार सेवा (सामाजिक सुरक्षा)

पूरे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बाल अधिनियम, 1 अपराधियों की परिविक्षा अधिनियम 1958 बम्बई भिक्षा निवारण अधिनियम, 1959 (दिल्ली में यथाविस्ता

सच्चारित्र बन्दी परिवीक्षा मुक्ति अधिनियम, शरीर व्यापार-दमन अधिनियम, लागू है। पर्याप्त परिवीक्षा सेवा और कारागार कल्याण सेवाएं भी प्रदान की जाती है। बाल अधिनियम 1960 के अधिन 9 संस्थाएं और बम्बई भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1959 के अधीन 9 संस्थाएं कार्य रत हैं। लड़के लड़कियों के लिए अलग एक एक संस्थाएं और देखरेख सेवा के अधीन लड़कियों और महिलाओं के लिए एक संस्था कार्य कर रही है।

V. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

बच्चों, महिलाओं, लड़कियों, और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए इस समय 27 स्वैच्छिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये इन संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में अदा किए जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 में यह उद्देश्य सामने रखा गया है कि विद्यमान सेवाओं को सुदृढ़ किया जाय और निराश्रित बच्चों, महिलाओं, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों और मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों जैसे समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की उन्नति के लिए अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध करायी जाये। अधिकांश समाज कल्याण संस्थाएं किराये के भवनों में चल रही हैं। और वे आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण का शुभारम्भ किया गया और यह इस कार्य में भी चलता रहेगा।

पंचवर्षीय योजना 1978–83

पंचवर्षीय योजना 1978–83 में यह उद्देश्य सामने रखा गया है कि विद्यमान सेवाओं को सुदृढ किया जाय और बच्चों, महिलाओं, शारीरिक रूप से अशक्त व मानसिक रूप से पिछड़े लोगों तथा वृद्धों तथा अक्षम व्यक्तियों जैसे समाज के कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए अतिरिक्त सेवायें उपलब्ध करायी जायें। ताकि ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सामाजिक रूप से संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकें।

अधिकांश समाज कल्याण संस्थायें किराये के भवनों में चल रही हैं और वे आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त भवनों के निर्माण की शुरुआत की गई है।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 के लिए अनुमोदित परिव्यय, 1978–79 और 1979–80 के दौरान वास्तविक खर्च एवं वार्षिक योजना 1980–81 के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है:—

क्र० सं०	उपशीर्ष	1978-83 का अनुमोदित परिव्यय	1978-79 का वास्तविक खर्च	1979-80 का अनु० खर्च	1979-80 का वास्तविक खर्च	1980-81 का अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
(1)	निदेशन एवं प्रशासन	7.28	1.33	0.96	—	0.30
(2)	अक्षम लोगों की शिक्षा एवं कल्याण	45.39	6.76	..	..	2.30
(3)	परिवार और बाल कल्याण	230.15	40.29	45.34	23.11	36.55
(4)	अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष	2.00	..	2.00	1.81	1.00
(5)	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	36.30	4.13	6.35	6.93	6.50
(6)	सुधारात्मक सेवायें	53.68	12.20	10.35	0.16	8.35
	कुल	375.00	64.71	65.00	32.02	55.00

वार्षिक योजना 1979-80

वार्षिक योजना 1979-80 के लिए अनुमोदित परिव्यय 65.00 लाख रुपये था (राजस्व योजना के लिए 23.38 लाख रुपये और निर्माण कार्यों के लिए 41.62 लाख रुपये) अनुमोदित परिव्यय की तुलना में किया गया वास्तविक खर्च 32.02 लाख रुपये था। (राजस्व की योजनाओं के लिए 11.98 लाख रुपये और निर्माण कार्यों के लिए 20.04 लाख रुपये) राजस्व पक्ष में 11.40 लाख रुपये की कमी निम्नलिखित कारणों से थी :—

(क) भारत सरकार के प्रसाशासनिक अनुमोदन नहीं/देर से प्राप्त करने के कारण निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन न हो पाना :—

1. मुख्यालय कार्यालय के कर्मचारियों में वृद्धि।
2. विधवाओं को वित्तीय सहायता।
3. बच्चों के लिए रखरखाव का भत्ता।
4. 'सर्वेक्षण' मूल्यांकन और अनुसंधान योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का सर्वेक्षण।
5. राज्य आई० सी० डी० एस० योजना का कार्यान्वयन।

पूंजीगत पक्ष में 21.58 लाख रुपये की कमी टैन्डरों के ठीक से नहीं मिलने और सीमेंट की कमी आदि से हुई।

वार्षिक योजना 1980-81

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 55.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से पूंजीगत परिव्यय 36.30 लाख रुपये का है। 1979-80 की सतत योजना के अतिरिक्त निम्नलिखित नई योजनाओं को 1980-81 के दौरान कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) मानसिक रुप से पिछड़े बच्चों के गृह के लिए भवन निर्माण।

(2) मानसिक रूप से पिछडे वयस्कों के गृह के लिए भवन निर्माण।

(3) नेत्रहीन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल को सुदृढ़ करना।

(4) मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए स्कूल।

(5) मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों के लिए गृह को सुदृढ़ करना।

(6) गूंगे बहरों के सरकारी महिला न्यास स्कूल के भवन और छात्रावास का निर्माण।

(7) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक और परिरक्षित कर्मशाला का निर्माण।

(8) महिला आर्थिक विकास निगम।

(9) महिला ब्यूरो।

(10) निराश्रित बच्चों के लिए ग्रामीण काटेज गृह संख्या-2.

(11) तिहाड में पुरुष भिखारी गृह का निर्माण।

वार्षिक योजना 1980-81 के योजनावार विवरण नीचे दिये गये हैं :—

1. निदेशक एवं प्रशासन

1.—मुख्यालय में कर्मचारियों का विस्तार (0.20 लाख रुपये)

नई सेवाओं के कार्यान्वयन/पिछली योजना अवधियों में कार्यों के कारण काम का बोझ बहुत बढ़ गया है समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गई है। बढ़े हुए कार्यों को देखते हुए पर्याप्त निरीक्षण तथा मार्ग दर्शन, गत वर्षों की उपलब्धियों को समेकित करने, नई योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए विद्यमान सेवाओं/संस्थाओं का मूल्यांकन करने आदि के लिए मुख्यालय कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना अत्यावश्यक हैं। इसके लिए पंचवर्षीय योजना 19-83 में 6 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। 1979-80 के लिए इस योजना पर अनुमोदित परिव्यय 0.46 लाख रुपये था। निम्नलिखित पदों का प्रस्ताव 1979-80 में इस योजना के लिए किया गया था :—

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उपनिदेशक (तकनीकी)	2	1200--1600
2	सहायक निदेशक	2	1100--1600
3	लेखा अधिकारी	1	800-1200
4	सहायक	4	425--700
5	आशुलिपिक	2	330--560
6	उच्च श्रेणी लिपिक	4	330--560
7	अवर श्रेणी लिपिक	3	260--400
8	गेस्टटेनर प्रचाल	1	260--400
9	दफतरी	1	200--250
10	सन्देशवाहक	2	196--232

समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना भेजी गई थी। भारत सरकार ने इस योजना को 1980–81 तक स्थगित करने की सलाह दी है। इस कारण 1979–80 के दौरान कोई खर्च नहीं किया जा सका।

1980–81 के लिए योजना आयोग ने 0.20 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

2. सर्वेक्षण मूल्यांकन एवं अनुसंधान (0.10 लाख रुपये)

इस योजना के अधीन दिल्ली में 1978–79, 1979–80 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांगों के सर्वेक्षण का कार्य करने का प्रस्ताव था। भारत सरकार का मत था कि प्रस्ताविक सर्वेक्षण दिल्ली समाज कार्य स्कूल के जरिये न होकर अध्यापकों आदि जैसे प्रशासन के कार्मिकों द्वारा किया जाना चाहिए।

दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित सर्वेक्षण तकनीकी होने के कारण अध्यापकों को नहीं सौंपा जा सकता है। अतः इस प्रस्ताव को त्याग दिया गया है। इस कारण 0.50 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय का मद में वर्ष 1979–80 के दौरान कोई खर्च नहीं किया गया।

अपराधी अधिनियम 1958 के उपबन्धों के अधीन 1980–81 के दौरान अपराधियों की रिहाई पर एक अध्ययन किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या, उनका कारण रिहाई के बाद समाज में अपने को व्यवस्थित करना, परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा मार्ग-दर्शन कार्य और दिल्ली में परिवीक्षा सेवा में सुधार के सुझाव आदि विषय शामिल होंगे। यह प्रस्तावित अध्ययन दिल्ली समाज कार्य, सार्वजनिक सहकारिता की राष्ट्रीय संस्था जैसे अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्य क्रम तैयार किया जायेगा और भारत सरकार के पास प्रशासनिक/तकनीक अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 0.10 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है।

II. विकलांगों की शिक्षा और कल्याण (2.30 लाख रुपये)

1. मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के गृह के लिए इमारत का निर्माण (0.10 लाख रुपये)

2. मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों के गृह के लिए इमारत का निर्माण (0.10 लाख रुपये)

बाल अधिनियम, 1960 के अधीन पहचाने और रखे गये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की अभिरक्षा, देखरेख, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए गृह कार्यरत है। मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों का गृह 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चों के लिए चल रहा है जो यदि लड़का हो तो 18 वर्ष की आयु और यदि लड़की हो तो 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा उनके पालन पोषण के लिए माता/पिता/अभिभावक न हो। लेकिन ये दोनों संस्थाएं किराये के भवनों में चल रही हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। अतः इनके लिये उपयुक्त भवनों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदी गई जमीन पर किया जाना आवश्यक है।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए गृह और मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों के लिये गृह के भवन निर्माण के लिए क्रमशः 23 लाख रुपये और 15 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं का भवन निर्माण कार्य 1980–81 में शुरु किये जाने का प्रस्ताव है। इनमें से प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 1980–81 के लिए अनुमोदित प्रावधान 0.10 लाख रुपये का है।

3. नेत्रहीन बालकों के राजकीय स्कूल को सुदृढ़ करना (0.50 लाख रुपये)

1969–70 में नेत्रहीन राजकीय स्कूल दिल्ली में इस उद्देश्य से शुरु किया गया था कि यह हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा, संगीत और बेंत आदि कार्य में पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण और 6–16 आयु सीमा के बालकों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करेगा। स्कूल शुरु करने के लिए 1969–70 में मुख्य स्वीकृत कर्मचारी थे—प्रधानाध्यापक (1), सहायक अध्यापक (3), संगीत अध्यापक (1) निम्नश्रेणी लिपिक (1), रसोइया (अल्पकालिक) (1), चौकीदार (1), मेहतर, (1) चपरासी, (1) छात्रावास परिचारक (3)।

ये कर्मचारी केवल तीसरी कक्षा तक के लगभग 30 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे। इस समय इसमें 70 विद्यार्थियों हैं और यह संस्था 8 वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रही है। दिल्ली में नेत्रहीन बालकों के लिए यह एकमात्र सरकारी विद्यालय है। यह अपने भवन में स्थित है और इसमें 100 विद्यार्थियों की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह स्कूल 8 वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है तथा 1980–81 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 100 हो जायेगी, स्कूल के कुशलता-पूर्वक और सुचारु रुप से चलाने के लिए इन अतिरिक्त कर्मचारियों की अपेक्षा होगी :— प्राईमरी कक्षाओं के लिए सहायक अध्यापक (2) मिडिल स्तर की कक्षाओं के लिए बी० ए० बी० टी० अध्यापक (5), पी० टी० एवं गतिशीलता शिक्षक (1) शिल्पकला अध्यापक (1), उच्च श्रेणी लिपिक (1), आवास अधीक्षक, (1), रसोइया (1), मेहतर (1) और परिचर (3), इस योजना को अनुमोदन के लिए समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 0.50 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है।

(4) मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए स्कूल (0.50 लाख रुपये)

मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए दिल्ली में केवल एक ही स्कूल है जो लाजपत नगर में है और यह दिल्ली के ऐसे सभी बालकों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। अतः 6–18 आयु सीमा के मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का एक स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव है। यह स्कूल 50 विद्यार्थियों के लिए होगा। इसका कार्य समय सुबह 8.45 से 3 बजे शाम तक होगा। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के अलावा फोटिंग ट्रेनिंग मनोरंजनात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था भी यह स्कूल करेगा क्योंकि अधिकांश मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें पोषक भोजन प्रदान करने का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाना है। इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता आदि शामिल है। जिन माता-पिता की आयु 500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक है उनसे शिक्षण शुल्क, भोजन और नाश्ते का पैसा, खेलकूद, और परिवहन (यदि प्रदान किया जाय) का व्यय लिया जायेगा। आयुक्रम और मानसिक क्षमता के आधार पर यथासंभव समरूपी समूह बनाये जायेंगे। प्रस्तावित स्कूल के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यता होगी :—

प्रिंसिपल (1) विशेष शिक्षा अध्यापक (5) और मनोविश्लेषण सामाजिक कार्यकर्त्ता, व्यवसायिक थेरापिस्ट, अल्पकालिक मनोविज्ञानी, अल्पकालिक वाक थेरापिस्ट, अल्पकालिक मनोविश्लेषण, अल्पकालिक, चिकित्सक; उच्च श्रेणी लिपिक (प्रत्येक एक), हैल्पर (3), मेहतर, चपरासी, चौकीदार और रसोइया (प्रत्येक एक)।

वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 लाख रुपये का अल्प प्रावधान किया गया है।

(5) मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों के लिए गृह को सुदृढ़ करना (0.50 लाख रुपये)

मानसिक रूप से पिछड़े वयस्कों का गृह 1975-76 में 100 व्यक्तियों की अनुकूलतम क्षमता के साथ स्थापित किया गया था। यह संस्था आवासीय है और मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को यहां निःशुल्क आवसीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह बालक गृह से मुक्त हुए मानसिक रूप से पिछड़े उन बच्चों के लिए बाल अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत है जिनके कोई माता पिता/अभिभावक नहीं हैं। यह स्वैच्छिक आधार पर ऐसे मानसिक रूप से पिछड़े लोगों को भी प्रवेश देती है जिसकी देखरेख विभिन्न कारणों के स्वयं अपने परिवार में नहीं हो सकती है। 50 अन्तःवासियों के साथ शुरू होने वाली इस संस्था की स्वीकृत स्टाफ क्षमता इस प्रकार है:—

अधीक्षक (1), मनोविश्लेषण समाज कार्यकर्त्ता (1), हाउस फादर (1), निम्न श्रेणी लिपिक (1), परिचर (5), चौकीदार (1), रसोइया (1), नर्स (2), 1 संस्थान के अंतःवासियों की संख्या 100 हो गई है। इसके दो स्कंध हैं—एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। दोनों स्कंधों के अन्तःवासियों की संख्या बराबर है। 50 पुरुषों और 41 महिलाओं का मनोवैज्ञानिक पृथक्करण (स्क्रीनिंग) किया गया था और बुद्धिलब्धि तथा व्यनुकूली व्यवहार के अनुसार उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का पाया गया :—

	वर्गीकरण	वर्ग	बुद्धिलब्धि	संख्या	प्रतिशत
पुरुष . . .	सौम्य	शिक्षणीय	55--69	11	22%
	संयत	प्रशिक्षणीय	40--54	18	36%
	अत्याधिक	आश्रित	25--39	15	30%
	गम्भीर	जीवन अवलम्ब	0--24	6	12%
महिला . . .	सौम्य	शिक्षणीय	55--69	6	15%
	संयत	प्रशिक्षणीय	40--54	16	39%
	अत्याधिक	प्रशिक्षणीय	25--39	11	26%
	गम्भीर	जीवन अवलम्ब	0--24	8	20%

ऊपर के वर्गीकरण से पता चलता है कि लगभग 12% ष और 20% महिलाओं के मामले अभिरक्षी प्रकार है अत्यधिक पिछड़े (30% पुरुष तथा 26% महिला) गों में सीमित बुद्धि है और उन्हें स्वनिर्भर कौशलों तथा षण, ड्रेसिंग, स्नान और ट्वायलेट प्रशिक्षण जैसे दैनंदिन र्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकांश यानों 8% पुरुष और 54% महिलायें संयत और सौम्यरूप से छड़े हुये हैं और उनकी समताओं को विकसित करने के लिए शेष शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता ।

वर्तमान समय में संस्था के पास कोई भी शिक्ष ौर ावसायिक सुविधा प्राप्त नहीं है। अन्तःवासियों की वश्यकताओं को देखते हुए संस्था को पुरुष और महिला नों स्कंधों में निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है :

हिला स्कंध

(1)	मनोविश्लेषक समाज कार्यकर्ता	1
(2)	कला और शिल्प अध्यापक	2
(3)	विशेष शिक्षा अध्यापक	2
(4)	व्यावसायिक थेरेपिस्ट	1
(5)	संगीत अध्यापक (अंशकालिक)	1
(6)	हाउस मदर	1
(7)	उच्च श्रेणी लिपिक	1
(8)	परिचर	1
(9)	धोबी	1
(10)	रसोइया	1
(11)	अंशकालिक चिकित्सक	1
(12)	संदेशवाहक	1
(13)	माली	1
(14)	मेहतर	1

पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान उपर्युक्त अतिक्त कर्मचारियों पर व्यय भार निम्नलिखित है :—

980-81	0.50 लाख रुपये (तीन महीने के लिए)
981-82	2.29 लाख रुपये
982-83	2.39 लाख रुपये
कुल	5.18 लाख रुपये

इस योजना को भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिये जा गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0.50 ख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(6) शारिरीक रूप से विकलांग व्यक्तियों को परिक्षित शाला खंड 2 (0.50 लाख रुपये)

शारीरिक रूप से विकलांग और प्रशिक्षित व्यक्तियों जिनकी अनुकूलतम संख्या 100 होगी, कोई लाभप्रद कार्य दिलाने की दृष्टि से 1976-77 में एक परिक्षित कर्मशाला स्थापित की गई थी। इस कर्मशाला से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सिलाई, बैंत और जिल्दसाजी के फुटकर दर पर कार्य उपलब्ध कराये जाते हैं। इस कर्मशाला के कामगार प्रतिमाह 300 से 400 रुपये प्रतिमाह अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार सुखी और सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कर्मशाला ने 3 वर्ष की अल्प अवधि में ही अनुकूलतम क्षमता प्राप्त कर ली है। यह कर्मशाला रमेशनगर में स्थित है। अतः शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शहर के विभिन्न भागों से रमेशनगर पहुंचने में कठिनाई होती है। इसलिए वार्षिक योजना 1980-81 पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक और परिरक्षित कर्मशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। आरम्भ में कर्मशाला में 50 सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा और उनकी अनुकूलतम संख्या 100 होगी। सिलाई, बैंत और बांस के तथा जिल्दसाजी के कार्य के अलावा मुद्रण, यांत्रिकी और वैद्युत सामानों के समायोजना के कार्य व्यवसाय में भी उन्हें नियोजित किया जायेगा। इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा जो तत्संबंधी व्यवसाय में प्रशिक्षित हों। यथासंभव सभी कार्य संविदा पर आधारित होंगे और सरकारी और निजी स्रोतों से लिये जायेंगे। जो कामगार उत्पादनस्तर दक्षता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा और खुले बाजार में कार्य पाने में उनको सहायता भी दी जायेगी। प्रस्तावित नई कर्मशाला में निम्नलिखित पद अपेक्षित होंगे :—

(1) अधीक्षक—1

वार्षिक योजना 1980—81 के लिए 0.50 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(7) गूंगे-बहरों के लिए गवर्नमेंट लेडी न्यायस स्कूल और इसके छात्रावास के भवन का निर्माण (0.10 लाख रुपये)

गूंगे-बहरों गवर्नमेंट लेडी न्यायस स्कूल, हाई स्कूल स्तर तक के विद्यार्थियों को शिक्षा और छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 500 है। इस स्कूल का आरम्भ 1958 में 100 प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ फिरोजशाह कोटला स्थित एक पुराने भवन में किया गया था। इस भवन को 1971-72 में गिरा दिया गया और 250 विद्यार्थियों के लिए स्कूल के लिए एक नई इमारत और 100 विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण प्रथम चरण में किया गया। दूसरे चरण के अतिरिक्त क्लासरूमों और छात्रावास भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि 1972—73 में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। स्कूल को क्लासरूमों और छात्रावास सुविधाओं का अभाव बुरी तरह खल रहा है। इस समय केवल 21 क्लासरूम हैं और विद्यार्थियों की संख्या 500 है। गूंगे और बहरे विद्यार्थियों को शहर के और देहात के विभिन्न भागों से

आने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत से ऐसे गूंगे-बहरे विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा के अभाव में प्रवेश नहीं मिल पाता है। अतः स्कूल और छात्रावास के लिए एक नये तीन मंजिल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें 21 अतिरिक्त कक्षाएं और 100 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में स्थान उपलब्ध होगा। इसमें स्कूल सुचारू रूप से चल सकेगा। स्कूल के पास प्रस्तावित निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन है। कुल निर्माण लागत 10 लाख रुपये होगी। वार्षिक योजना 1980-81 के लिये इस योजना पर 0 10 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

III, परिवार और बाल कल्याण (37.55 लाख रुपये)

(क) **महिला कल्याण** (8.95 **लाख रुपये**)

(1) **विधवाओं को वित्तीय सहायता** (1.50 **लाख रुपये**)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इस योजना में असहाय निर्धन विधवाओं को 3-4 वर्ष तक वित्तीय सहायता देने और रवरोजगार के लिए औजार एवं मशीनरी की खरीद के प्रयोजन से 500 रु० की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की गई है।

इस योजना पर वर्ष 1979-80 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1.35 लाख रुपये का है। यह योजना 1979-80 में कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि भारत सरकार का अनुमोदन फरवरी 1980 में ही प्राप्त हो सका।

इस योजना के अन्तर्गत 225 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 1.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया जाता है।

2. दहेज विरोधी अभियान (0.85 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत पोस्टरों, पुस्तिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं में लेख और सिनेमा स्लाइड्स और चर्चा द्वारा दहेज विरोधी प्रचार किये जाने की संकल्पना की गई है। इस योजना के लिये पंचवर्षीय योजना 1978-83 के अन्तर्गत 3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमशः 0.32 लाख और 0.76 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। 1980-81 के लिये 0.85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. कार्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (6.40 लाख रुपये)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गये 20 कार्य केन्द्रों में से 6 केन्द्र तम्बुओं में कार्यरत हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खिचड़ीपुर, नागलोई, सुलतानपुरी, सीमापुरी, जहांगीरपुरी और शकरपुर की पुनर्वास कालोनियों में जमीन आवंटित की है। 6 भवनों के निर्माण की अनुमानित लागत 18 लाख रुपये है। वार्षिक योजना 1979-80 में 12.44 लाख रुपये का परिव्यय भवन निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया था। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके निर्माण कार्य को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि बाद में इन बस्तियों में दिल्ली नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया था। अब यह कार्य दिल्ली प्रशासन के लघु सिंचाई प्रभाग द्वारा किया जायेगा। 1979-80 में इस मद पर कोई खर्च नहीं किया गया। 1980-81 के लिए इस योजना पर 6.40 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(4) महिला आर्थिक विकास निगम (0.10 लाख रुपये)

नई दिल्ली में आयोजित समाज कल्याण के मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को महिलाओं (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की) की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की योजना लागू करने की आर्थिक विकास निगमों की स्थापना करनी चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी एक महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस योजना के ब्यौरे प्रशासनिक अनुमोदन के लिए तैयार किये जा रहे हैं। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 0 10 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(5) महिला ब्यूरो

1977 में नई दिल्ली में आयोजित समाज कल्याण के मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि राज्य स्तर पर महिला ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिये ताकि विभिन्न क्षेत्रों में महिला विकास कार्यक्रमों को विकसित और विविध सरकार एवं स्वैच्छिक अभिकरणों के कार्यों का समन्वय किया जा सके। अतः संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में एक महिला ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(1) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के समग्र विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से राष्ट्रीय योजना कार्यवाही को तैयार और लागू करने में विभिन्न विभागों को परामर्श और सहायता करना।

(2) महिला कल्याण में संलग्न विभिन्न विभागों, जैसे शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ और कार्यान्वित किया जा सके।

(3) विविध विभागों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पहले से शुरू किये गये कार्यक्रमों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना और यदि कोई कठिनाई हो तो दूर करना।

(4) युवा महिलाओं और माताओं को पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा देना और वयस्क शिक्षा साक्षरता कार्यक्रमों तथा परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था करना।

इस प्रस्तावित ब्यूरो के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी :—

(1) उपनिदेशक

2) तकनीकी अधिकारी	4
3) सामाजिक अन्वेषक	5
4) लिपिक वर्गीय कर्मचारी/ आशुलिपिक	9
5) चपरासी	2

1980–81 के लिए इस योजना पर 0.10 लाख रुपये सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

ख) बाल कल्याण (28.60 लाख रुपये)

1. ग्रामीण कुटीर गृह का विस्तार (0.61 लाख रुपये)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निराश्रित और सम्बद्ध बालकों के लिए देखरेख और शिक्षा के लिए एक मीण कुटीर गृह शुरु किया गया था, एक कुटीर में हाऊस दर की देखरेख में 10 बच्चों का एक समूह रखा जाता है। 978–79 के अन्त तक 10 कुटीर गृह शुरु किये जाने । लेकिन केवल 8 कुटीरों की ही स्थापना की जा सकी। -दस बच्चों के दो और कुटीरों को शुरु करने की दृष्टि 0.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। 1979–80 0.82 लाख रुपये खर्च किये गये। इन दो कुटीरों के रख-व के लिए 0.61 लाख रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना 980-81 में किया गया है।

(2) लड़कों के लिए विशेष स्कूल और चारदीवारी निर्माण और अलीपुर में विकास का स्थान (1.00 ख रुपये)

और

(3) अलीपुर स्थित लड़कों के लिए विद्यमान बालक के भवन का निर्माण

लड़कों और बच्चों के लिये विशेष स्कूल एवं गृह बालक धिनियम 1960 के अधीन देखरेख और अभिरक्षी संस्थाएं यह भवन 300 बच्चों के लिए होगा जिसमें शैक्षिक शिल्प की कक्षाओं की व्यवस्था है जैसे वेल्डिंग, फिटिंग रमैनशिप, बैंत कार्य, नाई एवं देखरेख पेन्टरी आदि। क्त दो कार्यों की मंजूरी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ी-थी और यह आशा की जाती थी कि निर्माण कार्य 78-79 के अन्त तक पूरा किया जायगा। अतः परिव्यय कोई प्रावधान वार्षिक योजना 1979–80 में नहीं किया । प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से ये कार्य पूरे नहीं जा सके। छोटे-मोटे बिजली के कार्यों और ठेकेदारों अदायगी के लिए 1 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान 80-81 के लिए अनुमोदित किया गया।

(4) अलीपुर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (0.10 रुपये)

दो सांविधिक संस्थाओं, यानि लड़कों के लिये विशेष और लड़कों के लिए बालक गृह, जो बालक अधिनियम, 1960 के अधीन चलते है के भवनों का निर्माण अलीपुर में किया जा रहा है। चूंकि ये संस्थाएं देखरेख और अभिरक्षी प्रकार की है अतः अधीक्षक, चिकित्सा कर्मचारी, पहरा और निगरानी कर्मचारी आदि जैसे आवश्यक कर्मचारियों के लिए परिसर में ही आवास उपलब्ध हों। अतः अलीपुर में 16 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। 1978–79 में 3.35 लाख रुपये खर्च किये गये। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। 1979–80 का अनुमोदित परिव्यय 1.18 लाख रुपये था जिसमें से 0.10 लाख रुपय खर्च किये गये। वार्षिक योजना 1980–81 के लिए 0.10 लाख रुपये अनुमोदित किये गये हैं।

(5) लड़कियों के लिये बाल गृह II का नारी निकेतन में भवन-निर्माण (2 लाख रुपये)

बाल अधिनियम, 1960 के अधीन 6–12 आयु वर्ग की लड़कियों की देखरेख और रखरखाव के लिये 1975–76 में लड़कियों के लिए बाल गृह–II का निर्माण शुरू किया गया था। यह कीर्तिनगर में किराये के भवन में चल रहा है। इस संस्था के भवन का निर्माण नारी निकेतन में तिहाड़, नई दिल्ली 1977–78 में शुरू किया गया था। 1978–79 के दौरान पूंजीगत पक्ष में 13.61 लाख रुपये और राजस्व पक्ष में 1.08 लाख रुपये खर्च किये गये थे। इस योजना का राजस्व पक्ष 1979–80 से गैर-योजना हो गया है। इस भवन निर्माण की कुल लागत 37.92 लाख रुपये है। यह गृह 250 लड़कियों को स्थान देगा जिसमें शैक्षिक कक्षाएं, छोटा औषधालय, मनोरंजन कक्ष, रसोई भंडार आदि सुविधा उपलब्ध होगी। इस कार्य के लिए 1979–80 का अनुमोदित परिव्यय 8 लाख रुपये था जिसकी तुलना में 10.49 लाख रुपये खर्च किये गये। 1979–80 में किये गये कुल खर्च में वे खर्च भी शामिल हैं जो नारी निकेतन स्थित दो परि-योजनाओं (1) लड़कियों के लिए बाल गृह-II और (2) लड़कियों के लिये प्रेक्षण गृह पर किये गये। यह कार्य वर्तमान वर्ष 1980–81 में भी चल रहा है और 2 लाख रुपये का परिव्यय अनमोदित किया गया है।

(6) लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह का भवन निर्माण (7 लाख रुपये)

लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह कीर्तिनगर स्थिति एक किराये के भवन में चल रहा है। यह संस्था उन लड़कियों के लिये है जो बालक अधिनियम, 1960 के अधीन वर्गीकृत करके बाल न्यायालय/बाल कल्याण बोर्ड द्वारा निर्णय होने तक की अवधि के लिए रिमाण्ड में रखी जाती हैं। इस प्राइवेट बिल्डिंग से संस्था की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती और स्थान का भी अभाव है। इस संस्था के लिए नारी निकेतन में भवन निर्माण कार्य का अनुमोदन 5वीं योजना में किया गया था। इस भवन की अनुमानित लागत 41.61 लाख रुपये है जिसका प्रावधान पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1978–83 में किया गया है। इसमें 300

लड़कियों के लिए स्थान होगा। इसके अतिरिक्त शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी। निर्माण कार्य प्रगति पर है निर्माण कार्य में पूरी गति चालू वर्ष से आयेंगे। 7 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन अगली वार्षिक योजना के लिए किया गया है।

(7) नारी निकेतन के परिसर में पानी, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए विकास का स्थान (5 लाख रुपये)

दो महिला संस्थाएं नारी निकेतन, तिहाड़, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। दो और संस्थाएं लड़कियों के लिए प्रेक्षणगृह और लड़कियों के लिए बालगृह-नारीनिकेतन में निर्मित की जा रही हैं। इसके स्थान के विकास, पानी बिजली आदि की अनुमानित लागत 18.73 लाख रुपये है जिसका प्रावधान पंचवर्षीय योजना 1978-83 में किया गया है। इस कार्य की मंजूरी 20-3-79 को मिली थी और 1979-80 तक इस पर कोई खर्च प्रशासनिक कारणों से नहीं किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 5 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

(8) नारी निकेतन में विजिटर्स और मेडिकल ब्लाक (1 लाख रुपये)

नारी निकेतन तिहाड़ के परिसर में दो संस्थाएं--नारी निकेतन और लड़कियों के लिए बाल गृह-I पहले से ही कार्यरत हैं। नारी निकेतन में लड़कियों के लिए बाल गृह-II और लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने पर ये दोनों संस्थाएं वहीं चली जायेंगी। इस प्रकार महिलाओं और लड़कियों के लिए चार संस्थाएं यहां हो जायेंगी। अतः इन सभी संस्थाओं के लिए एक ही मेडिकल ब्लाक की आवश्यकता है। ऐसा अनुभव है कि संस्थाओं में अपने बच्चों से मिलने आने वाले माता पिता/अभिभावकों को विजिटर्स रूम के अभाव में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए नारी निकेतन में विजिटर्स ब्लाक और मेडिकल ब्लाक के निर्माण का प्रस्ताव है। इस कार्य की लागत का अनुमान 2.42 लाख रुपये है। जिसका प्रावधान पंचवर्षीय योजना 1978-83 में किया गया है। प्रशासनिक कारणों से इस परियोजना पर 1979-80 के अन्त तक कोई खर्च नहीं किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1 लाख रुपये है।

(9) नारी निकेतन में स्टाफ क्वार्टर (4 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत देखरेख और अभिरक्षी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 40 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। ये क्वार्टर सम्बन्धित संस्थाओं के अधीक्षक, मेडिकल स्टाफ, केस कामगर, मैट्रन, पहरा व निगरानी कर्मचारी रसोईया, मेहतर आदि जैसे आवश्यक कर्मचारियों के आवास के लिए होंगे। इसकी कुल अनुमानित लागत 11.02 लाख रुपये है जिसका प्रावधान पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1978-83 में किया गया है। प्रशासनिक/तकनीकी कारणों से कोई खर्च नहीं किया गया। वार्षिक योजना 1980-81 के लि[ए] इस योजना पर अनुमोदित परिव्यय 4 लाख रुपये का है।

(10) नारी निकेतन में सड़कें और चार दीवा[री] (1.50 लाख रुपये)

नारी निकेतन स्थिति विभिन्न संस्थाओं को एक दू[सरे] से जोड़ने वाली सड़कों और चार दीवारी के निर्माण पर इ[स] योजना में विचार किया गया है। इस योजना की कुल अनुमानि[त] लागत 5.96 लाख रुपये है जिसका प्रावधान पंचवर्षीय योज[ना] 1978-83 में किया गया है। 1978-79 में 0.46 ला[ख] रुपये खर्च किये गये और 1979-80 में कोई खर्च न[हीं] किया गया था। यह कार्य प्रगति पर है और चालू वर्ष चलता रहेगा। वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 1.5[0] लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(11) राज्य समेकित बाल विकास सेवा परियोज[ना] (5.29 लाख रुपये)

केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास से[वा] योजना में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के सर्वंगीण विकास [के] लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। इसमें निम्नलिखि[त] प्रकार की सेवाओं की प्रावधान किया गया है।

जो लाभान्वित होंगे	संवाएं
1- बच्चे 0-6 वर्ष	1- अनुपूरक पोषक 2- प्रतिरक्षण 3- स्वास्थ्य जांच 4- संदर्भी सेवा 5- अनौपचारिक पूर्व स्कूल [शिक्षा] (बच्चे 3-6 वर्ष)
2- गर्भवती और नवजात शिशु वाली महिलाएं	1- स्वास्थ्य जाच 2- टैटनेस से गर्भवती महिल[ाओं] का प्रतिरक्षण 3- अनुपूरक पौषण 4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
अन्य महिलाएं 15--44 वर्ष	1- पोषण एवं स्वास्थ्य शि[क्षा] 2- प्रकार्यात्मक साक्षरता

इस स्कीम के अधीन प्रत्येक परियोजना में 1 लाख आबादी आती है। प्रत्येक परियोजना में 0-6 वर्ष के [आयु] वर्ग के लाभान्वित होने वाले बच्चों की अनुमानित सं[ख्या] 17000 होगी और 15-44 वर्ष के आयु वर्ग की अनुमानितत संख्या 3000 होगी। प्रत्येक परियोजना में 1

केन्द्र आते हैं और प्रत्येक केन्द्र में 1000 की जनसंख्या होती है। इस योजना की उपलब्धियों से प्रभावित होकर समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि इस योजना का विस्तार किया जाय और राज्य सरकारों की भी राज्य क्षेत्र में आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं चलानी चाहिएं।

दिल्ली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 1979–80 के दौरान 2 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके लिए 10.50 लाख रुपये का परिव्यय अलग रखा गया था लेकिन पदों के सृजन पदों के भरे जाने चयन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण जैसे प्रशासनिक कारणों से यह परियोजना देर से शुरू हुई है 1979–80 में वास्तविक खर्च केवल 1.49 लाख रुपये था। तब से आरम्भिक कार्यों को पूरा कर लिया गया है और उक्त दो राज्य आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं पर कार्य चालू वर्ष में तेजी से होगा। वार्षिक योजना 1980–81 में इस योजना के लिए 5.29 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (1 लाख रुपये)

बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित विधि कल्याण कार्यक्रमों को समाज कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत उपशीर्ष 'बाल-कल्याण' के अधीन रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम तत्सम्बन्धी क्षेत्रों के अन्तर्गत आते है। अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष के उपलक्ष्य में समाज कल्याण निदेशालय के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बच्चों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर 2 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया गया था। 1979–80 में 1.81 लाख रुपये खर्च किये गये। वार्षिक योजना 1980–81 के सम्बन्ध में चर्चा के समय योजना आयोग ने यह सुझाव दिया कि आई० वाई० सी० की योजना 1980–81 में जारी रहनी चाहिए और 1 लाख रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है।

(13) ग्रामीण कुटीर गृह संख्या 2 (0.10 लाख रुपये)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निराश्रित और बेकार बच्चों की देखरेख और शिक्षा के लिए 1976 में लाजपतनगर में एक ग्रामीण कुटीर गृह शुरु किया गया था। इस गृह की अनुकूलता क्षमता 100 बच्चे थी जिसे प्राप्त कर लिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास शिक्षा निजी देखरेख और अन्य कल्याणकारी कार्यों के क्षेत्र में इसने अत्यंत प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त की है। अतः एक और ग्राम कुटीर गृह, 1980–81 के दौरान विद्यमान ढांचे के अनुरूप स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस गृह के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(1) निराश्रित एवं उपेक्षित बच्चों की सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था करना।

(2) उन्हें माता-पिता का प्यार और पारिवारिक वातावरण प्रदान करना।

(3) उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए उनकी वैकल्पिक देखरेख और ध्यान की व्यवस्था करना।

(4) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य और प्रयास करना।

उक्त नये गृह में 10 कुटीर होंगे और प्रत्येक कुटीर में 10 बच्चों को एक हाउस मदर की निजी देखरेख और ध्यान में रखा जायेगा। शिक्षा के लिए बच्चों को सामुदायिक स्कूलों में भेजा जायेगा ताकि वे अन्य बच्चों के साथ हिलमिल सकें और जीवनमूल धारा से कट न सकें।

विद्यमान ग्रामीण कुटीर गृह के आधार पर नए गृह के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी :—

1.	अधीक्षक	1
2.	हाउस मदर/आंटी	10
3.	केस वर्कर	1
4.	अल्पकालीक संगीत अध्यापक	1
5.	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	2
6.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	2

इस योजना को समाज कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस योजना पर 1980–81 के लिए 0.10 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

IV निर्धन और निराश्रितों का कल्याण (6.50 लाख रुपये)

1. वृद्धावस्था सहायता का विस्तार (3 लाख रुपये)

वृद्धावस्था सहायता योजना 1976–77 में शुरू की गयी थी। इस योजना के अधीन 50 रुपए प्रतिमाह की सहायता उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं और कुल पारिवारिक आय, सभी स्रोतों से 200 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होती है। यदि ऐसे व्यक्ति/परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होती है तो यह वृद्धवस्था सहायता मृत्यु तक प्राप्त की जा सकती है। 1978–79 के अन्त तक 1085 व्यक्ति इस योजना के लाभान्वित हुए। अब ये व्यक्ति 1979–80 से गैर-योजना के अन्तर्गत आते है। इस योजना के विस्तार कार्यक्रम के अधीन 800 नये व्यक्ति योजना पक्ष में 1979–80 से 1982–83 के दौरान लाभान्वित होंगे। 1979–80 के विस्तार कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय 1.35 लाख रुपए थे जबकि खर्च 1.34 लाख रुपए हुए। इस योजना से 706 व्यक्तियों

ने लाभ उठाया । इन 706 व्यक्तियों के अलावा 100 नये व्यक्तियों को भी 1980-81 में इसके अन्तर्गत शामिल किया जायेगा । 1980-81 के लिए इस योजना पर 3 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

2. सामाजिक और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता योजना का विस्तार (3.50 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक और शारीरिक रूप से अक्षम 800 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष गैर योजना पक्ष में जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह अनावर्ती प्रकार की है । विद्यमान योजना के अधीन निर्धन क्षय रोगियों और वृद्ध तथा अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक सहायता की दर प्रत्येक मामले में अधिकतम 300 रुपए है । विधवाओं के लिए 200 रुपए प्रसव और बीमारी के मामले में 90 रुपए तथा निर्धन विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए यह 90 रुपए है । पंचवर्षीय योजना 1978-83 में गैर योजना पक्ष में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त 1300 और नये मामलों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है । गत वर्षों में मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता को निम्नलिखित रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

श्रेणी	पात्रों को मंजूर की जाने वाली अधिकतम धनराशि	
	विद्यमान दर	अनुमोदित दर
1. बाहरी क्षय रोगी (परिवार) .	300 रु० एक वर्ष के लिए	360 रु० एक वर्ष के लिए
2. वृद्ध और अक्षम व्यक्ति .	300 रु० एक वर्ष के लिए	360 रु० एक वर्ष के लिए
3 विधवाओं के बच्चों और अन्य उचित मामलों में पुस्तकों/लेखन सामग्री परीक्षा शुल्क आदि के लिए किन्तु नियमित मासिक शुल्क के लिए नहीं ।	108 रु० एक वर्ष के लिए	108 रु० एक वर्ष के लिए
4. स्वरोजगार के लिए औजार उपस्कर की खरीद पर सुयोग्य विधवाओं को	200 रु०	300 रु० अनावर्ती एक मुस्त अदायगी के आधार पर
5 प्रसूती और बीमारी के लिए	90 रु० छ. माह के लिए	120 रु० छः माह के लिए

समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना को अनुमोदित कर दिया है 1979-80 के लिए इस योजना पर अनुमोदित परिव्यय 5 लाख रुपए था और खर्च 5.60 लाख रुपए । इस योजना से 1647 व्यक्तियों ने लाभ उठाया । 800 व्यक्तियों को लाभान्वित कराने की दृष्टि से 1980-81 के लिए 3.50 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है :

V सुधार सेवा (8·35 लाख रुपये)

1. पुरुष भिखारी गृह, बिहार के भवन निर्माण के लिए भूमि विकास (3 लाख रुपया)

समाज कल्याण निदेशालय के ग्राम बिहार में 19.11 एकड़ जमीन है । पुरुष भिखारियों का जो गृह इस समय किराये के भवन में कार्यरत है उसके लिए उक्त जमीन पर भवन निर्माण का प्रस्ताव है । इस जमीन का विकास, यानी जमीन, भरना, जल, चारदीवारी की व्यवस्था आदि करना 1978-79 में शुरू किया गया था । इस कार्य पर पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए 17.28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है । 1978-79 में 3.52 लाख रुपए खर्च किए गए और 1979-80 में प्रशासनिक कारणों से कोई खर्च नहीं किया जा सका । 1980-81 के अन्तर्गत सीवरेज लाइन और पानी की टंकी आदि के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ।

2. सुधार और असुधार संस्थाओं से विमुक्त अन्त वासियों और परिवीक्षा पर विमुक्त व्यक्तियों के पुनः स्थापन मन्जूरी (0.35 लाख रुपये)

इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को 500 रुपए से 2500 रुपए तक की वित्तीय सहायता पर विचार किया गया है जो सुधार और असुधार संस्थाओं तथा परिवीक्षा पर विमुक्त किए जाते हैं ताकि संस्थागत देखरेख की अवधि में उन्होंने जिस व्यवसाय में प्रशिक्षण लिया है उसमें अपना कार्य शुरू करने के लिए औजार/मशीनरी खरीद सकें और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। 1979-80 के लिए इस योजना पर अनुमोदित परिव्यय 0.35 लाख रुपया था; खर्च की राशि 0.16 लाख रुपए थी इसके वास्तविक रूप में 13 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 1980-81 के लिए 0.35 लाख रुपए 20 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुमोदित किया गया है ।

3. सेवा कुटीर भवन का निर्माण (4 लाख रुपये)

बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 (जो दिल्ली में भी लागू है) के अधीन भिखारियों की संख्या सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप दिल्ली में कार्यरत है । इस संस्था की इमारत बहुत पुरानी है और इसके दो खण्ड (ब्लाक) 1978 के तुफान में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये थे । अतः 400 अन्तःवासियों के लिए आवास और 26 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है । इस योजना पर 50.22 लाख रुपये की लागत आएगी । समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन 13-11-79 को प्राप्त कर लिया गया था । 1979-80 के लिए अनुमोदित परिव्यय 5 लाख रुपये था किन्तु कोई खर्च नहीं किया जा सका । 1980-81 में प्रस्तावित इमारत के निर्माण अनुमोदित परिव्यय 4 लाख रुपया है ।

समाज कल्याण

व्यय

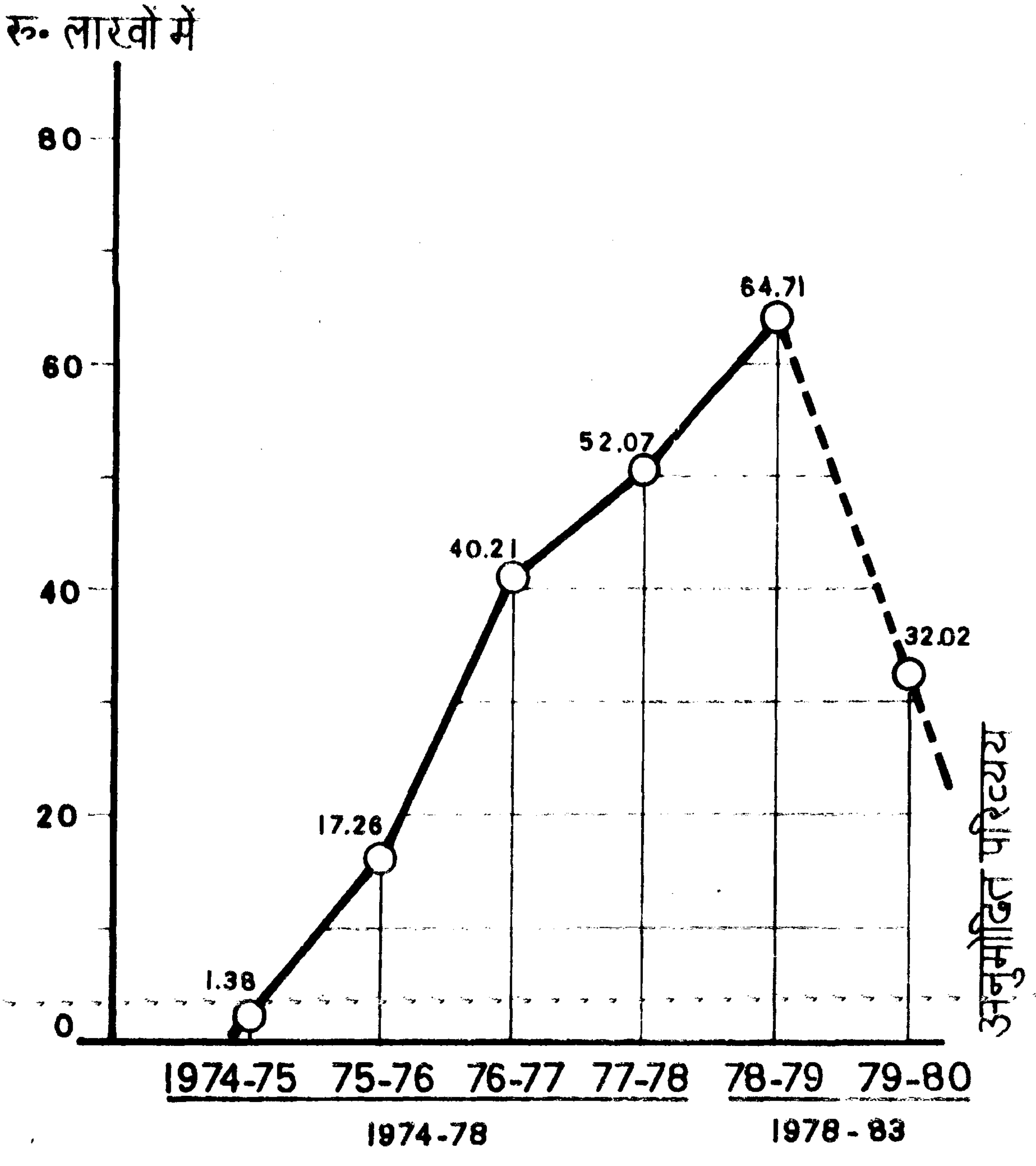

रु॰ लाखों में
80
60
40
20
0
1.38
17.26
40.21
52.07
64.71
32.02
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978 - 83

(4) तिहाड़ में एक भिखारी-गृह के लिए भवन निर्माण (1 लाख रुपया)

बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 (जो दिल्ली में भी लागू है) के अधीन तीन गृह भिखारियों की संरक्षा, देख-रेख, प्रशिक्षण और पुनःस्थापन के लिए इस समय किराए के भवनों में चल रहे हैं। ये भवन केवल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में ही नहीं हैं बल्कि इन संस्थाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अतः इन गृहों के लिए एक स्थान का भवन निर्माण की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप बेहतर प्रबन्धन और कम खर्च होगा। तिहाड़ में इसके लिए 19.11 एकड़ भूमि उपलब्ध है। जमीन का विकास कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। 1980-81 के दौरान एक भिखारी-गृह के भवन का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित भवन के प्राक्कलन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

पोषाहार

देश में जन-स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी कठिनाई कुपोषण की है। इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाली प्रजनन अवधि वाली महिलायें तथा विशेषकर वे बच्चे हैं जो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करता है तथा वह सबसे कम खर्चीली संतुलित खुराक का भी प्रबंध नहीं कर सकता। समस्या की जटिलता व समाज के गरीब वर्ग में पोषाहार असंतुलन को कम करने के लिए जो कि पोषाहार की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित है, पर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम के रूप में एक ठोस कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय प्रयोजित परियोजना के रूप में लिया गया था। परियोजना का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु से कम स्कूल पूर्व बच्चों और शहरी कटरों, जनजातीय क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में वर्ष में लगभग 300 दिन एक बच्चे को प्रतिदिन 200 से 300 कलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा प्रतिदिन प्रति गर्भवती महिला व स्तनपान कराने वाली माता को लगभग 500 कलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन पूरक पोषाहार खुराक की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया गया है। पूरक खाने की लागत प्रतिदिन प्रति बच्चे व प्रति मां की क्रमशः 23 पैसे व 30 पैसे आंकी गयी थी, जिसमें यातायात व प्रशासन खर्च भी शामिल है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है और इस परियोजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत बच्चों व महिला के कल्याण के लिए एकीकृत बाल विकास सेवायें के नाम से दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1975-76 में आरम्भ की जिसके अधीन 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक आहार भी दिया जाता है। भारत सरकार ने निदेश जारी किये हैं कि 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को दिये जाने वाले पूरक पोषण का व्यय राज्य क्षेत्र के अधीन पोषाहार कार्यक्रम के लिये योजना प्रावधान में से किया जाये इसके अलावा 3-11 वर्ष की आयु वर्ग के प्राइमरी और नर्सरी स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है और दिल्ली नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। एकीकृत नीति को अपने दृष्टि 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में प्रशासन के अधिकार के अधीन विद्यालयों के प्राथमिक अनुभागों के बच्चों के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान यह विचारा गया था कि परियोजना के लाभ को बढ़ाया जाए। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में पोषाहार क्षेत्र के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 269 लाख रुपये है अर्थात् 200 लाख रुपये पूरक आहार और 69 लाख रुपए मध्य दिवस भोजन के लिए हैं। 1978-79 के दौरान पूरक पोषण पर 43.81 लाख रुपये व्यय किये थे और मध्य दिवस भोजन पर दिल्ली नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका ने 12.36 लाख रुपये व्यय किये। कुल व्यय 55.87 लाख रुपये का आर्डर था। वार्षिक योजना 1979-80 के लिए 55 लाख रुपये का परिव्यय पोषाहार कार्यक्रम के लिए स्वीकृत था और वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 55 लाख रुपयें का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

प्राधिकरण के अनुसार विधाजन नीचे दिया गया है :

विभाग प्राधिकरण	पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय 1978-79	वार्षिक योजना 1979-80 के लिए स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय 1979-80	वार्षिक योजना 1980-81 के लिए स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5	6
सामाजिक पोषाहार कार्यक्रम					
1 **समाज कल्याण निदेशालय :**					
1 पूरक पोषण	200.00	43.51	40.00	25.85	36.00
2 **मध्य दिवस भोजन**					
1 शिक्षा निदेशालय	..	..	..	..	4.00
2 दिल्ली नगर निगम	37.00	4.94	8.00	1.80	9.00
3 नई दिल्ली नगर पालिका . .	32.00	7.42	7.00	6.50	6.00
योग	269.00	55.87	55.00	34.15	55.00

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पोषाहार कार्यक्रम दो शीर्षो अर्थात् (1) पूरक पोषण (2) मध्य दिवस भोजन के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। मदों के अनुसार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

1. पूरक पोषण :

1978–79 तक की उपलब्धियां

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 375 पोषाहार केन्द्र शुरु किये गये थे जो कि 1974–75 में गैर योजना के अधीन आये। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 300 नये केन्द्र आरम्भ किये गये थे। अतः विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अधीन 1978–79 के अंत तक 675 पोषाहार केन्द्र थे और शहरी कटरों में 1,35,000 लोगों ने इससे लाभ उठाया। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1975–76 में स्वीकृत प्रोजेक्ट के अलावा वर्ष 1978–79 में एक आई० सी० डी० एस० प्रोजेक्ट स्वीकृत की थी। वर्ष 1978–79 के दौरान इन दोनों प्रोजेक्टों में पूरक पोषण कार्यक्रम के अधीन लाभग्राहियों की संख्या लगभग 22,000 थी (लगभग 17,750 बच्चे और 4,250 महिलायें)। दो आई० सी० डी० एस० प्रोजेक्ट के अधीन पूरक पोषण कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय 9.04 लाख रुपये था।

वार्षिक योजना 1979–80

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 पोषाहार केन्द्र स्थापित किये गये थे। 125 केन्द्रों में लाभग्राहियों की संख्या में 3125 महिलायें और 21,875 बच्चे शामिल थे। परन्तु प्रशासनिक कारणों से पोषाहार केन्द्रों का देरी से शुरु होने की वजह से 6.0 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के बदले .70 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई० सी० डी० एस० परियोजना के अधीन भारत सरकार ने दिल्ली के लिये 3 और प्रायोजनाएं स्वीकृत की। केन्द्रीय प्रोजक्टों की कुल संख्या अब पांच थी। राज्य आई० सी० डी० एस० परियोजना के अधीन 5 केन्द्रीय आई० सी० डी० एस० प्रायोजना के अलावा, 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत थीं। सभी 7 आई० सी० डी० एस० प्रोजेक्ट के अधीन 25,000 लाभग्राही शामिल थे (20,000 बच्चे और 5,000 महिलायें)। वर्ष 1979–80 के लिये आई० सी० आई० एस०. परियोजना के अधीन पूरक पोषण कार्यक्रम के लिये 24.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय था जबकि प्रशासनिक कारणों से नयी प्रायोजनाओं के देरी से शुरु होने की वजह से व्यय 22.15 लाख रुपये था।

वर्ष 1979–80 के दौरान विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अधीन 40.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध व्यय 25.85 लाख रुपये के आर्डर का था।

वार्षिक योजना 1980–81

वर्ष 1979–80 में 125 पोषाहार केन्द्र आरम्भ हुये थे जो कि वर्ष 1980–81 के दौरान चालू रहेंगे। 125 केन्द्रों में लाभग्राहियों की कुल संख्या लगभग 25,000 होगी (21,875 बच्चे और 3125 महिलायें)। वर्ष 1980–81 के लिये इस कार्यक्रम के लिये स्वीकृत परिव्यय 6.00 लाख रुपये है।

भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने आई० डी० सी० एस० परियोजना के अधीन 1980–81 के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक और प्रायोजना स्वीकृत की है। अतः वर्ष 1980–81 के दौरान दिल्ली में 8 आई० सी० डी० एस० प्रायोजना होंगी (6 केन्द्रीय क्षेत्र में और 2 राज्य क्षेत्र में) सभी 8 आई० सी० डी० एस० प्रोजेक्टों के अन्तर्गत लाभ-ग्राहियों को शामिल करने की लक्ष्य संख्या 70400 पर निर्धारित है (16000 महिलायें और 54400 बच्चे)। वार्षिक योजना 1980–81 के लिये पूरक पोषण हेतु कुल स्वीकृत परिव्यय 36.00 लाख रुपये है।

2. दोपहर का भोजन

मध्य दिवस भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य नर्सरी और प्राइमरी छात्रों को अक्सर उनके घरों से दिये गये निम्न पौष्टिक आहार द्वारा पैदा हुयी उनकी पोषाहार सम्बधी कमी को दूर करने के लिये और मध्यावकाश के दौरान विद्यालयों के समीप बैठे हुयें फेरीवालों से दूषित खाद्य को खरीदने से छात्रों को रोकना है। मध्य दिवस भोजन परियोजना का दूसरा उद्देश्य छात्रों को विद्यालय में लाने के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि प्राइमरी शिक्षा के व्यापाकीकरण की दर में वृद्धि हो और छात्रों की रुचि स्कूल में लगी रहे। मध्य दिवस भोजन परियोजना पर अभी कार्य रूप में लाने की कार्यवाही जारी है जो कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के विद्यालयों में पढ़ने वाले 3–11 वर्ष के आयु वर्ग के नर्सरी व प्राइमरी बच्चों पर लागू है। दोपहर का भोजन परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों के प्राइमरी अनुभागों के बच्चों को शामिल नहीं किया गया। इस समय दिल्ली प्रशासन के अधीन 125 विद्यालय है और 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 40,000 बच्चे इन स्कूलों के प्राइमरी अनुभागों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्राइमरी अनुभागों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान से दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे ढांचे पर यह निर्णय किया था कि इन बच्चों के हित के लिये परियोजना का विस्तार किया जाये। पौष्टिक आहार को वस्तुओं का चयन करते समय निम्नलिखित पहलू दृष्टि में रखे गये हैं :—

(1) खाद्य के गुण।

(2) खाद्य की पोषण कीमत।

(3) लाभग्राहियों द्वारा स्वीकार्यता।

प्रतिदिन प्रति बालक पर 25 पैसे का खर्च है और मध्य दिवस भोजन के रूप में बच्चों को डबल रोटी, दूध और बिस्कुट दिये जाते है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये पंचवर्षीय योजना 1978—83 में 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 19.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

प्राधिकरणों के अनुसार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

क. शिक्षा निदेशालय (4.00 लाख रुपये)

वर्ष 1980-81 से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के प्राइमरी अनुभागों के बच्चों के लिये मध्य दिवस भोजन कार्यक्रम के लाभ का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1979-80 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था। 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में 25,000 बच्चों को शामिल करने के लिये वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

ख. दिल्ली नगर निगम (9.00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिये 37.00 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान 4.94 लाख रुपये की रकम खर्च की गयी और मध्य दिवस भोजन परियोजना के अन्तर्गत 78802 बच्चे शामिल किये गये थे। 1979-80 के दौरान 8.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय केवल 1.80 लाख रुपये था। 70,000 लाभग्राहियों को शामिल करने के लिये वार्षिक योजना 1980-81 के लिये 9.00 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका (6.00 लाख रुपये)

पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिये मध्य दिवस भोजन कार्यक्रम हेतु कुल प्रावधान में से 69 लाख रुपये स्वीकृत है तथा नई दिल्ली नगर पालिका के लिये 32 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। 1978-79 के दौरान दोपहर के भोजन पर 7.42 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी थी और 24,500 बच्चे शामिल किये गये थे। वार्षिक योजना 1979-80 के लिये 7.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसके विरुद्ध 6.50 लाख रुपये का व्यय था तथा 25,000 बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया था। वार्षिक योजना 1980-81 में 27,000 बच्चों को शामिल करने के लिये 6.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

पौष्टाहार व्यय

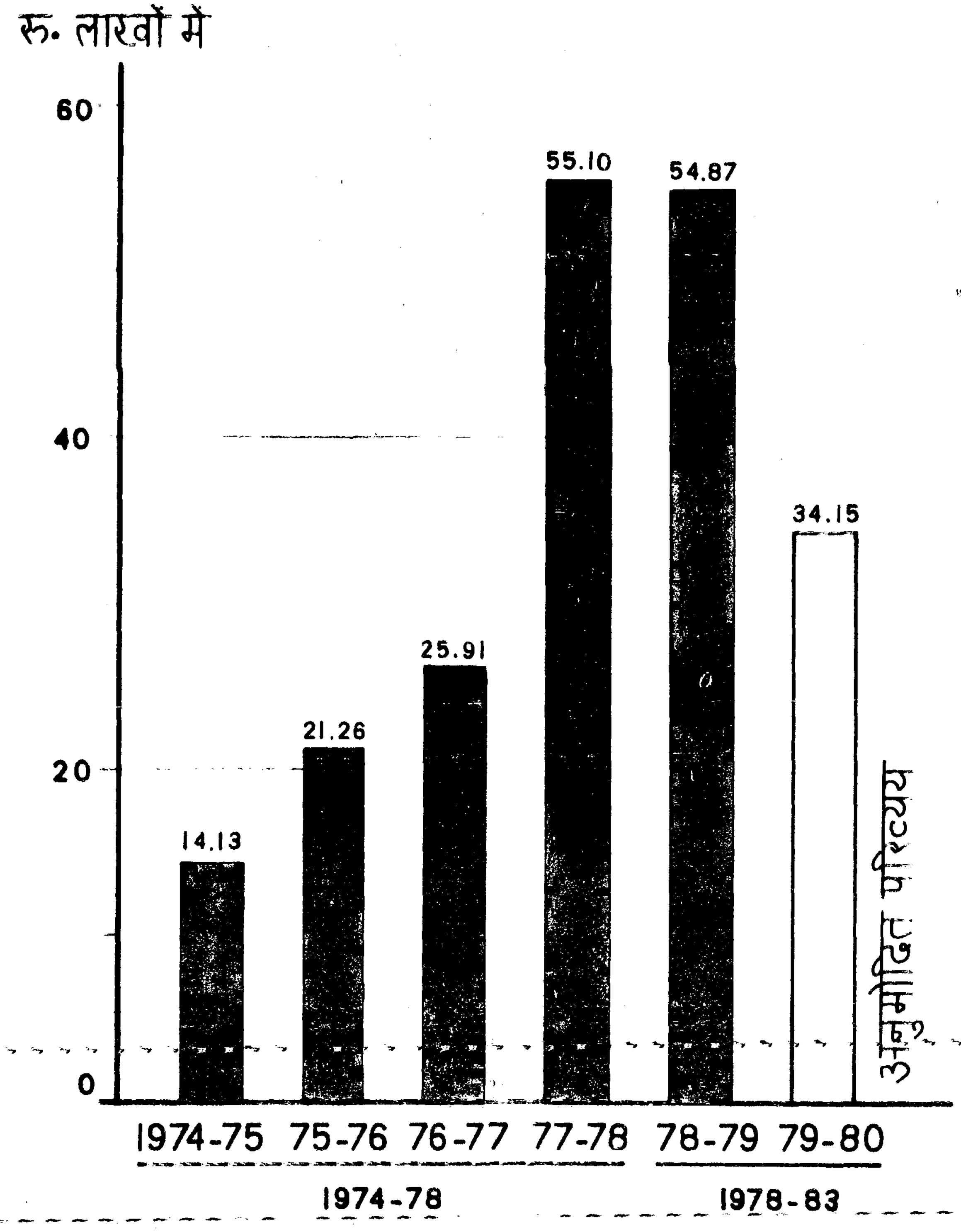
रु. लाखों में
60
40
20
0
14.13
21.26
25.91
55.10
54.87
34.15
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

सचिवालय आर्थिक सेवायें

अन्य राज्यों सहित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को देश में केन्द्रीय प्रजातांत्रिक योजना का 30 वर्षीय अनुभव है । विशिष्ट रूप से निर्धारित किये गये कुछ मूल लक्ष्यों/उद्देश्यों को पाने के लिये व्यावहारिक रूप में अर्थव्यवस्था के विकास पर योजना प्रक्रिया विचार करती है । निर्धारित समय के भीतर लक्ष्यों को पाने के लिये वैज्ञानिक तथा वास्तविक रूप में योजना प्रायोजनाओं को तैयार सूत्रबद्ध, कार्यान्वित, विश्लेषण, अनुश्रवण व मूल्यांकन करने के लिये राष्ट्र के विभिन्न स्तरों पर इन सभी कार्यों के लिये योजना [illegible] की आवश्यकता होती है । संघ राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं का सूत्रीकरण और कार्यान्वयन करने के लिये दिल्ली प्रशासन एक संवैधानिक निकाय के रूप में है, जिससे प्रशासन के सचिवालय मुख्यालय पर योजना मशीनरी की समुचित स्थापना की आवश्यकता है । प्रशासन के मुख्यालय में उपलब्ध योजना मशीनरी की स्थापना को समय-समय पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता पड़ती है । तदनुसार योजना आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को पाने के लिये और वर्तमान ढांचे की रूपरेखा देने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में योजना मशीनरी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकास के इस शीर्ष के अधीन प्रस्तावित परियोजनाओं को शामिल कर लिया है । संघ राज्य क्षेत्र का योजना का आकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बढ़ रहा है जो कि निम्नलिखित संख्याओं में दर्शित है :—

	स्वीकृत परिव्यय (रुपये करोड़ों में)
पहली पंचवर्षीय योजना (1951—56)	6.3
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956—61)	17.0
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961—66)	99.3
वार्षिक योजना (1966—69)	75.3
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969—74)	152.7
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974—79)	316.0
छठी पंचवर्षीय योजना (1978—83)	562.5

इस क्षेत्र के लिए पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिये [illegible]0.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है । परियोजनानुसार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

योजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण (4.50 लाख रुपये)

अच्छी योजना के लिये सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और विभिन्न संबंधित प्रयोगों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसके लिये विभिन्न इकाइयों जैसे मानवशक्ति योजना इकाई, साधन एकत्रीकरण इकाई, अनुश्रवण इकाई और मूल्यांकन कक्ष का सुदृढ़ीकरण आदि को स्थापित करने की आवश्यकता है । इस समय दिल्ली प्रशासन की योजना मशीनरी केवल निम्नलिखित दो इकाइयों में बंटी है :—

1. योजना समन्वय और सूत्रीकरण इकाई ।
2. मूल्यांकन इकाई ।

ये इकाइयां विशेष सचिव (योजना) के मार्गदर्शन और संयुक्त सचिव की देखरेख में कार्य कर रही हैं । अधिक प्रयोगों और योजना प्रक्रिया के पहलुओं को शामिल करने की दृष्टि से योजना मशीनरी के समुचित क्रियान्वयन के लिये यह निर्णय किया गया है कि 1980—81 के दौरान विभाग को सुदृढ़ किया जाये । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों में योजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण करने के लिये भारत सरकार के योजना विभाग द्वारा गठित समितियों की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में योजना मशीनरी की विभिन्न इकाइयों की [illegible] परीक्षण (कार्य) कर रही हैं । यह [illegible] है कि निम्नलिखित [illegible] में प्रस्तावित शक्ति दिल्ली में योजना कार्यान्वयन के सुधार में लम्बा समय लेगा ।

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	अतिरिक्त मांगे गये पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सचिव योजना	2500—2750 रुपये	1
2.	आशुलिपिक	425—700 रुपये	1
3.	चपरासी	196—232 रुपये	1
	योग		3
2.	**योजना सूत्रीकरण और समन्वय**	रुपये	
1.	संयुक्त निदेशक	1500—1800	2
2.	उप निदेशक	1100—1600	1
3.	आशुलिपिक	330—560	2
4.	सांख्यिकीय अधिकारी	650—1200	1
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	330—560	1
6.	मशीन चालक	260—350	1
7.	हैल्पर	196—232	1
8.	पत्रवाहक	196—232	2
9.	चपरासी	196—232	4
	योग		15

1	2	3	4
3.	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	रुपये	
1.	संयुक्त निदेशक (प्रबन्ध नियंत्रण) . .	1500--2000	1
2.	उप निदेशक (नियंत्रण) .	1100--1600	2
3.	उप निदेशक . .	1100--1600	3
4.	सहायक निदेशक . .	700--1300	3
5.	अनुसंधान अधिकारी .	550--900	2
6.	सांख्यिकीय सहायक .	425--700	2
7.	आशुलिपिक . .	330--56	8
8.	अवर श्रेणी लिपिक .	260--40	1
9.	चपरासी . .	196--23	8
	योग . .		30
4.	मानवशक्ति एवं रोजगार कक्ष		
1.	उप निदेशक . .	1100--1600	1
2.	सहायक निदेशक .	700--1300	1
3.	सांख्यिकीय अधिकारी .	650--1200	2
4.	सांख्यिकीय सहायक .	425--700	4
5.	आशुलिपिक . .	330--560	3
6.	अवर श्रेणी लिपिक .	260--400	2
7.	पत्रवाहक/चपरासी .	196--232	4
	योग		17
5.	वित्तीय स्रोत		
1.	उप निदेशक . .	1100--1600	1
2.	सहायक निदेशक . .	700--1300	1
3.	विश्लेषक/अनुसंधान अधिकारी	550--900	2
4.	सांख्यिकीय सहायक .	425--700	4
5.	आशुलिपिक . .	330--560	2
6.	अवर लिपिक . .	260--400	4
7.	चपरासी/पत्रवाहक .	196--232	3
	योग . .		17
	कुल योग . .		82

उपरोक्त अतिरिक्त स्टाफ के व्यय को चलाने के लिये पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिये इस परियोजना के अधीन 23.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। 1979-80 के दौरान 1.14 लाख रुपये का व्यय खर्च किया गया है और 1980-81 के लिये 4.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

2. नई दिल्ली नगर पालिका मुख्यालय में योजना कक्ष का सुदृढ़ीकरण (0.10 लाख रुपए)

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कई योजना परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जो कि पिछले पांच वर्षों में कई गुना बढ़ गयी हैं। समय-समय पर संबंधित सूचना देने के लिये और सही योजना समन्वय के लिये नई दिल्ली नगर पालिका के मुख्यालय में एक लघु योजना कक्ष की स्थापना की गयी थी। फिर भी यह लघु कक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है क्योंकि एक ओर से परियोजनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर से नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा योजना समीक्षा अनुश्रवण आदि के लिये सूचना दी जाती है। अतः यह निर्णय किया गया है कि इस कक्ष को निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ से सुदृढ़ किया जाये।

1. योजना विकास अधिकारी
2. सांख्यिकीय सहायक
3. वरिष्ठ लिपिक
4. कनिष्ठ लिपिक

उपरोक्त अतिरिक्त स्टाफ का खर्च चलाने के लिये 1980-81 में 0.10 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में अनुश्रवण एवं योजना कक्ष की स्थापना (0.20 लाख रुपये)

इस संघ राज्य क्षेत्र की योजना में चिकित्सा, जन स्वास्थ्य आवास आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी एजेंसी और प्राथमिक शिक्षा, जल पूर्ति तथा पावर से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वियन में एकल एजेंसी के रूप में दिल्ली नगर निगम का काफी बड़ा हिस्सा है। निगम के विभिन्न विभाग क्षेत्रों के योजना कार्यान्वियन से संबद्ध हैं। इसके विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना परियोजनाओं के ठीक और सही समन्वय के लिये इसके मुख्यालय पर एक इकाई की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। मुख्यालय पर इकाई की स्थापना करने के लिये विस्तृत प्रस्ताव सूत्रबद्ध किया गया है और परियोजना को जारी करने के लिये 1980-81 में 0.20 लाख रुपये का सांकेतिक परिव्यय स्वीकृत है।

(2) अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

आंकड़ों की उपलब्धता में कमियों को पूरा करने के लिये और संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान सांख्यिकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार करने के लिये विकास के शीर्ष के अन्तर्गत कार्यक्रम का सूत्रबद्ध किया गया आधुनिक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाने से और सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण स्टाफ को अद्यतन ज्ञान देने के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाकर इन उद्देश्यों को पाने का वि

है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिये 41.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। वार्षिक योजना 1978-79 के दौरान 6.64 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध 6.30 लाख रुपये का व्यय, खर्च किया गया था। 1979-80 में 8.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध 0.76 लाख रुपये का व्यय, खर्च किया गया है। व्यय को कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा लिये गये कठोर परिणामों के कारण गृह मंत्रालय के अनुरोध पर दो परियोजनाओं अर्थात् (1) बिक्री कर वार्डों में सांख्यिकीय प्रणाली का ठोस कार्य (1.00 लाख रुपये) और (2) बिक्री कर विभाग में ई० डी० पी० कक्ष (4.00 लाख रुपये) के कार्यान्वयन को स्थगित करना ही कम व्यय का मुख्य कारण था। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के परामर्श से 'सामाजिक सांख्यिकी के सुदृढ़िकरण' की परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। फिर भी अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत पदों का सृजन/भरा जाना, जिनको भारत सरकार ने पहले ही तकनीकी स्वीकृति दे दी है को औपचारिकता आदि को पूरा करने में काफी समय लगेगा और चालू वित्त वर्ष में इन पदों के भरा जाने की सम्भावना है।

वार्षिक योजना 1980-81

विकास ने इस शीर्ष के अधीन 1980-83 की वार्षिक योजना के लिये 6.60 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। केवल सभी तकनीकी किस्म से स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बद्ध में 1980-81 की सिर्फ वार्षिक योजना के लिये प्रावधान बनाये गये हैं।

1. यूनिट रिकार्ड प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (0.80 लाख रुपये)

बहुत कम समय के नोटिस पर विभिन्न प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिये और सीमित समय के भीतर विभिन्न विषयों की सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से अर्थ एवं संख्या कार्यालय में 'यूनिट रिकार्ड प्रणाली' की स्थापना की गयी थी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बड़े हुये नमूना आकारों और आर्थिक जनगणना, 1977 के अनुवर्ती सर्वेक्षणों का संचालन करने के कारण यूनिट का कार्यभार बढ़ गया है। इसके अलावा कम समय में कार्य निपटाने, कार्यक्षमता सुधारने और उत्तम राजस्व संग्रह के लिये कुछ बड़े राजस्व इकत्रीकरण विभाग कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं। जब तक इस प्रणाली की स्थापना होती है इन विभागों को विश्लेषण पद्धति मशीन चयन, अन्य लोहे का समास व कच्चे लोहे आदि की काफी सहायता की आवश्यकता है। वर्ष 1980-81 के दौरान सहायक कार्यक्रम का एक पद और की पंच आपरेटर के पांच पद सृजित करने का प्रस्ताव है ताकि बढ़े हुये कार्य को शीघ्र निपटाने के लिये यूनिट रिकार्ड प्रणाली दो पारियों में कार्य कर सके। स्टाफ व्यय और माल की खरीद के लिये, 1980-81 हेतु 0.80 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

2. दिल्ली प्रशासन में सांख्यिकीय और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण (0.80 लाख रुपये)

सांख्यिकी के क्षेत्र में नये विकास और तकनीकी आरम्भ करने के साथ यह आवश्यक है कि प्रशासन में लगे हुये सांख्यिकीय स्टाफ को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा समुचित रूप से पुनस्थापित किया जाये। यह परियोजना पहले ही वर्ष 1976-77 से कार्यान्वित हो रही है। आमंत्रित प्राध्यापक, प्रयोगशाला के लिये उपकरण और पुस्तकालय सुविधाओं की अदायगी के लिये मानदेय के आधार पर प्रावधान किया गया है। अब तक आरम्भ किया गया कार्यक्रम वर्ष 1980-81 में भी लागू रहेगा। तदनुसार 0.80 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

3. अर्थ एवं संख्या कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (1.00 लाख रुपया)

अर्थ एवं संख्या कार्यालय में बढ़ते हुये कार्य और तत्पश्चात् स्वीकृत स्टाफ संख्या में वृद्धि को देखते हुये। 1979-80 के दौरान निदेशक के पद का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना के अधीन 1979-80 के दौरान अवर श्रेणी लिपिक, ग्रेस्टेटनर आपरेटर और पुस्तकालय परिचारक के तीन पदों का भी सृजन किया गया है।

1980-81 के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित नये कार्यों को लिया है :—

1. पिछड़ी जातियों का सामाजिक शैक्षिक सर्वेक्षण।
2. आवास सूची बनाना और आर्थिक जनगणना।

ब्यूरो का स्टाफ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तालिकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिये रामकृष्णनपुरम में संगम, भवन के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और आर्थिक जनगणना के लिये केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन में अक्सर जाता रहता है। कुशल एवं समुचित पर्यवेक्षण के लिये 0.60 लाख रुपये की लागत से एक जीप (4 पहियें वाली) (माडल डी जे/500 डी) को खरीदने का प्रस्ताव किया है।

इस परियोजना के अधीन स्टाफ के खर्च और वाहन की खरीद के लिये 1980-81 में 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

4. बिक्री कर वार्डों में ठोस कार्य सांख्यिकीय प्रणाली (1.00 लाख रुपये)

मूलत: प्रत्येक वार्ड में रखे गये विभिन्न रजिस्टरों से अद्यतन और ठीक समय पर बिक्री का आंकड़ों का संकलन और संग्रहण करने के लिये बिक्री कर के प्रत्येक 50 वार्डों में एक-एक सांख्यकीय सहायक के पद को सृजित करने का प्रस्ताव किया था। फिर भी बिक्री कर विभाग में स्थापित करने के लिये प्रस्तावित ई० डी० पी० कक्ष को आवश्यक आंकड़े संग्रह करने के मुख्य कार्य सहित मुख्यालय में केन्द्रीय

सांख्यिकीय संगठन ने सांख्यिकीय सहायकों के केवल 10 पद स्वीकृत किये हैं ।

गृह मंत्रालय ने वर्ष 1980-81 के लिये इस परियोजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने की इच्छा प्रकट की है और इस प्रकार 1979-80 के दौरान कोई व्यय न किया जा सका। फिर भी इस परियोजना का कार्यान्वियन 1980-81 के आरम्भ से ही लिया जाना है जिस... 1.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है ।

5. बिक्री कर विभाग में ई डी पी कक्ष की स्थापना (3.00 लाख रुपये)

अधिकांश रजिस्टरों व प्रपत्रों में रिकार्ड रखने की समस्या को ध्यान में रखते हुये स्टाफ निरीक्षक इकाई ने बिक्री कर सांख्यकी का कम्प्यूटरीकरण करने की स्वीकृति दी थी और की पंच आपरेटरों के 12 पद स्वीकृत किये थे। केन्द्रीय सरकार सांख्यिकीय संगठन ने निम्नलिखित स्टाफ की स्वीकृति दी है जब कि इस परियोजना की दृष्टि से तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गैर योजना में कक्ष में की पंच आपरेटर के 12 पद पहले ही विद्यमान हैं।

1. आयोजक ।	1
2. सहायक आयोजक ।	1
3. पंच पर्यवेक्षक ।	2
4. आशुटंकक ।	1
5. मशीन परिचालक ।	1

यद्यपि वार्षिक योजना 1979-80 के लिये इस परियोजना के अन्तर्गत 4.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत था लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कठिन वित्तीय स्थिति की वजह से 1980-81 के लिये इस परियोजना के कार्यान्वियन को स्थगित करने के गृह मंत्रालय के ध्येय की दृष्टि से इस पर कोई व्यय नहीं किया जा सका। उपरीलिखित पदों के लिये आवश्यक कार्यवाही करने और भरने के लिये तथा उपकरणों व सम्बंधित वस्तुओं की खरीद इस वार्षिक योजना के आरम्भ से शुरु की गयी है। 1980-81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत स्टाफ के खर्च व उपकरण आदि की खरीद के लिये 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

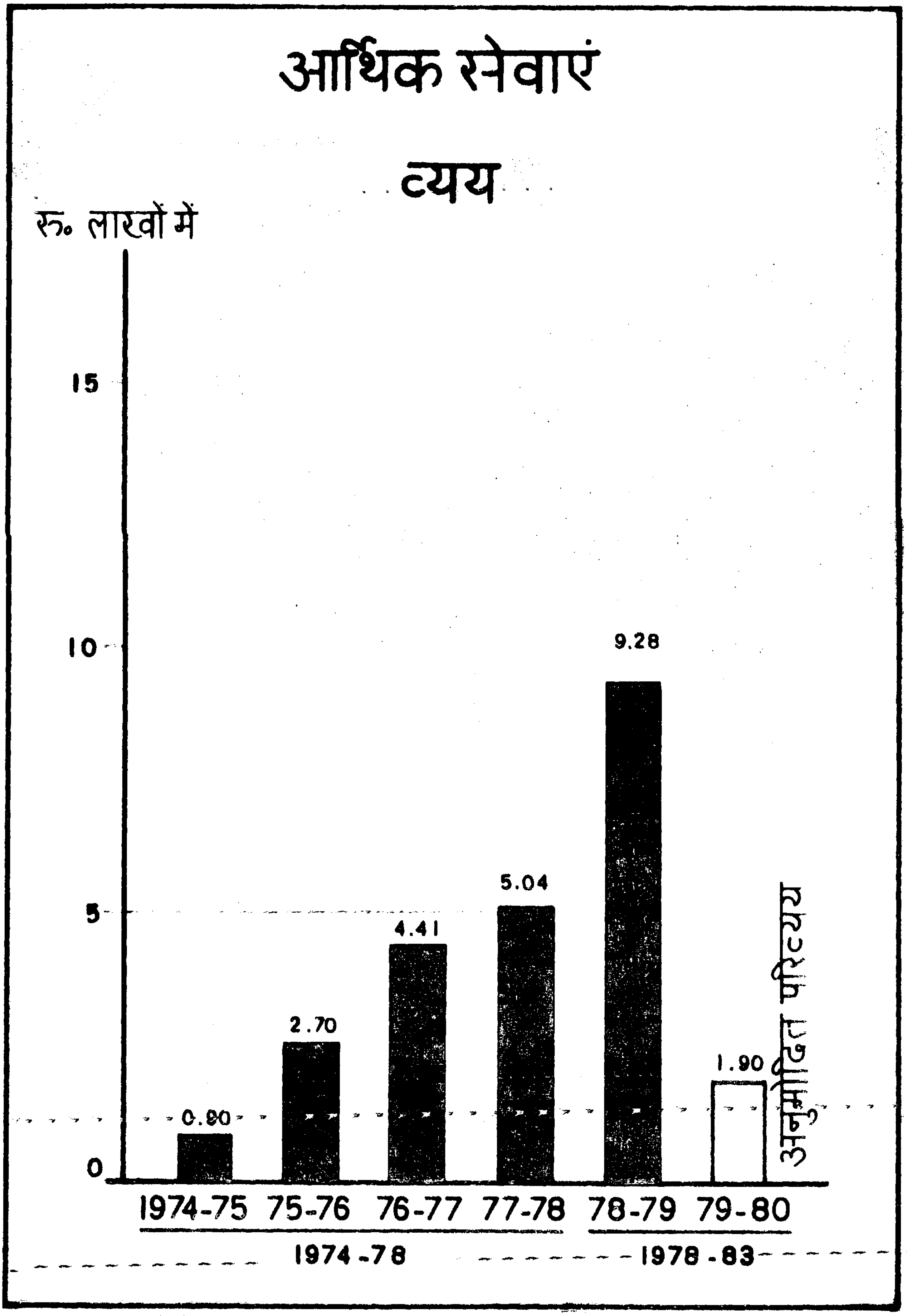

आर्थिक सेवाएं
व्यय
रु० लाखों में
15
10
5
0
0.90
2.70
4.41
5.04
9.28
1.90
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

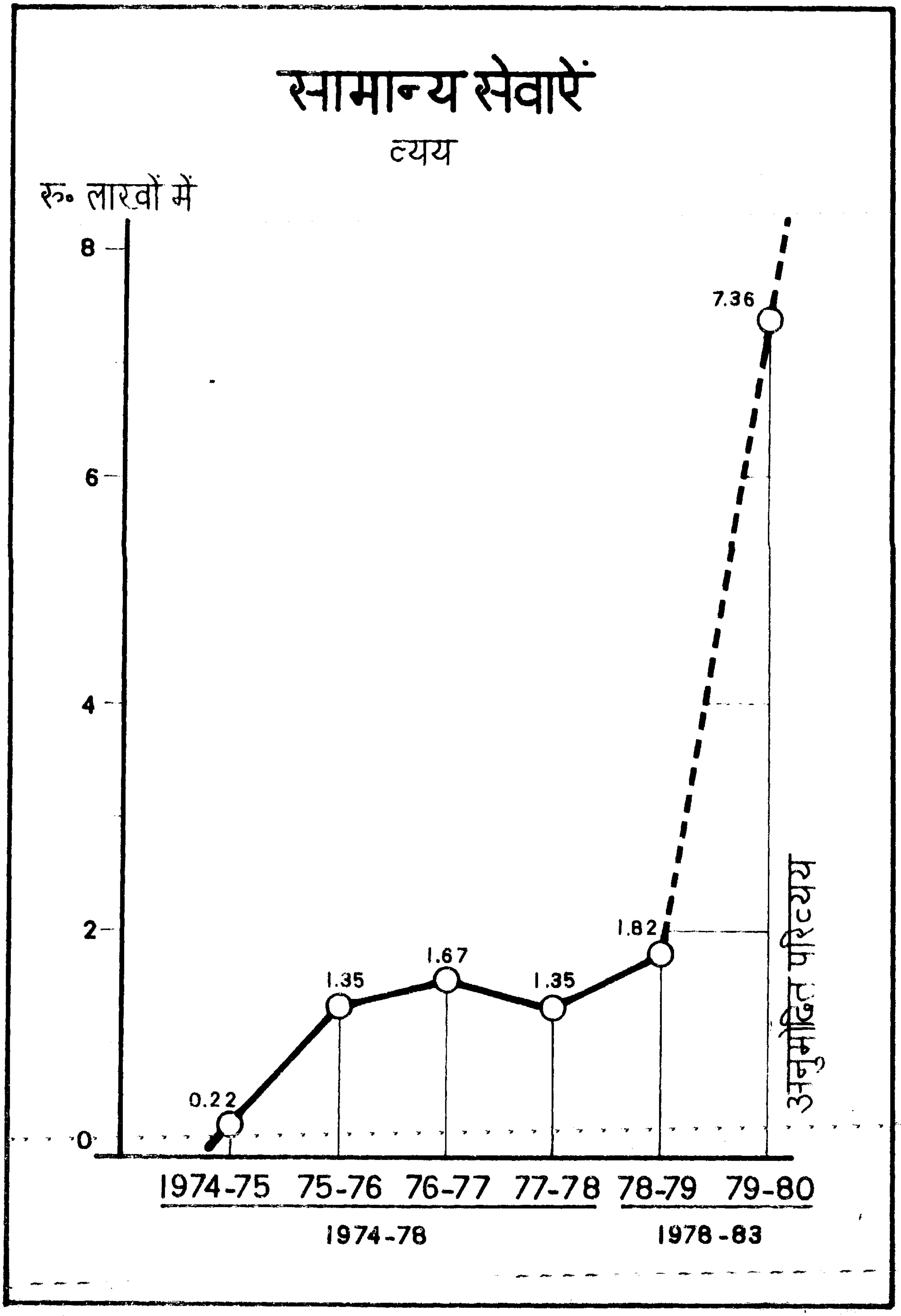
सामान्य सेवाऐं
व्यय
रु० लाखों में
8
6
4
2
0
0.22
1.35
1.67
1.35
1.82
7.36
अनुमोदित परिव्यय
1974-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
1974-78
1978-83

सामान्य सेवायें

1. स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम (15.00 लाख रुपये)

दिल्ली अंडमान निकोबार भारतीय सिविल सेवा के नये अधिकारियों और सेवा प्रशिक्षण में विभिन्न वर्ग के अधिकारियों को तथा विभिन्न किस्म के पदों व जिम्मेदारियों पर तैनात इस प्रशासन के विभिन्न विभागों के स्टाफ सदस्यों को मौलिक प्रशिक्षण देना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली अंडमान निकोबार भारतीय सिविल सेवा के नये अधिकारियों और आमंत्रित प्रवक्ताओं के लिये हास्टल सुविधा उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने के लिये भवन के निर्माण और प्रशिक्षण निदेशालय के सुदृढ़ीकरण हेतु पंचवर्षीय योजना, 1978-83 में 30.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

वार्षिक योजना 1978–79 और 1979-80
वार्षिक योजना 1980–81

1978–79 के दौरान 1.82 लाख रुपये का व्यय, खर्च किया गया था। वार्षिक योजना 1979-80 के लिये 6.00 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध 7.36 लाख रुपये का व्यय, खर्च किया गया है। प्रशिक्षण निदेशालय भवन के निर्माण के लिये भूमि की खरीद हेतु अदायगी करने का कारण ही अधिक व्यय है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली विकास प्राधिकरण के शैक्षिणिक क्षेत्र में 6.00 लाख रुपये की लागत से 2 एकड़ का भूखंड खरीदा गया है। प्रशिक्षण निदेशालय कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक का एक पद, उप निदेशक दो, सहायक निदेशक दो, प्रवक्ता दो, एस० ए० एस० लेखापाल एक, आशुलिपिक तीन, सहायक एक, अवर श्रेणी लिपिक दो और आठ अन्य पदों का सृजन किया गया है, जो कि 1979–80 के दौरान भरे गये हैं। सेवा प्रशिक्षण के विभिन्न किस्म के पाठ्यक्रमों में विभिन्न वर्ग के 2015 अधिकारियों को 1979–80 के दौरान प्रशिक्षित किया गया।

1980–81 के लिये 15.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें निर्माण के लिये 10.00 लाख रुपये की राशि, 1979–80 के वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त स्टाफ के खर्च के लिये राजस्व खाते में 5.00 लाख रुपये की राशि आमंत्रित प्रवक्ताओं के लिये मानदेय अदायगी, किराया खर्च, भवन के निर्माण होने तक गुलाबी बाग में दिल्ली अंडमान निकोबार भारतीय सिविल सेवा के नये अधिकाकारियों के लिये हास्टल स्थापन और मिनी बस की खरीद का व्यय शामिल है। 1980–81 के लिये सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य 3000 पर निर्धारित किया है। विद्यमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा, निम्नलिखित नये पाठ्यक्रमों को अपनाने का प्रस्ताव किया है :–

(क) एस० ए० एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) ग्रेड-4 अधीनस्थ सेवा में नये प्रवेशकों के लिये प्रशिक्षण।

(ग) पदोन्नतियों के लिये कैप्सुल पाठ्यक्रम।

(घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(ङ) मध्यम दर्जे के अधिकारियों के लिये प्रबंध विकास कार्यक्रम।

(च) उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिये प्रबंध विकास कार्यक्रम।

वार्षिक योजना 1980-81 एजेंसी के अनुसार/शीर्ष के अनुसार परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(रु० लाखों में)

एजेंसी का नाम/विकास का शीर्ष	पंचवर्षीय योजना (1978--83) परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) कृषि व सम्बद्ध सेवाएं								
1 कृषि								
दिल्ली प्रशासन . .	416.21	20.39	80.83	41.29	53.07	39.64	1.43	12.00
दिल्ली नगर निगम . .	6.97	3.05	--	--	--	--	--	--
नई दिल्ली नगर पालिका .	32.12	4.83	5.00	--	5.00	--	--	5.00
कुल . . .	**455.30**	**28 27**	**85.83**	**41.29**	**58.07**	**39 64**	**1 43**	**17.00**
2. लघु सिंचाई . .	270.10	32.22	49.00	40.60	43.50	12.53	30.97	--
3. भू संरक्षण . . .	164.74	7.52	34.13	6.73	20.00	20.00	--	--
4. पशु विकास								
दिल्ली प्रशासन . .	250.05	23.51	56.39	27.42	49.99	25.99	24.00	--
दिल्ली नगर निगम . .	20.00	5.00	5.00	3.71	5.00	3.75	--	1.25
कुल . . .	**270.05**	**28.51**	**61.39**	**31.13**	**54.99**	**29.74**	**24.00**	**1.25**
5. डयरी विकास								
दिल्ली नगर निगम . .	350.00	--	90.00	--	10.00	--	--	10.00
दिल्ली विकास प्राधिकरण .	--	--	--	90.00	125.00	--	--	125.00
कुल . . .	**350.00**	--	**90 00**	**90.00**	**135.00**	--	--	**135.00**
6. खाद्य . . .	1.00	--	1.00	--	1.00	--	1.00	--
7. कृषि-वित्तीय संस्थानों में निवेश .	10.00	--	1.00	--	--	--	--	--
8. मत्स्य पालन . .	50.34	6.76	16.65	11.84	9.22	1.65	7.57	--
9. सामुदायिक विकास व पंचायत .	90.00	3.50	15.00	2.50	14.00	3.20	8.30	2.50
10. आइ०आर०डी/एस०एफ०डी-ए/आई-ई० पी० . .	--	--	--	6.87	--	--	--	--
कुल (कृषि व सम्बद्ध सेवाएं) .	**1661.53**	**106.78**	**354.00**	**230.96**	**335.78**	**106.76**	**73.27**	**155.75**
(2) सहकारिता .	236.80	30.29	48.66	39.89	50.00	26.85	21.90	1.25
(3) (1) लघु सिंचाई . .	7.00	--	1.00	--	4.00	--	4.00	--
(2) बाढ़ नियंत्रण . .	3562.31	381.84	1057.75	786.41	947.60	96.57	851.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(3) विद्युत शक्ति								
1. दिल्ली नगर निगम दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	11365.00	2375.10	1965.00	2880.44	2071.00	--	--	2071.00
2. नई दिल्ली नगर पालिका	1135.00	140.00	210.00	210.00	230.00	--	--	230.00
कुल (विद्युत शक्ति)	**12500.00**	**2515.10**	**2175.00**	**3090.44**	**2301.00**	--	--	**2301.00**
(4) उद्योग	2500.00	463.18	500.00	280.96†	510.00	104.00	326.00	80.00
(5) परिवहन व संचार								
1. सड़कें व पुल								
1. दिल्ली प्रशासन का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	10.00	--	5.00	2.51	5.00	--	5.00	--
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा अन्य	1637.00	190.89	300.00	311.65	295.00	25.00	270.00	--
उप जोड़ (1)	**1647.00**	**190.89**	**305.00**	**314.16**	**300.00**	**25.00**	**275.00**	—
1. दिल्ली नगर निगम	2103.00×	475.00**	300.00	252.54	500.00	500.00	—	—
2. नई दिल्ली नगर पालिका	950.00	219.71	275.00	140.99	200.00	200.00	—	—
3. उप जोड़ (सड़कें व पुल)	**4700.00**	**885.60**	**880.00**	**707.69**	**1000.00**	**725.00**	**275.00**	—
(2) सड़क परिवहन	25.50	0.71	6.50	0.32	7.75	2.00	5.70	—
3) पर्यटन								
1. डी०टी०डी०सी०	130.00	—	44.00	42.50	23.00	0.25	20.00	2.75
2. दिल्ली नगर निगम	5.00	—	1.00	—	1.00	—	—	1.00
3. नई दिल्ली नगर पालिका	15.00	—	5.00	—	1.00	—	—	1.00
उप जोड़ (III)	150.00	—	50.00	42.50	25.00	0.25	20.00	4.75
कुल (परिवहन व संचार)	**4875.50**	**886.31**	**936.50**	**750.51**	**1032.70**	**727.25**	**300.70**	**4.75**

†इसमें फ्लेटेड फैक्ट्रियों के लिए डी० डी० ए० को दिये गये 200 लाख रुपये शामिल नहीं हैं।
*डी० टी० डी० सी० को दिए गए 25 लाख रु० 1979-80 के शामिल हैं।

4) सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं

1. सामान्य शिक्षा

(1) दिल्ली प्रशासन का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	593.63	61.81	68.00	31.21	132.00	107.00	25.00	—
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा अन्य	3200.00	790.37	427.00	398.64	690.50	271.50	419.00	—
उप जोड़ (1)	**3793.63**	**852.18**	**485.00**	**429.85**	**822.50**	**378.50**	**444.00**	—
2. दि.न.नि. न्यूनतम आ० कार्यक्रम	**1250.00**	**513.65**	**225.00**	**199.11**	**325.00**	**325.00**	—	—
3. न. दि. न. पा. न्यू० आ० कार्यक्रम	293.00	53.10	31.50	44.34	44.00	44.00	—	—
न्यू० आ० कार्य० के अलावा अन्य	13.00	1.52	0.50	—	8.00	8.00	—	—
उप जोड़ (3)	**306.00**	**54.62**	**32.00**	**44.34**	**52.00**	**52.00**	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल (सामान्य, शिक्षा) .	5350.00	1420.45	752.00	673.30	1199.50	755.50	444.50	
(6) 2. कला व संस्कृति . .	116.00	8.80	20.00	8.45	25.00	15.00	10.00	
(6) 3. **तकनीकी शिक्षा**								
(1) तकनीकी शिक्षा निदेशालय .	350.00	64.21	50.00	51.80	50.00	19.50	30.50	
(2) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज .	110.00	21.86	20.00	12.61	21.00	15.42	5.58	
(3) कालेज आफ आर्ट . .	40.00	2.66	10.00	7.17	30.00	5.77	24.23	
जोड़ (तकनीकी शिक्षा) .	**500.00**	**88.73**	**80.00**	**71.58**	**101.00**	**40 69**	**60.31**	

*आंकड़े उपलब्ध की गई राशि से सम्बन्धित हैं।

×पंचवर्षीय योजना 1978--83 व वार्षिक योजना 1979-80 की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमश: रु० 113.00 लाख और रु० 30.00 लाख हैं।

**दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की देहाती सड़कों के उपयोग के लिए प्रस्तावित रु० 98.80 लाख की राशि शामिल है (अर्थात् न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(6) 4. **चिकित्सा**								
(1) **दिल्ली प्रशासन**								
1. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय .	2425.42	147.28	247.85	90.12	409.50	43.70	365.80	
2. चिकित्सा विभाग—तिब्बिया कालेज, हमदर्द, तिब्बी व कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम को सुदृढ़ करना .	165.00	7.09	37.00	2.00	36.25	36.25	—	
3. पुलिस विभाग (सड़क दुर्घटनाओं के लिए एम्बुलेंस) . .	10.00	5.13	—	—	—	—	—	
4. एच० एम० डी० शाहदरा .	136.27	18.17	43.48	42.32	32.75	1.25	31.30	
5. मौलाना आजाद मैडिकल कालेज	340.00	82.12	100.00	33.83	99.15	49.08	50.07	
6. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	130.00	59.85	40.00	62.93	65.00	38.00	27.00	
7. गो० ब० पन्त अस्पताल .	300.00	88.73	90.00	69.95	50.85	30.10	20.75	
उपजोड़ (दिल्ली प्रशासन) .	**3506.69**	**408 37**	**558 33**	**305 05**	**693.50**	**198 38**	**495 12**	
(2) दिल्ली नगर निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम . .	54.00	—	12.50	4.21	18.30	18.30	—	
न्यू० आ० का० के अलावा अन्य	699.20	140.60	122.50	78.37	124.20	124.20	—	
(3) नई दिल्ली नगर-पालिका .	50.60	16.45	6.50	0.54	8.00	8.00	—	
जोड़ (चिकित्सा) . .	**4310.49**	**565.42**	**699.83**	**388.17**	**844.00**	**348.88**	**495 12**	
6. **जन-स्वास्थ्य व सफाई**								
(1) दिल्ली प्रशासन . .	89.50	13.41	22.80	0.65	31.00	11.00	20.00	
(2) दिल्ली नगर निगम .	614.90	144.86	133.50	156.28	214.00	214.00	—	
(3) नई दिल्ली नगर पालिका .	38.97	5.92	12.96	0.49	11.00	11.00	—	
कुल (जनस्वास्थ्य व सफाई) .	**743.37**	**164.19**	**169.26**	**157.42**	**256.00**	**236.00**	**20.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. (6) **जलपूर्ति व नालियों की व्यवस्था**								
1. दिल्ली नगर निगम-जलपूर्ति व एस० डी० यू० न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	700.00	8.88	200.00	121.10	200.00	200.00	—	—
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा अन्य	7000.00	1161.12	1550.00	1239.75	1751.00	60.00	—	1691.00
उप जोड़ . . .	**7700.00**	**1170.00**	**1750.00**	**1360.85**	**1951.00**	**260.00**	—	**1691.00**
2. नई दिल्ली नगरपालिका .	400.00	41.77	100.00	44.55	130.00	15.00	—	115.00
जोड़ . . .	**8100.00**	**2211.77**	**1850.00**	**1405.40**	**2081.00**	**275.00**	—	**1806.00**
6. (7) **आवास (पुलिस आवास सहित)**								
1. दिल्ली प्रशासन—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम . .	65.00	27.41	13.00	0.73	15.00	5.00	—	10.00
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा अन्य . .	3894.00	613.68	743.00	599.72	1055.00	0.70	723.30	331.00
2. दिल्ली नगर निगम . .	401.00	7.60	80.00	25.52	90.00	25.00	—	65.00
3. नई दिल्ली नगर पालिका .	128.00	18.09	36.00	2.63	5.00	—	—	5.00
4. दिल्ली विकास प्राधिकरण .	128.00	136.56	28.00	—	70.00	—	—	70.00
जोड़ (आवास) . .	**4616.00**	**870.34**	**900.00**	**628.60**	**1235.00**	**30.70**	**723.30**	**481.00**
6. (8) **शहरी विकास**								
1. दिल्ली नगर निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम . .	450.00	42.68	100.00	54.30	—	—	—	—
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा अन्य . .	3503.00	70.00	532.00	—	—	—	—	1.00
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण .	1355.00	196.97	258.00	109.76	787.00	242.00	150.00	395.00
3. नई दिल्ली नगरपालिका .	35.00	1.16	10.00	2.55	10.00	10.00	—	—
4. दिल्ली प्रशासन . .	—	1.75	—	—	—	—	—	—
जोड़ . . .	**5343.00**	**312.56**	**930.00**	**166.61**	**798.00**	**252.00**	**150.00**	**396.00**
6. (9) **सूचना व प्रसारण**								
1. दिल्ली प्रशासन . .	115.00	15.38	24.00	14.16	24.00	24.00	—	—
2. दिल्ली नगर निगम . .	5.00	—	1.00	—	1.00	1.00	—	—
जोड़ . . .	120.00	15.38	25.00	14.16	25.00	25.00	—	—
6. (10) **श्रम व श्रम कल्याण**								
1. शिल्प कला प्रशिक्षण . .	221.67	45.77	60.00	19.46	32.25	14.20	18.05	—
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण . .	38.33	19.92	10.00	0.02	8.55	0.55	8.00	—
3. रोजगार सेवाएं . .	90.00	9.88	15.00	0.64	12.81	1.81	11.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. श्रम कल्याण . .	100.00	4.50	16.00	8.93	12.41	7.04	5.37	--
जोड़ . . .	450.00	81.07	101.00	29.05	66.02	23.60	42.42	--
6. (11) अनुसूचित जातियों, जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण .	450.00	96.10	90.00	49.33	90.00	80.50	9.00	0.50
6. (12) समाज कल्याण . .	375.00	66.71	65.00	32.02	55.00	18.70	36.30	--
6. (13) पौष्टिक आहार								
1. दिल्ली प्रशासन दोपहर का भोजन	200.00	43.51	40.00	25.85	36.00	36.00	--	--
2. नई दिल्ली नगर पालिका .	32.00	7.42	7.00	6.50	6.00	6.00	--	--
3. दिल्ली नगर निगम . .	37.00	4.94	8.00	1.80	9.00	9.00	--	--
जोड़ . . .	269.00	55.87	55.00	34.15	55.00	55.00	--	--
7. सचिवालय आर्थिक सेवाएं								
1. दिल्ली प्रशासन . .	23.00	2.50	4.50	1.14	4.50	4.50	--	--
2. नई दिल्ली नगर-पालिका .	2.00	0.48	0.50	--	0.10	0.10	--	--
3. दिल्ली नगर निगम . .	5.00	--	1.00	--	0.20	0.20	--	--
कुल जोड़ . . .	30.00	2.98	6.00	1.14	4.80	4.80	--	--
(2) अन्य आर्थिक सेवाएं	41.00	6.30	8.00	0.76	6.60	6.60	--	--
8. सामान्य सेवायें . .	30.00	1.82	6.00	7.36	15.00	5.00	10.00	--
कुल जोड़ . . .	56250.00	9350.08	10800.00	8846.67	12038.00	3234.40	3577.35	5226.2

वार्षिक योजना 1980–81

दिल्ली के 1980–81 के अनुमोदित परिव्यय का एजेंसी के अनुसार विभाजन

रु० लाखों में

क्रम संख्या	सैक्टर का नाम	दिल्ली प्रशासन				दिल्ली नगर निगम			नई दिल्ली नगर पालिका			दिल्ली विकास प्राधिकरण			
		जोड़	राजस्व	पूंजी	ऋण	जोड़	राजस्व	ऋण	जोड़	राजस्व	ऋण	जोड़	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कृषि व संबद्ध सेवाएं	190.78	103.01	73.27	14.50	15.00	3.75	11.25	5.00	—	5.00	125.00	—	—	125.00
2	लघु सिंचाई .	4.00	—	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	सहकारिता .	50.00	26.85	21.90	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	बाढ़ नियंत्रण .	947.60	96.57	851.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	उद्योग .	510.00	104.00	326.00	80.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	विद्युत शक्ति .	—	—	—	—	2071.00	—	2071.00	230.00	—	230.00	—	—	—	—
7	परिवहन व संचार .	330.70	27.25	300.70	2.75	501.00	500.00	1.00	201.00	200.00	1.00	—	—	—	—
8	सामान्य शिक्षा .	822.50	378.50	444.00	—	325.00	325.00	—	52.00	52.00	—	—	—	—	—
9	कला व संस्कृति .	25.00	15.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	तकनीकी शिक्षा .	101.00	40.69	60.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	चिकित्सा .	693.50	198.38	495.12	—	142.50	142.50	—	8.00	8.00	—	—	—	—	—
12	जनस्वास्थ्य व सफाई	31.00	11.00	20.00	—	214.00	214.00	—	11.00	11.00	—	—	—	—	—
13	जलपूर्ति व मल निकासी	—	—	—	—	1951.00	260.00	1691.00	130.00	15.00	115.00	—	—	—	—
14	आवास (पुलिस, आवास सहित) .	1070.00	5.70	723.30	341.00	40.00	—	40.00	5.00	—	5.00	120.00	25.00	—	95.00
15	शहरी विकास .	—	—	—	—	1.00	—	1.00	10.00	10.00	—	767.00	242.00	150.00	395.00
16	सूचना व प्रसार .	24.00	24.00	—	—	1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
17	श्रम व श्रम कल्याण	66.02	23.60	42.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	पिछड़े वर्गों का कल्याण	90.00	80.50	9.00	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	समाज कल्याण .	55.00	18.70	36.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	पौष्टिक आहार .	40.00	40.00	—	—	9.00	9.00	—	6.00	6.00	—	—	—	—	—
21	आर्थिक सेवाएं .	11.10	11.10	—	—	0.20	0.20	—	0.10	0.10	—	—	—	—	—
22	कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम . .	15.00	5.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़ .	5977.20	1209.85	3427.35	440.00	5270.70	1455.45	3815.25	658.10	302.10	356.00	1032.00	267.00	150.00	615.00

वार्षिक योजना 1980-81

स्कीम के अनुसार परिव्यय और व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

विवरण जी एन-2

(रुपये लाखों में)

स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय (1978-83) परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित जोड़	परिव्यय 1980-81 राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि व सम्बद्ध सेवाएं								
क--कृषि								
--निदेशन व प्रशासन								
1. उर्वरक सम्बन्धी समायोजित प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी ।								
2. मुख्यालय के कर्मचारी व वर्कशाप की स्थापना .	3.59	3.28	..	..	..	..	..	..
3. कृषि विस्तार प्रशासन में वृद्धि .	21.41	..	5.00	2.92	3.76	3.76	..	..
उप जोड़ (I) . .	25.00	3.28	5.00	2.92	3.76	3.76	..	..
I--बीजों की पुर्नवृद्धि व वितरण								
1. बीज पुर्नवृद्धि फार्म का सुधार	6.83	1.86	0.20	2.66	1.57	1.57	..	..
2. नया बीज फार्म स्थापित करना	30.00	..	15.00	..	0.43	..	0.43	..
उप जोड़ (II) .	36.83	1.86	15.20	2.66	2.00	1.57	0.43	..
II--खाद व उर्वरक								
अर्द्ध मशीनीकृत कम्पोस्ट बनाने के संयत्र की स्थापना								
1 दिल्ली नगर निगम .	6.97	3.05	..	..	..	..	..	..
2 नई दिल्ली नगर पालिका .	32.12	4.83	5.00	..	5.00	..	..	5.00
3--उप जोड़ (III)	39.09	7.88	5.00	..	5.00	..	..	5.00
V--पोध संरक्षण								
1 वर्तमान पोध संरक्षण योजना को अधिक सक्षम बनाना .	23.00	2.17	5.40	3.73	3.32	3.32	..	..
2 रोगों की निगरानी	2.00	..	0.56					
3 महामारी क्षेत्र स्कीम .	5.00	..	1.04	..	..	..	..	..
उपजोड़ (IV) . .	30.00	2.17	7.00	3.73	3.32	3.32	..	..
V--विस्तार व कृषक प्रशिक्षण								
उर्वरक सम्बन्धी समायोजित प्रदर्शन .	5.00	0.97	1.00	0.71	1.00	1.00	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
vi. इंजीनियरी								
1 परम्परागत खेती व फसल संबंधी वर्कशाप की स्थापना	19.00	1.93	2.00	1.65	2.34	2.34	-	-
2 कृषि औजारों के लिये आधार भूत ढांचे को सक्षम बनाना . .	10.00	-	2.00					
उप जोड़ (6)	29.00	1.93	4.00	1.65	2.34	2.34	-	-
vii. कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी								
1 योजना व सांख्यिकी कक्ष की स्थापना .	3.00	-	1.00	-	0.83	0.83	-	-
viii. कृषि विपणन व गुण नियंत्रण								
1 बाजार तथा बाजार व्यवहार का नियमन	69.24	6.34	23.60	23.47	13.69	1.69	-	12.0[illegible]
2 कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण की उन्नति	11.06	0.60	3.01	0.46	0.50	0.50	-	-
3 कृषि विपणन कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.50	-	0.10	-	-	-	-	-
4 बाजार सूचना में सुधार की समेकित स्कीम . . .	3.00	0.08	0.83	0.08	0.03	0.03	-	-
5 उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण .	2.10	-	0.54	-	0.08	0.08	-	-
6 कृषि विपणन में शोध कार्य के लिये फैलोशिप	0.10	-	0.05	-	-	-	-	-
उप जोड़ (8)	86.00	7.02	28.13	24.01	14.30	2.30	-	12.00
ix. बागवानी								
1 बगीचों का विकास . .	0.30	0.05	0.05	0.05				
2 सब्जी विकास . . .	57.97	2.93	9.95	4.12	23.52	23.52	-	-
3 फलों व सब्जियों का परिरक्षण .	3.47	0.18	2.00	1.25				
4 बागवानी व सब्जियों के विकास का समेकित कार्यक्रम.	10.00	-	2.00	-	-	-	-	-
5 फास्फेट व पोटास उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता. . . .	51.00	-	4.00	-	-	-	-	-
6 भूपरिक्षण प्रयोगशाला को सक्षम बनाना	6.00	-	1.50	0.19	1.00	1.00	-	-
उप जोड़ (9)	128.74	3.16	19.50	5.61	24.52	24.52	-	-
X. अन्य व्यय								
विस्तार कर्मचारियों के लिए कार्यालय और आवास की जगह . .	72.64	-	-	-	1.00	-	1.00	
जोड़ (कृषि) .	455.30	28.27	85.83	41.29	58.07	39.64	1.43	17.0[illegible]
ख लघु सिंचाई								
I भूमिगत जल स्रोत की खोज व विकास								
1 भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग .	13.73	5.79	0.30	0.27	-	-	-	
2 नए बांधों का निर्माण और पुराने बांधों का पुनर्निर्माण . . .	9.51	1.30	5.00	10.30	1.12	-	1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उप जोड़ (I) . . .	23.24	7.09	5.30	10.57	1.12	–	1.12	
ii नलकूप								
1.25 गहरे नलकूपों का निर्माण	5.94	2.05	1.00	3.81	1.30	–	1.30	–
2 वर्तमान सरकारी नलकूपों की सिंचाई सुविधाओं में सुधार . .	15.45	–	6.00	1.03	5.60	–	5.60	–
24 अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण व उपयोग . .	48.30	1.62	4.00	3.97	5.00	–	5.00	–
वर्तमान नलकूपों, फेज-ii की सिंचाई सुविधाओं में सुधार	20.00	–	–		–	–	–	–
अतिरिक्त नलकूपों की स्थापना और उनका उपयोग .	33.00	–	–	–	–	–	–	–
उप जोड़ (II) . .	122.69	3.67	11.00	11.81	11.90	–	11.90	–
III अन्य लघु सिंचाई योजनाएं								
केशोपुर शोधक संयंत्र फेज-1 से बहाव द्वारा सिंचाई का विस्तार . .	0.53	0.76	0.10	–	–	–	–	–
केशोपुर शोधन संयंत्र फेज-II से पानी के बहाव द्वारा सिंचाई का विस्तार	31.59	9.79	9.00	4.76	8.00	–	8.00	–
कारोनेशन शोधन संयंत्र से पानी के बहाव द्वारा सिंचाई का विस्तार .	20.50	7.32	5.00	2.73	3.50	–	3.50	–
ओखला शोधन संयंत्र से पानी के बहाव द्वारा सिंचाई प्रणाली का जैतपुर, मैथपुर तक विस्तार और उसमें सुधार . .	2.00	1.87	0.10	0.63	0.50	–	0.50	–
ओखला शोधन संयंत्र में वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	21.55	–	6.00	–	2.00	–	2.00	—
नरेला में अपजल सिंचाई .	2.00	0.85	0.50	0.93	0.10	–	0.10	–
ओखला शोधन संयंत्र से सिंचाई प्रणाली फिर से आरम्भ करना .	1.00	0.55	–	–	–	–	–	–
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कम गहरी क्षमता के 100 नलकूपों की स्थापना करना . . .	–	–	–	0.51	–	–	–	–
सिंचाई के लिए मास्टर प्लान बनाना	18.00	0.32	12.00	2.72	10.00	7.15	2.85	–
वर्तमान नलकूपों के लिए शेयर पम्प सेटों की व्यवस्था . .	–	–	–	1.06	–	–	–	–
रिठाला शोधन संयंत्र फेज I से बहाव के पानी से सिंचाई व्यवस्था	24.00	–	–	–	–	–	–	–
सी टी स यंत्र में बहाव के लिए पूरक पानी का उपयोगी इस्तेमाल	–	–	—	—	1.00	–	1.00	–
उप जोड़ (III)	124.17	21.46	32.70	13.36	25.10	7.15	17.95	–
स्था0 प्रभार . . .	–	–	–	4.86	5.38	5.38	–	–
जोड़ 'ब' . .	270.10	32.22	49.00	40.60	43.50	12.53	30.97	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग—भू-संरक्षण व वन								
1. कृषि भूमि पर भू-संरक्षण . .	25.60	0.50	4.75	0.10	5.00	5.00	—	—
2. वृक्षारोपण . . .	81.46	7.02	16.08	6.63	10.00	10.00	—	—
3. आया नगर बांध से संबद्ध पानी के बहाव वाले क्षेत्र का शोधन . .	57.68	—	13.30	—	5.00	5.00	—	—
जोड़ 'ग' . . .	164.74	7.52	34.13	6.73	20.00	20.00	—	—
घ—खाद्य								
I. प्राप्ति व संभरण . .								
1-नागरिक संभरण निगम की स्थापना .	1.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
ङ-पशु धन विकास								
I. निदेश व प्रशासन								
1. पशुपालन विभाग को सक्षम बनाना	3.69	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	—	—
2. पशुगणना . . .	0.31	—	—	—	—	—	—	—
उप जोड़ (I) .	4.09	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	—	—
II. पशु स्वास्थ्य								
1. एस पी सी ए को आर्थिक सहायता . . .	10.00	2.99	2.00	2.40	3.00	3.00	—	—
2. बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों को सघन करना	27.00	8.00	6.00	6.44	3.50	3.50	—	—
3. गौशाला के लिए आर्थिक सहायता .	5.00	0.61	1.00	0.50	0.10	0.10	—	—
4. पशु अस्पतालों में सेवाओं में सुधार .	36.00	—	10.00	2.04	12.00	7.00	5.00	—
उप जोड़ (II) . .	78.00	11.60	19.00	11.38	18.60	13.60	5.00	—
III. मवेशी विकास								
1. सतबाड़ी मवेशी प्रजनन फार्म का विस्तार	10.00	3.24	4.00	4.89	—	—	—	—
2. मवेशी विकास को गहन रूप देना .	35.00	7.22	7.00	5.48	8.00	6.00	2.00	—
3. गोपाष्टमी पशु मेला . .	2.00	0.15	0.40	0.15	0.40	0.40	—	—
उप जोड़ (III) . .	47.00	10.61	11.40	10.52	8.40	6.40	2.00	—
IV. कुक्कट विकास								
1. ब्रायलर चूजा उत्पादन . .	21.00	0.50	5.14	4.70	7.14	5.14	2.00	—
2. प्रा. डी. सी. के माध्यम से सन्तुलित कुक्कुट खाद्य उत्पादन . . .	0.05	—	0.05	—	0.05	0.05	—	—
उप जोड़ (4) . .	21.05	0.50	5.19	4.70	7.19	5.19	2.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. अन्य व्यय								
वधगृह का आधुनिकीकरण .	20.00	5.00	5.00	3.71	5.00	3.75	—	1.25
नए वधगृह का निर्माण . .	100.00	—	20.00	—	15.00	—	15.00	—
उप जोड़ (V) . .	120.00	5.00	25.00	3.71	20.00	3.75	15.00	1.25
कुल (पशुपालन) .	270.05	28.51	61.39	31.13	54.99	29.74	24.00	1.25
च —डेरी विकास								
डेरी कालोनियों का विकास दिल्ली नगर निगम*	350.00	—	90.00	—	10.00	—	—	10.00
दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	—	—	90.00	125.00	—	—	125.00
उप जोड़ (च) . .	350.00	—	90.00	90.00	135.00	—	—	135.00
छ कृषि संस्थानों में वित्तीय निवेश .	10.00	—	1.00	—	—	—	—	—
ज— मत्स्य विकास								
- निदेश व प्रशासन								
मत्स्य विभाग को सक्षम बनाना	0.34	0.34	—	—	—	—	—	—
— विस्तार शिक्षा व प्रशिक्षण								
विस्तार व प्रशिक्षण .	0.50	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	..	—
— आन्तरिक मत्स्य पालन								
1. परीक्षण मत्स्य बीज फार्म की स्थापना 2. जल शोधन .	10.50	6.29	15.00	11.64	7.57	1.00	6.57	—
अन्य व्यय								
1. मत्स्य खेल विकास .	4.00	0.05	1.05	0.05	1.05	0.05	1.00	—
2. परिरक्षण . . .	5.00	—	0.50	0.05	0.50	0.50	—	—
उप जोड़ (iv) . .	9.00	0.05	1.55	0.10	1.55	0.55	1.00	—
कुल जोड़ (मत्स्य पालन) .	50.34	6.76	16.65	11.84	9.22	1.65	7.57	—
सामुदायिक विकास व पंचायत								
I. निदेश व प्रशासन								
1. एक तकनीकी कक्ष की स्थापना	9.00	—	1.50	—	1.24	1.24	—	—
2. पंचायत विभाग में एक कानूनी कक्ष की स्थापना . . .	3.00	—	0.50	—	0.66	0.66	—	—
उप जोड़ (I) . .	12.00	—	2.00	—	1.90	1.90	—	—

* दिल्ली नगर निगम द्वारा रुपये 5.83 लाख का खर्च बताया गया।

रुपये 2.11 लाख की खर्च न की गई राशि को घटा कर रुपये 3.71 लाख की राशि शामिल की गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II-पंचायती राज संस्थानों को सहायता								
1-लाभकारी परिसंपत्तिया के लिए पंचायतों को ऋण .	15.00	3.50	2.50	2.50	2.50	--	--	2.5
2-गांव पंचायतों के माध्यम से विकास योजनाएं . . .	7.50	--	1.25	--	1.25	1.25	--	
3-पुरस्कार देना (फसल प्रतियोगिता)	0.30	--	0.05	--	0.05	0.05	--	
4-पंचायत घरों का निर्माण व विकास	35.00	--	5.20	--	4.30	--	4.30	
5-गांवों के कुओं का विकास .	20.20	--	4.00	--	1.00	--	4.00	
उप जोड़-II . . .	78.00	3.50	13.00	2.50	12.10	1.30	8.30	2.
उप जोड़ सामुदायिक विकास पंचायत	90.00	3.50	15.00	2.50	14.00	3.20	8.30	2.5
1-आई० आर० डी० को आर्थिक सहायता . .	--	--	--	2.95	--	--	--	
2-एस एफ डी ए को आर्थिक सहायता . .	--	--	--	3.92	--	--	--	
जोड़ . .	--	--	--	6.87	--	--	--	
जोड़ (कृषि व संबंद्ध सेवाएं)	1661.53	106.78	354.00	230.96	335.78	106.76	73.27	155.

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

विवरण जी एन-2

वार्षिक योजना 1980-81 विकास योजनाएं

परिव्यय व व्यय

(रुपये लाखों में)

स्कीम प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना (1978—83) परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 जोड़	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 राजस्व	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 पंजी	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I—सहकारिता								
-निदेश व प्रशासन								
अतिरिक्त विभागीय स्टाफ .	16.00	2.16	3.00	2.24	3.25	3.25	--	--
(1) सहकारी साख समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां की प्रबंध व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता .	5.50	--	1.00	0.75	2.09	2.09	--	--
(2) प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए डूबी रकम संबंधी विशेष सुरक्षित राशि .	--	0.18	--	--	--	--	--	--
(3) प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए शेयर पूंजी .	10.00	--	2.00	2.90	1.50	--	1.50	--
(4) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के लिए डूबी रकम संबंधी सामान्य सुरक्षित राशि .	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	--	--
(5) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के लिए शेयर पूंजी .	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	--	5.00	--
(6) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के लिए पुनर्वास सहायता	25.00	--	10.00	10.00	7.00	7.00	--	--
(7) कृषि साख स्थापित्व निधि .	5.00	--	1.00	--	--	--	--	--
उप जोड़ (सहकारी साख समितियां) .	115.50	20.18	29.00	28.65	25.59	19.09	6.50	--
आवास सहकारी समितियां .	31.00	--	5.25	5.00	8.25	0.25	8.00	--
श्रम सहकारी समितियां . .	5.00	0.37	1.10	1.04	0.33	0.03	--	0.30
कृषि कार्य सहकारी समितियां .								
सहकारी कृषि कार्य	0.20	0.07	0.10	—	—	—	—	—
भण्डारण और विपनण सहकारिता								
1—गोदामों का निर्माण .	4.20	0.20	1.00	—	0.80	0.30	—	0.50
2—प्राथमिक बाजार क्षेत्रों के लिए शेयर पूंजी .	0.40	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. विपणन व संभरण फैडरेशन को सहायता .	10.00	—	1.00	—	—	—	—	
उप जोड़ .	14.60	0.20	2.00	—	0.80	0.30	—	0.
7—उपभोक्ता सहकारी समितियां								
1. दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को सहायता	3.64	—	—	—	5.00	—	5.00	
2. प्राथमिक स्टोर को सहायता	11.36	1.16	2.21	1.21	2.00	0.55	1.00	0.4
उप जोड़ . .	15.00	1.16	2.21	1.21	7.00	0.55	6.00	0.
8—शिक्षा व प्रशिक्षण सदस्य शिक्षा व स्टाफ प्रशिक्षण कार्य-क्रम . .	14.50	1.26	3.00	1.27	3.00	3.00	—	
9— अन्य सहकारी समितियां								
1. कुक्कट सहकारी समितियां .	1.00	0.05	—	—	—	—	—	
2. सब्जी सहकारी समितियां .	11.92	4.45	0.72	—	0.12	0.06	0.06	
3. साइकिल रिक्शा चालक सहकारी समितियां . . .	1.04	—	—	—	—	—	—	
4. चर्मकार सहकारी समितियां .	2.10	0.26	0.52	—	0.40	0.08	0.32	
5. केन फर्नीचर सहकारी समितियां .	1.30	0.13	0.26	—	—	—	—	
6. दर्जी व जरी कार्य सहकारी समितियां	1.30	—	0.39	—	0.40	0.08	0.32	
7, हथकरघा सहकारी समितियां .	2.30	—	0.26	—	0.25	0.05	0.20	
8. परिवहन सहकारी समितियां .	2.00	—	0.48	0.48	0.36	0.06	0.30	
9. सुअर पालन सहकारी समितियां .	2.04	—	0.37	—	—	—	—	
उप जोड़ (अन्य सहकारी समितियां)	25.00	4.89	3.00	0.48	1.78	0.38	1.40	
जोड़ (सहकारिता) .	236.80	30.29	48.66	39.89	50.00	26.85	21.90	1.

वार्षिक योजना 1980-81 विकास योजनाएं/प्रायोजनाएं परिव्यय व व्यय

विवरण-2

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(रुपये लाखों में)

स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II-मध्य सिंचाई								
. ओखला शोधन संयंत्र से बहाव के पानी द्वारा सिंचाई का महरौली और नजफगढ़ ब्लाकों के क्षेत्रों तक विस्तार	50.00	—	1.00	—	2.00	—	2.00	—
2. पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण .	20.00	—	—	—	2.00	—	2.00	—
जोड़ . .	70.00	—	1.00	—	4.00	—	4.00	—

वार्षिक योजना 1980-81

स्कीम के अनुसार परिव्यय व व्यय

विवरण जी एन-2

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(रुपये लाखों में)

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	अनुमोदित परिव्यय 1978-83	1978-79 व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय कुल	1980-81 राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III-बाढ़ नियंत्रण									
क- पूर्व पंचवर्षीय स्कीमें									
1. भारत नगर पुल से मुहाने, तक नजफगढ़ नाले का पुनर्निर्माण व पंक्तिबद्ध करना .	451.00	193.00	62.69	90.00	31.21	10.00	10.00	10.00	—
2. शाहदरा जल निकास योजना .	314.41	375.00	153.78	180.00	133.78	120.00	—	120.00	—
3. वजीराबाद बैरेज व बवाना एस्केप के बीच राइट मार्जिनल ऐम्बैंकमेन्ट का निर्माण . .	42.51	2.00	0.71	—	0.47	—	—	—	—
4. बवाना एस्केप से दिल्ली हरियाणा सीमा तक मार्जिनल एम्बैंकमेंट का निर्माण . . .	44.00	20.16	9.56	—	2.31	5.00	—	5.00	—
5. शाहदरा मार्जिनल एम्बैंकमेन्ट को ऊंचा करना . .	6.55	0.05	0.30	—	—	—	—	—	—
6. नजफगढ़ नाले, हांसा विजवासन मार्ग को ऊंचा करना .	--	0.05	--	--	—	—	—	—	—
7. नजफगढ़ नाले की निकासी प्रणाली में सुधार . . .	—	--	--	--	—	—	—	—	—
8. राष्ट्रीय राजमार्ग के उपमार्ग के उत्तरी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने व 100 क्यूसेक पानी पम्प करने की अंतरिम स्कीम	--	0.20	0.01	—	—	—	--	—	—
9. अलीपुर ब्लाक जल निकासी .	58.31	5.00	5.00	4.66	0.88	—	—	—	—
10. ककरौला से बसईदारापुर पुल तक नजफगढ़ नाले के किनारों का निर्माण	19.00	---	--	--	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. मोलड बांध का पुर्निर्माण और मुगल बांध को मजबूत बनाना	14.30	0.05	—	--	—	—	—	—	—
12. नजफगढ़ जल निकास स्कीम फेज--III	295.00	0.50	0.58	—	—	—	—	—	—
13. फिर से नवीकरण और नियमन व्यवस्था	14.36	0.10	0.10	0.10	—	—	—	—	—
14. ककरौला से बसईदारापुर तक नजफगढ़ नाले में गिरने वाली नालियों का सुधार	17.12	--	--	--	—	—	—	—	—
15. कंझावला ब्लाक की जल निकास स्कीम	76.50	0.20	0.01	—	0.79	0.05	—	0.05	—
16. नजफगढ़ नाले के ऊपर ओंकार नगर को इन्द्रलोक से जोड़ने वाले पुल का निर्माण	—	—	—	--	—	—	—	—	—
17. औजारों और संयंत्रों की खरीद	—	--	—	--	—	—	--	—	—
बरसाती नालों के पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान बनाना	27.80	0.50	0.12	—	0.01	—	—	—	—
यमुना नदी प्रशिक्षण कार्य और यमुना नदी से कटाव विरोधी तात्कालिक कार्य	—	12.00	18.78	—	—	—	—	—	—
रमेश नगर नाले पर पुल व निकासी व्यवस्था	3.44	--	--	--	—	—	—	—	—
उप जोड़	1977.30	608.31	251.30	270.00	169.45	135.05	—	135.05	—
पंच वर्षीय योजना की नई स्कीमें									
1. नजफगढ़ और कंझावला ब्लाकों में गांवों के तालाबों की जल निकास स्कीम	—	0.50	0.09	—	1.73	0.05	—	0.05	—
2. बगरोला नाले का निर्माण	—	1.00	0.13	—	10.05	0.05	—	0.05	—
3. मलिक पुर जल निकास योजना	—	1.35	—	—	—	0.30	—	0.30	—
4. बिजवासन नाले का निर्माण	—	0.50	0.25	—	0.22	10.65	—	0.05	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. शास्त्री नगर व भारत नगर को जोड़ने के लिए नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण . .	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
6. वजीराबाद बांध से उत्तर प्रदेश की सीमा पर ऊपर की ओर लैफ्ट फारवार्ड बांध का निर्माण .	34.00	11.50	0.50	6.00	—	5.00	—	5.00	—
7. यमुना बैरज की शेयर लागत .	--	0.22	0.22	0.22	0.33	0.25	—	0.25	—
8. अन्य छोटी जल निकास स्कीमें	2.34	3.00	0.85	—	—	—	—	—	—
9. मदन पुर खादर जल निकास योजना	14.00	20.00	—	10.00	2.11	6.22	—	6.22	—
10. बांकनेर योजना नाले का निर्माण	7.35	6.85	0.40	15.00	0.41	2.35	—	2.35	—
11. बाढ़ नियंत्रण व नदी प्रशिक्षण कार्य का मास्टर प्लान .	--	2.46	—	1.90	—	—	—	—	—
12. नांगलोई नाला फेज—I व II . का पुनर्निर्माण . .	—	24.00	0.87	25.00	0.19	12.00	-	12.00	—
13. 1977 की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण नदी प्रायोजनाओं के विशेष सुधार व पुनर्स्थापना के लिए एक मुश्त प्रावधान . .	--	24.68	15.43	14.00	12.15	—	—	—	—
14. बाढ़ के मुकाबले के लिए उपकरण	--	4.00	4.15	—	—	--	—	—	—
उप जोड़ :— . .	57.69	100.07	22.88	62.12	17.19	26.27	—	26.27	—
पंचवर्षीय योजना की नई स्कीमें									
1978--83 1. नजफगढ़ नाले के पूरक नालों का निर्माण (क) जी० टी० रोड से नजफगढ़ नाले तक पूरक नाले के पाइलट कट का निर्माण (ख) नजफगढ़ नाले के पुराने मार्ग से मुहाने तक पूरक नाले का निर्माण	—	300.00	20.00	60.00	43.16	150.00	—	150. 0	
2. अन्य लघु जल निकास सुधार स्कीमें	—	10.00	—	2.00	0.41	0.5	—	0.05	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. मंडेला खुर्द जल निकास स्कीम	—	20.00	1.86	15.00	8.57	25.00	—	25.00	—
4. आर० डी० सी० से आर० डी० 31,500 तक करारी सुलेमान नाले का पुनर्नवीकरण	—	10.50	—	8.50	3.92	5.00	—	5.00	—
5. मदन पुर नाले का पुनर्नवीकरण	—	4.51	—	3.51	—	—	—	--	--
6. नए एलानमेण्ट के साथ साथ बवाना एस्केप और नाला नं० 3 का निर्माण तथा बवाना एस्केप बंध को मजबूत करना।	—	120.00	8.52	8.38	38.18	30.00	--	30.00	—
7. बुराडी क्षेत्र की जल निकास स्कीम	—	55.18	—	30.00	—	--	—	—	—
8. राइट मार्जिनल एम्बैंकमेंट (विस्तार) के लिए तीन पहुंच मार्गों का निर्माण	—	8.00	0.34	16.00	8.65	—	—	—	—
9. नजफगढ़ से तीखेड़ा को झील आर० डी० ओ० से आर० डी० 15,000 आर डी 21,500 द्वारा जल निकासी के बाएं किनारे भराव की व्यवस्था करना।	—	15.08	—	10.00	15.69	5.00	—	5.00	—
10. ढांसा से भारत नगर तक नजफगढ़ नाले की क्षमता बढ़ाने की स्कीम	1877.00	1877.00	—	312.94	251.57	200.00 +170.00	—	200.00 +170.00	— —
11. आर० डी० ओ० से आर० डी० 22,000 तक मुंगेशपुर नाले का पुनर्नवीकरण	—	14.47	—	10.00	—	2.00	—	2.00	—
12. बाढ़ के मुकाबले के लिए पम्पों की खरीद	—	4.00	—	2.00	2.75	2.00	—	2.00	—
13. बवाना नाले का पुनर्नवीकरण	—	5.69	—	2.00	1.92	1.00	—	1.00	—
14. मुलतानपुर नाले का पुनर्नवीकरण	—	3.00	—	1.00	0.46	1.00	—	1.00	—
15. बाजीतपुर नाले का पुनर्नवीकरण	—	4.00	—	2.00	—	—	—	—	—
16. पालम नाले का सुधार	—	10.00	—	3.00	—	—	—	—	—
17. 1978—83 की अवधि में अन्य छोटे बांधों का निर्माण	—	10.00	—	6.00	3.83	3.00	—	3.00	—
18. बाढ़ से प्रभावित गांवों के चारों ओर रिंग बांध बनाना।	—	9.00	—	6.00	1.28	2.00	—	3.00	—

235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. मुंगेशपुर नाले का पुनर्नवीकरण, ऊपरी भाग आर डी 22 000	—	15.00	—	10.00	—	5.00	—	5.00	—
20. राइट मार्जिनल एम्बैंकमेंट डाऊन/स्टीम ओखला . .	—	10.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
21. आर डब्ल्यू ई (विस्तार) बवाना एस्केप से जी टी रोड के बीच के क्षेत्र में जल निकास सम्बन्धी कार्य	—	5.00	—	1.00	—	—	—	—	—
22. लेफ्ट फारवर्ड बंध को शाहदरा मुगल बांध से जोड़ने के लिए बांध का निर्माण	—	12.00	—	3.00	—	—	—	—	—
23. 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान बाढ़ का मुकाबला करने के कार्य	—	28.00	17.23	—	—	—	-	—	—
24. 1978–83 के लिए अकस्मात बाढ़ के मुकाबले का प्रावधान	—	20 00	—	5.00	4.04	5.00	--	5.00	—
25. 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत	—	48.0[illegible]	24.14	-	17.7	--	--	—	—
(क) वजीराबाद से बवाना एस्केप तक आर०एम०ई० (पुराना) की पुनर्स्थापना									
(ख) बुराडी बांध की पुनर्स्थापना (न्यू लाइम बांध)									
(ग) शाहआलम बांध के किनारे की पुनर्स्थापना									
(घ) आर० एम० ई० (विस्तार) आर०डी०ओ०—11170 एम की पुनर्स्थापना									
(ङ) आर० एम० ई० (विस्तार) पर पल्ला से सुगरपुर तक रिटायर्ड बांध की पुनर्स्थापना									
(च) आर० डी० ओ० से उसके मुहाने तक बवाना एस्केप की पुनर्स्थापना									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. आर0 एम0 ई0 (पुराना), को ऊंचा और मजबूत करना जिसमें किनारों के नदी की ओर के ढलानों को भरना और मौजूदा स्पर को सुधारना शामिल है	—	10.00	—	15.00	—	10.00	—	10.00	—
27. आर० एम० ई० (पुराना) तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था और दोनों ओर ढलानों को भरने और मजबूत करने की व्यवस्था	—	8.00	—	2.00	0.08	1.00	—	1.00	—
28. मोटर बोट व वायर लैस सेट खरीदना	—	8.00	—	8.00	3.73	—	—	—	—
29. वर्तमान शाहदरा मार्जिनल एम्बैंकमेंट का पुनर्नवीकरण और यमुना नदी के दोनों ओर व्यवस्था में सुधार करना	—	100.00	—	41.62	52.79	36.66	—	36.66	—
(क) एस० एम० बांध का आर० डी० 13,700 से 39,000 तक पुनर्नवीकरण और मजबूत करना ।									
30. यमुना नदी पर कटाव रोकने सम्बन्धी कार्य व नदी प्रशिक्षण कार्य	—	100.00	—	15.00	87.37	30.00	—	30.00	—
(क) यमुना नदी के दाएं किनारे पर संगरपुर गांव के नजदीक कटाव रोकने का कार्य									
(ख) यमुना नदी के दाएं किनारे पर कामल्ला गांव के नजदीक कटाव रोकने का कार्य									
(ग) गांव मोहम्मदपुर रमज्जानपुर के निकट कटाव रोकने का कार्य									
(घ) जगतपुर गांव के निकट कटाव रोकने का कार्य									
(ङ) वजीराबाद बैराज से बवाना एस्केप तक आर० एम ई० (पुराना) के साथ साथ शैक व स्टैंड का निर्माण									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(च) बवाना एस्केप के उत्तर से दिल्ली हरियाणा सीमा तक आर०एम०ई० (विस्तार) के साथ साथ मिट्टी के शैंक की व्यवस्था करना									
(छ) आर० एम० ई० (विस्तार के साथ साथ रिटायर्ड बांध का भराव व दबाव कार्य									
उप जोड़ . .	1877.00	2844.43	2844.43	72.08	669.95	546.18	684.71	—	684.71
जल विकास प्रभार									
1. नमूने का अध्ययन	—	0.50	—	—	0.50	—	—	—	—
2. सर्वेक्षण और जल सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह	—	5.50	—	3.79	3.00	2.62	3.65	3.65	—
3. आयोजना व अन्वेषण	—	3.00	—	1.27	2.00	1.46	2.00	2.00	—
उप जोड़	—	9.00	9.00	5.06	5.50	4.08	5.65	5.65	—
संस्थापना प्रभार . .	—	—	—	30.50	50.10	49.51	90.92	90.92	–
जोड़ (बाढ़ नियंत्रण)	—	3562.31	3553.31	381.83	1057.75	786.41	947.60	96.57	851.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III—विद्युत शक्ति								
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान								
(1) चालू स्कीम व बिजली उत्पादन प्रायोजनाएं								
(क) वायु प्रदूषण नियंत्रण								
(i) यूनिट 1, 2, 3, 4, व 5 के साथ ई० एस० पी० की व्यवस्था	530.00	75.00	200.00	24.50	270.00	--	--	270.00
(ii) राख निपटान प्रणाली में सुधार	35.00	--	1.00	21.98	--	--	—	--
(ख) पांच यूनिट इन्द्रप्रस्थ स्टेशन का बकाया भुगतान	10.00	0.50	5.00	0.14	1.00	--	--	1.00
2. **नई बिजली उत्पादन प्रायोजनाएं**								
(i) 2×110 मे० वा० थर्मल सेट	--	--	--	—	--	--	--	--
(ii) 2×50 मे० वा० गैस टर्बो सेट	--	--	—	—	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II--संचारण व वितरण स्कीम									
(क) 220 कि० वी० कार्य . . .	1500.00	296.66	80.00	60.14	195.00	--	--	195.00	--
(ख) 66 कि० वी० कार्य . . .	2500.00	--	80.00	55.66	200.00	--	--	200.00	--
(ग) 33 कि० वी० कार्य . . .	2225.00	560.32	500.00	639.68	250.00	--	--	250.00	--
(घ) 11 कि० वी० व एल० टी० कार्य . .	3788.00	1138.77	900.00	1843.89	955.00	--	--	955.00	--
(ङ) पुनर्वास कालोनियों में बिजली की व्यवस्था	277.00	150.00	75.00		50.00	--	--	50.00	--
उप जोड़ (टी० व डी०) . .	10290.00	2145.75	1635.00	2599.37	1650.00	--	--	1650.00	--
III संचारण व वितरण कर्मचारियों के लिए आवास	150.00	82.32	64.00	126.89	75.00	--	--	75.00	--
4. ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली का कार्यान्वयन और नलकूपों की व्यवस्था . . .	250.00	71.53	60.00	107.65	75.00	--	--	75.00	--
5. कर्मचारियों के आवास के लिए ऋण .	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--
उप जोड़ 3, 4 व 5 . . .	500.00	153.85	124.00	234.45	150.00	--	--	150.00	--
जोड़ (दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान)	11365.00	2375.10	1965.00	2880.44	2071.00	--	--	2071.00	--
नई दिल्ली नगर पालिका									
संचारण व वितरण	1135.00	140.00	210.00	210.00	230.00	--	--	230.00	--
जोड़ (विद्युत शक्ति) . . .	12500.00	2515.10	2175.00	3090.44	2301.00	--	--	2301.00	--

वार्षिक योजना 1980-81

विकास योजनाएं/प्रायोजनाएं परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (रुपये लाखों में)

क्र० सं०	स्कीम प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978—83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 जोड़	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**उद्योग**								
	निदेश व प्रशासन								
	1. उद्योग निदेशालय की स्टाफ स्कीम .	28.50	4.35	5.50	1.23	8.00	8.00	—	—
	उप जोड़ (i) . .	28.50	4.35	5.50	1.23	8.00	8.00	—	—
II.	**मानकीकरण**								
	1. माप व तोल प्रयोगशाला . .	20.00	0.31	5.00	1.58	5.00	4.90	0.10	—
	2. गुण विपणन स्कीम . .	23.00	1.05	2.00	1.92	2.00	2.00	—	—
	उप जोड़ (ii) . .	43.00	1.36	7.00	3.50	7.00	6.90	0.10	—
III	**औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटिड फैक्ट्री**								
	1. इलेक्ट्रोनिक्स के लिए कार्यकारी और औद्योगिक एस्टेट	15.00	6.19	6.00	3.80	3.00	—	3.00	—
	2. बादली व अन्य ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट	6.50	1.78	2.50	1.20	1.60	—	1.60	—
	3. चमड़े के सामान के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां . . .	30.00	9.41	6.00	5.06	4.10	4.00	0.10	—
	4. हथकरघा वस्तुओं के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग) .	20.00	0.01	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	5. सिलेसिलाए कपड़ों के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग) .	26.00	—	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	6. हौजरी और बुने हुए कपड़ों के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग)	26.00	—	8.00	0.26	15.00	—	15.00	—
	7. किताबों की जिल्दसाजी और छपाई के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग) . . .	26.00	—	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	8. हल्के इंजीनियरी सामान के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग)	26.00	—	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	9. युवा उद्यमकर्ताओं के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग) .	26.00	—	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	10. फाउनटेन पैनों के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां (रानी झांसी मार्ग) . .	20.00	—	8.00	—	15.00	—	15.00	—
	11. आटो/साइकिल के पुर्जो के लिए सहायक औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज)	49.00	0.03	42.00	—	17.00	—	17.00	—
	12. घरेलू बिजली-उपकरणों के लिए कार्यकारी औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज) . . .	37.00	—	25.00	—	12.00	—	12.00	—

2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 प्लास्टिक के सामान के लिए कार्यकारी औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज) .	48.00	—	33.00	0.03	17.00	—	17.00	—
14. स्थानान्तरित होने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक एस्टेट (फेज-II पटपड़ गंज) .	48.00	—	6.00	—	17.00	—	17.00	—
15 स्थानान्तरित होने वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक एस्टेट (फेज II पटपड़ गंज)	48.00	—	1.00	—	17.00	—	17.00	—
16 इंजीनियरी उद्योगों के लिए कार्यकारी औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज) .	37.00	—	1.00	—	12.00	—	12.00	—
17 युवा उद्यमकर्ताओं के लिए कार्यकारी औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज) .	37.00	—	1.00	—	17.00	—	17.00	—
18 वायरों व केबलों के लिए कार्यकारी औद्योगिक एस्टेट (पटपड़ गंज)	48.00	—	6.00	—	12.00	—	12.00	—
19. उपकरण कार्य संबंधी कार्यकारी औदयोगिक एस्टेट (पटपड़ गंज).	37.00	—	1.00	—	12.00	—	12.00	—
20 ग्रामीण क्षेत्र में शेडों का निर्माण .	18.03	—	5.00	0.19	1.00	—	1.00	—
21. ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट का सुधार	25.00	—	0.50	2.25	3.00	—	3.00	—
22 समूह उद्योग सं० 1 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	37.78	1.00	—	0.50	—	0.50	—
23. समूह उद्योग सं० 2 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	27.75	1.00	—	0.50	—	0.50	—
24. समूह उद्योग सं० 3 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	37.78	1.00	—	0.50	—	0.50	—
25. समूह उद्योग सं० 4 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	31.63	3.00	—	0.50	—	0.50	—
26. समूह उद्योग सं० 5 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	—	3.00	26.31	0.50	—	0.50	—
27. समूह उद्योग सं० 6 (ओखला) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	—	3.00	30.07	0.50	—	0.50	—
28. समूह उद्योग सं० 7 (रानी झांसी मार्ग) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	—	3.00	—	1.00	—	1.00	—
29. समूह उद्योग सं० 8 (रानी झांसी मार्ग) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	—	3.00	—	1.00	—	1.00	—
30. समूह उद्योग सं० 9 (रानी झांसी मार्ग) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां	42.00	—	3.00	—	1.00	—	1.00	—
31. समूह उद्योग सं० 10 (रानी झांसी मार्ग) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां .	42.00	—	3.00	—	1.00	—	1.00	—
32. समूह उद्योग सं० 11 (झिलमिल ताहिर पुर) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां	12.00	—	3.00	—	1.00	—	1.00	—
33. समूह उद्योग सं० 12 (झिलमिल ताहिरपुर) के लिए फ्लैटिड फैक्ट्रियां	42.00	—	1.50	—	1.00	—	1.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34. समूह उद्योग सं० 13 (झिलमिल ताहिरपुर) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां	42.00	—	1.50	—	0.10	—	0.10	—
	35. समूह उद्योग सं० 14 (झिलमिल ताहिरपुर) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां	42.00	—	1.50	—	0.10	-	0.10	—
	36. समूह उद्योग सं० 15 (झिलमिल ताहिरपुर) के लिए फ्लैटिड फैक्टरियां	42.00	—	1.50	—	0.10	—	0.10	—
	37. नरेला औद्योगिक एस्टेट काम्पेलक्स (दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम) . . .	150.00	75.00	40.00	40.00	40.00	—	--	40.
	उप जोड़ (III) .	1433.50	227.31	265.00	109.17	300.00	4.00	256.00	40.

4. लघु उद्योग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. लघु उद्योगों के लिए ब्लौक ऋण .	100.00	20.00	20.00	17.00	30.00	—	—	30.
	2. दिल्ली वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण पर आर्थिक सहायता .	0.50	—	0.10	—	0.10	0.10	—	—
	3. टूल रूम सेन्टर की स्थापना .	57.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	—	—
	4. निर्यात प्रमोशन कक्ष . .	7.25	1.72	0.77	0.60	0.80	0.80	—	—
	5. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए औद्योगिक कार्य स्थलों को आर्थिक सहायता . . .	6.00	0.65	1.00	0.85	2.00	2.00	—	—
	6. इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं को आर्थिक सहायता . . .	18.00	1.31	5.00	1.85	5.00	5.00	—	—
	7. रुग्ण यूनिटों को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता . . .	15.00	—	5.00	—	5.00	5.00	--	—
	8. उद्यमकर्ताओं को मार्जिन राशि .	40.00	—	5.00	—	5.00	5.00	—	—
	9. कार्य शैडों के निर्माण के लिए ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता. .	20.00	—	5.00	--	5.00	5.00	—	—
	10. संयुक्त सैक्टर प्रायोजना (दि० रा० ओ० वि० नि०) . .	25.00	—	10.00	—	—	—	—	—
	11. शेयर पूंजी (दि० रा० ओ० वि० नि० को) . . .	200.00	60.00	50.00	50.00	50.00	—	50.00	—
	12. बहुत अधिक खपत वाले सामान का निर्माण आदि . . .	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	—	—	10
	13. दि० रा० ओ० वि० नि० द्वारा सामुदायिक कार्य केन्द्रों की स्थापना .	150.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	—	—
	14. जे० जे० कालोनियों में शैडों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान .	34.00	4.95	6.10	6.10	8.00	8.00	—	—
	15. ब्लाक उद्योग केन्द्र . .	15.50	—	2.60	—	2.10	2.10	—	—
	16. प्रसार प्रचार व नुमाइश . .	20.15	—	8.86	6.13	5.00	5.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	इलेक्ट्रोनिक्स के लिए परीक्षण विकास केन्द्र . . .	30.00	6.84	2.30	3.59	3.00	2.00	1.00	—
18.	दिल्ली उत्पादकता परिषद् (डी० पी० सी०) को सहायता अनुदान .	2.80	—	2.80	2.50	—	—	—	—
19.	व्यापार केन्द्रों को सहायता अनुदान .	2.00	2.00	—	—	—	—	—	—
20.	पांचवीं योजना स्कीम के लिए भूमि की खरीद . .	—	24.72	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ 4 .	783.70	177.19	179.53	143.62	166.00	75.00	51.00	40.00
5.	**हैण्डलूम उद्योग**								
1.	हैण्डलूम कपड़े की बिक्री पर छूट .	20.00	2.54	4.00	4.07	4.00	4.00	—	—
2.	भारत नगर में बुनकर कालोनी .	26.00	4.04	10.00	4.76	1.00	—	1.00	—
3.	हैण्डलूम कपड़े के लिए गुण विपणन स्कीम	2.50	0.07	1.00	—	1.00	1.00	—	—
4.	हैण्डलूम कपड़े के लिए डिजायन कक्ष	2.50	0.11	0.35	0.16	0.40	0.40	—	—
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर ऋण के ब्याज की आर्थिक सहायता	1.50	..	0.20	..	0.20	0.20	—	—
6.	औजार खरीदने के लिए सहायता अनुदान .	2.30	0.38	0.42	0.42	0.50	0.50	—	—
7.	बुनकर गांव . .	1.00	—	1.00	—	—	—	—	—
8.	नंदनगरी में हैण्डलूम कपड़े का विकास	19.50	0.01	10.00	2.83	7.90	—	7.00	—
	उप जोड़ 5 . .	75.30	7.15	26.97	12.24	15.00	6.10	8.00	—
6.	**हथकरघा**								
1.	कागज मशीन केन्द्र का प्रमोशन, प्रशिक्षण स्कीमछूट प्रसार व प्रचार तथा क्षमता बढ़ाना . .	25.00	0.57	3.00	0.76	3.00	3.00	—	—
	उप जोड़ (6) . .	25.00	0.57	3.00	0.76	3.00	3.00	—	—
7.	खादी ग्राम उद्योग . .	6.00	0.25	1.00	0.44	1.00	1.00	—	—
	उप जोड़ (सात) . .	6.00	0.25	1.00	0.44	1.00	1.00	—	—
8.	दिल्ली वित्त निगम	70.00	10.00	12.00	10.00	10.00	—	10.00	—
	उप जोड़ (8) . .	70.00	10.00	12.00	10.00	10.00	—	10.00	—
9.	दि० औ० वि० नि० द्वारा माइनिंग आपरेशन . . .	35.00	35.00	—	—	—	—	—	—
	कुल जोड़ (उद्योग) . .	2500.00	463.18	500.00	280.96*	510.00	104.90	326.00	80.00

*इसमें डी० डी० ए० को दी गई 200 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है ।

विवरण जी० एन०

वार्षिक योजना 1980-81 विकास स्कीमें/परियोजना परिव्यय व व्यय

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र (रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	वृहद्/लघु विकास स्कीम का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 जोड़	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. परिवहन व संचार								
	दिल्ली प्रशासन (मार्ग व पुल 337) वर्तमान मार्ग के वास्तविक कार्य में कमी दूर करने की योजना जिला व अन्य मार्ग चालू स्कीमें (विभाजित स्कीमें)								
1.	बाहरी रिंग रोड पर और रिंग कोडानूर रामपुरा औद्योगिक कालोनी मार्ग नं० 43 को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण .	12.61	2.75	0.05	—	0.05	—	0.05	—
	(1) 0-4000 से								
	(2) शेष लम्बाई								
2.	रोहतक मार्ग से नजफगढ़ मार्ग तक बाहरी रिंग रोड का निर्माण जिसमें नजफगढ़ मार्ग सं०-26 पर पुल की लागत भी शामिल है। . . .	26.02	3.21	1.00	1.00	5.00	—	5.00	—
	1. नजफगढ़ नाला रोहतक मार्ग भूमि अधिग्रहण								
	2. —वही— भूमि अधिग्रहण								
	3. —वही— नजफगढ़ मार्ग								
	4. रोहतक मार्ग (मार्ग कार्य)								
	5. नजफगढ़ नाले के ऊपर पुल								
3.	जी० टी० गाजियाबाद मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के उपमार्ग (मार्ग नं०-64 से जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण (क), मार्ग कार्य (ख) मार्ग कार्य (भूमि अधिग्रहण) . . .	7.56	0.08	0.01	—	1.00	—	1.00	—
4.	मार्ग नं० 63, व 65 (मार्ग नं०-69) को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण .	—	—	—	(−)0.20	—	—	—	—
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के उपमार्ग और जी०टी० मार्ग को जोड़ने के लिए पूर्वी यमुना नहर से लगे मार्ग का निर्माण (मार्ग सं०-66) . .	12.00	—	0.10	1.70	4.00	—	4.00	—
6.	यमुना नहर से मार्ग सं०-69 तक मार्ग का निर्माण (मार्ग संख्या-68) .	—	0.05	—	—	—	—	—	—
7.	आनन्द पर्वत के समीप पटेल मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण (मार्ग सं०-89)	11.35	—	0.01	—	1.00	—	1.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	कश्मीरी गेट के निकट सड़क का सुधार								
	(क) कश्मीरी गेट के बाहर रिंग रोड और अलीपुर मार्ग को जोड़ने के मार्ग का निर्माण (मार्ग सं०-47)	3.65	3.64	0.22	(-)0.23	—	—	—	—
	(ख) कश्मीरी गेट के चारों ओर सड़क का सुधार (अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पास)								
	(ग) अलीपुर मार्ग का सुधार								
9	शाहदरा क्षेत्र में श्यामलाल गुप्त कालेज के निकट पुल के नीचे सड़क का निर्माण (आर० यू० बी० 19)	3.50	1.40	1.50	0.48	—	—	—	—
	शाहदरा क्षेत्र में श्यामलाल कालेज के निकट मार्ग नं०-57 पर पुल 19 के नीचे पहुंच मार्ग का निर्माण (क) रेलवे पुल का रोड अथारिटी शेयर								
	(ख) पहुंच मार्ग का निर्माण								
10	मालवाहन वर्जित लाइन और पटपड़गंज मार्ग के चौराहे पर ऊपरी पुल तक पहुंच मार्ग का निर्माण (आर०ओ०बी०-36)	10.02	0.03	8.00	8.67	0.50	—	1.50	—
	(क) रेलवे पुल (36)								
11	बाहरी रिंग रोड सं०-43 को जोड़ने के लिए 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण (42 से मार्ग)	—	0.48	—	—	—	—	—	—
12	निचली बेला रोड के साथ साथ राजघाट से 'सी' पावर स्टेशन तक आम सेवा मार्ग का निर्माण (राष्ट्रीय मार्ग-2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	मार्ग सं०-41 व 43 को जोड़ने के लिए 100 फीट चौड़ी निचली सड़क का निर्माण (सड़क नं० 44)	—	0.22	—	—	—	—	—	—
14	(1) निचले बेला मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-2) को राजघाट से भैरों मन्दिर के चौराहे तक चौड़ा करना।								
	(2) तीसरे एशियाई व्यापार मेले की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुराने किले के नजदीक मथुरा रोड राष्ट्रीय राज मार्ग-2 के उपमार्ग को मिलाते हुए भैरों मार्ग को फिर से जोड़ना भैरों मार्ग पर नाला सं० 14 पर पुलिया का निर्माण								
	(क) सड़क कार्य जिस में पुल शामिल हैं।								
	(ख) रोशनी की व्यवस्था								
	3 एम० जी० रोड के चौराहे का सुधार (क) जवाहर लाल नेहरू मार्ग का सुधार								
	(ख) भैरों मार्ग का सुधार								
	(ग) इन्द्र प्रस्थ मार्ग का सुधार								
	(घ) सलीमगढ़ आर०एच०/ए० का सुधार	—	0.30	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(10)	रोड नं० 4 चिराग दिल्ली कालका जी० रोड से 2 लेन से 4 लेन की ओखला औद्योगिक एस्टेट के पश्चिम में रिंग रोड तक	—	0.29	0.25	0.18	—	—	—	—
	उप जोड़	57.63	7.61	7.60	14.06	2.20	—	2.20	—
	(ख) 4 लेन तक सड़क को चौड़ा करना								
(1)	मूलचन्द आर/ए से वेस्ट आफ कैलाश से होती हुई बाहरी रिंग रोड तक रोड नं० 5 को चौड़ा करना .	0.95	0.22	0.50	0.11	0.50	—	0.50	—
(2)	ओखला के निकट उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान सड़क और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करना . .	12.00	1.38	0.10	—	0.10	—	0.10	—
	उप जोड़ (ख) . .	12.95	1.60	0.60	0.11	0.60	--	0.60	--
(ग)	बड़े पुल की योजना (चालू स्कीम) :								
1	अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास यमुना नदी पर पुल व पहुंच मार्गों का निर्माण	100.00	14.00	1.00	—	5.00	—	5.00	—
2	पैन्टून पुल बनाना व उसका रखरखाव	5.00	5.74	—	—	—	—	—	—
3	रोड नं० - 39 के साथ नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण . .	10.15	2.93	4.00	9.97	3.00	--	3.00	--
4	अंतर्राज्यीय बस अड्डे के सामने वजीराबाद बैराज व रेल व सड़क वाले पुल के बीच यमुना नदी पर पुल का निर्माण	10.36	2.41	2.00	0.84	2.00	--	2.00	--
(क)	निचली भूमि की जांच पड़ताल (सब सोयल एक्सप्लोरेशन)								
(ख)	नमूने का परीक्षण								
	उप जोड़ (ग) .	125.51	25.08	7.00	10.81	10.00	--	10.00	--
	पुल के ऊपर/नीचे क्रासिंग को फिर से बनाना :								
(1)	ओखला के निकट आर-ओ-एल-का निर्माण . . .	20.00	—	0.10	--	5.00	—	5.00	--
(2)	रोड नं० 37 और जी० टी० रोड को जोड़ने वाली रोड पर पुल का निर्माण आथरिटी-शेयर और-ओ-एल--40 . . .	9.79	4.88	3.00	4.15	0.50	—	0.50	--
	उप जोड़	29.79	4.88	3.10	4.15	5.50	—	5.50	—
	विविध कार्य चालू स्कीमें :								
(1)	विभिन्न स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था सहित सड़कों के चौराहों का सुधार	6.50	--	3.00	--	3.00	—	3.00	—
(2)	. . (एकमुश्त) .	11.23	0.08	2.50	2.45	1.00	--	1.00	—
(3)	सड़कों पर स्ट्रीट लाइट (एकमुश्त) .	11.70	70.95	20.00	20.00	—	--	—	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4) छठी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही	5.00	—	0.80	—	0.20	—	0.20	—
5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)	68.65	1.26	—	0.34	—	—	—	—
कुल चालू स्कीमें .	530.53	167.05	65.29	72.68	42.95	—	42.95	—
वर्तमान वास्तविक कार्य में कमी दूर करने की स्कीम (नई स्कीम)								
1) मास्टर प्लान की रोड़ 17 को उत्तर-प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाली रोड़ नं०-- 62 का निर्माण .	1.00	—	0.05	—	0.50	—	0.50	—
2) सीमा के साथ रोड़ नं0 62 व 63 को जोड़ने वाली रोड़ नं0-70 का निर्माण .	2.00	—	0.05	—	0.50	—	0.50	—
3) रोड़ नं०-37 व. जी० टी० रोड़ को जोड़ने वाले नजफगढ़ नाले के साथ की सड़क नं० 38 का निर्माण	5.00	—	0.10	—	0.10	—	0.10	—
4) आई-पी बैराज राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के उपमार्ग के निकट पूर्वी मार्जिनल बांध सड़क का निर्माण .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
5) रोड़ नं०-75 बी से रेलवे लाइन तक 2 लेन रोड़ का निर्माण (पटपड़गंज रोड़ का विभाजन) .	1.00	—	—	0.14	—	—	—	—
6) जी० टी० रोड़ से रोड़ नं० - 59 तक मार्जिनल बांध के साथ रोड़ नं०--35-क का निर्माण .	1.00	—	0.01	—	0.10	—	0.10	—
7) नजफगढ़ नाले के साथ साथ जी० टी० रोड़ व माल रोड़ को मिलाने वाली रोड़ नं०-40 का निर्माण .	10.00	—	0.10	4.28	4.00	—	4.00	—
8) राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 10 व 24 के साथ साथ सहायक सड़कों की व्यवस्था	6.35	—	0.50	—	1.00	—	1.00	—
9) पश्चिमी मार्जिनल बांध से रोड़ नं० - 56 तक रेलवे लाइन के साथ साथ सड़क का निर्माण (रोड़ नं०-74)	5.00	—	—	(-)0.02	—	—	—	—
10) जोन नं०-7 व 8 को मिलाने वाली रोड़ नं० -41 के आगे मास्टर प्लान रोड़ नं० -41 का निर्माण	5.00	—	—	—	0.10	—	0.10	—
11) रोड़ नं० -28 का जहां यह रोड़ नं० - 29 से मिलती है, वहां से बाहरी रिंग रोड़ तक का निर्माण . .	16.00	—	0.10	—	2.00	—	2.00	—
12) नजफगढ़ रोड़ से रोड़ नं० -26 तक रोड़ नं० 51 का निर्माण .	10.00	—	0.10	—	0.45	—	0.45	—
13) शाहदरा में जो ई--4, 9, 10 से गुजरने वाली माल लाने ले जाने वाली लाइन को बचाते हुए सड़क व सड़क नं० 74- को मिलाने वाली मास्टर प्लान सड़क नं०-- 72 का निर्माण . .	5.00	—	0.50	4.47	3.00	—	3.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(14)	शाहदरा क्षेत्र में सड़क नं०–57 व सड़क नं० 35– को मिलाने वाली सड़क नं०–73 का निर्माण .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
(15)	पालम, महरौली व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तक पहुंच मार्गों का विस्तार								
	(क) पश्चिमी पहुंच मार्ग .	12.00	—	2.00	—	1.00	—	1.00	—
	(ख) पूर्वी पहुंच मार्ग	15.00	—	2.00	—	1.00	—	1.00	—
(16)	कालीदास मार्ग से भारत नगर नजफगढ़ नाला पुल तक जोड़ने वाला मार्ग बनाना	4.00	—	2.00	—	1.00	—	1.00	—
(17)	सर्वेक्षण अन्वेषण और नई स्कीमों के लिए विशेष टी व पी (1) प्रायोजना का अन्वेषण और तैयार (2) सड़क निर्माण उपकरणों की खरीद और ट्रेलर सहित जीपों की खरीद . .	20.00	—	5.00	2.65	12.00	—	12.00	—
(18)	एंड्रूज गंज से आरम्भ होने वाली और मस्जिद मोठ, गौतम नगर से गुजरने वाली भीतरी व बाहरी रिंग रोड़ को जोड़ने वाली रिंग रोड़ नं०–5 सी के साथ सहायक सड़क व फुटपाथ के निर्माण . .	10.00	—	4.00	6.02	2.95	—	2.95	—
(19)	दिल्ली-करनाल रोड़ पर आदर्श नगर के चौराहे के निकट भूमि का अधिग्रहण और 200 आर/डब्ल्यू के लिए ढांचा तैयार करना .	—	—	—	—	0.05	—	0.05	—
(20)	मथुरा रोड़ से नए यमुना बैराज ओखला तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण (रोड़ नं०–13 को आगे बढ़ाते हुए) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	130.35	—	16.51	17.55	29.75	—	29.75	—
(ख)	बड़े पुल जो नहीं हैं नई स्कीम								
(1)	बाहरी रिंग रोड़ नं०–26 के साथ साथ दिल्ली टेल डिस्ट्रीब्यूटरों पर पुल का निर्माण . .	20.00	—	5.00	4.24	6.50	—	6.30	—
(2)	वर्तमान रेल व सड़क के पुल के दक्षिण में पुल का निर्माण जैसा कि विद्युत्-शवदाहगृह के निकट या शांतिवन के पीछे है . .	20.00	—	1.00	0.54	0.50	—	0.50	—
(3)	पेनटून पुल बनाना और उसका रखरखाव : .	20.00	—	5.00	4.31	5.00	—	5.00	—
	उप जोड़ . .	60.00	—	11.00	9.09	12.00	—	12.00	—
(ग)	सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना। डबल लेन सेक्शन नई स्कीम में								
(1)	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के राष्ट्रीय उपमार्ग को गाजियाबाद रोड़ से लेन 4 तक जोड़ने वाली रोड़ नं० –36	5.00	—	—	0.10	2.00	—	2.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2)	रोड़नं० –14 राष्ट्रीय राजमार्ग को तुगलक बाग रोड़ 4 लेन्स से जोड़ने वाली रोड़ नं०–13 . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
(3)	ओखला औद्योगिक क्षेत्र तीन से चार लेन्स के परिचय में साथ साथ चलने वाली सड़क को बदरपुर रोड़ से जोड़ने वाली रोड़ नं०–13 .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
(4)	रोड़ नं० 36 जो पालम रोड़ को रिंग रोड़ 4 लेन्स से जोड़ती है । .	5.00	—	0.10	—	—	—	—	—
(5)	बजीराबाद बैराज के पूर्वी यमुना नहर 4 लेन्स को जोड़ती रोड–59 .	5.00	—	:-	—	5.00	—	5.00	—
(6)	पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश सीमा सड़क नं० –7, 4 लेन्स को जोड़ने वाली रोड़ नं०–63 . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
(7)	जी० टी० करनाल रोड राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग—1 को नजफगढ़ रोड़ 4 लैन्स से जोड़ने वाली बाहरी रिंग रोड़ 26	5.00	—		—	—	—	—	—
(8)	मालरोड़ को बजीराबाद बैराज 4 लैन्स से जोड़ने वाली रोड़ 45 .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
(9)	दक्षिणी दिल्ली म बाहरी रिंग रोड़ (रोड़ नं० –7, 8, 10) .	10.00	—	—	—	—	—	—	—
10)	महरौली रोड़ और पूर्वी पहुंच मार्गों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 4 लैन्स जोड़ते वाली रोड़ नं– 11	6.50	—	—	—	—	—	—	—
11)	लेन्स 4 तक सिरीफोट रोड़ को चौड़ा करना . . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
12)	चिराग-दिल्ली रोड़ को महरौली रोड़ 4 लेन्स से जोड़ने वाली रोड़ नं०–15	5.00	—	—	—	—	—	—	—
13)	रोड़ नं० –3 महरौली बदरपुर रोड को जोड़ने वाली एस० –ए रोड़ .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
14)	आश्रम से सफदरजंग अस्पताल तक रिंग रोड़ फेज—1 . .	5.00	—	—	—	2.00	—	2.00	—
15)	सफदरजंग से मौला कुआं चौराहे तक रिंग रोड़ फैज—2 . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
6)	रोहतक रोड़ से जी० टी० करनाल रोड़ तक रिंग रोड़ फेज —5 .	9.95	—	—	—	—	—	—	—
7)	पटेल रोड़ को लोहा मंडी नारायणा से जोड़ने वाली रिंग रोड़ 89 का विस्तार	11.00	—	—	—	—	—	—	—
8)	रोड़ नं० –68 को पूर्वी यमुना रोड़ से रोड़ नं०—66 के साथ मिलने तक मजबूत बनाना। . .	2.52	—	1.00	—	3.00	—	3.00	—
9)	रोड़ नं०–59 के निकट पूर्वी यमुना रोड़ के साथ साथ रोड़ नं०—66 को रोड़ नं० –65 से मिलने तक .	1.00	—	1.00	—	2.00	—	2.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	बाहरी रिंग रोड़ नं०-26 को जोड़ने वाली रोड़ नं०-28 को रिंग रोड़ फैन —5 तक	1.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
21.	1978 की बाढ़ से रोड नं०-89 एसटेंशन को पहुंचे नुकसान की मरम्मत जो पटेल रोड़ व पूसा रोड़ को जोड़ती हुई नारायणा लोहा मण्डी से होती हुई पूसा इंस्टीट्यूट के पश्चिम से गुजरती है । .	9.00	—	9.00	—	7.00	—	7.00	—
22.	उत्तर प्रदेश को व दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान सड़क तक जोड़ने वाली सड़क के किनारों को 1978 की बाढ़ से पहुंचे नुकसान से मरम्मत ।	0.56	—	0.56	1.23	—	—	—	—
23.	1978 की बाढ़ आर ओ बी 28 एस एच रेजिंग को पहुंचे नुकसान की मरम्मत और सेडिल्ड रोड़ को मज-बूत करना . .	2.59	—	2.59	1.23	—	—	—	—
	उप जोड़ .	119.12	—	15.25	2.56	22.00	—	22.00	—
	रेल संबल क्रासिंग के बदले ओवर/अन्डर ब्रिज बनाना								
	(क) नई किस्में								
1	दिल्ली करनाल रोड़ को पार करती हुई बाहरी रिंग रोड़ नं०-26 पर पुल के ऊपर सड़क तथा पहुंच मार्ग बनाना . .	50.00	—	35.50	40.00	8.00	—	8.00	—
	(क) रेलवे पुल का रोड़ अथारिटी शेयर								
	(ख) पहुंच मार्गों का निर्माण								
	(ग) दिल्ली में बाहरी रिंग रोड़ नं०-26 पर पुल के ऊपर सड़क व पहुंच मार्ग बनाना . . .	50.00	—	35.50	46.76	8.00	—	8.00	—
	अम्बाला रेलवे लाइन्स								
	रेलवे पुल का रोड़ अथारिटीज शेयर पहुंच मार्गों का निर्माण .								
	गाजियाबाद को जाने वाली मुख्य रेलवे लाइनों व रोड़ नं०-58 के चौराहे के पार पुल के ऊपर सड़क व पहुंच मार्ग बनाना (आर.ओ.बी.-18)	5.00	—	0.10	—	2.00	—	2.00	—
	मथुरा रोड को निजामुद्दीन पुल सं०-80 से जोड़ने वाली लिंक रोड पर पुल के ऊपर सड़क का निर्माण .	25.00	—	0.05	—	2.00	—	2.00	—
	रेल व सड़क प्रायोजना . .	5.00	—	0.10	—	—	—	—	—
	रोड़ नं०-63 पर पुल के ऊपर सड़क .	5.00	—	0.10	—	0.50	—	0.50	—
	उपजोड़	140.00	—	71.35	86.76	20.50	—	20.50	—
	चार लेन्स तक सड़क को चौड़ा करना नई स्कीमें								
	रोड़ नं०-69 को जी० टी० रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं०-64	1.00	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जी० टी० गाजियाबाद रोड को रोड नं० 56, 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं० 57 . .	20.00	—	1.00	—	2.00	—	2.00	—
	राष्ट्रीय उपमार्ग रा० राजमार्ग-24 को गाजियाबाद रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं० 56 .	5.00	—	0.10	—	1.00	—	1.00	—
	पटेल रोड से पूसा इंस्टीट्यूट 2 लेन्स से 4 लेन्स तक पश्चिम में गुजरती हुई पुल के ऊपर जाने वाली सड़क नं० 26 को जोड़ने वाली रोड नं० 25 .	21.00	—	0.90	—	5.00	—	5.00	—
	बाहरी रिंग रोड 25 को रिंग रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली सड़क नं० 41	5.00	—	—	—	—	—	—	—
	बाहरी रिंग रोड 26 को 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ती हुई रोड नं० 42 .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	बाहरी रिंग रोड नं०–26 को रिंग रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं०–43 .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	रोड नं० –41 को रोड नं०–43 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं० 43 . . .	1.00	—		—	—	—	—	—
	रोड नं०–14 को तुगलका बाग 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं०–12 . . .	12.50	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	बदरपुर रोड को ओखला औद्योगिक क्षेत्र 2 लेन्स से 4 लेन्स के साथ गुजरने वाली सड़क नं०–14	10.00	—	1.00	1.26	5.00	—	5.00	—
	पंखा रोड को रिंग रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली सड़क नं०–36 . . .	20.00	—	1.00	—	8.00	—	8.00	—
	रोड नं०–25 को पंखा रोड 2 लेन्स से 4 लेन्स तक जोड़ने वाली रोड नं०—29 . . .	21.50	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	वजीराबाद बैराज को पूर्वी यमुना नहर 2 लेन्स से 4 लेंस तक जोड़ने वाली सड़क नं० —59. .	20.00	—	1.00	0.81	4.00	—	4.00	—
	पूर्वी यमुना नहर को उत्तर प्रदेश सीमा सड़क नं०-70 को 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली सड़क नं०-63 .	10.00	—	—	—	—	—	—	—
	जी0 टी0 करनाल रोड राष्ट्रीय राज मार्ग-1 को नजफगढ़ रोड 2 लेंस तक जोड़ने वाली बाहरी रिंग रोड नं०–26 .	10.00	—	0.10	—	2.00	—	2.00	—
	जी० टी० रोड को रोड 59, 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली रोड नं०-66 .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
	दक्षिण दिल्ली में बाहरी रिंग रोड (रोड नं० 7,8,10 को 4 लेंस से 6 लेंस तक चौड़ा करना . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
18	महरौली रोड और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के पहुंच मार्गों को 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली रोड नं० 11 . . .	15.00	—	0.10	1.37	4.00	—	4.00	
19	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के 2 लेंस से 4 लेंस तक पूर्वी और पश्चिमी पहुंच मार्गों को जोड़ने वाली रोड नं० 12	1.00	—	—	—	—	—	—	
20	2 लेंस से चार लेंस तक फोर्ट रोड को चौड़ा करना . .	10.00	—	5.00	4 96	3.00	—	3.00	
21	फेज 3 से 6 लेंस तक रिंग रोड . .	10.00	—	5.00	—	5.00	—	5.00	
22	प्रस्तावित मस्जिद मोठ रोड, जोनल रोड 50, महरौली रोड नं० 50 को जोड़ने वाली 80 फीट चौड़ी सड़क को चौड़ा करना . .	5.00	—	4.00	1.56	1.00	—	1.00	
23	चिराग दिल्ली रोड को महरौली रोड 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली सड़क नं० 15 . .	20.00	—	1.00	—	7.25	—	7.25	
24	रोड नं० -3 महरौली बदरपुर रोड को 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली सब आर्टीरियल . .	20.00	—	0.10	—	5.00	—	5.00	
25	कालकाजी रोड और रोड नं० -4 को 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली रोड नं०-3 . .	10.00	—	—	—	—	—	—	
26	जेल रोड और पंखा रोड 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली रोड नं०-33	1.00	—	—	—	—	—	—	
27	भीतरी और बाहरी रिंग रोड के चौराहे 2 लेंस से 4 लेंस तक जोड़ने वाली रोड नं०-28 . .	5.00	—	—	—	—	—	—	
28	रोड नं०-28 और नजफगढ़ रोड को 2 लेंस से 4 लेंस तक चौड़ा करके उससे जुड़ने वाली रोड नं०-31 .	5.00	—	—	—	—	—	—	
29	रोड नं० -36 और नजफगढ़ रोड को जोड़ने वाली रोड नं० -32 .	1.00	—	—	—	—	—	—	
30	रिंग रोड को राव तुलाराम रोड से जोड़ने वाली पैरीफेरी रोड .	10.00	—	0.10	—	2.00	—	2.00	
31	रिंग रोड पर पुलों के ऊपर बनाई गई सड़कों और उन के पहुंच मार्गों को चौड़ा करना . .	5.00	—	0.10	—	2.00	—	2.00	
	(1) श्री निवास पुरी .								
	(2) हरियाणा .								
	(3) शकूर बस्ती .								
	(4) आजादपुर . .								
32	रोड नं० -57 के चौराहे से झिलमिल कालोनी तक रोड नं०-58 को चौड़ा करना . .	—	—	—	—	0.10	—	0.10	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 रोड नं० -71 को चौड़ा करना .	--	--	--	--	1.95	--	1.95	--
4 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यू० पी० के लिए वर्तमान सड़क को जोड़ने वाले मार्ग को चौड़ा करना .	--	--	--	0.53	--	--	--	--
उपजोड़ . .	287.00	--	20.50	10.19	60.30	--	60.30	--
) **विविध कार्य-विभिन्न सड़कों पर रोशनी**	74.00							
1. रोड नं0 -3 पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	2.00					
2. माल रोड में रोशनी में सुधार .	--	--	2.00					
3. रोड नं0 -4 व 5 में रोशनी में सुधार	--	--	2.00					
4. बाहरी रिंग रोड नं० 7, 8 व 10 में रोशनी की व्यवस्था में सुधार	--	--	2.00	66.62	45.00	--	45.00	--
5. पैरीफेरी रोड पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	2.00					
6. रोड नं० -30 पर रोशनी की व्यवस्था . . .	--	--	2.00					
बाहरी रिंग रोड नं० -26 पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	2.00	--	--	--	--	--
सड़क के ऊपर पुल संख्या 40 के पहुंच मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	2.00	--	--	--	--	--
सड़क के ऊपर पुल संख्या 58 के पहुंच मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	2.00	--	--	--	--	--
---वही--- रोड नं०-3	--	--	2.75	--	--	--	--	--
श्री फोर्ट रोड नं०-एन-एच-24 उत्तर प्रदेश लिंक रोड और बाहरी रोड पर रोशनी की व्यवस्था	--	--	32.25	--	--	--	--	--
उपजोड़ . .	74 00	--	52.00	66.62	45.00	--	45.00	--
) **पैदल और साइकिल मार्ग** **विभिन्न सड़कों के साथ-साथ रेजड कर्ब स्टोर और फुटपाथ**								
शान्तिपथ विस्तार (राव तुलाराम मार्ग)	--	--	--	--	1.00	--	1.00	--
राष्ट्रीय राजमार्ग-1 विश्वविद्यालय चौराहे से खालसा कालेज तक दोनों ओर फुटपाथ बनाना	--	--	--	--	--	--	--	--
रोड नं०-58 पर आर० ओ० बी० 17 के लिए आर० सी० सी० रैलिंग और फुटपाथ की व्यवस्था	15.03	--	2.80	17.83	--	--	--	--
आर० ओ० बी० 15 के लिए रेलिंग आर० सी० सी० रेलिंग और फुटपाथ की व्यवस्था	--	--	--	--	--	--	--	--
रोड नं०-89 विस्तार के साथ साथ एम-डब्ल्यू० नाले के साथ फुटपाथ की व्यवस्था	--	--	--	--	2.00	--	2.00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. किंग्स्वे कैम्प चौराहे पर माल रोड के साथ फुटपाथ और बस वेज में सुधार	--	--	--	--	0.25	--	0.25	--
	7. अन्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर फुटपाथ की व्यवस्था	--	--	--	--	0.60	--	0.60	--
	उप-जोड़ .	15.00	--	2.80	1.85	3.85	--	3.85	--
	(3) बस वेज और बस रेसिसिज								
	1. बाहरी रिंग रोड पर महरौली बदरपुर चौराहे से (राव तुलाराम मार्ग रोड नं०-8 व 10) चौराहे तक बस बैज में सुधार	--	--	--	--	0.25	--	0.25	--
	2. रिंग रोड़ फेज 2 नानकपुरा सफदरजंग के साथ बस वेज का विकास	10.00	--	3.00	2.85	2.50	--	2.50	--
	3. अन्य सार्वजनिक विभाग सड़कों मोती बाग ए० आर० कालेज आदि पर बस वेज और रिसिसिज की व्यवस्था	--	--	--	--	0.85	--	0.85	--
	उप जोड़ . . .	10.00	--	3.00	2.85	3.60	--	3.60	--
	(4) इण्टरसैक्शन आई/सी लाइट सिगनल्स में सुधार फलाई ओवर सुविधाएं आदि								
	1. रिंग रोड़ पर सफदरजंग अस्पताल संस्थान	--	--	1.00	--	1.50	--	1.50	--
	2. के० एम० सी० भार्गव अरविन्द मार्ग, एम एवेन्यू रोड नं०-9 इण्टर सेक्शन रोड़		--	2.00	--	4.00	--	4.00	--
	3. रिंग रोड़ पर माया पुरी चौराहा		--	0.10	--	1.00	--	1.00	--
	4. रोहतक रोड चौराहा		--	0.10	--	0.25	--	0.25	--
	5. रिंग रोड फेज-2 के साथ राव तुलाराम मार्ग		--	0.10	0.11	--	--	--	--
	6. रोड नं०-59 वजीराबाद बैराज लोनी रोड के साथ		--	2.00	3.82	--	--	--	--
	7. श्रीफोर्ट मार्ग और चिराग दिल्ली रोड	40.00	--	--	--	1.00	--	1.00	--
	8. रोड नं० 5 और बाहरी रिंग रोड का चौराहा		--	0.10	2.70	1.00	--	1.00	--
	9. बाहरी रिंग रोड व महरौली रोड का चौराहा		--	0.10	--	1.00	--	1.00	--
	10. बाहरी रिंग रोड व रोड नं० 50 का चौराहा		--	0.10	--	--	--	--	--
	11. रोड नं०-65 व 57 तथा जी० टी० गाजियाबाद रोड का चौराहा		--	0.10	--	1.00	--	1.00	--
	12. कोई अन्य चौराहा		--	0.10	3.78	1.00	--	1.00	--
	13. मूलचन्द आर/ए फेज 1 का सुधार		--	--	--	1.00	--	1.00	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 झण्डमल मार्ग व रिंग रोड फेज 2 के चौराहे का सुधार		--	--	--	--	--	--	--
5. मालवीय नगर में रोड नं०-6 व 7 के चौराहे का सुधार		--	--	--	1.30	--	1.30	--
उप जोड़	40.00	--	5.80	10.41	14.05	--	14.05	--
) मार्ग--नाला प्रणाली में सुधार								
1. बाहरी रिंग रोड व भीतरी रिंग रोड को जोड़ने वाली पैरीफैरी रोड के साथ नाला व्यवस्था		--	0.10	--	1.50	--	1.50	--
2. एम एवेन्यू से बाहरी रिंग रोड (रोड नं० 9) को जोड़ने वाली सड़क के साथ नाला व्यवस्था		--	0.10	--	1.50	--	1.50	--
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग की अन्दर की सड़कों का सुधार	5.00	--	0.10	0.73	1.00	--	1.00	--
4. रोड नं०- 75-ए पर रोड 280 एम पर पाइप की सुविधा बनाना		--	--	--	--	--	--	--
उपजोड़ . . .	5.00	--	0.30	0.73	4.00	--	4.00	--
विभिन्न सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के चौराहे पर वृक्षदार भूमि								
. राष्ट्रीय राजमार्ग—1 के किनारे निम्नलिखित के निकट व्यवस्था (1) तिमारपुर चौराहा (कि० मी० 7.10 से 11.5) आजादपुर		--	1.00	--	1.60	--	1.60	--
(2) आजादपुर से औचन्दीमार्ग (कि. मी० 11.9 से 13.00) व (15.50 से 25.35)		--	--	--		--	--	--
. रिंग रोड 2 शालीमार शादीपुर डिपो (89 इकजी) को जोड़ने वाली नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज 3 के साथ 100 फीट चौड़ी सड़क के किनारे वृक्ष लगाकर विकास करना	10.00	--	--	--	--	--	--	--
जे० पी० भवन से पुरानी यमुना तक वृक्ष आदि लगाना		--	--	--	1.00	--	1.00	--
राव तुलाराम मार्ग से मोतीबाग तक निर्माण कार्य व वृक्ष लगाना आदि		--	--	--	1.00	--	1.00	--
मथुरा रोड से रिंग रोड तक भैरों-रोड के सड़क निर्माण कार्य व वृक्ष लगाना आदि		--	--	--	0.40	--	0.40	--
उप जोड़	10.00	--	1.00	--	4.00	--	4.00	--
विभिन्न मौजूदा सड़कों के साथ सहायक सड़कें								
चौराहा नं०—9 से महरौली रोड (नं० 3) तक बाहरी रिंग रोड के साथ सहायक सड़क का निर्माण		--	--	--	3.00	--	3.00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. मथुरा रोड के साथ साथ बदरपुर गांव में सहायक सड़क की व्यवस्था	--	—	--	--	0.80	—	0.80	—
	3. सार्वजनिक निर्माण विभाग की अन्य सड़कें	15.00	—	2.00	0.60	2.00	—	2.00	—
	4. सड़क नं० 10 (बाहरी रिंग रोड) के साथ सहायक सड़क का निर्माण	(एल एस) —	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	5. सड़क नं०-7 (बाहरी रिंग रोड) के साथ सहायक सड़क का निर्माण	--	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	उप जोड़	15.00	—	2.00	0.60	7.80	—	7.80	—
(8)	**छठी योजना कार्य के लिए अग्रिम कार्यवाही**	1.00	—	0.20	—	0.20	—	0.20	—
(9)	**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**								
	1. गांव बिजवासन दिल्ली से जिला गुड़गांवा में चौमू तक पहुंच मार्ग का निर्माण	—	—	—	2.07	0.50	—	0.50	—
	2. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बाहरीपुर गांव से यू० पी० की सीमा तक मार्जिनल बांध पर सड़क का निर्माण	—	—	5.00	—	1.00	—	1.00	—
	3. पंडवाला कलां से खड़खड़ी जेतमल सड़क मरम्मत व वर्तमान रिंग रोड को ऊंचा करना	—	—	—	0.44	2.00	—	2.00	—
	4. महरौली रोड व कटवारिया सराय के बीच ग्रामीण सड़क का निर्माण	10.00	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	5. अन्य गांव (एल एस)	—	—	—	—	0.50	—	0.50	—
	उप जोड़	10.00	—	5.00	2.51	5.00	—	5.00	—
(10)	**दिल्ली विकास प्राधिकरण**								
	सड़क का निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल —(सड़क व पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग)	1497.00	167.05	275.00	284.40	275.00	—	275.00	—
	यातायात पुलिस								
	(1) यातायात पुलिस का आधुनिकीकरण	150.00	23.48	30.00	29.76	25.00	25.00	—	—
	(2) सड़क सुरक्षा शिक्षा और प्रचार कक्ष								
	कुल (दिल्ली प्रशासन)	1647.00	190.89	305.00	314.16	300.00	25.00	275.00	—
(1)	**दिल्ली नगर निगम**								
	चालू स्कीम (शहरी सड़कें)								
	1. ईदगाह के निकट पंचकुइयां रोड तक रानी झांसी मार्ग को चौड़ा करना	4.50	0.24	1.00	0.51	1.00	1.00	—	—
	2. लोधी रोड व फेज 2 को चौड़ा करना	5.63	3.29	0.50	3.57	1.00	1.00	—	—

2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. दिल्ली मिल्क स्कीम (पटेल नगर ओवर ब्रिज) के निकट रोड नं०-34 से ओवर ब्रिज तक पहुंच मार्ग	5.00	—	—	—	—	—	—	—
4. पुरानी रोहतक रोड व नई रोहतक रोड के बीच रेलवे लाइन पर पुल सराय रोहिल्ला ओवर ब्रिज	0.59	0.50	0.39	0.33	0.10	0.10	—	—
5. बहादुरशाह जफर मार्ग पर तिलक ब्रिज को चौड़ा करना	0.42	3.54	0.20	0.01	0.10	0.10	—	—
6. मथुरा रोड से होली फैमिली अस्पताल तक ओखला रोड का चौड़ा करना	2.00	0.26	0.50	0.01	0.50	0.50	—	—
7. छाड़े मार्ग व पैदल पुलों का निर्माण	2.50	—	—	—	0.10	0.10	—	—
8. जखीरा से तिलक नगर तक नजफगढ़ रोड फेज 2 का निर्माण	90.00	16.51	20.00	23.33	30.00	30.00	—	—
9. महरौली रोड फेज-2 का चौड़ा करना	1.90	0.09	0.50	0.10	0.10	0.10	—	—
0. पूर्वी मार्ग से पूसा रोड आर०ए० तक शंकर मार्ग का चौड़ा करना	1.00	—	0.01	0.41	0.10	0.10	—	—
1. डिफेंस कालोनी के निकट लिंक रोड पर पुल	1.03	0.09	—	—	—	—	—	—
2. रोड नं०-34 को रिंग रोड तक बढ़ाना अर्थात नजफगढ़ नाला फेज-1 पर पुल बनाना	2.00	0.01	0.50	—	1.00	1.00	—	—
3. पटेल रोड नं०-34 फेज 2 को चौड़ा करना	6.00	4.11	1.00	1.56	1.50	1.50	—	—
4. महरौली बदरपुर से महरौली गुड़गांव रोड तक अरविन्द रोड का सुधार व उसे चौड़ा करना	0.10	—	0.05	0.02	0.10	0.10	—	—
5. कुदसिया मार्ग से माल रोड तक अलीपुर रोड का सुधार व चौड़ा करना	0.10	—	0.01	—	0.10	0.10	—	—
6. पटेल रोड से मिलट्री रोड तक आर्यसमाज रोड का सुधार व चौड़ा करना	12.00	11.44	1.00	2.36	0.10	0.10	—	—
. बुलवर्ड रोड का सुधार व चौड़ा करना	5.00	0.10	1.00	0.76	0.10	0.10	—	—
. चित्रगुप्त रोड को चौड़ा करना	2.00							
(1) पंचकुईयां रोड से देश बंधु गुप्ता रोड तक	2.00	—	1.00	—	0.20	0.20	—	—
(2) देश बंधु गुप्ता रोड से बहादुरगढ़ रोड तक	—	0.10	—	—	1.00	1.00	—	—
शक्ति नगर से नई रोहतक रोड तक सर्कुलर रोड को चौड़ा करना व सुधार	2.50	6.11	1.00	0.60	0.10	0.10	—	—
चौबुर्जी मार्ग को चौड़ा करना व मजबूत करना	2.00	0.09	1.00	—	0.10	0.10	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21.	रिंग रोड से सेवा नगर रोड तक डिफेंस कालोनी रोड को चौड़ा व सुधार	6.00	0.62	3.00	4.45	1.00	1.00	—	
22.	बसंत रोड को चौड़ा करना व सुधार	0.10	—	0.05	—	0.05	0.05	—	—
23.	नई रोहतक रोड से रानी झांसी रोड तक रोड नं०-3 को चौड़ा करना व सुधार	0.10	—	0.01	—	0.10	0.10	—	—
24.	जेल रोड को चौड़ा करना व सुधार	10.00	10.49	0.74	6.66	1.00	1.00	—	—
25.	देश बन्धु गुप्ता रोड से पूसा रोड तक गुरुद्वारा रोड को चौड़ा करना व सुधार	4.00	0.15	2.00	2.12	1.00	1.00	—	—
26.	रिंग रोड से कालका जी तक लाला लाजपत राय मार्ग को चौड़ा करना व सुधार	9.00	2.05	—	—	—	—	—	—
27.	झांसी रोड से फैज रोड तक लिंक रोड का चौड़ा करना व सुधार	3.00	—	1.00	2.34	0.50	0.50	—	—
28.	जखीरा से रिंग रोड तक नई रोड को चौड़ा करना व सुधार	10.00	4.81	5.00	5.72	2.00	2.00	—	—
29.	मालरोड से बाहरी रिंग रोड प्राइसिस रोड से पामोरी रोड का चौड़ा करना व सुधार	0.50	—	0.01	1.32	0.10	0.10	—	—
30.	[illegible] रोड का चौड़ा करना व सुधार	11.00	4.68	5.00	1.61	5.00	5.00	—	—
31.	रामा रोड को चौड़ा करना व सुधार	6.00	6.39	2.00	0.95	1.00	1.00	—	—
32.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग का चौड़ा करना व सुधार	2.17	0.60	0.48	9.35	1.00	1.00	—	—
33.	शंकर रोड से बुद्ध जयन्ती पार्क तक अन्दर रिंग रोड को चौड़ा करना व सुधार (1) लोधियां पुर से डा० एच० सो० सेन मार्ग (2) चच मिशन रोड से जी०बी०रोड	12.00	2.34	0.50	0.84	2.00	2.00	—	
34.	जखीरा से रानी झांसी रोड तक पुरानी रोहतक रोड को चौड़ा करना व सुधार	18.00	6.37	5.00	9.42	5.00	5.00	—	-
35.	छात्र मार्ग को छोड़ कर विश्वविद्यालय क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करना व सुधार	0.10	0.15	0.01	0.04	0.10	0.10	—	—
36.	सत्यवती मार्ग को चौड़ा करना व सुधार	5.50	1.61	1.00	—	1.00	1.00	—	—
37.	पटेल इंस्टीट्यूट से धीरपुर तक किंग्सवे कैम्प रोड . .	10.00	5.28	2.00	0.57	5.00	5.00	—	—
38.	भोला नाथ रोड (अर्थात् भूमि अधिग्रहण) को चौड़ा करना व सुधार	3.00	2.04	1.00	2.15	0.10	0.10	—	
39.	रिंग रोड से लिंक रोड तक सैन्ट्रल रोड को चौड़ा करना व सुधार	1.00	0.31	0.50	—	0.20	0.20	—	—
10.	नई रोहतक रोड को चौड़ा करना व सुधार	5.00	—	1.00	2.16	0.10	0.10	—	—
41.	सड़क निर्माण के लिए उपकरण व मशीनरी की खरीद	9.15	10.00	2.00	—	1.00	1.00	—	—
42.	शहरों की सड़कों का सुधार व नई सड़कें बनाना . . .	44.11	65.56	1.00	1.71	1.00	1.00	—	—
43.	चौराहों का सुधार . .	0.50	—	0.50	0.50	0.50	0.50	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	विभिन्न सड़कों का सर्वेक्षण व अन्वेषण --औजार . . .	2.35	2.47	—	--	—	—	—	--
45	नई पूसा रोड (रोड नं०-22 को चौड़ा करना .	0.10	0.11	0.01	0.11	0.10	0.10	—	--
46.	निजामुद्दीन के निकट जंगपुरा तक मथुरा रोड को चौड़ा करना	—	0.08	—	—	—	—	—	—
47.	दिल्ली गेट के निकट से निजामुद्दीन तक मथुरा रोड को चौड़ा करना	—	0.31	—	—	—	—	—	—
48.	सड़क बनाने के लिए मशीनरी व उपकरणों की खरीद	30.00	3.41	1.00	0.39	30.00	30.00	--	--
49.	उ० प्र० सीमा से आजादपुर तक जी० टी० रोड को चौड़ा करना व सुधार	16.00	1.13	1.83	3.96	5.00	5.00	--	—
50.	गंगाराम अस्पताल रोड को चौड़ा करना व सुधार करना	1.00	0.01	0.10	--	0.10	0.10	—	—
51	रानी झांसी रोड से कुतुब रोड तक आजाद मार्केट को चौड़ा करना	1.00	—	0.01	—	0.10	0.10	—	—
52.	आर्य समाज रोड से नई रोहतक रोड तक कैम्प सिनेमा रोड को चौड़ा करना	--	--	--	—	—	—	—	—
53	माल रोड से विद्या मार्ग तक छात्र मार्ग को चौड़ा करना ,, ,,	3.00	--	0.01	—	0.05	0.05	—	—
54.	कारोनेशन रोड, माल रोड से मिलट्री रोड तक चौड़ा करना ,,	5.00	—	0.50	—	0.50	0.50	—	—
55.	कनाट सर्कस से देशबन्धु गुप्ता रोड तक चैम्स फोर्ड रोड को चौड़ा करना	5.00	—	—	—	—	—	—	—
56.	रिंग रोड से सुभाष मार्ग तक दरियागंज गंज रोड पर किनारे किनारे पैदल व साइकिल मार्ग बनाना	2.00	--	0.01	—	0.05	0.05	—	—
57	लिंक रोड से झांसी मार्ग तक फैज रोड को चौड़ा करना व सुधार करना	10.00	--	4.00	--	0.50	0.50	—	--
58.	अजमेरी गेट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर तक श्रद्धानन्द मार्ग को चौड़ा करना	1.00	—	0.01	—	0.05	0.05	—	--
59.	सुभाष मार्ग से यमुना बाजार तक यमुना बाजार रोड को चौड़ा करना	2.00	--	0.01	—	0.05	0.05	—	—
60.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग को चौड़ा करना	5.00	0.05	1.00	—	1.00	1.00	—	—
61.	किनारे पर पैदल मार्ग, साइकिल मार्ग और सहायक सड़क का निर्माण (1) लोधी रोड से रिंग रेलवे तक लाला लाजपत राय मार्ग पर (2) रिंग रेलवे से रिंग रोड तक	2.00	—	0.50	3.73	1.00	1.00	—	—
62	लोथियन पुल से कुदसिया क्षेत्र तक लोथियन रोड को चौड़ा करना	2.75	—	1.00	—	0.50	0.50	—	—
63.	मथुरा रोड से चौथी एवन्डी तक लोधी रोड को चौड़ा करना	25.00	3.84	5.00	0.21	10.00	10.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	पूसा रोड से आर्य समाज रोड तक मिण्टो रोड को चौड़ा करना व सुधार	1.25	—	1.00	—	0.10	0.10	—	—
65.	मिण्टो रोड़ को चौड़ा करना व सुधार	3.00	—	0.05	—	0.05	0.05	—	—
66.	जेल रोड से पंखा रोड तक नजफगढ़ रोड को चौड़ा करना व सुधार	20.00	2.77	3.00	5.52	5.00	5.00	—	—
67.	किचलु रोड से मथुरा रोड को चौड़ा करना व सुधार	10.00	0.87	1.00	—	—	—	—	—
68.	कुदसिया मार्ग को चौड़ा करना व सुधार	1.00	0.01	0.01	—	0.05	0.05	—	—
69.	कुतब रोड को चौड़ा करना व सुधार	3.00	0.08	1.00	—	0.50	0.50	—	—
70.	ईदगाह रोड से सब्जी मण्डी तक रानी झांसी रोड को चौड़ा करना व सुधार	8.00	1.68	1.00	—	2.00	2.00	—	—
71.	रामकृष्ण मार्ग को चौड़ा करना व सुधार	1.00	—	0.01	—	0.05	0.05	—	—
72.	नजफगढ़ रोड से शहरी युनिट तक रोहतक रोड (एन एच-10) को चौड़ा करना व सुधार	—	0.19	—	—	—	—	—	—
73.	बुलवर्ड रोड से माल रोड तक रिंग रोड को चौड़ा करना व सुधार	1.00	2.00	0.10	—	0.05	0.05	—	—
74.	राजघाट रोड को चौड़ा करना व सुधार	1.00	—	0.50	—	0.50	0.50	—	—
75.	मलकागंज रोड को चौड़ा करना व सुधार	2.00	0.18	0.50	—	0.50	0.50	—	—
76.	लोथियान रोड कोचौड़ा करना व सुधार	—	0.71	—	—	—	—	—	—
77.	लोधी रोड चौराहे से सेवा नगर तक चौथी एवेन्यू रोड को चौड़ा करना व सुधार	5.00	—	1.00	6.18	1.00	1.00	—	—
78.	ईदगाह रोड को चौड़ा करना व सुधार	8.00	—	1.00	—	1.00	1.00	—	—
79.	लखनऊ रोड को ,, ,,	5.00	2.72	1.00	0.43	0.10	0.10	—	—
80.	राजपुर रोड को ,, ,,	5.00	3.71	1.00	—	—	—	—	—
81.	गांधी नगर रोड को ,, ,,	—	2.36	—	—	—	—	—	—
82.	भूमि अधिग्रहण सहित आजाद नगर रोड को चौड़ा करना व सुधार	5.00	—	1.00	—	0.50	0.50	—	—
83.	बस बेज व रोड रेलिंग का निर्माण	5.00	0.49	1.00	3.40	1.00	1.00	—	—
84.	दरियार नाला करौल बाग के ऊपर सड़क का निर्माण	3.00	—	2.00	0.48	2.00	2.00	—	—
85.	सिटी रोड का सुधार और नई सड़कों का निर्माण	160.00	0.02	10.00	32.56	4.00	4.00	—	—
86.	विभिन्न सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण	5.00	—	1.00	0.39	1.00	1.00	—	—
87.	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के पहुंच मार्गों का सुधार	5.00	—	1.00	—	0.10	0.10	—	—
	उपजोड़ . . .	687.05	199.13	103.62	142.84	135.55	135.55	—	—
	चालू स्कीमें (ग्रामीण सड़क)								
1.	नजफगढ़ से गुड़गांव तक बिजवासन तक सड़क चौड़ा करना व सुधार करना	13.70	0.04	1.00	0.45	1.00	1.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	सत्यानन्द मार्ग (रोड नं० 6) को चौड़ा करना व सुधार	6.43	0.26	0.12	—	0.112	0.12	—	—
3.	वर्तमान ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाना व सुधार	54.87	25.39	1.00	13.27	0.10	0.10	—	—
4.	ग्रामीण व शहरी सड़कों के पहुंच मार्ग जिनमें लिंक रोड भी शामिल है	33.70	1.50	1.00	2.24	0.10	0.10	—	—
5.	बख्तावरपुर और हिरनकी होते हुए पल्ला से कारोनेशन पिलर तक सड़क का निर्माण . .	1.60	—	0.10	—	0.10	0.10	—	—
6.	नरेला अलीपुर रोड को चौड़ा करना	0.25	0.68	0.01	—	0.01	0.01	—	—
7.	ग्रामीण क्षेत्र को पहुंच मार्ग . .	0.71	—	—	—	—	—	—	—
8.	जी० टी० रोड रा० रा०-1 से पल्ला तक सड़क को चौड़ा करना व सुधार .	1.32	1.95	—	—	—	—	—	—
9.	विभिन्न सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण .	0.75	—	—	—	—	—	—	—
	उपजोड़ . . .	113.33	29.82	3.23	15.96	1.43	1.43	—	—
	नई स्कीमें (शहरी सड़कें)								
1.	दिल्ली गेट से कलकत्ता ब्रिज तक सुभाष मार्ग को चौड़ा करना व सुधार .	7.00	—	1.00	—	4.00	4.00	—	—
2.	दिल्ली गेट से अजमेरी गेट तक आसफ अली रोड को मजबूत करना व सुधार	3.00	—	0.10	—	3.00	3.00	—	—
3.	चिराग दिल्ली रोड से महरौली बदरपुर रोड (रोड नं० 13 को चौड़ा करना और सुधार करना . .	15.00	—	1.00	0.13	0.10	0.10	—	—
4.	महरौली बदरपुर रोड को चौड़ा करना व उसमें सुधार करना . .	10.00	—	0.50	0.55	1.00	1.00	—	—
5.	शकूरबस्ती रेलवे क्रासिंग रोड को चौड़ा करना और सुधारना . .	5.00	—	0.50	—	0.10	0.10	—	—
6.	पंचकुइंआ रोड का सुधार . .	1.00	—	0.50	—	0.10	0.10	—	—
7.	बुद्ध जयन्ती पार्क से धौला कुंआ तक ऊपर रिंग रोड को चौड़ा करना . .	10.00	—	1.00	2.60	2.00	2.00	—	—
8.	मथुरा रोड को चौड़ा करना और सुधार .	—	—	—	4.70	1.00	1.00	—	—
8.	होलीफैमिली से मास्टर प्लान रोड तक ओखला रोड को चौड़ा करना व सुधार	5.00	—	1.00	0.15	1.00	1.00	—	—
10.	बाहरी रिंग रोड को चौड़ा करना व सुधार करना	10.00	—	2.00	—	5.00	5.00	—	—
11.	चिल्ड्रर्न होम से कुतब तक अरविन्द मार्ग को चौड़ा करना व सुधार .	1.00	—	0.10	0.11	0.10	0.10	—	—
12.	थोमसन रोड को चौड़ा करना व सुधार .	1.00	—	0.10	—	0.10	0.10	—	—
13.	शहरी क्षेत्र में रणजीत सिंह रोड को चौड़ा करना व सुधार . .	1.00	—	0.10	—	0.10	0.10	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	पटेल रोड से रिंग रोड (विस्तार सही) चौराहे तक गुरु रामसिंह रोड को चौड़ा करना व सुधार करना .	1.00	--	0.10	--	0.10	0.10	--	--
15.	बहादुर शाह जफर मार्ग को चौड़ा करना व सुधार करना . .	2.00	--	0.50	6.03	2.00	2.00	--	--
16.	ईस्ट एवेन्यू रोड को पंजाबी बाग तक चौड़ा करना व सुधार .	3.00	--	0.50	--	1.00	1.00	--	--
17.	पंजाबी बाग में वैस्ट एवेन्यू रोड को चौड़ा करना व सुधार . .	3.00	--	0.50	--	1.00	1.00	--	--
18.	रिंग रोड से पश्चिम पुरी तक की सड़क को चौड़ा करना व सुधार .	2.00	--	1.00	--	0.10	0.10	--	--
19.	इन्द्र प्रस्थ मार्ग को चौड़ा करना व सुधार . . .	2.00	--	1.00	2.26	1.00	1.00	--	--
20.	शामनाथ मार्ग को चौड़ा करना व सुधार.	5.00	--	--	--	0.05	0.05	--	--
21.	उपकरणों सहित विभिन्न मार्गों का सर्वेक्षण व अन्वेषण . .	25.00	--	4.00	3.19	4.00	4.00	--	--
22.	चौराहों का सुधार . .	5.00	--	1.00	--	1.00	1.00	--	--
23.	पुनर्वास कालोनियों में सड़कों को चौड़ा करना व सुधार . .	20.00	--	3.10	--	1.00	1.00	--	--
24.	नियमित कालोनियों में सड़कों का सुधार	5.00	--	1.00	--	0.05	0.05	--	--
25.	अपनाली गई या अपनाई जाने वाली कालोनियों के बस मार्गों का सुधार .	5.00	--	1.00	--	0.05	0.05	--	--
26.	एक्सप्रेस साइकिल मार्गों का निर्माण .	5.00	--	1.00	--	1.00	1.00	--	--
27.	बहुमंजिला इमारतों के पार्किंग गेरेज का निर्माण . . .	5.00	--	1.00	--	1.00	1.00	--	--
28.	शहरी सड़कों के लिए नाली प्रणाली का सुधार . . .	25.00	--	1.50	0.78	0.05	0.05	--	--
29.	शहरी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था का सुधार . . .	100.00	--	20.00	--	1.00	1.00	--	--
30.	पुराने यमुना पुल के निकट यमुना पर नावों का पुल बनाना और उसका रख रखाव करना . .	25.00	--	4.25	--	0.05	0.05	--	--
	उप जोड़	307.00	--	49.35	20.50	32.05	32.05	--	--
	नई स्कीमें (ग्रामीण सड़कें)								
1.	महिपाल पुर महरौली रोड को मजबूत और चौड़ा करना . .	6.00	--	1.00	--	2.00	2.00	--	--
2.	महरौली गुड़गांव रोड को मजबूत करना और सुधार करना .	8.00	--	--	16.68	10.00	10.00	--	--
3.	ढासा रोड को चौड़ा करना, ऊंचा व मजबूत करना . .	6.00	--	0.50	--	2.00	2.00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	जी० टी० रोड से पल्ला तक सड़कों को मजबूत करना और सुधार .	10.00	—	0.50	0.13	0.05	05	—	—
5	जी० टी० रोड से सर्कुलर रोड से झिलमिल रोड को चौड़ा करना और सुधार करना	8.00	—	1.00	—	4.22	22	—	—
6.	शाहदरा क्षेत्र में पटपड़गंज रोड का चौड़ा करना व सुधार करना	10.00	—	1.00	—	7.00	00	—	—
7.	[illegible]पुर से बुराड़ी तक सड़क को चौड़ा करना व ऊंचा और मजबूत करना . . .	15.00	—	0.50	—	0.10	0	—	—
.	[illegible]पुर रोड से नरेला को मजबूत बनाना	15.00	—	1.00	—	15.00	15.00	—	—
.	ककरोला से नजफगढ़ तक शिवाजी मार्ग (नजफगढ़ रोड) को चौड़ा करना व मजबूत बनाना . .	6.00	—	2.00	—	0.10	0.0	—	—
	फतेहपुर बेरी से दिल्ली एन० डी० एस० ग्रामीण क्षेत्र सड़क का निर्माण .	3.00	—	1.00	—	0.50	50	—	—
	कंझावला कुतब गढ़ रोड (रोड नं० 3) को चौड़ा करना व मजबूत करना .	5.00	—	0.75	—	0.05	05	—	—
	कंझावला से बवाना तक सड़कों को चौड़ा करना व मजबूत करना . .	5.00	—	0.75	—	11.00	11 00	—	—
	गांव जपौरा कंझावला से सड़क को चौड़ा करना और मजबूत करना. .	3.00	—	1.00	—	5.00	00	—	—
	कंझावला रोड का सुधार . .	4.00	—	1.00	3.92	5.00	00	—	—
	कोठला रोड को चौड़ा करना और सुधार करना . .	5.50	—	1.50	—	9.50	9.50	—	—
	मजावली खिचड़ी पुर रोड का सुधार .	5.00	—	1.00	—	0.10	0.10	—	—
	विभिन्न सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण .	7.00	—	1.50	—	1.50	1.50	—	—
	ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी गांवों के लिए पहुंच मार्ग तथा जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण	23.62	—	8.00	22.00	9.00	9.00	—	—
	वर्तमान ग्रामीण सड़कों का सुधार और उन्हें मजबूत करना . . .	60.00	—	8.60	30.51	20.00	20.00	—	—
	वजीराबाद से करावल नगर और जोहरीपुर से लोनी रोड तक चौड़ा करना व सुधार . . .	11.50	—	1.50	—	1.00	1.00	—	—
	ग्रामीण सड़कों पर वृक्षों की व्यवस्था .	1.00	—	0.25	—	0.25	0.25	—	—
	ग्रामीण सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था .	120.00	—	20.00	—	1.00	1.00	—	—
	उप जोड़ . . .	337.62	—	53.75	58.24	97.37	97.37	—	—
	छठी व सातवीं योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही तथा दिल्ली में पर्यटन स्थलों को सुन्दर बनाना . .	15.00	—	3.00	—	0.10	0.10	—	—

D. A.—34.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	योजना सैल मोनीटर करना व स्थापित करना	10.00	—	2.00	—	0.10	0.10	—	—
	उपजोड़	25.00	—	5.00	—	0.20	0.20	—	—
	(क) चालू स्कीमें (पुल)								
1.	जेल रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर पुल फुटपाथ सहित जिसमे भूमि सम्पत्ति अधिग्रहण शामिल है	218.87	—	32.00	—	100.00	100.00	—	—
2.	रेलवे स्टेशन के निकट शाहदरा के मार्क टाइप कलमर्शर को चौड़ा करना (संशोधित)	11.65	—	4.75	—	6.00	6.00	—	—
3.	नजफगढ़ नाले के वामान पुल को रमेश नगर नाले पर चौड़ा करना	0.10	—	0.10	—	0.10	0.10	—	—
4.	रोहतक रोड पर हिंदुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि0 के निकट नजफगढ़ नाले पर पुल को 6 लेंस तक फुटपाथ सहित चौड़ा करना	17.38	40.00	2.00	—	0.10	0.10	—	—
5.	श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग को आजादपुर से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन पर पुल फुटपाथ सहित 6 लेंस पुल का निर्माण	314.00	—	45.00	20.00	125.00	125.00	—	—
6.	पुल मिठाई को चौड़ा करना	1.00	—	0.15	—	0.10	0.10	—	—
7.	लोथियन पुल को लेंस तक चौड़ा करना और साइकिल मार्गों व फुटपाथ बनाना	5.00	—	0.50	—	0.10	0.10	—	—
8.	महरौली मदारपुर रोड रेलवे लाइन पर पुल बनाना	5.00	—	0.05	—	0.10	0.10	—	—
9.	शहर के लिए ग्रेड सपरेटर इन्टर सेक्शन	5.00	—	0.05	**	0.10	0.10	—	—
10.	किशनगंज के निकट पुरानी रोहतक रोड पर अन्डर ब्रिज लेंस तक चौड़ा करना और साइकिल मार्गों व फुटपाथ भी बनाना	5.00	—	0.05	—	0.50	0.50	—	—
11.	नई रोहतक रोड पर जखीरा के निकट रेलवे लाइन पर पुल 6 लेंस व फुटपाथ सहित पुल की लागत	10.00	—	0.05	—	0.60	0.60	—	—
12	जी० टी० रोड गाजियाबाद पर एस एस लाइट रेलवे पर पुल 6 लेंस फुटपाथ सहित	10.00	—	0.05	—	0.10	0.10	—	—
13.	देशबंधु गुप्ता रोड ई दिल्ली रेलवे स्टेशन व कुतब रोड पर अन्डर पास व पुल को चौड़ा करना	5.00	—	0.05	—	0.10	0.10	—	—
14.	कैलाश नगर शाहदरा के निकट रेलवे लाइन पर अन्डर ब्रिज	5.00	—	0.05	—	0.10	0.10	—	—
15.	रेलवे लाइन पर टेलर रोड के मोड़ पर अन्डर ब्रिज	5.00	—	0.05	—	0.10	0.10	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	भीड़ भाड़ वाली सड़को को रेलवे लाइनें .	5.00	—	0.05	—	0.10	[illegible]		—
17.	इलोवेटिड रोड निर्माण . .	5.00	—	0.05	—	0.10	[illegible]		—
18.	हिन्दुस्तान हाउसिंग के निकट क्लेव लीफ का निर्माण . . .	5.00	—	0.05	—	0.10	[illegible]		—
19.	यूनिडो कांफ्रेंस (†) . .	—	—	—	—	—	[illegible]		—
	उप जोड़ . .	688.00	40.00	85.05	20.00	238.40	23[illegible]		—
	कुल (दिल्ली नगर निगम) .	2103.00*	475.00	300.00*	252.54	500.00	50[illegible]		—
	नई दिल्ली नगर पालिका चालू स्कीमें								
	(चालू स्कीम)								
1	एम एवेन्यू के पुल के नीचे सड़क का निर्माण . . .	10.00	1.25	2.50	0.15	2.00	[illegible]		—
2.	महरौली रोड़ को चौड़ा करना व सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट पुल पर सड़क बनाना . . .	10.00	0.60	2.00	0.05	2.00	[illegible]		—
3.	विशेष टी०पी० की उपलब्धि .	8.00	2.78	5.00	0.97	2.00	[illegible]		—
4	पूरे किए गए कार्यों का भुगतान .	7.00	0.44	2.06	0.07	2.00	[illegible]		—
5	स्कूल लेन को (रणजीत सिंह रोड़ से जोड़ने वाले पुल पर सड़क का निर्माण	142.28	84.08	58.20	0.18	40.00	4[illegible]		—
6.	कनाट सर्कस के भीतर भाग में 3 सबवे सैट का निर्माण . . .	20.00		1.00	1.00	—	[illegible]		—
7.	टालसटाय मार्ग को संसद मार्ग तक बढ़ाना व चौड़ा करना . .	10.00	—	5.00	—	2.50	[illegible]		—
8.	मार्कट रोड़ सहित रामकृष्णआश्रम मार्ग को चौड़ा करना और एलाइनमैन्ट	10.00	0.64	4.00	5.51	3.00	3[illegible]		—
9.	चैम्स फोर्ड रोड़ का चौड़ा करना .	40.36	15.36	25.00	22.65	3.50	[illegible]		—
10.	मोती लाल नेहरू मार्ग का चौड़ा करना . .	4.00	1.94	2.00	0.47	0.10	[illegible]		—
11.	III-एवेन्यु लोदी कालोनी को चौड़ा करना . . .	0.08	0.08	—	0.18	—	[illegible]		—
12.	I-क्रास रोड सरोजनी नगर को चौड़ा करना . .	0.22	0.22	—	—	—	[illegible]		—
13.	III-क्रास रोड सरोजनी नगर को चौड़ा करना . . .	0.05	0.05	—	—	—	[illegible]		—
14.	नजफगढ़ रोड को चौड़ा करना .	0.10	0.10	—	—	—	[illegible]		—

-आंकड़े दी जा चुकी राशि से सम्बन्धित है।

पंचवर्षीय योजना 1978-83 को एम एन पी स्कीमों का व 1979-80 के वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय क्रमशः रु० 113.[illegible] 30.00 लाख है।

*दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रस्तावित रु० 98.00 लाख की राशि शामिल है (अर्थात् [illegible]-आर एम एन पी)

(†) यूनिडो कांफ्रेंस के लिए रु० 33.00 लाख दिल्ली नगर निगम को दिए गए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. बाराखंबा रोड (मण्डी हाउस से कनाट सर्कस) को चौड़ा करना .	.	5.00	2.95	1.00	0.15	0.50	0.50	—	—
16. कस्तुरबा गांधी मार्ग को चौड़ा करना		10.00	8.84	0.60	0.12	0.50	0.50	—	—
17. रफी मार्ग को चौड़ा करना	.	2.00	0.56	1.00	—	0.50	0.50	—	—
18. रिंग रोड से न्याय मार्ग, नीति मार्ग और ए तक शांति पथ को चौड़ा करना .		1.01	1.01	—	0.11	—	—	—	—
19. रेडक्रास रोड को चौड़ा करना	.	3.20	2.69	0.50	0.63	—	—	—	—
20. पार्क स्ट्रीट को चौड़ा करना	.	10.50	7.62	1.00	0.90	0.50.	0.50	—	—
21. तालकटोरा रोड को चौड़ा करना		2.00	0.62	1.00	0.02	—	—	—	—
22. एक्सप्रेस साईकिल ट्रैक का निर्माण		10.50	—	0.50	—	—	—	—	—
उप जोड़		306.30	131.29	112.30	32.16	63.10	63.10	—	—
विविध कार्य									
1. चौराहों का सुधार .	.	7.00	0.47	3.00	0.69	3.00	3.00	—	—
2. सड़क से अलग पार्किंग व बस बे म		10.00	1.04	4.00	—	2.00	2.00	—	—
3. लोदी एस्टेट/रोड न02 के साथ फुट-पाथ का सुधार .		1.24	0.54	0.70	0.02	—	—	—	—
4. नई दिल्ली नगर पालिका में योजना कार्य के लिए योजना यूनिट का सृजन	.	5.00	0.15	2.00	—	1.00	1.00	—	—
5. करबला नाले को ढकना	.	20.00	3.53	15.00	3.94	8.00	8.00	—	—
6. अकबर रोड (फुट पाथ का सुधार)		10.00	—	—	—	4.00	4.00	—	—
7. तिलक मार्ग पर फुटपाथ का सुधार		8.00	3.68	1.00	0.46	1.00	1.00	—	—
8. भारी वर्षा व बाढ़ से नुकसान पहुंची सड़कों का सुधार .	.	—	14.76	—	—	—	—	—	—
9. 1978-79 की बाढ़ के कारण नुकसान पहुंची सड़कों का सुधार		—	1.24	—	7.35	—	—	—	—
10. कनाट प्लेस क्षेत्र में बस टर्मिनल का निर्माण .	.	7.00	—	0.50	—	1.00	1.00	—	—
उप जोड़		68.24	25.41	26.20	12.46	20.00	20.00	—	—
नई स्कीमें									
1. जनपथ से सिकन्दर रोड तक फिरोजशाह रोड को चौड़ा करना		18.00	10.72	5.00	4.87	1.00	1.00	—	—
2. साउथ एण्ड रोड को चौड़ा करना	.	2.50	0.23	1.50	3.12	1.00	1.00	—	—
3. राजपथ से साउथ एण्ड रोड तक जनपथ को चौड़ा करना .	.	8.00	1.03	6.00	7.01	1.00	1.00	—	—
4. सिकन्दर रोड को चौड़ा करना .	.	7.80	—	4.50	7.59	2.00	2.00	—	—
5. मौलाना आजाद रोड को चौड़ा करना		10.00	1.87	6.00	15.21	1.00	1.00	—	—
6. मंदिर मार्ग को चौड़ा करना	.	15.00	0.01	11.00	9.45	3.00	3.00	—	—
7. नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न सड़कों को मजबूत करना	.	140.00	47.20	37.00	14.03	24.00	24.00	—	—
8. कनाट सर्कस में रीगल के सामने भूमिगत गैराज बनाना .	.	40.00	—	5.00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	मैट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर एरिया में पार्किंग स्थान बनाना . .	14.00	—	1.00	0.18	3.00	3.00	—	—
10.	मैट्रोपोलिटन सेन्टर क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करना . .	21.72	—	5.00	2.77	2.00	2.00	—	—
11.	चर्च रोड़ को चौड़ा करना .	6.00	—	3.00	0.69	3.00	3.00	—	—
12.	मंदिर रोड़ से रिंग रोड़ तक शंकर रोड़ को चौड़ा करना . .	5.00	—	0.50	—	1.00	1.00	—	—
13.	लार्वा रोड़ के साथ पार्किंग स्थान की व्यवस्था करना . .	3.00	—	1.00	—	2.00	2.00	—	—
14.	ब्रिगेडियर होशियार सिंह और औरंगजेब रोड को जोड़ने वाली सड़कों का सुधार करना . .	3.00	—	2.00	0.74	1.00	1.00	—	—
15.	त्याग राज मार्ग का सुधारना	6.00	0.01	4.00	5.25	2.00	2.00	—	—
16.	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में बस शेल्टरों का निर्माण	12.20	1.73	5.00	6.89	2.00	2.00	—	—
17.	सिटी शिकायत केन्द्र का निर्माण व अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ	10.00	—	5.00	0.98	2.00	2.00	—	—
18.	सण्ट्रल रोड़ पूर्वी किदवाई नगर को चौड़ा करना	5.00	0.21	3.00	0.89	1.00	1.00	—	—
19.	नई दिल्ली नगरपालिका में एक यातायात इंजीनियरी यूनिट की स्थापना	3.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
20.	चन्द्रगुप्त रोड़ को चौड़ा करना	4.00	—	3.00	1.30	4.00	4.00	—	—
21.	जसवंत सिंह रोड़ को चौड़ा करना	5.00	—	1.00	0.56	2.00	2.00	—	—
22.	कैनिंग रोड़ को चौड़ा करना	5.00	—	5.00	0.01	2.00	2.00	—	—
23.	मैट्रोपोलिटन सिटी सेण्टर एरिया में ऊंचे उठे हुए पैदल रास्तों का निर्माण	50.00	—	—	—	—	—	—	—
24.	साउथ एवेन्यू में फुटपाथ व्यवस्था	6.00	—	5.00	0.23	1.00	1.00	—	—
25.	डा० जाकीर हुसैन मार्ग, मथुरा रोड़ लालबहादुर शास्त्री मार्ग के चौराहों का सुधार . . .	10.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
26.	पेशवा रोड़ का रिएलाइनमैण्ट व चौड़ा करना . . .	5.00	—	2.00	0.01	2.00	2.00	—	—
27.	बसंत रोड़ से कनाट सर्कस तक पंचकुई रोड़	3.00	—	—	—	1.40	1.40	—	—
28.	तीन मूर्ति मार्ग को चौड़ा करना	10.00	—	—	—	2.00	2.00	—	—
29.	डलहौजी मार्ग को चौड़ा करना	6.00	—	—	—	1.50	1.50	—	—
30.	रेस कोर्स रोड़ को चौड़ा करना	8.00	—	5.00	2.56	3.00	3.00	—	—
31.	क्लब रोड़ को चौड़ा करना .	9.00	—	—	—	3.00	3.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	पंचशील मार्ग को रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा करना जिनमें एक पुल का निर्माण भी शामिल है।	20.00	—	—	—	2.00	2.00	—	—
33.	अरविन्द मार्ग से अशोक होटल:	1.04	—	—	—	—	—	—	—
	(1) भूमि अधिग्रहण (2) कुशक नाले का पुल (3) मेन गैराज वे का निर्माण (4) वाई 4 जंकशन का सेपेरटर								
34.	न्याय मार्ग को चौड़ा करना	10.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
35.	पृथ्वी राज रोड को चौड़ा करना	7.30	—	—	—	1.00	1.00	—	—
36.	कुशक रोड को चौड़ा करना .	7.00	—	—	0.42	2.00	2.00	—	—
37.	लालबहादुर शास्त्री मार्ग को चौड़ा करना (लोदी रोड से मथुरा रोड)	10.00	—	—	—	3.00	3.00	—	—
38.	सी हैक्सागन से विंडसर प्लेस तक अशोक रोड को चौड़ा करना	12.00	—	—	—	3.00	3.00	—	—
39.	जंतर मंतर रोड का रिएलाइनमैण्ट चौड़ा करना	5.00	—	5.00	0.01	3.00	3.00	—	—
40.	डूप्लेक्स रोड को चौड़ा करना	10.00	—	—	—	2.00	2.00	—	—
41.	किंग जार्ज रोड को चौड़ा करना	18.00	—	5.00	2.70	2.00	2.00	—	—
42.	अमृता शेरगिल मार्ग और रटेण्डन रोड के आसपास का क्षेत्र .	7.20	—	—	—	—	—	—	—
43.	पुराना किला रोड . .	5.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
44.	मानसिंह रोड . .	7.00	—	—	—	0.50	0.50	—	—
45.	सुनहरी बाग रोड का रिएलाइनमैण्ट और चौड़ा करना . .	5.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
46.	ए आई आई एम एस सफदरजंग अस्पताल के सामने अरविन्द मार्ग पर सब-वे का निर्माण	—	—	—	—	3.00	3.00	—	—
47.	गोल्फ कोर्स रोड को चौड़ा करना	—	—	—	—	3.00	3.00	—	—
48.	तानसेन मार्ग को चौड़ा करना	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—
49.	नार्थ ब्लाक के चारों ओर ट्रैफिक के चक्कर में सुधार . .	—	—	—	—	0.50	0.50	—	—
50.	नेताजी नगर व रिंग रोड के बीच बहने वाले नाले पर पैदल पार करने का पुल	—	—	—	—	1.50	1.50	—	—
51.	संसद मार्ग से कनाट सर्कस के चौराहों पर छोटे रास्तों का निर्माण	—	—	—	—	5.50	5.50	—	—
52.	लोदी रोड को चौड़ा करना	—	—	—	2.90	5.00	5.00	—	—
53.	विभिन्न सड़कों पर बस के लिए क्यू के स्थलों की व्यवस्था .	—	—	—	2.42	—	—	—	—
54.	यूनिडो कांफ्रेंस . .	—	—	—	6.00	—	—	—	—

2	3	4	5	6	7	8	9	10
उप-जोड़ . . .	575.46	63.01	136.50	90.37	116.90	116.90	—	--
कुल नई दिल्ली नगर पालिका	950.00	210.71	275.00	140.99**	200.00	200.00	—	—
कुल दिल्ली प्रशासन .	1647.00	190.89	305.00	314.16	300.00	250.00	275.00	—
कुल दिल्ली नगर निगम .	2103.00*	475.00*	300.00*	252.54	500.00	500.00	—	—
कुल नई दिल्ली नगर पालिका	950.00	219.71	275.00	140.99**	200.00	200.00	—	—
कुल जोड़ . . .	4700.00	885.60	880.00	707.69	1000.00	725.00	275.00	—
परिवहन								
सांख्यिकी योजना सेल को मजबूत करना . . .	10.50	0.71	2.80	0.32	2.00	2.00	—	—
मोटर चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना . . .	5.00	—	1.50	—	3.50	—	3.50	—
100 टैक्सी स्टैण्डों पर रेस्ट शेड्स बनाना	10.00	—	2.20	—	2.20	—	2.20	—
कुल . . .	25.50	0.71	6.50	0.32	7.70	2.00	5.70	—
पर्यटन स्कीमें:								
क—दिल्ली पर्यटन विकास निगम								
1. नागरिक आवास गृह	—	—	—	—	—	—	—	—
2. राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र .	—	—	—	—	—	—	—	—
3. मनोरंजन पार्क . .	—	—	—	—	—	—	—	—
4. पर्यटक सुविधा/जलपान केन्द्र	—	—	—	—	0.25	—	—	0.25
5. कैम्पिंग स्थल . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6. अन्य विविध प्रायोजनाएं जैसे आयोजित पर्यटन और बोर्डिंग सम्बन्धी सुविधाएं .	130.00	—	44.00	—	—	—	—	—
7. उन्नतिशील सेवाओं को चलाने के लिए सहायता अनुदान .	—	—	—	—	—	—	—	—
8. वर्किंग पूंजी निधि .	—	—	—	—	—	—	—	—

*राशि उपलब्ध किए जाने के आधार पर खर्च होगा ।

पंचवर्षीय योजना 1978—83 की एम एन पी स्कीमों और वार्षिक योजना 1979—80 के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 113.00 लाख रुपये और 30.90 लाख रुपये है ।

**इसमें यूनिडो कांफ्रेंस से सम्बन्धित कार्यों के लिए खर्च किए गए 6.00 लाख रुपये शामिल हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1[illegible]
	9. मिल्क बार की स्थापना	—	—	—	—	—	—	—	—
	10. कोच की खरीद .	—	—	—	—	2.50	—	—	2.5
	11. पर्यटन कुटीर . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	12. शेयर पूंजी . .	—	—	—	17.50	20.00	—	20.00	—
	13. सूचना केन्द्र के लिए सहायता अनुदान . .	—	—	—	—	0 25	0.25	—	—
	उप जोड़ . .	130.00	—	44.00	42.50*	23.00	0.25	20.00	2.7
दिल्ली नगर निगम									
1.	राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल सुविधाएं	5.00	—	1.00	—	1.00	—	—	1.0
2.	विभिन्न स्थानों में अवकाश गृहों का निर्माण . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	5.00	—	1.00	—	1.00	—	—	1.0
ग	नई दिल्ली नगर पालिका								
	1. जनता होटल का निर्माण .	15.00	—	5.00	—	1.00	—	—	1.0
	उप जोड़ . .	15.00	—	5.00	—	1.00	—	—	1.0
	कुल (पर्यटन) . .	150.00	—	50.00	42.50*	25.00	0.25	20.00	4.7
	कुल (परिवहन व संचार)	4875.50	886.31	936.50	750.51	1032.70	727.25	300.70	4.7

*इसमें 1979-80 के दौरान डी टी सी को कर्ज के रूप में दी गई 25.00 लाख रुपये की राशि शामिल है ।

वार्षिक योजना 1980–81 विकास स्कीमें/प्रायोजनाएं

परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978–79 परिव्यय	1978–79 वास्तविक	1979–80 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय 1980–81			
						कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सामाजिक व सामुदाय सेवाएं								
I.	**शिक्षा निदेशालय**								
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम								
1.	11 से 14 वर्ष के आयुवर्ग में अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं की व्यवस्था . .	42.12	42.12	—	—	—	—	—	—
2.	शिक्षक प्रशिक्षण प्रदर्शन विद्यालय सहित प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना .	2.00	0.60	0.30	0.25	0.30	0.30	—	—
	कुल . . .	44.12	42.72	0.30	0.25	0.30	0.30	—	—
	अन्य स्कीमें :								
3.	बुक बैंकों को सक्षम बनाना .	11.00	2.00	1.00	00	2.00	2.00	—	—
4.	ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को मुफ्त आने जाने की सुविधाएं देना	11.50	1.50	1.00	1.00	2.00	2.00	—	—
5.	स्कूल पुस्तकालय का सुधार .	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	—	—
	नई स्कीमें :								
6.	(क) यूनिफार्म की मुफ्त व्यवस्था	—	—	—	—	4.20	4.20	—	—
	(ख) पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त व्यवस्था	—	—	—	—	4.00	4.00	—	—
7.	कैपिटल वर्क्स . .	230.00	10.00	22.00	—	25.00	—	25.00	—
8.	अंशकालिक कक्षाएं . .	5.00	—	1.00	—	—	—	—	—
9.	प्रत्येक क्षेत्र के लिए समाज सेवक	5.00	—	1.00	—	1.50	1.50	—	—
10.	माध्यमिक विद्यालय खोलना .	100.00	—	12.00	12.00	60.00	60.00	—	—
11.	छात्राओं के लिए सायंकालीन विद्यालय	12.00	—	1.00	—	—	—	—	—
12.	पाठ्यक्रम व विकास कार्यक्रम सम्बन्धी शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (यूनिसेफ सेल) को नया रूप	10.00	—	1.70	—	1.00	1.00	—	—
13.	कर्मिक शिक्षा केन्द्र . .	5.00	—	1.00	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	399.50	14.50	42.70	15.00	101.70	76.70	25.00	—
	कुल (ऐलीमेन्ट्री शिक्षा) .	443.62	57.22	43.00	15.25	102.00	77.00	25.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	प्रौढ़ व साक्षरता के लिए मास्टर प्लान (प्रौढ़ शिक्षा)	150.00	4.59	25.00	15.96	30.00	30.00	—	—
	कुल (एम एन पी स्कीम)	593.62	61.81	68.00	31.21	132.00	107.00	25.00	—
II.	**निदेश व प्रशासन**—								
	(क) शिक्षा निदेशालय को मजबूत करना (मुख्यालय स्तर पर)		0.53						
	(ख) सांख्यिकीय यूनिट को मजबूत करना		0.09						
	(ग) सर्वेक्षण यूनिट की स्थापना		0.44						
	(घ) मुख्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी बढ़ाना . . .	60.00	—	16.00	—	18.50	18.50	—	—
	(ङ) मूल्यांकन यूनिट को मजबूत करना		0.06						
	(च) राज्य शिक्षा परिषद् की स्थापना		—						
	(छ) शैक्षिक व व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो को मजबूत करना		0.38						
	(ज) योजना शाखा .		—						
	(झ) रिकन्सीलिएशन सैल .		—						
	(ञ) खरीद शाखा .		—						
	(ट) एक्ट शाखा . .		—						
	(ठ) स्कूल रजिस्टर .		—						
	(ड) कैपिटल वर्क्स ब्रांच . .		—						
	उप जोड़ . . .	60.00	1.50	16.00	—	18.50	18.50	—	—
	निरीक्षण कक्ष को मजबूत करना	12.00	11.00	1.05	0.31	1.50	1.50	—	—
	कुल (निदेश व प्रशासन) .	72.00	12.50	17.05	0.31	20.00	20.00	—	—
III.	**माध्यमिक शिक्षा**								
1.	11 से 14 व 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अतिरिक्त शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था . .	1466.28	543.24	39.00	94.57	150.00	150.00	—	—
2.	पत्र-व्यवहार द्वारा माध्यमिक शिक्षा	15.00	8.94	9.00	9.12	10.00	10.00	—	—
3.	अंशकालिक कक्षाओं और सांध्य स्कूलों की स्थापना . . .	5.00	13.55	0.90	1.65	1.15	1.15	—	—
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राओं के लिये मुफ्त आने-जाने की व्यवस्था	10.00	3.95	5.00	3.58	6.00	6.00	—	—
5.	छात्रों के लिए अध्ययन कैम्प/केन्द्र	2.00	0.18	0.20	0.03	0.30	0.30	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	यूनिफार्म की मुफ्त सप्लाई .	40.00	6.28	10.00	6.52	10.00	10.00	—	—
7.	बुक बैंकों की क्षमता बढ़ाना .	10.00	1.52	5.00	3.16	6.00	6.00	—	—
8.	स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने की सुविधाओं में सुधार	20.00	2.98	4.00	3.61	6.00	6.00	—	—
9.	सम्पूर्ण स्कूल स्टेज पर विज्ञान की शिक्षा का पुनर्गठन व विस्तार .	25.00	3.03	6.00	1.82	6.00	6.00	—	—
10.	स्कूल पुस्तकालयों का सुधार .	5.00	2.93	3.00	3.30	3.00	3.00	—	—
11.	नई पद्धति को बढ़ाना (10+2)	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	शैक्षिक नवीनता व परीक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था	0.10	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	1598.38	586.60	82.10	127.06	198.45	198.45	—	—
	अन्य कार्यक्रम								
1.	शैक्षिक दूरदर्शन . .	15.00	0.85	6.25	3.99	6.00	6.00	—	—
2.	स्कूलों में शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं .	15.00	2.47	3.00	1.02	4.50	4.50	—	—
3.	छात्रों के लिए शैक्षिक यात्राएं .	2.00	0.35	0.50	0.03	0.75	0.75	—	—
4.	स्कूल सुधार कार्यक्रम के लिए सामुदायिक संसाधनों का संचलन .	2.00	0.30	0.25	0.13	0.30	0.30	—	—
	उप जोड़ . . .	34.00	3.97	10.00	5.18	11.55	11.55	—	—
	कैपिटल वर्क्स . .	1100.00	187.03	285.00	244.61	419.00	—	419.00	—
	कुल (माध्यमिक शिक्षा) .	2804.38	770.10	394.15	377.16	649.00	230.00	419.00	—
IV.	**अध्यापक शिक्षा**								
1	अध्यापकों के लिए राज्य पुरस्कार	0.75	0.05	0.10	0.03	0.20	0.20	—	—
2.	अध्यापकों के लिए पुस्तकालय का विकास . . .	1.25	0.45	0.45	0.36	1.00	1.00	—	—
3.	अध्यापकों के शैक्षिक प्रशासन का व्यावसायिक विकास . .	2.00	0.12	0.30	0.29	0.30	0.30	—	—
4.	शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण की राज्य परिषद (राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना)	32.00	2.12	5.00	1.94	5.00	5.00	—	—
	उप जोड़	36.00	2.74	5.85	2.62	6.50	6.50	—	—
V.	**विश्वविद्यालय शिक्षा**								
	नये डिग्री कालेज खोलना व अन्य खर्चे	60.00	8.97	12.00	7.11	15.00	15.00	—	—
VI.	**योजना फार्म** . .	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	**महिलाओं के लिए व्यावसायिक व प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना** .	200.00	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	खेलकूद व युवा कार्यक्रम								
1.	दिल्ली खेलकूद परिषद् .	15.00	1.23	3.00	3.00	4.00	4.00	—	—
2.	शारीरिक शिक्षा व खेलकूद का विकास	64.00	3.01	8.00	3.61	8.00	8.00	—	—
3.	खेलकूद के मैदानों का विकास .	0.60	—	—	—	3.00	3.00	—	—
4.	बाल भवन कार्यक्रम . .	0.40	0.34	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	80.00	4.58	11.00	6.61	15.00	15.00	—	—
IX	अन्य कार्यक्रम								
	छात्रों को छात्रवृत्ति . .	20.00	3.98	4.00	5.14	5.00	5.00	—	—
	कुल (दिल्ली प्रशासन) .	3794.00	852.18	495.00	429.85	822.50	378.50	444.00	—
	दिल्ली नगर निगम								
1.	3 से 5 वर्ष के आयु में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास व सुधार	30.00	8.23	4.40	1.85	4.90	4.90	—	—
2	कल्याण कार्यक्रम								
	(1) मुफ्त पाठ्य पुस्तक (2) शैक्षिक यात्राएं (3) स्कूल यूनिफार्म (4) मुफ्त चश्मे (5) योग्यता छात्रवृत्तियां	80.00	21.65	23.50	24.33	26.00	26.00	—	—
3.	शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार . . .	25.00	3.69	4.50	3.14	4.75	4.75	—	—
4.	नगर निगम स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार . .	25.00	4.11	4.50	1.86	4.50	4.50	—	—
5.	प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं बढ़ावा . (6—11 वर्ष)	435.00	141.92	42.00	19.91	62.00	62.00	—	—
6.	प्राथमिक शिक्षा में सुधार .	30.00	4.19	8.25	4.19	10.00	10.00	—	—
7.	निरीक्षण और स्थापना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना .	25.00	1.95	12.85	2.15	12.85	12.85	—	—
8.	कैपिटल वर्क्स . . .	600.00	133.70	125.00	141.68	200.00	200.00	—	—
	उप जोड़ . . .	1250.00	319.44	225.00	199.11	325.00	325.00	—	—
	कुल (दिल्ली नगर निगम) .	1250.00	513.65*	225.00	199.11	325.00	325.00	—	—
	नई दिल्ली नगर पालिका								
(क)	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम								
1.	प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार (6-11 वर्ष) . .	38.26	8.58	6.63	7.64	8.20	8.20	--	-
2.	मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तक .	5.40	0.73	0.60	1.06	1.20	1.20	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. छात्रवृत्ति व अन्य प्रोत्साहन .	8.55	1.60	1.42	1.48	1.42	1.42	--	--
	4. कार्य अनुभव कार्यक्रम व दैनिक रुचि केन्द्र . .	3.00	0.57	0.35	0.20	0.40	0.40	--	--
	5. प्रशासन, पर्यवेक्षण योजना व सांख्यिकी कक्ष . .	4.30	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	--	--
	6. प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार (11-14 वर्ष) . .	81.40	14.13	13.20	12.35	13.48	13.48	--	--
	7. बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफार्म .	20.50	3.89	1.00	--	5.00	5.00	--	--
	8. सेवा कार्यक्रम में विज्ञान का सुधार	3.86	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	--	--
	9. कैपिटल वर्क्स . .	85.00	17.74	6.00	19.10	11.00	11.00	--	--
	10. समाज शिक्षा . .	3.28	1.18	0.30	0.30	0.30	0.30	--	--
	11. शारीरिक शिक्षा . .	12.85	0.97	0.30	0.30	1.00	1.00	--	--
	12. सांस्कृतिक शिक्षा . .	11.80	0.72	0.20	0.42	0.50	0.50	--	--
	13. प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार	12.00	1.65	0.30	0.30	0.30	0.30	--	--
	14. शिक्षा के साथ साथ कमाई .	2.80	--	0.10	--	0.10	0.10	--	--
	उप जोड़ . .	293.00	53.10	31.50	44.34	44.00	44.00	--	--
	एम० एन० पी० के अलावा अन्य								
(ख)	10 + 2 शिक्षा प्रणाली .	13.00	1.52	0.50	--	8.00	8.00	--	--
	उप जोड़ . .	13.00	1.52	0.50	--	8.00	8.00	--	--
	कुल (नई दिल्ली नगर पालिका) .	306.00	64.62	32.00	44.34	52.00	52.00	--	--
	कुल (दिल्ली प्रशासन) . .	3794.00	852.18	495.00	429.85	822.50	378.50	444.00	--
	कुल (दिल्ली नगर निगम) .	1250.00	513.65*	225.00	199.11	325.00	325.00	--	--
	कुल (नई दिल्ली नगर पालिका)	306.00	54.62	32.00	44.34	52.00	52.00	--	--
	कुल जोड़ . .	5350.00	1420.45	752.00	673.30	1199.50	755.50	444.00	--

वार्षिक योजना 1980-81 विकास शीर्ष

परिव्यय-व्यय

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	विकास का शीर्ष / उप शीर्ष	पंच वर्षीय योजना परिव्यय 1978-83 कुल	पूंजी	वास्तविक व्यय 1978-79	अनुमोदित परिव्यय 1979-80	वास्तविक व्यय 1979-80	अनुमोदित कुल	परिव्यय राजस्व	1980-81 पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कला व संस्कृति									
1	**पुरातत्व व अभिलेखागार स्कीमें**									
	(क) पुरातत्व विभाग की स्थापना	10.00	--	0.20	2.00	0.95	3.00	3.00	--	--
	(ख) दिल्ली अभिलेखागार	60.00	50.00	3.20	10.00	0.40	12.00	3.00	9.00	--
	उप जोड़	70.00	50.00	3.40	12.00	1.35	15.00	6.00	9.00	--
II.	**शिक्षा निदेशालय**									
	(क) साहित्य कला परिषद् को मजबूत करना	38.50	—	3.75	6.00	5.80	8.00	7.00	1.00	—
	(ख) दिल्ली गजेटियर	7.50	—	1.74	2.00	1.30	2.00	2.00	—	—
	उप जोड़	46.00	—	5.49	8.00	7.10	10.00	9.00	1.00	—
	कुल (कला व संस्कृति)	116.00	50.00	8.89	20.00	8.45	25.00	15.00	10.00	--

वार्षिक योजना 1980–81 विकास योजनाएं प्रायोजनाएँ

परिव्यय व व्यय

(रूपये लाखों में)

क्र० संख्या	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978–83 परिव्यय (जोड़)	1978–79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय (जोड़)	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 जोड़	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 राजस्व	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 पूंजी	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	शिक्षा (277 व 477)								
.	तकनीकी शिक्षा								
—	तकनीकी शिक्षा निदेशालय								
—	निदेश व प्रशासन								
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय को मजबूत करना	6.00	3.67	1.34	—	0.50	0.50	—	—
	तकनीकी शिक्षा बोर्ड को मजबूत करना	5.50	—	—	—	—	—	—	—
	जिसमें शिक्षा का आधुनिकीकरण भी शामिल है ।								
	विकाससहकारिता, औद्योगिक अन्वेषण सेवा (प्रशिक्षण व काम पर लगाने वाला कक्ष)	3.50	—	0.57	—	0.20	0.20	—	—
	मैनपावर मानीटरिंग व मूल्यांकन कक्ष	2.50	—	1.09	1.02	0.50	0.50	—	—
	उप जोड़	17.50	3.67	3.00	1.02	1.20	1.20	—	—
I.	पोलिटेकनिकों का समेकित स्वरूप								
	गोविन्द वल्लभ पंत पोलिटेकनिक को समेकित स्वरूप देना	14.00	9.09	—	—	—	—	—	—
	जी० टी० करनाल रोड पर कश्मीरीगेट पोलिटेकनिक का निर्माण	44.00	16.28	10.00	14.53	2.50	—	2.50	—
	पूसा पोलिटेकनिक में तीसरी मंजिल का निर्माण	8.00	—	1.00	2.44	2.00	—	2.00	—
	महिला पोलिटेकनिक के दूसरे चरण का निर्माण	36.00	—	6.00	0.33	3.00	—	3.00	—
	संकाय विकास	2.00	—	—	—	—	—	—	—
	मशीनरी व उपकरण	37.00	—	3.25	8.88	7.00	7.00	—	—
	पुस्तकालय सुविधाओं और बुक बैंकों का विकास	2.50	—	0.80	1.35	0.75	0.75	—	—
	संस्थानों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण	7.00	—	1.00	—	0.75	0.75	—	—
	छात्रों को सुविधाएं	2.00	—	0.50	2.22	0.25	0.25	—	—
	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं	1.50	—	0.40	—	0.20	0.20	—	—
	उत्पादन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	3.09	—	1.50	0.20	0.50	0.50	—	—
	गार्मेंट फ्रेब्रिकेशन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	4.00	—	1.00	0.03	1.12	1.12	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	पूसा पोलिटेकनिक को समेकित स्वरूप देना जिस में आटो इंजीनियरी दृश्य श्रव्य सहायता विकास; तथा प्रिंटिंग टेकनालाजी सम्बन्धी पाठ्यक्रम शामिल है।	—	2.97	—	—	—	—	—	—
14	महिला पोलिटेकनिक को समेकित स्वरूप देना जिस में सौंदर्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम शामिल है .	13.78	5.07	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . .	174.78	40.40	25.45	29.33	18.08	10.57	7.50	—
III.	वाणिज्य प्रशिक्षण संस्थान को समेकित स्वरूप देना (आई सी पी)								
	1 पटपड़गंज में वाणिज्य प्रशिक्षण संस्थान के लिए भवन निर्माण .	20.00	0.37	4.00	—	5.00	—	5.00	—
	2 मशीनरी व उपकरण .	8.00	—	1.00	0.35	0.50	0.50	—	—
	3 पुस्तकालय सुविधाओं और बुक बैंकों का विकास . .	1.25	—	0.50	0.83	0.10	0.10	—	—
	4 संस्थाओं का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण	2.00	—	0.50	—	0.10	0.10	—	—
	5 छात्रों को सुविधाएं .	1.00	—	0.35	0.38	0.10	0.10	—	—
	6 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त कक्षाएं .	0.15	—	0.05	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . .	32.40	0.37	6.40	1.66	5.80	0.80	5.00	—
IV.	फार्मेसी कालज को समेकित स्वरूप देना (सी ओ पी)								
	1 कानपुर में फार्मेसी कालेज का निर्माण	47.00	17.49	5.00	14.79	8.00	—	8.00	—
	2 मशीनरी व उपकरण .	12.00	—	0.75	2.98	2.00	2.00	—	—
	3 पुस्तकालय की सुविधाओं और बुक बैंकों का विकास . .	1.75	—	0.20	0.39	0.15	0.15	—	—
	4. छात्रों को सुविधाएं. . .	1.00	—	0.15	0.53	0.15	0.15	—	—
	5. कालेज के ढांचे का पुनर्गठन व पुनर्निर्माण . . .	3.00	—	0.50	—	0.15	0.15	—	—
	6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं .	0.35	—	0.05	—	—	—	—	—
	7. फार्मेसी में रोस्टर पाठ्यक्रम .	1.00		0.05	0.10	0.50	0.50	—	—
	8. फार्मेसी में अंशकालिक डिप्लोमा कोर्स .	4.00	—	2.00	—	—	—	—	—
	9. फार्मेसी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	2.00	—	—	0.15	2.00	2.00	—	—
	उप जोड़ . . .	72.40	17.49	9.15	18.94	12.95	4.95	8.00	—
5.	सहायता अनुदान .	7.22	2.28	—	—	—	—	—	—
6.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	25.00	—	6.00	—	7.00	—	7.00	—
7.	प्रिंसिपल को शक्तियों का प्रत्यायोजन	1.00	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लगातार सिंहावलोकन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभावकारी कार्यान्वयन .	1.00	—	—	—	0.20	0.20	—	—
9.	चुने हुए संस्थानों को शैक्षिक व वित्तीय अनुदान . .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
10.	महिला पोलिटेक में लोकप्रिय विषयों पर सांध्य पाठ्यक्रम . .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
11	औद्योगिक व ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं के लिए लागू की जाने वाली सुरक्षित प्रायोजनाओं के केन्द्र की स्थापना जो ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान पोलिटेक्निकों से सम्बद्ध होगा	1.00	—	—	—	—	—	—	—
12.	वास्तुकला में राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम . .	1.00	—	—	—	0.05	0.05	—	—
13	पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम की स्थापना	1.00	—	—	—	0.05	0.05	—	—
14	उच्च शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था कुशलता का अर्जन	1.00	—	—	—	—	—	—	—
15.	फार्मेसी कालेज के विस्तृत विकास कार्यक्रम के रूप में खाद्य प्रामिश्रण कला के पर्यवेक्षण के अधीन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
16.	फार्मेसी कालेज में औषधियों के उत्पादन के लिए उत्पादन व पायलट संयंत्र की स्थापना . . .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
17	विश्लेषणात्मक परीक्षण यूनिट की स्थापना	1.00	—	—	—	—	—	—	—
18	फार्मेसी औषधियों के लिए उत्पादन केन्द्र	1.00	—	—	—	—	—	—	—
19	टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण के विस्तृत कार्यक्रम के रूप में प्रिंटिंग का उत्पादन केन्द्र . . .	1.00	—	—	—	—	—	—	—
20.	दिल्ली प्रशासन की आटोमोबाइलों के लिए आटोमोबाइल इंजीनियरी छात्रों को विस्तृत प्रशिक्षण की व्यवस्था के वास्ते मरम्मत स्थलों की स्थापना	1.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
21	तीन नए पोलिटेक्निकों की स्थापना फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए भूमि की व्यवस्था और चारदीवारी का निर्माण	5.00	—	—	—	3.00	—	3.00	—
22	परामर्श व औद्योगिक सलाह सेवा	1.00	—	—	—	0.20	—	0.20	—
23	उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	1.00	—	—	—	—	—	—	—
24	तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों में अदला बदली के आधार पर स्टाफ की डेपूटेशन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था . . .	—	—	—	—	0.03	0.03	—	—
25	प्रबंध व्यवस्था संस्थान के लिए भवन निर्माण . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
26	जी० बी० पंत पालिटेक्निक में उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना .	—	—	—	0.20	—	—	—	—
	जोड़ (तकनीकी शिक्षा निदेशालय)	350.00	64.21	50.00	51.80	50.00	19.50	30.50	—

वार्षिक योजना 1980–81 विकास स्कीमें/प्रायोजनाएं

परिव्यय व व्यय

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978—83 परिव्यय	1978–79 वास्तविक	1979–80 अनुमोदित परिव्यय कुल	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980–81 कुल	राजस्व	परिव्यय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज दिल्ली								
1.	कालेज का स्थानान्तरण	10.00	—	3.13	—	2.40	—	2.40	—
2.	वर्तमान पाठ्य क्रम का आधुनिकीकरण	87.43	21.81	10.70	10.88	13.19	13.10	—	—
3.	छात्र कल्याण व बुक बैंक .	1.00	—	0.20	0.20	0.20	0.20	—	—
	उप जोड़ . . .	98.43	21.81	14.12	11.08	13.39	13.39	2.40	—
	अन्य स्कीमें								
1.	सबस्टेशन उपकरण का निर्माण/स्थापना	1.60	—	1.60	—	1.60	—	1.60	—
2.	कम्प्यूटर प्रयोगशाला को वातानुकूलित करना . . .	3.00	—	3.00	1.22	1.00	—	1.00	—
3.	कम्प्यूटर आदि के लिए पदों का सृजन	1.00	0.05	0.31	0.16	0.33	0.33	—	—
4.	पर्यटन बसों के गैराजों व विकसित हाईड्रालिक प्रयोगशालाओं का निर्माण	0.80	—	0.89	—	0.50	—	0.50	—
5.	कर्मचारियों के गठन में संशोधन .	5.00	—	0.08	0.15	0.08	—	0.08	—
	उप जोड़ . . .	11.57	0.05	5.88	1.53	3.51	0.33	3.18	—
	अन्य स्कीमें								
1.	संकाय विकास . .	—	—	—	—	1.70	1.70	—	—
2.	छात्र कल्याण . .	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	कमरा नं० 221 को लैक्चर थिएटर गैलरी में बदलना . .	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	नई स्टुडियुज प्रयोगशालाओं में बिजली के कनेक्शन देना . .	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	पी एच० ई० प्रयोगशाला के विकास के लिए बिजली व सिविल कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	ड्राइंग हाल के विकास के लिए बिजली व सिविल विभाग के कार्य .	—	—	—	—	—	—	—	—
	बिजली व अन्य उप जोड़ . . .	—	—	—	—	1.70	1.70	—	—
	कुल (दिल्ली इंजीनियरी कालेज)	110.00	21.85	20.00	12.61	21.00	15.42	5.58	—
	कालेज आफ आर्ट								
1.	कालेज बिल्डिंग . .	15.35	0.38	5.00	4.65	24.23	—	24.23	—
2.	छात्र व कर्मचारी कल्याण कार्यकलाप	2.15	0.13	0.30	0.33	0.43	0.43	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम व अनुवर्ती आर्टिस्ट . . .	1.00	--	0.85	--	0.17	0.17	--	--
5	अध्ययन पाठ्यक्रमों का पुनर्नवीकरण व कालेज का पुनर्गठन . .	14.00	1.20	2.75	1.91	2.70	2.70	--	--
5	पुस्तकालय का विकास व भारतीय कला के नमूनों का अभिग्रहण .	6.00	0.85	0.80	0.91	1.17	1.17	--	--
6.	संकाय विकास कार्यक्रम .	1.50	--	0.30	--	0.30	0.30	--	--
	कुल (कालेज आफ आर्ट) .	40.00	3.66	10.00	7.17	30.00	5.77	24.33	--
	कुल (तकनीकी शिक्षा निदेशालय)	350.00	64.21	50.00	51.80	80.00	19.50	30.50	--
	कुल (इंजीनियरी कालेज) .	110.00	21.86	20.00	12.61	21.00	16.48		
	कुल (कालेज आफ आर्ट)								
	कुल जोड़ (तकनीकी शिक्षा)								

चिकित्सा

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

क-एलोपैथी चालू

क्रम संख्या	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय। कुल	वास्तविक व्यय	कुल	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 राजस्व	परिव्यय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-निदेश व प्रशासन								
1.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को मजबूत करना . . .	1.32	0.37	0.10	0.12	0.25	0.25	--	--
2.	आई एस एम कक्ष की स्थापना .	3.50	--	--	--	0.25	0.25	--	--
	उप जोड़ (i) . .	4.82	0.37	0.10	0.12	0.50	0.50	--	--
II.	**चिकित्सा राहत-अस्पताल व औषधालय**								
3.	500 बिस्तरों का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल . . .	647.50	4.12	100.00	58.77	200 00	--	200.00	--
4.	शाहदरा में 500 बिस्तरों का गुरु तेग बहादुर मेडिकल कालेज व अस्पताल की स्थापना . . .	1200.00	3.58	100.00	24.29	150 00	--	150.00	--
	नई								
5.	जोशी अस्पताल का दर्जा बढ़ाना .	6.75	15.46	1.00	--	0.50	--	0.50	--
6.	100 बिस्तरों का सेवर अस्पताल खोलना . . .	330.00	2.14	14.25	1.78	15.00	--	15.00	--
7.	नए एलोपैथिक औषधालयों का खोला जाना . . .	101.50	76 36	8 00	5.30	18 00	18.00	--	--
8.	पोली क्लिनिक खोलना . .	25.00	0 24	5.00	--	7.00	7.00	--	--
9.	सेवा कुटीर अस्पताल का सुधार .	1.15	1.19	--	--	--	--	--	--
10.	पुलिस अस्पताल का दर्जा बढ़ाना .	4.70	4.44	1.00	0.97	0 80	0.60	0.20	--
11.	वर्तमान एलोपैथिक औषधालयों का दर्जा बढ़ाना . . .	7.75	--	1.25	0.10	2.60	2.60	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नई								
12.	दिल्ली प्रशासन की एलोपैथी डिस्पेंसरी के लिए इमारत का निर्माण	20.00	--	2.50	--	0.10	--	0.10	--
13.	डी डी ए द्वारा बनाई गई पुनर्वास कालोनियों में औषधालयों के लिए इमारतों की खरीद . .	--	26.70	--	--	--	--	--	--
14	औषधालय कक्ष (एलोपैथी) को मजबूत करना .	--	--	--	--	--	--	--	--
	उप-जोड़ (II) . .	2344.85	134.23	233.00	91.21	394.00	28.20	365.80	--
	(ख) चिकित्सा की देसी व होमोपैथी प्रणाली								
	I—होमोपैथी--चालू								
15.	एन एच एम सी और अस्पताल में 80 और बिस्तरों की व्यवस्था .	37.10	6.80	8.00	2.14	6.00	6.00	--	--
16.	एन एच एम सी व अस्पताल में बुक बैंक की स्थापना . . .	1.50	0.63	0.75	0.65	--	--	--	--
17	होमोपैथी औषधालय खोलना .	6.15	2.28	--	--	--	--	--	--
18.	होमोपैथी औषधालय को मजबूत करना (नई) . .	--	--	--	--	--	--	--	--
	उप-जोड़ . . .	44.75	9.71	8.75	2.79	6.00	6.00	--	--
	चालू								
	अन्य स्वास्थ्य सेवाएं								
19	विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं .	31.00	2.97	6.00	--	9.00	9.00	--	--
	जोड़ (स्वास्थ्य सेवा निदेशालय)	2425.42	147.28	247.85	90.12	409.50	43.70	365.80	--
II.	**पुलिस विभाग**								
	सड़क दुर्घटना के लिए एम्बुलेंस	10.16	5.13	--	--	--	--	--	--
III	**चिकित्सा विभाग**								
	आयुर्वैदिक व यूनानी								
1.	तिब्बिया कालेज बोर्ड को मजबूत करना	78.00	5.35	21.00	--	20.00	20.00	--	--
2.	हमदर्द तिब्बिया को अंशदान .	15.00	1.74	2.00	2.00	10.25	10.25	--	--
	उप-जोड़ . . .	93.00	7.09	23.00	2.00	30.25	30.25	--	--
3.	ई एस आई स्कीम . .	72.00	--	14.00	--	6.00	6.00	--	--
	जोड़ (चिकित्सा विभाग) .	165.00	7.09	37.00	2.00	36.25	36.25	--	--
	अस्पताल व औषधालय								
4.—	मानसिक रोगी अस्पताल शाहदरा								
1.	असाध्य रोग वार्ड								
2.	250 बिस्तरों को और जोड़ने सम्बन्धी स्टाफ . . .	6.16	6.16	--	--	1.15	1.15	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
3.	समाज सेवा कार्य विभाग को मज-बूत करना . . .	4.94	—	1.15	—	—	—	—	—
4.	स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण .	67.33	12.01	42.33	42.22	25.00	—	25.00	—
नई									
5	शेल्टर्ड वर्कशाप का निर्माण .	24.46	—	—	—	1.00	—	1.00	—
6	नर्सों के अस्पताल का निर्माण .	25.87	—	—	—	5.00	—	5.00	—
7.	कैण्टीन का निर्माण . .	7.51	—	—	—	0.50	—	0.50	—
8.	एक्सरे प्लांट के लिए स्टाफ .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
	उप-जोड़ . . .	136.27	18.17	43.48	42.22	32.75	1.25	31.50	—
5—	चिकित्सा शिक्षा								
	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज—चालू								
1.	एनैटामी और पैथोलाजी ब्लाक तथा एनीमल हाउस का विस्तार .	57.50	8.17	15.50	2.59	10.00	3.03	6.97	—
2.	अतिरिक्त जगहों के लिए नई इमारत (टीचिंग बिल्डिंग)	30.00	13.53	12.00	9.77	10.52	3.42	7.10	—
3.	अण्डर ग्रेजुएट होस्टल व स्टाफ क्वार्टरों का विस्तार . . .	125.00	21.38	32.50	14.30	30.00	8.00	22.00	—
4.	एनैटामी ब्लाक व मुर्दाघर ब्लाक का वातानुकूलन . . .	40.00	1.66	20.00	5.14	9.00	—	9.00	—
5.	विभिन्न शिक्षण विभागों, योजना व सांख्यिकी कक्ष और स्नातकोत्तर अध्ययन को अनेक प्रकार से सबल बनाना तथा दर्जा बढ़ाए जाने वाले विभाग व चिकित्सा तथा आप्थैलाजी को मजबूत करना . . .	40.00	35.90	—	—	—	—	—	—
नई									
6.	राष्ट्रीय कान बैंक स्थापित करना और एम ए एम सी में पदों का सृजन	—	—	—	—	5.00	5.00	—	—
7.	कान, नाक, गला (ई० एन० टी०) विभाग में स्पीच और पुनर्वास यूनिट .	—	—	—	—	2.43	2.43	—	—
8.	पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास के लिए स्टाफ व उपकरण . . .	3.00	0.07	—	—	—	—	—	—
9.	डुप्लीकेट फीडर तथा अन्य निर्माण कार्य	—	1.39	—	—	—	—	—	—
10.	अण्डर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा का पुनर्नवीकरण सामुदायिक चिकित्सा पी व एस एम विभाग के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण .	—	—	—	—	10.00	10.00	—	—
11	सूचना सेवाओं का चयन के आधार पर प्रसार . . .	0.50	0.04	—	—	—	—	—	—
चालू									
12.	पुस्तकालय ब्लाक का निर्माण .	10.00	—	9.00	—	5.00	—	5.00	—
13.	दांत शाखा . . .	21.00	—	5.35	2.05	12.57	12.57	—	—

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में कार्यशाला की व्यवस्था . .	10.00	—	3.50	—	2 62	2.62	—	—
5. मौलाना आजाद कालेज में सुरक्षा कक्ष की व्यवस्था . .	1.00	—	0.48	—	0.10	0.10	—	—
6. चिकित्सा शिक्षा के लिए एक केन्द्र की स्थापना . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7. मौलाना आजाद कालेज में पी व एस एम विभाग के लिए स्वास्थ्य शिक्षा आरम्भ करना (चालू) . .	1.00	—	0.67	—	0.91	0.91	—	—
8. मौलाना आजाद कालेज के लिए अतिरिक्त स्टाफ . . .	1.00	—	1.00	—	1.00	1.00	—	—
9. मौलाना आजाद कालेज में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था . .	—	—	—	0.28	—	—	—	—
उप जोड़ . .	340.00	82.12	100.00	33.83	99.15	49 08	50 07	—
अस्पताल व औषधालय								
लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल								
(क) एलोपैथी चिकित्सा राहत—चालू								
गुरु नानक आंख के केन्द्र का निर्माण	30.00	9.71	10.00	5.63	10.00	—	10.00	—
स्टोर ब्लाक फेज–II का निर्माण	—	1.08	—	—	—	—	—	—
300 बिस्तरों वाले ब्लाक का निर्माण	40 00	25.66	10 00	29.09	15.00	—	15 00	—
विवाहित नर्सों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	10.00	8.91	—	—	—	—	—	—
स्टाफ व उपकरण की सक्षम व्यवस्था करना . . .	50.00	14.49	20.00	28 21	20.00	20.00	—	—
कोबाल्ट यूनिट . .	—	—	—	—	20.00	18.00	2 00	—
उप-जोड़ (लो० ना० ज० ना० अस्पताल)	130.00	59.85	40 00	62 93	65.00	38.00	27.00	—
जी० बी० पंत अस्पताल एलोपैथी चिकित्सा राहत								
चालू—								
जी० बी० पंत अस्पताल का विस्तार	119.00	11.94	46.00	11.81	15.00	—	15.00	—
नर्सों के छात्रावास का निर्माण . . .	9.00	6.83	9.00	4.81	—	—	—	—
यूनिटों के लिए अतिरिक्त स्टाफ	43.00	0.13	10.00	2 33	10.50	10.50	—	—
ब्लड बैंक . . .	1.60	1.60	—	—	—	—	—	—
आघात व स्वागत यूनिट .	1.00	—	1.00	—	—	—	—	—
विशेष उपकरण व स्टाफ .	60.00	63.28	22 00	51 00	19.60	19.60	—	—
माइक्रोफिलिंग व फोटोग्राफी .	—	1.45	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नई								
8.	चलता फिरता कोरोनरी केयर यूनिट	—	3.50	—	—	—	—	—	—
9.	स्टोर व प्रयोगशाला कार्य .	35.00	—	1.00	—	2.00	—	2.00	—
10.	लेक्चर व अनुसंधान कार्य .	28.50	—	0.50	—	1.85	—	1.85	—
11.	रसोई घर का आधुनीकीकरण व विस्तार . . .	2.90	—	0.50	—	1.40	—	1.40	—
12.	सीनियर रेजिडेंट छात्रावास का निर्माण	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—
13.	जूनियर रेजिडेंट छात्रावास का निर्माण	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—
14.	स्पीच थिरैपी व पुनर्वास .	—	—	—	—	0.15	—	0.15	—
15.	स्टाफ क्वाटरों का निर्माण .	—	—	—	—	0.15	—	0.15	—
	उप जोड़ (गोविन्दवल्लभ पंत अस्पताल)	300.00	88.73	90.00	69.95	50.85	30.10	20.75	—
	कुल (दिल्ली प्रशासन) .	3506.69	408.37	558.33	305.05*	693.50	198.38	495.12	—

* इसके इलावा चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत इमारत बनाने के लिए डी डी ए को 40 लाख रुपये की राशि दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दिल्ली नगर निगम (चिकित्सा राहत)								
	अस्पताल व औषधालय								
	हिन्दूराव अस्पताल चालू								
1.	बाहरी रोगी विभाग ब्लाक का निर्माण	30.00	7.01	7.00	14.31	6.00	6.00	—	—
2.	अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था	54.50	49.63	5.00	4.65	1.00	1.00	—	—
3.	हिन्दूराव अस्पताल में आपरेशन थिएटर की वर्तमान इमारत की दूसरी मंजिल का और बहुमंजिल ब्लाक का निर्माण	66.50	0.17	12.00	16.62	20.00	20.00	—	—
4.	एच आर एच में नर्सों के अस्पताल के दूसरे विंग का निर्माण .	9.00	1.78	3.50	—	0.30	0.30	—	—
5.	इंटेंसिव थिरैपी यूनिट .	51.00	—	7.50	—	13.20	13.20	—	—
6.	हाउस सर्जनों के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण . . .	7.00	2.52	4.00	—	4.10	4.10	—	—
7.	नर्सों की ट्रेनिंग के स्कूल की इमारत का निर्माण . . .	5.00	—	0.50	—	5.10	5.10	—	—
8.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण .	10.00	—	5.00	—	2.00	2.00	—	—
9.	धर्मशाला इमारत का निर्माण .	10.00	—	—	—	0.10	0.10	—	—
10.	स्थाई मुर्दाघर व शवपरीक्षा कक्ष का निर्माण . . .	4.00	—	1.00	—	2.50	2.50	—	—
11.	मशीनीकृत लांड्री की स्थापना .	3.00	—	3.00	—	1.00	1.00	—	—
	नई								
12.	इलैक्ट्रिक इंसिनोरेटर की स्थापना के लिए इमारत का निर्माण .	3.00	—	0.50	—	0.20	0.20	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	भुगतान के आधार पर रहने वाले मरीजों के लिए 20 बिस्तरों के नसिंग होम का निर्माण . .	7.00	—	1.00	—	1.50	1.50	—	—
14.	एच आर एच के लिए आपात केन्द्र की स्थापना . . .	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—
15.	एच आर एच के लिए चार दीवारी का निर्माण . . . (हिन्दूराव अस्पताल)	—	—	—	—	1.50	1.50	—	—
	उप जोड़ . . .	260.00	61.11	50.00	35.58	59.50	59.50	—	—
	स्वामी दयानन्द अस्पताल								
	चालू—								
1.	अस्पताल का विस्तार .	89.50	21.49	19.50	8.91	10.00	10.00	—	—
2.	नर्सों के छात्रावास का निर्माण	—	0.18	—	—	—	—	—	—
	नई								
3	बाहरी रोगी ब्लाक की पहली मंजिल का निर्माण . . .	15.00	—	2.00	—	1.50	1.50	—	—
4.	मुर्दा घर ब्लॉक का निर्माण .	2.00	—	0.50	—	0.50	0.50	—	—
5	नर्सों के अस्पताल (II फेज) का निर्माण (स्वामी दयानन्द अस्पताल)	5.00	—	4.00	—	1.50	1.50	—	—
	उप जोड़ . . .	111.50	21.67	26.00	8.91	13.50	13.50	—	—
	कस्तूरबा अस्पताल								
	नई								
1	अतिरिक्त बिस्तरों की स्थापना .	17.00	25.62	—	—	—	—	—	—
2.	नए बाहरी रोगी विभाग का निर्माण (वर्तमान ब्लाक के ऊपर)	20.00	—	1.00	—	0.50	0.50	—	—
3.	नर्सों के प्रशिक्षण के स्कूल और नर्स छात्रावास के लिए इमारत का निर्माण (पुरानी इमारत के स्थान पर)	5.00	—	1.00	—	0.50	0.50	—	—
4.	स्टाफ क्वार्टर भुगतान वार्ड का निर्माण (पुरानी इमारत के स्थान पर)	20.00	—	3.00	—	0.10	0.10	—	—
	उप-जोड़ (के० जी० अस्पताल)	62.00	25.62	5.00	—	1.10	1.10	—	—
	श्रीमती जी० एल० एम० अस्पताल								
	बाहरी रोगी विभाग का निर्माण	2.50	—	—	—	0.10	0.10	—	—
	राजेन्द्र बाबू क्षय रोगी अस्पताल								
1.	स्टोर ब्लाक व एक्सरे शाखा का निर्माण								
2.	हटमैण्ट्स की जगह पक्का वार्ड बनाना	7.00	1.93	1.00	3.27	0.10	0.10	—	—
3.	बहुमंजिले ब्लाक का निर्माण जिससे हटैन्समैण्ट्स के वर्तमान बिस्तरों के बदले नई व्यवस्था हो .	43.00	—	4.00	8.68	15.00	15.00	—	—
4.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए बारह क्वार्टर्स का निर्माण . .	7.00	—	1.00	—	2.00	2.00	—	—
5.	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास योजना का आरम्भ . .	10.00	—	2.50	0.18	0.50	0.50	—	—
	उप-जोड़ (रा० बाबू टी०वी० अस्पताल)	67.00	1.93	8.50	12.13	17.60	17.60	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	छूत की बीमारियों का अस्पताल								
1.	प्रयोगशाला व लेक्चर कक्ष के लिए ब्लाक का निर्माण . .	4.00	0.36	4.00	1.65	0.30	0.30	—	—
2.	दक्षिण दिल्ली में एक छूत की बीमारी के अस्पताल का निर्माण .	0.50	—	—	—	—	—	—	—
	उप-जोड़ . . .	4.50	0.36	4.00	1.65	0.30	0.30	—	—
	विविध (अन्य स्कीमें)								
1.	विभिन्न अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टर	30.00	12.87	10.00	1.83	6.00	6.00	—	—
2.	शाहदरा में पोलिक्लिनिक की स्थापना	0.45	0.14	—	—	—	—	—	—
3.	20 परीक्षणाधीन बिस्तरों सहित क्षय रोग क्लीनिक (पटपड़गंज) की स्थापना	1.00	—	—	—	—	—	—	—
4.	चार प्रसूति गृहों की स्थापना जहां प्रत्येक में 10 बिस्तर हों .	5.50	7.32 }						
5.	अन्य कालोनियों में 15 प्रसूति गृह और 11 एम व सी डब्ल्यू केन्द्र खोलना . . .	50.00	—	2.00	—	9.50	9.50	—	—
6.	दांतों के क्लीनिक की स्थापना	1.25	0.47	—	—	—	—	—	—
7.	कालोनी अस्पतालों का व 5 पी एच सी केन्द्रों का सुधार . .	5.00	—	1.00	—	1.00	1.00	—	—
8.	वर्तमान कालोनी अस्पतालों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (9) औषधालय (48) पी एच केन्द्र (5) क्षय रोग क्लीनिक (6) और एम व सी डब्ल्यू केन्द्र (68)	10.00	—	2.00	1.85	1.00	1.00	—	—
	उप-जोड़ . .	103.20	20.80	15.00	3.68	17.50	17.50	—	—
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू								
1.	पुनर्वास कालोनियों में प्रसूति गृहों व उप केन्द्रों की स्थापना .	44.00	—	10.00	4.21	15.00	15.00	—	—
2.	5 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व वर्तमान 25 उपकेन्द्रों की इमारतों का निर्माण (एन.एम.ई. पी.) . .	10,00	—	2.50	—	3.30	3.30	—	—
	उप-जोड़ : . .	54.00	—	12.50	4.21	18.30	18.30	—	-
	देशी औषधि प्रणाली								
1.	देसी व होमयोपैथी औषधि प्रणाली के 15 औषधालयों की स्थापना .	6.00	6.88	— }					
2.	50 आयुर्वेद औषधालयों को खोलना (जिनमें 20 औषधालयों की इमारतों का निर्माण भी शामिल है) . .	60.00	—	10.00	4.74	10.50	10.50	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	आयुर्वेदिक फार्मेसी की इमारत का निर्माण . .	6.00	--	1.50	--	0.10	0.10	--	--
4	आयुर्वेदिक अस्पताल हैदरपुर में एक्सरे संयंत्र की स्थापना .	1.50	--	1.50	--	0.50	0.50	--	--
5	आयुर्वेदिक अस्पताल हैदरपुर में अतिरिक्त बिस्तरों की स्थापना	15.00	--	1.00	11.68	3.50	3.50	--	--
	उप जोड़ . .	88.50	6.88	14.00	16.42	14.60	14.60	--	--
	कुल (दिल्ली नगर निगम) .	753.20	140.60*	135.00	82.58	142.50	142.50	--	--

* रीलिज़ड के आधार पर आंकड़े

नई दिल्ली नगर पालिका एलोपैथी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	चिकित्सा राहत अस्पताल व औषधालय								
1	एलोपैथी औषधालय .	4.46	4.46	--	--	--	--	--	--
2.	रक्त कोष की स्थापना .	0.65	0.65	--	--	--	--	--	--
3	मोती बाग अस्पताल का विस्तार	7.90	7.90	--	--	--	--	--	--
	चालू								
4	नई दिल्ली नगर पालिका अस्पताल, मोतीबाग के लिए नर्सों के छात्रावास व स्टाफ क्वार्टर .	23.96	--	4.00	0.54	4.00	4.00	--	--
5	राजपथ के उत्तर में प्रसूति वार्ड का निर्माण (बाबर रोड व मंदिर मार्ग)	--	--	--	--	--	--	--	--
6	खाद्य सामग्री से सम्बद्ध व्यक्तियों की डाक्टरी जांच . .	0.63	0.63	--	--	--	--	--	--
7	वर्तमान पोलिक्लिनिक का सुधार .	7.95	--	1.00	--	2.00	2.00	--	--
8.	बील मार्ग दर्शन क्लिनिक का विस्तार	1.40	--	0.50	--	0.50	0.50	--	--
	उप जोड़ (I) . .	36.95	13.67*	5.50	0.54	6.50	6.50	--	--
II	औषधियों व होमयोपैथी की देसी प्रणाली								
1.	आयुर्वेदिक औषधालय . .	7.65	1.57	0.50	--	0.75	0.75	--	--
2.	होमयोपैथी डिस्पेंसरी .	6.00	1.21	0.50	--	0.75	0.75	--	--
	उप जोड़ (II)	13.65	2.78	1.00	--	1.50	1.50	--	--
	कुल (नई दिल्ली नगर पालिका)	50.60	16.45*	6.50	0.54	8.00	8.00	--	--
	कुल (चिकित्सा)	4310.49	565.42*	699.83	388.17@	344.00	348.88	495.12	--

*स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा रिलीज किए गए आंकड़े दर्शाता है

@इसके अलावा डी० डी० ए० को 40 लाख रुपए चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत इमारत बनाने के लिए दिए गए।

वार्षिक योजना 1980–81 विकास स्कीमें/प्रायोजनाऐं

परिव्यय व व्यय

विवरण जी एन—2
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
(रुपये लाखों में)

स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978–83 परिव्यय	1978–79 वास्तविक	1979–80 अनुमोदित परिव्यय कुल	1979–80 व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980–81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जन स्वास्थ्य व सफाई तथा जल संभरण								
I जन स्वास्थ्य व सफाई बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण (नगर निगम, दिल्ली) चालू								
1. क्षय रोग आपरेशन लागत की समाप्ति	1.30	1.24	—	—	—	—	—	—
2. एपिडिमियोलोजिकल यूनिट को मजबूत करना . .	1.00	2.25	—	—	—	—	—	—
3. अंधेपन की बीमारी की रोकथाम .	0.50	—	—	—	—	—	—	—
4. मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम .	500.00	63.18	100.00	143.29	160.00	160.00	—	—
5. मलेरिया विरोधी अभियान (मुख्यालय) अलीपुर रोड पर इमारत का निर्माण	0.10	—	—	—	—	—	—	—
उप जोड़ . . .	502.90	66.67	100.00	143.29	160.00	160.00	—	—
II अन्य व्यय								
दिल्ली प्रशासन खाद्य अपमिश्रण की रोक थाम								
1. रोकथाम के लिए मशीनरी की स्थापना	24.50	12.13	—	—	—	—	—	—
2. खाद्य व औषधि के लिए संयुक्त प्रयोगशाला की स्थापना . .	37.00	—	20.00	0.65	25.00	5.00	20.00	—
3. खाद्य वस्तुओं के लाइसेंसों को जारी करने का काम प्रशासन द्वारा लिया जाना	5.00	—	2.00	—	5.00	5.00	—	—
उप जोड़ . .	66.50	12.13	22.00	0.65	30.00	10.00	20.00	—
औषधि नियंत्रण								
चालू								
औषधि नियंत्रण संगठन और मजबूत करना . . .	23.00	1.28	0.80	—	1.00	1.00	—	—
उप जोड़ (दिल्ली प्रशासन) .	89.50	13.41	22.80	0.65	31.00	11.00	20.00	—
दिल्ली नगर निगम								
नई								
1. बी०एच० आई० व आयोजना, जन्म-मृत्यु के आंकड़े, चिकित्सा अभिलेख और अस्पतालों व चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का कार्य (दिल्ली नगर निगम)	12.00	3.08	3.00	0.95	1.00	1.00	—	—
2. स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को मजबूत करना	1.00	1.00	—	—	—	—	—	—

	2	3	4	5	6	7	8	9
शमशान भूमि का निर्माण .	15.00	3.49	5.00	2.69	16.00	16.00	—	—
स्वास्थ्य व सफाई सेवा सम्बन्धी इंजीनियरी विभाग को मजबूत करना .	2.00	क्रम संख्या 8 की स्कीम के अन्दर						
कचरा हटाने के लिए मशीनी प्रक्रिया के लिए पायलट प्रायोजना								
कचरा जमा करने की मशीनी प्रक्रिया के लिए पायलट प्रायोजना	10.00	—	5.00	9.35	10.00	10.00	—	—
नई								
आर्गेनिक वेस्ट के उपयोग के लिए उत्पादन व वितरण केन्द्र की स्थापना .	22.00	—	9.50	—	2.00	2.00	—	—
(क) स्वास्थ्य व सफाई सम्बन्धी सेवाओं को मजबूत करना .	50.00	—	11.00	—	25.00	25.00	—	—
(ख) ठोस व तरल अरबन वेस्ट सम्बन्धी व्यवस्था का मशीनीकरण .								
उप जोड़ (दिल्ली नगर निगम) .	112.00	7.57	33.50	12.99	54.00	54.00	—	—
कुल (दिल्ली नगर निगम) .	614.90	144.86*	133.50	156.28	214.00	214.00	—	—

*रीलीज के आधार पर आंकड़े

नई दिल्ली नगर पालिका

	2	3	4	5	6	7	8	9
चालू								
सांख्यिकी यूनिट को मजबूत करना .	3.90	0.12	1.10	—	1.00	1.00	—	—
सफाई व्यवस्था का मशीनीकरण .	11.97	3.63	4.16	0.42	2.50	2.50	—	—
कूड़ा इकट्ठा करने की भूमि का विकास	5.00	0.06	2.00	0.07	1.00	1.00	—	—
नई								
स्वास्थ्य शिक्षा एकक का विस्तार	3.10	—	0.70	—	0.50	0.50	—	—
कूड़ा करकट हटाने की स्कीम .	15.00	—	5.00	—	6.00	6.00	—	—
उप जोड़ (नई दिल्ली नगर पालिका)	38.97	5.92**	12.96	0.49	11.00	11.00	—	—
कुल (जन स्वास्थ्य व सफाई) .	743.37	164.19**	199.26	157.42	256.00	236.00	20.00	—

**स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा रीलीज आंकड़े दर्शाए गये हैं।

विवरण जी० एन०-2

वार्षिक योजना 1980-81

स्कीम के अनुसार परिव्यय व व्यय

दि० सं० रा० क्षे०

(रुपये लाखों में)

स्कीम/परियोजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1978—83	वास्तविक व्यय 1978-79	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	कुल	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 राजस्व	पूंजी	ऋण
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. जल संभरण व उपजल निकास								
क—दिल्ली नगर निगम के अधीन नल संभरण व उपजल निपटान								
जल संभरण								
1. हैदरपुर में दिल्ली नगर निगम का 100 एम जी डी जल शोधन संयंत्र	150.00	113.75	45.00	57.08	30.00	—	—	30.00
2. हैदरपुर संयंत्र का जलाशय और वितरण की मुख्य लाईन . .	300.00	48.22	70.00	58.15	70.00	—	—	70.00
3. नहर की लाइन संबंधित व्यवस्था .	100.00	36.00	—	—	35.00	—	—	35.00
4. कच्चा पानी कन्डीयूट . .	700.00	250.00	330.00	198.00	80.00	—	—	80.00
5. उत्तरी शहादरा में एक जी० एम० जी० डी० का जल शोधन संयंत्र . .	1041.00	16.83	250.00	275.62	545.00	—	—	545.0
6. जलाशय व वितरण के मुख्य लाइनें .	763.00	54.12	165.00	44.73	100.00	—	—	100.0
7. विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी वितरण प्रणाली के स्थान पर नयी व्यवस्था .	75.00	23.46	25.00	37.35	25.00	—	—	25.0
8. वर्तमान कार्य में सुधार. . .	70.00	7.97	15.00	29.90	15.00	—	—	15.0
9. रैनी कुएं और नल कूप . .	250.00	12.45	60.00	10.19	105.00	—	—	105.0
10. जल संभरण के लिए मास्टर प्लान की तैयारी	20.00	0.12	5.00	—	5.00	—	—	5.0
11. स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय का स्थान .	50.00	8.25	10.00	24.58	15.00	—	—	15.0
12. नियमित कालोनियों में पानी की मुख्य लाइनें बिछाना . . .	—	5.20	—	—	—	—	—	—
13. गौण वितरण शाहदरा संयंत्र के लिए मुख्य लाइनें	300.00	—	30.00	—	50.00	—	—	50.0
14. अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध . . .	25.00	—	—	—	—	—	—	—
15. जल शोधन क्षमता को बढ़ाना . .	25.00	—	—	—	—	—	—	—
16. ग्रामीण जल संभरण (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) . . .	700.00	8.88	200.00	121.10	200.00	200.00	—	
17. ग्रामीण जल संभरण (सामान्य) .	102.00	6.52	18.00	43.27	50.00	50.00		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. सामग्री की खरीद . .	—	—	326.94	—	—	—	—	—
कुल (जल संभरण) .	4671.00	692.68	1232.00	1226.91	1325.00	250.00	—	1075.00
11. अपजल निकास .								
1. ट्रंक अपजल निकास . .	515.00	13.13	70.00	4.73	80.00	—	—	80.00
2. अपजल शोधन संयंत्र .	660.00	27.49	150.00	32.66	155.00	—	—	155.00
3. मुख्य लाइनों को ऊंचा करने के साथ-साथ पम्पिंग स्टेशन .	425.00	26.97	75.00	43.44	100.00	—	—	100.00
4. शाहदरा अपजल निकास स्कीम	500.00	3.45	50.00	10.39	100.00	—	—	100.00
5. श्रोखला से हरियाणा की सीमा तक गन्दे पानी का निकासी मार्ग	25.00	—	5.00	—	1.00	—	—	1.00
6. शाखा अपजल निकास व्यवस्था और पुराने और छोटे प्रकार के अपजल निकासों की व्यवस्था	100.00	16.17	25.00	23.12	30.00	—	—	30.00
7. रिहायशी आवास गोदाम प्रयोगशालाएं, स्टोर आदि .	100.00	3.74	7.00	1.87	10.00	—	—	10.00
8. बरसाती पानी की नालियां .	200.00	9.77	40.00	9.92	25.00	—	—	25.00
9. बाढ़ का मुकाबला करने से संबंधित कार्य .	50.00	5.65	5.00	0.33	10.00	10.00	—	—
0. नियमित या अनियमित कलोनियों में सिवर बिछाना . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1. वर्तमान संयंत्रों और पंपींग स्टेशनों को नया रूप देना .	75.00	—	15.00	5.14	15.00	—	—	15.00
2. किलोकरी से ओखला तक गैरे-विटी निकास व्यवस्था को नया रूप देना . .	75.00	—	10.00	0.29	15.00	—	—	15.00
3. ओखला में गैस का उपयोग .	110.00	1.52	20.00	1.24	30.00	—	—	30.00
4. यमुना नदी के पानी को गंदा होने से रोकना . .	74.00	—	16.00	0.81	30.00	—	—	30.00
5. शुष्क शौचालयों को फ्लश में बदलना	120.00	0.05	30.00	—	25.00	—	—	25.00
कुल (अपजल निकासी व्यवस्था) .	3029.00	115.73	518.00	133.94	626.00	10.00	—	616.00
कुल (जल सम्भरण व अपजल निकासी)	7700.00	1170.00	1750.00	1360.85	1951.00	260.00	—	1691.00
ख—नई दिल्ली नगर पालिका जल संभरण								
महानगर के शहरी केन्द्र में जल संभरण की स्थिति बढ़ाना .	17.00	8.45	10.00	18.37	5.00	—	—	5.00
डी आई जेड क्षेत्र में जल संभरण की स्थिति बढ़ाना . .	55.00	18.04	10.00	2.50	10.00	—	—	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
3.	हनसपुर जलाशय से पानी की मुख्य लाइनें बढ़ाना . .	20.00	—	1.00	—	2.00	—	—	2.0
4.	झंडेवालान से पानी का संभरण बढ़ाना . . .	—	0.60	—	—	—	—	—	—
5.	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में समान वितरण के लिए वर्तमान जल संभरण में सुधार .	50.00	—	10.00	4.49	5.00	—	—	5.0
	उप जोड़ . .	142.00	27.09	31.00	25.36	22.00	—	—	22.0
	II— अपजल निकास व्यवस्था								
1.	डी आई जैड क्षेत्र में अपजल निकास व्यवस्था को बढ़ाना . .	56.90	8.32	20.00	1.18	15.00	—	—	15.0
2.	महानगर के शहरी क्षेत्र में अपजल निकास व्यवस्था को बढ़ाना .	2.40	(−)0.74	1.00	—	—	—	—	—
3.	अपजल निकासी पंपिंग स्टेशन को नया स्वरूप देना . .	8.60	3.47	4.00	0.76	1.00	—	—	1.0
4.	बंगालो क्षेत्र में अपजल निकास व्यवस्था बढ़ाना . . .	20.00	—	1.00	—	2.00	—	—	2.0
5.	वर्तमान 75" डायाट्रंक सीवर को नया रूप देना और नई सीवर लाइन बिछाना . .	20.00	—	1.00	—	2.00	—	—	2.
6.	अनिवार्य डयूटी स्टाफ के लिए पूछताछ कार्यालय और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण . . .	20.00	—	1.00	—	2.00	—	—	2.
7.	सरकारी कालोनियों में भूमिगत टैंक का निर्माण और बूस्टिंग व्यवस्था	10.00	—	2.00	0.52	1.00	—	—	1.
8.	लोदी कालोनी और जोर बाग में सीवर व्यवस्था बढ़ाना .	40.00	2.50	20.00	5.83	10.00	—	—	10.
9.	पानी रिसने का पता लगाने वाला कक्ष (जल संभरण के लिए उपकरणों की खरीद) .	—	—	—	4.80	2.00	—	—	2.
10.	नलकूप व रेनी कुएं बनाकर जल संभरण व्यवस्था बढ़ाना .	—	—	—	—	1.00	—	—	[illegible]
11.	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अपजल निकास व्यवस्था को बढ़ाना .	—	—	—	2.48	2.00	—	—	2.
	उपजोड़	157.90	13.55	49.00	15.07	38.00	—	—	38.0
	III—बाढ़ को रोकने के कार्य								
1.	अपजल निकास प्रणाली न0 6 से 11 तक की क्षमता बढ़ाना	8.00	0.78	3.00	1.49	2.00	2.00	—	
2.	अपजल निकास प्रणाली न0 से से 5 तक की क्षमता बढ़ाना .	—	—	—	—	0.50	0.50	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	अपजल निकास प्रणाली नं0 12 से 14 तक की क्षमता बढ़ाना .	12.00	0.35	3.00	2.12	5.00	5.00	--	--
4.	अपजल निकास प्रणाली नं0 1 की क्षमता बढ़ाना . .	20.00	--	5.00	--	0.50	0.50	--	-
5.	लोदी कालोनी और अलीगंज क्षेत्र में बरसाती पानी के नालों की क्षमता को बढ़ाना . .	25.00	--	5.00	--	5.00	5.00	--	--
6.	मोती बाग व चाणक्यपुरी में अपजल निकास व्यवस्था (एस डब्ल्यू डी) के नालों की क्षमता को बढ़ाना . . .	20.00	--	2 00	--	1.00	1.00	--	--
7.	*लक्ष्मीबाई नगर सरोजनी नगर व नेताजी नगर में अपजल निकास व्यवस्था (एस डब्ल्यू डी) के नालों की क्षमता बढ़ाना	15.10	--	2.00	--	1.00	1.00	--	--
	उपजोड़	100.10	1.13	20 00	4 12	15.00	15.00	--	--
	अपजल निकासी नालों को ढकना								
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाला . .	--	--	--	25.00	--	--	--	25.00
2.	डिप्लोमैटिक एन्कलेव का नाला	--	--	--	20 00	--	--	--	20.00
3.	कौटिल्य मार्ग नाला . .	--	--	--	3 00	--	--	--	3.00
4.	निम्नलिखित के सड़कों के किनारे नालों को ढकना . .	--	--	--	7 00	--	--	--	7.00
	(i) अशोक रोड								
	(ii) मेडीहार्डिंग रोड								
	(iii) से एवेन्यू								
	कुल (नई दिल्ली नगर पालिका)	400.00	41.77	100 00	44 55	130 00	15 00	--	115.00
	कुल (जल संभरण व उपजल निकास) . .	8100.00	1211.77	1850.00	1405.40	2081.00	275.00	--	1806.00

वार्षिक योजना 1980-81 स्कीम के अनुसार

परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

विवरण जी एन-2

(रुपये लाखों में)

सं०	स्कीम का नाम/परियोजना	अनुमोदित परिव्यय 1978-83	वास्तविक व्यय 1978-79	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आवास								
	दिल्ली प्रशासन								
.	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण								
	(i) 33 राजपुर रोड पर रिहायशी मकानों का निर्माण					3.00	--	3.00	-
	(ii) गुलाबी बाग में रिहायशी मकानों का निर्माण					5.00	--	5.00	-
	(iii) करकरडूमा में रिहायशी मकानों का निर्माण					35.00	--	35.00	-
	(iv) 45-47 राजपुर रोड पर रिहायशी मकानों का निर्माण					5.30	--	5.30	-
	(v) साधुरा खुर्द में रिहायशी मकानों का निर्माण					38.00	--	38.00	-
	(vi) साधुराकलां में रिहायशी मकानों का निर्माण					38.00	--	38.00	-
	(vii) तिमार पुर रिहाशि मकानों का निर्माण					50 00	--	50.00	-
	(viii) बैटरी लेन में ट्रांजिट होस्टिल का निर्माण					1.00	--	1.00	-
	(ix) शेख सराय में रिहायशी मकानों का निर्माण					9.70	--	9.70	-
	(x) भूमि की खरीद व विकास डी० डी० ए० स्टाफ क्वार्टस का निर्माण और भूमि की खरीद आदि					20.00	--	20.00	-
	उप जोड़	1159.00	347.28	200.00	254.87	--		205.00	205.(
2.	**कार्यालय के लिए स्थान**								
	(1) एम० एस० ओ० बिल्डिंग के पीछे अस्थायी स्थल का निर्माण					--	--	--	-
	(2) इन्द्रप्रस्थ मार्ग पर एम०एस०ओ० बिल्डिंग फेज I, II, III का निर्माण					60.00	--	60.60	-
	(3) पुराना सचिवालय के परिसर में अतिरिक्त कार्यालय स्थान					15.00	--	15.00	

*स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए भूमि के वास्ते डी०डी०ए० को 100 लाख रुपए दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	5-अलीपुर रोड पर कार्यालय का स्थान . . .	—	—	—	—	3.30	—	3.30	—	
5.	संसद मार्ग पर कार्यालय का स्थान	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—	
6.	पुराने बंगलों का पुनर्विकास .	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	शाहादरा में अदालत की इमारत (अस्थायी) . .	—	—	—	—	0.50	—	0.50	—	
8	शाहदरा में अदालत की इमारत (स्थायी) . .	—	—	—	—	40.00	—	40.00	—	
9	श्रम विभाग के लिए कार्यालय का स्थल . . .	—	—	—	—	5.00	—	5.00	—	
0	पुराने सचिवालय में सेवाओं में सुधार . .	—	—	—	—	10.00	—	10.00	—	
	उप जोड़ . .	260.00	14.81	54.00	28.30	134.00	—	134.00	—	
3.	सामान्य जनता के लिए मकानों का निर्माण . .	100.00	--	—	30.00	—	—	—	—	—
4	आवास बोर्ड . .	10.00	--	—	10.00	—	1.00	—	—	1.00
	कुल (दिल्ली प्रशासन) .	1529.00	362.09	294.00	294.00	283.17	340.00	—	339.00	1.00
	दिल्ली नगर निगम									
1.	स्टाफ क्वाटरों का निर्माण .	300.00	56.58	30.00	25.52	40.00	—	—	—	40.00
2.	बाजार केन्द्र का विकास	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—
3.	सामान्य जनता के लिए मकानों का निर्माण . .	100.00	--	30.00	—	-	—	—	—	—
4.	गन्दी बस्ती हटाने की योजना	1.00	18.00	20.00	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़	401.00	74.60	80.00	25.52	40.00	—	—	—	40.00
	नई दिल्ली नगर पालिका									
1.	एम और सी डब्ल्यू सी लोदी रोड में 59 क्वाटरों का निर्माण	8.00	0.51	1.00	2.58	—	—		—	—
2.	खिचड़ीपुर के निकट कल्याणवास में 555 क्वाटरों का निर्माण .	—	16.10	—	—	—	—		—	—
3.	सामान्य जनता के लिए मकानों का निर्माण . .	100.00	—	30.00	—	4.00	—		—	4.00
5.	'धोबी' क्वार्टर' और के पुरम सैक्टर-10 में सेवाकर्मचारियों के लिए ई डब्ल्यू एस आवास . .	20.00	1.32	5.00	—	1.00	—		—	1.00
5.	नई दिल्ली नगर पालिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ के लिए क्वार्टरों का निर्माण .	—	0.16	—	—	—	—		—	—
6.	अलीगंज में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	—	—	—	0.05	—	—		—	—
	उपजोड़ . .	128.00	18.09	36.00	2.63	5.00	—		—	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अन्य आवास स्कीमें								
1.	**आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीमें**								
	(i) लारेंस रोड में 720 मकानों का निर्माण . . .	2.50	—	2.50	—	2.50	—	2.50	—
	(ii) बोडेला में 344 मकानों का निर्माण . . .	1.50	—	1.50	—	1.50	—	1.50	—
3.	ओखला में 272 मकानों का निर्माण	1.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
4.	करनाल रोड पर 350 मकानों का निर्माण . . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
5.	करनाल रोड पर 350 मकानों का निर्माण . .	5.00	—	—	—	—	—	—	—
6.	दिल्ली विकास प्राधिकरण .	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	15.00*	—	5.00*	—	5.00	—	5.00	—
	आवास ऋण स्कीम								
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना .	5.00	47.39	1.00	8.00	40.00	—	—	40.00
3.	मध्य आय वर्ग आवास योजना	5.00	60.89	1.00	23.08	40.00	—	—	40.00
4	ग्रामीण आवास प्रयोजना स्कीम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) .	50.00	25.00	10.00	15.00	10.00	—	—	10.00
5	सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण . .	500.00	—	100.00	110.00	250.00	—	—	250.00
	उप जोड़— . . .	560.00	133.28	112.00	156.08	340.00	—	—	340.00
	दिल्ली विकास प्राधिकरण								
6.	सामान्य जनता के लिए मकानों का निर्माण . . .	100.00	100.00	—	—	70.00	—	—	70.00
7.	गन्दी बस्ती हटाने की योजना .	28.00	36.56	28.00	—	50.00	25.00	—	25.00
	उप जोड़— .	128.00	136.56	28.00	—	120.00	25.00	—	95.00
	भूमिहीन मजदूरों के लिए मकानों की जगह (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	15.00	2.41	3.00	0.73	5.00	5.00	—	—
	कुल (आवास) .	2776.00	725.45	558.00	468.13	855.00	30.00	344.00	481.00
	पुलिस आवास योजना								
1.	होज-खास आवास योजना .	—	0.30	—	—	—	—	—	—
2.	नजफगढ़ में रिहायशी मकान .	—	1.81	—	—	—	—	—	—
3.	वजीर पुर आवास योजना .	115.00	31.96	25.00	37.24	4.00	—	4.00	—
4.	माडल टाऊन आवास योजना .	125.00	0.98	25.00	5.85	50.00	—	50.00	—

*डी॰ डी॰ ए॰ को 5 लाख रुपये की राशि दी गई है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	पुलिस पोस्ट पालम में रिहायशी मकान . . .	—	4.50	—	—	—	—	—	—
6.	दक्षिणी और नई दिल्ली जिलों में लाइनें . . .	150.00	41.07	20.00	34.28	35.00	—	35.00	—
7.	महरौली में रिहायशी मकान	—	0.91	—	—	—	—	—	—
8.	पुलिस थाना करोल बाग में रिहायशी मकान . .	—	3.79	—	—	—	—	—	—
9.	डी ए पी लाइन्स में बाहर से आने वाले पुलिस दलों के लिए बैरकें	50.00	24.20	15.00	29.23	15.00	—	15.00	—
10	झड़ौदा कलां में पी टी एस .	200.00	24.59	20.00	19.83	35.00	—	35.00	—
11.	शकरपुर रिहायशी स्कीम .	100.00	—	20.00	2.46	20.00	—	20.00	—
12	राधेश्याम पार्क में रिहायशी कालोनी . . .	50.00	1.00	20.00	1.80	8.00	—	8.00	—
13	आजादपुर रिहायशी योजना .	80.00	0.40	15.00	0.01	1.00	—	1.00	—
14.	शालीमार बाग में रिहायशी मकान	20.00	—	8.00	0.01	0.50	—	0.50	—
15	पुलिस स्टेशन ओरिजनलरोड में प्लाट न० 54 में रिहायशी मकान	10.00	—	2.00	2.21	2.00	—	2.00	—
16	सुरक्षा पुलिस लाइन . .	100.00	—	10.00	—	0.50	—	0.50	—
17.	आजादपुर में रिहायशी मकान व पुलिस पोस्ट .	—	—	—	—	2.00	—	2.00	—
18	पुलिस स्टेशन नांगलोई मे रिहायशी मकान . .	—	—	—	—	1.00	—	1.00	—
19.	नई कोतवाली दरियागंज में रिहायशी मकान . .	—	—	—	—	3.00	—	3.00	—
20.	गांव सुलतानपुर में एक डी ए पी बटालियन का फैलाव . .	—	—	—	—	2.00	—	2.00	—
21	पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन में एक बटालियन का फैलाव .	—	—	—	—	0.50	—	0.50	—
22.	मोती नगर में रिहायशी मकान	—	—	—	0.24	—	—	—	—
23.	नजफगढ़ में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	—	—	—	0.20	—	—	—	—
24.	पुलिस आवास स्कीम के लिए भूमि की लागत . . .	—	—	—	3.24	—	—	—	—
25.	पश्चिमी दिल्ली में बैडिला में डी० ए० पी० की एक बटालियन का फैलाव	—	—	—	—	0.40	—	0.40	—
26.	केन्द्रीय जिले के लिए लाइनें और रिहायशी मकानों का निर्माण यमुना पार लाइन . . .	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—
27.	पुलिस स्टेशन महारानी नगर में विवाहितों के लिए अतिरिक्त मकानों का निर्माण . . .	—	—	—	0.17	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	भूमि की लागत का भुगतान (डी डी ए)	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	1000.00	135.51	180.00	136.77*	180.00	—	180.00
	पुलिस पोस्टों सहित पुलिस स्टेशन							
1.	पहाड़गंज में पुलिस स्टेशन .	80.00	—	10.00	0.12	15.00	—	15.00
2.	महरौली में पुलिस स्टेशन .	30.00	—	10.00	1.38	6.50	—	6.50
3.	अशोक बिहार में पुलिस स्टेशन .	40.00	—	10.00	6.33	21.00	—	21.00
4.	फराश बाजार में पुलिस स्टेशन .	20.00	—	10.00	—	26.00	—	26.00
5.	सीमापुरी में पुलिस स्टेशन .	5.00	—	2.00	1.65	0.50	—	0.50
6.	जनकपुरी में पुलिस स्टेशन .	20.00	—	10.00	—	17.00	—	17.00
7.	पुलिस उपायुक्त दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय . . .	30.00	—	10.00	5.09	6.00	—	6.00
8.	पुलिस उपायुक्त पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय	20.00	—	6.00	0.27	0.50	—	0.50
9.	शकूरबस्ती में पुलिस पोस्ट .	20.00	—	6.00	—	0.50	—	0.50
10.	नंदनगरी में पुलिस पोस्ट .	10.00	—	3.00	—	0.50	—	0.50
11.	दक्षिण पुरी में पुलिस पोस्ट .	5.00	—	2.00	—	0.05	—	0.05
12.	गांधी नगर में पुलिस पोस्ट .	30.00	—	5.00	—	0.50	—	0.50
13.	नारायणा में पुलिस पोस्ट .	30.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00
14.	आदर्श नगर में पुलिस पोस्ट .	30.00	—	2.00	—	0.50	—	0.50
15.	बदर पुर में पुलिस पोस्ट .	30.00	—	2.00	—	0.05	—	0.05
16.	सरायरोहिला में पुलिस पोस्ट .	40.00	—	2.00	—	5.00	—	5.00
17.	कल्याणपुरी में पुलिस पोस्ट .	40.00	—	2.00	—	5.50	—	5.50
18.	बसंत बिहार में पुलिस पोस्ट .	40.00	—	2.00	—	0.50	—	0.50
19.	कमला मार्किट में पुलिस पोस्ट .	40.00	—	2.00	—	7.50	—	7.50
20.	राजोरी गार्डन में पुलिस पोस्ट .	40.00	—	2.00	—	0.50	—	0.50
21.	अमर कालोनी में पुलिस पोस्ट .	—	—	—	—	0.05	—	0.05
22.	गांधी नगर पुलिस स्टेशन के अधीन कैलाश नगर में पुलिस पोस्ट	—	—	—	—	0.40	—	0.40
23.	पुलिस स्टेशन कालकाजी के अधीन पुलिस पोस्ट . .	—	—	—	—	0.05	—	0.05
24.	पुलिस स्टेशन शकूरपुर .	—	—	—	—	1.05	—	1.05
25.	पुलिस स्टेशन बाड़ा हिन्दू राव .	—	—	—	—	1.05	—	1.05
26.	पुलिस स्टेशन पटपड़ गंज. .	—	—	—	—	0.05	—	0.05

*50 लाख रुपये की राशि डी डी ए को दी गई है।

2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिमपुरी	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
चितरंजन पार्क	--	--	--	--	1.05	--	1.05	--
लारेंस रोड	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
फ्रैंड्स कालोनी	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
सनलाइट कालोनी	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
आर० के० पुरम् सैक्टर 12	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
सीलमपुर	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
...ली में घास का फारम	--	--	--	--	0.20	--	0.20	--
... चांदमारी रेंज	--	--	--	--	0.20	--	0.20	--
...ग्रहण (कल्याण निवास)	--	--	--	7.63	--	--	--	--
. . . . .	600.00	1.80	100.00	22.47	120.00	--	120.00	--
...रतें								
...फेज-I व II की लागत	50.00	7.78	12.00	0.99	30.00	--	30.00	--
...के लिए स्टाफ क्वार्टरों का ...	40.00	--	10.00	0.24	5.00	--	5.00	--
...के लिए स्टाफ क्वार्टरों ...निर्माण	30.00	--	8.00	--	5.00	--	5.00	--
...में महावाई का ...	30.00	--	7.00	--	5.00	--	5.00	--
...जेलों का निर्माण	50.00	--	15.00		15.00	--	15.00	--
...यमुना पार क्षेत्र में थोड़ा (शाहदरा)								
...) नरेला								
...जोड़	200.00	7.78	52.00	1.23	60.00	--	60.00	--
...रक्षा निदेशालय व गृह रक्षक दल								
...मेंं सम्मिलित केन्द्रीय प्रशिक्षण स्थान ...इमारत	--	--	8.00	--	10.00	--	10.00	--
...उप. नि. नियंत्रण केन्द्र/डिपो व प्रशिक्षण केन्द्र	--	--	2.00	--	5.00	--	5.00	--
प्रशिक्षण क्षेत्र, परेड ग्राउंड आदि का निर्माण व विकास	--	--	--	--	1.50	--	1.50	--
...द्रीय स्टोर का निर्माण	--	--	--	--	1.50	--	1.50	--
...टी० गैरेज वर्कशाप का निर्माण	--	--	--	--	1.30	--	1.30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	निदेशालय में योजना व संगठन सहायक कर्मचारी . . .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
7.	नागरिक रक्षा क्षेत्र प्रशिक्षण व सहायक कार्यकारी विस्तार . .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
8.	गृह रक्षक दल के क्षेत्र प्रशिक्षण कर्मचारियों का विस्तार . .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
9.	नागरिक रक्षा निदेशालय व गृह रक्षक दल के सम्मिलित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
10.	परिवहन बेड़े की सुविधाओं का विस्तार सामुदायिक संगठन प्रशिक्षण व संचलन के लिए विस्तार कार्य	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
11.	सामुदायिक संचलन के लिए दूर संचार सेवाओं का विकास .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
12.	नागरिक रक्षा व गृह रक्षक दल के लिए प्रशिक्षण स्कीम का विस्तार .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
	उप-जोड़	40.00	—	10 00	—	20.00	0.70	19.30	—
	कुल आवास : . . .	4616.00	870.34	900.00	628.60	1235.00	30.70	723.30	481.

वार्षिक योजना 1980-81

योजनानुसार परिव्यय व व्यय

विवरण सी-1 क-2

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1978-83	वास्तविक व्यय 1978-79	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-8	शहरी विकास								
	दिल्ली विकास प्राधिकरण								
1.	झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना	750.00	187.97	150.00	*	150.00	—	150.00	—
2.	कटरों के स्वरूप में सुधार	75.00	9.00	10.00	8.67	15.00	—	—	15.00
3.	अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना	500.00	—	90.00	84.01	200.00	—	—	200.00
4.	मास्टर प्लान का संशोधन	30.00	—	8.00	17.08	22.00	22.00	—	—
5.	शहरी गांवों का विकास	—	—	—		180.00	—	—	180.00
6.	झुग्गी झोंपड़ी व पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं का विकास	—	—	—	—	120.00	120.00	—	—
7.	गन्दी बस्तियों में वातावरण सम्बन्धी सुधार (न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम)	—	—	—		100.00	100.00	—	—
8.	पुनर्वास कालोनियों में कल्याण योजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ —	1355.00	196.97	258.00	101.57	787.00	242.00	150.00	395.00
	दिल्ली नगर निगम								
1.	शहरी गांवों का विकास	1300.00	70.00	200.00	—	—	—	—	—
2.	गंदी बस्तियों में वातावरण का सुधार (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	450.00	42.68	100.00	54.30	—	—	—	—
3.	झुग्गी झोंपड़ी और पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था	1200.00	—	120.00	—	—	—	—	—
4.	नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों का विकास	1000.00	—	200.00	—	—	—	—	—
5.	कटरों के स्वरूप में सुधार	2.00	—	10.00	—	—	—	—	—
6.	ग्रामीण क्षेत्र में गावों का विकास	1.00	—	2.00	—	1.00	—	—	1.00
	उप जोड़	3953.00	112.68	632.00	54.30	1.00	—	—	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नई दिल्ली नगरपालिका									
	मंदिर मार्ग व्यू पांइट व अलीगंज क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में वातावरण सम्बन्धी सुधार .	35.00	1.16	10.00	2.55	10.00	10.00	—	—
दिल्ली प्रशासन									
	वायु दूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए स्कीम . .	—	1.75	—	—	—	—	—	—
	कुल . . .	5343.00	312.56	900.00	166.61	798.00	252.00	150.00	396.00

* 1505.00 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
** 220 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
*** 100 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
**** 160 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
***** 60 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
X 22 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए
XX 200 लाख रुपये डी डी ए को दे दिए गए

वार्षिक योजना 1980-81 विवरण जी एन—2

योजनानुसार परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (रुपये लाखों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम/प्रायोजना	अनुमोदित परिव्यय 1978—83	वास्तविक व्यय 1978-79	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6-9	सूचना व प्रसार सूचना व प्रसार निदेशालय								
1.	अनुसंधान व सन्दर्भ कक्ष .	3.00	0.20	0.75	0.06	0.75	0.75	—	—
2	गीत व नाटक कक्ष . .	5.00	0.43	1.00	0.79	1.20	1.20	—	—
3.	विज्ञापन कक्ष . . .	16.00	3.59	4.00	4.05	3.50	3.50	—	—
4	फिल्म कक्ष . .	15.00	2.80	3.50	2.99	3.00	3.00	—	—
5	प्रदर्शनी कक्ष . .	6.00	2.96	1.50	0.86	1.50	1.50	—	—
6	प्रकाशन कक्ष . . .	15.00	1.58	2.25	1.20	2.50	2.50	—	—
7.	प्रेस कक्ष . . .	2.00	0.24	0.50	0.12	0.60	0.60	—	—
8.	फोटो कक्ष . . .	4.00	0.20	0.70	0.37	0.90	0.90	—	—
9.	मुख्यालय कक्ष . .	10.00	2.00	3.00	1.58	3.50	3.50	—	—
10.	अन्य व्यय . . .	1.50	0.21	0.30	0.26	0.30	0.30	—	—
	(क) आतिथ्य . .	6.00	—	—	—	1.00	1.00	—	—
	(ख) छपाई प्रेस .	7.50	0.41	1.50	0.53	1.00	1.00	—	—
	(ग) अन्य बचत योजना								
11.	क्षेत्रीय सूचना केन्द्र . .	3.00	—	0.50	—	1.00	1.00	—	—
12.	ग्रामीण सूचना केन्द्र . .	3.00	—	1.00	—	1.25	1.25	—	—
	कुल (सूचना व प्रसार निदेशालय)	97.00	14.61	20.50	12.81	22.00	22.00	—	—
13.	मद्य निषेध प्रचार व प्रसार स्कीम	8.00	0.77	1.50	1.35	1.50	1.50	—	—
14.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक टेलीविजन सेटों की व्यवस्था की योजना . . .	10.00	—	2.00	—	0.50	0.50	—	—
	दिल्ली नगर निगम								
15.	स्टाफ सम्बन्धी व्यय सहित सूचना व प्रसार केन्द्र . .	3.00	—	0.90	—	11.00	1.00	—	—
16.	प्रकाशन . . .	2.00	—	0.10	—	—	—	—	—
	उप जोड़ . . .	5.00	—	1.00	—	1.00	1.00	—	—
	कुल (सूचना व प्रसार) .	120.00	15.38	25.00	25.00	25.00	25.00	—	—

वार्षिक योजना--1980-81 | विवरण जी एन--2

विकासीय योजना/प्रायोजना परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्रीय दिल्ली
(रुपयों लाख में)

क०सं०	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	श्रम व श्रम कल्याण								
	--श्रम कल्याण								
	I--औद्योगिक सम्पर्क								
1.	--औद्योगिक सम्पर्क मशीनरी को मजबूत करना . . .	15.00	--	3.00	0.45	2.00	2.00	--	--
2.	औद्योगिक शांति पुरस्कार के लिए स्कीम . . .	--	--	--	--	--	--	--	--
	उप जोड़--(1) . .	15.00	--	3.00	0.45	2.00	2.00	--	--
	II--कार्य के हालात व सुरक्षा								
1.	सुरक्षा पुरस्कार स्कीम . .	0.70	0.08	0.15	0.05	0.15	0.15	--	--
2.	फैक्ट्री के निरीक्षणालय को मजबूत करना . . .	5.00	--	1.00	0.05	1.20	1.20	--	--
	उप जोड़--(2) . .	5.70	0.08	1.15	0.10	1.35	1.35	--	--
	III--सामान्य श्रम कल्याण								
1.	श्रम कल्याण केन्द्र की इमारत का निर्माण	33.24	0.97	5.00	5.76	5.50	0.13	5.37	--
2.	-5 अतिरिक्त श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना . . .	1.80	1.14	--	--	--	--	--	--
3.	औद्योगिक कामगरों के लिए अध्ययन यात्राएं . . .	1.70	0.31	0.30	0.31	0.35	0.35	--	--
4.	औद्योगिक कामगरों के लिए किराया/खरीद के आधार पर सिलाई/बुनाई/कसीदाकारी मशीनों की व्यवस्था	1.22	0.06	0.20	0.05	0.05	0.05	--	-
5.	गांवों में कामगरों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं . .	15.00	--	1.00	--	--	--	--	-
6.	औद्योगिक कामगरों के लिए अवकाश गृह . . .	7.60	0.52	1.40	0.52	1.00	1.00	--	-
	उप जोड़--(III) .	60.56	3.00	7.90	6.64	6.90	1.53	5.37	-
	IV. श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा								
1.	चलती फिरती स्वास्थ्य प्रयोगशाला	7.01	--	2.18	0.43	0.92	0.92	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	औद्योगिक कामगरों में मधनिषेध का प्रचार करने की स्कीम .	5.74	0.52	0.90	1.07	0.74	0.74	--	--
	उप जोड़--IV . .	12.75	0.52	3.08	1.50	1.66	1.66	--	--
V.	शिक्षा व प्रशिक्षण .								
1.	औद्योगिक मजदूरों में साक्षरता का प्रचार	5.03	--	0.87	0.24	0.50	0.50	--	--
VI	अनुसंधान व सांख्यिकी								
1.	सांख्यकीय मशीनरी को मजबूत करना	0.96	0.90	--	--	--	--	--	--
	उप जोड़ -- (क). .	100.00	4.50	16.00	8.93	12.41	7.04	5.37	--
	(ख) दस्तकार व प्रशिक्षता प्रशिक्षण								
II	दस्तकार प्रशिक्षण								
1.	मीरी क्षेत्र औ० प्र० संस्थान का निर्माण . . .	43.50	1.29	5.00	0.94	5.00	--	5.00	--
2.	जेल रोड औ० प्र० संस्थान का निर्माण . . .	10.50	8.94	5.00	1.09	--	--	--	--
3.	नन्द नगरी औ० प्र० संस्थान का निर्माण . . .	34.64	5.43	10.00	0.34	3.00	--	3.00	--
4.	खिचड़ीपुर औ० प्र० संस्थान का निर्माण . . .	34.00	2.87	6.00	0.25	3.00	--	3.00	--
5.	नरेला औ० प्र० संस्थान का निर्माण	33.00	8.92	7.50	0.25	4.00	--	4.00	--
6.	अतिरिक्त वर्कशाप का निर्माण .	5.50	--	5.00	--	1.00	--	1.00	--
7.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण .	11.80	--	5.00	--	2.00	--	2.00	--
8.	महिलाओं के लिए ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र . . .	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--
9.	विषयों का विभाजन व आधुनिकीकरण . . .	40.00	16.60	15.00	16.27	13.55	13.55	--	--
10.	मुख्यालय स्टाफ को बढ़ाना .	2.60	--	0.50	--	0.50	0.50	--	--
11.	सर्वेक्षण योजना व अनुसंधान केन्द्र .	0.45	--	0.20	--	--	--	--	--
12.	कार्य दिलाने में सहायक कक्ष की स्थापना	2.73	--	0.80	--	0.05	0.05	--	--
13.	आई० टी०आई० स्टाफ के गठन के ढांचे में परिवर्तन . . .	--	--	--	--	0.05	0.05	--	--
14.	व्यावसायिक विषय बोर्ड .	--	--	--	--	0.05	0.05	--	--
15.	आई० टी० आई० के लिए रख-रखाव का स्टाफ . . .	0.50	0.45	--	--	--	--	--	--
16.	उन्नतिशील विषय परीक्षण स्कीम .	0.36	0.34	--	--	--	--	--	--
17.	आई० टी० आई० में अतिरिक्त पारी .	2.09	1.93	--	--	--	--	--	--
	उप जोड़-- . . .	221.67	46.77	60.00	19.14	32.25	14.20	18.05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. प्रशिक्षुण प्रशिक्षण									
1. मुख्यालय स्टाफ को बढ़ाना . .		0.75	0.54	—	—	—	—	—	—
2. राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार के लिए कार्यालय को मजबूत करना .		—	—	—	—	0.50	0.50	—	—
3. क्षेत्र कार्य कर्मचारियों की व्यवस्था .		—	—	—	—	0.05	0.05	—	—
4. बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र . .		37.58	19.38	10.00	0.34	8.00	—	8.00	—
उप जोड़ (II) . .		38.33	19.92	10.00	0.34	8.55	0.55	8.00	—
उप जोड़ (ख) . .		260.00	66.69	70.00	19.48	40.80	14.75	26.05	—
ग—रोजगार सेवाएं									
1. मुख्यालय के स्टाफ को बढ़ाना और समेकित रूप देना . .		0.35	0.34	—	—	—	—	—	—
2. स्कूल स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिट . . .		0.72	0.46	—	—	—	—	—	—
3. रोजगार कार्यालय में अतिरिक्त को-स्टाफ व्यवस्था . . .		0.71	0.67	—	—	—	—	—	—
4. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण और प्रस्तुतीकरण का क्रमिक मशीनीकरण व कम्प्यूटीकरण . .		1.07	1.07	—	—	—	—	—	—
5. दरियागंज और कर्जन रोड रोजगार कार्यालयमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के लिए विशेष कक्ष की स्थापना		0.55	0.64	—	—	—	—	—	—
6. दरियागंज और कर्जन रोड रोजगार कार्यालय में जन सम्पर्क यूनिट की स्थापना		0.77	0.81	—	—	—	—	—	—
7. रोजगार कार्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिट की स्थापना . .		0.70	0.89	—	—	—	—	—	—
8. जवाहर लाल विश्वविद्यालय में रोजगार सूचना व सहायक ब्यूरो की स्थापना . . .		0.40	0.41	—	—	—	—	—	—
9. नांगलोई, नजफगढ़ और महरौली में रोजगार सूचना व सहायता का ब्यूरो का पुनर्गठन . . .		0.46	0.48	—	—	—	—	—	—
10. न्यूकलस सेल की स्थापना . .		0.28	0.26	—	—	—	—	—	—
11. स्वरोजगार सेल की स्थापना .		0.39	0.41	—	—	—	—	—	—
12. अरब की सराय और पूसा रोजगार कार्यालय में सम्पर्क यूनिट की स्थापना		0.55	0.61	—	—	—	—	—	—
13. रोजगार कार्यालय में आइआ यूनिट को मजबूत करना . . .		0.31	0.31	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	व्यावसायिक सूचना यूनिट की मुख्यालय में स्थापना . . .	0.46	0.33	—	—	—	—	—	—
15	रोजगार कार्यालय में चलते फिरते यूनिट की स्थापना . . .	0.64	0.40	—	—	—	—	—	—
16	प्रसार यूनिट की स्थापना .	0.46	0.24	—	—	—	—	—	—
17.	रोजगार कार्यालय आर० के० पुरम के लिए इमारत का निर्माण .	3.00	1.55	—	0.02	—	—	—	—
18	जनशक्ति सर्वेक्षण यूनिट .	3.20	—	—	—	—	—	—	—
19	महिलाओं, शारीरिक रूप से अपंगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन . .	1.40	—	—	—	—	—	—	—
20.	ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार सूचना सहायता ब्यूरो को मजबूत करना .	4.20	—	—	—	—	—	—	—
21.	रोजगार कार्यालय के दूसरे चलते-फिरते यूनिट की स्थापना	2.46	—	1.10	0.60	0.42	0.42	—	—
22.	मुख्यालय में मूल्यांकन व निरीक्षण कक्ष	1.40	—	0.40	0.02	0.24	0.24	—	—
23.	दृश्य श्रव्य प्रसार स्कीम . .	5.00	—	0.50	—	0.23	0.23	—	—
24.	भूतपूर्व सैनिको के लिए रोजगार कार्यालय की क्षमता बढ़ाना . .	1.74	—	0.50	—	0.42	0.42	—	—
25.	शारीरिक रूप से अपंगों के लिए रोजगार कार्यालय की क्षमता बढ़ाना	1.40	—	0.50	—	0.50	0.50	—	—
26.	रोजगार कार्यालय के कार्य का कम्प्यूटीकरण	7.70	—	1.00	—	—	—	—	—
27.	कर्जन रोड रोजगार कार्यालय के लिए इमारत .	10.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
28.	दरियागंज रोजगार कार्यालय के लिए इमारत . .	15.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—
29.	अरब की सराय रोजगार कार्यालय के लिए इमारत . . .	8.00	—	—	—	—	—	—	—
30.	सब्जी मण्डी रोजगार कार्यालय के लिए इमारत . .	7.00	—	—	—	—	—	—	—
31.	शाहदरा रोजगार कार्यालय के लिए इमारत . .	5.25	—	—	—	—	—	—	—
32.	तीन चलते-फिरते यूनिटों की स्थापना	1.20	—	—	—	—	—	—	—
33.	व्यावसायिक मार्ग दर्शन की क्षमता बढ़ाना (कालेज स्तर) . .	2.73	—	—	—	—	—	—	—
34.	प्रसार यूनिट की क्षमता बढ़ाना	0.50	—	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़ (ग) . .	90.00	9.88	15.00	0.64	12.81	1.81	11.00	—
	कुल (श्रम व श्रम कल्याण) .	450.00	81.07	101.00	29.05	66.02	23.60	42.42	—

वार्षिक योजना 1980–81

विकासीय स्कीम/प्रायोजना परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	स्कीम/प्रायोजना का नाम	पंचवर्षीय प्लान 1978–83 राष्ट्रीय परिव्यय	1978–79 वास्तविक व्यय	1979–80 अनुमोदित परिव्यय	1979–80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980–81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
I.	**निदेश व प्रशासन**								
1.	हरिजन कल्याण बोर्ड का विस्तार .	1.30	1.30	--	--	--	--	--	--
2.	हरिजन कल्याण निदेशालय .	--	--	--	--	0.40	0.40	--	--
	उप-जोड़–(1) . .	1.30	1.30	--	--	0.40	0.40	--	--
II.	**अनुसूचित जातियों का कल्याण**								
	क—शिक्षा								
1.	अनुसूचित जातियों को व्यावसायिक व तकनीकी छात्रवृत्ति . .	10.00	1.21	2.00	1.46	2.00	2.00	--	--
2.	अनुसूचित जाति के लड़के व लड़कियों को योग्यता छात्रवृत्ति . .	12.00	2.60	2.50	2.94	2.50	2.50	--	--
3.	अनुसूचित जाति की लड़कियां के लिए छात्रावास . .	7.00	1.50	1.50	1.30	1.50	1.50	--	-
4.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास . .	7.00	1.19	1.50	1.30	1.50	1.50	--	-
5.	नये पूर्व परीक्षा व अध्ययन सहायता केन्द्र खोलना	7.00	--	2.00	--	2.10	2.10	--	-
6.	पूर्व परीक्षा अध्ययन सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए गहन अध्ययन सहायता व्यवस्था	5.00	--	0.75	--	--	--	--	-
7.	अनुसूचित जाति के बच्चों को पुस्तकों का मुफ्त वितरण . .	8.00	--	1.50	--	1.50	1.50	--	-
	उप-जोड़–(II) . .	56.00	6.50	11.75	7.00	11.10	11.10	--	--
	ख—आर्थिक उत्थान								
1.	लघु व घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता . .	40.00	7.68	8.00	7.22	12.00	12.00	--	-
2.	जमादारों व सफाई कर्मचारियों के लिये रहन-सहन के व काम करने के हालात में सुधार . .	50.00	8.00	10.50	--	5.00	5.00	--	-
	उप-जोड़ (II-ख) . .	90.00	15.68	18.50	7.22	17.00	17.00	—	-
	ग—स्वास्थ्य, आवास व अन्य योजनाएं								
1.	आवास आर्थिक सहायता .	80.00	3.00	12.50	4.16	13.00	13.00	—	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान . . .	6.00	0.96	1.25	1.27	1.50	1.50	—	—
	3. अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता	5.00	—	0.50	—	0.20	0.20	—	—
	4. हरिजन बस्तियों का सुधार .	48.00	35.19	9.00	9.00*	20.30	20.30	—	—
	5. बसें खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों को विशेष सहायता .	—	8.88	—	—	—	—	—	—
	6. हरिजन विकास निगम .	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—
	7. अनुसूचित जाति के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास व पूर्व परीक्षा अध्ययन सहायता केन्द्र की इमारत के लिए निर्माण कार्यक्रम .	30.00	1.96	10.00	—	6.00	—	6.00	—
	8. अनुसूचित जातियों के लिए किराया-आवास . . .	5.00	—	5.00	—	—	—	—	—
	उपजोड़ (II-ग) . .	174.00	49.99	38.25	14.43	42.00	36.00	6.00	—
	उपजोड़ (क+ख+ग) . .	320.00	72.17	68.80	28.65	70.10	64.10	6.00	—

*यह राशि दी जा चुकी निधि के आधार पर दिखाई गई है।

II..	अनधिसूचित वर्गों का कल्याण								
	. लड़कों के लिए संस्कार आश्रम-II .	1.90	1.13	—	—	—	—	—	—
	. अनाधिसूचित वर्गों के लिए कल्याण केन्द्र	1.50	1.60	—	—	—	—	—	—
	. अनाधिसूचित वर्गों का आर्थिक पुनर्वास	2.50	—	0.50	1.04	0.50	—	—	0.50
	. लड़कों के लिए संस्कार आश्रम विस्तार	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—
	लड़कियों के लिए संस्कार आश्रम .	2.30	2.12	—	—	—	—	—	—
	लड़कों और लड़कियों के लिए संस्कार आश्रम की इमारत के लिए भूमि की खरीद और उसका निर्माण	40.00	—	5.00	—	3.00	—	3.00	—
	उप-जोड़ (III) . .	48.70	6.35	5.50	1.04	3.50	—	3.00	0.50
	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
	अन्य पिछड़े वर्गों को योग्यता छात्रवृत्ति . . .	80.00	16.28	16.00	19.64	16.00	16.00	—	—
	उप-जोड़ (IV) . .	80.00	16.28	16.00	19.64	16.00	16.00	—	—
	कुल जोड़—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	450.00	96.10	90.00	49.33	90.00	80.50	9.00	6.50

वार्षिक योजना 1980-81 विकास योजना / प्रायोजना परिव्यय तथा व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (रुपये लाखों में

क्रम सं०	योजना का नाम / प्रायोजना	पंचवर्षीय योजना (1978-83) परिव्यय	1978-79 वास्तविक खर्च	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	समाज कल्याण								
	(1) निदेशन व प्रशासन								
1.	मुख्यालय में तकनीकी स्टाफ का विस्तार . . .	6.00	1.33	0.45	—	0.20	0.20	—	—
2.	सर्वेक्षण, मूल्यांकन व अनुसंधान	1.28	—	0.50	—	0.10	0.10	—	—
	उप जोड़ (I) . .	7.28	1.23*	0.96	—	0.30	0.30	—	—
	(2) अपंगों की शिक्षा व कल्याण								
1.	गूंगे, बहरों का लेडीनार्यस स्कूल का दर्जा बढ़ाना . . .	0.35	0.45*	—	—	—	—	—	—
2.	मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए गृह का पुनर्गठन	1.66	1.91*	—	—	—	—	—	—
3.	अपंगों के लिए छात्रावास .	0.50	0.44*	—	—	—	—	—	—
4.	शारीरिक रूप से अपंगों के लिए सायेबान वाली वर्कशाप .	3.66	2.52	—	—	—	—	—	—
5.	शारीरिक रूप से अपंगों की सहायक साधनों के लिए सहायता .	0.25	0.31	—	—	—	—	—	—
6.	शारीरिक रूप से अपंग छात्रों को छात्रवृति . . .	0.90	1.09*	—	—	—	—	—	—
7.	शारीरिक रूप से अपंग अतिविशिष्ट कर्मचारियों और बहुत ही सक्षम शारीरिक अपंग कर्मचारियों को राजकीय पुरस्कार . .	0.07	0.04*	—	—	—	—	—	—
	नई स्कीमें								
8.	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के गृह का निर्माण . .	23.00	—	—	—	0.10	—	0.10	—
9.	मानसिक रूप से अविकसित (प्रौढ़ों) के लिए गृह का निर्माण .	15.00	—	—	—	0.10	—	0.10	—
10.	अन्धे बच्चों के लिए स्कूल को मजबूत करना . . .	—	—	—	—	0.50	0.50	—	—
11.	मानसिक रूप से अविकसितों के लिए	—	—	—	—	0.50	0.50	—	—
	* गैर योजना 1-4-79 से								
12.	मानसिक रूप से अविकसित (प्रौढ़ों) के लिए गृह का निर्माण .	—	—	—	—	0.50	0.50*		
13.	शारीरिक अपंगों के लिए सायेबान वाली वर्कशाप . .	—	—	—	—	0.50	0.50	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	गूंगे और बहरों के राजकीय लेडी नायस स्कूल की इमारत व छात्रावास का निर्माण .	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—
	उप जोड़ (ii) . .	45.39	6.76	—	—	2.30	2.00	0.30	—
(3)	**पारिवार व बाल कल्याण**								
(क)	**माहिला कल्याण**								
1	माहिलाओं का कार्य केन्द्र .	8.89	4.55	—	—	—	—	—	—
2	विधवाओं को वित्तीय सहायता	12.50	—	1.35	—	1.50	1.50	—	—
3.	दहेज विरोधी कार्यक्रम . .	3.00	0.32	0.75	0.76	0.85	0.85	—	
4	माहिलाओं के कार्य केन्द्र की इमारत का निर्माण . .	12.44	—	12.44	—	6.40	—	6.40	—
नई स्कीम									
1	माहिला आर्थिक विकास निगम .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
2	माहिला ब्यूरो . .	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
	उपजोड़ (3–क) .	36 83	4.87	14 54	0.76	8.95	2.55	6.40	—
(ख)	**बाल कल्याण**								
1	ग्रामीण कोटेज होम . .	1 54	1.70	—	—	—	—	—	—
2	ग्रामीण कोटेज होम का विस्तार .	5.00	—	0.50	0.82	0.61	0.61	—	—
3	फोस्टर केयर सेवाओं का विस्तार	0.27	0.40	—	—	—	—	—	—
4.	डे केयर सेन्टर का विस्तार .	1.80	1.39*	—	—	—	—	—	—
5. / 6	लड़कों के लिए विशेष स्कूल का निर्माण और अलीपुर में स्थान का विकास व चारदीवारी का निर्माण / अलीपुर में लड़कों के वर्तमान गृह की इमारत व औषधालय का निर्माण	13.00	9.07	—	—	1 00	—	1.00	—
7.	अलीपुर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	4.18	3.35	1 18	9.55	0.10	—	0.10	—
8.	बाल बाड़ी . . .	1 50	1.88	—	—	—	—	—	—
9.	लड़कों का बाल गृह . .	2.00	1.59*	—	—	—	—	—	—
10	लड़कियों का बाल गृह–II पूंजी / राजस्व	39.01	13.61 1.08*	8.00 —	10.49	2.00	—	2.00	—
11	लड़कियों के लिए परिवीक्षा गृह की इमारत का निर्माण .	41 61	—	3.00	—	7.00	—	7.00	—
12	नारी निकेतन परिसर में स्थल-विकास, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था . .	18.73	—	2.00	—	5.00	—	5.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	नारी निकेतन में आगन्तुकों का और चिकित्सा ब्लाक .	2.42	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—
14	नारी निकेतन में स्टाफ क्वार्टर .	11.02	—	3.00	—	4.00	—	4.00	—
15.	नारी निकेतन में सड़कें व चारदीवारी	5.96	0.46	1.00	—	1.50	—	1.50	—
16.	कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर केन्द्र आदि (स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान) . .	2.00	—	0.25	—	—	—	—	—
17.	बच्चों के लिए अनुरक्षण भत्ता	3.28	—	0.37	—	—	—	—	—
18.	राजकीय .....प्रयोजना .	40.00	—	10.50	1.49	5.29	5.29	—	—
19.	अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष . .	2.00	—	2.00	1.81	1.00	1.00	—	—
नई स्कीमें									
20.	ग्रामीण अतिथि गृह नं0—II	—	—	—	—	0.10	0.10	—	—
	उप जोड़ (III—ख) .	195.32	35.42	32.80	24.16	28.60	7.00	21.60	—
	उप जोड़ (III क, ख)	232.15	40.28	47.34	24.92	37.55	9.55	28.00	—
(4) गरीब व अपाहिजों का कल्याण									
1.	बुढ़ापे में सहायता . .	4 00	4.13*	—	—	—	—	—	—
2.	बुढ़ापे में सहायता का विस्तार .	12.50	—	1.35	1.34	3.00	3.00	—	—
3.	सामाजिक व शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम का विस्तार . .	20.00	—	5.00	5.60	3.50	3.50	—	—
	उप जोड़—(4) . .	36.50	4.13*	6.35	6.94	6.50	6.50	—	—

*1-4-1979 से गैर योजना।

सुधार सेवाएं									
1.	भिखारियों के लिए स्वागत व वर्गीकरण केन्द्र . . .	9.00	7.83*	—	—	—	—	—	—
2.	जेल कल्याण सेवा का विस्तार .	0.45	0.50*	—	—	—	—	—	—
3.	परिवीक्षा सेवाओं का विस्तार .	0.30	0.35	—	—	—	—	—	—
4.	तिहाड़ में पुरुष भिखारियों के घर के निर्माण के लिए भूमि का विकास	17.28	3.52	5.00	—	3.00	—	3.00	—
5.	सुधार संस्थानों व गैर सुधार संस्थानों मुक्त किए गए तथा परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान	1.65	—	0.36	0.16	0.35	0.35	—	—
6.	सेवा कुटीर (पूअर हाउस) को इमारत का निर्माण . .	25.00	—	5.00	—	4.00	—	4 00	—
7.	तिहाड़ में एक पुरुष भिखारी गृह की इमारत का निर्माण .	—	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	उप जोड़ (5) . .	53.68	12.20	10.35	0.16	8.35	0.35	8.00	—
	कुल जोड़ (समाज कल्याण) .	375 00	64.71	65.00	32.02	55.00	18.70	36.30	—

* 7-4-1979 से गैर योजना।

वार्षिक योजना 1980-81 विकास योजना/प्रायोजना परिव्यय तथा व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (रुपये लाखों में)

क्र सं०	योजना का नाम/प्रायोजना	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक खर्च	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पोषाहार								
	विशेष पोषाहार कार्यक्रम								
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम								
(1)	पूरक पोषण								
1.	स्कूल जाने से पहले की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम								
2	गर्भवती महिलाओं और लेक्टेटिंग माताओं के लिए कार्यक्रम	96.50	34.47	6.00	3.770	6.00	6.00	--	--
3.	समेकित बाल विकास प्रायोजना	103.50	9.04	34.00	22.115	30.00	30.00	--	--
	उप जोड़ (I) . . .	200.00	43.51	40.00	25.885	36.00	36.00	--	--
(2)	**दोपहर का भोजन** दिल्ली प्रशासन								
1.	शिक्षा निदेशालय . .	--	--	--	--	4.00	4.00	--	--
2.	दिल्ली नगर निगम .	37.00	4.94	8.00	11.840	9.00	9.00	--	--
3.	नई दिल्ली नगर पालिका .	32.00	7.42	7.00	16.550	6.00	6.00	--	--
	उप जोड़ (II) .	69.00	12.36	15.00	28.330	19.00	19.00	--	--
	कुल (पोषण) . .	269.00	55.87	55.00	34.115	55.00	55.00	--	-

वार्षिक योजना 1980-81

विकास योजना—परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
विवरण जी० एन०-2.

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(7)	सचिवालय आर्थिक सेवाएं								
1.	योजना व्यवस्था को सुदृढ़ करना .	23.00	2.50	4.50	1.14	4.50	4.50	--	--
2.	नई दिल्ली नगर पालिका मुख्यालय में योजना कक्ष को सक्षम बनाना .	2.00	0.48	0.50	--	0.10	0.10	--	--
3.	दिल्ली नगर निगम में मानीटरिंग व योजना यूनिट की स्थापना .	5.00	--	1.00	--	0.20	0.20	--	--
	कुल . . .	30.00	2.98	6.00	1.14	4.80	4.80	--	--

वार्षिक योजना 1980-81

योजनाएं/प्रायोजना--परिव्यय व व्यय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
विवरण जी०एन०— 2

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	पंचवर्षीय योजना 1978-83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक व्यय	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
7)	आर्थिक सेवाएं								
(ii)	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं								
1.	यूनिट रिकार्ड सिस्टम . .	4.10	1.22	0.45	0.23	0.80	0.80	--	--
2.	सामाजिक आर्थिक यूनिटों को सक्षम बनाना .	2.00	1.61	--	--	-	--	--	--
3.	औद्योगिक उत्पादन का राज्य सूचकांक बनाना . . .	0.60	0.10	--	--	--	--	--	--
4.	अर्थ व संख्या ब्यूरो को और अधिक सक्षम बनाना .	6.80	0.33	1.25	0.45	1.00	1.00	--	--
5.	प्रशासन के सांख्यिकी व अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण . .	5.40	0.51	1.00	0.08	0.80	0.80	--	--
6.	सामाजिक आंकड़ों सम्बन्धी कार्य बढ़ाना . . .	3.00	--	0.30	--	--	--	--	--
7.	स्थानीय निकायों संबंधी आंकड़ों के कार्य को व्यवस्थित रूप देना । .	--	--	--	--	--	--	--	--
8.	खाद्य व संभरण विभाग में सांख्यिकी कक्ष को क्षमता बढ़ाना । .	1.00	1.50	--	--	--	--	--	--
9.	बिक्री कर विभाग में सांख्यिक कक्ष की स्थापना . . .	1.00	1.03	--	--	--	--	--	--
10.	बिक्री कर वार्डों में वास्तविक कार्य की सांख्यिकीय प्रणाली . .	4.00	--	1.00	--	1.00	1.00	--	--
11.	बिक्री कर विभाग में ई० डी० पी० कक्ष स्थापित करना .	13.10	--	4.00	--	3.00	3.00	--	--
	कुल . . .	41.00	6.30	8.00	0.76	6.60	6.60	--	--

वार्षिक योजना 1980-81 | संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

विकास योजनाएं/प्रायोजना परिव्यय व व्यय | विवरण जी०एन०—2

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम/प्रायोजना	पंचवर्षीय योजना 1978--83 परिव्यय	1978-79 वास्तविक	1979-80 अनुमोदित परिव्यय	1979-80 व्यय	अनुमोदित परिव्यय 1980-81 कुल	राजस्व	पूंजी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सामान्य सेवायें								
1.	स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम .	30.00	1.82	6.00	7.36	15.00	5.00	10.00	—

वार्षिक योजना 1980–81

वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां

राज्य क्षेत्र दिल्ली

मद	यूनिट	पंचवर्षीय योजना 1978-83 1977–78 आधार वर्ष स्तर	1978–83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	1978–79 उपलब्धियां	1978-80 लक्ष्य	1978-80 उपलब्धियां	अनुमोदित लक्ष्य 1980–81
2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि व सम्बद्ध सेवाएं							
1 खाद्यान्न का उत्पादन							
(क) चावल	000 टन	4.00	2.80	2.40	2.50	0.55*	2.60
(ख) गेहूं	”	116.00	117.49	106.20	107.70	108.50*	110.50
(ग) ज्वार	”	2.80	3.15	3.70	3.65	2.15*	3.50
(घ) बाजरा	”	2.74	4.80	8.60	9.00	4.50*	7.80
(ड़) मक्का	”	0.20	0.48	0.90	1.00	0.90*	0.80
(च) अन्य अनाज	”	1.97	1.59	2.20	4.00	2.95*	4.10
(छ) दालें	”	4.59	4.69	3.00	3.15	2.95*	2.80
कुल खाद्यान्न	”	132.30	135.00	127.00	131.00	122.50*	132.10
सब्जी उत्पादन							
(i) आलू							
(क) क्षेत्र	000 हैक्टेयर	1.44	4.50	1.43	2.00	0.96	2.25
(ख) उत्पादन	000 टन	13.64	44.00	28.62	20.00	19.24	25.00
(ii) अन्य सब्जियों का उत्पादन							
(क) क्षेत्र	000 हैक्टेयर	25.07	29.50	27.04	27.00	21.63	27.65
(ख) उत्पादन	000 टन	301.00	376.30	333.72	345.00	259.58	346.50
रासायनिक उर्वरक							
(क) नाइट्रोजन (एन)	000 टन	2.82	5.00	4.10	4.00	4.52	4.20
(ख) फास्फोटिक (पी-5)	”	0.89	1.00	1.15	1.00	0.89	1.00
(ग) पोटेसिक (के-20)	”	0.01	0.25	0.05	0.05	0.40	0.05
कुल		3.72	6.25	5.30	5.05	5.91	5.25
पौध संरक्षण	तकनीकी सामग्री के टन 000	0.114	0.125	0.041	0.09	0.08*	0.085*
निम्न के वितरण के अधीन अंश							
पैस्टीसाइड्स (पौध संरक्षण के अर्न्तगत शामिल)	”	168.29	190.00	186.00	160.00	160.00*	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	विभिन्न पैदावारों में शामिल क्षेत्र . .							
	(क) धान	000 हैक्टेयर	3.48	2.80	3.72	3.20	1.72	3.00
	(ख) गेहूं	,,	44.83	50.20	49.06	48.80	46.48	49.00
	(ग) बाजरा	,,	10.56	12.00	7.86	9.00	8.06	9.50
	(घ) मक्का	,,	1.85	0.40	0.54	0.50	0.43	0.45
	कुल . . .		60.72	65.40	61.18	61.50	56.69	61.95
7	भूसंरक्षण . . .	000 हैक्टेयर	0.112	5.00	0.07	1.00	—	1.00
	सिंचाई							
	लघु सिंचाई में शामिल क्षेत्र							
	(1) भूमि जल (क) निवल (नेट)	000 हैक्टेयर	33.633	44.500	38.854	39.000	34.000	41.00
	(ख) सकल (ग्रास)	,,	34.653	45.700	40.405	41.300	36.000	42.80
	(ग) कुल (टोटल) . .	,,	34.653	45.700	40.405	41.300	36.000	42.80
	(2) धरातलीय जल (क) निवल . .	,,	19.158	25.400*	21.978	23.000	21.000	23.700
	(ख) सकल .	,,	19.781	26.500	23.188*	24.000	22.000	24.800
	(ग) कुल . .	,,	19.781	26.500	23.188	24.000	22.000	24.800
	नलकूप							
	(1) सार्वजनिक नलकूपों की स्थापित संख्या .		160	57	3	8	3 + (32 शैलो कैविटी ट्यूबवैल्स)	6
	(2) निजी ,, ,, ,, ,,		6000	900	100	150	150*	1,75
9	फसली क्षेत्र							
	(क) निवल . . .	000 हैक्टेयर	69.39	75.00	72.84	75.00	70.00*	72.00
	(ख) सकल		100.34	140.00	117.31	136.50	125.00*	130.00
10	पशुपालन उत्पादन							
	(i) दूध	000 टन	143.00	173.00	144.00	150.60	153.00	157.00
	(ii) अंडे	मिलियन	4.38	6.20	4.30	4.84	5.51	5.30
11	पशुपालन कार्यक्रम							
	(i) आइ-सी-डी-प्रायोजनाएं . .	सं०	—	—	—	—	—	—
	(ii) फ्रोजन सीमन (सांड) स्टेशनों की सं०	,,	—	—	—	—	—	—
	(iii) एक्सोटिक बुल सीमेन से किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या . .	लाखों में	0.08	0.30	0.10	0.06	0.06	0.0

2	3	4	5	6	7	8	9
(iv) शंकर गाएं . . .	न० लाखों में	0.01	0.05	—	0.01	0.01	0.01
(v) पशुओं के चिकित्सालय	संख्या	43	43	43	43	43	43
(vi) पशुओं के औषधालय .	,,	15	15	15	15	15	15
मत्स्यपालन							
(1) मत्स्य उत्पादन . . .							
(क) आंतरिक . . .	000 टन	0.51	2.00	0.60	0.80	0.80	1.20
(2) उत्पादित मत्स्य बीज							
(क) फिंगर लिंगस . .	मिलियन	0.85	2.00	1.00	1.20	1.20	1.40
(ख) पालन क्षेत्र . .	हैक्टैयर्स	1.00	8.00	3.50	6.00	6.00*	8.00

*गतिविधियों के अस्थाई आंकड़े

वार्षिक योजना 1980-81

वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां

क्रम सं०	मद	यूनिट	1977-78 आधार वर्ष स्तर	पंचवर्षीय योजना 1978—83 लक्ष्य	1978-79 उपलब्धियां	1979-80 लक्ष्य	1979-80 उपलब्धियां	अनुमोदित लक्ष्य 1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सहकारिताएं							
1.	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या	नं०	200	70	157	70	30*	35**
2.	कृषक सेवा समितियां	..	5	5	5	5	5	5
3.	लघु अवधि ऋण	रुपये करोड़ों में	0.24	2.00	0.60	0.50	0.025	0.30
4	मध्य अवधि ऋण	,,	0.18	1.00	—	0.20	—	0.10
5.	दीर्घ अवधि ऋण (साधारण और विशेष ए० आर० डी० सी०)	,,	—	1.50	—	0.30	0.15	0.20
6.	उर्वरकों की खुदरा बिक्री	,,	0.61	1.40	0.20	0.40	0.23	0.40
	बाजार को उपलब्ध की गई कृषि उत्पाद	,,	0.78	1.00	0.17	0.20	0.15	0.20
8.	शहरों द्वारा खुदरा बिक्री	,,	20.04	50.00	13.56	30.00	16.50	30.00
9.	ग्रामीण गोदाम क्षमता	000 टन	7.4	10.6	7.4	9.4	7.4	10.2

* यद्यपि 1979-80 के दौरान 70 पी० ए० सी० सोसाइटियों के पुनर्गठन का लक्ष्य था परन्तु कुछ आपत्तियों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका। अतः ऐसी 30 नई सोसाइटियां गठित की गई हैं।

** केवल नई समितियां दिखाई गई।

वार्षिक योजना 1980-81
वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां

विवरण जी० एम० -3

संघ राज्य क्षेत्र—दिल्ली

क्रम सं०	मद	यूनिट	स्तर 1977-78	लक्ष्य 1978-83	उपलब्धि 1978-79	लक्ष्य 1979-80	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य 1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(iii)—2	बाढ़ नियंत्रण							
	(i) नदी के तटबंध की लम्बाई							
	(क) तटबंध का निर्माण . .	कि०	59.29	65.69	2.5	—	—	—
	(ख) वर्तमान तटबंधों को ऊंचा और मजबूत करना . . .	,,	—	45.18	—	25.00	23.41	20.00
(2)	बांध की लम्बाई							
	(क) बाढ़ का हल्का करने के लिए बांध .	,,	3.5	8.5	—	1.50	1.50	3.50
	(ख) गांवों के चारों ओर बांधों का घेरा	,,	—	5 नं० 7.60 कि०	1 नं० 1.30 कि०	2 नं० 4 कि०	2 नं० 3.4 कि०	2 नं० 30.80 कि०
	(ग) बांधों का ऊंचा करना और मजबूत करना	,,	—	3.5	—	—	—	2.00
(3)	जल निकासी मार्गों की लम्बाई							
	(क) नालों का निर्माण . .	,,	221.20	304.75	22.37	30.00	30.50	20.00
	(ख) वर्तमान नालों को चौड़ा करना व उनकी क्षमता बढ़ाना .	,,	104.14	140.84	19.80	15.00	10.65	40.00
	(ग) बाढ़ नियंत्रण द्वारा लाभान्वित होने वाला क्षेत्र . . .	लाख हैक्टेयर्स	1.2	—	—	—	—	1.5

विवरण जी० एन०–3

वार्षिक योजना 1980–81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

संघ राज्य क्षेत्र—दिल्ली

क्र० सं०	मद	यूनिट	पंच वर्षीय योजना 1978–83: 1977–78 आधार वर्ष स्तर	पंच वर्षीय योजना 1978–83: 1982–83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	1978–79 उपलब्धियां	1979–80 लक्ष्य	1979–80 उपलब्धियां	1980–81 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विद्युत शक्ति							
	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान							
1	**ट्रांसमिशन व वितरण स्कीम**							
	(क) 220 कि० वी० स्कीम एस/एस क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनें . . .	एम वी-ए	300	700*	50	50	—	30
		के एम-एस	288	285*	—	—	—	—
	(ख) 66 कि० वी० स्कीम एस एस क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनें	एम-वी ए	—	710	—	—	—	40
		के-एम-एस	—	65	—	—	—	—
	(ग) 33 कि० वी० स्कीम एस-एस क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनें . . .	एम-वी-ए	888.00	1473	165	140	110.00	200
		के-एम-एस	575	804	32.08	65	36.44	56
	(घ) 11 कि० वी० और एल-वी स्कीम एस क्षमता ट्रांसमिशन लाइनें .	एम-वी-ए	943	1297	80.34	75	102.06	90
		के एम-एस	110.95	12845	507.61	350	896.41	450
	(ङ) पुनर्वास कालोनियों में कनेक्शन व बिजली .	नं०	840,940	1040,940	46841	35000	55968	35000
		नं०	स्कीमों का पूरा होना			6	—	7
(2)	ग्रामीण क्षेत्र में प्रणाली सुधार व नलकूपों को कनेक्शन देना . . .	नं०	9557	11557	534	300	1033	400

*इस में 220 के० वी० रिज स्टेशन का लक्ष्य शामिल नहीं है।
एस/एस 100 एम-वी-ए
लाइन्स 21 के-एम-एस

जी०एम०—3

वार्षिक योजना

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

संघ राज्य क्षेत्र—दिल्ली

क्र० सं०	मद	यूनिट	पंचवर्षीय योजना 1978—83		1978-79	1979-80		1980-81
			1977-78 आधार वर्ष स्तर	1982-83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्रामीण व लघु उद्योग							
1.	लघु उद्योग							
	(क) यूनिट*	नं०	13322	20822	13153	1400	2267	1500
	(ख) उत्पादन	रुपये लाखों में	66610	104110	67065	7000	13000	9000
	(ग) नियुक्त व्यक्ति	000	133	208	14	14	20	15
2.	औद्योगिक एस्टेट							
	(क) एस्टेट/एकड़	नं०	4	35	1	2	—	7 } पूरा होने पर
	(ख) यूनिटों की संख्या	नं०	257	3000	4010	60	—	694
	(ग) उत्पादन	रुपये लाखों में	4310	45760	20100	3500	—	25900
	(घ) रोजगार	000	7	125	60	1 5	—	1690
(3)	हथकरघा उद्योग							
	(क) उत्पादन	लाख रुपयों में	300	2925	1000	1040	1000	507
	(ख) रोजगार	000	7 5	12.0	11.0	1 0	0 75	1.25
(4)	पावर लूम उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
(5)	सरीकल्चर	—	—	—	—	—	—	—
(6)	कोयर उद्योग	—	—	—	—	—	—	—
(7)	दस्तकारियां							
	(क) उत्पादन	रु० लाखों में	18990	27220	20000	2100	2000	2390
	(ख) रोजगार	नं०	23490	33925	20000	2550	2400	2805
(8)	ग्रामीण उद्योग							
	(क) के० वी० आई० सी० यूनिटों के अन्तर्गत	नं०	**	1448	58	301	312	308
	(1) उत्पादन	रु० लाखों में	**	201.63	9.67	380.40	31.10	44.50
	(2) रोजगार	नं०	**	6351	351	1250	1300	1300

*उद्योग निदेशालय में पंजीकृत यूनिट

**के0 वी0 आई0 कार्यक्रम 1976—77 में आरम्भ किया गया था परन्तु उत्पादन व रोजगार 1978—79 से आरम्भ हुआ ।

वार्षिक योजना 1980-81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

विवरण जी० एन०-3

क्र० सं०	मद	यूनिट	पंच वर्षीय योजना 1978-83		1978-79	1979-80		1980-81
			1977-78 आधार वर्ष स्तर	1982-83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सड़कें व पुल							
1.	**दिल्ली प्रशासन जिला व अन्य सड़क**							
	1. (क) तलयुक्त (सिंगल लेन चौड़ाई)	कि० मी०	12	110	16	20	20	34
	(ख) तलयुक्त नहीं . .	"	—	—	—	—	—	—
	कुल . . .	"	12	110	16	20	20	34
	2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम . .							
	(क) तलयुक्त (सिंगल लेन चौड़ाई) .	"	6 60	28	2	2	1.05	3
	(ख) तलयुक्त नहीं . . .	"	—	—	—	—	—	—
	कुल . . .	"	6.60	28	2	2	1.05	3
2.	नई दिल्ली नगर पालिका . .	"	929.50	303.74	110.33	100 65	100.65	नहीं
3	**दिल्ली नगर निगम**							
	1 **अन्य जिला सड़कें**							
	(क) तलयुक्त . . .	कि० मी० 1/2	2690 39	2774.39	20.99	35.00	35.00	25 00
	(ख) तलयुक्त नहीं . . .	"	2169.26	2169.26	—	—	—	—
	कुल . . .	"	4859.65	4943.65	20.99	35.00	35.00	25 00
	2 **ग्रामीण सड़कें**							
	(क) तलयुक्त . . .	"	581.83	701.83	2.73	10 00	10.00	10.00
	(ख) तलयुक्त नहीं . .	"	1069.45	1069.45	—	—	—	—
	कुल . . .	"	1651.28	1717 28	2.73	10.00	10 00	10.00

वार्षिक योजना 1980-81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां — विवरण जे०-एन-3

क्र० सं०	मद	यूनिट	पंचवर्षीय योजना 1978-83: 1977-78 आधार वर्ष स्तर	पंचवर्षीय योजना 1978-83: 1982-83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	1978-79 उपलब्धि	1979-80 लक्ष्य	1979-80 वास्तविक उपलब्धि	1980-81 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सामान्य शिक्षा नाम पंजीयन (लाखों में)							
1.	6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 6-5 कक्षाएं							
	लड़के	प्रतिशत	101.95	109.30	101.90	106.20	105.60	107.70
	लड़कियां	"	86.00	99.50	86.30	92.90	93.10	97.30
	कुल	"	94.09	104.30	94.20	99.40	99.70	102.50
	11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 9-11 कक्षाएं							
	लड़के	"	81.00	91.50	82.20	83.50	87 40	89.60
	लड़कियां	"	65.00	73.10	66.90	68.70	66.10	66.50
	कुल	"	74.00	82.40	74.30	76.30	77.00	78.50
	14 से वर्ष की 16 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 9-11 कक्षाएं							
	लड़के	"	62.70	91.70	68.80	69.30	64.20	—
	लड़कियां	"	49.30	83.80	47.30	58.00	53.60	—
	कुल	"	56.40	87.90	54.40	63.90	59.20	—
	16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 12 कक्षाएं							
	लड़के	"		46.25	20.50	36.30	—	—
	लड़कियां	"		44.80	16.20	33.00	30.80	—
	कुल	"		45.40	18.50	34.90	31.80	—

वार्षिक योजना 1980-81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

विवरण सं०–एन–3

क्र०सं०	मद	युनिट	पंचवर्षीय योजना 1977-78 आधार वर्ष स्तर	1977-78 1982-83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	1979-60 उपलब्धि		लक्ष्य उपलब्धि	1980-81 वास्तविक
1	2	3	4 5	6	7		8	9
1.	प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 1-5 नाम पंजीकरण (पूर्ण कालिक)							
	लड़के	„	328.00	374.20	338.00	344.00	345.00	351.0
	लड़कियां	„	268.00	355.20	287.00	304.00	305.00	326.0
	कुल	„	596.00	729.40	625.00	648.00	650.00	677.0
2.	कक्षा 6-8 . .							
	लड़के	„	160.00	194.00	170.00	172.00	180.00	190.00
	लड़कियां	„	118.00	153.00	123.00	134.00	129.00	135.00
	कुल	„	278.00	347.00	293.00	306.00	309.00	325.0
3.	माध्यमिक शिक्षा कक्षाएं 9-10							
	लड़के	„	80.70	133.00	95.00	95.00	88.00	92.0
	लड़कियां	„	56.60	114.00	80.00	72.00	67.00	73.00
	कुल	„	137.30	247.00	165.00	167.00	155.00	165.0
4.	केवल 12 कक्षा के लिए नाम पंजीयन .							
	लड़के	„	27.00	68.00	41.00	49.00	44.00	48.0
	लड़कियां	„	18.00	60.00	34.00	40.00	37.00	40.0
	कुल	„	45.00	128.00	75.00	89.00	81.00	88.0
5.	प्रौढ़ शिक्षा							
	(क) भाग लेने वालों की संख्या .	15-35 वर्ष	—	450000	20000	40000	25000	7000
	(ख) केन्द्रों की संख्या	„	—	नहीं	1000	2000	1631	163

*विभिन्न आयु वर्ग में 1980-81 के पंजीकरण का लक्ष्य प्रतिशत में हीं दिखलाया गया ।

वार्षिक योजना 1980–81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां विवरण जी एन—3

क्रम संख्या	मद	यूनिट	पंच० योजना 1977–78 आधार वर्ष स्तर	पंच० योजना 1982–83 सम्भाव्ति वर्ष लक्ष्य	1978–79 उपलब्धि	1978–79 लक्ष्य	1979–80 उपलब्धि	1980–81 अनुमोदित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	8	7	9
(1)	तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्नीक							
	(क) संस्थाओं की संख्या	नं०	6	9	6	6	6	7
	(ख) स्वीकृत वार्षिक क्षमता	,,	2051	2600	2057	2201	1963	2200
	(ग) प्रविष्ट संख्या	,,	1961	2450	1900	2261	1848	3000
	(घ) निर्गम संख्या	,,	894	1300	854	930	935	1050
	इंजीनियरी कालेज व संस्थान							
	देल्ली इंजीनियरी कालेज							
1.	इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सिविल इंजीनियरी में बी०ई० (इंजी०) पाठ्यक्रम वार्षिक प्रविष्टि संख्या	,,	240	1035	75	240	240	240
2.	इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल,/सिविल इंजीनियरी मे एम० ई० (इंजी०) पाठ्यक्रम वार्षिक प्रविष्टि संख्या	,,	85	250	82	58	58	75

वार्षिक योजना 1980-81

उत्पादन के लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धियां

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

विवरण जी-एन—[illegible]

क्रम सं०	मद	यूनिट	पंच वर्षीय यो० 1978-83: 1977-78 आधारवर्ष स्तर	पंच वर्षीय यो० 1978-83: 1982-83 समाप्ति वर्ष लक्ष्य	1978-79 उपलब्धि	1979-80 लक्ष्य	1979-80 वास्तविक उपलब्धि	1980-81 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चिकित्सा							
	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय							
	(क) अस्पताल (शहरी) . .	सं०	5	7	5	5	5	5
	(ख) अस्पताल (ग्रामीण) . .	,,	0	0	0	0	)	0
	अस्पताल बिस्तरे (क) शहरी	,,	204	974	224	274	274	27
	(ख) ग्रामीण .	,,	0	0	0	0	0	
	औषधालय							
	(क) एलोपैथिक (नए)/शहरी, ग्रामीण)	,,	59	93	64	78	77	8
	(ख) एलोपैथिक (दर्जा बढ़ाना)	,,	0	20	8	5	5	1
	(शहरी/ग्रामीण) .	,,	0	28	28	28	28	2
	(ग) होम्योपैथी (शहरी,/ग्रामीण) पोलीक्लीनीक		6	4	2	3	2	
	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के बिस्तरे	,,	1175	1175	1175	1175	1175	117
	गो० ब० पंत अस्पताल के बिस्तरे	,,	350	500	350	390	390	39
	मानसिक रोग चिकित्सालय शाहदरा अस्पताल के बिस्तरे .	,,	578	578	578	578	578	5
	दिल्ली नगर निगम							
	(क) अस्पताल .	,,	6 बड़े 9 कालोनी अस्प०	6 बड़े 9 कालोनी अस्प०	6 बड़े 9 कालोनी अस्प०	6 बड़े 9 कालोनी अस्प०	6 बड़े 9 कालोनी अस्प०	6 बड़े 9 कालो अस्प०
	(ख) बिस्तरे . .	,,	5 ज०स्वा० के०	5 ज० स्वा० के०	5 ज० स्वा० के०	5 ज० स्वा० के०	5 ज० स्वा० के०	5ज०स्वा० के०
			2803	3056	3004	3004	3056	305
	औषधालय (एलोपैथी) . . .	सं०	48	48	48	48	48	4
	(क) प्रसूति गृह . . .	,,	8	23	8	9	8	1
	(ख) प्रसूति केन्द्र . . .	,,	68	79	68	69	68	7
	(प्रसूति व बाल कल्याण उप केन्द्र) औषधियों की देसी प्रणाली							
	(क) औषधालय . . .	,,	59	109	61	71	70	8
	(ख) बिस्तरे . . .	,,	76	116	76	76	76	7

1	2	3	4	5	6	7	8
(ग) आयुर्वेदिक अस्पताल . .	सं०	2	2	2	2	2	2
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम							
(क) 5 उपकेन्द्रों की स्थापना और वर्तमान 25 उपकेन्द्रों के लिए इमारतों का निर्माण . . .	„	1	6	—	2	—	1
(ख) पुनर्वास कालोनियों में प्रसूति गृहों की स्थापना . . .	„	—	6	—	1	—	5
(ग) पुनर्वास कालोनियों में प्रसूति व बाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना .	„	—	9	--	1	8	9
नई दिल्ली नगर पालिका							
(क) अस्पताल . . .	„	1	1	1	1	1	1
(ख) अस्पतालों में बिस्तरे . .	„	50	100	100	100	100	100
औषधालय (क) आयुर्वेदिक . .	„	7	10	7	7	7	8
(ख) होमोपैथी . .	„	4	7	4	4	4	5

विवरण जी-एम-3

वार्षिक योजना 1980–81

वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

क्र० सं०	मद	यूनिट	1977–78 स्तर	पंचवर्षीय योजना 1978–83 लक्ष्य	1978–79 उपलब्धि	1979–80 लक्ष्य	1979–80 वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य 1980–81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(6)	जल संभरण व अपजल निकास							
1.	सुरक्षित जल संभरण की वृद्धि	मि० गै० पर डे०	253	454	253	303	253	318
2.	शहरी गांव जो इसके अंतर्गत हैं	नं०	38	196	69	72	69	**
3.	देहाती गांव जो इसके अन्तर्गत हैं	नं०	55	221	56	103	98	**
4.	शहरी अपजल निकास क्षमता	मि० गै० पर डे०	118	350	118	118	130	160

**उपलब्ध नहीं

विवरण जी०-एन०-3

वार्षिक योजना 1980-81

वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्षेत्र दिल्ली

क्र० सं०	मद	यूनिट	स्तर 1977–78	लक्ष्य 1978–83	उपलब्धि 1978–79	1979–80 लक्ष्य	1979–80 वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य 1980–81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(6)	7—आवास							
1.	लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण नं० . . .	नं०	1867	5590	112	500	400	800
2.	दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों के लिए कार्यालय स्थल . . .	सु्के० मी०	53170	**	6379	7000	7000	8000
3.	आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम	नं०		1336	—	1336	—	1336
					निर्माण अभी शुरू किया जाना है			निर्माण अभी शुरू किया जाना है
4.	निम्न आय वर्ग आवास स्कीम . .	,,	248	527	367	155	57	275
5.	मध्य आय वर्ग आवास स्कीम .	,,	282	475	326	187	77	410
6.	ग्रामीण आवास प्रायोजना स्कीम .	,,	297	1700	390	187	344	375
7.	गन्दी बस्ती हटाने की स्कीम (दिल्ली न० निगम) . . .	,,		—	—	1974	**	**
8.	गन्दी बस्ती हटाने की स्कीम (डी० डी० ए०)	,,		522 काम चल रहा है	522	522	522	**
9.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (दि० न० नि०)	,,	**	110 काम चल रहा है	110	**	**	**
10.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (न० दि० न० पा०)	,,	**	**	**	**	**	**
11.	भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों के स्थल (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) .	,,		10000	2610	2000	**	2000
12.	पुलिस आवास स्कीम . .	,,	**	**	**	**	**	**

**उपलब्ध नहीं ।

वार्षिक योजना 1980-81

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली — वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां — विवरण

क्र० सं०	मद	यूनिट	स्तर 1977-78	लक्ष्य 1978-83	उपलब्धि 1978-79	1979-80 लक्ष्य	1979-80 वास्तविक उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	8. शहरी विकास							
	(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण							
	1. जे. के. आर. स्कीम . . .	सं०	148262	**	--	20000	**	2000
	2. कटरों के स्वरूप में सुधार . . .	,,	123	**	—	**	**	
	दिल्ली नगर निगम							
	3. गंदी बस्ती क्षेत्रों में वातावरण का सुधार (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) . .	लाख व्यक्ति	0.92	3.33	—	1.66	**	
	4. शहरी गांवों का विकास . . .	सं०	--	104	—	--	**	
	5. नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों का विकास	,,	--	**	--	**	**	

**उपलब्ध नहीं